

Drishti IAS

करेंट अफेयर्स

(संग्रह)

मई (भाग-1)

2025

C-171/2, Block-A, Sector-15, Noida

641, Mukherjee Nagar, Opp. Signature View Apartment, New Delhi

21, Pusa Road, Karol Bagh New Delhi

Tashkent Marg, Civil Lines, Prayagraj, Uttar Pradesh

Tonk Road, Vasundhra Colony, Jaipur, Rajasthan

Burlington Arcade Mall, Burlington Chauraha, Vidhan Sabha Marg, Lucknow

12, Main AB Road, Bhawar Kuan, Indore, Madhya Pradesh

E-mail : care@groupdrishti.in

Phone: +91-87501-87501

अनुक्रम

शासन व्यवस्था 5

- भारत की अपशिष्ट प्रबंधन चुनौती..... 5
- न्यायिक सक्रियता पर बहस..... 8
- निजी सदस्य विधेयक..... 11
- पंचायत उन्नति सूचकांक..... 13
- भारत में जाति जनगणना: आवश्यकता और चुनौतियाँ..17
- भारत में संसदीय प्रणाली का सुदृढ़ीकरण..... 21
- मानव विकास रिपोर्ट 2025..... 24
- भारत का पशुधन क्षेत्र..... 28
- पंजाब-हरियाणा जल बँटवारा विवाद..... 32
- लोक सेवाओं के समक्ष चुनौतियाँ..... 36
- भारत में स्कूली शिक्षा की स्थिति..... 41

सामाजिक न्याय 45

- जीवन और स्वतंत्रता संबंधी मूल अधिकार के एक भाग के रूप में डिजिटल पहुँच..... 45
- सहकारिता में महिलाओं की भागीदारी..... 48

भारतीय अर्थव्यवस्था..... 53

- सेवा क्षेत्र के उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण..... 53
- ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025..... 55
- भारत में MSME पर नीति आयोग की रिपोर्ट..... 58
- भारत में श्रम बल का रूपांतरण..... 63
- भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता..... 67
- दिवालियापन समाधान प्रक्रिया में निहित अंतराल और सर्वोच्च न्यायालय..... 71
- विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट, 2025..... 74
- माइक्रोफाइनेंस संबंधी संकट..... 77
- निजी क्षेत्र का पूंजीगत व्यय..... 80
- भारत के लिये उच्च विकास दर का लक्ष्य..... 83
- डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स: प्रगति और चुनौतियाँ..... 86
- CSR खर्च में वृद्धि..... 88

अंतर्राष्ट्रीय संबंध 93

- भारत-पश्चिम एशिया संबंधों का सुदृढ़ीकरण..... 93
- विदेशी सहायता और भारत..... 96
- G-20 का बढ़ता प्रभाव..... 99

भारतीय समाज 104

- युवाओं पर सोशल मीडिया का प्रभाव..... 104

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी..... 108

- सतत् वन प्रबंधन के लिये आधुनिक प्रौद्योगिकी..... 108
- भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का विकास..... 111

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट :

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 116

- भारत की अपशिष्ट प्रबंधन चुनौती 116
- नगरीय ऊष्मा द्वीप प्रभाव 119
- क्लोरपाइरीफोस पर वैश्विक प्रतिबंध की मांग 121
- टिड्डी दल 123
- एजेंट ऑरेंज 124
- प्राकृतिक हाइड्रोजन 125
- ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 126
- रेड-क्राउन्ड रूफ्ड टर्टल 129
- जैवविविधता (पहुँच और लाभ साझाकरण) विनियमन, 2025 130
- भारत की ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना (GHCI) . 133
- महासागरों में माइक्रोप्लास्टिक इनफिल्ट्रेशन 133
- क्लाउड सीडिंग 134
- जैव विविधता संरक्षण में स्वदेशी समुदायों की भूमिका 135
- समुद्री प्रदूषण का समुद्री पक्षियों पर प्रभाव 137

भारतीय इतिहास 138

- सातवाहन राजवंश और संस्कृति 138

कृषि 141

- किसान उत्पादक संगठन 141
- कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देना 143

आंतरिक सुरक्षा 147

- भारत में सामरिक रक्षा प्रौद्योगिकियाँ 147

प्रिलिम्स फैक्ट्स 154

- CRGN के उपचार हेतु प्रतिजैविक औषध का अभाव 154
- शाक्यमुनि बुद्ध का पवित्र अवशेष 156
- क्लोरपाइरीफोस पर वैश्विक प्रतिबंध की मांग 159
- प्राकृतिक हाइड्रोजन 160
- व्यक्तित्त्व अधिकार 162
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 165
- जैवविविधता (पहुँच और लाभ साझाकरण) विनियमन, 2025 166
- ऑपरेशन सिंदूर 168
- महासागरों में माइक्रोप्लास्टिक इनफिल्ट्रेशन 170
- एक राज्य-एक RRB 172
- फैटी लिवर के उपचार के लिये सेमाग्लूटाइड 173
- ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना 176
- क्रिटिकल मिनिरल्स पर चीन का निर्यात प्रतिबंध 177

रैपिड फायर 181

- सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2025 181
- वायुसेना मार्शल अर्जन सिंह की जयंती 181
- टिड्डी दल 182
- राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड 184
- एम्डेन डीप 184
- आगामी जनगणना में जाति गणना 185
- महाराष्ट्र और गुजरात का 65वाँ राज्य दिवस 187
- सैंडी के रीफ 187
- कैस्पियन सागर पर जलवायु परिवर्तन का खतरा 188
- ऑरेंज इकोनॉमी 189
- प्रधानमंत्री ने विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया 189

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- लकड़बग्घा 191
- दीघा में जगन्नाथ धाम मंदिर 191
- रेड-क्राउन्ड रूफ्ड टर्टल 192
- ED का 69वाँ स्थापना दिवस 194
- रेड एडमिरल बटरफ्लाई 195
- तेंदुओं के अवैध शिकार में वृद्धि 195
- जीनोम-संपादित चावल की किस्में 196
- माउंट मकालू 197
- उचित एवं लाभकारी मूल्य में वृद्धि 198
- कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना 199
- बगराम एयरफील्ड 199
- स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म 200
- भारत की ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना (GHCI) 200
- HADR अभ्यास में भागीदारी हेतु INS शारदा मालदीव पहुँचा 201
- वर्ल्ड रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे 202
- अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस 202
- हेन्यो में आनुवंशिक अनुकूलन 203
- अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती 203
- रेबीज़ 204
- इनसाइडर ट्रेडिंग 205
- कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC) 205
- क्लाउड सीडिंग 206
- वेम्बनाड झील 207
- समुद्री प्रदूषण का समुद्री पक्षियों पर प्रभाव 207
- INS तमाल 208
- सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय: लाइसेंस प्राप्त स्टाम्प विक्रेता 'लोक सेवक' घोषित 208
- AI-सक्षम जल एटलस 209
- अमेरिका ने भारत को 'प्रायोरिटी वॉच लिस्ट' में रखा 209
- संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत आत्मरक्षा खंड 209
- भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य 211
- स्वार्थचालित कीमत 211
- साओला 212
- कैलाश मानसरोवर यात्रा को जोड़ने वाले भू-रणनीतिक दर्रे 213
- महाराणा प्रताप जयंती 215
- संयुक्त राष्ट्र वेसाक दिवस 2025 215
- राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 217
- आईएमडीईएक्स एशिया 2025 217
- स्वामित्व योजना और WB लैंड कॉन्फ्रेंस 2025 218
- द्वितीय विश्व युद्ध की 80वीं वर्षगाँठ 219
- इंदौर भारत का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर 220
- वेज बैंक 220
- सेमी क्रायोजेनिक इंजन 223
- क्षुद्रग्रह 2024 YR4 223
- केंदू पत्ता 224
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) के उन्नयन हेतु राष्ट्रीय योजना 226
- डोंगरिया कोंध जनजाति 226
- बॉण्ड फॉरवर्ड 227
- संशोधित शक्ति नीति 2025 229
- MSME क्षेत्र में अंतराल 229

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

शासन व्यवस्था

भारत की अपशिष्ट प्रबंधन चुनौती

चर्चा में क्यों?

नेचर अध्ययन से पता चलता है कि भारत **विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक** है जहाँ से **प्रतिवर्ष 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक अपशिष्ट (वैश्विक प्लास्टिक उत्सर्जन का** लगभग 20%) उत्पन्न होता है जिससे प्रणालीगत जवाबहिता की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश पड़ता है।

अपशिष्ट प्रबंधन क्या है?

- **परिचय:** अपशिष्ट प्रबंधन का तात्पर्य पर्यावरण प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी खतरों को **कम करने के क्रम में अपशिष्ट का संग्रह, उपचार और सुरक्षित** निपटान करना है। **इसमें पुनर्चक्रण, खाद बनाना और ऊर्जा पुनर्प्राप्ति** भी शामिल है, जिसका उद्देश्य संसाधनों का संरक्षण करने के साथ स्थिरता को बढ़ावा देना है।
- **भारत में अपशिष्ट उत्पादन की स्थिति:** भारत में प्रतिदिन 159,000 टन से अधिक अपशिष्ट उत्पन्न होता है।
  - यह अनुमान लगाया गया है कि ग्रामीण भारत में **प्रतिदिन 15,000 से 18,000 मिलियन लीटर तरल अपशिष्ट (ग्रेवाटर)** और 0.3 से 0.4 मिलियन मीट्रिक टन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है।
  - **द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (TERI)** की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में औसतन **सालाना 62 मिलियन टन (MT) अपशिष्ट** उत्पन्न होता है, जिसमें 7.9 मीट्रिक टन हानिकारक अपशिष्ट, 5.6 मीट्रिक टन प्लास्टिक अपशिष्ट, 1.5 मीट्रिक टन **ई-अपशिष्ट** और 0.17 मीट्रिक टन **जैव-चिकित्सा अपशिष्ट** शामिल है।
    - **कुल उत्पन्न अपशिष्ट** में से केवल 43 मीट्रिक टन ही एकत्रित किया जाता है जिसमें से **12 मीट्रिक टन** का निपटान से पहले उपचार किया जाता है तथा शेष **31 मीट्रिक टन** को अपशिष्टगृहों में ही फेंक दिया जाता है।
  - **केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)** का अनुमान है कि भारत में अपशिष्ट उत्पादन वर्ष 2030 तक बढ़कर 165 मीट्रिक टन हो जाएगा।
- **अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित भारत की प्रमुख पहल:**
  - **स्वच्छ भारत मिशन (SBM): वर्ष 2014** में शुरू किये गए **SBM** से शहरी और ग्रामीण भारत की स्वच्छता में काफी सुधार हुआ है।
    - वर्ष 2024 तक 4.75 लाख गाँवों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियाँ तथा 5.14 लाख गाँवों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों की व्यवस्था थी।
  - **SBM शहरी 2.0** का लक्ष्य अपशिष्ट पुनर्प्राप्ति सुविधाएँ, अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र और पुनर्चक्रण इकाइयाँ स्थापित करके **"शहर को अपशिष्ट मुक्त"** बनाना है, जिसके तहत **शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण** क्षमता में लगभग 1.06 लाख टन प्रतिदिन (TPD) की उल्लेखनीय वृद्धि शामिल है।
  - **अपशिष्ट से संसाधन: प्रधानमंत्री विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद (PM-STIAC)** के तहत यह पहल, बेकार पड़ी सामग्रियों को कला और उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित करने पर केंद्रित है।
    - वर्ष 2024 तक 3 लाख से अधिक नागरिकों को अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में शिक्षित किया जा चुका है, तथा 800 से अधिक मूल्यांकित प्रौद्योगिकियों में से 80 पहले से ही उपयोग में हैं।
  - **अपशिष्ट प्रबंधन नियम और दिशा-निर्देश: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986** के तहत, मंत्रालय ने पर्यावरण की दृष्टि से स्वस्थ प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिये

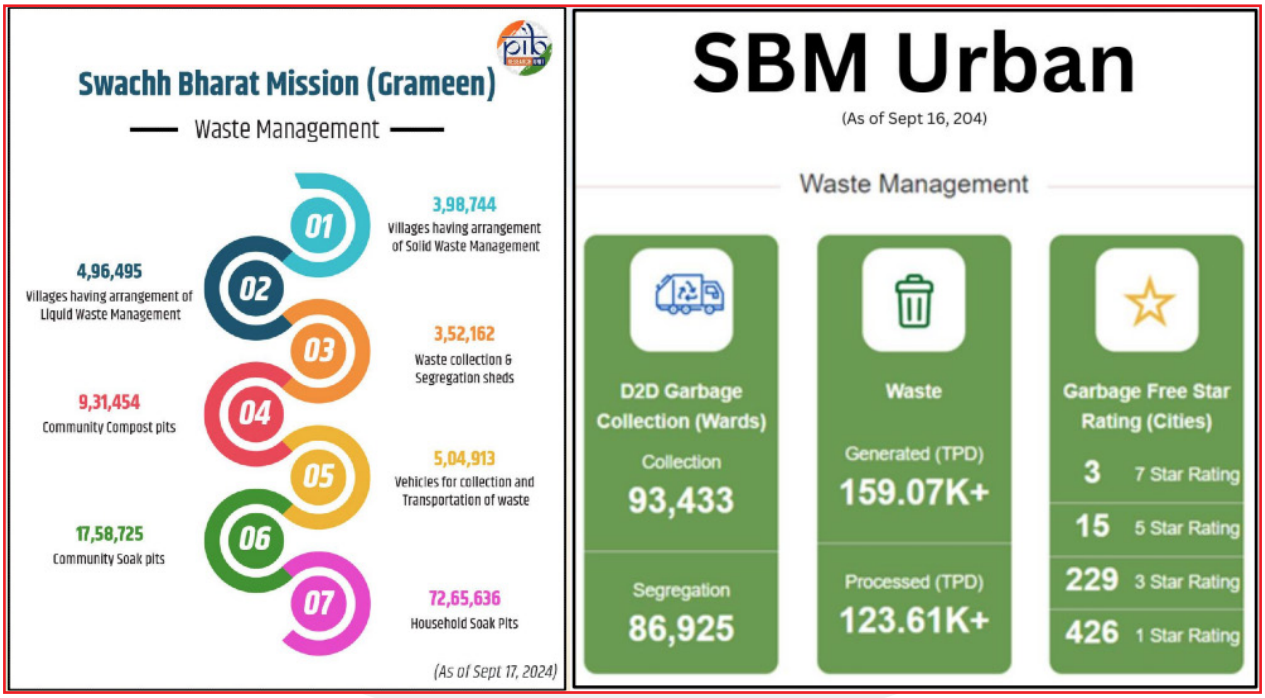
दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

कई अपशिष्ट प्रबंधन नियम और दिशा-निर्देश लागू किये हैं। इनमें शामिल हैं:

- **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016**
- **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016**
- **जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016**
- **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016**
- **हानिकारक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार आवागमन) नियम, 2016**
- **ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022**
- **बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022**

- **विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) तंत्र:** EPR एक अपशिष्ट प्रबंधन नीति है जो उत्पादकों को उनके उत्पादों के संपूर्ण जीवनचक्र के लिये उत्तरदायी बनाती है, जिसमें संग्रहण, पुनर्चक्रण और निपटान शामिल है।
  - वर्ष 2022 में प्लास्टिक पैकेजिंग, ई-अपशिष्ट, बैटरी अपशिष्ट और प्रयुक्त तेल के लिये EPR की शुरुआत की गई, जिससे अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।



भारत की अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली में चुनौतियाँ क्या हैं?

- **अपशिष्ट उत्पादन की कम रिपोर्टिंग:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 0.12 किलोग्राम** प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न होता है, लेकिन अध्ययनों के अनुसार यह **0.54 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन** है, जो विशेष रूप से **ग्रामीण क्षेत्रों और अनौपचारिक क्षेत्रों में प्लास्टिक अपशिष्ट** के बारे में महत्त्वपूर्ण **कम रिपोर्टिंग** को दर्शाता है।
- **व्यापक अपशिष्ट लेखा परीक्षा का अभाव:** अपशिष्ट डेटा एकत्र करने या लेखा परीक्षा के लिये कोई स्पष्ट पद्धति नहीं है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जो **पंचायती राज संस्थाओं** के अंतर्गत आते हैं और नगर निकायों या स्थानीय स्वशासन एजेंसियों के दायरे में नहीं आते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा: डंपसाइटों की संख्या सैनिटरी लैंडफिल** से काफी अधिक है (10:1)। **जबकि भारत 95% राष्ट्रीय अपशिष्ट संग्रह कवरेज का दावा करता है,** अधिकांश अपशिष्ट या तो जला दिया जाता है या अवहनीय तरीके से प्रबंधित किया जाता है। अपशिष्ट को संसाधित करने और पुनर्चक्रित करने के लिये मज़बूत बुनियादी ढाँचे की कमी समस्या को और बढ़ा देती है।
  - दूरदराज़ और ग्रामीण क्षेत्रों में, सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएँ (MRF) और रीसाइक्लिंग इकाइयाँ जैसी अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएँ सीमित हैं।
  - EPR प्रणाली के लिये प्रस्तावित अपशिष्ट पृथक्करण और संग्रहण के लिये कियोस्क की स्थापना के लिये सावधानीपूर्वक योजना बनाने और बुनियादी ढाँचे में महत्त्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ पहुँच कठिन है।

भारत में अपशिष्ट प्रबंधन को मज़बूत बनाने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- **अनुपालन के लिये न्यायिक अधिदेश: वर्ष 2025 के *वेल्लोर ज़िला पर्यावरण निगरानी समिति बनाम ज़िला कलेक्टर*** मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने औद्योगिक प्रदूषण से होने वाले **पर्यावरणीय नुकसान को दूर करने के लिये सुधार कार्यक्रमों** की आवश्यकता पर बल दिया।
  - इस दृष्टिकोण को **अपशिष्ट प्रबंधन** पर भी लागू किया जा सकता है, जहाँ **प्रदूषक भुगतान सिद्धांत (Polluter Pays Principle)** प्रदूषण के लिये ज़िम्मेदार लोगों को क्षति और बहाली की लागत के लिये जवाबदेह बनाता है।
  - **सर्वोच्च न्यायालय** ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण न केवल एक नियामक दायित्व है, बल्कि एक **संवैधानिक अनिवार्यता** भी है, जिसका **उद्देश्य व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना** और प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन सहित पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना है।
- **तृतीय पक्ष द्वारा डेटा की जाँच और प्रथाएँ:** सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण संबंधी डेटा की रिपोर्टिंग और निगरानी में पारदर्शिता पर बल दिया, यह **नीति अपशिष्ट प्रबंधन डेटा** के लिये भी अपनाई जा सकती है, जिससे संबंधित जानकारी का सटीक, स्वतंत्र रूप से सत्यापित और सार्वजनिक रूप से सुलभ होना सुनिश्चित किया जा सकेगा।
- **जियोटैगिंग और ट्रैकिंग: EPR ई-वेस्ट पोर्टल** के तहत **जियोटैगिंग** अपशिष्ट प्रबंधन बुनियादी ढाँचे के माध्यम से ट्रैकिंग में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकती है जिससे अधिक जवाबदेही सुनिश्चित होगी और संसाधन आवंटन में सुधार होगा।
- **मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज़ (MRF):** प्रत्येक नगरीय और ग्रामीण स्थानीय निकाय को को EPR के उद्देश्य से MRF, रिसाइकिलर्स और कियोस्क से जोड़ा जाना चाहिये।
  - उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड स्वामियों (PIBO) के लिये अपशिष्ट एकत्र करने हेतु **कियोस्क** स्थापित करने से समग्र भारत में अपशिष्ट संग्रह और पृथक्करण में सहायता मिलेगी।
  - संबंधित क्षेत्र की भौगोलिक और जनसांख्यिकीय विशिष्टताओं के आधार पर इन सुविधाओं को अनुकूलित किया जाना चाहिये।
- **सर्कुलरिटी के लिये उत्पादों की पुन: अभिकल्पना:** कंपनियों को एकल-उपयोग मॉडल से आगे बढ़ना चाहिये और पुनर्चक्रणीयता पर आधारित उत्पाद डिज़ाइन किये जाने चाहिये। **बायोडिग्रेडेबल, पुन: प्रयोज्य और मॉड्यूलर घटकों** के एकीकरण से उत्पाद आयुकाल को बढ़ाने और अपशिष्ट को कम करने में मदद मिलेगी।
  - इसके अतिरिक्त, सर्कुलरिटी के लिये सक्रिय **उपभोक्ता भागीदारी** की आवश्यकता होती है। उद्योगों को उपभोक्ताओं को जोड़ने, रीसाइक्लिंग को प्रोत्साहित करने और संधारणीय उपभोग व्यवहार को बढ़ावा देने के लिये अभियानों में निवेश करना चाहिये।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** भारत वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने, ग्रीन निवेश को आकर्षित करने और संसाधनों के सतत् उपयोग के लिये नीतिगत ढाँचे का सुदृढीकरण करने हेतु **ग्लोबल अलायंस फॉर सर्कुलर इकोनॉमी एंड रिसोर्स एफिशिएंसी (GACERE)** के साथ अपने सहयोग का उपयोग कर सकता है, जिससे अधिक प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन का मार्ग प्रशस्त होगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत की अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली नगरीकरण के विस्तार के साथ तालमेल बिठाने में अपर्याप्त है।" बुनियादी ढाँचे के अभाव और नीतिगत उपायों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये।

न्यायिक सक्रियता पर बहस

चर्चा में क्यों?

भारत में न्यायपालिका के बढ़ते प्रभाव को लेकर बहस बढ़ हो रही है, जहाँ एक ओर **'न्यायिक निरंकुशता' (judicial despotism)** पर चिंता व्यक्त की जा रही है, वहीं दूसरी ओर यह मत भी है कि **सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप संविधानिक मूल्यों** की रक्षा के लिये आवश्यक है।

- हाल के कुछ निर्णयों ने **शक्तियों के पृथक्करण** और इस प्रश्न पर बहस छेड़ दी है कि क्या न्यायपालिका ने अपने संविधानिक सीमाओं का अतिक्रमण किया है।

न्यायिक निरंकुशता क्या है?

- **न्यायिक निरंकुशता** से तात्पर्य ऐसी स्थिति से है, जहाँ न्यायपालिका, विशेष रूप से उच्च न्यायालय, **अत्यधिक या अनियंत्रित शक्ति का प्रयोग करते हैं**, जो अक्सर **अपने संविधानिक अधिकार-क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करती है**, जिससे विधायिका और **कार्यपालिका की भूमिका कमज़ोर हो जाती है** ।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - **अन्य अंगों में अतिरेक:** जब न्यायालय संविधानिक सीमाओं से परे जाकर कानून बनाने का कार्य (विधायी कार्य) करने लगते हैं या प्रशासनिक निर्णयों (कार्यपालिका के कार्य) में सीधे हस्तक्षेप करते हैं।
  - **असाधारण शक्तियों का बार-बार उपयोग:** उदाहरण के लिये, **स्पष्ट कानूनी या संवैधानिक समर्थन के बिना अनुच्छेद 142** (जो सर्वोच्च न्यायालय को "पूर्ण न्याय" करने की अनुमति देता है) का बार-बार आह्वान करना।
  - **लोकतांत्रिक इच्छा का अतिक्रमण:** जब अनिर्वाचित न्यायाधीश **लगातार** बिना किसी पर्याप्त औचित्य के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकारों द्वारा लिये गए निर्णयों को नकार देते हैं।
  - **जवाबदेही का अभाव:** उच्च न्यायपालिका को **न्यूनतम बाह्य जवाबदेही के साथ व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं,** जिसका यदि दुरुपयोग किया जाए तो सत्तावादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिल सकता है।

अवधारणा (Concept)	अर्थ (Meaning)	प्रकृति (Nature)	उद्देश्य (Intent)	वैधता (Legitimacy)	उदाहरण (Examples)	प्रभाव (Impact)
न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism)	अधिकारों और संवैधानिक मूल्यों की सक्रिय व्याख्या और प्रवर्तन	सुधारात्मक और रचनात्मक	न्याय की रक्षा करना, अधिकारों की सुरक्षा करना	संवैधानिक ढाँचे के भीतर	विशाखा दिशानिर्देश, पर्यावरणीय अधिकारों हेतु जनहित याचिकाएँ	जवाबदेही और अधिकारों की सुरक्षा को बढ़ावा देता है
न्यायिक अतिरेक (Judicial Overreach)	न्यायपालिका द्वारा अपनी सीमाएँ पार करना और कार्यपालिका/विधायिका के क्षेत्र में प्रवेश करना	अत्यधिक और दखल देने वाला	शासकीय शून्यता को भरना, प्राय: अच्छे उद्देश्य से	सीमांत रूप से असंवैधानिक	राजमार्गों के पास शराबबंदी के आदेश, नीतिगत हस्तक्षेप	शक्तियों के संतुलन को बाधित करता है

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

न्यायिक निरंकुशता (Judicial Despotism)	अन्य अंगों पर न्यायिक प्रभुत्व की प्रणालीगत, अनियंत्रित स्थिति	सत्तावादी और अलोकतांत्रिक	श्रेष्ठता का दावा करना, संवैधानिक सीमाओं की अनदेखी करना	अक्सर संवैधानिक सीमाओं के बाहर	अनुच्छेद 142 का बार-बार उपयोग, जन-इच्छा को दरकिनार करना	लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था के लिये खतरा उत्पन्न करता है

न्यायिक सक्रियता और संयम से संबंधित उदाहरण क्या हैं?

न्यायिक सक्रियता दर्शाने वाले उदाहरण

- **अनुच्छेद 142 का व्यापक उपयोग:** कुछ मामलों में सर्वोच्च न्यायालय पर **व्यापक निर्देश जारी करने का आरोप लगाया गया है** (जैसे, भीड़ द्वारा हत्या, बाबरी मस्जिद, अपूरणीय क्षति पर तलाक) जहाँ मौजूदा कानून पहले से ही एक रूपरेखा प्रदान करते हैं।
- **न्यायिक सक्रियता के अन्य उदाहरण:**
  - सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिये राज्यों को **शराब की दुकानों को राष्ट्रीय राजमार्गों से 500 मीटर दूर** रखने का निर्देश दिया गया।
  - **राष्ट्रपति और राज्यपालों को राज्य विधान के अनुमोदन के लिये परमादेश** रिट जारी करके जवाबदेह बनाना।
  - **भोपाल गैस त्रासदी (1989) के पीड़ितों को मुआवजा** प्रदान करना।
  - **कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध दिशा-निर्देश** जारी करना (1997)।
  - सशस्त्र बलों में **महिला अधिकारियों** के लिये स्थायी कमीशन की स्थापना करना (2024)।
- **लोकतांत्रिक वैधता: न्यायिक सक्रियता** यह सुनिश्चित करके **संवैधानिक सर्वोच्चता को कायम रखती है** कि निर्वाचित सरकारें संवैधानिक सीमाओं के भीतर कार्य करें, जैसा कि *आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007)* में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है।

न्यायिक संयम को प्रदर्शित करने वाले उदाहरण

- **केवल चयनात्मक हस्तक्षेप:** सर्वोच्च न्यायालय ने सामान्यत: मौजूदा सार्वजनिक नीतियों को बरकरार रखा है और शायद ही कभी कानूनों को अमान्य किया है। इसने **नोटबंदी, राफेल डील, असम में NRC और UAPA ज़मानत प्रतिबंधों** को बरकरार रखा। इसने **समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से इनकार कर दिया, पेगासस जाँच की मांग को खारिज कर दिया** और **EVM तथा CAA पर प्रमुख मामलों की सुनवाई नहीं की।**
- **न्यायिक संयम को मान्यता: श्रेया सिंघल मामले (2015)** और **NJAC मामले (2015)** में **न्यायालय ने मौलिक अधिकारों** और न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिये कार्य किया, **न कि सर्वोच्चता स्थापित करने के लिये।**
- **प्रमुख मामलों की सुनवाई में विलंब: नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM)** और **पेगासस निगरानी** से संबंधित याचिकाओं में बहुत कम प्रगति हुई है, जिससे **चयनात्मक न्यायिक निष्क्रियता** के बारे में चिंताएँ बढ़ गई हैं।
- **सीलबंद साक्ष्य की स्वीकार्यता: पारदर्शिता और उचित प्रक्रिया को कमज़ोर करने के लिये सर्वोच्च न्यायालय** की आलोचना की गई है (उदाहरण के लिये, राफेल और ज़मानत मामलों में)।

न्यायिक समीक्षा क्या है?

- **परिचय:** न्यायिक समीक्षा से तात्पर्य **संवैधानिक न्यायालयों (सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय) की विधायी अधिनियमों** और **कार्यकारी कार्यों** की संवैधानिकता की जाँच करने की शक्ति से है।
- **संवैधानिक प्रावधान:** यद्यपि **संविधान में "न्यायिक समीक्षा" शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है** यह संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में निहित है जैसे:
  - **अनुच्छेद 13,** जो मौलिक अधिकारों से असंगत किसी भी कानून को शून्य घोषित करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **अनुच्छेद 32 और 226, मूल अधिकारों** के रक्षक और गारंटीकर्त्ता की भूमिकाएँ सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को सौंपते हैं।
- **अनुच्छेद 131-136** सर्वोच्च न्यायालय को व्यक्तियों, राज्यों और संघ से जुड़े विवादों पर निर्णय लेने का अधिकार देता है (सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्याएँ सभी न्यायालयों के लिये बाध्यकारी कानून बन जाती हैं)।
- **अनुच्छेद 137** सर्वोच्च न्यायालय को **अपने निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति** प्रदान करता है।

न्यायिक समीक्षा पर सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण:

- *केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)* और *इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण मामले (1975)* में सर्वोच्च न्यायालय ने **न्यायिक समीक्षा को संविधान की एक बुनियादी विशेषता माना,** जो संवैधानिक संशोधनों से भी स्वतंत्र है।
- *मिनर्वा मिल्स केस (1980)* में, सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि **सीमित सरकार और संवैधानिक सर्वोच्चता** मूलभूत सिद्धांत हैं, जिन्हें न्यायिक समीक्षा के माध्यम से सुरक्षित रखा गया है।

न्यायिक समीक्षा के उदाहरण:

- *श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015)* में, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत **वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता** का उल्लंघन करने के लिये **IT अधिनियम की धारा 66A** को असंवैधानिक करार दिया।
- *सर्वोच्च न्यायालय एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2015), (या चतुर्थ न्यायाधीश मामला)* में **सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC)** अधिनियम और 99 वें संवैधानिक संशोधन को **असंवैधानिक** घोषित कर दिया।

अनुच्छेद 142

- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142** सर्वोच्च न्यायालय को **किसी मामले में "पूर्ण न्याय"** करने के लिये आवश्यक कोई भी डिक्री या आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान करता है।
- इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को **विधायी त्रुटियों का समाधान करने** या ऐसे **असाधारण परिस्थितियों से निपटने** के लिये **अवशिष्ट, विवेकाधीन और असाधारण शक्तियाँ प्रदान की गई हैं,** जहाँ किसी विधि का अभाव होता है।
- **ऐतिहासिक उपयोग:**
  - **बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि मामला (2019),** मुसलमानों को वैकल्पिक भूमि आवंटित की गई।
  - **विवाह का असाध्य रूप से टूटना' तलाक का आधार,** सर्वोच्च न्यायालय ने **हिंदू विवाह अधिनियम 1955** में प्रावधान न होने पर भी तलाक प्रदान कर दिया।

न्यायिक संयम

- **न्यायिक संयम न्यायिक सक्रियता के विपरीत** है। यह एक न्यायिक दर्शन है जो **न्यायाधीशों को अपनी शक्ति के प्रयोग को सीमित करने** और **नीति-निर्माण में हस्तक्षेप करने से बचने के लिये प्रोत्साहित करता है।**
- **न्यायाधीशों** को **संविधान निर्माताओं के मूल आशय** और **पूर्ववर्ती निर्णयों द्वारा स्थापित एतिहासिक निर्णयों** के आधार पर विधि की व्याख्या करनी चाहिये।

आगे की राह

- **न्यायिक संयम का प्रयोग:** जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया न्यायपालिका को **न्यायिक संयम** का प्रयोग करना चाहिये तथा **विधायिका या कार्यपालिका की भूमिकाओं का इससे अतिक्रमण न होना सुनिश्चित करना चाहिये।**
- **न्यायिक जवाबदेही को बढ़ावा देना: तर्कसंगत निर्णय, सहकर्मी समीक्षा और निष्पादन लेखापरीक्षा** जैसे आंतरिक सुधार न्यायिक स्वतंत्रता और लोक न्यास को संरक्षित करते हुए जवाबदेही को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- **संस्थागत संतुलन और संवाद:** तीनों अंगों- न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका को **अपने संवैधानिक क्षेत्रों का पालन** करना चाहिए, और **संघर्ष को कम करने और शक्ति पृथक्करण को बढ़ावा देने** के लिये संस्थागत संवाद को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **नियंत्रण और संतुलन सुनिश्चित करना: शक्तियों का निष्पक्ष वितरण सुनिश्चित करने, किसी भी संस्था को अपने अधिदेश का अतिक्रमण करने से रोकने** तथा **संविधान की प्रधानता को बनाए रखने के लिये** तीनों अंगों में नियंत्रण और संतुलन के लिये एक **सुदृढ़ तंत्र स्थापित किया जाना चाहिये।**

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारतीय संवैधानिक ढाँचे में न्यायिक सक्रियता और न्यायिक संयम में संतुलन का परीक्षण कीजिये।

निजी सदस्य विधेयक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने **निजी सदस्य विधेयकों (PMB)** को भारत के लोकतंत्र के लिये **"भविष्यगामी, प्रगतिशील और स्वर्ण खान"** के रूप में निर्दिष्ट किया।

- उनकी इस टिपण्णी से PMB की कम होती प्रासंगिकता पुन: चर्चा का विषय बन गया है, जिनकी संसद में अनदेखी जारी है जबकि इनमें वैयक्तिक विधायी पहल को बढ़ावा देने की पूर्ण क्षमता है।

निजी सदस्य विधेयक क्या हैं?

- **परिचय: PMB** ऐसे **सांसदों (MP)** द्वारा प्रस्तुत विधायी प्रस्ताव हैं, जो मंत्री नहीं हैं (अर्थात, सरकार का हिस्सा नहीं हैं), जिससे उन्हें मुद्दे उठाने और अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लिये महत्त्वपूर्ण मामलों पर विधि अथवा संशोधन का सुझाव देने की सुविधा मिलती है।
- **मुख्य विशेषताएँ:** केवल गैर-सरकारी सांसद ही इन विधेयकों को प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे स्वतंत्र विधायी प्रस्तावों को अवसर मिलता है।
  - सांसद भी विशिष्ट मामलों पर ध्यान आकर्षित करने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।
- **प्रक्रिया:**
  - **प्रारूपण और नोटिस:** सांसद कम-से-कम एक माह के नोटिस पर विधेयक का प्रारूप तैयार कर इसको प्रस्तुत करते हैं।
  - **प्रस्तुतिकरण:** संसद में विधेयक पेश किये जाते हैं, उसके बाद प्रारंभिक चर्चा होती है।
  - **बहस:** यदि विधेयक का चयन कर लिया जाता है, तो सामान्यत: शुक्रवार अपराह्न के सीमित सत्रों में विधेयकों पर बहस की जाती है।
  - **निर्णय:** विधेयक वापस लिये जा सकते हैं अथवा उन पर मतदान किया जा सकता है।
- **PMB की संख्या में कमी:** स्वतंत्रता पश्चात् से अभी तक केवल **14 PMB को दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है** और राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई है। वर्ष 1970 के पश्चात् से कोई भी PMB दोनों सदनों द्वारा पारित नहीं हुआ है।
  - **17वीं लोकसभा (2019-2024)** के दौरान, लोकसभा में 729 और राज्यसभा में 705 PMB पेश किये गए, लेकिन प्रत्येक सदन में क्रमश: केवल 2 और 14 पर ही चर्चा हुई।
  - **18वीं लोकसभा (मई 2025 तक)** में 64 PMB पेश किये गए, लेकिन किसी पर चर्चा नहीं हुई। 82 में से 49 PMB राज्यसभा में पेश किये गए, जिनमें से केवल एक पर चर्चा हुई।

सरकारी विधेयक बनाम निजी सदस्य विधेयक

सरकारी विधेयक	निजी सदस्य विधेयक
इसे संसद में एक मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।	यह मंत्री के अतिरिक्त किसी अन्य सांसद द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।
यह सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करता है।	यह विपक्ष की नीतियों को प्रदर्शित करता है।
संसद में इसके पारित होने की संभावना अधिक होती है।	संसद में इसके पारित होने के संभावना कम होती है।
संसद द्वारा सरकारी विधेयक अस्वीकृत होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है।	इसके अस्वीकृत होने पर सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
सरकारी विधेयक को संसद में पेश होने के लिये सात दिनों का नोटिस होना चाहिये।	इस विधेयक को संसद में पेश करने के लिये एक महीने का नोटिस होना चाहिये

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

इसे संबंधित विभाग द्वारा विधि विभाग के परामर्श से तैयार किया जाता है।	इसे संबंधित सदस्य द्वारा तैयार किया जाता है।

भारत में निजी सदस्य विधेयक से विधायी लोकतंत्र का किस प्रकार सशक्तीकरण होता है?

- **स्वतंत्र विचार और विधायी नवाचार को बढ़ावा देना:** PMB से सांसदों को, **पार्टी की परवाह किये बिना, सरकार की कार्यसूची से बाहर के मुद्दों को उठाने की सुविधा मिलती है** जिससे विधायी चर्चा में नवाचार को बढ़ावा मिलता है।
  - **'राइट टू डिस्कनेक्ट' विधेयक (2019)** कर्मचारियों को **कार्य समय के पश्चात् कार्य का समापन** करने का विधिक अधिकार प्रदान करने हेतु पेश किया गया था।
    - यद्यपि यह विधेयक पारित नहीं हुआ, लेकिन इससे कार्य-जीवन संतुलन और मानसिक स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय वार्ता शुरू हुई, तथा इससे यह स्पष्ट हुआ, किस प्रकार PMB से उन **सामाजिक मुद्दों का समाधान किया जा सकता है, जिन्हें प्रायः सरकारी विधानों में अनदेखा कर दिया जाता है।**
- **सामाजिक परिवर्तन को गति देना: 'ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार' विधेयक (2014)** 40 वर्षों में राज्यसभा में पारित किया गया पहला PMB था।
  - यद्यपि यह विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो सका, लेकिन इससे **उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019** का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिससे समावेशिता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिला।
- **शासन में सुधार:** संसद द्वारा पारित पहला निजी सदस्य विधेयक **मुस्लिम वक्फ विधेयक, 1952** था, जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के शासन और प्रशासन में सुधार करना था।
  - इसके परिणामस्वरूप वक्फ अधिनियम, 1954 अधिनियमित हुआ, जिसे बाद में **वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025** के रूप में संशोधित किया गया।
- **राष्ट्रीय बहस के उत्प्रेरक के रूप में PMB:** वर्ष 1966 में, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के उपरांत, एच.वी. कामथ ने संविधान में संशोधन करने के लिये PMB पेश किया, जिससे केवल **लोकसभा सदस्य** ही प्रधानमंत्री पद के लिये पात्र हो गए।
  - इस विधेयक से **प्रधानमंत्री की भूमिका तथा लोकसभा और राज्यसभा** में शक्ति संतुलन पर एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक चर्चा शुरू हुई।

निजी सदस्यों के विधेयकों की प्रासंगिकता को कमज़ोर करने वाली चुनौतियाँ क्या हैं?

- **समय का अभाव:** PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के आँकड़ों से पता चलता है कि 17वीं लोकसभा ने बजट सत्र के लिये केवल 9.08 घंटे आवंटित किये, जबकि राज्यसभा ने 27.01 घंटे आवंटित किये, जो कुल सत्र के घंटों का एक छोटा सा अंश है।
  - **शुक्रवार** को निजी सदस्यों के कार्य निर्धारित होने से चर्चा सीमित हो जाती है, क्योंकि कई सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लिये निकल जाते हैं और सत्र प्रायः व्यवधानों या अत्यावश्यक सरकारी कार्य के कारण बाधित हो जाता है।
  - इन विधेयकों की लोकप्रियता में गिरावट का कारण **सांसदों की गंभीरता की कमी भी हो सकती है, क्योंकि कई सांसद चर्चाओं में भाग ही नहीं लेते हैं।**
- **संरचनात्मक बाधाएँ : समीक्षा समिति** जैसे समर्पित संसदीय तंत्र की कमी से PMB, प्राथमिकता न मिलने एवं इस पर समय पर चर्चा न होने से विधायी अकुशलता उत्पन्न होती है।
  - **दल-बदल विरोधी कानून (52वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1985)** सांसदों की स्वतंत्रता को सीमित करता है जिससे सांसदों के लिये अपने दल के एजेंडे से अलग विधेयक प्रस्तुत करना कठिन हो जाता है।
- **विधायी रूपांतरण में कमी:** बहुत कम PMB ही चर्चा या मतदान के चरण तक पहुँचते हैं, जिससे सांसदों के लिये इस प्रक्रिया में गंभीरता से शामिल होने का प्रोत्साहन कम हो जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

भारत में निजी सदस्य विधेयक तंत्र को पुनः स्थापित करने के लिये कौन से सुधार किये जा सकते हैं?

- **PMB के लिये समय को आरक्षित करना:** PMB के लिये शुक्रवार का दिन निर्धारित करने हेतु प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों में संशोधन किया जाए। इस विशेष समयावधि को केवल राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में ही परिवर्तित किया जा सके।
  - PMB पर उचित चर्चा और इसको पारित करने के क्रम में इसे प्रभावी बनाया जाए होने के लिये इस अनुसूची को लगातार लागू करें।
  - इसके अतिरिक्त, संसदीय कार्य के लिये आरक्षित समय का अतिक्रमण करने की बजाय, **सरकार को संसदीय कार्य के घंटों को बढ़ाना चाहिये यहाँ तक कि 1-2 घंटे का मामूली विस्तार भी** संसदीय कार्य के घंटों पर चर्चा को सुनिश्चित करते हुए **शून्यकाल और प्रश्नकाल** की दक्षता को बढ़ा सकता है।
    - यह सुधार आगामी **परिसीमन** के मद्देनजर विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है, जिससे सांसदों की संख्या में वृद्धि होने की उम्मीद है।
- **संस्थागत और परिचालन सुधार:** संवैधानिक वैधता, सामाजिक प्रासंगिकता और द्विदलीय समर्थन के लिये प्रस्तावों की जाँच के क्रम में **PMB समीक्षा समिति का गठन करना चाहिये।**
  - पर्याप्त सार्वजनिक और संसदीय समर्थन के साथ उच्च प्रभाव वाले PMB के लिये एक **फास्ट-ट्रैक प्रक्रिया** होनी चाहिये।
- **समय और प्रारूप में नवीनताएँ:** सरकारी और निजी कार्य को अलग-अलग समायोजित करने के लिये संसदीय कार्य के समय को बढ़ाया जाना चाहिये।
  - **ब्रिटेन के अनुरूप टेन मिनट रूल** लागू किया जाना चाहिये, जिससे सांसदों को एक निश्चित समय के अंदर PMB और विरोधी विचारों को संक्षेप में प्रस्तुत करने की अनुमति मिल सके, जिससे दक्षता को बढ़ावा मिलेगा।
- **राजनीतिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना:** जागरूकता बढ़ाने के साथ सत्तारूढ़ व विपक्षी सांसदों को प्रोत्साहित करना चाहिये, कि वे निजी सदस्य विधेयकों (PMBs) को जनहित एवं जमीनी स्तर की आवाज़ उठाने के साधन के रूप में देखें। संसद टीवी, बुलेटिन और जनसुनवाइयों के माध्यम से इनकी दृश्यता बढ़ानी चाहिये।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:
प्रश्न: विधि निर्माण में सीमित सफलता के बावजूद, संसद में लोकतांत्रिक जीवंतता के लिये निजी सदस्यों के विधेयक महत्त्वपूर्ण हैं। चर्चा कीजिये

पंचायत उन्नति सूचकांक

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने **राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस (24 अप्रैल)** पर **पंचायत उन्नति सूचकांक (PAI)** को स्थानीय शासन को सशक्त बनाने और **सतत् विकास लक्ष्यों (SDG)** से संबद्ध विषयों पर 2.16 लाख पंचायतों की रैंकिंग करके विकसित भारत 2047 का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम बताया।

पंचायत उन्नति सूचकांक क्या है?

- **परिचय:** PAI एक समग्र सूचकांक है जिसे सामाजिक-आर्थिक संकेतकों का उपयोग कर समग्र भारत के **ग्राम पंचायतों (GP) के प्रदर्शन और प्रगति का आकलन करने हेतु अभिकल्पित किया गया है।** इसमें विकास अभाव की पहचान की जाती है और साक्ष्य-आधारित नियोजन में सहायता मिलती है।
  - यह **सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)** द्वारा विकसित **सतत् विकास लक्ष्यों (LSDG) के स्थानीयकरण** और **राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (NIF)** के अनुरूप है।
  - यह भागीदारीपूर्ण, ऊर्ध्वगामी शासन को बढ़ावा देने, सामाजिक-आर्थिक संकेतकों के माध्यम से ग्राम पंचायतों के विकास का आकलन करने, सुधार क्षेत्रों की पहचान करने और साक्ष्य-आधारित नियोजन को सक्षम बनाने के माध्यम से सतत् विकास लक्ष्य 2030 एजेंडा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

पंचायत उन्नति सूचकांक का उद्देश्य

विशेषता	उद्देश्य
प्रगति का मापन	LSDG पर वृद्धिशील प्रगति का मापन
पंचायतों का वर्गीकरण	LSDG प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकरण
विकास प्राथमिकता	साक्ष्य आधारित मूल्यांकन और नियोजन
विकासात्मक प्रगति	प्रगति को प्रोत्साहित करने के लिये बेहतर विधि
तुलना	कोई अंतर-राज्यीय तुलना नहीं, लेकिन राज्य के भीतर तुलना संभव है

- **PAI के संकेतक:** यह 9 LSDG-संरेखित विषयों पर 435 अद्वितीय स्थानीय संकेतकों पर आधारित है।
  - इसे पंचायत स्तर के विकास का मल्टी-डोमेन और बहु-क्षेत्रीय मूल्यांकन प्रदान करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।

Indicator Framework used for PAI Score Calculation 2022-23

Theme	Indicator Count	Total Data Points
Theme 1 - Poverty Free and Enhanced Livelihoods Panchayat	32	60
Theme 2 - Healthy Panchayat	21	42
Theme 3 - Child Friendly Panchayat	82	143
Theme 4 - Water Sufficient Panchayat	21	34
Theme 5 - Clean and Green Panchayat	33	58
Theme 6 - Self-sufficient Infrastructure in Panchayat	159	189
Theme 7 - Socially Just and Socially Secured Panchayat	62	100
Theme 8 - Panchayat with Good Governance	62	87
Theme 9 - Women Friendly Panchayat	44	81
Total	516	794

Unique Indicator	Mandatory Indicator	Optional Indicator	Unique Data Points	Numeric Indicators	Binary Indicators
435	331	104	566	207	228

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

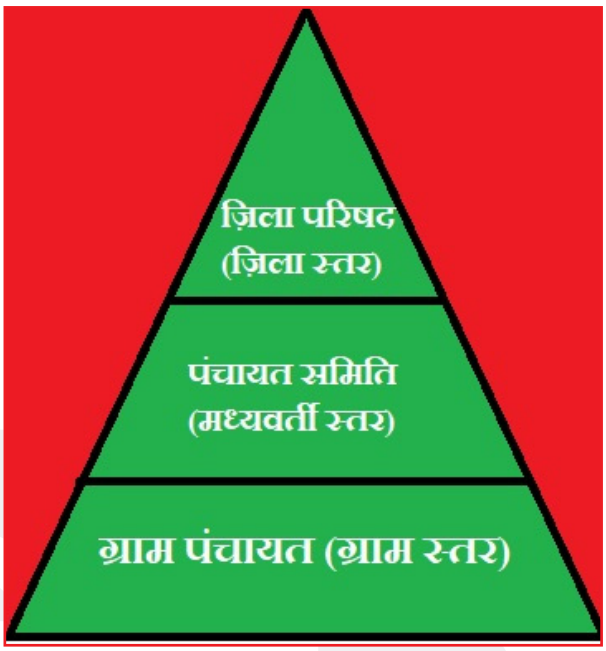
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **डेटा संग्रह और सत्यापन:** 29 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों (UT) से 2.16 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों ने PAI पोर्टल पर डेटा दर्ज किया है। डेटा प्रविष्टियों को शामिल करने से पहले संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सत्यापित किया जाता है।
- **GP की प्रदर्शन श्रेणियाँ:** PAI और विषयगत स्कोर के आधार पर, GP को पाँच प्रदर्शन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है: **अचीवर (90+), फ्रंट रनर (75-89.99), परफॉर्मर (60-74.99), एस्पिरेंट (40-59.99), और बिगिनर (40 से निम्न)।**
- **वर्ष 2022-23 का PAI डेटा:** 2.56 लाख ग्राम पंचायतों में से 2.16 लाख ने मान्य डेटा प्रस्तुत किया। कोई भी पंचायत अचीवर के रूप में योग्य नहीं पाई गई, जबकि 0.3% को फ्रंट रनर, 35.8% को परफॉर्मर, 61.2% को एस्पिरेंट्स और 2.7% को बिगिनर के रूप में वर्गीकृत किया गया।

पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में संवैधानिक प्रावधान

- **73वाँ संशोधन अधिनियम, 1992:** इसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया तथा ग्राम सभाओं, पंचायत समितियों और ज़िला परिषदों में चुनाव, आरक्षण और शक्तियों के हस्तांतरण के प्रावधानों के साथ **त्रिस्तरीय प्रणाली** का निर्माण किया।
  - **संविधान के भाग IX** को 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से जोड़ा गया तथा जिसका शीर्षक **"पंचायत"** है, इसमें **अनुच्छेद 243 से 243-O** तक शामिल हैं तथा इसमें पंचायती राज संस्थाओं की संरचना, संयोजन, निर्वाचन, शक्तियाँ और कार्यों का उल्लेख किया गया है।
  - इसी संशोधन द्वारा जोड़ी गई **11वीं अनुसूची** में पंचायतों को सौंपे गए 29 विषयों की सूची दी गई है, जिसमें प्रभावी स्थानीय शासन के लिये उनकी शक्तियों, प्राधिकार और ज़िम्मेदारियों का विवरण दिया गया है।
- **अनुच्छेद 40 (राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत):** यह राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने और उन्हें उचित रूप से सशक्त बनाने का निर्देश देता है।



पंचायतों के सामने क्या चुनौतियाँ हैं?

- **सीमित वित्तीय स्वायत्तता:** पंचायतें राज्य और केंद्रीय निधियों पर बहुत अधिक निर्भर हैं। **भारतीय रिज़र्व बैंक के एक अध्ययन (वर्ष 2022-23)** के अनुसार, प्रति पंचायत औसत राजस्व 21.23 लाख रुपए था, लेकिन केवल **1.1%** ही उनके **अपने स्वयं के राजस्व स्रोतों** (स्थानीय कर, शुल्क) से आया।
  - **15वें वित्त आयोग (वर्ष 2021-26)** ने नोट किया कि केवल 8 राज्यों ने अपने **छठे राज्य वित्त आयोग (SFC)** का गठन किया है, जबकि इसकी नियत तिथि वर्ष 2019-20 है। इससे पंचायतों के विकास और सशक्तीकरण में बाधा उत्पन्न हो रही है।
  - इसके अतिरिक्त, स्थानीय कर संग्रहण ग्राम पंचायतों में राजनीतिक रूप से संवेदनशील और प्रशासनिक रूप से कमज़ोर बना हुआ है।
- **अपूर्ण हस्तांतरण:** **73 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992** में **पंचायती राज संस्थाओं (PRI)** को **29 विषयों** का हस्तांतरण अनिवार्य किया गया है, लेकिन पंचायती राज मंत्रालय की वर्ष 2022 की रिपोर्ट से पता चला है कि **20% से**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

भी कम राज्यों ने इस हस्तांतरण को पूरी तरह से लागू किया है।

- **तकनीकी और क्षमता अंतराल: डिजिटल बुनियादी ढाँचे और साक्षरता** की कमी निगरानी, मूल्यांकन और डेटा रिपोर्टिंग में बाधा डालती है।
  - 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में **100% पंचायतें कंप्यूटर से सुसज्जित हैं,** लेकिन अरुणाचल प्रदेश में एक भी नहीं है, तथा ओडिशा में केवल 13% ही कंप्यूटर से सुसज्जित हैं। **इंटरनेट की पहुँच** भी निम्न है, हरियाणा और अरुणाचल प्रदेश में क्रमश: 0% और 1% कनेक्टिविटी की रिपोर्ट है।
  - कई पंचायतों में विकास योजनाओं की डिजाइनिंग, निगरानी और मूल्यांकन के लिये **प्रशिक्षित कर्मचारियों और तकनीकी सलाहकारों का अभाव** है।
- **अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा:** केवल 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 100% पक्के (स्थायी) पंचायत कार्यालय भवन हैं।
  - अरुणाचल प्रदेश में यह दर सबसे कम है, जहाँ केवल 5% पंचायत कार्यालय पक्के भवनों में स्थित हैं।
- **प्रतिनिधित्व में अंतराल:** पंचायतों में महिलाओं के लिये 50% कोटा होने के बावजूद, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और त्रिपुरा जैसे राज्य पीछे रह गए हैं।
  - निर्वाचित प्रतिनिधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 46.6% है, लेकिन "प्रधान पति" मुद्दे के कारण उनकी भागीदारी सीमित है, जहाँ पुरुष रिश्तेदार प्राय: निर्णय लेने की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं।
  - पितृसत्तात्मक मानदंड और नौकरशाही की उपेक्षा ने कई राज्यों, विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और राजस्थान जैसे उत्तरी क्षेत्रों में महिलाओं को नाममात्र का मुखिया बना दिया है।
- **अंतर-विभागीय समन्वय में कमी:** एक ही गाँव में कई सरकारी विभाग अक्सर स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। अभिसरण की कमी से कार्यों का दोहराव होता है और संसाधनों का अकुशल उपयोग होता है।

पंचायती राज संस्थाओं (PRI) की प्रभावशीलता और स्वायत्तता को बढ़ाने के लिये कौन से उपाय किये जा सकते हैं?

- **वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करना:** राज्यों को **अनुच्छेद 243-I** को प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिये, प्रत्येक पाँच वर्ष में एक **राज्य वित्त आयोग** का गठन करना चाहिये जो वित्त का आकलन करेगा, कर वितरण की सिफारिश करेगा तथा पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिये उपाय सुझाएगा।
  - **एल.एम. सिंघवी समिति (1986)** की सिफारिश में पंचायतों के लिये अधिक वित्तीय संसाधनों की मांग की थी, **भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS)** के माध्यम से स्वचालित कर मानचित्रण पर RBI की वर्ष 2022 की रिपोर्ट को अपनाने से पंचायत स्तर पर कर संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।
- **हस्तांतरण और अधिकारिता: राज्यों को ग्यारहवीं अनुसूची में 29 विषयों को प्रभावी ढंग** से हस्तांतरित करके 73वें संविधान संशोधन की भावना का पालन करना चाहिये। आवश्यकता-आधारित नियोजन को सक्षम करने के लिये समय पर और बिना किसी बंधन के निधि हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
- **संस्थागत क्षमता को बढ़ावा देना:** महिलाओं और हाशिए पर पड़े प्रतिनिधियों के लिये लक्षित प्रशिक्षण के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता को मज़बूत करने के लिये राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) को बढ़ावा देना।
  - सामुदायिक भागीदारी और स्थानीय जवाबदेही को बढ़ाने के लिये **स्वयं सहायता समूहों (SHG)** और **समुदाय आधारित संगठनों (CBO)** के साथ अभिसरण को बढ़ावा देना।
- **प्रौद्योगिकीय और डेटा-संचालित शासन:** निरंतर सीखने के लिये **भारतनेट** और **कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)** के माध्यम से डिजिटल मॉड्यूल को एकीकृत करना।
  - **ई-ग्राम स्वराज** के उपयोग का विस्तार करना, जो विकास कार्यों की डिजिटल योजना, बजट और वास्तविक समय की निगरानी की अनुमति प्रदान करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **स्थानीय शासन निर्देशिका (Local Government Directory - LGD)** और **परफॉर्मेंस ट्रैकिंग टूल्स** जैसे **मिशन अंत्योदय डैशबोर्ड** का उपयोग करते हुए एक **संरचित ऑडिट ढाँचा** अपनाना।

- **योजना एकीकरण को प्रोत्साहित करना:** **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना, जल जीवन मिशन (JJM)** और **स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)** जैसी प्रमुख केंद्र और राज्य योजनाओं को एकीकृत कर इन्हें **पंचायत-स्तरीय कार्य योजना** के माध्यम से लागू करना।
  - यह दृष्टिकोण **सभी के लिये एक ही मॉडल के स्थान पर आवश्यकता-आधारित, स्थानीय रूप से अनुकूलित विकास को सक्षम बनाता है, जिससे** ज़मीनी स्तर पर अधिक प्रासंगिकता, दक्षता और प्रभाव सुनिश्चित होता है।
- **लैंगिक समावेशन को बढ़ावा देना:** निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को सहायता प्रदान करने तथा **'सरपंच पति'** जैसे मुद्दों का समाधान करने के लिये **महिला संसाधन केंद्रों** की स्थापना करके पंचायती राज में महिलाओं की स्थिति पर वर्ष 2013 में गठित समिति की सिफारिशों को लागू करना।
  - **लैंगिक बजटिंग को संस्थागत रूप प्रदान कर** ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (GPDPs) में **लैंगिक रूप से वर्गीकृत आँकड़ों** को शामिल करना।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न: भारत में पंचायती राज संस्थाओं के समक्ष आने वाली प्रणालीगत बाधाओं पर चर्चा कीजिये तथा उन्हें ज़मीनी स्तर पर विकास के लिये सशक्त बनाने हेतु सुधारों का सुझाव दीजिये।

भारत में जाति जनगणना: आवश्यकता और चुनौतियाँ

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार ने **विलंबित जनगणना 2021** में **जाति गणना** को शामिल करने की मंजूरी दे दी है, जिससे स्वतंत्रता के बाद बंद हो चुकी एक प्रथा को पुनर्जीवित किया जा रहा है। **बढ़ती राजनीतिक और सामाजिक मांगों के कारण उठाया गया यह कदम शासन, सकारात्मक कार्रवाई और सामाजिक न्याय के प्रयासों पर** महत्त्वपूर्ण प्रभाव डालने की संभावना है।

जाति जनगणना क्या है?

- **परिभाषा:** जाति जनगणना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देशव्यापी **जनसंख्या गणना** के दौरान व्यक्तियों की जातिगत पहचान से संबंधित डेटा व्यवस्थित रूप से एकत्र किया जाता है।
  - **"जाति"** शब्द स्पेनिश शब्द ***'कास्टा'*** से आया है जिसका अर्थ है **'नस्ल' या 'आनुवंशिक समूह'।** पुर्तगालियों ने इसका उपयोग भारत में 'जाति' को दर्शाने के लिये किया।
  - एम. एन. श्रीनिवास (भारतीय समाजशास्त्री) जाति को एक **आनुवंशिक, अंतर्विवाही और सामान्यत: स्थानीयकृत समूह के रूप में परिभाषित करते हैं,** जो एक विशिष्ट व्यवसाय से जुड़ा होता है और सामाजिक पदानुक्रम में एक निश्चित स्थान रखता है।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य विभिन्न जाति समूहों के सामाजिक-आर्थिक वितरण को समझना है, ताकि **सामाजिक न्याय, आरक्षण और कल्याण** से संबंधित नीतियों को प्रभावी रूप से तैयार किया जा सके।
- **जाति गणना का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य:** वर्ष 1881 से 1931 तक ब्रिटिश शासन के दौरान जनगणना अभ्यास में जाति गणना एक नियमित प्रक्रिया थी, जबकि वर्ष 1941 की जनगणना में भी जातिगत जानकारी एकत्र की गई थी, लेकिन **द्वितीय विश्व युद्ध** के प्रारंभ होने के कारण इसे प्रकाशित नहीं किया गया।
  - वर्ष 1951 की जनगणना से लेकर अब तक जाति गणना केवल **अनुसूचित जातियों (SC)** और **अनुसूचित जनजातियों (ST)** के लिये की जाती रही है, जिससे **अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)** तथा अन्य जाति समूहों पर कोई विश्वसनीय राष्ट्रीय डेटा उपलब्ध नहीं है।
  - वर्ष 1961 में, केंद्र सरकार ने राज्यों को सर्वेक्षण करने और राज्य-विशिष्ट अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की सूची तैयार करने की अनुमति दी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- अंतिम राष्ट्रीय जाति डेटा संग्रह वर्ष 2011 में **सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना (SECC)** के माध्यम से किया गया था, जिसका उद्देश्य जाति जानकारी के साथ-साथ परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों का आकलन करना था।

राज्य-स्तरीय सर्वेक्षण: बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों ने हाल ही में अपनी स्वयं की जाति सर्वेक्षण किये।

DECENNIAL POPULATION CENSUS

A process of collecting, compiling, analysing and disseminating demographic, economic and social data (at a specific time) of all persons in a country.

BRIEF HISTORY

- Earliest mentions: ***Rigveda*** (800-600 BC), ***Arthashastra*** (300 BC) & ***Ain-i-Akbari (16th century)***
- 1st Non-synchronous Census (held in a few places): ***1872*** under **Gov. Gen. Lord Mayo**
- 1st Synchronous Census (held all over British India): **1881** by **W.C. Plowden** (Census Commissioner of India) under **Lord Ripon**

RESPONSIBLE BODY

- Until 1951, Census Organisation was set up on an ad-hoc basis for each Census
- Since 1951, Office of the ***Registrar General and Census Commissioner*** (MHA)

LEGAL BACKING

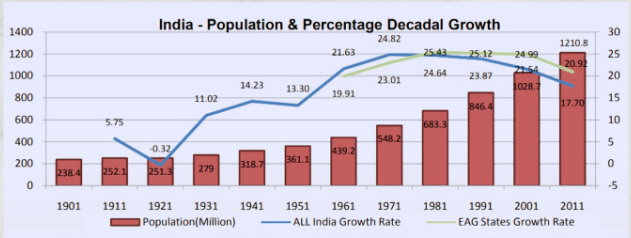
- A Union list subject under **Article 246**
- Conducted under **Census Act (CA), 1948**

CONFIDENTIALITY OF INFORMATION COLLECTED

- Guaranteed under CA 1948
- Information not even accessible to the courts of law

SIGNIFICANCE

- Largest single source of statistical information about people of India
- Used for good governance purposes
- Demarcation of constituencies & representation in Legislature



Census	Major Event
5th (1921)	Only census to witness a decadal population decline (0.31%) Hence, called the year of **"The Great Divide"**
11th (1971)	Added information on fertility for currently married women
13th (1991)	**Concept of literacy changed** to children aged 7+ (previously 4+)
14th (2001)	Leap in tech front; usage of **Intelligent Character Reading (ICR)**
15th (2011)	Notable fall in case of **Empowered Action Group (EAG) States** noticed first time

Socio-Economic and Caste Census (SECC)

ABOUT

- Conducted in **2011** for the **first time since 1931**

COMPONENTS

- **Economic status** (to define a poor/deprived person)
- **Specific caste** (to evaluate caste groups that are economically worse/better off)

CONSTITUTIONAL BACKING

- **Article 340** mandates the **appointment of a commission** to investigate the conditions of socially/educationally backward classes

Census v/s SECC

- SECC **identifies beneficiaries** of state support (Census - national population data)
- SECC **data open for use** by govt depts (Census data - confidential)

SIGNIFICANCE

- Better inequality mapping
- Quantifiable data to support existing reservation levels

SOME KEY FINDINGS OF SECC 2011

- Total Households - 24.49 crore
  - Rural - 17.97 crore
  - SC/ST Households - 3.87 crore (21.56%)
- Households with no literate adult (age >25) - 23.5%

Drishti IAS

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट :

जाति जनगणना और जाति सर्वेक्षण में क्या अंतर है?
अधिक जानकारी के लिये यहाँ क्लिक कीजिये: जाति सर्वेक्षण और जाति जनगणना

जाति जनगणना की क्या आवश्यकता है?

- **वर्तमान अंतर:** जबकि SC और ST के लिये डेटा उपलब्ध है, OBC तथा अन्य जाति समूहों पर कोई विश्वसनीय एवं अद्यतन राष्ट्रीय डेटा नहीं है, जो प्रभावी नीति निर्माण में बाधा डालता है।
- **पूर्व सर्वेक्षणों से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान:** वर्ष 2011 की **सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना (SECC)** में कई कमियाँ थीं, विशेष रूप से एक समग्र जाति सूची की अनुपस्थिति।
  - राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) ने यह उल्लेख किया कि वर्ष 2011 की SECC प्रोफार्मा में नागरिकों को किसी भी जाति का उल्लेख करने की अनुमति दी गई थी, जिससे अत्यधिक और असत्यापित जाति प्रविष्टियों की संख्या सामने आई।
  - इससे डेटा अविश्वसनीय और अव्यवहारिक हो गया। आगामी जाति जनगणना का उद्देश्य इन समस्याओं का समाधान करना है, ताकि एक अधिक सटीक और समावेशी प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके।
- **सकारात्मक कार्रवाई की पुनर्रचना:** जाति जनगणना अद्यतन डेटा प्रदान कर सकती है, जिससे आरक्षण कोटे और सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रमों का पुनर्मूल्यांकन किया जा सके।
  - जाति आँकड़ों के अभाव के कारण OBC जनसंख्या का अनुमान स्पष्ट नहीं है; **मंडल आयोग (1980)** ने OBC की जनसंख्या का अनुमान 52% लगाया था।
  - **बिहार के वर्ष 2023 की जाति सर्वेक्षण** ने पाया कि OBC और EBC राज्य की जनसंख्या का 63% से अधिक हिस्सा बनाते हैं, जिससे **राष्ट्रीय स्तर पर जाति डेटा की आवश्यकता पर ज़ोर दिया जा रहा है, ताकि आरक्षण और सामाजिक कल्याण पर नीति निर्णयों को मार्गदर्शन** मिल सके।
- **व्यापक समूहों के भीतर उप-श्रेणीकरण:** विस्तृत डेटा OBC के उप-श्रेणीकरण को सक्षम बनाता है, जैसा कि रोहिणी आयोग (2017) ने सिफारिश की थी, ताकि आरक्षण लाभों का समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके।
- **राजनीतिक और चुनावी प्रभाव:** सटीक जाति डेटा से विशेष रूप से राज्य और राष्ट्रीय चुनावों में हाशिये पर रहने वाले समूहों का बेहतर राजनीतिक प्रतिनिधित्व हो सकता है।
- **समानता और समावेशन की दिशा में प्रयास:** जाति आधारित असमानताएँ गरीबी, क्षेत्र और लिंग से संबंधित होती हैं।
  - जाति जनगणना इन असमानताओं को उजागर कर सकती है, जिससे लक्षित नीतियों को सहायता मिल सके। इसे स्थायी असमानताओं को संबोधित करने और विविध समुदायों के लिये अधिक समावेशी और समान नीतियाँ बनाने की दिशा में एक कदम माना जाता है।

भारत में जाति जनगणना से संबंधित क्या चिंताएँ हैं?

- **जातिगत पहचान को सुदृढ़ करने का जोखिम:** आलोचकों का कहना है कि जाति जनगणना जातिगत चेतना को गहरा कर सकती है, जातिविहीन समाज की दिशा में काम करने के बजाय विभाजन को वैध बना सकती है।
  - यह **सामाजिक विभाजन और पदानुक्रम** को और गहरा कर सकता है, जो संविधान द्वारा प्रतिष्ठित बंधुता और समानता के उद्देश्य के विपरीत है।
- **समानता बनाम समता:** जहाँ बड़े समूहों को प्रतिनिधित्व से लाभ हो सकता है, वहीं सूक्ष्म-कोटा विभाजन सामाजिक एकता को नुकसान पहुँचा सकता है।
  - पैमाने के पक्षपात के कारण पिछड़े वर्गों के भीतर अल्पसंख्यकों को अनुपातहीन रूप से बाहर कर दिया जाता है।
  - **अतिविखंडन** से ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़ित समूहों के लिये आरक्षण (सकारात्मक कार्रवाई) का उद्देश्य कमज़ोर होने का जोखिम है।
- **राजनीतिक शोषण और प्रतिस्पर्द्धी पिछड़ापन:** सटीक जाति डेटा वोट-बैंक राजनीति को बढ़ावा दे सकता है, जिसमें राजनीतिक दल चुनावी लाभ के लिए नीतियाँ बनाते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- यह राजनीतिक रूप से प्रभावशाली या उच्च जाति समूहों द्वारा **OBC/SC/ST दर्जे की मांग** को प्रोत्साहित कर सकता है, जिससे आरक्षण कोटे पर दबाव बढ़ सकता है।
- यह "प्रतिस्पर्द्धी पिछड़ापन" की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, जिसमें विभिन्न समूह लाभों के लिये स्वयं को निम्न दर्जा प्राप्त वर्ग के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं।

- **संवैधानिक और विधिक अस्पष्टताएँ:** यद्यपि अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की पहचान की अनुमति देता है, लेकिन सामान्य जनगणना में जाति गणना के लिये कोई संवैधानिक अनिवार्यता नहीं है।
- **अनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित समस्याएँ:** नवीन जाति डेटा वर्ष 1931 के अनुमानों पर आधारित नीतियों को चुनौती दे सकता है, जिससे अनुपातिक आरक्षण की मांग और इंद्रा साहनी निर्णय, 1992 द्वारा निर्धारित 51% सीमा की पुन: समीक्षा की मांग उठ सकती है।
  - यह परिवर्तन **बड़े समुदायों को अधिक लाभ प्राप्त करने के लिये प्रेरित** कर सकता है, जिससे जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता प्रभावित हो सकती है।

सटीक जाति जनगणना कराने में क्या चुनौतियाँ हैं?

- **मानकीकृत जाति सूची का अभाव:** जाति जनगणना के संचालन में एक प्रमुख चुनौती मानकीकृत जाति कोड सूची का अभाव है। कोई एकीकृत OBC सूची मौजूद नहीं है; केंद्र सरकार की OBC सूची (जो केंद्रीय योजनाओं में प्रयुक्त होती है) राज्य-विशिष्ट विस्तृत सूचियों से भिन्न होती है।
  - SECC 2011 की खुले तौर पर रिपोर्टिंग से **46.7 लाख जाति प्रविष्टियाँ** और **8 करोड़** से अधिक त्रुटियाँ उत्पन्न हुईं, जो यह दर्शाती हैं कि भारत की हज़ारों जातियों और उपजातियों को एक सुसंगत और विश्वसनीय तरीके से वर्गीकृत करना कठिन है।
- **जातिगत स्व-रिपोर्टिंग और गतिशीलता दावे:** व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा के कारण उच्च जाति से संबद्धता का दावा कर सकते हैं, जैसा कि औपनिवेशिक जनगणनाओं में देखा गया था, जहाँ समुदाय क्षत्रिय, राजपूत, ब्राह्मण या वैश्य के रूप में पहचाने जाते थे।
- स्वतंत्रता के बाद के काल में, कुछ व्यक्ति आरक्षण से लाभ प्राप्त करने के लिये गलत तरीके से निचली जातियों से अपनी पहचान जोड़ सकते हैं (उदाहरण के लिये, कुछ उच्च जातियों द्वारा OBC का दर्जा प्राप्त करने की मांग)।
  - जातिगत पहचान **अक्सर परिवर्तनशील होती है** तथा स्व-रिपोर्टिंग विभिन्न क्षेत्रों या पीढ़ियों में भिन्न हो सकती है।
- **जातियों का गलत वर्गीकरण:** 'धनक', 'धनकिया', 'धनुक' और 'धनका' जैसे समान उपनामों के कारण भ्रम की स्थिति अलग-अलग जाति श्रेणियों (SC, ST, आदि) से संबंधित है, **जिससे त्रुटियाँ होती हैं।**
  - इसके अतिरिक्त, राज्यों में अलग-अलग वर्गीकरण से जनगणना और भी जटिल हो जाती है, उदाहरण के लिये, **राजस्थान में मीणा समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसे अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया है।**
- भारत में जाति की संवेदनशीलता को देखते हुए, गणनाकर्ता प्रत्यक्ष प्रश्नों से बचते हैं और उपनामों पर आधारित धारणाओं पर विश्वास करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्राय: गलत प्रविष्टियाँ हो जाती हैं।
- **संस्थागत और प्रशासनिक क्षमता संबंधी बाधाएँ:** जनगणना में एक **समर्पित सत्यापन और कोडिंग इकाई का अभाव है,** जिसके कारण नई जाति जनगणना के आँकड़े SECC 2011 के आँकड़ों की तरह ही अविश्वसनीय हो सकते हैं।

भारत में जाति जनगणना की विश्वसनीयता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिये कौन-से उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- **जातियों की सूची बनाना:** पहला कदम **विभिन्न राज्यों में अलग-अलग वर्गीकरणों** को ध्यान में रखते हुए, गणना की जाने वाली **जातियों और समुदायों की सूची बनाना है। भारत के** महापंजीयक **और जनगणना आयुक्त को इस सूची को अंतिम रूप देने के लिये** शिक्षाविदों, जाति समूहों, राजनीतिक दलों एवं जनता से परामर्श करना चाहिये।
  - इसके बिना, वर्ष 2011 की जनगणना में देखी गई विसंगतियों के दोहराए जाने का खतरा है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **डेटा सत्यापन और शिकायत निवारण:** जाति जनगणना की विश्वसनीयता में सुधार के लिये, आधार को एकीकृत करने से दोहराव को कम करने व सटीक पहचान सत्यापन सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है।
  - वर्गीकरण त्रुटियों को कम करने के लिये एक बहु-स्तरीय सत्यापन तंत्र स्थापित किया जाना चाहिये, विवादों और गलत वर्गीकरणों को हल करने के लिये एक पारदर्शी शिकायत निवारण प्रणाली द्वारा पूरक होना चाहिये। इसके अतिरिक्त, समुदाय-स्तरीय निरीक्षण को शामिल करने से स्थानीय सत्यापन सुदृढ़ होगा और गणना प्रक्रिया में जनता का विश्वास बढ़ेगा।
  - सटीक डेटा सॉर्टिंग और विश्लेषण के लिये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का लाभ उठाना।
- **समानता के लिये उप-वर्गीकरण: OBC के उप-वर्गीकरण के लिये न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए।**
  - *पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2024)* में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुरूप, अनुभवजन्य डेटा और ऐतिहासिक साक्ष्य का उपयोग करके पिछड़ेपन के विभिन्न स्तरों के आधार पर **आरक्षण कोटे के भीतर अनुसूचित जातियों और जनजातियों को** उप-वर्गीकृत करना।
- विभिन्न उप-समूहों के बीच आरक्षण लाभ और प्रतिनिधित्व का अधिक न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना।
- **सामाजिक-आर्थिक एकीकरण: बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI)** जैसे संकेतकों के साथ जाति संबंधी आँकड़ों को पूरक बनाना।
  - तेंदुलकर **समिति (वर्ष 2009)** ने पाया कि **गरीबी रेखा से नीचे (BPL) 29%** कार्डधारक **गरीब हैं**, जबकि **गरीबी रेखा से ऊपर (APL) 13% कार्डधारक गरीब हैं।**
    - इसके लिये **पुराने गरीबी मानकों को संशोधित करने तथा समावेशन एवं बहिष्करण संबंधी त्रुटियों को दूर करने** के लिये प्रभावी सामाजिक-आर्थिक जनगणना आयोजित करने की आवश्यकता है।
- **क्षेत्रीय असमानताओं पर ध्यान केन्द्रित करना:** राज्यों को **'सबके लिये एक ही योजना' के दृष्टिकोण से परे** कल्याणकारी योजनाएँ बनाना।
- **निष्पक्ष उपयोग सुनिश्चित करना और राजनीतिक दुरुपयोग से बचना:** जाति जनगणना को समावेशी विकास के साधन के रूप में देखना, न कि वोट बैंक की राजनीति के रूप में। मौजूदा नीतियों को तर्कसंगत बनाने और सबसे वंचितों को लक्षित करने के लिये डेटा का उपयोग करना।
  - इच्छित परिणाम सुनिश्चित करने के लिये जनगणना डेटा का उपयोग करके कार्यान्वित की गई नीतियों की निगरानी और मूल्यांकन करना।

निष्कर्ष

जाति जनगणना भारत के डेटा-संचालित शासन में प्रमुख बदलाव का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य प्रतिनिधित्व व्यवस्था एवं लोगों के कल्याण संबंधी ऐतिहासिक अंतराल को कम करना है। हालाँकि यह समावेशिता एवं बेहतर नीति निर्माण पर केंद्रित है लेकिन सटीकता, राजनीतिकरण एवं सामाजिक सद्भाव से संबंधित चिंताओं का समाधान किया जाना चाहिये। **सतत् विकास लक्ष्य संख्या 16** (डेटा-संचालित शासन को सक्षम करना) के अनुरूप मज़बूत सुरक्षा उपाय और पारदर्शी निष्पादन, इसकी सफलता की कुंजी है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न: जाति जनगणना, सामाजिक न्याय के एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य कर सकती है लेकिन इससे सामाजिक विभाजन को बढ़ावा मिलने का भी जोखिम है। चर्चा कीजिये।

भारत में संसदीय प्रणाली का सुदृढ़ीकरण

चर्चा में क्यों?

भारत के **'अधिकतम शासन'** के प्रयास को **'अधिकतम जवाबदेही'** के साथ जोड़ा जाना चाहिये, जिसमें कार्यकारी शक्ति की जाँच में संसद की भूमिका को मज़बूत करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

- हालाँकि, **प्रश्नकाल** और **स्थायी समितियाँ** जैसे उपकरण अक्सर कमज़ोर प्रदर्शन करते हैं, जिससे प्रभावी लोकतांत्रिक

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

निगरानी और नीति कार्यान्वयन के लिये सुधार आवश्यक हो जाता है।

संसदीय निगरानी के प्रमुख तंत्र क्या हैं?

- **संविधानिक आधार:** डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने प्रश्नों, प्रस्तावों और बहसों के माध्यम से दैनिक कार्यकारी जवाबदेही के लिये अंतर्निहित तंत्र के कारण सरकार के संसदीय स्वरूप की वकालत की।
  - संविधान सभा ने लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर **जाँच और संतुलन** सुनिश्चित करने वाली प्रणाली तैयार करने के लिए 167 दिनों तक बहस की।
- **संसदीय निगरानी के संवैधानिक प्रावधान:** अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह है, जो वेस्टमिंस्टर प्रणाली से संबंधित लोकतंत्र में कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।
  - अनुच्छेद 108 राष्ट्रपति को विधायी मतभेदों को हल करने के लिये दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की अनुमति देता है।
  - अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति को किसी विधेयक (धन विधेयकों को छोड़कर) को मंजूरी देने, रोकने या पुनर्विचार के लिये संसद को वापस भेजने का अधिकार प्रदान करता है। यह शक्ति विधायी कार्यों पर एक नियंत्रण के रूप में कार्य करती है।
  - अनुच्छेद 113 यह सुनिश्चित करता है कि सरकार किसी भी प्रकार का व्यय तब तक नहीं कर सकती जब तक कि **उसे संसद द्वारा विनियोजन विधेयक के माध्यम से अनुमोदित न किया जाए।**
  - अनुच्छेद 114 संचित निधि से व्यय की स्वीकृति को नियंत्रित करता है।
- **संसदीय निगरानी तंत्र:**
  - **प्रश्न काल:** सांसद (गैर-सरकारी सदस्य) सरकार की नीतियों और कार्यों पर मंत्रियों से सीधे प्रश्न करते हैं।
  - **शून्य काल:** शून्यकाल एक भारतीय संसदीय नवाचार है जो संसदीय नियम पुस्तिका में नहीं पाया जाता है, यह सांसदों को बिना पूर्व सूचना के तात्कालिक मुद्दों को उठाने की अनुमति देता है।
    - यह **प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है** और दिन का आधिकारिक एजेंडा शुरू होने तक जारी रहता है।
  - **संसदीय समितियाँ:** संविधान के अनुच्छेद 105 (संसदीय विशेषाधिकार) और अनुच्छेद 118 (संसद के सदनों की कार्यप्रणाली के नियमों से संबंधित) द्वारा सशक्त संसदीय समितियाँ विधायी निगरानी में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
    - स्थायी समितियाँ विधेयकों, नीतियों और प्रशासनिक कार्यों की जाँच करती हैं, जबकि **लोक लेखा समिति (PAC)** सरकारी व्यय का लेखा परीक्षण करती है।
    - **अनुमान समिति** बजट अनुमानों की समीक्षा करती है और संसाधनों के कुशल उपयोग के लिये सुधारों की सिफारिश करती है।
  - **अविश्वास प्रस्ताव** और बहसें संसद को सरकार को जवाबदेह ठहराने का अवसर प्रदान करती हैं।
- **निगरानी तंत्र की सफलताएँ: रेलवे संबंधी स्थायी समिति** ने वर्ष 2015 में भारतीय रेलवे की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिये लाभांश भुगतान माफ करने की सिफारिश की थी, जिसे वर्ष 2016 में लागू कर दिया गया।
  - **परिवहन संबंधी स्थायी समिति** ने वर्ष 2017 के **मोटर वाहन अधिनियम** संशोधनों को प्रभावित किया, जिसमें थर्ड पार्टी बीमा पर सीमाएँ हटाना और एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का गठन शामिल था।
  - **सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति ने** NHAI परियोजनाओं में विलंब को संबोधित करते हुए सिफारिश की कि **कार्य केवल तब शुरू किया जाए जब 80% भूमि और मंजूरी प्राप्त हो जाए।**
  - अनुमान समिति ने आयात पर निर्भरता कम करने के लिये नए **यूरेनियम खानों** की सिफारिश की।
  - **लोक लेखा समिति (PAC)** ने वर्ष 2010 के **कॉमनवेल्थ खेलों में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया** और पिछले आठ वर्षों में औसतन 180 सिफारिशें कीं, जिनमें से लगभग 80%

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

सरकार द्वारा स्वीकार की गईं, जो वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने में इसके महत्त्वपूर्ण प्रभाव को दर्शाती हैं।

- **न्यायिक निर्णय:** ***एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ, 1994*** में भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने **सामूहिक उत्तरदायित्व (अनुच्छेद 75) के सिद्धांत को सुदृढ़ किया** और यह ज़ोर देकर कहा कि कार्यपालिका को विधानमंडल का विश्वास प्राप्त होना चाहिये।
  - ***केरल राज्य बनाम के. अजित एवं अन्य (2021) मामले*** में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संसदीय विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा सदस्यों को सामान्य कानूनों, विशेषकर आपराधिक कानूनों का पालन करने से छूट नहीं देते हैं, जो सभी नागरिकों पर लागू होते हैं।
  - ***मनोहर लाल शर्मा बनाम प्रिंसिपल सेक्रेटरी (2014) में,*** सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि वर्ष 1993 से 2010 के बीच कोल ब्लॉक्स का आवंटन मनमाना और अवैध था, जो संविधान के **अनुच्छेद 14** का उल्लंघन करता है।
    - यह निर्णय **भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)** और **लोक लेखा समिति (PAC)** द्वारा किये गए निष्कर्षों पर आधारित था।

संसदीय निगरानी में प्रमुख कमियाँ क्या हैं?

- **प्रश्न काल की प्रभावशीलता में कमी:** प्रश्न काल, जो दैनिक कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये होता है, प्राय: विरोधों और स्थगन द्वारा बाधित हो जाता है।
  - **17वीं लोकसभा (2019-24) में,** यह लोकसभा में केवल 60% समय और राज्यसभा में 52% समय संचालित हुआ।
  - यहाँ तक कि जब यह कार्य करता है, सांसद अक्सर जटिल नीतियों की समन्वित समीक्षा करने के बजाय पृथक या सतही सवाल उठाते हैं।
- **संसदीय समितियों का अपर्याप्त उपयोग: विभाग-संबंधित स्थायी समितियाँ (DRSC)** विस्तृत रिपोर्ट तैयार करती हैं, लेकिन इन पर प्राय: सदन में चर्चा नहीं होती।
  - सुदृढ़ मूल्यांकन के बावजूद, समिति के निष्कर्षों का कानून निर्माण और कार्यकारी कार्रवाई पर सीमित प्रभाव पड़ता है।
  - मितियों की **अस्थायी एवं परिवर्तनशील प्रकृति,** सदस्यों को विषय-वस्तु में विशेषज्ञता और निरंतरता विकसित करने से रोकती है।
- **कानूनों के पारित होने के बाद की समीक्षा का अभाव:** एक बार कानून पारित हो जाने के बाद उनकी कार्यान्वयन और प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिये कोई संस्थागत तंत्र नहीं है।
  - समीक्षा के आभाव के कारण यह स्पष्ट नहीं होता कि कानून अपने लक्षित परिणामों को प्राप्त करता है या नहीं।
  - यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों के विपरीत, भारत में प्रमुख कानूनों की आवधिक विभागीय समीक्षा अनिवार्य नहीं है।
- **सीमित सुलभता और सार्वजनिक भागीदारी:** समितियों की रिपोर्टें और निष्कर्ष प्राय: जनसाधारण के लिये सुगम और उपयोगकर्त्ता-अनुकूल प्रारूपों में उपलब्ध नहीं होते।
  - अनुवाद, दृश्य साधनों या सरलीकृत व्याख्याओं के आभाव के कारण जनता की जागरूकता और विधायी निगरानी में नागरिकों की भागीदारी सीमित हो जाती है।
- **प्रौद्योगिकी को अपनाने में चूके अवसर:** संसद ने विधायी निगरानी को सशक्त बनाने के लिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विश्लेषण या डिजिटल उपकरणों का पर्याप्त रूप से उपयोग नहीं किया है।
  - आधुनिक उपकरणों के अभाव में सांसदों को सरकारी प्रदर्शन में अनियमितताओं या प्रवृत्तियों की पहचान करने में कठिनाई होती है।

संसदीय निगरानी को सशक्त बनाने के लिये किन सुधारों की आवश्यकता है?

- **कानूनों के पारित होने के बाद की समीक्षा को संस्थागत बनाना:** यूनाइटेड किंगडम जैसे मॉडल को अपनाना, जहाँ प्रत्येक तीन से पाँच वर्षों में सरकारी विभाग प्रमुख कानूनों की समीक्षा संसद को प्रस्तुत करते हैं, यह सुनिश्चित करने में सहायक होगा कि कानून अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर रहे हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- DRSC के अधीन उप-समितियों की स्थापना की जाए, जो किसी कानून के लागू होने के 3–5 वर्षों बाद उसके प्रभाव और अनुपालन की समीक्षा करें।

- **स्मार्ट निगरानी के लिये प्रौद्योगिकी को अपनाना:** सांसदों को बजट दस्तावेजों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों तथा मंत्रालयों के प्रदर्शन की अधिक प्रभावी समीक्षा में सहायता हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों और डेटा विश्लेषण का उपयोग किया जाए।
  - विधायी निगरानी, बजट तुलनाओं और कानूनों के कार्यान्वयन की स्थिति को ट्रैक करने के लिये खोज योग्य डेटाबेस विकसित किये जाएँ।
- **सांसदों की क्षमता निर्माण: PRIDE (लोकतंत्रों के लिये संसदीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान)** के अंतर्गत संसद के भीतर PRS जैसी एक संस्थागत इकाई की स्थापना की जाए। नव-निर्वाचित सांसदों के लिये संरचित उन्मुखीकरण तथा विभिन्न मुद्दों पर नियमित जानकारी-सत्र आयोजित किये जाएँ।
  - एक संसदीय फेलो कार्यक्रम बनाएँ जिसमें प्रत्येक सांसद को प्रशिक्षित विधायी शोधकर्त्ताओं तक पहुँच प्रदान की जाए।
- **पारदर्शिता को बढ़ावा देना:** समिति रिपोर्टों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिये भाषिणी प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाए और बहुभाषी दृश्य व्याख्याकार तैयार किये जाएँ।
  - अधिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिये समिति की सिफारिशों, मंत्रिस्तरीय प्रतिक्रियाओं और सरकारी अनुपालन को ट्रैक करने हेतु सार्वजनिक डैशबोर्ड लॉन्च किये जाएँ।

निष्कर्ष

लोकतांत्रिक जवाबदेही के लिये संसदीय निगरानी बहुत ज़रूरी है। संसद को विधायी समीक्षा, तकनीक और सहायता के साथ सशक्त बनाना प्रभावी कानून कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है और कार्यकारी जवाबदेही को कमज़ोर किये बिना उसे मज़बूत बनाता है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न: भारत में संसदीय निगरानी को सुनिश्चित करने वाले प्रावधानों पर चर्चा कीजिये। इन्हें बेहतर शासन के लिये कैसे सशक्त किया जा सकता है?

मानव विकास रिपोर्ट 2025

चर्चा में क्यों?

भारत को वर्ष 2025 की **मानव विकास रिपोर्ट (HDR)** में **193 देशों और क्षेत्रों में से 130वाँ स्थान प्राप्त हुआ है।** यह रिपोर्ट ***"ए मैटर ऑफ चॉइस: पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई"*** शीर्षक से **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)** द्वारा जारी की गई है।

- रिपोर्ट में कहा गया है कि यद्यपि भारत ने निरंतर प्रगति की है, फिर भी असमानता उसके मानव विकास उपलब्धियों को कमज़ोर कर रही है।

मानव विकास रिपोर्ट 2025 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

वैश्विक:

- **मानव विकास में रुकी प्रगति:** वैश्विक मानव विकास सूचकांक में वर्ष 1990 के बाद से सबसे छोटी वृद्धि देखी गई (2020-2021 के संकट वर्षों को छोड़कर)।
  - यदि **कोविड**-पूर्व रुझान जारी रहते, **तो अधिकांश देश वर्ष 2030 तक बहुत उच्च मानव विकास स्तर तक पहुँच सकते थे,** लेकिन अब इसमें कई दशक की देरी होने की संभावना है।
- **शीर्ष और निम्न रैंक:** आइसलैंड 0.972 के **मानव विकास सूचकांक (HDI)** के साथ पहले स्थान पर रहा, जबकि दक्षिण सूडान 0.388 के HDI के साथ अंतिम स्थान पर रहा।
- **बढ़ती असमानता:** सबसे धनी और सबसे निर्धन देशों के बीच विषमता बढ़ती जा रही है, जहाँ उच्च HDI वाले देश निरंतर प्रगति कर रहे हैं, जबकि निम्न HDI वाले देश स्थिरता का सामना कर रहे हैं।
- **AI और कार्य का भविष्य:** रिपोर्ट में कहा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तेज़ी से फैल रही है और विश्व स्तर पर 5 में से 1 व्यक्ति पहले से ही AI उपकरण का उपयोग कर रहा है।
  - जबकि 60% लोगों का मानना है कि **AI रोज़गार के नए अवसर सृजित करेगा,** आधे लोगों को भय है कि यह

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

उनकी वर्तमान भूमिकाओं को समाप्त या परिवर्तित कर सकता है।

- **मानव विकास रिपोर्ट, 2025** इस बात पर ज़ोर देती है कि समावेशी और मानव-केंद्रित AI नीतियों की आवश्यकता है, ताकि AI असमानताओं को बढ़ाने या नौकरियों को विस्थापित करने के बजाय मानव विकास में सकारात्मक योगदान दे सके।

मानव विकास सूचकांक (HDI) रैंकिंग और मान (2023)

रैंक	देश	HDI मान
1	आइसलैंड	0.972
2	नॉर्वे	0.970
2	स्विट्ज़रलैंड	0.970
4	डेनमार्क	0.962
5	जर्मनी	0.959
5	स्वीडन	0.959
7	ऑस्ट्रेलिया	0.958
8	हॉन्गकॉन्ग, चीन (SAR)	0.955
8	नीदरलैंड	0.955
17	संयुक्त राज्य अमेरिका	0.938
130	भारत	0.685

HDI: मानव विकास सूचकांक

भारत:

- **भारत की मानव विकास सूचकांक (HDI) रैंकिंग:** भारत वर्ष **2022** में **133वें स्थान** पर था और वर्ष **2023** में सुधार करते हुए **130वें स्थान** पर पहुँच गया, जहाँ उसका HDI मान 0.676 से बढ़कर 0.685 हो गया।
  - देश अभी भी "मध्यम मानव विकास" की श्रेणी में है, यद्यपि वह "उच्च मानव विकास" (HDI ≥ 0.700) की सीमा के निकट पहुँच रहा है।
- **क्षेत्रीय तुलना:** भारत के पड़ोसी देशों में चीन (78वाँ), श्रीलंका (89वाँ) और भूटान (125वाँ) भारत से ऊपर स्थान पर हैं, जबकि बांग्लादेश (130वाँ) भारत के बराबर है। नेपाल (145वाँ), म्यांमार (150वाँ) और पाकिस्तान (168वाँ) भारत से नीचे स्थान पर हैं।
- **मुख्य क्षेत्रों में प्रगति:**
  - **जीवन प्रत्याशा:** भारत में जीवन प्रत्याशा वर्ष **1990 में 58.6 वर्ष से बढ़कर वर्ष 2023 में 72 वर्ष** हो गई, जो अब तक की सर्वोच्च है और महामारी के बाद की मज़बूत पुनर्प्राप्ति को दर्शाती है।
    - यह प्रगति राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों जैसे कि **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन**, **आयुष्मान भारत**, **जननी सुरक्षा योजना** और **पोषण अभियान** के योगदान से संभव हुई है।
  - **शिक्षा:** भारत में स्कूली शिक्षा के औसत वर्षों में वृद्धि हुई है, **अब बच्चों से स्कूल में 13 वर्ष तक पढ़ने की उम्मीद होती वर्ष है, जो 1990 में 8.2 वर्ष थी।**
    - **शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009**, **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020** और **समग्र शिक्षा अभियान** जैसी पहलों ने शिक्षा तक पहुँच को बेहतर बनाया है, यद्यपि गुणवत्ता और अधिगम परिणामों पर अभी भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
  - **राष्ट्रीय आय:** भारत की **प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय** वर्ष **2021** क्रय शक्ति समता (PPP) पर आधारित वर्ष **1990** में 2,167 अमेरिकी डॉलर से चार गुना बढ़कर वर्ष 2023 में 9,046 अमेरिकी डॉलर हो गई।
    - इसके अतिरिक्त, वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-21 के बीच 13.5 करोड़ भारतीय **बहुआयामी गरीबी** रेखा से बाहर निकले, जिससे मानव विकास सूचकांक (HDI) में सुधार हुआ।
  - **AI कौशल वृद्धि:** भारत उच्चतम स्वयं-रिपोर्टेड AI कौशल पैठ के साथ एक **वैश्विक AI नेतृत्वकर्त्ता** के रूप में उभर रहा है।
    - भारतीय AI शोधकर्त्ताओं में से 20% अब देश में ही हैं, जो वर्ष **2019 में लगभग शून्य** से उल्लेखनीय वृद्धि है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **भारत के मानव विकास सूचकांक को प्रभावित करने वाली चुनौतियाँ:**
  - **असमानता से एचडीआई में गिरावट: असमानता** ने भारत के मानव विकास सूचकांक (HDI) को 30.7% तक घटा दिया है, जो क्षेत्र में सबसे अधिक नुकसानों में से एक है।
  - **लैंगिक असमानताएँ: महिला श्रम बल भागीदारी** (41.7%) और राजनीतिक प्रतिनिधित्व अभी भी पीछे हैं।
    - **106वें संविधान संशोधन** जैसे कदम, जो महिलाओं के लिये विधायिका में एक-तिहाई सीटें आरक्षित करते हैं, परिवर्तनकारी बदलाव की दिशा में आशाजनक संकेत देते हैं।

भारत के HDI मान और संकेतकों में वर्ष 2022 और वर्ष 2023 के बीच परिवर्तन

प्रमुख आँकड़े (मानव विकास सूचकांक)	2022	2023
रैंक	133	130
HDI मूल्य	0.676	0.685
जीवन प्रत्याशा (वर्षों में)	71.70	72.00
अपेक्षित स्कूली शिक्षा के वर्ष	12.96	12.95
औसत स्कूली शिक्षा के वर्ष	6.57	6.88
प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय ($2021 PPP में)	8475.68	9046.76

कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव विकास में किस प्रकार योगदान कर सकती है?

- **उत्पादकता और आर्थिक विकास में वृद्धि:** AI से उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है, जिसमें वैश्विक उत्तरदाताओं के 70% लोग इसके प्रभाव को लेकर आशावादी हैं। नियमित कार्यों को स्वचालित करके, AI विभिन्न क्षेत्रों जैसे निर्माण, सेवाएँ और कृषि में नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है।
  - गूगल की एक रिपोर्ट के अनुसार, AI वर्ष **2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था में 33.8 लाख करोड़ रुपए का योगदान** कर सकता है, जो वर्ष **2028 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के डिजिटल अर्थव्यवस्था लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और GDP में 20% का योगदान** करेगा।
- **स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच में सुधार:** रेडियोलॉजी में, AI सटीकता में सुधार करता है, ऐसी असामान्यताएँ पता लगाता है जिनसे मानव आँखें चूक सकती हैं, जबकि ऑन्कोलॉजी में यह रोगी डेटा के आधार पर व्यक्तिगत उपचार योजनाएँ बनाने में मदद करता है।
  - AI क्लिनिकल कार्यप्रवाहों को सरल बनाता है, संसाधन आवंटन को अनुकूलित करता है और दूरस्थ निगरानी तथा टेलीमेडिसिन का समर्थन करता है, विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों में।
  - इसके अतिरिक्त, AI चिकित्सा शिक्षा में **वर्चुअल रियलिटी (VR)** और अनुकूलनशील शिक्षा के माध्यम से क्रांति ला रहा है, जो स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के कौशल को बढ़ाता है।
- **शिक्षा में परिवर्तन:** AI अनुकूलनशील प्लेटफॉर्मों के माध्यम से व्यक्तिगत शिक्षण सक्षम करता है, जिसमें विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों में **AI ट्यूटर्स और चैटबॉट्स** से वास्तविक समय में सहायता मिलती है।
  - यह शिक्षकों को छात्रों की प्रगति को ट्रैक करने और सीखने में कमी को अधिक प्रभावी ढंग से पहचानने में भी मदद करता है।
- **शासन को सशक्त बनाना:** AI भारत में सार्वजनिक सेवा वितरण को सरल बना रहा है, दक्षता में सुधार, पारदर्शिता बढ़ाने और कल्याण योजनाओं में धोखाधड़ी का पता लगाने में मदद कर रहा है।
  - **MuleHunter.AI** जैसे उपकरण, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक ने विकसित किया है, म्यूल बैंक खातों से जुड़ी डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने में मदद करते हैं।
  - सरकार की **भाषिनी परियोजना** बहुभाषी संचार को बढ़ावा देती है, जो भाषाई समूहों में नीति पहुँच में सहायक होती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **असमानता को दूर करना और समावेशन को बढ़ावा देना:** AI उपकरण सेवा वितरण में अंतर की पहचान कर सकते हैं और विशेष रूप से वंचित समुदायों के लिये इन अंतरालों को पाटने में मदद कर सकते हैं। मानव-केंद्रित डिज़ाइन के मार्गदर्शन में, AI अवसरों तक समान पहुँच सुनिश्चित कर सकता है।

भारत अपनी मानव विकास संबंधी चुनौतियों का समाधान कैसे कर सकता है?

- **लैंगिक समानता:** लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने के लिये भारत को विधायिकाओं में महिलाओं के लिये एक-तिहाई आरक्षण सुनिश्चित करने वाले 106वें संविधान संशोधन का प्रभावी क्रियान्वयन करना होगा और उनकी निर्णयात्मक भूमिकाओं को सशक्त बनाना होगा।
  - **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड-अप इंडिया** और डिजिटल फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जैसी वित्तीय योजनाओं तक महिलाओं की पहुँच बढ़ाकर उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। महिला कार्यबल में भागीदारी बढ़ाने के लिये लचीले रोज़गार, कौशल विकास, क्रेच सुविधा और **विज्ञान ज्योति** जैसी पहलों के माध्यम से **STEM में भागीदारी** को बढ़ावा देना आवश्यक है।
  - कानूनी सुधारों में लैंगिक हिंसा, बाल विवाह और कार्यस्थल पर भेदभाव के विरुद्ध सख्त प्रवर्तन शामिल होना चाहिये।
  - निर्भया फंड और वन स्टॉप सेंटरों को सुदृढ़ करना भी हिंसा का सामना कर रही महिलाओं को समग्र समर्थन प्रदान करने के लिये आवश्यक है।
- **असमानता का समाधान: बढ़ती असमानता (जो भारत के वर्ष 2023 के गिनी गुणांक 0.410 में दर्शाई गई है)** से निपटने के लिये, सरकार को **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम और जन धन योजना** जैसे समावेशी पहलों को सुदृढ़ करना चाहिये।
  - ये कार्यक्रम आय असमानता को दूर करने में सहायता करते हैं लेकिन दीर्घकालिक रणनीतियों में भूमि अधिकार, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा में सुधार भी शामिल होना चाहिये।
  - समावेशी विकास नीति उपायों के लिये **सतत् विकास लक्ष्य 10** को बढ़ावा दें और समान विकास के लिये **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)** का लाभ उठाएँ।
- **स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार:** भारत को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है और पोषण तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने के लिये **पोषण अभियान** जैसी योजनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिये।
  - इसके अतिरिक्त, शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार, **NEP 2020 के तहत पाठ्यक्रम सुधार** और तकनीक-सक्षम शिक्षा उपकरण सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
- **डिजिटल और वित्तीय समावेशन के लिये AI का लाभ उठाना:** सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि AI का उपयोग समावेशी सेवाओं जैसे ई-स्वास्थ्य निगरानी, ई-लर्निंग एवं कृषि सलाहकार सेवाओं के लिये किया जाए और पारदर्शी नीतियों के माध्यम से नैतिक शासन सुनिश्चित किया जाए।
  - रोज़गार सृजन का ध्यान विनिर्माण, हरित अर्थव्यवस्था और बुनियादी अवसरंचना पर होना चाहिये, साथ ही उभरते हुए क्षेत्रों के लिये कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।
  - जन धन, **एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI)** एवं डिजिटल साक्षरता अभियान जैसी पहलों के माध्यम से डिजिटल और वित्तीय समावेशन को बढ़ाया जाना चाहिये।

निष्कर्ष

भारत की **मानव विकास सूचकांक** में निरंतर वृद्धि लोगों पर केंद्रित विकास में इसके दीर्घकालिक निवेश को दर्शाती है। हालाँकि, अपनी मानवीय क्षमता को सही मायने में साकार करने के लिये, भारत को असमानता का न केवल नैतिक अनिवार्यता के रूप में बल्कि सतत् प्रगति के लिये रणनीतिक प्राथमिकता के रूप में भी सामना करना होगा। मानव विकास सूचकांक, 2025 यह स्पष्ट करता है कि समावेश वैकल्पिक नहीं है - यह आवश्यक है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न: वैश्विक मानव विकास संदर्भ में भारत की स्थिति का आकलन कीजिये। भारत के लिये अपनी मानव विकास सूचकांक रैंकिंग में सुधार करने में क्या चुनौतियाँ और अवसर हैं?

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

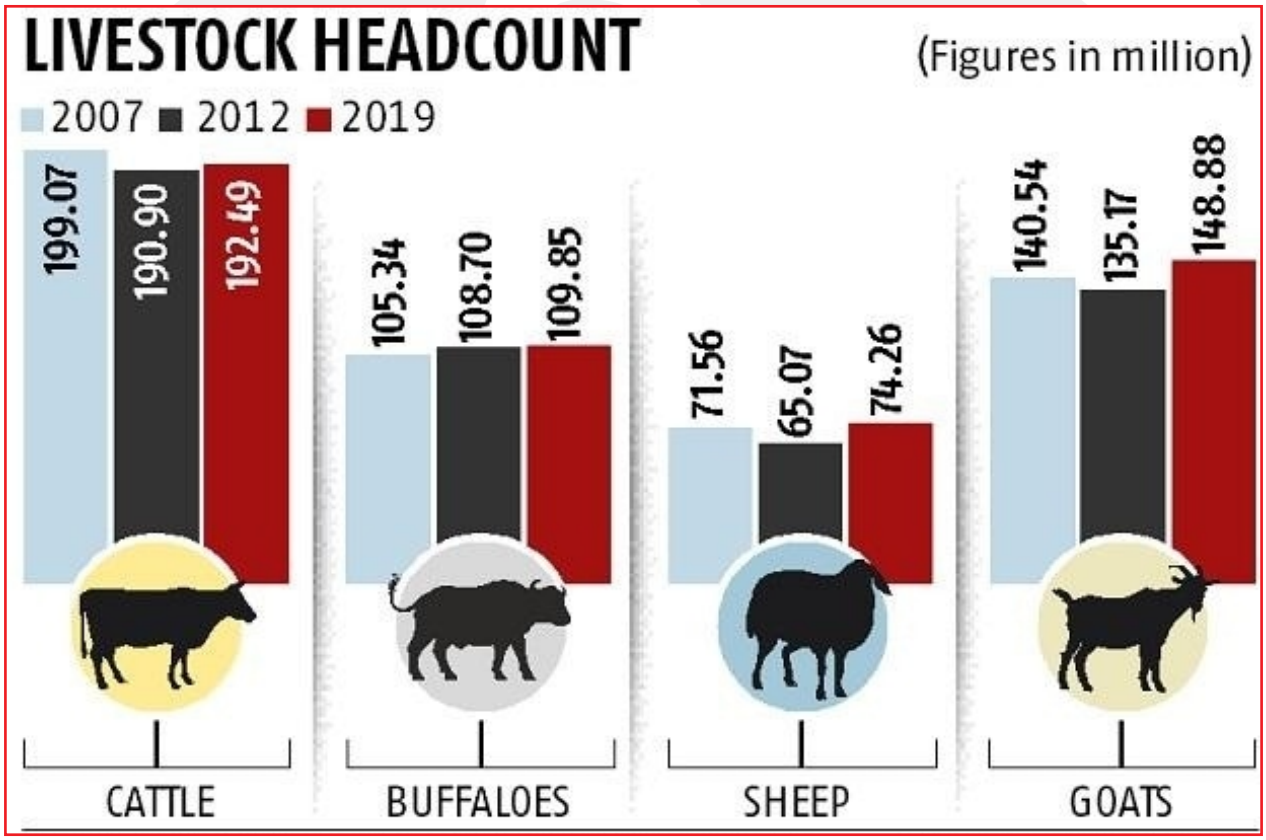
भारत का पशुधन क्षेत्र

चर्चा में क्यों?

भारत का पशुधन क्षेत्र ग्रामीण आजीविका और पोषण का आधार होने से पशु स्वास्थ्य एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है। **विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2025** को **"पशु स्वास्थ्य: एक सामूहिक प्रयास"** थीम के साथ मनाया गया, जिसके तहत **पशु चिकित्सकों** की महत्त्वपूर्ण भूमिका और **पशुजन्य रोग** से निपटने में **'वन हेल्थ' दृष्टिकोण** की बढ़ती आवश्यकता को रेखांकित किया गया।

भारत में पशुधन क्षेत्र की स्थिति क्या है?

- **पशुधन:** भारत **विश्व की सबसे बड़ी पशुधन संख्या** वाला देश है और यह **भारतीय कृषि का एक प्रमुख स्तंभ** है, जो **ग्रामीण आजीविका**, **पोषण** और **आर्थिक विकास** को समर्थन प्रदान करता है।
  - यह **मांस**, **दूध**, **अंडे** और **ऊन** के लिये **गाय**, **भैंस**, **भेड़**, **बकरी**, **सुअर** और **मुर्गी पालन** जैसी गतिविधियों को सम्मिलित करता है।
- **पशुधन संबंधी डेटा:**
  - **20वीं पशुधन गणना** (2019) के अनुसार, भारत में **कुल 53.578 करोड़ की पशुधन संख्या** है।



दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट :

- **दूध, मांस और अंडे उत्पादन:** भारत **दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है**, जो वैश्विक उत्पादन का **24.76%** योगदान करता है।
  - भारत **अंडे उत्पादन में दूसरे स्थान पर है (पहला स्थान चीन)** और **मांस उत्पादन में** विश्व स्तर पर (खाद्य और कृषि संगठन, 2022) **पाँचवें स्थान** पर है।

भारत में पशुधन क्षेत्र का क्या महत्त्व है?

- **सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में योगदान:** पशुधन क्षेत्र ने **12.99% की CAGR से वृद्धि की (वर्ष 2014-15 से 2022-23 तक)** और वर्ष 2022-23 में **भारत के सकल मूल्य वर्द्धन (GVA) का 5.50%** योगदान दिया।
  - यह भारत की लगभग **8.8% जनसंख्या को रोज़गार** भी प्रदान करता है।
- **पोषण सुरक्षा:** पशुधन **दूध, अंडे और मांस जैसे प्रोटीन** से भरपूर उत्पादों द्वारा **खाद्य सुरक्षा** सुनिश्चित करता है। **डेयरी क्षेत्र** अकेले **पशुधन उत्पादन के कुल मूल्य का दो तिहाई हिस्सा** प्रदान करता है।
- **सतत्ता और जलवायु प्रतिरोधी क्षमता:** पशुधन **जैविक खाद** प्रदान करके, **मृदा की उर्वरता** को सुधारकर और **रासायनिक उपयोग** को घटाकर सतत् कृषि का समर्थन करता है। एकीकृत पशुधन-फसल प्रणालियाँ विशेष रूप से सूखा प्रभावित क्षेत्रों में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं।
- **निर्यात और विदेशी मुद्रा:** पशुधन उत्पादों, जिसमें **भैंस का मांस, डेयरी और मुर्गी उत्पाद शामिल हैं, का निर्यात 10% से अधिक बढ़कर** अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान **3.64 बिलियन अमेरिकी डॉलर** तक पहुँच गया, जिससे **भारत की विदेशी मुद्रा** मज़बूत हुई।
- **गरीबी उन्मूलन:** पशुधन गरीबी उन्मूलन के लिये एक महत्त्वपूर्ण परिसंपत्ति है, **50%** से अधिक **ग्रामीण महिलाएँ पशुधन गतिविधियों में संलग्न हैं**, जो आय और वित्तीय स्वतंत्रता में योगदान देती हैं।
- **सांस्कृतिक और सामाजिक महत्त्व:** पशुधन का **सांस्कृतिक और धार्मिक महत्त्व है,** खासकर **त्योहारों तथा अनुष्ठानों में।** राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में, यह **सामुदायिक बंधनों को मज़बूत करता है तथा पारंपरिक प्रथाओं को संरक्षित करता है।**

भारत में पशुधन क्षेत्र से जुड़े प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **कम उत्पादकता: भारत की पशुधन उत्पादकता,** विशेष रूप से डेयरी, मांस और मुर्गीपालन, **वैश्विक मानकों की तुलना में कम है।**
  - उदाहरण के लिये, वर्ष 2019-20 में भारत की औसत **वार्षिक मवेशी दूध उत्पादकता 1,777 किलोग्राम/पशु थी,** जो **वैश्विक औसत 2,699 किलोग्राम (FAO, 2019) से काफी कम है।**
- **अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा** यह क्षेत्र **खराब नस्ल, अपर्याप्त आहार, उचित पशु चिकित्सा सेवाओं, कोल्ड चेन सुविधाओं और आधुनिक बूचड़खानों की कमी से ग्रस्त है।**
  - इससे **फसल कटाई के बाद भारी नुकसान होता है, उत्पाद की गुणवत्ता खराब होती है तथा** छोटे किसानों के लिये बाज़ार तक पहुँच सीमित हो जाती है।
- **जलवायु जोखिम और पर्यावरणीय प्रभाव: जलवायु परिवर्तन अनियमित मौसम, बढ़ते तापमान और चारे की कमी** के कारण पशुधन उत्पादकता को प्रभावित करता है।
  - दूसरी ओर, पशुपालन स्वयं **मीथेन उत्सर्जन में योगदान देता है** तथा अत्यधिक चराई प्रथाओं के कारण **मृदा क्षरण और जैव विविधता की हानि में योगदान देता है।**
- **स्वास्थ्य जोखिम एवियन इन्फ्लूएंज़ा, खुरपका-मुंहपका रोग (FMD)** और **ब्रुसेलोसिस** जैसी **पशुजन्यरोग** स्वास्थ्य के लिये गंभीर खतरा उत्पन्न करती हैं।
  - लगभग **60% संक्रामक रोग पशुजन्य हैं** तथा **75% उभरते संक्रमण** पशुओं से उत्पन्न होते हैं।
  - **अपर्याप्त पशु चिकित्सा सेवाएँ, स्वच्छता और जागरूकता की कमी से** ऐसी रोगों का प्रसार बढ़ जाता है।
    - **पशुपालन एवं डेयरी विभाग (DAHD) के सचिव** द्वारा बताए गए आँकड़ों के अनुसार, बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये भारत को अगले पाँच वर्षों में प्रतिवर्ष 2500 अतिरिक्त पशु चिकित्सा स्नातक तैयार करने की आवश्यकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **पर्याप्त अनुसंधान एवं विकास का अभाव:** पशुधन आनुवंशिकी, पोषण और रोग नियंत्रण में **अनुसंधान व विकास का अभाव प्रगति में बाधा डालता है तथा** क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिये **नस्ल सुधार, कुशल फीड प्रणाली** व **पशु चिकित्सा प्रगति पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।**

पशुधन क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिये प्रमुख पहल क्या हैं?

- **राष्ट्रीय पहल:**
  - **पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण LHDC) कार्यक्रम**
  - **राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP)**
  - **राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM)**
  - **महामारी की तैयारी और प्रतिक्रिया के लिये भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा को सुदृढ़ करना:** यह **FAO, ADB और विश्व बैंक** द्वारा समर्थित है, जो **प्रयोगशालाओं को उन्नत करने, निगरानी में सुधार करने और** महामारी की तैयारी के लिये क्षेत्र के पशु चिकित्सकों को प्रशिक्षित करके भारत की पशु स्वास्थ्य सुरक्षा का समर्थन करता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:**
  - **खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO):** FAO ने उपचार दिशानिर्देशों (वर्ष 2024) को मानकीकृत करके भारत की पशु चिकित्सा सेवाओं को मज़बूत किया है।
    - इसने राष्ट्रीय कार्य योजना 2.0 और **भारतीय मत्स्य एवं पशु रोगाणुरोधी प्रतिरोध नेटवर्क(INFAAR) के माध्यम से AMR प्रबंधन का समर्थन किया है।**
    - FAO ने **इन-सर्विस एप्लाइड वेटरनरी एपिडेमियोलॉजी ट्रेनिंग (ISAVET) के माध्यम से पशु चिकित्सकों को भी प्रशिक्षित किया है।**
  - **एशियाई विकास बैंक (ADB) और विश्व बैंक:** वे बुनियादी ढाँचे को वित्तपोषित करके, **पशुजन्य रोग निगरानी में सुधार करके, प्रयोगशालाओं को उन्नत करके** और बेहतर महामारी प्रतिक्रिया के लिये **पशु चिकित्सा प्रशिक्षण को सुदृढ़ करके पशु स्वास्थ्य सुरक्षा बढ़ाने में भारत का समर्थन करते हैं।**

भारत के पशुधन क्षेत्र की उत्पादकता और स्थिरता बढ़ाने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- **नस्ल सुधार और पोषण वृद्धि: चयनात्मक प्रजनन और कृत्रिम गर्भाधान** के माध्यम से आनुवंशिक उन्नयन को बढ़ावा देना।
  - **चारा प्रबंधन** में सुधार करें, क्षेत्र-विशिष्ट आहार सूत्रों का विकास करें और उत्पादकता बढ़ाने व अतिचारण को कम करने के लिये चारागाह प्रबंधन को सुदृढ़ करें।
- **पशु चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करना: FAO, ADB और विश्व बैंक** जैसी संस्थाओं के सहयोग से **पशु चिकित्सा देखभाल, टीकाकरण, रोग निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों** की पहुँच को मज़बूत बनाना।
  - ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में सेवा देने के लिये पशु-चिकित्सकों को प्रोत्साहन प्रदान करना।
- **अनुसंधान एवं विकास (R&D) और प्रौद्योगिकी को सुदृढ़ करना: पशुधन की आनुवंशिकी, जलवायु-सहनीय पद्धतियों और रोग नियंत्रण के लिये अनुसंधान एवं विकास में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है,** साथ ही प्रजनन तकनीकों तथा संधारणीय कृषि पद्धतियों को भी बढ़ावा देना चाहिये।
- **बुनियादी अवसरंचना और बाज़ार संपर्क में सुधार: कोल्ड चेन, भंडारण सुविधाओं और प्रसंस्करण इकाइयों में सुधार करना चाहिये।** बेहतर बाज़ार पहुँच और उचित मूल्य निर्धारण के लिये **किसान उत्पादक संगठनों (FPO)** को सशक्त बनाएँ।
- **वन हेल्थ दृष्टिकोण अपनाना: मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य** को एकीकृत करें तथा पशुजन्य रोगों और प्रतिजैविक प्रतिरोध जैसी चुनौतियों से निपटने के लिये विभिन्न क्षेत्रों के सहयोग से निगरानी एवं प्रतिक्रिया प्रणालियों को सुदृढ़ करना चाहिये।

"वन हेल्थ" दृष्टिकोण क्या है?

- **परिचय: वन हेल्थ दृष्टिकोण** एक **सहयोगात्मक, बहु-क्षेत्रीय और बहु-विषयक रणनीति** है, जो **मानव, पशु एवं पर्यावरणीय स्वास्थ्य** के अंतर्संबंध को मान्यता देती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- यह **वैश्विक महामारियों की रोकथाम और सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों** में सुधार के उद्देश्य से **एकीकृत नीतियों तथा कार्यक्रमों को बढ़ावा देता है।**

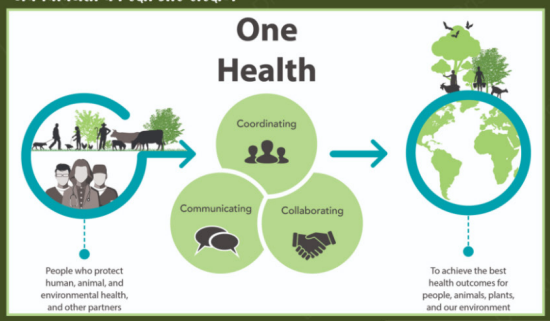
वन हेल्थ ONE HEALTH

वन हेल्थ ट्राई पार्टी अलायन्स यानी FAO, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (OIE)

WHO के बीच समझौते के आधार पर गतिविधियों का एक सेट प्रदान करता है जिसका उद्देश्य मानव-पशु-पौधे-पर्यावरण इंटरफेस से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करना है।

दृष्टिकोण

- जानवरों और लोगों में जूनोटिक रोग के प्रकोप को रोकना
- स्वास्थ्य सुरक्षा में सुधार
- MMR संक्रमण को कम करना और मानव तथा पशु स्वास्थ्य में सुधार करना
- वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा में सुधार करना
- जैव विविधता की रक्षा और संरक्षण



वन हेल्थ से संबंधित तथ्य

- मानव रोगों का कारण बनने वाले 60% रोगजनक, घरेलू पशुओं या वन्यजीवों से उत्पन्न होते हैं
- वैश्विक पशु उत्पादन में 20% की गिरावट पशु रोगों से जुड़ी हुई है
- जब मूल वन आवरण का 25% से अधिक नष्ट हो जाता है तो मनुष्यों और उनके पशुओं की वन्यजीवों से सामना करने की संभावना अधिक होती है

वन हेल्थ संयुक्त कार्य योजना

- खाद्य और कृषि संगठन (FAO), संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP), विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (WOAH) द्वारा एक नई चतुष्पक्षी पहल
- यह योजना वर्ष 2022-2026 तक वैध है और इसका उद्देश्य वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य चुनौतियों को कम करना है।

राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन (NOHM)

NOHM

- इसका उद्देश्य मानव और पशु दोनों क्षेत्रों की प्राथमिकता वाली बीमारियों के विरुद्ध समग्र महामारी की तैयारी और एकीकृत रोग नियंत्रण को प्राप्त करने के लिये समन्वय करना है

हाल ही में उठाए गए कदम

- पशु महामारी तैयार पहल (APPI)
- वन हेल्थ के लिये पशु स्वास्थ्य प्रणाली सहायता (AHSSOH)

पूर्व में की गई पहलें

- एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम, 2004
- जूनोज से निपटने के लिये एक बहु-विषयक रोड मैप (2008)

घटक



Drishti IAS

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - **समग्र दृष्टिकोण: साझा पर्यावरण, मानव-पशु अंत:क्रियाओं** और पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन पर केंद्रित करता है।
  - **रोगों की रोकथाम:** इसका उद्देश्य रेबीज़, इबोला, एवियन इन्फ्लूएंज़ा, कोविड-19 जैसी पशुजन्य रोगों और प्रतिजैविक प्रतिरोध (AMR) के जोखिम को कम करना है।
  - **दीर्घकालिक योजना:** प्रतिक्रिया आधारित उपायों के बजाय **निवारक स्वास्थ्य रणनीतियों** को प्रोत्साहित करता है।
- **ऐतिहासिक संदर्भ एवं संस्थागत पहल:**
  - **वन हेल्थ दृष्टिकोण** की शुरुआत वर्ष 1947 में WHO की पशु चिकित्सा सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाई से हुई, जो **जेम्स स्टील के "वन मेडिसिन" सिद्धांत** से प्रेरित था और यह **अल्मा-अता (1978), ओटावा चार्टर (1986)** तथा **शंघाई घोषणा (2016)** जैसे घोषणाओं में परिलक्षित होता है।
  - **WHO वन हेल्थ इनिशिएटिव टीम और चतुर्पक्षीय सहयोग (WHO, FAO, OIE, UNEP)** के माध्यम से नेतृत्व करता है, जो देशों को नीति एकीकरण और प्रारंभिक रोग पहचान में सहायता प्रदान करता है।
  - **नेशनल वन हेल्थ मिशन** भारत में एक समग्र पहल है, जिसका उद्देश्य **देश की रोग प्रतिक्रिया को सुदृढ़ करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये एक समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है।**

निष्कर्ष:

पशुधन क्षेत्र **भारत की अर्थव्यवस्था, ग्रामीण आजीविका और खाद्य सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।** रणनीतिक पहल, जैसे कि **नस्ल सुधार, सुदृढ़ पशु चिकित्सा सेवाएँ और वन हेल्थ दृष्टिकोण को अपनाना, स्थिरता को बढ़ावा देने और समग्र क्षेत्रीय प्रदर्शन में सुधार करने** के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत में पशुधन उत्पादन के नवीनतम रुझानों पर चर्चा कीजिये और इस क्षेत्र पर सरकारी पहलों के प्रभाव का आकलन कीजिये।

पंजाब-हरियाणा जल बँटवारा विवाद

चर्चा में क्यों?

पंजाब ने **भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB)** द्वारा हरियाणा को अतिरिक्त 4,500 क्यूसेक जल छोड़ने के निर्णय का विरोध किया है।

- इस बीच, **हरियाणा ने** अपने हिस्से को सुरक्षित करने के लिये **सर्वोच्च न्यायालय** जाने की धमकी दी है, जिससे भाखड़ा नंगल बाँध के जल को लेकर दशकों पुरानी विवाद और बढ़ गया है।

पंजाब-हरियाणा जल बँटवारा विवाद के संबंध में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **वर्तमान संकट: हरियाणा ने भाखड़ा-नंगल परियोजना से 8,500 क्यूसेक्स जल की मांग की,** जो उसकी वर्तमान आवंटन से **4,500 क्यूसेक्स अधिक था।** पंजाब ने इंकार किया, जिसके **बाद BBMB को हस्तक्षेप करना पड़ा।**
  - **BBMB की बैठक में हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली** ने अतिरिक्त जल छोड़ने के पक्ष में मतदान किया।
  - **पंजाब ने अतिरिक्त जलद्वार खोलने से इंकार कर दिया है, जिसके कारण हरियाणा ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है।**
- **BBMP की भूमिका:** वर्ष 1996 में पंजाब के विभाजन से पहले, **भाखड़ा-नंगल परियोजना** का प्रबंधन पंजाब द्वारा किया जाता था। वर्ष 1966 में, **पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966** के तहत **भाखड़ा प्रबंधन बोर्ड (BMB)** का गठन किया गया था ताकि परियोजना का संचालन किया जा सके और यह पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश को लाभ पहुँचा सके।
  - **वर्ष 1976 में BMB का नाम बदलकर BBMB रखा गया।** यह अब भाखड़ा बाँध (हिमाचल), नंगल बाँध (पंजाब), **ब्यास-सतलुज लिंक परियोजना** (पंडोह बाँध) और पोंग बाँध का प्रबंधन करता है।
- **भाखड़ा नंगल बाँध:** इसमें सतलुज नदी पर दो अलग-अलग लेकिन पूरक बाँध शामिल हैं अर्थात् **हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा बाँध और नांगल बाँध (पंजाब में 10 किमी नीचे)।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

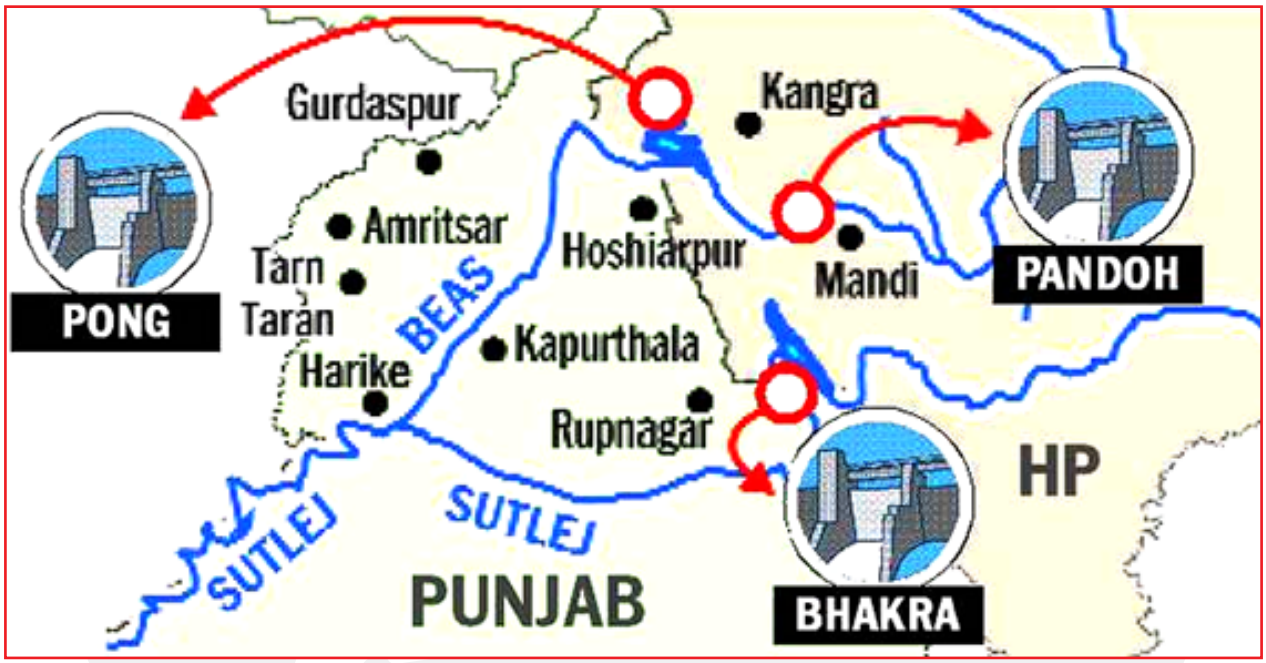
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- यह **टिहरी बाँध** के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊँचा बाँध है और **इसका जलाशय गोबिंद सागर के नाम से जाना जाता है।**
- यह तीन राज्य सरकारों **राजस्थान, हरियाणा और पंजाब** का संयुक्त उद्यम है।
- हरियाणा के गठन के बाद, हरियाणा का हिस्सा उपलब्ध कराने के लिये **सतलुज-यमुना लिंक (SYL) नहर का प्रस्ताव रखा गया था,** लेकिन पंजाब के विरोध के कारण यह अधूरा रह गया।



पंजाब और हरियाणा जल संकट का सामना क्यों कर रहे हैं?

- **भूजल में कमी: पंजाब, राजस्थान और हरियाणा** में भूजल में कमी एक **गंभीर चिंता का विषय** बन गई है जहाँ निष्कर्षण दर क्रमशः **66, 51 और 34%** पुनर्भरण दर से अधिक हो गई है।
- **जल स्तर में गिरावट: भाखड़ा, पोंग** और **रंजीत सागर** जैसे बांधों में **जल स्तर में उल्लेखनीय कमी** देखी जा रही है, जिसका कारण **हिमालय में बर्फबारी में कमी है,** जो इन नदियों को पोषण प्रदान करती है।
- **कृषि पद्धतियाँ: अधिक जल की आवश्यकता वाली फसलों,** विशेषकर **चावल** ने **भूजल स्तर को और खराब कर दिया है।**
  - **पंजाब** और **हरियाणा** जैसे राज्यों में विद्युत और मुफ्त जल पर **सब्सिडी से अनियमित पम्पिंग को** बढ़ावा मिलता है।
- **सिंधु जल संधि (वर्ष1960): इस संधि ने पंजाब और अन्य राज्यों** में सिंचाई के लिये **महत्त्वपूर्ण** पश्चिमी नदियों (सिंधु, चिनाब, झेलम) तक भारत की पहुँच को सीमित कर दिया, जिससे **क्षेत्रीय जल तनाव** उत्पन्न हो गया।
- **शहरी एवं औद्योगिक मांग में वृद्धि: चंडीगढ़, गुरुग्राम** और **लुधियाना** जैसे शहरों में **तेज़ी से हो रहे शहरीकरण के कारण** घरेलू **जल मांग में वृद्धि हुई है,** जबकि **ताप विद्युत संयंत्रों** व उद्योगों के कारण **सीमित जल संसाधनों पर और अधिक दबाव पड़ रहा है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद क्या है?

- **अंतर्राज्यीय** नदी जल विवाद तब उत्पन्न होते हैं जब **दो या दो से अधिक राज्य** अपनी सीमाओं के पार प्रवाहित होने वाली नदियों के **उपयोग, वितरण या नियंत्रण** पर असहमत होते हैं।
- **कारण:**
  - **नदी तटीय अधिकार :** समान जल वितरण को लेकर **ऊपरी और निचले राज्यों** के बीच संघर्ष ।
  - **जल बँटवारा समझौते :** समझौतों में **अस्पष्टता** अक्सर विवादों को बढ़ावा देती है, जब **एक राज्य** असमान हिस्से या अनुचित आवंटन से व्यथित महसूस करता है।
  - **जल की कमी और जलवायु परिवर्तन : सूखे** और बदलते मौसम पैटर्न के कारण प्रतिस्पर्धा में वृद्धि।
    - राजनीतिक और चुनावी कारणों से विवाद समाधान **जटिल हो जाता है।**
  - **कृषि बनाम उद्योग: कृषि और औद्योगिक जल** आवश्यकताओं के बीच तनाव।
  - **आर्थिक असमानताएँ :** बेहतर बुनियादी ढाँचे वाले धनी राज्यों में जल की उपलब्धता अधिक है।
  - **कानूनी विलंब :** न्यायाधिकरणों या **सर्वोच्च न्यायालय के** निर्णयों के कारण समाधान में देरी होती है।
- **संवैधानिक प्रावधान:**
  - **संघ सूची की प्रविष्टि 56:** यह संघ सरकार को **अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों को विनियमित करने और विकसित करने का अधिकार प्रदान करती है,** जैसा कि संसद द्वारा सार्वजनिक हित के लिये आवश्यक समझा जाए।
  - **समवर्ती सूची की प्रविष्टि 32: यह यंत्रचालित जहाज़ों** के संबंध में **अंतर्देशीय जलमार्गों** पर **परिवहन और नौवहन** तथा ऐसे जलमार्गों पर सड़क के नियम से संबंधित है।
  - **राज्य सूची की प्रविष्टि 17:** यह **जल से संबंधित है तथा इसमें जल आपूर्ति, सिंचाई, नहरें, जल निकासी, तटबंध, जल भंडारण** और जल विद्युत जैसे पहलू शामिल हैं।
- **विवाद समाधान प्रावधान:**
  - **संविधान: अनुच्छेद 262** के अनुसार, **जल से संबंधित विवादों** के मामले में :
    - संसद को किसी भी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी में **जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण** से संबंधित किसी भी **विवाद या शिकायत** के निपटारे के लिये **कानून बनाने** का अधिकार है ।
    - संसद कानून के माध्यम से यह निर्दिष्ट कर सकती है कि **न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही किसी अन्य न्यायालय को** ऊपर उल्लिखित विवादों या शिकायतों पर अधिकार क्षेत्र होगा।
  - **वैधानिक: अनुच्छेद 262** के अनुसार, संसद ने निम्नलिखित अधिनियम बनाए हैं:
  - **नदी बोर्ड अधिनियम, 1956:** इसने केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के परामर्श से अंतर-राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के लिये बोर्डों की स्थापना करने का अधिकार प्रदान किया। अब तक, इस अधिनियम के तहत कोई भी नदी बोर्ड स्थापित नहीं किया गया है।
  - **अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956:** यदि कोई राज्य एक न्यायाधिकरण की मांग करता/करते हैं, तो केंद्र सरकार को पहले परामर्श के माध्यम से समस्या का समाधान करने का प्रयास करना चाहिये। यदि यह प्रयास विफल रहता है, तो फिर न्यायाधिकरण का गठन किया जा सकता है।
    - **सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधिकरण** द्वारा दिये गए पंचाट या सूत्र पर प्रश्न नहीं उठाएगा, लेकिन वह न्यायाधिकरण के कार्यकलापों पर प्रश्न उठा सकता है।
    - इसे वर्ष 2002 में संशोधित किया गया था, जिसमें जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना के लिये एक वर्ष की समयसीमा और निर्णय सुनाने के लिये तीन वर्ष की समयसीमा निर्धारित की गई थी, जैसा कि **सरकारिया आयोग** की सिफारिशों में उल्लेख किया गया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **प्रमुख अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद:**



अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद का समाधान कैसे किया जाए?

- **संस्थागत ढाँचों को सशक्त बनाना:** अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 में संशोधन करना चाहिये ताकि अनुपालन न करने पर दंड (जैसे केंद्रीय निधि में कमी) और एक स्थायी न्यायाधिकरण की स्थापना की जा सके (जैसा कि वर्ष 2019 के संशोधन में प्रस्तावित किया गया है), जिसमें **विशिष्ट बेंच** हों।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **सहकारी संघवाद और मध्यस्थता:** मुकदमेबाज़ी से पहले मध्यस्थता और वार्ता की प्रक्रिया को शुरू करनी चाहिये, जिसमें निष्पक्ष मध्यस्थों जैसे कि सेवानिवृत्त न्यायधीश और जलविज्ञानी शामिल हों, साथ ही प्रधानमंत्री-नेतृत्व वाले **अंतर्राज्यीय परिषद** जैसे मंचों के माध्यम से राजनीतिक संवाद भी हो।
- **वैज्ञानिक जल प्रबंधन:** ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई के लिये सब्सिडी प्रदान करनी चाहिये (**PMKSY** के समान) और सूखा-प्रवण क्षेत्रों में जल की अधिक खपत करने वाली फसलों जैसे गन्ने की जगह **फसल विविधीकरण** को बढ़ावा देना चाहिये।
- **वर्षा जल संचयन:** जलभृत पुनर्भरण करने के लिये एक राष्ट्रीय नीति लागू करनी चाहिये और भूमिगत जल के अत्यधिक निष्कर्षण (जैसे, पंजाब के घटते संसाधन) पर जुर्माना लगाकर सतत् जल उपयोग सुनिश्चित करना चाहिये।
- **भारत-भूतल जल संसाधन अनुमान प्रणाली (IN-GRES),** जो भूमिगत जल निष्कर्षण को ट्रैक और मानचित्रित करती है, को इसके महत्त्व के आधार पर प्रभावी जल प्रबंधन के लिये देशभर में लागू किया जाना चाहिये।
- **संतुलित अवसंरचना विकास:** सभी राज्यों के हितों को संतुलित करते हुए समान जल अवसंरचना विकास सुनिश्चित करना चाहिये, जबकि जलवायु परिवर्तन और नदी प्रवाह में परिवर्तन के मध्य बड़े पैमाने पर संरचनाओं पर निर्भरता कम करने के लिये विकेन्द्रीयकरण आधारित संरक्षण को बढ़ावा देना चाहिये।

निष्कर्ष

पंजाब-हरियाणा जल विवाद अंतर्राज्यीय नदी जल वितरण की जटिलताओं को उजागर करता है, जो कानूनी, राजनीतिक और पर्यावरणीय चुनौतियों द्वारा बढ़ाया गया है। प्रभावी समाधान के लिये संस्थागत ढाँचों को सशक्त बनाना, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक जल प्रबंधन को लागू करना, और सभी राज्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समान अवसंरचना विकास सुनिश्चित करना आवश्यक है, ताकि सतत् जल उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न: भारत में अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के कारणों और चुनौतियों की जाँच कीजिये। समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिये मौजूदा कानूनी और संस्थागत ढाँचे को कैसे मज़बूत किया जा सकता है?

लोक सेवाओं के समक्ष चुनौतियाँ

चर्चा में क्यों?

लोकतंत्र में **लोक सेवाओं/सिविल सेवाओं (civil services)** की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण होती है, जो पारदर्शिता, **पार्श्व प्रवेश और तटस्थता** बनाए रखने की आवश्यकता को विशेष रूप से उजागर करती है—विशेषकर तब, जब राजनीतिक हस्तक्षेप और प्रशासनिक अक्षमताओं को लेकर चिंताएँ निरंतर बढ़ रही हों।

भारत की लोक सेवा प्रणाली का विकास कैसे हुआ?

- **औपनिवेशिक शुरुआत: शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी** के लिये लोक सेवकों को **कंपनी के निदेशकों** द्वारा नामित किया जाता था और लंदन के हैलीबरी कॉलेज में प्रशिक्षित किया जाता था। फिर उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य का प्रशासन करने के लिये भारत भेजा जाता था।
  - यह प्रारंभिक प्रणाली संरक्षण पर गहराई से आधारित थी, जिसमें भारतीयों के लिये प्रशासनिक पदों पर शामिल होने के अवसर बहुत कम थे।
- **योग्यता-आधारित प्रणाली का परिचय (वर्ष 1854): वर्ष 1854 की मैकाले रिपोर्ट ने** संरक्षण प्रणाली (राजनीतिक या पारिवारिक संबंधों को वरीयता) को **योग्यता-आधारित प्रणाली (प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से) के साथ बदलने की सिफारिश की।**
- इसके जवाब में, वर्ष 1854 में लंदन में **सिविल सेवा आयोग की** स्थापना की गई और वर्ष 1855 में **भारतीय लोक सेवा (I.C.S.) परीक्षा शुरू हुई।**
  - यह प्रणाली शुरू में प्रतिबंधात्मक थी, क्योंकि परीक्षाएँ केवल लंदन में आयोजित की जाती थीं तथा भारतीयों के लिये सीटें सीमित थीं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **ICS में भारतीय भागीदारी: सत्येंद्रनाथ टैगोर (श्री रवींद्रनाथ टैगोर** के भाई) वर्ष 1864 में ICS परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय बने। अगले कुछ दशकों में, ICS परीक्षा पास करने वाले भारतीय उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि हुई।
  - **मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों (वर्ष 1919)** के बाद , भारत में ICS परीक्षा वर्ष 1922 में शुरू हुई, जो इलाहाबाद और बाद में दिल्ली में आयोजित की गई, इसके बाद लंदन में भी इसका आयोजन जारी रहा।
- **पुलिस और वन सेवाओं में सुधार:** ICS के अलावा, इंपीरियल पुलिस और वन सेवा जैसी सेवाएँ विकसित हुईं, जिनमें वर्ष 1920 के बाद भारतीयों को भी शामिल किया जाना शुरू हुआ।
  - भारतीय पुलिस में वर्ष 1939 के बाद अधिक भारतीयों की भर्ती की गई, जबकि भारतीय वन सेवा का गठन अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के अंतर्गत वर्ष 1966 में किया गया।
  - ब्रिटिश शासन के तहत, **लोक सेवाओं को शुरू में अनुबंधित और गैर-अनुबंधित के रूप में वर्गीकृत किया गया था।**
  - वर्ष 1887 के **एचिसन आयोग ने उन्हें इंपीरियल, प्रांतीय और अधीनस्थ सेवाओं** में पुनर्गठित किया। वर्ष 1919 के बाद, इंपीरियल सेवाओं को अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं में विभाजित कर दिया गया।
- **लोक सेवा आयोगों का गठन: भारत सरकार अधिनियम, 1919 ने** सार्वजनिक सेवाओं की भर्ती और नियंत्रण के प्रबंधन के लिये भारत में एक **लोक सेवा आयोग** की स्थापना का प्रावधान किया।
  - **ली आयोग (वर्ष 1924)** की सिफारिशों पर वर्ष 1926 में लोक **सेवा आयोग** गठित किया गया, जिसके पहले अध्यक्ष **सर रॉस बार्कर थे।**
  - इसके अलावा, **भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने** संघ के लिये एक **लोक सेवा आयोग और** प्रत्येक प्रांत या प्रांतों के समूह के लिये एक **प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की।**
    - अधिनियम के कार्यान्वयन के साथ, लोक सेवा आयोग संघीय लोक सेवा आयोग बन गया।
- **स्वतंत्रता के बाद के सुधार और समेकन: 26 जनवरी 1950 को** भारतीय संविधान को अपनाने के साथ ही संघीय लोक सेवा आयोग **संघ लोक सेवा आयोग बन गया।**
  - पूर्व आयोग के अध्यक्ष और सदस्य **संविधान के अनुच्छेद 378(1) के अंतर्गत नए निकाय में स्थानांतरित हो गए।**
- **संवैधानिक प्रावधान:** भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 312** के तहत संसद को अखिल भारतीय सेवाएँ स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है, जिनकी नियुक्ति **संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)** द्वारा की जाती है। राज्य स्तर पर नियुक्तियों की ज़िम्मेदारी **राज्य लोक सेवा आयोगों (SPSC)** की होती है।
  - UPSC और SPSC स्वतंत्र संवैधानिक निकाय हैं। भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 315 से 323 (भाग XIV)** इनकी संरचना, सदस्यों की नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया, तथा उनके अधिकारों और कार्यों को नियंत्रित करते हैं।
  - **अनुच्छेद 315:** संघ और राज्यों के लिये लोक सेवा आयोगों (PSC) की स्थापना।
    - दो या दो से अधिक राज्य आपसी सहमति से **संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग (JSPSC)** का गठन कर सकते हैं, बशर्ते कि प्रत्येक राज्य की विधानमंडल द्वारा इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया गया हो।
  - **अनुच्छेद 316:** संघ, संयुक्त राज्य और राज्य लोक सेवा आयोगों (UPSC, JSPSC और SPSC) के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल।
  - **अनुच्छेद 317:** UPSC, JSPSC और SPSC के सदस्यों को हटाने और निलंबन से संबंधित प्रावधान।
  - **अनुच्छेद 318:** आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों के लिये विनियम बनाने की शक्ति।
  - **अनुच्छेद 319:** सदस्य पद छोड़ने के पश्चात अन्य पद ग्रहण करने पर प्रतिबंध।

लोक सेवाओं के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं?

- **तटस्थता का क्षरण:** बढ़ती राजनीतिक हस्तक्षेप ने नौकरशाही की स्वतंत्रता और मेरिट आधारित प्रणाली को कमज़ोर किया है,

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

जिससे तबादलों और नियुक्तियों में **स्पॉइल्स सिस्टम (spoils system)** को बढ़ावा मिला है।

- **स्पॉइल्स सिस्टम**, जिसमें सत्तारूढ़ दल अपने वफादारों को प्रशासनिक पदों पर नियुक्त करता है, अमेरिका में एक सामान्य प्रथा थी, जब तक कि वर्ष 1883 के पेंडलटन अधिनियम द्वारा इसे सीमित नहीं किया गया। इस प्रणाली के कारण प्रशासन का राजनीतिकरण हुआ, जिससे शासन व्यवस्था और संस्थागत स्थिरता कमज़ोर हुई।
- **प्रकाश सिंह निर्णय में (2006)** के **सर्वोच्च न्यायालय** ने राज्यों को निर्देश दिया कि वे **पुलिस महानिदेशक (DGP)** की नियुक्ति **संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)** से परामर्श के बाद की जाए। हालाँकि, कई राज्य इस प्रक्रिया को दरकिनार कर देते हैं, जिससे सिविल सेवाओं में राजनीतिक हस्तक्षेप की प्रवृत्ति उजागर होती है।

- **तकनीकी विशेषज्ञता का आभाव:** कई नौकरशाह सामान्य प्रशासनिक पृष्ठभूमि से होते हैं, जिससे अवसंरचना, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में विशेषीकृत व तकनीकी चुनौतियों से निपटने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है।
  - यह स्थिति उन जटिल प्रशासनिक मुद्दों के समाधान में अक्षमता का कारण बन सकती है, जिनके लिये विषय-विशेष ज्ञान आवश्यक होता है।
  - वरिष्ठ नौकरशाही में निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता लाने के उद्देश्य से शुरू की गई **लेटरल एंट्री योजना (LES)** के तहत वर्ष **2019 से अब तक 63 नियुक्तियाँ** की गई हैं।
    - हालाँकि, यह योजना कानूनी और राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रही है, क्योंकि इसके लिये कोई वैधानिक ढाँचा मौजूद नहीं है और वंचित समुदायों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिलने की चिंताएँ भी उठाई जा रही हैं।
- **भ्रष्टाचार और उत्तरदायित्व के मुद्दे:** लोक सेवाओं में **भ्रष्टाचार** एक महामारी के रूप में विशेष रूप से प्रशासन के निचले स्तरों पर व्याप्त है।
  - **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PCA), 1988** में सांठगाँठ वाले भ्रष्टाचार की स्पष्ट परिभाषा का अभाव है, जो आपसी लाभ के लिये गुप्त सहयोग को संदर्भित करता है, जो अक्सर सार्वजनिक हित को नुकसान पहुँचाता है। यह कानूनी अंतर भ्रष्टाचार से निपटने के प्रयासों को प्रभावी रूप से कमज़ोर करता है।
  - **अनुच्छेद 311 लोक सेवकों को व्यापक सुरक्षा प्रदान करता है**, जिससे अक्सर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई में विलंब होता है।
  - भ्रष्टाचार से निपटने के प्रयासों के बावजूद, उत्तरदायित्व और दंडात्मक कार्रवाई के आभाव के कारण भ्रष्ट प्रथाएँ प्राय: जारी रहती हैं।
- **परिवर्तन का विरोध और नौकरशाही की कठोरता:** लोक सेवाएँ अक्सर अत्यधिक प्रक्रियात्मक और पदानुक्रमित तरीके से कार्य करती हैं, जो नवाचार और उत्तरदायित्व की क्षमता को सीमित कर देती हैं।
  - प्रक्रियाओं का पालन करने पर ज़ोर देने के बजाय परिणामों पर ध्यान केंद्रित न करने से सार्वजनिक सेवाओं की प्रभावी आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हुई है।
- **प्रौद्योगिकी का अक्षमता से उपयोग:** लोक सेवाओं को आधुनिक शासन की मांगों को पूरा करने के लिये पर्याप्त रूप से प्रौद्योगिकी द्वारा सशक्त नहीं किया गया है।
  - इस प्रकार की क्षमताओं की कमी नागरिक सहभागिता को बढ़ाने और सार्वजनिक सेवाओं को सरल बनाने की संभावनाओं को सीमित कर देती है।

भारत में लोक सेवाओं को सशक्त बनाने के लिये क्या से उपाय किये जा सकते हैं?

- **भर्ती प्रणाली और पार्श्व प्रवेश या लेटरल एंट्री में सुधार:** यद्यपि लोक सेवा आयोग (PSC) मेरिट-आधारित भर्ती सुनिश्चित करते हैं, फिर भी मध्य और वरिष्ठ स्तरों पर विषय-विशेषज्ञों को शामिल करने के लिये प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है।
  - **नीति आयोग (तीन वर्षीय कार्य एजेंडा)** ने नौकरशाही के बाहर से नए विचारों और विशेषज्ञता को लाने के लिये **पार्श्विक प्रेरण (Lateral induction)** को बढ़ाने की सिफारिश की है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- द्वितीय **प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC), 2005** ने लोक सेवा में पार्श्व प्रवेश/लैटरल एंट्री की सिफारिश की थी ताकि **विशेष ज्ञान और विशेषज्ञता** को शामिल किया जा सके, जो पारंपरिक सामान्यत: प्रशिक्षित अधिकारियों में नहीं हो सकती।
- **वैश्विक उदाहरण:** ब्रिटेन और सिंगापुर की लोक सेवाएँ नियमित रूप से अकादमिक तथा निजी क्षेत्र से पेशेवरों को शामिल करती हैं।

- **निष्पादन मूल्यांकन और जवाबदेही:** द्वितीय ARC द्वारा सुझाए अनुसार, **वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR)** को 360-डिग्री फीडबैक तंत्र के साथ एकीकृत करें ताकि वस्तुनिष्ठ प्रदर्शन समीक्षा सुनिश्चित हो सके।
  - प्रमोशन और पदस्थापना को मापने योग्य परिणामों से जोड़ें जो **सतत् विकास लक्ष्यों (SDG)** के अनुरूप हों।
  - स्पष्ट सेवा नियमों और एक सशक्त **सिविल सेवा बोर्ड (CSB) के माध्यम से लोक सेवकों को जवाबदेह बनाते हुए राजनीतिक हस्तक्षेप** से सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- **विशेषज्ञता और भूमिका की स्पष्टता को प्रोत्साहित करना:** भारतीय नौकरशाही आज भी मुख्य रूप से सामान्यवादी प्रकृति की बनी हुई है।
  - **सुरेंद्रनाथ समिति (2003) और बासवान समिति (2016)** दोनों ने स्वास्थ्य, बुनियादी अवसंरचना और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में क्षेत्रीय नेतृत्व के लिये अधिकारियों की पहचान करने तथा उन्हें प्रशिक्षित करने के माध्यम से डोमेन विशेषज्ञता को बढ़ावा देने की सिफारिश की थी।
- **क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण: मिशन कर्मयोगी** भारत की लोक सेवाओं को सशक्त बनाने के लिये एक रूपांतरणकारी मार्ग प्रदान करता है, जो नियम-आधारित शासन से भूमिका-आधारित शासन की ओर बदलाव लाता है।
  - इसके प्रभावी कार्यान्वयन में **iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म** के माध्यम से व्यक्तिगत और निरंतर सीखने को सुनिश्चित किया जाना चाहिये, जिसमें नैतिकता एवं डिजिटल तत्परता सहित व्यवहारिक, कार्यात्मक तथा डोमेन-विशिष्ट क्षमताओं पर विशेष ज़ोर हो, ताकि नागरिक-केंद्रित व भविष्य के लिये तैयार लोक सेवा का निर्माण किया जा सके।

- **नैतिकता और सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देना:** अधिकारियों का मार्गदर्शन करने के लिये केंद्रीय और राज्य स्तर पर **नैतिकता आयोग** की स्थापना करना।
  - **कर्मयोगी मिशन के तहत राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह** के माध्यम से सार्वजनिक सेवा मूल्यों पर नियमित मॉड्यूल शुरू करें, जिसमें सिविल सेवक प्रतिवर्ष **ईमानदारी, नैतिकता और संवैधानिक मूल्यों** को बनाए रखने की शपथ लें।
  - भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिये **लोकपाल, केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC)** जैसे संस्थानों को सशक्त बनाएँ।
  - द्वितीय **प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC), 2005** ने शीघ्र अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिये उचित सुरक्षा उपायों हेतु अनुच्छेद 309 को अपनाने की सिफारिश की।
  - **ब्रिटेन की नोलन समिति (1994)** ने सार्वजनिक अधिकारियों के नैतिक आचरण का मार्गदर्शन करने के लिये सात मुख्य सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार की, जिसमें निस्वार्थता, अखंडता, वस्तुनिष्ठता, जवाबदेही, पारदर्शिता, ईमानदारी और सार्वजनिक जीवन में नैतिकता को बनाए रखने के उद्देश्य से नेतृत्व शामिल है।
    - भारत को शासन में नैतिक मानकों को सशक्त बनाने के लिये ऐसे मूल्यों को संस्थागत रूप से अपनाना चाहिये।
- **कार्य संस्कृति और शिकायत निवारण में सुधार:** एक जनकेंद्रित और सेवा-उन्मुख कार्य संस्कृति को बढ़ावा देना।
  - **केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS)** जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिकायत निवारण को डिजिटाइज़ करें और फीडबैक लूप्स को सशक्त बनाएँ।
  - प्रदर्शन को पुरस्कृत करके तथा सही निर्णयों के लिये प्रतिशोधात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान करके नवाचार और जोखिम लेने को प्रोत्साहित करना।
- **समावेशी और विविध सिविल सेवाएँ:** यह सुनिश्चित करें कि महिलाओं और दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व केवल प्रवेश स्तर पर ही नहीं, बल्कि नेतृत्व भूमिकाओं में भी हो।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

सिविल सेवा के लिये आधारभूत मूल्य

सिविल सेवा के लिये आधारभूत मूल्य उन मौलिक सिद्धांतों और नैतिकताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सिविल सेवकों के आचरण तथा उत्तरदायित्वों का मार्गदर्शन करते हैं।



सत्यनिष्ठा

- सत्यनिष्ठा से तात्पर्य नैतिक सिद्धांतों की सुदृढ़ता, चरित्र की भ्रष्टता, ईमानदारी और निष्ठा से है।
- **प्रकार:**
  - नैतिक सत्यनिष्ठा
  - बौद्धिक सत्यनिष्ठा
  - पेशेवर सत्यनिष्ठा
- **उदाहरण:** सत्येंद्र दुबे (IES अधिकारी)- भारत के पहले मुखबिरों में से एक - ने स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग निर्माण परियोजना में भ्रष्टाचार को उजागर किया।

निष्पक्षता

- निष्पक्षता से तात्पर्य निष्पक्ष होने या किसी भी चीज़ या किसी के प्रति पक्षपातपूर्ण न होने और केवल मामले की योग्यता के अनुसार कार्य करने के गुण से है।
- **उदाहरण:** एक अधिकारी को अपने हितों के प्रति पक्षपात दिखाने के बजाय समुदायों की ज़रूरतों के आधार पर धन वितरित करना चाहिये।

गैर-पक्षपात

- किसी भी राजनीतिक दल के प्रति गैर-पक्षपात, यानी राजनीतिक तटस्थता प्रदर्शित करना।
- **उदाहरण:** वर्ष 1990-96 तक मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के रूप में टी.एन. शेषन ने चुनाव प्रक्रिया में गैर-पक्षपात सुनिश्चित करने के लिये बदलाव किये।

वस्तुनिष्ठता

- समानता प्राप्त करने के लिये व्यक्तिगत राय के बजाय तथ्यों का पालन करना।
- **उदाहरण:** सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को डिज़ाइन करते समय, धनी/राजनीतिक रूप से प्रभावशाली समूहों का पक्ष लेने के बजाय, वंचित आबादी की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।

सहिष्णुता

- अपने से भिन्न विचारों, प्रथाओं, जाति, धर्म आदि का सम्मान, स्वीकृति और सराहना।
- **उदाहरण:** अशोक का धम्म (धार्मिक सहिष्णुता और धार्मिक उत्पीड़न को हतोत्साहित करना)

सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण

- प्रतिबद्ध, उत्तरदायी होना और जनहित को सर्वोपरि रखना।
- **उदाहरण:** अशोक खेमका 1991 बैच के हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों के लिये जाने जाते हैं।

Drishti IAS

नोलन समिति का सार्वजनिक जीवन का सिद्धांत

- सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने वालों के नैतिक मानकों की रूपरेखा तैयार करना
- वर्ष 1995 में यू.के. में सार्वजनिक जीवन के मानकों पर समिति की रिपोर्ट सर्वप्रथम **लॉर्ड नोलन** द्वारा निर्धारित की गई
- भारत सहित विभिन्न देशों में लोक सेवकों और अधिकारियों पर लागू
- **सिद्धांत:**
  - निस्वार्थता
  - ईमानदारी
  - निष्पक्षता
  - जवाबदेहिता
  - खुलापन
  - ईमानदारी
  - नेतृत्व

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट :

निष्कर्ष

सिविल सेवाएँ भारतीय लोकतंत्र की स्टील फ्रेम बनी हुई हैं, लेकिन उन्हें समकालीन चुनौतियों के अनुकूल होना चाहिये। चूँकि भारत एक विकसित अर्थव्यवस्था और समावेशी समाज बनने की आकांक्षा रखता है, इसलिये लोक सेवकों को ईमानदारी के साथ नवाचार और तटस्थता के साथ जवाबदेही को जोड़ना चाहिये। 21वीं सदी की शासन प्रणाली की माँगों के साथ नौकरशाही को पुन: संगठित करने के लिये साहसिक सुधारों का समय आ गया है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न: भारतीय लोकतंत्र की स्टील फ्रेम होने के बावजूद सिविल सेवाएँ राजनीतिकरण और सामान्यवादी प्रभुत्व के मुद्दों का सामना करती हैं। इन मुद्दों को हल करने के लिये सुधार सुझाएँ।

भारत में स्कूली शिक्षा की स्थिति

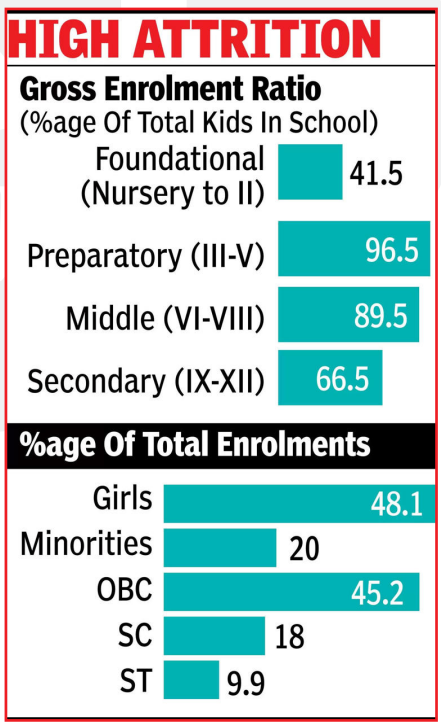
चर्चा में क्यों?

भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली संघर्ष कर रही है, क्योंकि ASER 2024 रिपोर्ट के अनुसार, **सरकारी स्कूलों में केवल 23.4% कक्षा 3 के छात्र ही कक्षा 2 स्तर का पाठ पढ़ने में सक्षम हैं।** सार्वजनिक शिक्षा पर व्यय GDP का मात्र 4.6% है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 द्वारा निर्धारित 6% लक्ष्य से कम है।

भारत में स्कूली शिक्षा की संरचना

- भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली NEP, 2020 के तहत चरणबद्ध तरीके से **10+2 प्रारूप से 5+3+3+4 संरचना में परिवर्तित हो रही है।**
- यह नया मॉडल **3-18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये है,** जिसमें प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा को एकीकृत किया गया है। इसमें शामिल हैं:
  - **आधारभूत चरण (5 वर्ष):** 3 वर्ष प्री-स्कूल + कक्षा 1-2
  - **प्रारंभिक चरण (3 वर्ष):** कक्षा 3-5
  - **मध्य चरण (3 वर्ष):** कक्षा 6-8
  - **माध्यमिक चरण (4 वर्ष):** कक्षा 9-12





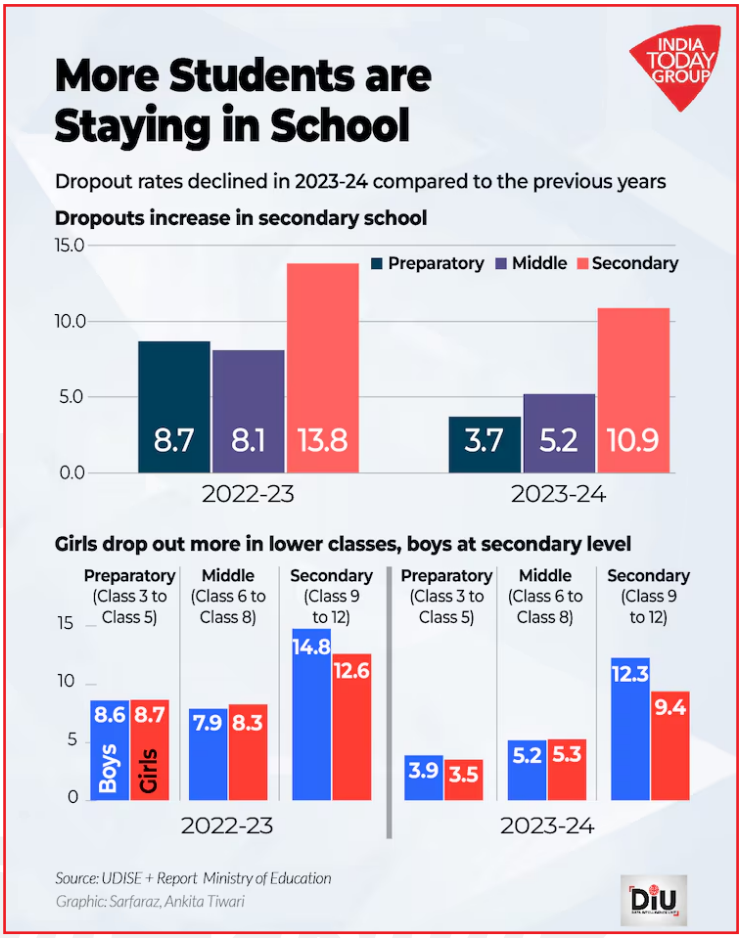
दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली के सामने क्या चुनौतियाँ हैं?

- **अधिगम में कमी और खराब परिणाम:** प्राथमिक स्तर पर **उच्च सकल नामांकन अनुपात के बावजूद आधारभूत शिक्षा में गंभीर कमी है।**
  - ASER 2024 के अनुसार, **कक्षा 3 के 76.6% छात्र 19 भाषाओं में उपलब्ध पाठ्य सामग्री को पढ़ने में असमर्थ रहे।**
  - **विश्व बैंक के लर्निंग पॉवर्टी इंडेक्स** (आधारभूत पाठ पढ़ने में असमर्थ 10 वर्ष के बच्चों का प्रतिशत) के अनुसार, भारत की **लर्निंग पॉवर्टी दर वर्ष 2019 में 55% से बढ़कर कोविड-19 के बाद 70% हो गई।**
- **शिक्षकों की कमी और अप्रभावी प्रशिक्षण:** भारत में शिक्षकों की भारी कमी है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में 1 मिलियन से अधिक रिक्तियाँ हैं, जिसके कारण **छात्र-शिक्षक अनुपात बहुत अधिक (47:1 तक)** है और **शिक्षण की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।**
  - **उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश** जैसे राज्यों में 1,00,000 से अधिक रिक्तियाँ हैं तथा शिक्षकों का एक उल्लेखनीय प्रतिशत अभी भी अयोग्य है।
- **हाई ड्रॉपआउट और लिंग असमानता: आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, प्राथमिक स्तर पर ड्रॉपआउट दर 1.9%, उच्च प्राथमिक स्तर पर 5.2% और माध्यमिक स्तर पर 14.1% है।**
  - UDISED Plus डेटा के अनुसार, **वर्ष 2022-23 और 2023-24 में लड़कों की ड्रॉपआउट दर** विशेष रूप से माध्यमिक स्तर पर **लड़कियों से अधिक है।**



- **बुनियादी ढाँचे का अंतराल: UDISE+ 2023-24** के आँआंकड़ों के अनुसार, केवल **43.5% सरकारी स्कूलों में शिक्षा के लिये कंप्यूटर** हैं, जबकि **निजी, गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में यह आँकड़ा 70.9%** है।
  - 90% से अधिक स्कूलों में बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध होने के बावजूद, बुनियादी ढाँचे में कमी बनी हुई है।
    - **1.52 लाख स्कूलों में बिजली की सुविधा नहीं है, 67,000 स्कूलों में कार्यात्मक शौचालय नहीं हैं,** और **केवल 33.2% सरकारी स्कूलों में विकलांगों के लिये उपयुक्त शौचालय** हैं, जिनमें से अधिकांश **कार्यात्मक नहीं** हैं।
- **क्षेत्रीय विषमताएँ: बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र** जैसे राज्यों में **उच्चतम ड्रॉपआउट दरें** हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट :

- **पश्चिम बंगाल** में, 79% स्कूल **बुनियादी और प्रारंभिक स्तर** पर हैं, लेकिन **केवल 11.6% स्कूल माध्यमिक शिक्षा** प्रदान करते हैं, जो ड्रॉपआउट का जोखिम बढ़ाते हैं।

- **पाठ्यक्रम और शैक्षिक चुनौतियाँ:** भारत की विद्यालय प्रणाली अभी भी परीक्षाओं और रटने की शिक्षा पर केंद्रित है, जिसमें रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच या जीवन कौशल के लिये बहुत कम स्थान है।
  - कई छात्र, विशेष रूप से पहली पीढ़ी के विद्यार्थी, स्थानीय भाषा के अनुकूलन की कमी के कारण संघर्ष करते हैं।
- **नियामक और शासकीय खामियाँ:** भारत की स्कूल नियामक व्यवस्था अधिकतर इनपुट्स पर ध्यान केंद्रित करती है, न कि शिक्षा परिणामों पर, और इसमें एक स्वतंत्र गुणवत्ता निगरानी निकाय की कमी है।
  - हालाँकि NEP 2020 **राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण (SSSA)** की प्रस्तावना करता है, जो परिणाम-आधारित नियमन के लिये है, इसकी धीमी कार्यान्वयन और पारदर्शी मानकों की अनुपस्थिति जवाबदेही और सुधार में बढ़ा उत्पन्न करती है।

राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण (SSSA) क्या है?

- **परिचय:** SSSA, जो NEP 2020 के तहत प्रस्तावित एक स्वतंत्र नियामक संस्था है, का उद्देश्य भारत भर के स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता की निगरानी और सुनिश्चित करना है।
- **कार्य:**
  - SSSA शैक्षिक और परिचालन मानकों को निर्धारित करने, तथा छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिये ज़िम्मेदार है।
  - **जवाबदेही को बढ़ावा देना, माता-पिता को पारदर्शी जानकारी प्रदान करना, और सभी शैक्षिक संस्थानों में समान गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये सरकारी और निजी स्कूलों का नियमन करना।**
- **प्रभावी कार्यान्वयन के लिये सिफारिशें:**
  - SSSA को एक स्वायत्त वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया जाना चाहिये, जिसमें विभिन्न हितधारकों का प्रतिनिधित्व हो, ताकि पारदर्शिता, जवाबदेही और संघर्ष-मुक्त शासन सुनिश्चित किया जा सके।
  - इसे **RTE अधिनियम, 2009** की पिछली नियामक कमियों से सीखते हुए, प्रभावी कार्यान्वयन के साथ व्यावहारिक, महत्वाकांक्षी मानक निर्धारित करना चाहिये।

भारत में स्कूली शिक्षा का संस्थागत ढाँचा क्या है?

नियामक निकाय	कार्य
केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (CABE)	यह केंद्रीय और राज्य सरकारों के लिये **सर्वोच्च सलाहकार निकाय** है। यह **शैक्षिक समस्याओं के समाधान** के लिये एक मंच के रूप में कार्य करता है।
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT)	NCERT, जिसकी स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी, **केंद्रीय और राज्य सरकारों को स्कूली शिक्षा में सुधार करने में सहायता प्रदान करता है, और यह प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिककरण के लिये नोडल एजेंसी है।**
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT)	**यह राज्य स्तर पर शैक्षिक अनुसंधान और शिक्षक प्रशिक्षण** के लिये ज़िम्मेदार है और **राज्यों के भीतर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करता है।**
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE)	CBSE एक **राष्ट्रीय स्तर का बोर्ड** है जो सार्वजनिक परीक्षाएँ आयोजित करता है और संबद्ध स्कूलों के लिये **एक मानकीकृत पाठ्यक्रम तैयार करता है।**

शिक्षा से संबंधित सरकारी पहल क्या हैं?

- राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संवर्धित शिक्षा कार्यक्रम
- सर्व शिक्षा अभियान
- प्रज्ञाता
- मध्याह्न भोजन योजना

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
- पीएम श्री स्कूल
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020
- स्टार्स कार्यक्रम

भारत में स्कूली शिक्षा में सुधार के लिये क्या उपाय किये जाने चाहिये?

- **सीखने के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना:** **राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS)** जैसे **आकलनों का उपयोग करके** और **प्रदर्शन-संबद्ध वित्तपोषण को लागू करके सीखने के परिणामों** पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।
  - प्रशिक्षित शिक्षकों और सामुदायिक भागीदारी द्वारा समर्थित, **कक्षा 3 तक सभी बच्चों के लिये बुनियादी साक्षरता और अंकगणित** सुनिश्चित करने हेतु **निपुण भारत मिशन का** विस्तार करना।
- **शिक्षक प्रशिक्षण और भर्ती में सुधार:** **व्यावहारिक शिक्षणशास्त्र** और सतत् **व्यावसायिक विकास** के साथ शिक्षक शिक्षा को सुदृढ़ करना।
- **शिक्षा तक समान पहुँच: सार्वजनिक शिक्षा में निवेश** करके शहरी-ग्रामीण विभाजन को कम करना, विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में, यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, चाहे उसकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो।
- **प्रौद्योगिकी एकीकरण:** विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में **डिजिटल पहुँच** प्रदान करने के लिये **दीक्षा (ज्ञान साझाकरण के लिये डिजिटल अवसंरचना)** और **NDEAR** जैसी पहलों का विस्तार करना।
  - शिक्षा की गुणवत्ता और पहुँच को बढ़ाने के लिये **मिश्रित शिक्षण मॉडल को** अपनाना और **AI-संचालित व्यक्तिगत शिक्षण** और **स्मार्ट कक्षाओं को एकीकृत करना।**
- **स्वतंत्र नियामक निरीक्षण स्थापित करना: स्पष्ट गुणवत्ता मानक** निर्धारित करने के लिये **NEP 2020** के तहत अनुशंसित राज्य **स्कूल मानक प्राधिकरण (SSSA) का संचालन करना,**
  - इनपुट-आधारित विनियमन से आगे बढ़कर, **तृतीय-पक्ष मूल्यांकन को सक्षम बनाना** तथा **सभी स्कूलों में जवाबदेही सुनिश्चित करना।**

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न: भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 इन मुद्दों को कैसे संबोधित कर सकती है?

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

सामाजिक न्याय

जीवन और स्वतंत्रता संबंधी मूल अधिकार के एक भाग के रूप में डिजिटल पहुँच

चर्चा में क्यों?

भारत के **सर्वोच्च न्यायालय (SC)** ने ***अमर जैन बनाम भारत संघ एवं अन्य, 2025*** मामले में निर्णय दिया कि **ई-गवर्नेंस और कल्याणकारी प्रणालियों तक समावेशी डिजिटल पहुँच, जीवन एवं स्वतंत्रता के मूल अधिकार** का एक अभिन्न अंग है। इसके साथ ही इसमें **दिव्यांगजनों (PwDs) के लिये अपने ग्राहक को जानो (KYC) प्रक्रिया** को और अधिक सुलभ बनाने के निर्देश दिये गए।

- यह निर्णय उन व्यक्तियों द्वारा दायर याचिकाओं की प्रतिक्रिया में आया है, जिनके समक्ष दिव्यांगता के कारण डिजिटल KYC प्रक्रिया को पूरा करने में चुनौतियाँ आती हैं।

दिव्यांगजनों हेतु डिजिटल पहुँच पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय:

- **डिजिटल KYC संशोधन:** सर्वोच्च न्यायालय ने **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत दिव्यांगजनों** (विशेष रूप से दृष्टि दोष और चेहरे की विकृति वाले व्यक्तियों, जैसे एसिड अटैक सर्वाइवर्स) को समायोजित करने के लिये डिजिटल KYC मानदंडों में संशोधन का निर्देश दिया।
- इसने **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)** और अन्य सार्वजनिक संस्थाओं को KYC प्रक्रियाओं में पहुँच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया और अनिवार्य किया कि सभी विनियमित संस्थाएँ (सार्वजनिक और निजी) पहुँच मानकों का पालन करें।
- इसने निर्देश दिया कि विभागों को अनुपालन के लिये नोडल अधिकारी नियुक्त करने होंगे, प्रमाणित पेशेवरों द्वारा **नियमित ऑडिट** कराना होगा तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म के डिज़ाइन चरण में **दृष्टिबाधित लोगों** को भी शामिल करना होगा।
- **डिजिटल डिवाइड:** न्यायालय ने मौजूदा डिजिटल डिवाइड पर भी प्रकाश डाला, जिससे न **केवल दिव्यांगजन बल्कि ग्रामीण समुदाय,** वरिष्ठ नागरिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग भी प्रभावित होते हैं।
  - न्यायालय ने यह माना कि **अनुच्छेद 21 (गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार), अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), अनुच्छेद 15 (भेदभाव से संरक्षण), और अनुच्छेद 38 (राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों)** के अंतर्गत, कमज़ोर वर्गों के लिये सार्वभौमिक डिजिटल पहुँच सुनिश्चित करना केवल एक नीतिगत विकल्प नहीं है, बल्कि एक संवैधानिक दायित्व है, जो सार्वजनिक जीवन में समान भागीदारी के लिये आवश्यक है।

डिजिटल सशक्तीकरण से संबंधित अन्य प्रमुख निर्णय क्या हैं?

- **मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978)** मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि **अनुच्छेद 21** के तहत किसी मौलिक अधिकार पर लगाई जाने वाली कोई भी प्रक्रिया **न्यायसंगत, उचित और तार्किक** होनी चाहिये— वह **मनमानी या दमनकारी** नहीं हो सकती। इस निर्णय ने **समावेशी डिजिटल अधिकारों** की न्यायशास्त्र के लिये आधार तैयार किया।
- **फहीमा शिरीन आर.के. बनाम केरल राज्य (2019)** के मामले में केरल उच्च न्यायालय भारत का पहला ऐसा न्यायालय बना, जिसने **अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार** और **अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के अधिकार** के हिस्से के रूप में **इंटरनेट तक पहुँच के अधिकार** को मान्यता प्रदान की।
  - न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि छात्रावासों में छात्रों को इंटरनेट की सुविधा से वंचित करना उनके **संविधानिक अधिकारों का उल्लंघन** है।
- **अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ (2020)** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि **अनुच्छेद 19(1)(क)** के तहत इंटरनेट के माध्यम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संरक्षित है, और **अनुच्छेद 19(1)(छ)** के अंतर्गत ऑनलाइन व्यापार और व्यवसाय करने का अधिकार सुरक्षित है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि इन अधिकारों पर लगाए जाने वाले किसी भी प्रतिबंध को **युक्तिसंगतता और अनुपातिकता** पर खरा उतरना आवश्यक है।

भारत में दिव्यांगजनों के डिजिटल सशक्तीकरण के समक्ष प्रमुख बाधाएँ क्या हैं?

- **डिजिटल साक्षरता में विभाजन और बहिष्कार:** डिजिटल साक्षरता में महत्त्वपूर्ण खामियों के कारण अनेक दिव्यांगजन आवश्यक सेवाओं और आर्थिक अवसरों तक पहुँच से वंचित रह जाते हैं।
  - **PMGDISHA (प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान)** जैसी योजनाओं के बावजूद, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों में दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व अनुपातहीन रूप से कम है।
- **सुगम्यता संबंधी दिशा-निर्देशों के प्रवर्तन में कमी:** हालाँकि **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act)** के तहत डिजिटल सुलभता को अनिवार्य किया गया है, लेकिन इसका क्रियान्वयन विभिन्न क्षेत्रों में असंगत और अपर्याप्त है।
- **वर्ष 2023** में इस दिशा में अनुपालन को मज़बूत करने के लिये संशोधन किये गए, फिर भी सरकारी और निजी क्षेत्रों में प्रवर्तन अभी भी विखंडित और असंगठित है।
- **सुगम्य भारत अभियान** जैसी पहलें शिक्षा सहित डिजिटल सेवाओं को सुगम्य बनाने का प्रयास करती हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इनका क्रियान्वयन उचित नही है।
- **सुलभ सहायक तकनीकों (Assistive Technologies - AT) की कमी:** दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं के अनुसार सहायक तकनीकों की मांग लगातार बढ़ रही है, लेकिन भारत में किफायती और ज़रूरत आधारित AT समाधानों की भारी कमी है।
  - एसिड अटैक सर्वाइवर्स को पलक झपकाने या चेहरा सँरेखित करने जैसे चेहरे की पहचान करने वाले कार्यों में संघर्ष करना पड़ता है, जबकि दृष्टिबाधित उपयोगकर्त्ताओं को सेल्फी और दस्तावेज़ सत्यापन जैसे कार्यों में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे डिजिटल KYC (KYC) बहिष्कृत और भेदभावपूर्ण हो जाता है।
  - यह कमी दिव्यांगजनों की डिजिटल प्लेटफार्मों तक प्रभावी पहुँच और लाभ उठाने की क्षमता को **सीमित करती है,** जिससे उनका डिजिटल बहिष्कार और गहरा होता है।

दिव्यांगजनों के सक्रिय डिजिटल सशक्तिकरण के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?

- **समावेशी डिजिटल अवसंरचना:** डिजिटल इंडिया के तहत, सरकार **वेब सामग्री सुगमता दिशानिर्देशों का पालन करते हुए स्क्रीन रीडर, वॉयस कमांड** और वास्तविक समय सांकेतिक भाषा अनुवाद और ऑडियो विवरण के लिये **AI-संचालित टूल** जैसी **सहायक प्रौद्योगिकियों** को बढ़ावा दे सकती है।
  - इंटरफेस को चेहरे के संकेतों पर निर्भर होने से बचना चाहिये, **वैकल्पिक ऑडियो** की पेशकश करनी चाहिये, या चेहरे की विकृति वाले उपयोगकर्त्ताओं के लिये **स्पर्श नेविगेशन** की सुविधा प्रदान करनी चाहिये।
  - इन सुविधाओं को मौजूदा डिजिटल पोर्टलों में एकीकृत करने से दिव्यांग लोगों को डिजिटल सेवाओं का लाभ उठाने में सशक्तता मिलेगी।
- **दिव्यांगजनों के बीच डिजिटल साक्षरता में सुधार: राष्ट्रीय बहुदिव्यांगजन सशक्तीकरण संस्थान (NIEPMD)** गूगल या माइक्रोसॉफ्ट जैसे संगठनों के साथ सहयोग कर सकता है, ताकि दिव्यांगजनों को सहायक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने तथा डिजिटल और सरकारी सेवाओं तक पहुँच बनाने के लिये प्रशिक्षित करने हेतु विशेष पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जा सकें।
  - **प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA)** जैसी मौजूदा योजनाओं को **दिव्यांगता-समावेशी डिजिटल साक्षरता** पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिये।
- **दिव्यांगता-संवेदनशील शहरी नियोजन:** सार्वजनिक अवसंरचना में सहायक प्रौद्योगिकी को एकीकृत करना, जैसे कि **स्मार्ट सिटी पहल,** जहाँ सार्वजनिक परिवहन, स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग और शहरी स्थानों को दिव्यांगजनों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया हो।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- सार्वजनिक स्थानों पर डिजिटल साइनेज़ स्थापित किया जाना चाहिये जो विभिन्न प्रारूपों में जानकारी प्रदान करें - जैसे **ऑडियो, ब्रेल और सांकेतिक भाषा वीडियो** - ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दिव्यांगजन आसानी से नेविगेट कर सकें।

- **दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिये समावेशी नवाचार प्रयोगशाला:** दिव्यांगजनों के लिये अत्याधुनिक डिजिटल सुलभता समाधान विकसित करने के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से एक **समावेशी नवाचार प्रयोगशाला** का निर्माण करना।
  - यह केंद्र स्टार्टअप्स, प्रौद्योगिकी कंपनियों और गैर सरकारी संगठनों को एक साथ लाएगा, ताकि पहुँच में सुधार के लिये नवीन, स्केलेबल और किफायती प्रौद्योगिकियों का निर्माण किया जा सके।

अपने ग्राहक को जानो (Know Your Customer)

- **KYC:** KYC प्रक्रिया एक **अनिवार्य पहचान सत्यापन प्रणाली** है जिसका उपयोग वित्तीय और गैर-वित्तीय संस्थाओं द्वारा ग्राहकों द्वारा **निवेश करने या खाता खोलने** से पहले किया जाता है।
  - इसमें विश्वसनीय दस्तावेज़ों अथवा डेटा का उपयोग करके ग्राहक की पहचान सत्यापित करना शामिल है, जैसे पहचान का प्रमाण, पता और हाल ही की तस्वीर। संयुक्त या अधिदेश धारकों के लिये भी इसी तरह के विवरण की आवश्यकता होती है।
- **डिजिटल KYC:** यह कागज़-आधारित परंपरागत विधियों के स्थान पर **ई-दस्तावेज़ों, बायोमेट्रिक डेटा अथवा आधार प्रमाणीकरण** जैसे **डिजिटल साधनों** का उपयोग कर ग्राहक की पहचान सत्यापित करने की एक प्रक्रिया है।
- **सेंट्रल KYC रिकॉर्ड रजिस्ट्री (CKYCRR):** CKYCRR एक **केंद्रीकृत संग्रह** है जिसमें **KYC रिकॉर्ड संग्रहीत** होते हैं, जिससे वित्तीय संस्थानों में इस डेटा का पुन: उपयोग संभव हो जाता है और बार-बार प्रस्तुतीकरण की आवश्यकता कम हो जाती है।
  - **धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002** के तहत अधिकृत संस्थाएँ अथवा उसके तहत कोई भी नियामक (RBI, **भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड**, और **भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण**) यह डेटा प्राप्त कर सकता है।
  - सितंबर 2024 तक, CKYCRR के पास **94 करोड़ से अधिक KYC रिकॉर्ड** का संग्रहण था, जो रिपोर्टिंग संस्थाओं और उनके ग्राहकों के लिये इसकी बढ़ती उपयोगिता और पहुँच में आसानी को दर्शाता है।
- **CERSAI: भारतीय प्रतिभूतिकरण, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति स्वत्व की केंद्रीय रजिस्ट्री (CERSAI),** कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत भारत सरकार की कंपनी है, जो नई दिल्ली से संचालित होती है और **धन शोधन निवारण नियम, 2005** के तहत KYC रजिस्ट्री को बनाए रखने के लिये उत्तरदायी है।

निष्कर्ष:

सर्वोच्च न्यायालय ने **दिव्यांगजनों के लिये डिजिटल पहुँच का अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार** के रूप में प्रतिज्ञान किया। हालाँकि, डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिये समावेशी बुनियादी ढाँचे और लक्षित डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता है। भारत को सभी के लिये समान डिजिटल भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये **संयुक्त राष्ट्र दिव्यांगजन अधिकार अभिसमय (CRPD), 2006** के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिये।

और पढ़ें: संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अधिकार https://www.drishtijudiciary.com/hin

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. ई-गवर्नेंस सेवाएँ प्राप्त करने में दिव्यांगजनों के समक्ष विद्यमान चुनौतियों का विश्लेषण कीजिये। इन चुनौतियों का समाधान करने हेतु आवश्यक विनियामक सुधारों का सुझाव दीजिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

सहकारिता में महिलाओं की भागीदारी

चर्चा में क्यों?

नीति आयोग की रिपोर्ट (वर्ष 2023) के अनुसार **भारत दुनिया के सबसे बड़े सहकारी आंदोलनों में से एक होने के बावजूद, जहाँ लगभग 8.5 लाख सहकारी समितियाँ हैं, वहाँ महिला-प्रधान सहकारी समितियों की हिस्सेदारी अभी भी** कुल का केवल 2.52% है। **यह जानकारी नीति आयोग की एक रिपोर्ट (2023) में सामने आई है**

- संयुक्त **राष्ट्र ने वर्ष 2025** को **अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष** घोषित किया है, जिसका विषय है **"सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है-Cooperatives Build a Better World" तथा** इसे वर्ष 2024 में भारत में वैश्विक स्तर पर लॉन्च किया जाएगा।

सहकारी समितियाँ क्या हैं?

- **परिचय:**
  - सहकारी समिति एक **स्वैच्छिक, सदस्य-स्वामित्व वाला संगठन है** , जो लाभ-संचालित उद्यमों से अलग, स्व-सहायता, पारस्परिक सहायता और सामुदायिक कल्याण के माध्यम से आम आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये बनाया गया है।
- **सहकारी आंदोलन का विकास:**
  - **स्वतंत्रता-पूर्व युग:**
- **चिट फंड और निधि** जैसी अनौपचारिक सहकारी समितियाँ अस्तित्व में थीं; **सहकारी ऋण समिति अधिनियम, 1904 के माध्यम से इन्हें औपचारिक रूप दिया गया** तथा **सहकारी समिति अधिनियम, 1912 द्वारा** विपणन और कारीगर समितियों को शामिल करके इनका विस्तार किया गया।
- **मैक्लेगन समिति (वर्ष 1914)** ने सहकारी वित्त के लिये संरचनात्मक ढाँचे को आकार देते हुए **त्रि-स्तरीय सहकारी बैंकिंग प्रणाली की** सिफारिश की।
- **स्वतंत्रता के बाद का युग:**
  - ग्रामीण ऋण और सहकारी विकास को बढ़ावा देने हेतु **पंचवर्षीय योजनाओं , राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) (वर्ष 1963)** और **नाबार्ड (वर्ष 1982)** की स्थापना के माध्यम से इसे मज़बूत किया गया।
- **कानूनी और संवैधानिक समर्थन:**
  - प्रमुख कानूनों में **बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम (MSCS) (वर्ष 1984 और वर्ष 2023), राष्ट्रीय सहकारिता नीति (वर्ष 2002)** और सहकारी समितियों को संवैधानिक मान्यता एवं संरक्षण प्रदान करने वाला **97 वाँ संविधान संशोधन (वर्ष 2011) शामिल हैं।**
  - **नव गतिविधि:**
  - **वर्ष 2021** में स्थापित **सहकारिता मंत्रालय**, आर्थिक प्रगति में प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने हेतु सरकार की प्रतिबद्धता पर ज़ोर देता है।
- **सहकारी समितियों के प्रकार:**
  - **उपभोक्ता सहकारी समितियाँ:** बिचौलियों (जैसे, केन्द्रीय भंडार) को हटाकर उचित मूल्य पर सामान उपलब्ध कराती हैं।
  - **उत्पादक सहकारी समितियाँ:** कच्चे माल और उपकरण जैसे इनपुट के साथ छोटे उत्पादकों को सहायता प्रदान करती है।
  - **विपणन सहकारी समितियाँ:** बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने के लिये उपज की सामूहिक बिक्री की सुविधा प्रदान करती है (उदाहरण के लिये, **अमूल**)।
  - **ऋण सहकारी समितियाँ:** ग्रामीण और शहरी सहकारी बैंकों सहित ऋण और बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करती हैं। (उदाहरण के लिये, **शहरी सहकारी बैंक (UCB)**)।
  - **कृषि सहकारी समितियाँ:** छोटे भूमिधारकों के लिये सामूहिक कृषि लाभ को बढ़ावा देती। (उदाहरण के लिये, **प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PSCS)**)।
  - **आवास सहकारी समितियाँ:** भूमि पूलिंग और साझा विकास (जैसे, कर्मचारी आवास समितियाँ) के माध्यम से किफायती आवास को सक्षम बनाना।
- **भारत में सहकारी समितियों की वर्तमान स्थिति:**
  - **भारत की स्थिति: वैश्विक सहकारी समितियों में** भारत का योगदान 27% है, तथा इसकी 20% जनसंख्या इसकी सदस्य है, जो वैश्विक औसत 12% से अधिक है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

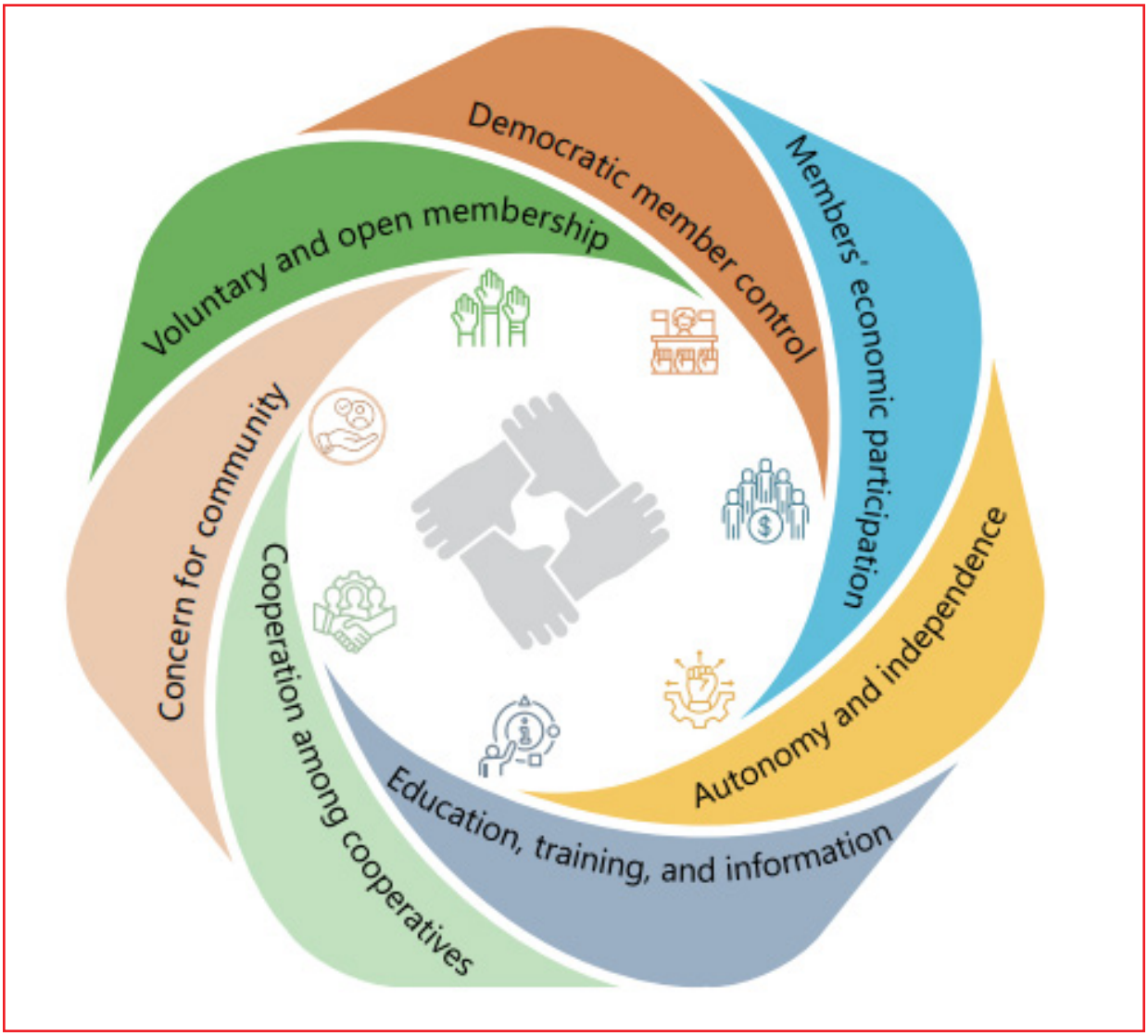
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **शीर्ष 3 क्षेत्र: आवास** (24%), **डेयरी** (17.7%) और **पैक्स** (13%), जो देश की सभी सहकारी समितियों **का 54% से अधिक हिस्सा हैं।**
- **अग्रणी राज्य: महाराष्ट्र (** देश की सहकारी समितियों में अकेले **25% से अधिक** का योगदान), गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और कर्नाटक।

सहकारिता के सिद्धांत:



और पढ़ें: भारत में सहकारिता और उनका विकास

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

महिला सशक्तीकरण में सहकारिताओं का महत्त्व क्या है?

- **सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा**
  - सहकारिता संस्थाएँ ग्रामीण महिलाओं को आय-अर्जन गतिविधियों में सहभागिता हेतु सुगम प्रवेश, सुलभ आजीविका विकल्प, न्यायसंगत मूल्य निर्धारण, कौशल विकास तथा समावेशी शासन प्रदान करके आर्थिक बहिष्करण का समाधान करती हैं तथा सामाजिक-आर्थिक सुदृढ़ता को बढ़ाती हैं।
  - **स्वरोज़गार महिला संघ (SEWA)** (3.2 मिलियन अनौपचारिक क्षेत्र की महिला श्रमिक), **अमूल** (3.6 मिलियन महिला डेयरी किसान) और **लिज्जत पापड़** (45,000+ गृह-आधारित उत्पादक) जैसी सफल मिसालें सहकारिता के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक उत्थान को दर्शाती हैं।
- **समावेशी नेतृत्व और ऐतिहासिक मान्यता:**
  - केरल और महाराष्ट्र में **कुरी** और **भीषी** जैसी अनौपचारिक सहकारिताओं में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद, महिलाओं का योगदान औपचारिक सहकारी कथाओं में अधिनीत रहता है।
  - सहकारिताएँ महिलाओं को श्रमिकों, उत्पादकों और निर्णय-निर्माताओं के रूप में मूल्य शृंखलाओं में समाहित करने में मदद कर सकती हैं, इस प्रकार सुनिश्चित करते हुए कि लाभ का समान वितरण हो और बाज़ारों तक पहुँच मिल सके।
- **सेवाओं तक पहुँच और वित्तीय समावेशन:**
  - महिला सहकारिताएँ ऋण, बैंकिंग, बीमा, आवास, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा तक पहुँच को बढ़ाती हैं, जो पिछड़े क्षेत्रों में सेवा वितरण की खामियों को पूरा करती हैं।
  - यह सहकारिताएँ वित्तीय साक्षरता और उद्यमिता क्षमता भी विकसित करती हैं, जिससे महिलाएँ बचत, निवेश और छोटे व्यवसायों का प्रभावी रूप से प्रबंधन कर सकती हैं।
- **सामाजिक पूँजी एवं सामुदायिक सुदृढ़ता:**
  - सहकारिताएँ विश्वास, परस्परता और साझा ज़िम्मेदारी को बढ़ावा देती हैं, जिससे महिलाएँ सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों के खिलाफ सुदृढ़ता विकसित कर पाती हैं, विशेषकर ग्रामीण या आपदा-प्रवण क्षेत्रों में, जहाँ संस्थागत समर्थन सीमित होता है।

महिला सहकारिताओं को सशक्त बनाने के लिये सरकार की प्रमुख पहल क्या हैं?

- **बहु-राज्य सहकारी समितियाँ अधिनियम, 2023 में संशोधन** के तहत बहु-राज्य सहकारी समितियों के निदेशक मंडल में **महिलाओं के लिये दो सीटों** का प्रावधान अनिवार्य किया गया है, जिससे लैंगिक समानता सुनिश्चित होती है और निर्णय-निर्माण में उनकी भागीदारी बढ़ती है।
- **प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) के लिये मॉडल उपविधियों** में निदेशक मंडल में महिला निदेशकों की नियुक्ति अनिवार्य की गई है, जिससे एक लाख से अधिक PACS में ज़मीनी स्तर पर सहकारी प्रबंधन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है।
- **राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) की पहलें**, जैसे **स्वयं शक्ति सहकार योजना** महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों (SHG) को बैंक ऋण की सुविधा के लिये **कार्यशील पूँजी ऋण** प्रदान करती हैं। वहीं, **नंदिनी सहकार** योजना के तहत महिला सहकारी समितियों को व्यावसायिक गतिविधियों के लिये अधिकतम 2% ब्याज छूट के साथ **दीर्घकालिक ऋण** उपलब्ध कराया जाता है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से **नाबार्ड**, **NDDB** और **राज्य सरकारों** के बीच सहयोग स्थापित किया गया है, जिसमें निम्नलिखित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है:
  - पंचायती स्तर पर **बहुउद्देश्यीय PACS**, **दुग्ध** और **मत्स्य सहकारी समितियों** की स्थापना।
  - गुजरात में **सहकार से समृद्धि पायलट परियोजना** के तहत, दुग्ध सहकारी समितियों में महिलाओं को सशक्त बनाते हुए उन्हें बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंट/बैंक मित्र के रूप में नामित किया गया है और उन्हें **Rupay किसान क्रेडिट कार्ड** (KCC) प्रदान किये जा रहे हैं।

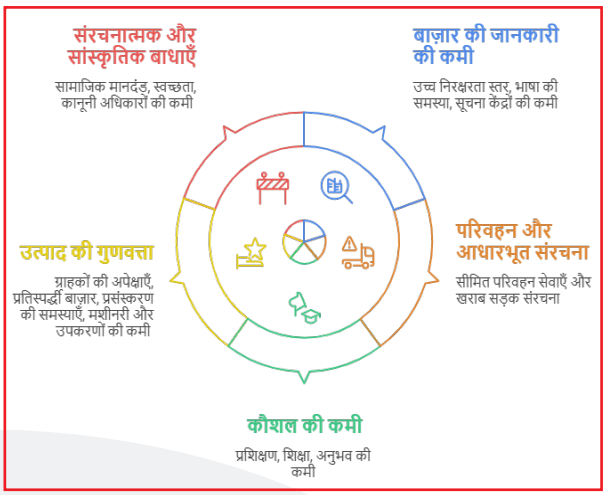
दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

भारत में महिला सहकारी समितियों के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं?

- **संरचनात्मक बाधाएँ:**
  - भारत में लगभग **50% महिला सहकारी समितियाँ निष्क्रिय हैं**, जिसका मुख्य कारण अपर्याप्त संस्थागत समर्थन, कमज़ोर वित्तीय संपर्क, प्रशिक्षण की कमी तथा सीमित बाज़ार पहुँच है। इनमें से अधिकांश समितियाँ छोटी हैं, अपर्याप्त वित्त पोषण से जूझ रही हैं और स्थिरता, दृश्यता तथा बाज़ार-योग्य गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में कठिनाइयों का सामना कर रही हैं।
- **समय की कमी और अवैतनिक श्रम:**
  - समय उपयोग सर्वेक्षण (2024) के अनुसार, **महिलाएँ अपने दिन का 16.4% अवैतनिक घरेलू कार्यों में व्यतीत करती हैं**, जबकि **पुरुष केवल 1.7% समय** ही इस कार्य में लगाते हैं। यह असमान बोझ महिलाओं की भुगतान आधारित या सहकारी कार्यों में भागीदारी की क्षमता को सीमित करता है।
- **कौशल की कमी और अपर्याप्त प्रतिनिधित्व:**
  - ग्रामीण सहकारी संस्थाओं में महिलाएँ निम्न साक्षरता, सीमित शिक्षा, और व्यापार, प्रौद्योगिकी, एवं विपणन में कौशल की कमी के कारण प्रमुख चुनौतियों का सामना करती हैं। इससे उनकी भागीदारी, नेतृत्व, और उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
    - **निम्न बाजार पहुँच** और हाशिये पर स्थित क्षेत्रों में होने के कारण सहकारी संस्थाओं की स्थिरता और अधिक कमज़ोर हो जाती है।
  - मिश्रित सहकारी समितियों में, **महिलाओं के पास केवल 26% सदस्यता पद हैं तथा नेतृत्व की भूमिकाएँ तो और भी कम हैं,** जिससे निर्णय लेने और रणनीतिक योजना बनाने में उनका प्रभाव सीमित हो जाता है।
- **सांस्कृतिक एवं सामाजिक मानदंड:**
  - गहराई से जमी पितृसत्ता और लिंग आधारित अपेक्षाएँ प्राय: महिलाओं की स्वायत्तता को सीमित कर देती हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। **सीमित गतिशीलता, सामाजिक निगरानी और आत्मविश्वास की कमी** उनके निरंतर सहभागिता में बाधा उत्पन्न करती है।



भारत में महिला सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- **संस्थागत और वित्तीय सहायता:**
  - **पेशेवर मार्गदर्शन, कौशल निर्माण और बाज़ार संपर्क** के माध्यम से निष्क्रिय सहकारी समितियों को पुनर्जीवित करना। **समर्पित वित्तपोषण,** कम ब्याज दर पर ऋण और उपकरणों तक पहुँच सुनिश्चित करना।
  - बेहतर स्थायित्व और बाज़ार पहुँच के लिये मूल्य श्रृंखलाओं, **ई-कॉमर्स** और GeM जैसे प्लेटफार्मों से जुड़े **क्लस्टर-आधारित मॉडल** को बढ़ावा देना।
- **क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण:**
  - महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिये नेतृत्व कोटा और मार्गदर्शन के साथ शासन, वित्त, **डिजिटल साक्षरता** और विपणन में नियमित प्रशिक्षण प्रदान करना।
- **अवैतनिक कार्य को मान्यता देना और समय की कमी को दूर करना:**
  - महिलाओं के अवैतनिक कार्य को कम करने के लिये सामुदायिक बाल देखभाल, साझा घरेलू भूमिकाएँ और समय बचाने वाले बुनियादी अवसरंचना को बढ़ावा देना।
  - **देखभाल सेवाओं** और बुनियादी अवसरंचना का समर्थन करने से महिलाओं को अवैतनिक घरेलू कार्यों में लगने वाले

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

समय को कम करने में सहायता मिल सकती है, जिससे **वे सहकारी समितियों जैसी आर्थिक गतिविधियों में अधिक संलग्न हो सकेंगी।**

- **नीति एकीकरण और तकनीकी नवाचार:**
  - महिला सहकारी समितियों हेतु समर्थन को सुचारू बनाने के लिये **सहकारिता, महिला एवं बाल विकास, MSME और कृषि** मंत्रालय के बीच नीतिगत अभिसरण महत्त्वपूर्ण है।
  - पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिये **PACS और कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (ARDB)** का कंप्यूटरीकरण करते हुए **विपणन, प्रशिक्षण एवं वित्तीय समावेशन** के लिये डिजिटल प्लेटफार्मों को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

सहकारिता भारत में महिलाओं के लिये सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को बदल सकती है। उचित संसाधनों, प्रशिक्षण और नेतृत्व के साथ सशक्त महिला-सहकारी समितियाँ आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन ला सकती हैं। वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष नीतियों को नया रूप देने और इसमें सबसे आगे रहने वाली महिलाओं को सशक्त बनाने का एक उचित अवसर प्रदान करता है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न: भारत में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने में महिला सहकारी समितियों की भूमिका का परीक्षण कीजिये। उनके सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिये और उनकी प्रभावशीलता में सुधार के उपाय सुझाएँ।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

भारतीय अर्थव्यवस्था

सेवा क्षेत्र के उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण

चर्चा में क्यों?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने **सेवा क्षेत्र उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण** पर एक पायलट अध्ययन के निष्कर्ष जारी किये, जिसका उद्देश्य भारत के **निगमित सेवा क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण डेटा अंतराल** को कम करना है, जो कि **असंगठित क्षेत्र उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण** जैसे मौजूदा सर्वेक्षणों द्वारा **कवर नहीं** किया गया है।

- इसमें उन सेवा क्षेत्र के उद्यमों को शामिल किया गया है जो **कंपनी अधिनियम और सीमित देयता भागीदारी अधिनियम** के तहत पंजीकृत हैं।
- इसमें पाया गया कि **82.4% उद्यम निजी लिमिटेड कंपनियाँ** थीं, इसके बाद **सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियाँ (8%)** और **LLP (8%)** थीं।

भारत के लिये सेवा क्षेत्र के उद्यमों का क्या महत्त्व है?

- **सकल घरेलू उत्पाद में योगदान: वित्त वर्ष 2024-25** में, सेवा क्षेत्र ने भारत के सकल मूल्य वर्द्धन (GVA) में लगभग **55%** का योगदान दिया, जो वित्त वर्ष 14 में 50.6% था।
  - **वित्त वर्ष 24** में इसने **7.6%** की मज़बूत वृद्धि कायम रखी, जो **वैश्विक चुनौतियों के बीच इसके लचीलेपन** को दर्शाता है।
- **रोज़गार सृजन:** यह क्षेत्र **भारत के लगभग 30% कार्यबल को रोज़गार** प्रदान करता है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पर्यटन और खुदरा जैसे उद्योग शामिल हैं।
- **वैश्विक व्यापार:** अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान भारत का सेवा निर्यात **280.94 बिलियन अमेरिकी डॉलर** रहा।
  - **दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं** में, भारत वैश्विक निर्यात का **10.2%** हिस्सा रखता है, जो इस श्रेणी में दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है।
- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI):** अप्रैल 2000 से दिसंबर 2024 तक, सेवा क्षेत्र ने **116.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर का FDI** आकर्षित किया, जो इस अवधि के दौरान **भारत के कुल FDI प्रवाह** का लगभग **16%** है।
- **अन्य क्षेत्रों के साथ एकीकरण:** उद्योगों में **'सर्विसीफिकेशन'** (यानी डिज़ाइन, लॉजिस्टिक्स, और आफ्टर-सेल्स सपोर्ट जैसी सेवाओं का निर्माण प्रक्रियाओं में समावेश) ने उत्पादकता बढ़ाने और औद्योगिक क्षेत्र में मूल्य संवर्द्धन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- **शहरीकरण और डिजिटल इंडिया के लिये महत्त्वपूर्ण: फिनटेक (FinTech) और डिजिटल भुगतान** का विस्तार **डिजिटल इंडिया** की सफलता के लिये अत्यंत आवश्यक है।
  - **स्मार्ट सिटी मिशन** भी इस क्षेत्र पर शहरी गतिशीलता, कचरा प्रबंधन और **ई-गवर्नेंस** जैसी सेवाओं की आपूर्ति के लिये निर्भर है।

भारत में सेवा क्षेत्र के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं?

- **कौशल अंतराल और कार्यबल तत्परता:** आर्थिक **सर्वेक्षण 2023-24 से** संकेत मिलता है कि भारत के **केवल 51.25% युवा ही रोज़गार योग्य माने जाते हैं,** जिनके पास **उद्योग की** तेजी से विकसित हो रही मांगों को पूरा करने के लिये आवश्यक **कौशल हैं।**
  - **विश्व आर्थिक मंच के अनुसार, भारत के कार्यबल का केवल 5%,** जो विश्व में सबसे युवा और सबसे बड़ा है, **औपचारिक रूप से कुशल माना जाता है।**
- **अनौपचारिक रोज़गार प्रभुत्व:** 2017-18 में सेवा क्षेत्र की लगभग **78%** नौकरियाँ **अनौपचारिक थीं।**
  - **गिग वर्कर्स** (स्विगी, ओला, उबर) के पास **स्वास्थ्य बीमा, सेवानिवृत्ति निधि या सवेतन अवकाश** जैसी सामाजिक सुरक्षा का **अभाव होता है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा और संरक्षणवाद:** सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के समक्ष **वीज़ा प्रतिबंध** (जैसे, अमेरिका द्वारा H-1B की अस्वीकृति), **प्रतिस्पर्द्धी केंद्रों के उदय** {जैसे, फिलीपींस (BPO), वियतनाम (IT)} और **लागत लाभ में कमी** (जैसे, भारतीय IT क्षेत्र के वेतन में औसतन वार्षिक 8-10% की वृद्धि) जैसी चुनौतियाँ विद्यमान हैं।
- **बुनियादी ढाँचे का अभाव:** बड़ी इकाइयों ने अभी भी **AI और ML का पूर्ण रूप से अंगीकार नहीं किया** है, जो **कनेक्टिविटी और ग्राहक सहभागिता** बढ़ाने की दृष्टि से आवश्यक हैं।
  - **ग्रामीण क्षेत्रों** में महिलाओं, SC-ST और अन्य उपांतिकीकृत समूहों द्वारा संचालित अधिकांश **MSME इकाइयों** के पास **बुनियादी डिजिटल टूल का अभाव** है।
- **महामारी के बाद की सुभेद्यताएँ:** भारत में विदेशी पर्यटकों का आगमन अभी भी महामारी से प्रभावित है, जहाँ वर्ष 2024 की पहली छमाही में **विदेशी पर्यटकों का आगमन वर्ष 2019 की पहली छमाही का लगभग 90%** था।

सेवा क्षेत्र की चुनौतियों का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है?

- **कौशल उन्नयन:** AI, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा में **श्रमिकों** को प्रमाणित करने के लिये **स्किल इंडिया डिजिटल** का विस्तार करने और **PMKVY 4.0** के तहत **व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों** की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है।
  - **रोज़गार क्षमता बढ़ाने** तथा **शैक्षिक ज्ञान** और **उद्योग आवश्यकताओं** के बीच अंतराल को **कम करने** के लिये **प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (PMIS)** का और अधिक सुदृढ़ता से कार्यान्वन करने की आवश्यकता है।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता का सुदृढ़ीकरण:** वीज़ा प्रतिबंधों को कम करने के लिये **यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया** के साथ **मुक्त व्यापार समझौतों (FTA)** पर वार्ता की जानी चाहिये।
  - **सूचना प्रौद्योगिकी, अनुसंधान एवं विकास तथा वित्त** जैसे विभिन्न कार्यों को समर्थन देने के लिये भारत के विशाल **प्रतिभा पूल** का लाभ उठाने हेतु **वैश्विक क्षमता केंद्रों (GCC)** को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
- **डिजिटल अवसंरचना और साइबर सुरक्षा:** सुदृढ़ ढाँचे में निवेश करके, सुरक्षित **क्लाउड अपनाने को बढ़ावा देकर**, विशेष रूप से वित्तीय संस्थानों में, और सुरक्षित और प्रभावी तकनीक उपयोग के लिये **डिजिटल साक्षरता** को बढ़ाकर साइबर सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण करना चाहिये।
- **टियर-2 और टियर-3 शहरों में विकास को बढ़ावा देना:** **नीति आयोग** द्वारा बुनियादी ढाँचे और **डिजिटल कनेक्टिविटी** को बढ़ावा देकर **टियर-2 और टियर-3 शहरों** में सेवा क्षेत्र के विकास को विकेंद्रित करने की पहल निर्णायक है।

निष्कर्ष

सेवा **क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था** के लिये महत्त्वपूर्ण है जिसका **सकल घरेलू उत्पाद, रोज़गार** और **वैश्विक व्यापार** में प्रमुख योगदान है। **हालाँकि, कौशल अंतराल, अनौपचारिक रोज़गार** और **वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा** जैसी चुनौतियाँ विकास में बाधाक हैं। **अपस्किलिंग, बुनियादी ढाँचे के विकास** एवं **छोटे शहरों में विकास को बढ़ावा देने** के माध्यम से इन मुद्दों को हल करने से इस क्षेत्र में **अनुकूलन** और **वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा** को बढ़ावा मिल सकता है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न: आर्थिक क्षेत्र में निर्णायक होने के बावजूद, भारत के सेवा क्षेत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ कौन सी हैं तथा इसे और अधिक समावेशी एवं लचीला किस प्रकार बनाया जा सकता है?

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025

चर्चा में क्यों?

वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद (GWEC) की **ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025** में चेतावनी दी गई है कि अनुमानित पवन क्षमता द्वारा वर्ष 2030 के लक्ष्यों में से केवल 77% की ही पूर्ति हो पाएगी, जिससे तापमान को **2°C** (अधिमानत: 1.5°C) से नीचे तक सीमित रखने के **नेट-जीरो** एवं **पेरिस समझौते** संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने में बाधा आएगी।

ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?

- **पवन ऊर्जा क्षमता: वर्ष 2024** में **वैश्विक स्तर पर 117 गीगावाट** की **नवीन पवन ऊर्जा क्षमता** शामिल हुई जो **वर्ष 2023 के 116.6 गीगावाट** से थोड़ी अधिक है। इसके साथ ही कुल वैश्विक क्षमता **1,136 गीगावाट** हो गई।
- **क्षेत्रीय प्रदर्शन: वर्ष 2024** में **चीन** वैश्विक पवन ऊर्जा बाज़ार में अग्रणी रहा जिसका नवीन **ऊर्जा क्षमता में 70% का योगदान** रहा। इसके बाद **संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, भारत और जर्मनी** इसके अन्य शीर्ष बाज़ार हैं।
  - **उज़्बेकिस्तान, मिस्र और सऊदी अरब** ने इस संदर्भ में काफी सफलता प्राप्त की है क्योंकि वर्ष 2024 में **अफ्रीका और मध्य पूर्व** में तटीय पवन ऊर्जा क्षमता पिछले वर्षों की तुलना में दोगुनी हो गई है।
  - **वर्ष 2024 में वैश्विक स्तर** पर केवल **8 गीगावाट** की **अपतटीय पवन** ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई, जो **वर्ष 2023 से 26% की गिरावट** का प्रतीक है।
- **चुनौतियाँ:**
  - **नीतिगत एवं विनियामक मुद्दे:** प्रमुख बाज़ारों में अस्थिरता, **परियोजना अनुमति में देरी।**
  - **बुनियादी ढाँचे का अभाव: ग्रिड उन्नयन में कम निवेश।**
  - **वित्तीय और बाज़ार दबाव:** मुद्रास्फीति और **उच्च ब्याज दरें,** व्यापार संरक्षणवाद और अप्रभावी नवीकरणीय ऊर्जा नीलामी प्रणाली
- **विस्तार की आवश्यकता: दुबई** में आयोजित **COP28** में, देशों ने **वर्ष 2030** तक **नवीकरणीय क्षमता को तीन गुना करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की**, जिसमें **पवन ऊर्जा संयंत्रों में प्रतिवर्ष 320 गीगावाट की क्षमता** स्थापित करना शामिल है।
  - **इस विस्तार की आवश्यकता के बिना, तापमान वृद्धि को 1.5°C** तक सीमित रखने के प्रयास विफल हो सकते हैं, जिसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं।

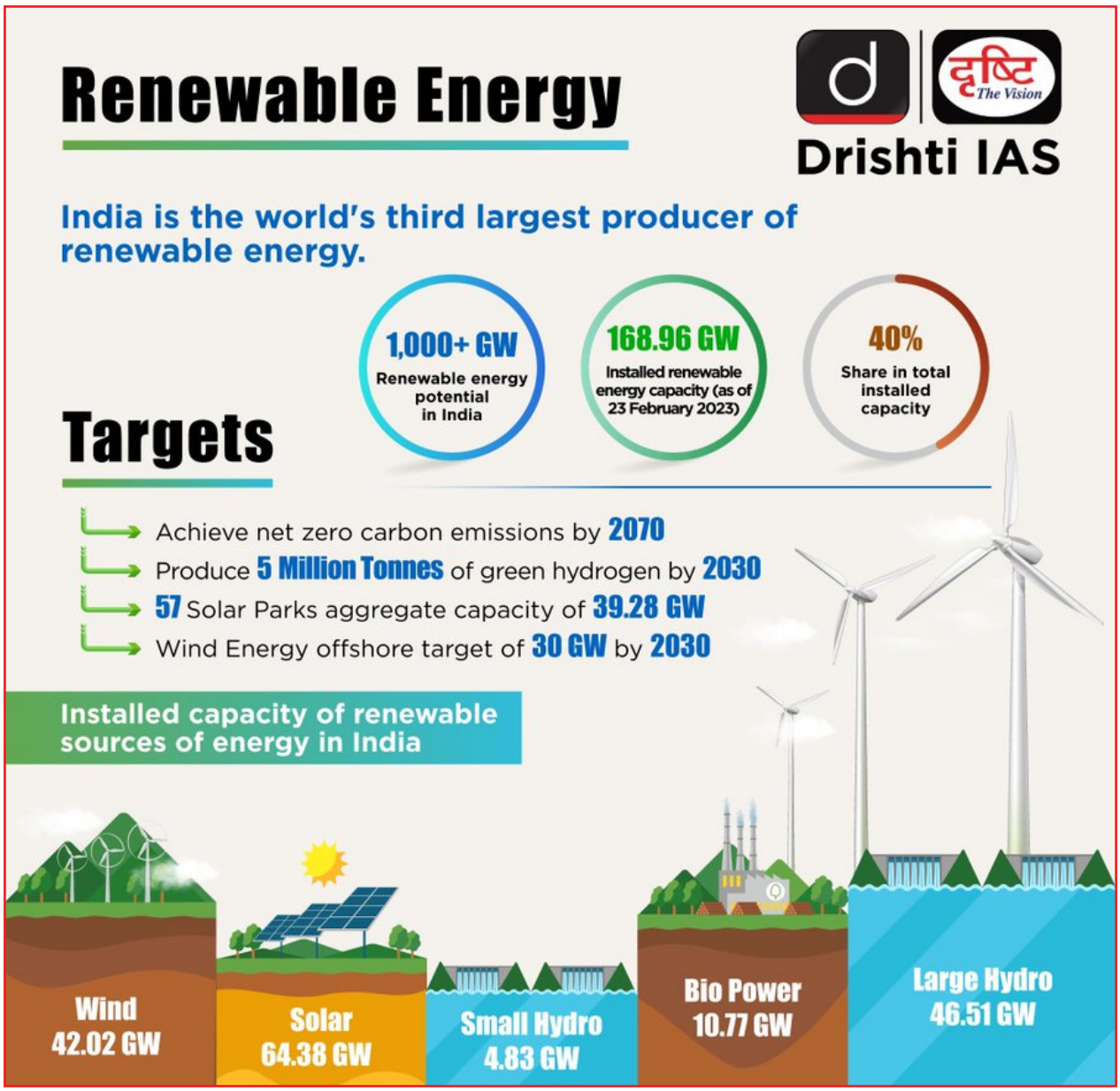
भारत में पवन ऊर्जा की स्थिति क्या है?

- **कुल पवन ऊर्जा क्षमता:** 31 मार्च 2025 तक, भारत ने **50.04 गीगावाट की संचयी** संस्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है।
  - **वित्त वर्ष 2024-25** में, भारत ने पवन ऊर्जा क्षमता में **4.15 गीगावाट की वृद्धि** की, जो **वित्त वर्ष 2023-24** में **3.25 गीगावाट** थी।
- **वैश्विक स्थिति:** कुल संस्थापित पवन ऊर्जा क्षमता की दृष्टि से भारत **विश्व स्तर पर चौथे स्थान** पर है, जिससे ऊपर **केवल चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी** हैं।
- **राज्यवार वितरण:** वर्ष 2025 तक, भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य **गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु** हैं।
- **घरेलू विनिर्माण क्षमता:** भारत में **पवन टरबाइन विनिर्माण** उद्योग की स्थिति सुदृढ़ है जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता लगभग **18,000 मेगावाट** है।
- **अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता: राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान** के अनुसार **गुजरात** की **36 गीगावाट** तथा **तमिलनाडु** की लगभग **35 गीगावाट** अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:



भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन संबंधी क्या चुनौतियाँ हैं?

- **भूमि अधिग्रहण की जटिलताएँ:** प्रत्येक पवन टरबाइन हेतु **150 मीटर व्यास** से अधिक बड़े रोटरों के लिये **7-8 एकड़** भूमि की आवश्यकता होती है, तथा **कृषि भूमि से गैर-कृषि भूमि** में भूमि उपयोग के क्रमिक रूपांतरण के कारण बृहद स्तर की परियोजनाओं में विलंब होता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **गैर-आधुनिकीकृत ग्रिड:** राजस्थान, गुजरात और तटीय तमिलनाडु में उच्च क्षमता वाले पवन ऊर्जा स्थलों में **ट्रांसमिशन बुनियादी ढाँचे का अभाव** है, जिससे **मांग केंद्रों से दूरी होने के कारण** ऊर्जा लागत बढ़ जाती है।
- **नीतिगत असंगतताएँ: त्वरित मूल्यह्रास** और **उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन** जैसे प्रोत्साहनों का समापन किये जाने से अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है।
  - **टैरिफ, विद्युत् खरीद समझौतों** और अनुमोदन के संबंध में राज्यों की नीतियों में **भिन्नता होने से विकास एकसमान नहीं होता।**
  - पवन ऊर्जा परियोजनाओं **(टरबाइन, अवस्थापना** और **ग्रिड कनेक्शन)** की प्रारंभिक लागत काफी अधिक होती है और छोटे डेवलपर्स को प्राय: वित्तपोषण प्राप्त करने में कठिनाई होती है।
- **आपूर्ति शृंखला चुनौतियाँ:** यद्यपि भारत में **टावरों के लिये 5,200 मेगावाट तथा गियरबॉक्सों के लिये 8,000 मेगावाट की घरेलू विनिर्माण क्षमता है,** फिर भी ब्लेड की उपलब्धता चिंता का विषय बनी हुई है, जिसके कारण बड़ी मात्रा में आयात करना पड़ता है।
  - विशेष रूप से **चीन** से आयातित घटकों पर निर्भरता, **आपूर्ति शृंखला स्थिरता** और साइबर सुरक्षा के बारे में चिंता पैदा करती है।
- **ई-अपशिष्ट समस्या: नियंत्रण प्रणाली, इनवर्टर** और **बैटरी** जैसे पुराने घटकों का निपटान **सीसा, कैडमियम** और **पारा** जैसी **हानिकारक सामग्रियों** के कारण चुनौतीपूर्ण है।
  - **मिश्रित सामग्रियों** से बने **पवन टरबाइन ब्लेड पुनर्चक्रण** को और जटिल बनाते हैं तथा **ई-अपशिष्ट की समस्या** में योगदान देते हैं।

भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन को कैसे मज़बूत किया जाए?

- **नीतिगत ढाँचे को मज़बूत करना: भूमि अधिग्रहण** को सरल बनाकर मंजूरी में तेज़ी लाना, **एक समान राष्ट्रीय पवन नीति** लागू करना, तथा **उच्च क्षमता वाले टरबाइनों** के साथ पुराने पवन फार्मों को **पुन: सशक्त** बनाना।
- **भूमि बैंक हेतु प्रावधान: भूमि बैंक पूर्व-सुरक्षित, संघर्ष-मुक्त भूमि** को सुरक्षित करता है, विलंब को कम करता है, **स्पष्ट स्वामित्व** सुनिश्चित करता है, और **लागत को कम करते हुए और निवेशकों के विश्वास को बढ़ाते** हुए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को गति प्रदान करता है।
- **अपतटीय पवन ऊर्जा की क्षमता को बढ़ावा देना: अपतटीय पवन प्रौद्योगिकी** में अग्रणी **डेनमार्क** और **यूनाइटेड किंगडम** जैसे देशों के साथ सहयोग करके अपतटीय टरबाइन स्थापना में तेज़ी लाना।
  - एक परियोजना जो **पवन और ज्वारीय ऊर्जा दोनों को जोड़ती है,** नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को अनुकूलित कर सकती है और विश्वसनीयता बढ़ा सकती है।
- **हाइब्रिड पवन-सौर परियोजनाएँ: हाइब्रिड सेटअप** में पवन और सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के संयोजन से **भूमि का बेहतर उपयोग** और **अधिक स्थिर विद्युत् उत्पादन** संभव हो पाता है।
- **वित्तीय एवं बाज़ार नवाचार:** पवन ऊर्जा से उत्सर्जन में कमी लाने के लिये **ग्रीन बॉण्ड** के माध्यम से वित्तपोषण को बढ़ावा देना तथा **कार्बन क्रेडिट तंत्र** का लाभ उठाना।
- **घरेलू निर्माण: पवन ऊर्जा उपकरणों** के निर्माण को बढ़ावा देने के लिये ब्लेड, टावर और गियरबॉक्स जैसी प्रमुख घटकों के स्थानीय निर्माण हेतु एक **उत्पादन-से-जुड़ी प्रोत्साहन (PLI)** योजना शुरू की जाए। साथ ही, **अपतटीय पवन ऊर्जा एवं ऑपरेशंस और मेंटेनेंस (O&M)** से जुड़ी भूमिकाओं के लिये कार्यबल को प्रशिक्षित करने हेतु कौशल विकास कार्यक्रमों में निवेश किया जाए।
- **उभरती तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करना:** गहरे समुद्र में पवन ऊर्जा की संभावनाओं का दोहन करने के लिये **फ्लोटिंग विंड टरबाइनों** की संभावनाओं का अन्वेषण किया जाए और हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिये अतिरिक्त पवन ऊर्जा का उपयोग कर **हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस** को प्रोत्साहित किया जाए।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

निष्कर्ष:

भारत का पवन ऊर्जा क्षेत्र उल्लेखनीय प्रगति दिखा रहा है, लेकिन इसे **भूमि अधिग्रहण, बुनियादी ढाँचे की कमी, नीति में असंगति, और ई-कचरे** जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। **नेट-ज़ीरो लक्ष्यों** को प्राप्त करने के लिये भारत को आवश्यक है कि वह **अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता को तेजी से बढ़ाए, घरेलू निर्माण को सुदृढ़ करे, हाइब्रिड परियोजनाओं को बढ़ावा दे तथा फ्लोटिंग टरबाइनों तथा ग्रीन हाइड्रोजन एकीकरण** जैसी नवाचारात्मक तकनीकों में निवेश करे।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न: भारत के पवन ऊर्जा क्षेत्र के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा कीजिये और देश के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये उन पर नियंत्रण पाने के उपाय सुझाएँ।

भारत में MSME पर नीति आयोग की रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर एक व्यापक रिपोर्ट जारी की, जिसमें MSME के विकास में बाधा डालने वाली **प्रमुख चुनौतियों की पहचान की गई** तथा उनकी प्रतिस्पर्द्धात्मकता और आर्थिक प्रभाव को बढ़ाने हेतु **रणनीतिक सुधारों का प्रस्ताव दिया गया।**

MSME क्या हैं?

- **परिचय:**
  - **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) ऐसे व्यवसाय हैं जिन्हें संयंत्र एवं मशीनरी** या **उपकरण में उनके निवेश** और **वार्षिक कारोबार** के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है।
  - **वे उद्यमशीलता को बढ़ावा देने, रोज़गार सृजन करने** और **ग्रामीण तथा अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में औद्योगीकरण को समर्थन देकर** भारत की आर्थिक संरचना में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- **MSME का वर्गीकरण:**

प्रकार	निवेश		टर्नओवर (वार्षिक कारोबार)	
	वर्तमान	संशोधित	वर्तमान	संशोधित
सूक्ष्म उद्यम	₹1 करोड़	₹2.5 करोड़	₹5 करोड़	₹10 करोड़
लघु उद्यम	₹10 करोड़	₹25 करोड़	₹50 करोड़	₹100 करोड़
मध्यम उद्यम	₹50 करोड़	₹125 करोड़	₹250 करोड़	₹500 करोड़

भारत की आर्थिक संवृद्धि को गति देने में MSME की क्या भूमिका है?

- **GDP और रोज़गार में योगदान:** MSME भारत के **सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में** लगभग 29.2% , **विनिर्माण उत्पादन में 36.2% का योगदान करते हैं** और **120 मिलियन से अधिक लोगों को रोज़गार प्रदान करते हैं।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- उदाहरण के लिये **कपड़ा उद्योग,** जो मुख्य रूप से MSME द्वारा संचालित है, **कताई, बुनाई और परिधान निर्माण जैसी गतिविधियों में लाखों लोगों को रोज़गार देता है।**

- **निर्यात संवर्द्धन:** MSME भारत के कुल **निर्यात में लगभग 45% (वित्त वर्ष 2021-22) का योगदान देते हैं,** जिससे वैश्विक व्यापार क्षेत्र में भारत की स्थिति मज़बूत होती है।
  - भारतीय **हस्तशिल्प क्षेत्र**, जिसमें अधिकांशत: **लघु उद्यम शामिल हैं, निर्यात राजस्व** में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है **तथा वैश्विक हस्तनिर्मित कालीन निर्यात में इसका** योगदान लगभग 40% है।
- **ग्रामीण औद्योगिकीकरण:** MSME **ग्रामीण औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देते हैं** और **समावेशी विकास को बढ़ावा देते हैं, जो डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के PURA (ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएँ प्रदान करना) दृष्टिकोण** के अनुरूप है।
  - उदाहरण के लिये **खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) , जिसमें मुख्य रूप से लघु-स्तरीय इकाइयाँ शामिल हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार** उपलब्ध कराने और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है **तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास** में योगदान देता है।
- **नवाचार और उद्यमिता:** MSME **नवाचार** और **उद्यमिता को बढ़ावा देता है** , जिससे छोटे व्यवसाय अक्सर बदलते बाज़ार की गतिशीलता के अनुकूल ढल जाते हैं।
  - भारत का संपन्न **स्टार्टअप इकोसिस्टम (विश्व में तीसरा सबसे बड़ा) मुख्य रूप से MSME द्वारा संचालित है, जिसने ई-कॉमर्स , फिनटेक** और अन्य उभरते उद्योगों जैसे क्षेत्रों में अभिनव समाधान पेश किये हैं।
- **महिला सशक्तीकरण को समर्थन:** MSME **समावेशी उद्यमशीलता** को बढ़ावा देकर **महिलाओं और वंचित समुदायों को सशक्त बनाने हेतु उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं** ।
  - उद्यम पंजीकरण पोर्टल के अनुसार, **20% से अधिक MSME महिलाओं के स्वामित्व में हैं** , जो उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र में **महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पर प्रकाश डालता है।**

अधिक जानकारी के लिये यहाँ क्लिक कीजिये: भारतीय अर्थव्यवस्था में MSME क्षेत्र का महत्त्व

भारत में MSME के सामने प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

MSME पर नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार:

- **अनौपचारिकीकरण: भारत में 90%** से अधिक MSME अनौपचारिक बने हुए हैं।
  - **उद्यम पोर्टल (95 लाख पंजीकरण बनाम 6.34 करोड़ कुल MSME)** जैसे प्रयासों के बावजूद, उच्च अनुपालन लागत और विनियामक बोझ के कारण कई लोग औपचारिकीकरण से वंचित रह जाते हैं, जिससे ऋण, योजनाओं तथा वैश्विक मूल्य शृंखलाओं तक उनकी पहुँच सीमित हो जाती है।
- **औपचारिक ऋण तक पहुँच का अभाव:** MSME के लिये ऋण पहुँच में सुधार के बावजूद, **सूक्ष्म/लघु उद्यमों के लिये 14% से 20% और मध्यम उद्यमों के लिये 4% से 9% तक (वर्ष 2020-2024)** एक महत्त्वपूर्ण ऋण अंतर बना हुआ है।
  - वित्त वर्ष 2020-21 में **औपचारिक चैनलों द्वारा केवल 19% ऋण मांग को पूरा किया गया,** साथ ही अन्य चुनौतियों जैसे कि **संपार्श्विक की कमी, उच्च NPA, कमज़ोर क्रेडिट जाँच और खराब वित्तीय साक्षरता** ने

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

कई MSME को उच्च ब्याज दरों (30-60%) पर अनौपचारिक ऋण पर निर्भर रहने के लिये मज़बूर किया।

- **कौशल अंतराल: वर्ष 2014-2022** तक, लघु उद्यमों में कुशल श्रम में 19.94%, मध्यम उद्यमों में 20% और बड़े उद्यमों में 12.72% की वृद्धि हुई (विश्व बैंक)।
  - हालाँकि, **ज्ञान-गहन नियुक्ति में 3.9% की गिरावट** के साथ एक महत्त्वपूर्ण कौशल असंतुलन मौजूद है।
- **उत्पाद विविधीकरण चुनौतियाँ:** भारत में MSME को **सीमित बाज़ार जागरूकता, तकनीकी ज्ञान और मशीनरी एवं विपणन की उच्च लागत** के कारण उत्पाद विविधीकरण में बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
  - **विविधीकृत फर्मों के लिये ग्राहक आधार में 18% की वृद्धि के बावजूद, उच्च विकास लागत, खराब विपणन और वित्त तक सीमित पहुँच** जैसी चुनौतियाँ ब्रांड की स्थापना तथा अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में प्रवेश में बाधा डालती हैं।
- **अनुपालन बोझ:** भारत में **MSME** के लिये कर और अन्य अनुपालन एक महत्त्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है।
  - हालाँकि GST ने दक्षता में सुधार किया है, लेकिन इसने **MSME के लिये अनुपालन लागत और परिचालन चुनौतियाँ भी बढ़ा दी हैं।**
- **अपर्याप्त बुनियादी अवसंरचना और पुरानी तकनीक: वर्ष** 2023 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत के 40वें स्थान पर होने के बावजूद, **MSME को उन्नत प्रौद्योगिकी तक सीमित पहुँच,** उच्च लागत और अविश्वसनीय बुनियादी अवसंरचना का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनकी मापनीयता तथा वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में एकीकरण बाधित हो रहा है।
  - **केवल 6% MSME ई-कॉमर्स का उपयोग करते हैं** और केवल 45% ने AI को अपनाया है, जो इस क्षेत्र में डिजिटलीकरण की धीमी गति को दर्शाता है।
- **"मिसिंग मिडिल" समस्या: इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) और स्टार्टअप इंडिया** जैसी पहलों के बावजूद भारत में MSME को सीमित जागरूकता एवं समझ के कारण सरकारी योजनाओं तक पहुँचने तथा उनका पूर्ण लाभ उठाने में कठिनाई होती है।
  - **यह मध्यम आकार के उद्यमों के कम प्रतिनिधित्व को दर्शाता है, जिसमें 97.92% MSME को सूक्ष्म के रूप में वर्गीकृत किया गया है, 1.89% को लघु के रूप में और केवल 0.01% को मध्यम के रूप में वर्गीकृत किया गया है।**
    - यह अंतर **सख्त विनियमन, उच्च अनुपालन लागत, सीमित वित्तीय पहुँच और कम उत्पादकता** के कारण है।

MSME पर नीति आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं?

- **MSME तक ऋण पहुँच में सुधार:** MSME में ऋण अंतर को कम करने के लिये निगरानी बढ़ाकर और जोखिम प्रीमियम को कम करके **सूक्ष्म एवं लघु उद्यम योजना हेतु संशोधित क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE)** में सुधार करना आवश्यक है।
  - NBFC, विशेष रूप से दूरदराज़ के क्षेत्रों में, उनकी क्षमता और प्रशासन में सुधार के लिये **SIDBI के वित्तपोषण से उनका विस्तार किया जाना चाहिये।**
  - राज्य स्तर पर, **पूंजी और ब्याज सब्सिडी के लिये पात्रता बाधाओं को कम करने से MSME को उनके विकास के विभिन्न चरणों में सहायता मिलेगी।**
- **कौशल एवं कार्यबल सरेखण:** विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में MSME जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये **STEM शिक्षा** में निवेश करना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **प्रशिक्षण कार्यक्रमों को उद्योग की मांग के अनुरूप बनाना** तथा कौशल अंतराल को दूर करने के लिये **व्यावसायिक शिक्षा में सुधार करना, वित्तीय साक्षरता और परिचालन कौशल** पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।
- **राज्यों को प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिये पाठ्यक्रम को नियमित रूप से अद्यतन करते हुए प्रशिक्षण हेतु आंशिक सब्सिडी प्रदान करनी चाहिये।**

- **प्रौद्योगिकी और AI को अपनाना:** डिजिटल जोखिम प्रबंधन और अनुकूलित बीमा उत्पादों के साथ MSME आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ाना चाहिये।
  - **सब्सिडी, अनुदान और जागरूकता अभियान** के माध्यम से **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)** को अपनाने को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
  - **वस्त्र और रसायन** में **तकनीकी उन्नयन** करने, और **MSME-विशिष्ट संवहनीय बुनियादी ढाँचे का विकास** करने की आवश्यकता है। उन्नयन हेतु **उद्योग 4.0 प्रौद्योगिकियों** में निवेश किया जाना चाहिये।
- **नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को उन्नत करना:** विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, निजी संस्थाओं और सरकारी निकायों के बीच **ज्ञान प्रणाली का विस्तार करके** MSME के लिये **अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी उन्नयन** को बढ़ावा देने के क्रम में **सहयोग संस्थानों (IFC)** को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है।
  - **सामान्य सुविधा केंद्रों (CFC)** को **IFC मानकों के अनुरूप** उन्नत करने से **MSME क्षेत्र में उत्पादकता, नवाचार और प्रतिस्पर्द्धात्मकता** को बढ़ावा मिलेगा।
- **बाज़ार पहुँच और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को बढ़ावा देना:** MSME को हरियाणा, बिहार, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की तरह **निर्यात प्रोत्साहन और डिजिटल प्लेटफॉर्म समर्थन** मिलना चाहिये, जिसमें **गुणवत्ता प्रमाणन और बाज़ार अनुसंधान** शामिल हैं।
  - डिज़ाइन स्कूलों के साथ सहयोग और नई प्रौद्योगिकियों में निवेश से वस्त्र जैसे क्षेत्रों में प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ेगी।
  - राज्यों को **आपूर्ति श्रृंखला संबंधी बुनियादी ढाँचे और स्थानीय प्रशिक्षण में निवेश करना चाहिये।** इसके अतिरिक्त, **व्यापार मेलों और निर्यात कार्यक्रमों** के माध्यम से **खाद्य प्रसंस्करण MSME को बढ़ावा** देने से बाज़ार तक पहुँच में सुधार होगा।
- **नीति अनुवीक्षण और सहभागिता में सुधार:** राज्य स्तर पर **MSME संबंधी नीति जागरूकता** और **पहुँच में** विस्तार करना चाहिये। **नियमित सर्वेक्षणों से नीति प्रदर्शन का आकलन किया जाना** चाहिये और सुधार को बढ़ावा देना चाहिये।
  - **MSME हितधारकों के साथ प्रभावी रूप से सहभागिता करने की आवश्यकता है,** जिसमें **स्वामी-संचालित उद्यम (OAE)** (जहाँ स्वामी दिन-प्रतिदिन के कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होता है) और **महिला-स्वामित्व वाले उद्यम** शामिल हैं।
  - अनौपचारिकता को कम करने और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिये **अनौपचारिक क्षेत्र के MSME को डेटासेट में शामिल किया जाना चाहिये।**

भारत में MSME क्षेत्र से संबंधित अधिक जानकारी पढ़ने के लिये यहाँ क्लिक कीजिये: भारत में MSME क्षेत्र से जुड़े प्रमुख मुद्दे, भारत में MSME की प्रभावशीलता बढ़ाने के उपाय

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

भारत का MSME क्षेत्र

(MSME- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम)

विनिर्माण उद्यम और सेवाएँ प्रदान करने वाले उद्यम			
वर्गीकरण	सूक्ष्म	लघु	मध्यम
संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश	≤ ₹1 करोड़	≤ ₹10 करोड़	≤ ₹50 करोड़
वार्षिक कारोबार	≤₹5 करोड़	≤ ₹50 करोड़	≤ ₹250 करोड़

MSME का विनियमन

- **नोडल मंत्रालय:** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
- **अधिनियम:** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006

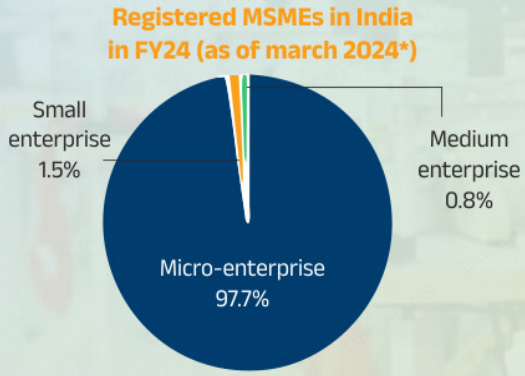
प्रमुख MSME राज्य- महाराष्ट्र (17.74%), तमिलनाडु (10.20%), उत्तर प्रदेश (9.34%), गुजरात (7.43%) और राजस्थान (7.38%)

भारतीय अर्थव्यवस्था में MSME की भागीदारी

- भारत का कुल निर्यात: 45%
- भारत का सकल घरेलू उत्पाद: 30%
- कुल विनिर्माण उत्पादन: 38.4%
- लगभग 11 करोड़ लोगों को रोज़गार प्रदान करता है

चुनौतियाँ

- केवल 16% SME को समय पर वित्त मिल पाता है
- भारत में 86% विनिर्माण MSME अपंजीकृत हैं
- पुरानी तकनीक, न्यून उत्पादकता स्तर, आवश्यक कौशल और ब्रांडिंग विशेषज्ञता की कमी
- बड़े उद्यमों या सरकारी अभिकरणों से भुगतान में विलंब



सरकारी पहल और समर्थन

प्रशासनिक सहायता

- चैंपियंस 2.0 पोर्टल
- क्लस्टर परियोजनाओं और प्रौद्योगिकी केंद्रों की जियो-टैगिंग हेतु मोबाइल ऐप
- उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म
- ASPIRE योजना
- जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट (ZED)

वित्तीय सहायता

- MSME निष्पादन को बढ़ाने और तेज़ करने (RAMP) की योजना
- व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (TReDS)
- प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)
- सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिये ऋण गारंटी ट्रस्ट फंड (CGTMSE)
- ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण-पत्र (ISEC)

अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस 27 जून

Drishti IAS

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट :

MSME से संबंधित सरकार की प्रमुख पहलें कौन-सी हैं?

- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
- MSME के लिये पारस्परिक ऋण गारंटी योजना
- उद्यम पंजीकरण
- चैंपियंस पोर्टल
- MSME समाधान
- सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) MSME के लिये सार्वजनिक खरीद में भाग लेने हेतु एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिससे उनकी बाज़ार पहुँच में विस्तार होता है।

निष्कर्ष:

भारत की आर्थिक संवृद्धि की दृष्टि से MSME महत्त्वपूर्ण हैं, लेकिन **अपर्याप्त डेटा** के कारण इस क्षेत्र के समक्ष चुनौतियाँ विद्यमान हैं। PLFS जैसे मौजूदा डेटा स्रोतों का लाभ उठाने और **उद्यम (UDYAM) जैसे प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाने से बेहतर नीतियाँ** बनाने, MSME की प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने और वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में **उनके एकीकरण का समर्थन करने में मदद मिलेगी, जिससे सतत् आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।**

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देना देश के भविष्य के लिये महत्त्वपूर्ण है। समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये।

भारत में श्रम बल का रूपांतरण

चर्चा में क्यों?

1 मई को विश्व भर में कार्य की गरिमा एवं श्रमिकों के अधिकारों का सम्मान करने के लिये *अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस* मनाया जाता है। भारत में इस दिन को श्रमिकों के योगदान के स्मरण के रूप में मनाया जाता है साथ ही **बंधुआ और शोषणकारी श्रम** को खत्म करने के लिये श्रम कानूनों के सख्त क्रियान्वयन की आवश्यकता पर भी बल दिया जाता है।

भारत के श्रम बल की वर्तमान स्थिति क्या है?

- **आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS)** के अनुसार, वर्ष 2024 में भारत की समग्र श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) **59.6% पर अपेक्षाकृत स्थिर** रही। यह आँकड़ा **वर्ष 2023 के 59.8%** से मामूली कमी को दर्शाता है।
- श्रमिक **जनसंख्या अनुपात (WPR)** में भी मामूली गिरावट देखी गई, जो **58.0% से घटकर 57.7%** हो गई।
  - **अखिल भारतीय स्तर पर** बेरोज़गारी दर में मामूली वृद्धि हुई और यह 3.1% से बढ़कर 3.2% हो गई।

भारत की श्रम बल प्रणाली से संबंधित वर्तमान मुद्दे क्या हैं?

- **अनौपचारिकता: राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन** के अनुसार, भारत के 47 करोड़ कार्यबल में से लगभग 39 करोड़ **असंगठित क्षेत्र** से संबंधित है जिनके पास रोज़गार की सुरक्षा, अनुबंध और सामाजिक संरक्षण का अभाव है।
  - इसके अतिरिक्त, संगठित क्षेत्र में 9.8% श्रमिक अनौपचारिक हैं जिससे व्यापक आउटसोर्सिंग और श्रमिक भेद्यता पर प्रकाश पड़ता है।
  - **सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का औपचारिकरण** 56% तक पहुँच गया है और श्रम बाज़ार **औपचारिकता 15% पर है (सिटी रिसर्च 2024)।**
    - कोविड के बाद **54 मिलियन नए रोज़गार** सृजित हुए हैं जिनमें से अधिकांश स्वरोज़गार थे, न कि औपचारिक वेतन रोज़गार।
- **निम्न-गुणवत्ता वाले रोज़गार और कौशल अंतराल: अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024** से इस बात पर प्रकाश पड़ता है कि **अनौपचारिक क्षेत्र में निम्न-गुणवत्ता वाले रोज़गार** का प्रभुत्व है तथा प्रवासियों एवं अनौपचारिक श्रमिकों को अक्सर बंधुआ मजदूरी जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है।
  - **आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24** से पता चलता है कि भारत के केवल 51.25% स्नातक ही रोज़गार योग्य माने जाते हैं, जिससे कौशल अंतराल पर प्रकाश पड़ता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **श्रम कानूनों का समय पर कार्यान्वयन न होना:** भारत में श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन में देरी हो रही है क्योंकि ट्रेड यूनियनों ने अधिकारों में कमी तथा श्रमिकों की सुरक्षा में कमी पर आपत्ति जताई है। इसके अतिरिक्त, आवश्यक नियमों का मसौदा तैयार करने तथा उन्हें लागू करने के लिये राज्यों की तत्परता भी एक प्रमुख कारक रही है।
  - इसके अतिरिक्त, **गिग श्रमिकों** (2020-21 तक 7.7 मिलियन गिग श्रमिक) को **न्यूनतम वेतन कानूनों,** व्यावसायिक सुरक्षा विनियमों तथा औद्योगिक संबंध संहिता 2020 से बाहर रखा गया है जिससे वे स्वास्थ्य जोखिमों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं तथा इसके साथ ही विवाद समाधान तंत्र का अभाव बना हुआ है।
- **श्रम बल में लैंगिक असमानताएँ: महिला श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) वर्ष 2023** के **41.3%** से घटकर वर्ष 2024 में 40.3% हो गई, जबकि पुरुषों की भागीदारी दर 78.3% से बढ़कर 79.2% हो गई।
  - शहरी महिलाओं में बेरोजगारी दर **8.2%** है तथा 25 वर्ष से अधिक आयु की केवल 3% कार्यरत महिलाओं के **पास उचित डिग्री** है जिससे **शिक्षित महिलाओं के कौशल तथा रोज़गार असंतुलन** पर प्रकाश पड़ता है।
- **निम्न श्रम उत्पादकता:** भारत सबसे लंबे समय तक कार्य करने के मामले में विश्व स्तर पर **13वें स्थान** पर है, जहाँ **लोग प्रति सप्ताह औसतन 46.7 घंटे** कार्य करते हैं तथा 51% से अधिक कर्मचारी 49 घंटे या उससे अधिक कार्य करते हैं।
  - इसके बावजूद, भारत की श्रम उत्पादकता अपेक्षाकृत कम है (**प्रति कार्य घंटे GDP 8 अमेरिकी डॉलर है**) जिससे यह **विश्व स्तर पर 133वें स्थान** पर है।
  - उच्च दबाव वाले कार्य वातावरण (विशेषकर कॉर्पोरेट क्षेत्रों में) से **कर्मचारियों के बीच मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं** को बढ़ावा मिल रहा है।
  - श्रम उत्पादकता (आर्थिक विकास और प्रतिस्पर्द्धा का एक प्रमुख संकेतक) जीवन स्तर में सुधार के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- **वर्ष 2030 तक जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक स्तर पर प्रतिवर्ष कुल कार्य घंटों में 2%** से अधिक की कमी आने की आशंका है, जिससे उत्पादकता की समस्या और भी गंभीर हो जाएगी।

भारत अपने श्रम बल की उत्पादकता और समावेशिता किस प्रकार बढ़ा सकता है?

- **औपचारिकीकरण को बढ़ावा देना: भारत को श्रम संहिता, 2020 को प्रभावी ढंग से लागू करके तथा EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन)** एवं ESIC (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) के तहत कवरेज का विस्तार करके अनौपचारिक से औपचारिक रोज़गार में श्रमिकों के परिवर्तन को प्राथमिकता देनी चाहिये।
  - **इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, MSME उद्यम एवं रोजगार संवर्द्ध प्रोत्साहन (ELI)** जैसी योजनाओं को मज़बूत करने तथा उन्हें टियर 2 एवं टियर 3 शहरों में बुनियादी ढाँचे के विकास से जोड़ने से रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
  - **औपचारिकीकरण** से स्वास्थ्य देखभाल, पेंशन तथा रोज़गार की सुरक्षा जैसे श्रमिक लाभों तक पहुँच सुनिश्चित होगी, जिससे समग्र उत्पादकता में सुधार होगा तथा असमानता में कमी आएगी।
- **कौशल विकास को बढ़ावा देना: कौशल भारत** और **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)** जैसी योजनाओं के तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता और प्रासंगिकता में सुधार करना तथा भविष्य के रोज़गार हेतु डिजिटल, हरित और सॉफ्ट कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हुए उद्योग-अकादमिक संबंधों का सुदृढ़ीकरण करना आवश्यक है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- इस संबंध में भारत शिक्षा और उद्योग के बीच मज़बूत संबंध को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर **आयरलैंड मॉडल** से सीख सकता है।

- **संवाद के माध्यम से श्रम संहिताओं पर पुनर्विचार:** भारत को **भारतीय श्रम सम्मेलन (ILC)** को पुन: आयोजित करके सामाजिक संवाद तंत्र को संस्थागत बनाना चाहिये।
  - **संगठन बनाने की स्वतंत्रता पर ILO अभिसमय संख्या 87** तथा **संगठित होने और सामूहिक सौदाकारी के अधिकार पर ILO अभिसमय संख्या 98** का अनुसमर्थन करने से, विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के लिये, संघीकरण को बढ़ावा मिलेगा।
  - इससे इन श्रमिकों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान होगा, जिसमें रोज़गार सुरक्षा अभाव, सौदाकारी की सीमित शक्ति और कार्य की अनुपयुक्त स्थितियाँ शामिल हैं, साथ ही उचित वेतन और बेहतर कार्य स्थितियाँ सुनिश्चित होंगी।

- **लैंगिक समानता को बढ़ावा देना:** बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मातृत्व लाभ अधिनियम (2017) जैसी नीतियों के माध्यम से श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी चाहिये।
  - महिला श्रम बल भागीदारी को बढ़ावा देने के लिये सुरक्षित कार्यस्थल, सुविधानुसार कार्य करने, घर से काम करने के विकल्प, बाल देखभाल सहायता और जेंडर-सेंसिटिव नीतियाँ बनाने की आवश्यकता है।

- **श्रमिक स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों में सुधार:** व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों, विशेष रूप से खनन, निर्माण और वस्त्र जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में सुधार किये जाने चाहिये।
  - उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वस्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 का सख्ती से प्रवर्तन सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रमुख अभिसमय कौन-से हैं?

ILO मुख्य अभिसमय

अभिसमय का नाम	भारत द्वारा अनुसमर्थित
बलात् श्रम अभिसमय (सं. 29)	हाँ
बलात् श्रम उन्मूलन अभिसमय (सं. 105)	हाँ
समान पारिश्रमिक अभिसमय (सं. 100)	हाँ
भेदभाव (रोज़गार व्यवसाय) अभिसमय (सं. 111)	हाँ
न्यूनतम आयु अभिसमय (सं. 138)	हाँ
वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन (सं. 182)	हाँ
संघ बनाने की स्वतंत्रता और संगठित सम्मेलन के अधिकार का संरक्षण (सं. 87)	नहीं
संगठित होने का अधिकार और सामूहिक सौदाकारी अभिसमय (सं. 98)	नहीं
व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य अभिसमय (सं. 155)	नहीं
व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सम्मेलन (सं. 187) के लिये प्रचारात्मक रूपरेखा	नहीं

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस

- अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस अथवा मई दिवस की उत्पत्ति वर्ष 1886 में **शिकागो के हेमार्केट घटना** से हुई, जहाँ आठ घंटे के कार्यदिवस की मांग कर रही श्रमिकों की शांतिपूर्ण रैली हिंसक हो गई थी।
  - **"हेमार्केट शहीदों"** के सम्मान में सेकेंड इंटरनेशनल (श्रमिकों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन) ने वर्ष 1889 में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में नामित किया।
  - यह आंदोलन कार्य के उचित घंटों के लिये वैश्विक संघर्ष का प्रतीक था जिसमें **8 घंटे कार्य के, 8 घंटे विश्राम के और 8 घंटे निजी जीवन के,** दृष्टिकोण पर बल दिया गया था।
- भारत में, श्रमिक दिवस जिसे **कामगार दिवस अथवा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस** के रूप में भी जाना जाता है, **पहली बार** 1 मई 1923 को चेन्नई में **लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान** द्वारा मनाया गया था।

बंधुआ मज़दूरी क्या है?

- **परिचय: बंधुआ मज़दूरी अथवा ऋण बंधन** आधुनिक दासता के सबसे साधारण लेकिन सबसे कम अभिज्ञात रूपों में से है।
  - इसका आशय किसी व्यक्ति को ऋण चुकाने के लिये कार्य करने के लिये मजबूर किये जाने से है, जिसमें सामान्यत: भ्रामक शर्तों के तहत, अत्यंत निम्न अथवा कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता।
- **कारण:** बंधुआ मज़दूरी जातिगत भेदभाव, सामंती भूमि व्यवस्था, अत्यंत गरीबी और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के अभाव के कारण उत्पन्न हुई है। आजीविका के सीमित विकल्पों के कारण परिवार अंतर-पीढ़ीगत बंधन से उबर नहीं पाते हैं।
  - **नगरीय प्रवास** से भी अनौपचारिक क्षेत्रों जैसे **घरेलू कार्य, होटल और बाल भिक्षा वृत्ति** में बंधुआ मज़दूरी को बढ़ावा मिलता है।
- **संबंधित संवैधानिक और विधिक प्रावधान:** भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 21 और 23 के अंतर्गत बंधुआ मज़दूरी प्रतिबंधित** है।
  - **बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976** के अंतर्गत विधिक रूप से बंधुआ मज़दूरी को समाप्त किया गया और इससे संबंधित सभी समझौतों को रद्द कर दिया गया है। इसके तहत श्रमिकों को कर्ज़ के दायित्वों से मुक्त किया गया और बंधित कर्ज़ की वसूली पर रोक लगाई गई।
- **भारत में इसकी व्याप्ति:** वर्ष 2016 में, सरकार ने वर्ष 2030 तक 1.84 करोड़ बंधुआ मजदूरों को संरक्षण प्रदान करने और उनका पुनर्वास करने की योजना की घोषणा की।
  - हालाँकि, वर्ष 2021 तक, **पाँच वर्षों की अवधि में केवल 12,760 बंधुआ मज़दूरों को इससे मुक्त किया गया।**
    - यह सामान्यत: **कृषि, ईंट भट्टों, खनन, रेशम, माचिस, वस्त्र और पटाखा उद्योगों में व्याप्त है, तथा बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और पंजाब** में इसकी व्याप्ति अधिक है।

निष्कर्ष:

भारत को **औपचारिक, सुरक्षित और सार्थक रोजगार अवसरों के सृजन को प्राथमिकता देनी चाहिये। मानव पूंजी में निवेश करके, लैंगिक समानता को बढ़ावा देकर, कार्यबल को औपचारिक बनाकर और उद्योगों की परिवर्तित होती मांगों के अनुरूप कौशल विकास के साथ, भारत अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का पूर्णतम उपयोग कर सकता है। भविष्य के लिये तत्पर कार्यबल को आकार देने** के लिये तत्काल और निर्णायक कार्रवाई आवश्यक है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत में श्रमिकों के समक्ष विद्यमान चुनौतियों का विश्लेषण कीजिये। श्रम कानूनों के तहत उनके लिये बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये क्या सुधार लागू किये जा सकते हैं?

भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता

चर्चा में क्यों?

भारत और ब्रिटेन ने **भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता (FTA)** पर हस्ताक्षर किये हैं, जो वैश्विक व्यापार में जारी **अस्थिरता और शुल्क संबंधी अनिश्चितताओं** के बीच **विश्व की 5वीं और 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक महत्त्वपूर्ण कदम को दर्शाता है।**

भारत-ब्रिटेन FTA की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- **भारत-ब्रिटेन व्यापार: ब्रिटेन भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है** और भारत ब्रिटेन का 11वाँ सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। **लगभग 60 अरब अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2030** तक दोगुना होने का अनुमान है।
  - यह **भारत का 16वाँ FTA है** और **ब्रेक्ज़िट** के बाद ब्रिटेन का सबसे महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय व्यापार समझौता है।
  - यह FTA ब्रिटेन में भारतीय निर्यात के 99% पर शून्य शुल्क पहुँच प्रदान करता है, जिसमें **वस्त्र, परिधान, चमड़ा, जूते, समुद्री उत्पाद, खेल सामग्री, खिलौने, रत्न और आभूषण, ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स और जैविक रसायन** शामिल हैं।
    - कोटा के तहत **ऑटोमोबाइल टैरिफ को 100% से घटाकर 10% किया गया।**
    - **यह श्रम गतिशीलता को भी बढ़ावा देता है। भारतीय पेशेवरों, विशेषकर IT और स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र के लिये लगभग 100 अतिरिक्त वार्षिक वीज़ा प्रदान किये जाएंगे।**
- **दोहरा अंशदान अभिसमय समझौता:** भारत और ब्रिटेन ने समझौते के प्रमुख पहलुओं में से एक के रूप में **दोहरा अंशदान अभिसमय समझौता** (जिसे सामाजिक सुरक्षा समझौता भी कहा जाता है) पर भी हस्ताक्षर किये।
  - इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसी भी देश के पेशेवरों को दोनों देशों में राष्ट्रीय बीमा या सामाजिक सुरक्षा अंशदान का भुगतान करने के लिये बाध्य न किया जाए।

मुक्त व्यापार समझौते (FTA) क्या हैं?

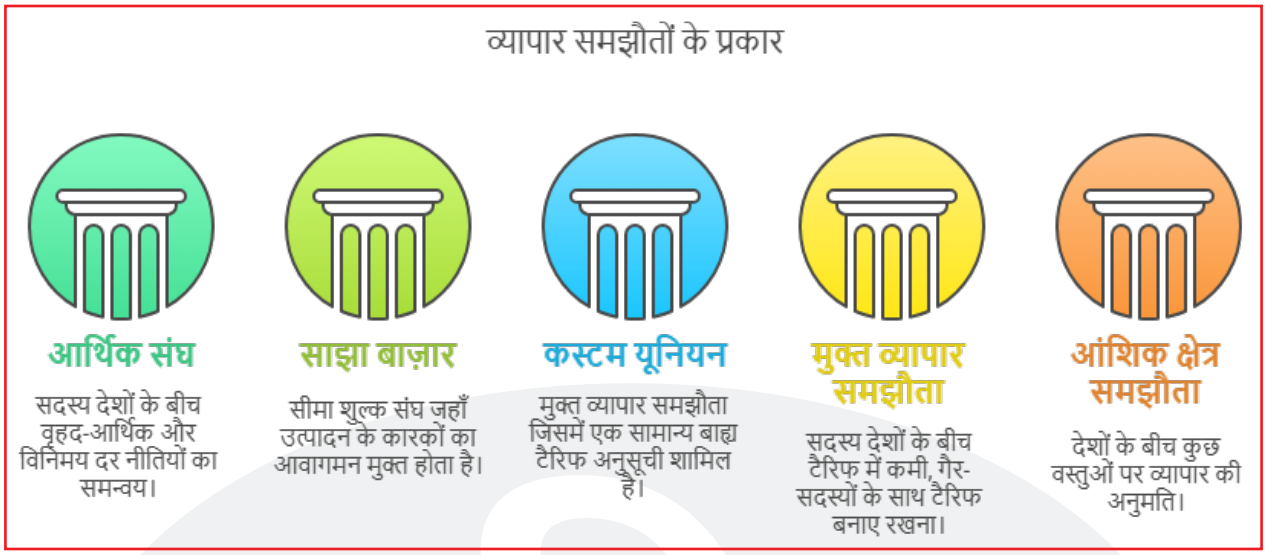
- **परिचय:** FTA दो या दो से अधिक देशों के बीच एक व्यापार समझौता है जिसका उद्देश्य उनके बीच व्यापार किये जाने वाली वस्तुओं पर सीमा शुल्क और व्यापार बाधाओं को कम करना या समाप्त करना है।
  - FTA, **प्राथमिक व्यापार समझौतों (PTA)** के विपरीत, अधिकांश वस्तुओं पर टैरिफ को पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं, जबकि PTA केवल कुछ चयनित उत्पादों पर सीमित टैरिफ छूट प्रदान करते हैं।
- **उद्देश्य:**
  - **सीमा शुल्क में कटौती:** सामान्यत: 90–95% वस्तुओं पर शून्य या कम टैरिफ लागू किये जाते हैं।
  - **गैर-व्यापारिक बाधाओं में कमी:** ऐसे नियमों को सरल बनाने का प्रयास किया जाता है जो व्यापार में बाधा उत्पन्न करते हैं।
  - **सेवाओं और निवेश को प्रोत्साहन:** सेवा निर्यात के नियमों में ढील दी जाती है और द्विपक्षीय निवेश को बढ़ावा दिया जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

व्यापार समझौतों के प्रकार:



भारत के लिये FTA का क्या महत्त्व है?

- **उन्नत बाज़ार पहुँच:** FTA भारतीय निर्यातकों को विशेष शर्तों पर नए बाज़ारों तक पहुँच प्रदान करते हैं, जिससे व्यापार मात्रा और प्रतिस्पर्द्धात्मकता में वृद्धि होती है।
  - **भारत-UAE** FTA ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के निर्यात को 11.8% बढ़ाकर 31.3 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचाया, जिसमें वस्त्र, रत्न-आभूषण और इंजीनियरिंग वस्तुओं पर विशेष रूप से UAE की 97% टैरिफ लाइनों तक प्राथमिकता प्राप्त पहुँच प्रदान की गई।
- **निवेश प्रवाह:** FTA निवेशकों में विश्वास बढ़ाते हैं और नियामकीय स्थिरता प्रदान करते हैं, जिससे भारत में सतत् प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिलता है।
  - उदाहरण के लिये, **EFTA** समझौता **15 वर्षों** में **100 अरब अमेरिकी डॉलर** के निवेश का वादा करता है, जो '**मेक इन इंडिया**' पहल और रोज़गार सृजन का समर्थन करता है।
- **आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन:** FTA भारत को आपूर्ति स्रोतों में विविधता लाने और रणनीतिक क्षेत्रों के लिये आवश्यक कच्चे माल की सुरक्षित आपूर्ति में मदद करते हैं।
  - उदाहरण के लिये, **भारत-ऑस्ट्रेलिया ECTA** जैसे FTA आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाते हैं और हरित प्रौद्योगिकी तथा **इलेक्ट्रिक वाहन** निर्माण के लिये **आवश्यक खनिजों** की उपलब्धता सुनिश्चित कर भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में स्थिति को मज़बूत करते हैं।
- **प्रौद्योगिकी तक पहुँच और नवाचार:** गहन आर्थिक एकीकरण के माध्यम से FTA भारत को उन्नत प्रौद्योगिकियों और भविष्य उन्मुख क्षेत्रों में सहयोग का अवसर प्रदान करते हैं।
  - उदाहरण के लिये, **भारत-जापान CEPA** उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकियों को लाने में सहायक है, जबकि EFTA में हरित प्रौद्योगिकी और डिजिटल नवाचार सहयोग से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
- **सेवा क्षेत्र में वृद्धि और पेशेवर गतिशीलता:** FTA उदारीकृत प्रवेश नियमों और पारस्परिक मान्यता के माध्यम से भारतीय पेशेवरों और सेवा प्रदाताओं के लिये नए अवसर खोलते हैं।
  - उदाहरण के लिये, **UAE CEPA** और ऑस्ट्रेलिया ECTA भारतीय सेवाओं की पहुँच को बेहतर बनाते हैं, जिसमें पेशेवरों के लिये वीज़ा सुविधाओं में आसानी और IT/ITeS क्षेत्र की वृद्धि के प्रावधान शामिल हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

भारत के प्रमुख व्यापार समझौते

मुक्त व्यापार समझौता देशों के बीच एक व्यापक समझौता है, जो विशिष्ट उत्पादों और सेवाओं को छोड़कर एक नकारात्मक सूची (negative list) के साथ अधिमान्य व्यापार शर्तों और टैरिफ रियायतों की पेशकश करता है।

पड़ोसी देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता (FTA)

- भारत-श्रीलंका FTA
- भारत-नेपाल व्यापार संधि
- व्यापार, वाणिज्य और पारगमन पर भारत-भूटान समझौता

भारत के क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौते (FTA)

- **भारत आसियान वस्तु व्यापार समझौता (11):** 10 आसियान देश + भारत
- **दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता (7):** भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और मालदीव
- **व्यापार प्राथमिकताओं की वैश्विक प्रणाली** (41 देश + भारत)

भारत का CECA और CEPA

CECA/CEPA मुक्त व्यापार समझौते से अधिक व्यापक है, जो नियामक, व्यापार एवं आर्थिक पहलुओं को व्यापक रूप से संबोधित करता है, CEPA में सेवाओं, निवेश आदि समेत व्यापक क्षेत्र है, जबकि CECA मुख्य रूप से टैरिफ और TQR दरों के समझौते पर केंद्रित है।

- **संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण कोरिया, जापान** के साथ CEPA
- **सिंगापुर, मलेशिया** के साथ CECA

अन्य:

- भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ECTA)
- भारत-थाईलैंड अर्ली हार्वेस्ट स्कीम (EHS)
- भारत-मॉरिशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता (CECPA)

एक अर्ली हार्वेस्ट स्कीम (EHS) FTA/CECA/CEPA से पहले होता है, जहाँ समझौता करने वाले देश टैरिफ उदारीकरण के लिये उत्पादों का चयन करते हैं, व्यापक व्यापार समझौतों का मार्ग प्रशस्त करते हैं और आत्मविश्वास को बढ़ावा देते हैं।

अधिमान्य व्यापार समझौते (PTA)

PTA में भागीदार सहमत टैरिफ सीमाओं पर शुल्क कम करके, कम या शून्य टैरिफ के लिये पात्र उत्पादों की एक सकारात्मक सूची बनाए रखते हुए विशिष्ट उत्पादों तक अधिमान्य पहुँच प्रदान करते हैं।

- **एशिया प्रशांत व्यापार समझौता (APTA):** बांग्लादेश, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, लाओ PDR, श्रीलंका और मंगोलिया
- **SAARC अधिमान्य व्यापार समझौता (SAPTA):** SAFTA के समान
- **भारत-MERCOSUR PTA:** ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पैराग्वे और भारत
- **चिली, अफगानिस्तान** के साथ भारत का PTA

Drishti IAS

भारत के FTA से संबद्ध प्रमुख चिंताएँ क्या हैं?

- **बढ़ता व्यापार घाटा:** प्राय: FTA के कारण **निर्यात की तुलना में आयात में वृद्धि** होती है, जिससे **दीर्घकालिक आर्थिक व्यवहार्यता** को लेकर चिंताएँ बढ़ जाती हैं।
  - **वर्ष 2017-2022** तक, FTA भागीदारों को **निर्यात में 31% की वृद्धि हुई,** जबकि **आयात में 82% की वृद्धि** हुई, जिससे एक अस्थिर **व्यापार असंतुलन की स्थिति** उत्पन्न हो गई।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **कम एफटीए उपयोग:** भारत की FTA उपयोग दर 25% है और यह विकसित देशों में दर्ज 70-80% से बहुत कम है, जो FTA लाभों के पूरी तरह से सदुपयोग करने में विफलता को दर्शाता है।
  - यूरोपीय संघ और कनाडा के साथ FTA वार्ता की धीमी गति के कारण व्यापार के अवसर चूक रहे हैं, जिससे भारत की वृद्धि एवं प्रतिस्पर्द्धात्मकता में बाधा आ रही है।
- **प्रतिस्पर्द्धात्मक चुनौतियाँ:** भारत को नवाचार और लागत लाभ के कारण प्रमुख उद्योगों में साझेदार देशों से कड़ी प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ रहा है।
  - उदाहरण के लिये, बेहतर नवाचार और लागत दक्षता के कारण ASEAN व दक्षिण कोरिया ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं वस्त्र जैसे उद्योगों में भारत को पीछे छोड़ दिया है।
    - भारत को विपरीत शुल्क संरचना (Inverted Duty Structure) का भी सामना करना पड़ रहा है, जहाँ कच्चे माल के आयात पर तैयार वस्तुओं की तुलना में अधिक कर लगता है।
- **गैर-टैरिफ बाधाएँ:** हालाँकि टैरिफ में कमी आई है, लेकिन गैर-टैरिफ बाधाएँ (जैसे: तकनीकी और मानक उपाय) भारत के निर्यात अभिगम में बाधा बनी हुई हैं।
  - यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा समायोजन से 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के भारतीय निर्यात पर असर पड़ सकता है, जबकि श्रम मानकों के कारण वस्त्र एवं चमड़ा जैसे क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं, जिससे समस्या और भी गंभीर हो सकती है।
- **जटिल प्रमाणीकरण:** FTA के अंतर्गत प्रमाणीकरण और रूल्स ऑफ ओरिजिन की आवश्यकताओं ने निर्यातकों के लिये अनुपालन लागत बढ़ा दी है।
- **बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी तनाव:** पश्चिमी साझेदारों के साथ FTA प्राय: भारत पर सख्त बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था के अंगीकरण का दबाव डालते हैं।
  - उदाहरण के लिये, यूरोपीय संघ/ब्रिटेन/अमेरिका के साथ FTA भारत की घरेलू नीतियों के साथ टकराव उत्पन्न करते हैं, विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल पेटेंट एवं डेटा विशिष्टता को लेकर, जिससे जेनेरिक दवा उद्योग प्रभावित होता है।

भारत अपने FTA की प्रभावशीलता किस प्रकार बढ़ा सकता है?

- **एकीकृत नीति दृष्टिकोण:** विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये भारत की उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना को भविष्य के FTA के साथ रणनीतिक रूप से संरेखित किया जाना चाहिये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि PLI समर्थित क्षेत्रों को व्यापार समझौतों में प्राथमिकता प्राप्त हो।
- **मूल्य शृंखला एकीकरण:** भारत को विशिष्ट औद्योगिक पार्क बनाने चाहिये, प्रमुख साझेदार कंपनियों के साथ आपूर्तिकर्त्ता कास कार्यक्रम स्थापित करना चाहिये तथा मूल्य शृंखला आवश्यकताओं के अनुरूप क्षेत्र-विशिष्ट कौशल विकास पहल शुरू करनी चाहिये।
- **MSME एकीकरण रणनीति:** भारत को FTA-विशिष्ट समर्थन के साथ MSME निर्यात केंद्र स्थापित करने, 'MSME ग्लोबल कनेक्ट' कार्यक्रम शुरू करने और प्रदर्शन प्रोत्साहन के साथ ऋण योजनाएँ प्रदान करने की आवश्यकता है।
- **लक्षित FTA वार्ता रणनीति: उद्योग की तत्परता** के आधार पर स्पष्ट बाज़ार पहुँच सीमा और वार्ता के लिये एक स्थायी बहु-हितधारक टीम के साथ एक लक्षित FTA वार्ता रणनीति अपनाया जाना चाहिये।
- **अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना तथा सेवाओं को प्राथमिकता देना: निर्यातोन्मुख उद्योगों** में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिये, ताकि वैश्विक मांग के अनुरूप उच्च मूल्य वाले उत्पाद तैयार किये जा सकें।
  - भारत को भविष्य के FTA को डिज़ाइन करते समय अपने सुदृढ़ सेवा क्षेत्रों— विशेष रूप से IT, BPO व अन्य ज्ञान-आधारित सेवाओं के लिये अधिक बाज़ार पहुँच को प्राथमिकता देनी चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट:

- **मौजूदा FTA पर पुन: वार्ता:** भारत को **रसायन, ऑटोमोटिव पार्ट-पूर्जों और विद्युत उपकरणों** जैसे **उच्च तकनीक एवं मूल्यवर्द्धित उत्पादों में विविधीकरण** को बढ़ावा देने के लिये **मौजूदा FTA पर पुन: वार्ता** करनी चाहिये।

निष्कर्ष

भारत-ब्रिटेन FTA **द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और बाज़ार** पहुँच को बढ़ाने में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। हालाँकि इसमें आर्थिक विकास की अपार संभावनाएँ हैं, फिर भी **व्यापार असंतुलन, कम उपयोग और गैर-टैरिफ बाधाओं** जैसी चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है। FTA के लाभों को अधिकतम करने के लिये घरेलू नीतियों को एकीकृत करने और हितधारकों की भागीदारी को मज़बूत करने वाला एक रणनीतिक दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न: भारत के व्यापार संतुलन और औद्योगिक प्रतिस्पर्द्धात्मकता पर मुक्त व्यापार समझौतों के प्रभाव का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये।

दिवालियापन समाधान प्रक्रिया में निहित अंतराल और सर्वोच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने **अनुच्छेद 142** का हवाला देते हुए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC), 2016 के तहत एक समाधान योजना को खारिज कर दिया और इसके बजाय ऋण से जूझ रही कंपनी के परिसमापन का आदेश दिया।

- यह IBC के समयबद्ध और रचनात्मक समाधान प्राप्त करने में स्थिरता और प्रभावशीलता को लेकर बढ़ती चिंताओं को उजागर करता है।

दिवालियापन समाधान में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **कानूनी प्रावधानों के साथ अननुपालन:** भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड मामले में अनुमोदित समाधान योजना IBC के अनुच्छेद 30(2) के अनुरूप नहीं थी, जो यह अनिवार्य करता है कि समाधान योजनाएँ ऋणदाताओं के सर्वोत्तम हित में होनी चाहिये और कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिये।
- **समाधान पेशेवर द्वारा चूक:** समाधान पेशेवरों ने उचित परिश्रम नहीं किया और एक दोषपूर्ण समाधान योजना को आगे बढ़ने की अनुमति दी, जिससे दिवालियापन प्रक्रिया में समाधान पेशेवरों की क्षमता, उत्तरदायित्व और नियामक निगरानी को लेकर चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
- **ऋणदाताओं की समिति (CoC) में कमजोरियाँ:** समाधान योजना का मूल्यांकन करने के लिये ज़िम्मेदार CoC ने उचित परिश्रम और व्यावसायिक समझ का उपयोग नहीं किया और एक ऐसी योजना को मंज़ूरी दी, जिसने अंतत: ऋणदाताओं के हितों को नुकसान पहुँचाया।
  - ऋणदाताओं की समिति (CoC) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC), 2016 के तहत **कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (CIRP)** की अगुवाई करती है।
- **न्यायिक निगरानी में अंतराल: राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण** द्वारा IBC के अनुच्छेद 31(2) के तहत दोषपूर्ण समाधान योजना को अस्वीकार करने में विफलता ने न्यायिक निगरानी में खामियों को उजागर किया, जिससे IBC की अखंडता बनाए रखने के लिये न्यायाधिकरण स्तर पर मज़बूत जाँच की आवश्यकता का समर्थन होता है।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC), 2016 क्या है?

- **परिचय: IBC, 2016** भारत का व्यापक दिवालियापन कानून है, जो कंपनियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के लिये मौजूदा दिवालियापन ढाँचों को एकीकृत और सरल बनाती है।
  - शोधन अक्षमता का तात्पर्य उस स्थिति से है, जहाँ देनदारियाँ संपत्तियों से अधिक होती हैं और ऋण समय पर चुकता नहीं किये जा सकते। दिवालियापन वह कानूनी घोषणा है जो इस तरह की ऋण चुकता न करने की असमर्थता को व्यक्त करती है।
  - **टी.के. विश्वनाथन समिति (दिवालियापन कानून सुधार समिति), 2015** ने कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत दिवालियापन

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

के समाधान के लिये एक एकीकृत ढाँचे की सिफारिश की, जिसके परिणामस्वरूप दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC), 2016 का निर्माण हुआ।

- IBC एक समयबद्ध और ऋणदाता-प्रेरित प्रक्रिया स्थापित करती है, जिसका उद्देश्य ऋण अनुशासन में सुधार लाना, तनावग्रस्त संपत्तियों का प्रभावी समाधान करना और समग्र व्यावसायिक वातावरण को सुदृढ़ बनाना है।
- इसे मुख्य रूप से भारत के बैंकिंग क्षेत्र में बढ़ते बकाया ऋण संकट (बुरे ऋण संकट) से निपटने के लिये लागू किया गया था।

- **नियामक प्राधिकरण:** **भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI),** IBC, 2016 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है, जो भारत में दिवाला समाधान के लिये नियम और विनियम तैयार करने के लिये ज़िम्मेदार है।
  - **इसमें वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और भारतीय रिज़र्व बैंक** के सदस्य शामिल हैं।
- **न्याय निर्णय प्राधिकरण:** IBC में, कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिये न्याय निर्णय प्राधिकरण **राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT)** है, जबकि व्यक्तियों और फर्मों के लिये यह **ऋण वसूली अधिकरण (DRT)** है।
  - **NCLT कॉर्पोरेट देनदारों और उनके गारंटरों से जुड़े मामलों को संभालता है,** जबकि DRT सीमित देयता भागीदारी के अलावा व्यक्तियों और साझेदारी फर्मों के शोधन अक्षमता मामलों से निपटता है।
- **कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया:** यह IBC, 2016 के तहत एक समयबद्ध विधिक तंत्र है, जिसे ऋण चुकौती में चूक करने वाली कंपनियों के वित्तीय संकट को हल करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
  - इसकी शुरुआत वित्तीय ऋणदाताओं, परिचालन ऋणदाताओं या स्वयं चूककर्त्ता कंपनी द्वारा NCLT में आवेदन दायर करके की जा सकती है, जो एक **अंतरिम समाधान पेशेवर (IRP)** की नियुक्ति करता है, जो कंपनी के प्रबंधन का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है।
    - IRP ऋणदाता के दावों का सत्यापन करता है और एक CoC का गठन करता है, जो **180 से 330 दिनों** के भीतर समाधान योजना का मूल्यांकन करता है तथा उस पर मतदान करता है।
  - यदि दिवाला प्रारंभ तिथि से 180 दिनों (या विस्तारित अवधि) के भीतर कोई समाधान योजना दाखिल नहीं की जाती है, तो निर्णय देने वाला प्राधिकरण परिसमापन का आदेश दे सकता है।
- **प्रमुख उपलब्धियाँ:** अपनी स्थापना के बाद से **IBC ने 808 मामलों में 3.16 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ऋण का समाधान करने में सहायता की है,** जिससे DRT और लोक अदालत जैसी पुरानी प्रणालियों की तुलना में बेहतर वसूली दर में योगदान मिला है।
- IBC को **"नए युग का प्रकाश स्तंभ"** कहा गया है, जिसने ऋण अनुशासन को बढ़ावा दिया और **गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA)** में ऐतिहासिक कमी लाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।
  - भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की रिपोर्ट के अनुसार, जून 2024 में निवल NPA 0.6% के साथ 12 वर्षों के न्यूनतम स्तर पर थे, जो कि ऋण अनुशासन में सुधार लाने में IBC की प्रभावशीलता को दर्शाता है।
- IBC ने **विश्व बैंक की डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट (DBR)** में भारत की रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके तहत भारत वर्ष 2014 में 142वें स्थान से बढ़कर वर्ष 2019 में 63वें स्थान पर पहुँच गया, जब तक यह रिपोर्ट प्रकाशित होनी बंद नहीं हुई थी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

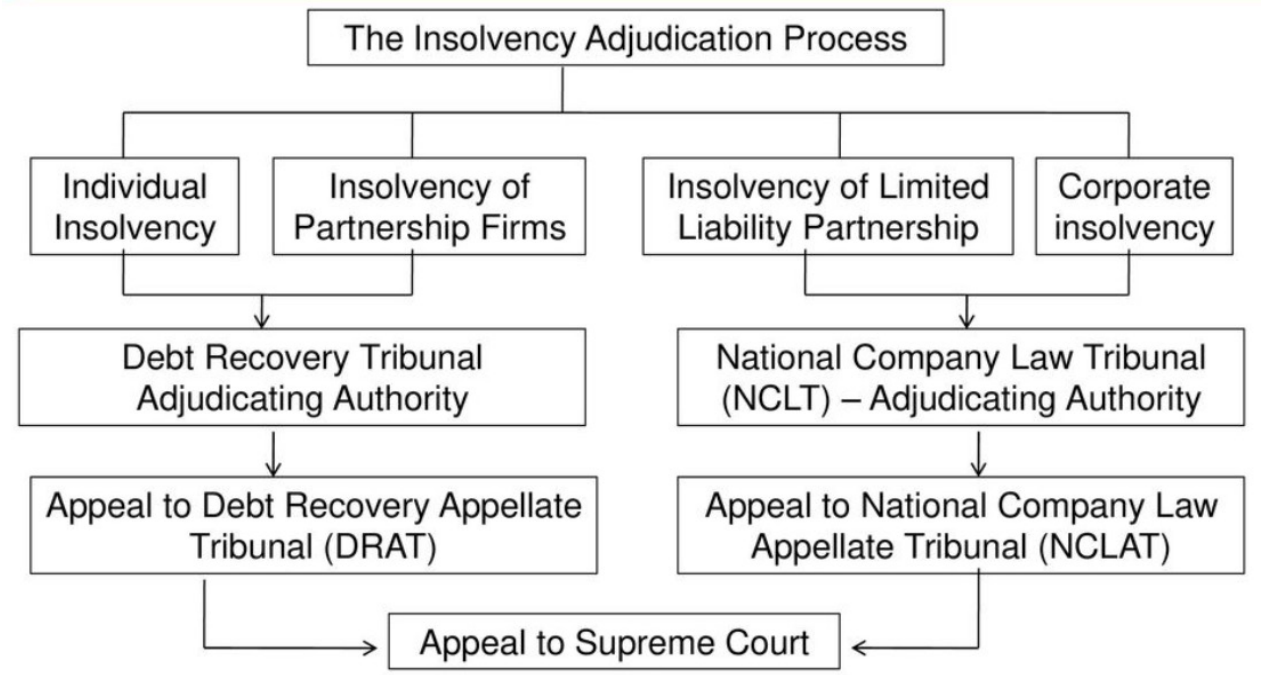
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:



IBC से संबंधित प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **समाधान प्रक्रिया में विलंब:** IBC के साथ एक प्रमुख समस्या दिवाला समाधान को पूरा करने में विलंब है।
  - जबकि IBC का लक्ष्य 180 दिन की समय-सीमा है, प्रक्रिया में बार-बार विस्तार एवं विलंब के कारण परिसंपत्ति का अवमूल्यन, ऋणदाताओं का नुकसान और मामलों के समाधान में समग्र अकुशलता हुई है।
  - इससे संहिता का मूल उद्देश्य - **त्वरित एवं प्रभावी समाधान** कमज़ोर हो जाता है।
- **CoC में असंतुलन:** CoC, जो समाधान योजनाओं को मंजूरी देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है, पर वित्तीय ऋणदाताओं (बैंकों और वित्तीय संस्थानों) का प्रभुत्व है।
  - इससे प्राय: **परिचालन ऋणदाताओं (आपूर्तिकर्त्ताओं, कर्मचारियों)** का प्रतिनिधित्व कम हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ मामलों में पक्षपातपूर्ण समाधान हो जाते हैं, जिनमें छोटे ऋणदाताओं की आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता है या परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों का अनुचित वितरण हो जाता है।
- **सीमा-पार दिवाला में विधिक निश्चितता का अभाव:** IBC ढाँचे में सीमा-पार दिवाला के लिये व्यापक दृष्टिकोण का अभाव है, जिसके कारण कई देशों में परिचालन या परिसंपत्तियों वाली **बहुराष्ट्रीय कंपनियों के समाधान में चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।**
  - अन्य देशों के साथ स्पष्ट विधिक ढाँचे और समन्वय तंत्र की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप क्षेत्राधिकार संबंधी संघर्ष, **लंबी मुकदमेबाजी और परिसंपत्ति कुप्रबंधन हो सकता है।**
- **देनदारों के हितों का अपर्याप्त संरक्षण:** जबकि IBC ऋणों की वसूली को प्राथमिकता देता है, यह अक्सर **ऋणदाता के हितों पर अत्यधिक ज़ोर देता है,** जिससे देनदार के पुनर्वास के अधिकार की कीमत चुकानी पड़ती है।
  - दिवालियापन प्रक्रिया **पुनर्गठन के बजाय परिसमापन पर ज़ोर देती है,** विशेष रूप से संकटग्रस्त व्यवसायों के मामले

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

में, जो उचित समर्थन के साथ अभी भी व्यवहार्य हो सकते हैं।

- **परिसमापन प्रक्रिया में अक्षमता:** IBC के तहत परिसमापन प्रक्रिया में परिसंपत्ति मूल्यांकन और पारदर्शिता की कमी तथा परिसंपत्तियों की बिक्री में देरी जैसी अक्षमताएँ हैं। इसके परिणामस्वरूप लेनदारों के लिये न्यूनतम वसूली और बाज़ार में विकृति होती है।

IBC को सुदृढ़ करने के लिये क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- **समय पर समाधान और त्वरित न्यायिक कार्रवाई** : IBC के लिये कानूनी ढाँचे में **गति और दक्षता को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।** समय पर न्यायिक हस्तक्षेप से लंबे समय तक चलने वाले कानूनी विवादों और आर्थिक अनिश्चितता को रोका जा सकेगा।
  - NCLT की क्षमता में सुधार सहित IBC के संस्थागत ढाँचे को सुदृढ़ करने से **सुचारू परिचालन सुनिश्चित होगा तथा दिवालियापन समाधान प्रणाली में विश्वास कायम रहेगा।**
- **लक्षित दंड के साथ सुदृढ़ निगरानी** : IBC को निगरानी के लिये सुदृढ़ संस्थागत तंत्र द्वारा समर्थित किया जाना चाहिये, विशेष रूप से **समाधान प्रक्रिया के दौरान कदाचार को रोकने के लिये।**
  - समाधान योजना के क्रियान्वयन के बाद उजागर होने वाली किसी भी अवैधता के लिये ज़िम्मेदार लोगों पर लक्षित दंड लगाया जाना चाहिये।
- **देनदार और लेनदार हितों के प्रति संतुलित दृष्टिकोण:** अधिक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करने के लिये संहिता का पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिये, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि **कॉर्पोरेट देनदारों (विशेष रूप से संकटग्रस्त व्यवसायों के मामलों में) के हितों की** लेनदार अधिकारों से समझौता किये बिना उचित रूप से सुरक्षा की जाए।
  - पुनर्परिभाषित **"व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य" समाधान** अधिक टिकाऊ समाधानों को प्रोत्साहित करेगा।
- **IBC प्रक्रिया का उन्नत डिजिटलीकरण:** सभी IBC हितधारकों को जोड़ने के लिये डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना, डेटा अंतराल को कम करना और निर्णय लेने में तेज़ी लानी चाहिये।
- **विलंब से होने वाले मूल्य क्षरण को रोकने के लिये प्री-पैकेज्ड इन्सॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन प्रोसेस (PPIRP) को** बड़े निगमों तक विस्तारित करना।
- **उभरते क्षेत्रों के लिये IBC को अनुकूलित करना: फिनटेक, डिजिटल व्यवसायों और हरित उद्योगों जैसे उभरते क्षेत्रों** के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने के लिये IBC प्रावधानों में संशोधन करना, उन्हें क्षेत्र-विशिष्ट दिवालियापन समाधान प्रदान करना।

निष्कर्ष:

सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से IBC प्रक्रिया में गंभीर कमियों पर ध्यान जाता है। ऋण वसूली में सुधार लाने में इसकी सफलता के बावजूद, लगातार देरी, कमज़ोर निगरानी और हितधारक हितों में असंतुलन इसकी प्रभावशीलता में बाधा डालते हैं। संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करना, समय पर समाधान सुनिश्चित करना और अधिक संतुलित व क्षेत्र-विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाना IBC की विश्वसनीयता को पुनःस्थापित करने के लिये महत्त्वपूर्ण है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न: दिवाला एवं दिवालियापन संहिता को भारत में एक प्रमुख आर्थिक सुधार के रूप में सराहा गया। क्या हाल के घटनाक्रम संरचनात्मक सुधार की आवश्यकता का संकेत देते हैं? उदाहरणों के साथ इसकी पुष्टि कीजिये।

विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट, 2025

चर्चा में क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की अप्रैल 2025 की **विश्व आर्थिक परिदृश्य (WEO)** रिपोर्ट के अनुसार, भारत वर्ष 2025 तक जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट 2025 के प्रमुख बिंदु क्या हैं?

वैश्विक:

- **वैश्विक वृद्धि का पूर्वानुमान:** अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने वर्ष 2025 के लिये वैश्विक आर्थिक वृद्धि का अनुमान घटाकर 2.8% कर दिया है और वर्ष 2026 के लिये यह अनुमान 3.0% रखा गया है।
  - विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, संयुक्त राज्य अमेरिका (USA), के वर्ष 2025 में केवल 1.8% की वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की अपेक्षाओं की तुलना में काफी कम है। इसका मुख्य कारण नीति संबंधी अनिश्चितता और व्यापारिक तनाव है।
- **उभरते बाज़ार:** उभरते बाज़ारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक वृद्धि की गति धीमी पड़ने की संभावना है। वर्ष 2025 के लिये इन क्षेत्रों में 3.7% की विकास दर का अनुमान लगाया गया है, जो वैश्विक औसत (2.8%) से अधिक है।
- **वैश्विक मुद्रास्फीति:** मुद्रास्फीति दरों में गिरावट की अपेक्षा की गई है, लेकिन यह अपेक्षित गति से धीमी रहेगी। व्यापारिक तनावों और अस्थिर वित्तीय बाज़ारों के कारण नकारात्मक जोखिम बने हुए हैं, जो वैश्विक आर्थिक स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं।
- **बुढ़ाती अर्थव्यवस्थाएँ:** वैश्विक अर्थव्यवस्थाएँ तीव्र गति से वृद्ध हो रही हैं, जिसका प्रमुख कारण घटती प्रजनन दर और बढ़ती जीवन प्रत्याशा है।
  - जनसांख्यिकीय लाभांश से जनसांख्यिकीय बोझ की ओर यह बदलाव आर्थिक वृद्धि के लिये चुनौतियाँ उत्पन्न करता है। अनुमान है कि वर्ष 2020 से लेकर सदी के अंत तक विश्व की जनसंख्या की औसत आयु में 11 वर्षों की वृद्धि होगी।
  - हालाँकि, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और दीर्घायु ने वृद्धावस्था में जीवन की गुणवत्ता को उल्लेखनीय रूप से बेहतर बनाया है।
  - वर्ष 2022 में 70 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति वर्ष 2000 में 53 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति के समान संज्ञानात्मक क्षमताएँ रखता था। स्वस्थ आयु बढ़ने का अनुमान है कि वर्ष 2025 से 2050 तक यह वैश्विक GDP वृद्धि में 0.4% का योगदान करेगा।

भारत

- **वृद्धि का पूर्वानुमान:** जबकि भारत की वृद्धि का पूर्वानुमान वर्ष 2025 के लिये 6.5% से घटाकर 6.2% कर दिया गया है, फिर भी यह वैश्विक समकक्षों के बीच सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है।
  - IMF का अनुमान है कि भारत का नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वर्ष 2025 में 4.187 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच जाएगा, जो जापान के अनुमानित 4.186 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर जाएगा।
- **प्रतिस्पर्धियों से तुलना:** इस मामूली गिरावट के बावजूद, भारत अधिकांश वैश्विक और क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धियों से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, जिसमें **चीन** भी शामिल है, जिसके धीमी दर से विकास करने का अनुमान है।
  - चीन के वर्ष 2025 के **सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर का अनुमान 4.6% से घटाकर 4.0% कर दिया गया है,** जिससे भारत की विकास दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- **निजी उपभोग:** भारत की वृद्धि का एक प्रमुख चालक निजी उपभोग है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, जिसके वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बावजूद भी मज़बूत बने रहने की उम्मीद है।

IMF का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक

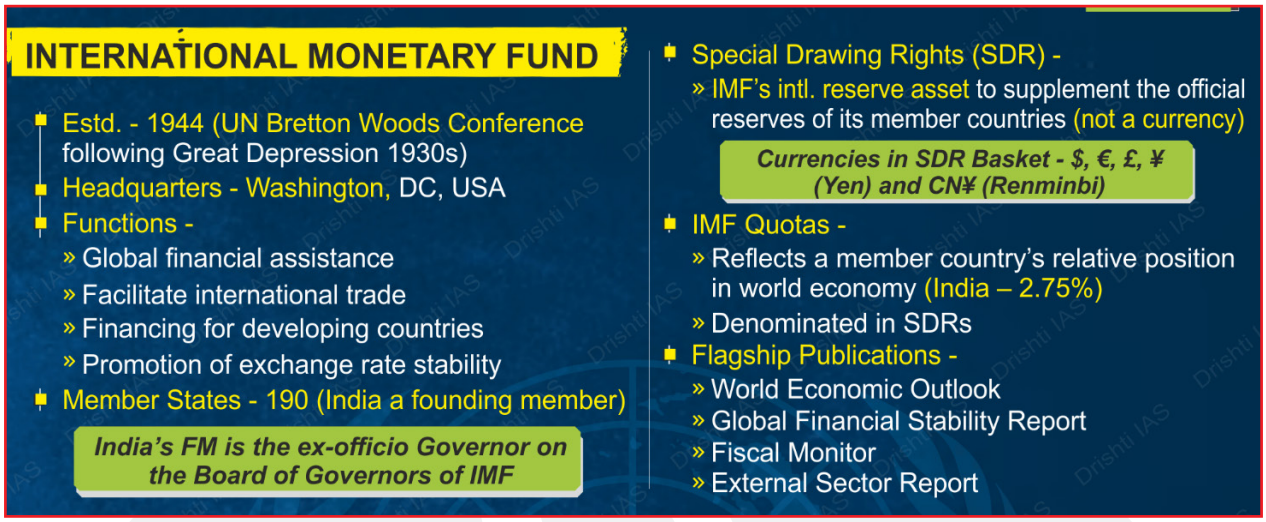
- **अप्रैल और अक्तूबर** में अर्धवार्षिक रूप से प्रकाशित WEO वैश्विक अर्थव्यवस्था और अलग-अलग देशों के लिये विश्लेषण तथा अनुमान प्रदान करता है।
- इसका उद्देश्य आर्थिक विकास का आकलन करना, प्रवृत्तियों की पहचान करना और नीतिगत सिफारिशें प्रस्तुत करना है।
- **WEO के प्रमुख घटकों** में वैश्विक और क्षेत्रीय आर्थिक प्रदर्शन के पूर्वानुमान, मुद्रास्फीति के रुझानों की जानकारी और वित्तीय स्थिरता जोखिमों का मूल्यांकन शामिल हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- WEO नीति निर्माताओं, शोधकर्त्ताओं और निवेशकों के लिये आर्थिक परिदृश्य को समझने तथा उसमें मार्गदर्शन करने हेतु एक आवश्यक उपकरण के रूप में कार्य करता है।



भारत के आर्थिक अनुकूलन के प्रमुख चालक क्या हैं?

- **निजी उपभोग:** निजी उपभोग विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में एक महत्त्वपूर्ण चालक है जो वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद स्थिर घरेलू मांग सुनिश्चित करता है।
  - भारत की निजी खपत वर्ष 2024 में लगभग दोगुनी होकर 1.83 लाख करोड़ रुपए हो गई थी, जो 7.2% **चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR)** से बढ़ रही है तथा अमेरिका, चीन और जर्मनी से आगे निकल गई है।
  - **देश वर्ष 2026 तक विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाज़ार बनने की राह पर है,** जहाँ मध्यम वर्ग का तेज़ी से विस्तार हो रहा है।
  - वर्ष 2030 तक 8.73 लाख रुपए से अधिक वार्षिक आय वाले व्यक्तियों की संख्या लगभग **तीन गुना** हो जाने की उम्मीद है।
  - अनुमान है कि वर्ष 2030 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय 3.49 लाख रुपए से अधिक हो जाएगी, जिससे उपभोग में वृद्धि होगी।
- **मैक्रोइकॉनोमिक फंडामेंटल्स:** भारत का मज़बूत राजकोषीय प्रबंधन, जिसमें वित्त वर्ष 2024-25 में 56.8% का कम **ऋण-से-जीडीपी अनुपात** है, जबकि इसके प्रतिस्पर्धियों जैसे अमेरिका का ऋण-से-जीडीपी अनुपात 124.0% है, साथ ही संरचनात्मक सुधार, स्थिरता बनाए रखने में सहायता करते हैं।
- **बुनियादी अवसरंचना का विकास:** बुनियादी अवसरंचना तथा डिजिटलीकरण में निवेश से उत्पादकता और रोज़गार सृजन को बढ़ावा मिलता है, जिससे दीर्घकालिक विकास की संभावनाएँ बढ़ती हैं।
  - भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था वर्ष 2022-23 में **सकल घरेलू उत्पाद का 11.74%** हिस्सा लेकर इसकी आर्थिक वृद्धि में महत्त्वपूर्ण योगदानकर्त्ता बन गई है।
- **सरकारी सुधार: वित्तीय समावेशन के लिये प्रधानमंत्री जन धन योजना** और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये **उत्पादन आधारित प्रोत्साहन** योजनाओं के साथ-साथ **मेक इन इंडिया** जैसी पहलों ने भारत की आर्थिक गतिशीलता को मज़बूत किया है।
  - इसके अतिरिक्त, सड़क अवसंरचना के लिये **भारतमाला परियोजना, बंदरगाह विकास के लिये सागरमाला परियोजना और स्मार्ट सिटी मिशन** जैसी योजनाओं ने

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

दीर्घकालिक विकास को समर्थन देते हुए भौतिक अवसंरचना में उल्लेखनीय सुधार किया है।

- **जनसांख्यिकी और श्रम बल:** भारत को युवा, बढ़ते कार्यबल से लाभ मिलता है, जिसकी नीतियों का लक्ष्य महिला श्रम भागीदारी को बढ़ाना **(वर्ष 2017-18 में 23.3% से वर्ष 2023-24 में 41.7%)** और वैश्विक वृद्ध कार्यबल चुनौतियों का समाधान करना है।
  - **सर्विसनाउ की एक रिपोर्ट में** अनुमान लगाया गया है कि **भारत का कार्यबल वर्ष 2023 में 423.73 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2028 तक 457.62 मिलियन हो जाएगा**, जिससे विशेष रूप से खुदरा, तकनीक, विनिर्माण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में 33.89 मिलियन तक का रोज़गार उत्पन्न होगा।
- **तकनीकी नवाचार : कृत्रिम बुद्धिमत्ता** और **नवीकरणीय ऊर्जा समाधान** सहित डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अपनाने की बढ़ती प्रवृत्ति आर्थिक गतिविधियों में उच्च उत्पादकता एवं लचीलेपन को बढ़ावा देती है।
  - भारतीय स्टार्टअप्स द्वारा **वर्ष 2029-30 (वित्त वर्ष 30) तक 50 मिलियन नए रोज़गार सृजित होने तथा अर्थव्यवस्था में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जुड़ने की संभावना है।**
  - **भारत का प्रौद्योगिकी क्षेत्र तेज़ी से विकास कर रहा है और अगले पाँच वर्षों में इसके 300-350 बिलियन अमेरिकी डॉलर** तक पहुँचने का अनुमान है।
- **बाह्य मांग और व्यापार विविधीकरण** : वैश्विक मूल्य शृंखलाओं और व्यापार समझौतों में भारत का बढ़ता एकीकरण विकास के अवसर प्रदान करता है और वैश्विक अस्थिरता के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी वर्ष **2005 में 1.9% से बढ़कर वर्ष 2023 में 4.3% हो गई है।**

निष्कर्ष

भारत की सुदृढ़ आर्थिक वृद्धि, जो मज़बूत निजी खपत, संरचनात्मक सुधारों और रणनीतिक निवेशों से प्रेरित है, उसे आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच वैश्विक अभिकर्ता के रूप में स्थापित करती है। जनसांख्यिकी के साथ इसके प्रक्षेपवक्र का समर्थन करते हुए, भारत का दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है। इन कारकों का लाभ उठाने की देश की क्षमता यह सुनिश्चित करती है कि यह वैश्विक आर्थिक परिदृश्य को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न: वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत के सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बने रहने का अनुमान है। इस लचीलेपन में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों पर चर्चा कीजिये।

माइक्रोफाइनेंस संबंधी संकट

चर्चा में क्यों?

भारत के माइक्रोफाइनेंस संस्थान (MFI) एक बड़े संकट का सामना कर रहे हैं क्योंकि **सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (NPA) मार्च 2025 तक 16%** तक बढ़ गईं, जो वर्ष 2024 के 8.8% से लगभग दोगुनी हो गई हैं। जैसे-जैसे ऋण लौटाने में चूक बढ़ रही है, ऋणदाता इसमें रूचि नहीं दिखा रहे हैं और नियामक हस्तक्षेप से इस क्षेत्र की स्थिरता के संदर्भ में चिंताएँ बढ़ रही हैं।

MFI में NPA में वृद्धि के लिये कौन-से कारक ज़िम्मेदार हैं?

- **माइक्रोफाइनेंस की चक्रीय प्रकृति:** MFI ने पारंपरिक रूप से चक्रीय पैटर्न का पालन किया है, जिसमें प्रत्येक 3-5 वर्ष में संकट आते हैं और वर्तमान स्थिति इस ऐतिहासिक प्रवृत्ति के अनुरूप है।
  - **हालाँकि, आर्थिक मंदी (वर्ष 2024-25 में GDP 4 वर्ष की तुलना में 6.4% से निचले स्तर पर), प्राकृतिक आपदाओं** (हीट वेव, बाढ़) और चुनाव संबंधी व्यवधानों से प्रेरित ऋण चूक में वृद्धि जैसे गहरे संरचनात्मक मुद्दों ने उधारकर्त्ताओं की पुनर्भुगतान क्षमता को प्रभावित किया।
- **उधारकर्त्ताओं का अत्यधिक ऋणग्रस्त होना:** तेज़ी से विस्तार करने के प्रयास में, MFI ने **पहले से ही उच्च स्तर के ऋणग्रस्त उधारकर्त्ताओं को ऋण स्वीकृत करना शुरू कर दिया है।** इससे ग्राहक आधार पर अत्यधिक ऋणग्रस्तता उत्पन्न हो गई है, जो पुनर्भुगतान करने में असमर्थ है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **कई MFI ने उधारकर्त्ताओं की पुनर्भुगतान क्षमता** का मूल्यांकन करने में नरमी बरती है तथा व्यक्तिगत उधारकर्त्ताओं की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के बजाय मात्रा पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है।

- उधारकर्ता, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, अक्सर कई सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MFI) तथा अन्य स्रोतों से ऋण लेते हैं, जिससे उनका ऋण बोझ बढ़ जाता है तथा ऋण न चुकाने की संभावना बढ़ जाती है।
- क्रेडिट कार्ड बकाया में वर्ष 2023 में 2.30 लाख करोड़ रुपए से वर्ष 2024 में 2.71 लाख करोड़ रुपए तक की वृद्धि, **बढ़ते उपभोक्ता ऋण की व्यापक प्रवृत्ति को उजागर करती है।**
- **संयुक्त देयता समूह (JLG) मॉडल का कमज़ोर होना:** माइक्रोफाइनेंस परिचालनों के लिये केंद्रीय JLG मॉडल, ऋण चुकौती के लिये सामाजिक दबाव और सामूहिक ज़िम्मेदारी पर निर्भर करता है।
- हालाँकि, उधारकर्त्ताओं के बदलते प्रोफाइल, कमज़ोर समूह सामंजस्य और बढ़ती व्यक्तिगत चूक के कारण यह कम प्रभावी होता जा रहा है ।
- **बढ़ता विनियामक दबाव: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने** ऋण देने के लिये सख्त मानदंड और प्रतिबंध लगाए हैं, जैसे कि **आक्रामक ऋण देने की प्रथाओं पर अंकुश लगाना।** हालाँकि इन कार्रवाइयों का उद्देश्य इस क्षेत्र को स्थिर करना है, लेकिन इनसे MFI के लिये अल्पकालिक तरलता संकट भी उत्पन्न हो गया है।
  - राज्य सरकारों ने माइक्रोफाइनेंस उधारदाताओं द्वारा दबावपूर्ण वसूली विधियों को रोकने के लिये कानून बनाना शुरू कर दिया है, जिसमें अननुपालन करने पर कठोर दंड भी निर्धारित किये गए हैं।
    - उदाहरण के लिये, तमिलनाडु विधानसभा ने **मनी लेंडिंग एंटाटीज़ (दबावपूर्ण क्रियावली की रोकथाम) अधिनियम** पारित किया, जबकि कर्नाटका ने उधारकर्त्ताओं को अनुचित कठिनाई पहुँचाने वाले उधारदाताओं के लिये कठोर दंड का प्रस्ताव रखा।
  - इसके अतिरिक्त, **कर्ज़ मुक्ति अभियान जैसे अभियानों (ऋण माफी योजनाएँ)** ने पुनर्भुगतान की संस्कृति को कमज़ोर किया है, क्योंकि उधारकर्त्ता सरकार से ऋण माफी की उम्मीद करते हैं, जिससे डिफॉल्ट की दर में वृद्धि होती है।

माइक्रोफाइनेंस क्या है?

- **माइक्रोफाइनेंस:** माइक्रोफाइनेंस, जिसे माइक्रोक्रेडिट भी कहा जाता है, वित्तीय सेवाओं की प्रदानगी को संदर्भित करता है, जैसे कि छोटे ऋण, बचत खाते, बीमा और धन अंतरण, जो विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज़ के क्षेत्रों में सेवा से वंचित जनसंख्याओं को प्रदान की जाती हैं।
  - इसका उद्देश्य हाशिये पर रहने वाली और कम आय वाली समुदायों, विशेष रूप से महिलाओं, को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाना और सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देना है।
- **माइक्रोफाइनेंस का महत्त्व:** यह आय-उत्पादक गतिविधियों के लिये वित्तीय संसाधनों तक पहुँच प्रदान करके **गरीबी** घटाने का एक उपकरण है।
  - माइक्रोफाइनेंस छोटे पैमाने के व्यवसायों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, का समर्थन करता है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं और रोज़गार को बढ़ावा देता है।
    - पिछले तीन दशकों में, इसने भारत के लगभग 100 मिलियन ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में सुधार किया है।
  - माइक्रोफाइनेंस महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाकर लिंग समानता को बढ़ावा देता है।
    - वर्ष 2022-23 में, भारत के माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र ने **80 लाख नई महिला ग्राहकों** को जोड़ा, जिससे वर्ष 2023 तक कुल 6.64 करोड़ महिलाएँ और 12.96 करोड़ सक्रिय ऋण हो गए, जैसा कि **इंडिया माइक्रोफाइनेंस रिव्यू FY23 रिपोर्ट** में बताया गया है।
- **भारत में माइक्रोफाइनेंस:** भारत में माइक्रोफाइनेंस की शुरुआत वर्ष **1974** में गुजरात में **स्व-निर्मित महिला संघ (SEWA) बैंक** की स्थापना से हुई, जिसका उद्देश्य कम आय वाली महिलाओं को वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना था, जो औपचारिक बैंकों से बाहर थीं।
  - वर्ष 1992 में, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) ने स्व-सहायता समूह

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

(SHG)-बैंक लिंकेज प्रोग्राम की शुरुआत की, जिससे महिलाओं के लिये छोटे पैमाने पर बचत और ऋण तक पहुँच में सुधार हुआ।

- वर्ष 2011 में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने माइक्रोफाइनेंस को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में मान्यता दी, जिससे माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं (MFI) को नीति समर्थन प्राप्त हुआ।
- हालाँकि, वर्ष 2010 में आंध्र प्रदेश में माइक्रोफाइनेंस संकट, जो आक्रामक उधारी प्रथाओं के कारण उत्पन्न हुआ, ने बढ़ती निगरानी और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं (NBFC-MFI) को नियंत्रित करने के लिये मालेगाम समिति (2010) के गठन को प्रेरित किया।
- वर्ष 2015 में, **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)** के तहत मुद्रा बैंक की स्थापना ने छोटे, गैर-कॉर्पोरेट उद्यमों को क्रेडिट प्रदान करके माइक्रोफाइनेंस पारिस्थितिकी तंत्र को और मज़बूत किया।

भारत में माइक्रोफाइनेंस की वर्तमान स्थिति: वर्तमान में माइक्रोफाइनेंस संस्थाएँ भारत के 28 राज्यों, 8 केंद्रशासित प्रदेशों और 730 ज़िलों में कार्यरत हैं।

- माइक्रोफाइनेंस उद्योग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 16% की वृद्धि की, जबकि वर्ष 2022-23 में यह वृद्धि 21% थी। मार्च 2024 तक, इस क्षेत्र का संयुक्त पोर्टफोलियो 4.08 लाख करोड़ रुपए तक पहुँच गया।
- वर्ष 2024 तक, माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में सबसे अधिक बकाया ऋण वाले शीर्ष पाँच राज्य **बिहार**, **तमिलनाडु**, **उत्तर प्रदेश**, **कर्नाटक** और **पश्चिम बंगाल** हैं। ये राज्य मिलकर उद्योग के कुल पोर्टफोलियो का लगभग 58% हिस्सा बनाते हैं।



दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

माइक्रोफाइनेंस संस्थाएँ संकट का समाधान कैसे कर सकती हैं और दीर्घकालिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित कर सकती हैं?

- **समग्र त्रिस्तरीय मॉडल अपनाना:** ***MFI को बेसिक्स के त्रिस्तरीय मॉडल*** जैसे समग्र मॉडल को अपनाना चाहिये जो **आजीविका संवर्धन, वित्तीय सेवाओं और संस्थागत विकास को एकीकृत करता है।**
- यह कौशल प्रशिक्षण, बाज़ार संपर्क और बीमा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जो कि केवल ऋण मॉडल में अनुपस्थित प्रमुख तत्त्व हैं।
  - त्रिस्तरीय मॉडल यह सुनिश्चित करता है कि सूक्ष्म ऋणों का उपयोग आय-उत्पादक गतिविधियों के लिये किया जाए न कि गैर-उत्पादक उद्देश्यों के लिये, जिससे अति-ऋणग्रस्तता को रोकने और वित्तीय प्रगति सुनिश्चित करने में सहायता मिल सकती है।
- **क्रेडिट रेटिंग में सुधार:** केवल पुनर्भुगतान दरों और पोर्टफोलियो वृद्धि के बजाय **आर्थिक स्थिरता तथा घरेलू आय में सुधार** जैसे परिणामों को प्राथमिकता देकर क्रेडिट स्कोरिंग प्रणाली में सुधार करना चाहिये।
  - यह बदलाव यह सुनिश्चित करेगा कि वित्तीय संस्थाएँ न केवल वित्तीय रूप से सुदृढ़ बनी रहें, बल्कि उधारकर्त्ताओं के जीवन में भी सार्थक योगदान दें।
- **व्यक्तिगत ऋण मूल्यांकन की ओर बदलाव:** समूह-आधारित JLG मॉडल से हटकर व्यक्तिगत ऋण मूल्यांकन शुरू करने से NPA में कमी आ सकती है।
- **जोखिम न्यूनीकरण हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग:** वास्तविक समय डेटा ट्रैकिंग, **अपने ग्राहक को जानें (KYC) सत्यापन तथा** ओपन API के माध्यम से **एंड-टू-एंड ऋण उत्पत्ति प्रणाली (LOS), ऋण प्रबंधन प्रणाली (LMS)** जैसे सुरक्षित ऋण प्रबंधन प्लेटफार्मों को अपनाने से सेवा वितरण में काफी सुधार होगा।
  - बड़े डेटा एनालिटिक्स को अपनाने से जोखिम मूल्यांकन में सुधार हो सकता है और ऋण अंडरराइटिंग में सुधार हो सकता है, जिससे संभावित रूप से चूक में कमी आ सकती है।
- **संग्रहण प्रथाओं में सुधार:** यद्यपि बलपूर्वक प्रथाओं को रोकने के लिये कानूनी उपाय आवश्यक हैं, MFI को **ग्राहक संबंधों और संग्रहण रणनीतियों में सुधार पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिये।**
  - ऋणकर्त्ताओं को धमकी देने के बजाय संचार और समर्थन सेवाओं के माध्यम से जोड़ना विश्वास बना सकता है तथा पुनर्भुगतान दरों में सुधार कर सकता है।
  - आय-आधारित पुनर्भुगतान जैसे अनुकूल ऋण उत्पाद उपलब्ध कराने से उधारकर्त्ताओं को अपने पुनर्भुगतान को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में सहायता मिल सकती है।
- **वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना:** उधारकर्त्ताओं के लिये वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम उन्हें ऋण न चुकाने के परिणामों को समझने और ऋण प्रबंधन की उनकी क्षमता में सुधार करने में सहायता कर सकते हैं।

निष्कर्ष

माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में NPA में वृद्धि एक चुनौतीपूर्ण लेकिन चक्रीय चरण का संकेत देती है जो प्रणालीगत संघर्षों के बजाय आंतरिक गलतियों से प्रेरित है। SBI जैसे प्रमुख ऋणदाताओं द्वारा इस क्षेत्र का समर्थन जारी रखने और बेहतर प्रशासन के लिये दबाव डालने के साथ, इस क्षेत्र का अनुकूलन आत्म-सुधार, नियामक अनुशासन तथा निरंतर संस्थागत समर्थन पर निर्भर करेगा। सुधार का रास्ता लंबा हो सकता है लेकिन सामूहिक प्रयास से इसे हासिल किया जा सकता है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न: "माइक्रोफाइनेंस संस्थानों के बीच गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में वृद्धि भारत के ग्रामीण ऋण वितरण मॉडल में गहरे संरचनात्मक मुद्दों को दर्शाती है।" आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये।

निजी क्षेत्र का पूंजीगत व्यय

चर्चा में क्यों?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अंतर्गत आने वाले **राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO)** ने अपनी पहली **'फॉरवर्ड-लुकिंग सर्वे ऑन प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स इन्वेस्टमेंट इंटेंशंस'** रिपोर्ट जारी की।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

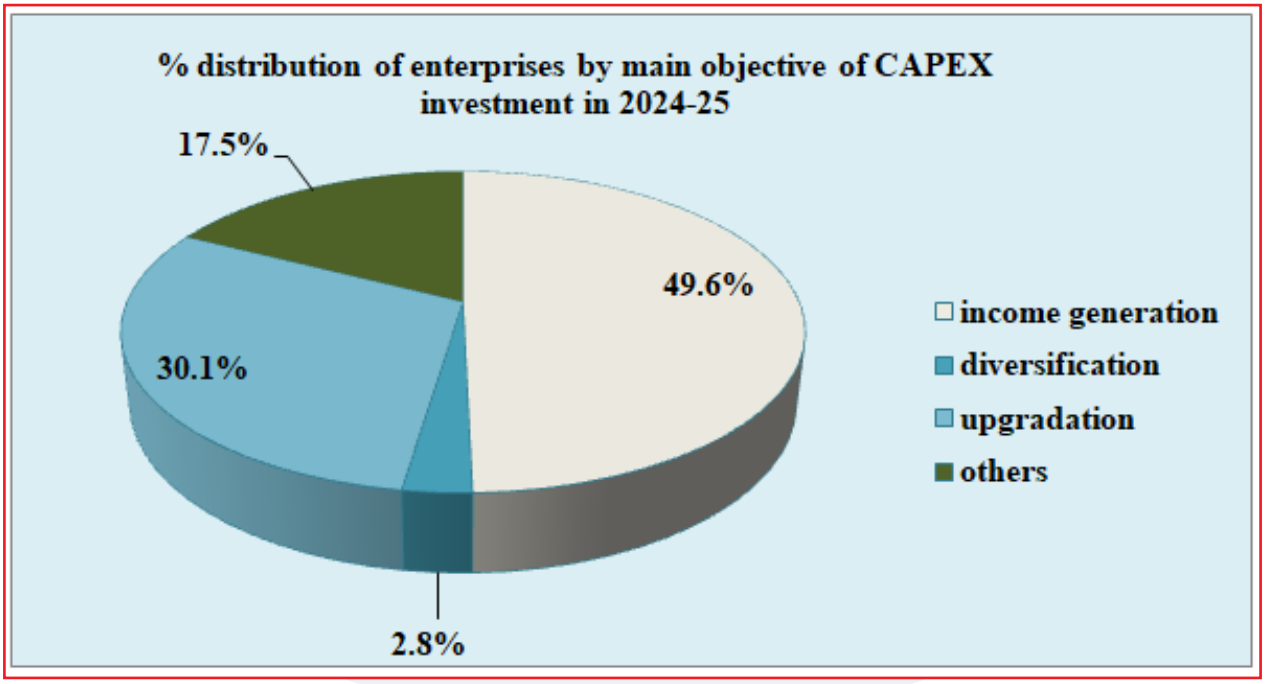
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- यह सर्वेक्षण **सांख्यिकी संग्रह अधिनियम, 2008** के तहत आयोजित किया गया था, इसका उद्देश्य वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक पाँच वित्तीय वर्षों में निजी कॉर्पोरेट **पूंजीगत व्यय (कैपेक्स)** के रुझान का अनुमान लगाना है।

निजी क्षेत्र के पूंजीगत व्यय निवेश में रुझान क्या हैं?

- **पूंजीगत व्यय में समग्र वृद्धि: निजी क्षेत्र का पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) वित्त वर्ष 2021-22 से लेकर 2024-25 तक चार वर्षों में 66.3% की वृद्धि दर्ज करता है।** हालाँकि, वित्त वर्ष 2025-26 में इसके 25.5% तक घटने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2024-25 में सुदृढ़ कैपेक्स चक्र के बाद कंपनियों द्वारा की जा रही सतर्क योजना को दर्शाता है।
  - यह गिरावट उच्च उधार लागत, कमज़ोर मांग और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं जैसे कारकों से प्रेरित है।
- **निवेश का उद्देश्य और प्रकृति:** वित्त वर्ष 2024-25 में, 49.6% उद्यमों ने आय सृजन के लिये, 30.1% ने उन्नयन के लिये और 2.8% ने विविधीकरण के लिये निवेश किया।
  - वित्त वर्ष 2024-25 में नई परिसंपत्ति खरीद के लिये **प्रति उद्यम अनुमानित पूंजीगत व्यय 172.2 करोड़ रुपए था।**



- **पूंजीगत व्यय का क्षेत्रवार वितरण: विनिर्माण** क्षेत्र में सबसे अधिक **43.8%** हिस्सा रहा, उसके बाद **सूचना एवं संचार (15.6%)** और **परिवहन एवं भंडारण (14%)** का स्थान रहा।
  - परिसंपत्ति के अनुसार, कुल पूंजीगत व्यय का 53.1% **मशीनरी एवं उपकरणों** पर, **22% पूंजीगत कार्य-प्रगति पर** तथा **9.7% भवनों एवं संरचनाओं** पर व्यय किया गया।
- **सकल अचल परिसंपत्तियों (GFA) में वृद्धि:** निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र में प्रति उद्यम औसत **GFA** में 27.5% की वृद्धि देखी गई, जो वर्ष 2022-23 में 3,279.4 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 4,183.3 करोड़ रुपए हो गई।
  - सर्वोच्च GFA विद्युत्, गैस, भाप एवं वातानुकूलन आपूर्ति क्षेत्र में देखा गया, इसके बाद विनिर्माण क्षेत्र रहा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **सकल अचल परिसंपत्तियाँ (GFA)** से तात्पर्य एक **उद्यम द्वारा स्वामित्व में रखी गई भौतिक परिसंपत्तियों**—जैसे मशीनरी, भवन एवं उपकरण—के कुल मूल्य से होता है, जिसमें मूल्यह्रास (डेप्रीशीएशन) घटा दिया जाता है।

कैपेक्स (पूंजीगत व्यय) क्या है?

- **परिचय:** **कैपेक्स (Capital Expenditure)** का आशय ऐसी धनराशि से है जो भौतिक परिसंपत्तियाँ—जैसे संपत्ति, उपकरण या प्रौद्योगिकी—**अर्जित करने**, **उन्नत करने** या बनाए रखने पर खर्च की जाती है। यह **दीर्घकालिक निवेश** होता है, जिसे परिसंपत्ति के रूप में दर्ज किया जाता है और समय के साथ मूल्यह्रास (डेप्रीशीएशन) के अधीन होता है। उदाहरणों में मशीनरी की खरीद और सुविधाओं का आधुनिकीकरण शामिल हैं।
  - **परिचालन व्यय (Opex),** जो व्यवसाय के **दैनिक संचालन लागतों** को दर्शाता है, के विपरीत कैपेक्स उन महत्त्वपूर्ण निवेशों को कहते हैं जो दीर्घकालिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किये जाते हैं।
- **कैपेक्स डेटा:** भारतीय सरकार अपने **वार्षिक बजट** के माध्यम से पूंजीगत व्यय का आवंटन करती है, जिसे वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं।
  - वित्त वर्ष 2025-26 के लिये **GDP** के 3.1% के अनुरूप ₹11.21 लाख करोड़ के पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया गया है।
- **महत्त्व:** कैपेक्स उच्च गुणक प्रभाव के कारण आर्थिक वृद्धि में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सहायक उद्योगों को प्रोत्साहित करता है, रोज़गार सृजित करता है, तथा श्रम उत्पादकता को बढ़ाता है।
  - एक प्रतिचक्रीय राजकोषीय उपकरण के रूप में, कैपेक्स अर्थव्यवस्था को स्थिर करता है तथा परिसंपत्ति सृजन के माध्यम से दीर्घकालिक राजस्व सृजन का समर्थन करता है।
  - यह ऋण चुकौती द्वारा देनदारियों को घटाने में भी सहायक होता है तथा निजी निवेश को उत्प्रेरित कर सतत् आर्थिक विकास के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

निजी क्षेत्र के कैपेक्स को बाधित करने वाली चुनौतियाँ क्या हैं?

- **भू-राजनीतिक अनिश्चितता और वैश्विक व्यापार में व्यवधान:** बढ़ते तनाव (जैसे—**अमेरिका-चीन टैरिफ**, वैश्विक प्रतिबंध) व्यापार और इनपुट लागतों में अनिश्चितता उत्पन्न करते हैं।
  - आयातित सामग्रियों पर निर्भर उद्योग आपूर्ति श्रृंखला की कमज़ोरियों के कारण विशेष रूप से सतर्क हैं।
- **उच्च उधार लागत:** उच्च ब्याज दरें बड़े पैमाने की परियोजनाओं के वित्तपोषण की लागत को बढ़ा देती हैं, जिसके कारण कंपनियाँ बैंकों से उधार लेने के बजाय आंतरिक स्रोतों का उपयोग करना पसंद करती हैं।
- **निम्न उपभोक्ता मांग:** कम निजी खपत क्षमता विस्तार में निवेश करने के लिये व्यावसायिक विश्वास को प्रभावित करती है।
  - कोविड-19 के बाद मांग में कुछ सुधार के बावजूद, यह प्रमुख ग्रीनफील्ड निवेशों को उचित ठहराने के लिये पर्याप्त सुदृढ़ नहीं है।
- **ग्रीनफील्ड परियोजनाओं का अभाव:** अधिकांश वर्तमान निवेश ब्राउनफील्ड (मौजूदा इकाइयों का विस्तार) हैं, जो आंतरिक निधियों के माध्यम से वित्तपोषित हैं।
  - ग्रीनफील्ड निवेश (नई इकाइयाँ) जिनके लिये आमतौर पर बैंक वित्तपोषण की आवश्यकता होती है, की कमी है, जिससे समग्र पूंजीगत व्यय की दृश्यता कम हो रही है।
- **संरचनात्मक समस्याएँ:** भूमि अधिग्रहण में देरी और श्रम सुधारों का अभाव प्रमुख बाधाएँ बनी हुई हैं।
  - कुशल श्रमिकों की कमी, जिसका उदाहरण L&T द्वारा 40,000 श्रमिकों को नियुक्त करने में किया गया संघर्ष है, परियोजना के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न कर रहा है।
- **IBC के अनुभवों के कारण सावधानी:** दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC), 2016 के तहत पिछले दिवाला (जैसे, जेट एयरवेज, एस्सार) ने फर्मों को अधिक जोखिम-से-बचने वाला बना दिया है। संपत्ति जब्त होने के डर से रूढ़िवादी वित्तीय योजना बनाई जाती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट:

- कम क्षमता उपयोग हालाँकि कुछ क्षेत्रों (स्टील, सीमेंट, ऑटो) में 75-80% उपयोग की रिपोर्ट है, लेकिन कुल दरें Q4 FY23 में 76.3% के शिखर से गिरकर 74.7% (Q3 FY24) हो गई हैं। मज़बूत क्षमता उपयोग के बिना, फर्मों को आगे विस्तार करने के लिये बहुत कम प्रोत्साहन मिलता है।

- **निवेश का अत्यधिक संकेन्द्रण:** नए निजी निवेश ज्यादातर रिलायंस, टाटा जैसी कुछ बड़ी कंपनियों तक ही सीमित हैं। सतत् आर्थिक विकास के लिये भारत की व्यापक भागीदारी आवश्यक है।

निजी क्षेत्र के पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के लिये क्या किया जा सकता है?

- **संस्थागत तंत्र और ऋण सहायता को मज़बूत करना:** बड़े निजी निवेश परियोजनाओं की तीव्रता से स्वीकृति सुनिश्चित करने के लिये कैबिनेट सचिवालय के तहत मौजूदा **पुनरुद्धार परियोजना निगरानी समूह (PMG) को मज़बूत करना।**
- **MSME के लिये आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS)** का विस्तार करने और मध्यम आकार की विनिर्माण फर्मों को समान समर्थन देने से पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।
- प्रारंभिक चरण के औद्योगिक और तकनीकी निवेश को बढ़ावा देने, उभरते क्षेत्रों में नवाचार एवं विकास को प्रोत्साहित करने के लिये स्टार्टअप्स के लिये क्रेडिट गारंटी योजना (CGSS) का उपयोग करना।
  - **उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं के दायरे का विस्तार:** रक्षा विनिर्माण और सटीक इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों के लिये PLI की शुरुआत करनी चाहिये। निवेशकों का विश्वास बढ़ाने के लिये PLI संवितरण में पारदर्शिता तथा समयबद्धता में सुधार करना चाहिये।
- **कर और विनियामक ढाँचे में सुधार:** मशीनरी और संयंत्र निवेश हेतु त्वरित मूल्यह्रास लाभ को पुन: लागू करना चाहिये।
  - **राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (2022)** का प्रभावी निष्पादन करना चाहिये जिसका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स की लागत को **सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 13-14% से घटाकर 8-9%** करना है, जिससे निजी निर्माताओं की प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार होगा।
- **निजी क्षेत्र के निवेशों को जोखिम मुक्त करना: निजी क्षेत्र के निवेशों को जोखिम मुक्त** करने के क्रम में सड़क, विद्युत् और रेलवे जैसे क्षेत्रों में **इन्फ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs)** और **रियल एस्टेट निवेश ट्रस्टों (REITs)** के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिये।
- यह दृष्टिकोण जोखिमों को वितरित करते हुए निजी पूंजी को आकर्षित करने पर केंद्रित है, जिससे इन प्रमुख क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

निष्कर्ष

पिछले कुछ वर्षों में निजी क्षेत्र के पूंजीगत व्यय में काफी वृद्धि देखी गई है लेकिन वित्त वर्ष 26 की अनुमानित गिरावट से **उच्च उधारी लागत एवं वैश्विक तनाव** जैसी अनिश्चितताओं के बीच **सतर्क निवेश** आवश्यक है। फिर भी, **उन्नयन और क्षेत्रीय विविधीकरण पर ध्यान से आर्थिक स्थिरता** के साथ समन्वित एक **विकसित निवेश रणनीति** को बढ़ावा मिलेगा।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत में पूंजीगत व्यय बढ़ाने में निजी क्षेत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

भारत के लिये उच्च विकास दर का लक्ष्य

चर्चा में क्यों?

भारत की **सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि दर वर्ष 2000 से वर्ष 2025 तक** मुख्य तौर पर 6% के आसपास रही है, वर्ष 2006 और वर्ष 2010 के बीच 8% की संक्षिप्त अवधि को छोड़कर, जिसे अक्सर **"6% GDP वृद्धि जाल" के रूप में संदर्भित किया जाता है।**

- इस सीमा को तोड़ने के लिये **संरचनात्मक सुधार, तकनीकी निवेश, मानव पूंजी विकास और स्थिरता की आवश्यकता है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति क्या है?

- **GDP वृद्धि:** IMF ने भारत की GDP वृद्धि वर्ष **2025 में 6.2%** और वर्ष **2026 में 6.3% रहने का अनुमान लगाया है**, जिससे यह सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बन जाएगी।
- **विदेशी निवेश और विदेशी मुद्रा भंडार:** मई 2025 में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर **688.13 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया**, जो सितंबर 2024 के सर्वकालिक उच्च स्तर के करीब है।
- **बुनियादी ढाँचा:** परिचालन हवाई अड्डों की संख्या 74 (वर्ष 2014) से बढ़कर **159 (वर्ष 2025) हो गई है**, वर्ष 2030 तक 50 नए हवाई अड्डा परियोजनाओं की योजना बनाई गई है। भारत **विश्व के सबसे तेज़ी से बढ़ते नागरिक विमानन बाज़ारों में से एक है।**
- **विनिर्माण : वर्ष 2025 में** क्षमता उपयोग 75.3% तक पहुँच गया, जो **मज़बूत औद्योगिक गतिविधि का संकेत देता है।** इससे पता चलता है कि **कारखाने क्षमता के करीब कार्य कर रहे हैं**, जो **मज़बूत मांग को दर्शाता है** और संभवत: **निजी निवेश को प्रोत्साहित करता है।**
- **रोज़गार :** वर्ष 2024 में, भारत की **कुल बेरोज़गारी दर** थोड़ी कम होकर **4.9%** (वर्ष 2023 में 5.0% से) हो जाएगी, **ग्रामीण बेरोज़गारी 4.2%** तक कम हो जाएगी और **शहरी बेरोज़गारी 6.7%** पर स्थिर रहेगी। यह रोज़गार की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार को दर्शाता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में।

भारत में उच्च GDP विकास दर में बाधा डालने वाली प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- **कम निवेश और रोज़गार सृजन:** पिछले 25 वर्षों (2000-2025) में भारत का **निवेश-GDP अनुपात** 39-42% (वर्ष 2006 और वर्ष 2010 के बीच) से **कम हो कर 33% (वर्ष 2023) हो गया** है, जबकि **निजी निवेश** 18% से कम हो कर **9.8% हो गया है।** इससे आर्थिक विकास, क्षमता विस्तार और **रोज़गार सृजन धीमा हो गया है।**
  - **इसके अलावा निवेश की रोज़गार लोच** (अर्थात् **निवेश की प्रत्येक इकाई के लिये कम रोज़गार सृजित होता हैं**) में भी **गिरावट** आई है, जो वर्ष 2000 के दशक में 0.44 से घटकर वर्ष 2023 में 0.21 हो गई है।
    - इसका कारण यह है कि बुनियादी ढाँचे और स्वचालन जैसे **पूंजी-गहन क्षेत्र अधिकांश निवेश को अवशोषित कर लेते हैं**, जिससे बड़े पैमाने पर रोज़गार सृजन सीमित हो जाता है।
- **राजकोषीय बाधाएँ और अकुशल सार्वजनिक व्यय:** सरकार के राजस्व का एक **महत्त्वपूर्ण हिस्सा (लगभग 25%) सार्वजनिक ऋण पर ब्याज भुगतान** में चला जाता है, जिससे शिक्षा और बुनियादी ढाँचे जैसे क्षेत्रों में **महत्त्वपूर्ण निवेश हेतु राजकोषीय स्थान सीमित हो जाता है।**
  - भारत का **कर-GDP अनुपात** 11.7% पर बना हुआ है, जबकि ब्रिटेन, फ्राँस और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में यह 24% से अधिक है, **जिससे संसाधन सृजन पर प्रतिबंध लगता है।**
    - इसके अलावा, **अनुचित संसाधन आवंटन और नौकरशाही विलंब के कारण होने वाला अलाभकारी सार्वजनिक व्यय,** विकास के लिये महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में नीतियों की प्रभावशीलता को कम कर देता है।
- **बुनियादी अवसंरचना की कमी और व्यापारिक बाधाएँ:** भारत की लॉजिस्टिक्स लागत **सकल घरेलू उत्पाद (GDP)** का अनुमानित 14-18% है (आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23), जबकि वैश्विक मानक लगभग 8% है। इसका मुख्य कारण खराब **सड़कों की कनेक्टिविटी, बंदरगाहों पर भीड़भाड़ और खंडित आपूर्ति शृंखलाएँ** हैं।
  - **निर्यात-GDP अनुपात (19.5%) भी कम है,** जिसका कारण उच्च शुल्क और व्यापारिक बाधाएँ हैं। साथ ही, व्यापार समझौतों की धीमी गति के कारण **भारतीय उत्पादों, विशेषकर छोटे व्यवसायों,** की वैश्विक बाजारों तक पहुँच सीमित हो जाती है।
- **सामाजिक और संस्थागत कमज़ोरियाँ:** आर्थिक विकास शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र, विशेष रूप से कृषि,

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

पीछे छूट गए हैं। उदाहरण के लिये, **शीर्ष 10% के पास 77% संपत्ति है, जबकि निचले 50% के पास राष्ट्रीय आय का केवल 13% हिस्सा है।**

- **भ्रष्टाचार और संस्थागत अकुशलताएँ** इन असमानताओं में योगदान करती हैं, जिसके कारण भारत **भ्रष्टाचार बोध सूचकांक (2024) में 96वें स्थान पर है।**

- **वैश्विक और बाह्य कारक:** भारत की वृद्धि वैश्विक अनिश्चितताओं से प्रभावित होती है, जिसमें भू-राजनीतिक तनाव (जैसे, रूस-यूक्रेन संघर्ष), प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में **आर्थिक मंदी (जैसे, अमेरिका, चीन) और तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव शामिल हैं।**
  - **विदेशी निवेश** पर इसकी निर्भरता इसे बाह्य संघर्षों के प्रति संवेदनशील बनाती है, जैसा कि **वैश्विक वित्तीय संकट और महामारी संबंधी व्यवधानों के दौरान देखा गया।**

भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि के प्रमुख प्रेरक तत्त्व क्या हैं?

- **घरेलू मांग और खपत:** भारत का **बड़ा उपभोक्ता आधार और शहरीकरण** विशेष रूप से FMCG, ई-कॉमर्स और ऑटोमोबाइल में मांग को बढ़ाता है। **कृषि उत्पादन और सरकारी योजनाओं से ग्रामीण खपत को बढ़ावा मिलता है।**
  - **वित्त वर्ष 2024-2025 की तीसरी तिमाही में निजी खपत में 6.9% की वृद्धि हुई,** जबकि **अप्रैल-जून 2024 में ग्रामीण FMCG की बिक्री में 4% की वृद्धि हुई।**
- **अवसंरचना एवं पूंजीगत व्यय:** राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP), **गति शक्ति** और भारतमाला के अंतर्गत अवसंरचना परियोजनाएँ आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित कर रही हैं।
  - वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में **पूंजीगत व्यय, लॉजिस्टिक्स और शहरी अवसंरचना** को बढ़ाने के लिये 11.21 लाख करोड़ रुपए आवंटित किये गए। वित्त वर्ष 20-24 (**आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25**) के दौरान पूंजीगत व्यय 38.8% सीएजीआर की दर से बढ़ा।
- **डिजिटल अर्थव्यवस्था और फिनटेक:** भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था वर्ष 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद का 11.74% हिस्सा थी। जनवरी 2025 में UPI लेनदेन रिकॉर्ड 23.48 लाख करोड़ रुपए तक पहुँच गया। ये सभी व्यावसायिक दक्षता और कर अनुपालन को बढ़ावा दे रही हैं।
- **विनिर्माण वृद्धि और आपूर्ति शृंखला: PLI योजनाएँ और उच्च मूल्य विनिर्माण** (इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, EV) पर ध्यान केंद्रित करने से इस क्षेत्र को बढ़ावा मिल रहा है। **वित्त वर्ष 2022-23 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 23.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया था, जिसमें मोबाइल फोन का हिस्सा 43% रहा।**
  - **लाल सागर और स्वेज नहर में भू-राजनीतिक तनाव व्यापार मार्गों को बाधित कर रहे हैं,** जिससे कंपनियाँ चीन+1 रणनीति अपनाने और आपूर्ति शृंखलाओं को भारत की ओर स्थानांतरित करने के लिये प्रेरित हो रही हैं।
- **सेवा क्षेत्र: IT और फिनटेक** के नेतृत्व में भारत का सेवा क्षेत्र विकास का प्रमुख तत्त्व बना हुआ है। **वित्त वर्ष 2024-2025 में सेवा निर्यात में 12.8% की वृद्धि हुई, जो वित्त वर्ष 2023-2024 में 5.7% थी,** जिससे वैश्विक आउटसोर्सिंग में भारत की स्थिति मज़बूत हुई है।
- **ऊर्जा परिवर्तन:** भारत अक्षय ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। **अक्तूबर 2024 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता 203.18 गीगावाट तक पहुँच गई, जो कुल स्थापित क्षमता का 46.3% है।**
  - भारत का लक्ष्य **वर्ष 2030 तक 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हरित हाइड्रोजन बाज़ार बनाना है।**
- **राजकोषीय और मौद्रिक स्थिरता: विवेकपूर्ण राजकोषीय नीतियाँ और स्थिर मौद्रिक उपाय** व्यापक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करते हैं।
  - वित्त वर्ष 2024-2025 में **राजकोषीय घाटा घटकर सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% रहने की उम्मीद है,** जबकि खाद्य मुद्रास्फीति 8.4% रहने के बावजूद खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 4.9% रह जाएगी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

उच्च GDP वृद्धि प्राप्त करने के लिये कौन-कौन से कदम उठाए जाने चाहिये?

- **निजी निवेश को बढ़ावा देना और रोजगार-सृजन वाली वृद्धि को प्रोत्साहित करना:** **वस्त्र एवं परिधान, चमड़ा एवं जूते-चप्पल, खाद्य प्रसंस्करण** जैसे **श्रम-प्रधान उद्योगों** पर **ध्यान केंद्रित** करने की आवश्यकता है।
  - घरेलू विनिर्माताओं के लिये लागत घटाने हेतु प्रमुख कच्चे माल पर **शून्य आयात शुल्क** के माध्यम से निवेश को प्रोत्साहित करना, गैर-शुल्क बाधाओं को हटाना, और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना चाहिये।
  - खाद्य प्रसंस्करण में स्विट्ज़रलैंड तथा चमड़ा क्षेत्र में जर्मनी/ताइवान जैसे देशों से **क्षेत्र-विशिष्ट प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)** को बढ़ावा दना चाहिये, ताकि घरेलू निवेश और रोज़गार सृजन को प्रोत्साहन मिल सके।
- **राजकोषीय नीति में सुधार करना: कर दरों को सरल बनाकर**, छूटों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके और कर आधार को व्यापक बनाकर **कर-से-GDP अनुपात** को 15% तक बढ़ाना चाहिये।
  - **रणनीतिक विनिवेश** प्रारंभ करना चाहिये ताकि ऋण और ब्याज भुगतान (जो वर्तमान में राजस्व का लगभग 25% है) को कम किया जा सके, और इन निधियों को बुनियादी ढाँचा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे **विकासोन्मुख सामाजिक क्षेत्रों** की ओर पुन: निर्देशित किया जा सके।
- **निर्यात और व्यापारिक पहुँच का विस्तार करना: यूरोपीय संघ, अमेरिका** और **ब्रिटेन** के साथ व्यापार समझौतों को मज़बूत करना चाहिये, **गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO)** जैसे **गैर-शुल्कीय अवरोधों को समाप्त करना चाहिये** और **मानकों को वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप** बनाना चाहिये।
  - **निर्यात-उन्मुख FDI** को प्रोत्साहित करना चाहिये (जैसे वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य प्रसंस्करण और ऑटोमोबाइल घटकों में), ताकि प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाई जा सके, प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता में सुधार हो सके, और भारत के **निर्यात-से-GDP अनुपात** को कम-से-कम 25% तक पहुँचाया जा सके।

भारत वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच स्थिर और अनुकूलित आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिये कौन-से उपाय अपना सकता है?

पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये: भारत के लिये स्थिर और अनुकूलित आर्थिक विकास बनाए रखने के उपाय

निष्कर्ष

निश्चित निवेश प्रोत्साहनों, व्यापार और कर सुधारों, और सतर्क राजकोषीय प्रबंधन की नीति मिश्रण भारत को 6% विकास दर के जाल से बाहर निकलने में मदद कर सकता है। निरंतर 8% से अधिक की वृद्धि प्राप्त करना न केवल गरीबी उन्मूलन के लिये आवश्यक है, बल्कि बड़े वर्गों को मध्य वर्ग में शामिल करने के लिये भी आवश्यक है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न: भारत की आर्थिक वृद्धि में रुकावट डालने वाली प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं, और निरंतर उच्च वृद्धि दर प्राप्त करने के लिये कौन-से रणनीतिक उपाय अपनाए जाने चाहिये?

डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स: प्रगति और चुनौतियाँ

चर्चा में क्यों?

डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स (DBU), जिन्हें वर्ष 2022 में देश के सबसे सुदूर क्षेत्रों तक डिजिटल वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, का **उच्च परिचालन लागत एवं सीमित डिजिटलीकरण** जैसी चुनौतियों के कारण सीमित विस्तार हुआ है। इससे इनकी प्रभावशीलता और दीर्घकालिक स्थिरता पर सवाल उठने लगे हैं।

डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स (DBU) क्या है?

- **DBU: डिजिटल बैंकिंग यूनिट (DBU)** एक विशेषीकृत स्थायी व्यवसायिक इकाई या हब होती है, **जिसमें ऐसी न्यूनतम डिजिटल अवसंरचना उपलब्ध होती है ताकि डिजिटल बैंकिंग उत्पादों को पूर्णत: स्व-सेवा के माध्यम से,** किसी भी समय प्रदान किया जा सके।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- इन्हें **भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगाँठ** के उपलक्ष्य में **वर्ष 2022 में भारत के 75 सुदूर ज़िलों में लॉन्च किया गया था।**
- **DBU** अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCB) द्वारा स्थापित की जाती हैं **(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पेमेंट्स बैंक और स्थानीय क्षेत्रीय बैंक को छोड़कर),** जिन्हें डिजिटल बैंकिंग का अनुभव होता है। इन्हें **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की पूर्व स्वीकृति के बिना टियर 1 से टियर 6 केंद्रों में स्थापित किया जा सकता है,** सिवाय उन स्थानों के जहाँ विशेष रूप से प्रतिबंध लगाया गया हो।

- **लाभ:** इसका उद्देश्य बैंक सुविधा से वंचित आबादी के लिये **डिजिटल बैंकिंग तक पहुँच बढ़ाकर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है।**
- **प्रदान की जाने वाली सेवाएँ:** ATM, नकद जमा मशीनें, पासबुक और इंटरनेट कियोस्क, बिल भुगतान, और **e- KYC (अपने ग्राहक को जानें)** के माध्यम से खाता खोलना।
- **DBU के लिये RBI का निर्देश:** RBI का निर्देश है कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स (DBU) मौजूदा शाखाओं से भौतिक रूप से अलग हों और उनके लिये अलग प्रवेश एवं निकास बिंदु हों।
  - इन्हें डिजिटल उपयोगकर्त्ताओं की सेवा के लिये इस प्रकार डिज़ाइन किया जाना चाहिये कि इनमें **इंटरएक्टिव टेलर मशीनें, सर्विस टर्मिनल्स और कैश रीसाइक्लर** जैसी उन्नत तकनीकों की सुविधा हो।
  - इसके अतिरिक्त, प्रत्येक DBU की देखरेख एक वरिष्ठ अनुभवी कार्यकारी द्वारा की जानी चाहिये।

डिजिटल बैंकों और DBU के बीच अंतर

- डिजिटल बैंकों को **बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949** के तहत लाइसेंस प्राप्त होता है और उनके पास अपनी बैलेंस शीट तथा विधिक पहचान होती है, जिससे नवाचार एवं प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा मिलता है।
  - DBU पारंपरिक बैंकों का विस्तार हैं, जो बैंक के नियमों के अंतर्गत डिजिटल सेवाएँ प्रदान करती हैं, जिनमें प्रतिस्पर्द्धा और नवाचार की सीमित संभावनाएँ होती हैं।
- डिजिटल बैंक जमा, ऋण और अन्य वित्तीय उत्पादों सहित बैंकिंग सेवाओं की एक व्यापक श्रृंखला डिजिटल रूप से प्रदान करते हैं।
  - DBU एक विशिष्ट स्थान पर डिजिटल बैंकिंग उत्पाद और सेवाएँ प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन डिजिटल बैंकों की तरह पूर्ण बैंकिंग सेवाएँ प्रदान नहीं करते हैं।

डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स (DBU) के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं?

- **अप्रभावी योजना:** DBU के कार्यान्वयन के समय, बैंकों को **स्थानीय आवश्यकताओं, डिजिटल तत्परता या मांग और बैंकिंग प्रक्रियाओं में क्षेत्रीय अंतर** पर विचार किये बिना, **केंद्रीय रूप से चुने गए स्थानों पर उन्हें स्थापित करने के लिये सिर्फ 45 दिन का समय दिया गया,** जिससे इस पहल की प्रभावशीलता प्रभावित हुई।
- **उच्च परिचालन लागत:** RBI के अनुसार DBU को शाखाओं से अलग होना चाहिये, क्योंकि इसमें इंटरेक्टिव टेलर मशीन और वीडियो KYC जैसी महंगी अवसंरचना होती है। **कम ट्रैफिक वाले क्षेत्रों में, उच्च लागत बैंकों को DBU का विस्तार करने से रोकती है।**
- **सीमित डिजिटल और वित्तीय साक्षरता: सीमित डिजिटल कौशल, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के बीच और टियर-II, टियर-III शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कैश काउंटरों** की कमी DBU की प्रभावशीलता में बाधा डालती है, जिससे वित्तीय समावेशन सीमित हो जाता है।
- **कनेक्टिविटी और रणनीतिक एकीकरण के मुद्दे:** दूरदराज़ के क्षेत्रों में स्थिर इंटरनेट और विद्युत की कमी है, जिससे DBU का संचालन बाधित हो रहा है।

वित्तीय समावेशन के लिये सरकार की पहल क्या हैं?

- **प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY)**
- **प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)
- भारत इंटरफेस फॉर मनी (BHIM)
- एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI)
- आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS)
- प्रत्यक्ष अंतरण

डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाए जाने चाहिये?

- **विकेंद्रीकृत, मांग-आधारित विस्तार:** शीर्ष-स्तरीय रोलआउट के बजाय, स्थानीय मांग, डिजिटल साक्षरता स्तर और **बैंकिंग पहुँच के आधार पर DBU की स्थापना की जानी चाहिये।**
  - एक **विकेंद्रीकृत, डेटा-संचालित मॉडल** स्थिरता सुनिश्चित कर सकता है।
- **डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाना: प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA)** का लाभ उठाना, जिसका उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है, ताकि कम सहभागिता वाले क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता में सुधार हो सके।
  - बैंकों को स्थानीय सरकारों और सामुदायिक संगठनों के साथ मिलकर **नागरिकों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के लिये** डिजिटल सेवाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के संबंध में प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना चाहिये।
- **बुनियादी ढाँचे का समर्थन:** बेहतर कनेक्टिविटी बुनियादी ढाँचे में निवेश करना चाहिये, विशेष रूप से दूरदराज़ और कम सुविधा वाले क्षेत्रों में।
  - भारतनेट **परियोजना** दूरदराज़ के क्षेत्रों में स्थिर इंटरनेट पहुँच सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
  - **DBU परिचालन को प्रभावित करने वाली बार-बार होने वाली विद्युत कटौती को कम करने के लिये सौर ऊर्जा** जैसे बैकअप विद्युत समाधान स्थापित करने चाहिये।
- **ग्राहक सहायता में वृद्धि:** DBU को ग्राहक सहभागिता बढ़ाने के लिये डिजिटल ऑनबोर्डिंग, समस्या समाधान और वित्तीय सलाह के क्रम में मानवीय सहायता शामिल करनी चाहिये।
  - इसके अतिरिक्त, बहुभाषी इंटरफेस और **स्थानीय भाषा सहायता प्रदान करने से विविध क्षेत्रों में सुविधा एवं पहुँच में सुधार हो सकता है।**
- **वित्तीय उत्पादों और सेवाओं पर ध्यान:** DBU को **प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और अटल पेंशन योजना (APY), तक आसान पहुँच सुनिश्चित करनी चाहिये** विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ बीमा की पहुँच कम है।
  - **पीएम मुद्रा योजना, ई-मुद्रा और अन्य MSME योजनाओं के तहत डिजिटल ऋणों तक त्वरित पहुँच की सुविधा प्रदान करनी चाहिये।**

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न: डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ (DBU) क्या हैं? उन्हें लागू करने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिये और ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी प्रभावशीलता को अनुकूलित करने के उपाय सुझाएँ।

CSR खर्च में वृद्धि

चर्चा में क्यों?

प्राइम डेटाबेस (भारतीय बाज़ार डेटा फर्म) की रिपोर्ट से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2023-24 में **सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) व्यय में 16% की वृद्धि होगी।**

- इसका श्रेय **विभिन्न क्षेत्रों में लाभप्रदता में सुधार को दिया जा सकता है** तथा यह **कॉर्पोरेट परोपकार** और **अनुपालन संस्कृति में बदलती प्राथमिकताओं को भी दर्शाता है।**

नोट: सूचीबद्ध कंपनियाँ वे हैं जिनके शेयर भारत में **बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE)** या **नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE)** जैसे **मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों** पर **सूचीबद्ध और कारोबार किये जाते हैं** एवं **नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं।**

CSR व्यय में नवीनतम रुझान क्या हैं?

- **CSR खर्च में रुझान (वित्त वर्ष 2023-24):** सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा CSR खर्च वित्त वर्ष 2022-23 में 15,524 करोड़

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

रुपये से बढ़कर वर्ष 2023-24 में **17,967 करोड़ रुपये हो गया, जो मुनाफे में समग्र वृद्धि** को दर्शाता है।

- HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS और ONGC शीर्ष योगदानकर्ता रहे।
- लगभग **98% कम्पनियों ने अपने CSR दायित्वों को पूरा किया** तथा लगभग **आधी कम्पनियों ने अपेक्षित व्यय से अधिक व्यय किया**।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) ने भी वित्त वर्ष **2022-23 की तुलना में अपने CSR योगदान में** 19% की वृद्धि की।

- **क्षेत्र अनुसार आवंटन और बदलाव: शिक्षा को सबसे अधिक आवंटन** (1,104 करोड़ रुपये) प्राप्त हुआ, उसके बाद **स्वास्थ्य सेवा** (720 करोड़ रुपये) का स्थान रहा।
  - **पर्यावरणीय स्थिरता** पर व्यय में सबसे अधिक **54% की वृद्धि हुई, जो ESG (पर्यावरण, सामाजिक और शासन) लक्ष्यों** की ओर बदलाव को दर्शाता है, इसके बाद **राष्ट्रीय विरासत** में **5% की वृद्धि हुई**।
    - **हालाँकि, मलिन बस्ती विकास, ग्रामीण विकास** और **सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त सैनिकों के कल्याण** जैसे क्षेत्रों के लिये समर्थन में तेज़ी से गिरावट आई (क्रमशः 72%, 59% और 52%)।
- **राज्यवार रुझान: महाराष्ट्र, राजस्थान** और **तमिलनाडु** CSR निधि के शीर्ष तीन प्राप्तकर्ता थे, जिनमें शीर्ष 10 राज्यों का कुल CSR व्यय का **60% हिस्सा था**।
  - वर्ष 2022-23 की तुलना में CSR फंड में **सबसे अधिक वृद्धि** देखने वाले राज्य **तमिलनाडु, महाराष्ट्र** और **गुजरात हैं**, जबकि **राजस्थान, हरियाणा** और **पंजाब में** CSR फंडिंग में **सबसे बड़ी गिरावट** दर्ज़ की गई।
- **प्रत्यक्ष व्यय बनाम कार्यान्वयन एजेंसियाँ:** वित्त वर्ष 2023-24 में, **31% कंपनियों ने सीधे CSR पर खर्च किया, 29% ने कार्यान्वयन एजेंसियों का उपयोग किया, 38% ने दोनों का उपयोग किया** और 2% ने विधि निर्दिष्ट नहीं की।
  - हालाँकि, **अधिकांश धनराशि (50% से अधिक) कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से खर्च की गई**।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है?

- **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) से तात्पर्य समाज और पर्यावरण के प्रति कंपनी की ज़िम्मेदारी** से है।
  - यह एक **स्व-विनियमन मॉडल है** जो यह सुनिश्चित करता है कि **व्यवसाय आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय** कल्याण पर अपने प्रभाव के लिये जवाबदेह बने रहें।
  - CSR को अपनाने से कंपनियाँ **सतत् विकास** में **अपनी व्यापक भूमिका के प्रति अधिक जागरूक हो जाती हैं।**



- **कानूनी ढाँचा:** भारत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत **CSR व्यय को अनिवार्य बनाने वाला पहला देश है,** जो पात्र गतिविधियों के लिये एक संरचित ढाँचा प्रदान करता है।
- **प्रयोज्यता:** CSR नियम उन कंपनियों पर लागू होते हैं जिनकी **पिछले वित्तीय वर्ष में निवल संपत्ति 500 करोड़ रुपए से अधिक या कारोबार 1,000 करोड़ रुपए से अधिक या निवल लाभ 5 करोड़ रुपए से अधिक हो।**
  - ऐसी कंपनियों को अपने **पिछले तीन वित्तीय वर्षों** (या यदि हाल ही में स्थापित की गई हैं तो उपलब्ध वर्षों) के औसत निवल लाभ का कम से कम 2% **कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)** गतिविधियों पर व्यय करना आवश्यक है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **CSR पहलों के प्रकार:**
  - **कॉर्पोरेट परोपकार (Corporate Philanthropy):** दान और चैरिटी योगदान।
  - **सामुदायिक स्वयंसेवा (Community Volunteering):** कर्मचारियों द्वारा संगठित सेवा कार्य।
  - **नैतिक व्यवहार (Ethical Practices):** सामाजिक रूप से उत्तरदायी उत्पादों का निर्माण।
  - **कारण प्रचार और सक्रियता (Cause Promotion):** सामाजिक मुद्दों को समर्थन देना।
  - **कारण-आधारित विपणन (Cause Marketing):** बिक्री को दान से जोड़ना।
  - **सामाजिक विपणन (Social Marketing):** जनहित के लिये अभियानों को वित्तपोषित करना।
- **पात्र क्षेत्र:** CSR गतिविधियों में कई तरह की पहल शामिल हैं, जिनमें **गरीबी उन्मूलन, शिक्षा और लैंगिक समानता** को बढ़ावा देना, HIV/AIDS जैसी बीमारियों से लड़ना, पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना एवं सामाजिक-आर्थिक विकास व वंचित समूहों के कल्याण के लिये सरकारी राहत कोष (जैसे **पीएम केयर्स** और **पीएम राहत कोष**) में योगदान देना शामिल है।

भारत में CSR व्यय से संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं?

- **व्यय में भौगोलिक असमानता:** व्यय महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक एवं तमिलनाडु जैसे औद्योगिक राज्यों में केंद्रित है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों (मिज़ोरम, सिक्किम) तथा लक्षद्वीप, लेह और लद्दाख को **तुलनात्मक रूप से कम धनराशि प्राप्त होती है,** जो क्षेत्रीय असंतुलन को दर्शाता है।
- **CSR आवंटन प्रवृत्तियाँ:** CSR निधियों का 75% से अधिक हिस्सा शिक्षा और **व्यावसायिक कौशल, भुखमरी, गरीबी एवं स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरणीय स्थिरता, ग्रामीण विकास तथा खेल** जैसे प्रमुख क्षेत्रों में केंद्रित था।
  - **झुग्गी-झोपड़ी विकास, आपदा प्रबंधन और सशस्त्र बलों के दिग्गजों** से संबंधित क्षेत्रों पर बहुत कम व्यय किया जाता है।
- **कार्यान्वयन में देरी और खराब योजना:** देर से अनुमोदन और निधियों के आवंटन के कारण क्रियान्वयन में देरी होती है, जिससे कंपनियाँ दीर्घकालिक सामुदायिक विकास की बजाय **त्वरित बुनियादी अवसरंचना को प्राथमिकता देती हैं।**
  - **रणनीतिक दूरदर्शिता** का अभाव CSR को दान तक सीमित कर देता है, जबकि **दीर्घकालिक नीतियों का अभाव और दोहराए गए प्रयासों के कारण अस्पष्ट व्यय तथा सहयोग** के स्थान पर प्रतिस्पर्द्धा पैदा होती है।
- **निगरानी और मूल्यांकन (M&E) अंतराल:** वर्तमान M&E प्रणालियाँ **वास्तविक सामाजिक प्रभाव के बजाय मात्रात्मक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करती हैं।**
  - **मानकीकृत विधियों का अभाव और तृतीय-पक्ष मूल्यांकनकर्त्ताओं** द्वारा असंगत रिपोर्टिंग पारदर्शिता में बाधा डालती है तथा परियोजनाओं के बीच तुलना को कठिन बनाती है।
- **NGO साझेदारी की चुनौतियाँ: कंपनियों और NGO के बीच कमज़ोर समन्वय** परियोजना नियोजन एवं कार्यान्वयन को सीमित करता है।
  - **अल्पकालिक CSR चक्र** और NGO रिज़र्व के लिये धन के उपयोग पर प्रतिबंध क्षमता निर्माण को प्रभावित करते हैं। **बिचौलियों पर बढ़ती निर्भरता दक्षता और जवाबदेही को और कम करती है।**
- **अप्रयुक्त CSR राशि: अनिवार्यता के बावजूद 27 कंपनियों ने CSR पर व्यय नहीं किया।**
  - अधिकांश कंपनियाँ **नवोन्मेषी या उच्च प्रभाव वाले परियोजनाओं से बचती हैं और सुरक्षित, दोहराए जाने वाले उपक्रमों को प्राथमिकता देती हैं,** जिससे सतत् विकास के लिये CSR की संभावनाएँ सीमित हो जाती हैं।

भारत में CSR पहल के प्रभाव को सुदृढ़ करने के लिये क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

- **CSR विनियमों को सरल और व्यापक बनाना: नियामक** अस्पष्टता को दूर करने के लिये CSR दिशानिर्देशों को

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

सरल और अधिक अनुकूल बनाया जाना चाहिये, जिससे कंपनियों को अनुमेय गतिविधियों को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलेगी।

- **नवीनता** लाने और वास्तविक सामाजिक आवश्यकताओं के साथ **बेहतर संरेखण** के लिये पात्र CSR गतिविधियों की सूची का विस्तार किया जाना चाहिये।

- **एक केंद्रीकृत मंच बनाना:** एक राष्ट्रीय CSR पोर्टल विकसित किया जाना चाहिये जहाँ कंपनियाँ अपनी परियोजनाओं, निधि उपयोग और परिणामों की रिपोर्ट कर सकें।
  - यह कॉर्पोरेट्स को NGO और सरकारी योजनाओं से भी जोड़ सकता है जिन्हें समर्थन की आवश्यकता हो, जिससे फंड मिलान और पारदर्शिता में सुधार होगा।
- **ऑडिट और प्रभाव मूल्यांकन:** बड़ी परियोजनाओं के लिये अनिवार्य तीसरे पक्ष के ऑडिट से फंड के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। कंपनियों को प्रभाव मूल्यांकन भी प्रकाशित करना चाहिये जो वास्तविक परिणाम दिखाए, जिससे केवल धन खर्च करने से हटकर सार्थक सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न करने पर ध्यान केंद्रित हो।
- **साझेदारी और सहयोग को बढ़ावा देना:** कंपनियों को बेहतर कार्यान्वयन के लिये NGO, स्थानीय अधिकारियों और अन्य कंपनियों के साथ मिलकर कार्य करना चाहिये।
  - विभिन्न उद्योगों या विभिन्न क्षेत्रों में CSR निधियों को एकत्रित करने से बड़ी और अधिक प्रभावशाली परियोजनाएँ संभव हो सकती हैं, विशेष रूप से ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा, जलवायु अनुकूलन और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में।
- **दीर्घकालिक परियोजनाओं का समर्थन करना:** CSR पुरस्कार जैसी प्रोत्साहन योजनाएँ रचनात्मक और प्रभावी पहलों को बढ़ावा दे सकती हैं।
  - नीतियों को ऐसे दीर्घकालिक परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना चाहिये जो शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य प्रणालियों और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे मूलभूत समस्याओं का समाधान करें, न कि केवल अल्पकालिक कार्यक्रमों या दान तक सीमित रहें।
- **क्षमता निर्माण एवं संतुलित आवंटन:** छोटे उद्यमों में क्षमता निर्माण से CSR का प्रभाव बढ़ सकता है। CSR निधियाँ पिछड़े क्षेत्रों एवं जलवायु परिवर्तन, महिला सशक्तीकरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, विरासत संरक्षण और झुग्गी पुनर्वास जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित होनी चाहिये, ताकि संतुलित और समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सके।
- **पुरस्कार एवं सम्मान: अनिल बैजल समिति (2015)** की सिफारिश के अनुसार, दो श्रेणियों की कंपनियों - **बड़ी और छोटी** - के लिये **वार्षिक CSR पुरस्कार** स्थापित किये जा सकते हैं।

CSR पर इंजेती श्रीनिवास समिति की सिफारिशें

- CSR व्यय को **कर छूट योग्य** बनाया जाए।
- कंपनियों को **अप्रयुक्त CSR फंड्स** को 3 से 5 वर्ष तक आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाए।
- **कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची VII** (जो CSR पहलों के लिए योग्य गतिविधियों को निर्दिष्ट करता है) को **सतत् विकास लक्ष्यों (SDG)** के साथ संरेखित किया जाए, जिसमें स्थानीय और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के बीच संतुलन हो।
- CSR व्यय जो ₹5 करोड़ से अधिक हो, उसके लिये **प्रभाव मूल्यांकन** अनिवार्य किया जाए।
- CSR कार्यान्वयन एजेंसियों को **MCA पोर्टल** पर पंजीकृत करना अनिवार्य किया जाए।
- योगदानकर्त्ताओं, लाभार्थियों और एजेंसियों को जोड़ने के लिये **CSR एक्सचेंज पोर्टल** बनाया जाए।
- **CSR निवेश को सोशल इम्पैक्ट बॉण्ड में निवेश** की अनुमति दी जाए।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **सोशल इम्पैक्ट बॉण्ड** एक **वित्तीय उपकरण** है, जिसमें सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिये सरकार, निजी और दानदाता क्षेत्र सम्मिलित होते हैं।
- सामाजिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों को लाभ के साथ प्राथमिकता देने वाली सोशल इम्पैक्ट कंपनियों को प्रोत्साहित किया जाए।

निष्कर्ष

भारत में CSR एक स्वैच्छिक कार्य से समावेशी विकास के लिये एक विनियमित उपकरण के रूप में विकसित हुआ है। जैसे-जैसे कॉर्पोरेट लाभ और जनता की अपेक्षाएँ बढ़ रही हैं, CSR को और अधिक रणनीतिक, पारदर्शी तथा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप बनाना आवश्यक हो गया है। सीमा मानकों की पुनर्समीक्षा और मूल्यांकन तंत्रों को सुदृढ़ करने से CSR केवल अनुपालन से हटकर सतत् सामाजिक-आर्थिक विकास का एक प्रभावशाली चालक बन सकता है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. प्रभावी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) कार्यान्वयन में चुनौतियों पर चर्चा कीजिये और सामाजिक-आर्थिक विकास पर इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के उपाय सुझाइए।

■■■

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारत-पश्चिम एशिया संबंधों का सुदृढ़ीकरण

चर्चा में क्यों?

'लिंक वेस्ट' नीति के तहत पश्चिम एशिया का भारत के लिये काफी अधिक रणनीतिक और आर्थिक महत्त्व है। **UAE, सऊदी अरब, ईरान और इज़रायल** जैसे देशों के साथ भारत के गहन होते संबंध **ऊर्जा को सुरक्षित करने, व्यापार को बढ़ावा देने तथा पश्चिम एशियाई भू-राजनीति में** इसकी भूमिका को बढ़ाने की दिशा में इसके रणनीतिक महत्त्व को दर्शाते हैं।

पश्चिम एशिया को भौगोलिक दृष्टि से किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है?

- यह **एशिया** का एक उपक्षेत्र है, जो **मध्य और दक्षिण एशिया के पश्चिम, पूर्वी यूरोप के दक्षिण और अफ्रीका के उत्तर** में स्थित है।
  - यह **भूमध्य सागर, फारस की खाड़ी, लाल सागर, कैस्पियन सागर** और **ओमान की खाड़ी सहित प्रमुख जल निकायों** से घिरा हुआ है।
- इस क्षेत्र में **18 देश शामिल** हैं, जिनमें **अरब प्रायद्वीप (जैसे, सऊदी अरब, UAE), फर्टाइल क्रेसेंट** (जैसे, इराक, सीरिया), **काकेशस** (जैसे, आर्मेनिया, अज़रबैजान) और **अनातोलिया** (तुर्की) जैसे प्रमुख उपक्षेत्र शामिल हैं।
- **लगभग 283 मिलियन आबादी** वाला यह क्षेत्र अपने विशाल **तेल भंडारों** के कारण भू-राजनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण है।
  - **35 मिलियन की आबादी के साथ सऊदी अरब** इस क्षेत्र की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से **बहरीन** सबसे छोटा है।

भारत की पश्चिम की ओर देखो नीति:

वर्ष 2005 में शुरू किये गए इस समझौते का उद्देश्य **पश्चिम एशिया के साथ भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग** को बढ़ाने के साथ **क्षेत्रीय राजनीतिक संघर्षों** में तटस्थता बनाए रखना है।

- **भारत, खाड़ी को अपने विस्तारित पड़ोस** का हिस्सा मानता है, जिसमें **ईरान** इसके निकटतम पड़ोस का एक प्रमुख हिस्सा है।

भारत के लिये पश्चिम एशिया का क्या महत्त्व है?

- **ऊर्जा और आर्थिक संबंध:** पश्चिम एशिया भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण है, जो **इसके कच्चे तेल की लगभग 50% आपूर्ति करता है। वैश्विक प्राकृतिक गैस भंडार के 40%** से अधिक और **वैश्विक तेल भंडार के 50%** से अधिक के साथ, यह क्षेत्र भारत की तेल-निर्भर अर्थव्यवस्था के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - प्रमुख **तेल आपूर्तिकर्ता इराक वर्ष 2021-22 में** भारत का **पाँचवाँ सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था,** जबकि **कतर भारत के प्राकृतिक गैस आयात का 41% प्रदान करता है,** जो भारत की सुरक्षा रणनीति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- UAE **भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है,** जिसका व्यापार CEPA से बढ़ा है, जबकि सऊदी अरब चौथे स्थान पर है, जिसे वर्ष 2019 रणनीतिक साझेदारी परिषद के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया है।
- **कनेक्टिविटी और व्यापार गलियारे: पश्चिम एशिया भारत की रणनीतिक कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिये महत्त्वपूर्ण है। भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEEC)** जैसी पहल भारत को यूरोप से जोड़ती है, जो **चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का मुकाबला करती है।**
  - अंतर्राष्ट्रीय **उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC)** ईरान के **चाबहार बंदरगाह के माध्यम से भारत को मध्य एशिया और रूस से जोड़ता है,** जो भारत की मध्य एशिया नीति का समर्थन करता है।
  - **होर्मुज जलडमरूमध्य** और **बाब अल-मन्देब** जैसे महत्त्वपूर्ण समुद्री बिंदु भारत के लिये सुरक्षित व्यापार और ऊर्जा प्रवाह सुनिश्चित करते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग:** पश्चिम एशिया भारत के रक्षा, सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग के लिये महत्त्वपूर्ण है। भारत ने **रक्षा, IT और आतंकवाद विरोधी प्रयासों में सऊदी अरब और UAE जैसे देशों के साथ संबंधों को मज़बूत किया है।**
  - **यमन के हूती विद्रोहियों** की ओर से बढ़ते **मिसाइल और ड्रोन खतरे क्षेत्र की सुरक्षा कमज़ोरियों को** रेखांकित करते हैं, जैसा कि हाल के **लाल सागर संकट से स्पष्ट है।**
  - भारत के संयुक्त सैन्य अभ्यास, संयुक्त अरब अमीरात के साथ **डेजर्ट साइक्लोन** और ओमान के साथ **नसीम अल बहर,** प्रमुख खाड़ी भागीदारों के साथ उसके **गहन होते सामरिक संबंधों एवं बढ़ी हुई अंतर-संचालन क्षमता को रेखांकित करते हैं।**
- **संतुलित बहुपक्षीय कूटनीति: भारत-इज़राइल सहयोग रक्षा, साइबर सुरक्षा, कृषि** और **जल प्रबंधन** तक फैला हुआ है।
  - **I2U2** (भारत, इज़राइल, यूएई, अमेरिका) जैसी **लघु-पक्षीय पहलों** में भारत की भागीदारी, **हित-आधारित गठबंधनों पर इसके महत्त्व को दर्शाती है।**
  - **बुनियादी ढाँचे, शिक्षा** और **मानवीय सहायता** के माध्यम से **अफगानिस्तान** में भारत की निरंतर भागीदारी, क्षेत्रीय स्थिरता के उद्देश्यों का समर्थन करती है तथा क्षेत्र में **चीन** एवं **पाकिस्तान के प्रभाव का मुकाबला करती है।**
- **प्रवासी और धन प्रेषण:** पश्चिम एशिया में **9 मिलियन से अधिक भारतीय प्रवासी रहते हैं,** जिनके द्वारा भेजे गए संसाधन भारत की अर्थव्यवस्था को समर्थन देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- वर्ष 2021 में, भारत को लगभग **87 बिलियन अमरीकी डॉलर का** धन प्रेषण प्राप्त हुआ, जिसमें एक बड़ा हिस्सा **खाड़ी सहयोग परिषद (GCC)** देशों से आया।
  - इसके अतिरिक्त, बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने इस क्षेत्र में भारत की **सॉफ्ट पावर** और **सामाजिक-सांस्कृतिक भागीदारी को बढ़ाया है। उदाहरण के लिये: अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर** मध्य पूर्व में पहला पारंपरिक हिंदू मंदिर है।

भारत-पश्चिम एशिया संबंधों के समक्ष चुनौतियाँ क्या हैं?

- **सीमित आर्थिक संबंध:** यद्यपि आर्थिक संबंधों को विस्तारित करने के प्रयास किये गए हैं, फिर भी भारत और पश्चिम एशिया के बीच व्यापार अन्य क्षेत्रों की तुलना में अपेक्षाकृत सीमित है।
  - उदाहरण के लिये, **वर्ष 2019 में पश्चिम एशिया के साथ भारत का कुल व्यापार** उसके वैश्विक व्यापार का केवल **7.5%** था।
- **भू-राजनीतिक तनाव:** पश्चिम एशिया एक **राजनीतिक रूप से अस्थिर क्षेत्र है** और भारत को इन जटिल **भू-राजनीतिक गतिशीलताओं को नियंत्रित करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है,** जैसे कि **इज़रायल और फिलिस्तीन दोनों के साथ संबंध बनाए रखना तथा ईरान और सऊदी अरब जैसे क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों के साथ रणनीतिक संबंधों का प्रबंधन करना।**
  - इसके अलावा, **सीरिया, इराक और यमन** सहित कई पश्चिम एशियाई देशों में राजनीतिक अस्थिरता से **भारत के सामरिक एवं आर्थिक हितों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।**
- **अन्य प्रमुख शक्तियों के साथ प्रतिस्पर्द्धा: पश्चिम एशिया में भारत के हित वैश्विक शक्तियों, विशेषकर चीन के प्रतिस्पर्द्धी हितों से प्रभावित हैं,** जो अपने क्षेत्रीय प्रभाव को बढ़ा रहा है।
  - इसने **बुनियादी अवसंरचना और बंदरगाहों में रणनीतिक निवेश के माध्यम से अपने क्षेत्रीय प्रभाव का विस्तार किया है,** जैसे कि **संयुक्त अरब अमीरात में जेबेल अली बंदरगाह का विकास और ओमान के दुकम बंदरगाह में साझेदारी,** जो इस क्षेत्र में भारत की अपनी समुद्री एवं आर्थिक पहुँच के लिये चुनौती पेश कर रही है।
- **ऊर्जा कूटनीति मुद्दे:** पश्चिम एशिया **भारत के कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा प्रदान करता है,** जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- क्षेत्र में **भू-राजनीतिक अस्थिरता या संघर्ष से आपूर्ति बाधित हो सकती है** जिसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है।
  - जबकि भारत निरंतर नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है, इस संक्रमण चरण के दौरान **पश्चिम एशिया के साथ स्थिर पारंपरिक ऊर्जा संबंध बनाए रखना महत्त्वपूर्ण बना हुआ है।**

पश्चिम एशिया के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?

- **संतुलित कूटनीतिक दृष्टिकोण:** भारत को पश्चिम एशिया में अपनी **रणनीतिक स्वायत्तता और गुटनिरपेक्ष नीति** को बनाए रखना चाहिये तथा **सऊदी अरब, ईरान, इज़रायल एवं संयुक्त अरब अमीरात** जैसे प्रमुख अभिकर्त्ताओं के साथ मज़बूत द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना चाहिये।
  - किसी भी विशेष गुट के साथ प्रत्यक्ष गठबंधन से बचकर भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता का सामना कर सकता है।
  - **इज़रायल, सऊदी अरब और ईरान** के बीच **अब्राहम एकॉर्ड 2.0** जैसे कूटनीतिक प्रयासों का समर्थन और उनमें शामिल होकर भारत **क्षेत्रीय स्थिरता तथा शांति को बढ़ावा देने वाले रचनात्मक साझेदार के रूप में अपनी भूमिका को मज़बूत कर सकता है।**
- **आर्थिक और ऊर्जा संबंधों को मज़बूत करना:** भारत को अपने ऊर्जा आयात को विविधीकृत करना चाहिये ताकि पश्चिम एशिया पर निर्भरता कम हो सके। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमताओं को बढ़ाना समय के साथ पश्चिम एशियाई तेल पर निर्भरता को घटाने में सहायक होगा।
  - **प्रौद्योगिकी, रक्षा** और **बुनियादी ढाँचे** जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, **GCC देशों** के साथ व्यापार और निवेश संबंधों को सुदृढ़ करना अत्यंत आवश्यक है।
  - **भारत-UAE व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA)** व्यापार को उल्लेखनीय रूप से बढ़ावा दे सकता है, और **GCC के अन्य देशों के साथ इसी प्रकार के समझौते** भारत के आर्थिक हितों की रक्षा करते हुए व्यापारिक संबंधों में **स्थायी वृद्धि और विविधता को प्रोत्साहित** करेंगे।
- **आतंकवाद का मुकाबला और सुरक्षा सहयोग:** भारत को क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं के समाधान और कट्टरपंथ जैसे साझा खतरों से निपटने के लिये इज़राइल, सऊदी अरब और बहरीन के साथ खुफिया जानकारी साझा करने के साथ, आतंकवाद विरोधी अभियानों एवं संयुक्त सैन्य अभ्यासों पर केंद्रित एक पारस्परिक सुरक्षा और सैन्य समझौते के माध्यम से सहयोग करना चाहिये।
  - इन देशों के साथ **रक्षा सहयोग को सुदृढ़** करना भारत को इस क्षेत्र में अपने हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायता करेगा।
- **जलवायु परिवर्तन की सहनशीलता और सतत् विकास:** भारत को जलवायु परिवर्तन पर क्षेत्रीय सहयोग को **I2U2** जैसे ढाँचों के माध्यम से बढ़ाना चाहिये, और इसे अधिक पश्चिम एशियाई देशों को शामिल करते हुए विस्तारित करना चाहिये।
  - जैसे पश्चिम एशिया **मरुस्थलीकरण** का सामना कर रहा है, भारत **मरुस्थलीकरण प्रबंधन, जल संरक्षण रणनीतियों** और **विलवणीकरण** में अपने विशेषज्ञता को साझा करके सहायता कर सकता है। साझीदार पहलों से शुष्क भूमि की समुत्थानशीलता को बढ़ावा मिल सकता है। सतत् कृषि और जल प्रबंधन में ज्ञान विनिमय और संयुक्त प्रयास महत्त्वपूर्ण होंगे।
- **सांस्कृतिक आदान-प्रदान और लोगों के बीच संबंधों में वृद्धि:** भारत को दीर्घकालिक सहयोग के निर्माण के लिये **क्षेत्र के युवाओं और शैक्षणिक संस्थानों** के साथ जुड़ते हुए **शैक्षणिक साझेदारी, सांस्कृतिक कूटनीति और पर्यटन को मज़बूत** करना चाहिये।
  - **डिजिटल सहयोग, मीडिया सह-निर्माण, युवा कूटनीति और खेल भागीदारी** के माध्यम से सांस्कृतिक संबंधों को और अधिक गहरा किया जा सकता है, जिसका उदाहरण **संयुक्त अरब अमीरात में IPL मैच** और **सऊदी अरब में IPL नीलामी** है, जिससे आपसी समझ और साझा अनुभवों को बढ़ावा मिलता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

निष्कर्ष

पश्चिम एशिया में भारत के रणनीतिक हितों के क्रम में **क्षेत्रीय तनावों से निपटने के लिये संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। मुद्रा-आधारित कूटनीति और बहुपक्षीय सहयोग** को प्राथमिकता देकर, भारत स्वयं को इस क्षेत्र में एक स्थिर शक्ति के रूप में स्थापित कर सकता है, शांति और स्थिरता में योगदान करते हुए अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सकता है।

विदेशी सहायता और भारत

चर्चा में क्यों?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी सहायता पर 90 दिनों की रोक लगाने, **यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID)** के कर्मियों को वैश्विक स्तर पर सहायता देने से रोकने के निर्णय पर विदेशी सहायता की भूमिका और भारत पर इसके प्रभाव पर चर्चा की है।

USAID क्या है?

- **USAID:** USAID की स्थापना **वर्ष 1961 में एक स्वतंत्र एजेंसी के रूप में की गई थी,** जिसका उद्देश्य **नागरिक विदेशी सहायता और विकास सहायता** प्रदान करने में सभी अमेरिकी प्रयासों को एकीकृत करना था।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य **लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना** तथा एक **स्वतंत्र, शांतिपूर्ण और समृद्ध विश्व में योगदान देना है।**
  - इसका उद्देश्य **अंतर्राष्ट्रीय विकास पहलों के माध्यम से अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि को आगे बढ़ाना** भी है।
- **कवरेज:** यह पूरे विश्व के **100 से अधिक देशों में कार्य** करता है। USAID जिन प्रमुख देशों के साथ कार्य करता है, उनमें **यूक्रेन, इथियोपिया, जॉर्डन, सोमालिया, कांगो (किंशासा), अफगानिस्तान, नाइजीरिया, सीरिया, यमन और दक्षिण सूडान** शामिल हैं।
  - **वर्ष 2024 में, संयुक्त राष्ट्र** द्वारा ट्रैक की गई समस्त मानवीय सहायता में USAID का योगदान 42% होगा।
- **सहभागिता के प्रमुख क्षेत्र:** USAID **आर्थिक विकास, वैश्विक स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, मानवीय सहायता, जलवायु परिवर्तन और लोकतंत्र एवं शासन** सहित अनेक विकास क्षेत्रों में कार्य करता है।
- **प्रमुख फ्लैगशिप कार्यक्रम: एड्स राहत के लिये राष्ट्रपति की आपातकालीन योजना (PEPFAR)** का उद्देश्य **ह्यूमन इम्यूनोडिफिसिएंसी वायरस (HIV)** संक्रमण को रोकना और जीवन बचाना है।
  - **पावर अफ्रीका** का लक्ष्य पूरे अफ्रीका में विद्युत की पहुँच का विस्तार करना है।
- **भारत में USAID की सहभागिता:** USAID के साथ भारत का सहयोग वर्ष 1951 में भारत **आपातकालीन खाद्य सहायता अधिनियम** के साथ शुरू हुआ, जो खाद्य सहायता से लेकर **बुनियादी अवसंरचना, क्षमता निर्माण और आर्थिक सुधारों** तक कई दशकों तक विकसित हुआ।
  - **वित्त मंत्रालय के अनुसार,** USAID ने वर्ष 2023-24 में 750 मिलियन अमरीकी डालर की सात परियोजनाओं को वित्त पोषित किया है, जो **कृषि और खाद्य सुरक्षा, जल, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य (WASH), नवीकरणीय ऊर्जा, आपदा प्रबंधन तथा स्वास्थ्य पर केंद्रित हैं।**
    - USAID ने **3 लाख लोगों के लिये शौचालय तक पहुँच को सक्षम करके और 25,000 समुदायों को खुले में शौच से मुक्त होने में सहायता करके स्वच्छ भारत अभियान का समर्थन किया,** साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में **WASH प्रथाओं को भी बढ़ावा दिया।**
  - USAID ने वर्ष 1990 से भारत में निमोनिया और डायरिया से होने वाली मृत्यु को कम करके 2 मिलियन से ज़्यादा बच्चों की जान बचाई है। इसने **पढ़े भारत बढ़े भारत पहल** के ज़रिये शिक्षा का समर्थन किया और 61,000 से ज़्यादा शिक्षकों को प्रशिक्षित किया।
    - इसने HIV/AIDS (PEPFAR के तहत), मातृ स्वास्थ्य और रोग निगरानी के लिये समर्थन के माध्यम से ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा को भी सुदृढ़ किया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

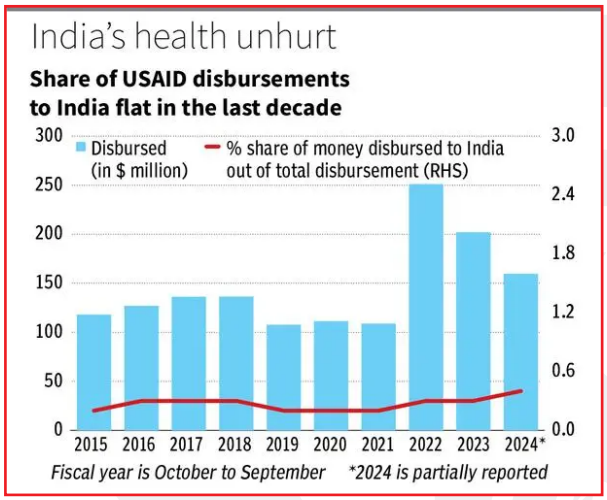
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **फीड द फ्यूचर** जैसे कार्यक्रमों ने छोटे किसानों के लिये फसल की पैदावार, कटाई के बाद की प्रथाओं और **जलवायु-अनुकूल कृषि** को बढ़ाया।

- USAID सौर ऊर्जा, वन संरक्षण और आपदा लचीलेपन में पहल के माध्यम से भारत के **कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (COP) के 26 लक्ष्यों का समर्थन करता है।**
  - उदाहरण के लिये, इसने वनों को पुनर्स्थापित करने, किसानों की सहायता करने और संरक्षणवादियों की सहायता के लिये **वन-प्लस 3.0** पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MOFCC) के साथ साझेदारी की।



USAID पर रोक से भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

- **स्वास्थ्य क्षेत्र:** USAID ने वर्ष 2024 में भारत की **स्वास्थ्य पहलों के लिये 79.3 मिलियन अमरीकी डॉलर आवंटित किये हैं और इसके निलंबन से महामारी से उबरने** एवं **स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे की** प्रगति धीमी हो सकती है।
- **आर्थिक विकास:** USAID ने भारत में गरीबी उन्मूलन और सतत् आजीविका का समर्थन करने के लिये वर्ष 2024 में 34.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया। फंडिंग में रुकावट से गरीबी उन्मूलन में प्रगति धीमी हो सकती है और आजीविका कार्यक्रम बाधित हो सकते हैं।
- **लचीले वित्तपोषण की हानि:** कठोर **सरकारी अनुदानों के विपरीत, USAID सहायता** जमीनी स्तर की आवश्यकताओं के लिये **लचीलापन** प्रदान करती है; इसके **वापस लिये जाने से NGO के नवाचार** और **स्थानीय चुनौतियों के प्रति प्रतिक्रिया** सीमित हो सकती है।
- **क्षमता निर्माण में बाधा: विदेशी वित्त पोषण ने ऐतिहासिक रूप से क्षमता निर्माण, कौशल विकास और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का समर्थन किया है; इसके निलंबन से ज्ञान हस्तांतरण में बाधा आ सकती है और गैर सरकारी संगठनों के वैश्विक संबंध कमज़ोर हो सकते हैं।**
- **बेरोज़गारी और परियोजना व्यवधान:** कई गैर सरकारी संगठन **प्रशिक्षित पेशेवरों को** नियुक्त करने और **सामाजिक विकास परियोजनाएँ चलाने के लिये विदेशी सहायता पर निर्भर रहते हैं;** इसके **रुकने से रोज़गार खत्म** हो सकती हैं, **नई पहल रुक सकती हैं** एवं **कार्यक्रम अधूरे रह सकते हैं।**
- **जवाबदेही की भूमिका का कमज़ोर होना:** विदेशी सहायता प्राप्त गैर सरकारी संगठन अक्सर **निगरानीकर्ता के रूप में कार्य करते हैं,** जो **वंचित व्यक्तियों की** रक्षा के लिये **सरकारी अतिक्रमण** और **बाज़ार की ज्यादतियों को चुनौती देते हैं; वित्तीय स्वतंत्रता में कमी के** कारण उनकी आवाज़ एवं **नीति समर्थन कमज़ोर हो सकती है।**

विदेशी सहायता के साथ भारत का संबंध किस प्रकार विकसित हुआ है?

- **प्रारंभिक निर्भरता:** स्वतंत्रता के बाद, भारत ने **विकास अंतराल को कम करने और गरीबी को कम करने के लिये सहायता मांगी,** जिसमें अधिकांश सहायता पश्चिमी देशों से आई, विशेष रूप से वर्ष **1955 और वर्ष 1965 के बीच।**
- **सरकारी सहायता में गिरावट (वर्ष 1970 के बाद): 1970 के दशक से भारत ने हरित क्रांति और औद्योगीकरण** जैसी नीतियों के माध्यम से आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित किया। इसके कारण **आधिकारिक विकास सहायता (ODA)** में लगातार गिरावट आई।
  - विदेशी **अंशदान विनियमन अधिनियम, 1976 (FCRA) ने गैर सरकारी संगठनों को विदेशी सहायता पर प्रतिबंध** लगा दिया, जो घरेलू मामलों में **विदेशी प्रभाव के संभावित स्रोत के रूप में विदेशी सहायता के** बारे में सरकार के **संदेह को दर्शाता है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **FDI और वैश्विक सहयोग की ओर बदलाव (1990 के बाद):** उदारीकरण ने भारत का ध्यान **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)** और आर्थिक विकास की ओर स्थानांतरित कर दिया।
  - उदारीकरण से पहले FDI **19.05% और उदारीकरण के बाद 24.28%** की **चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR)** से बढ़ा, जो FDI पर उदारीकरण के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है। **वर्ष 1991 के बाद से** भारत में FDI प्रवाह में **165 गुना** से अधिक की **वृद्धि हुई है।**
  - **भारत को स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास जैसे लक्षित क्षेत्रों के लिये,** विशेषकर गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से, विदेशी सहायता प्राप्त होती रहती है।
  - भारत ने विदेशी सहायता की तुलना में **व्यापार, जलवायु और प्रौद्योगिकी** में वैश्विक साझेदारी को प्राथमिकता दी तथा **सतत् विकास पर ध्यान केंद्रित किया।**
- **सहायता प्राप्तकर्ता से दाता तक परिवर्तन (वर्ष 2020 के बाद):** भारत ने **वर्ष 2025** के बजट में विकासशील देशों, मुख्य रूप से एशिया और अफ्रीका को सहायता के रूप में **6,750 करोड़ अमरीकी डॉलर आवंटित किये।**
  - यह **चीन जैसी** क्षेत्रीय शक्तियों का **मुकाबला** करने के लिये रणनीतिक रूप से इसका उपयोग करता है, जैसा कि **मालदीव को दिये गए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण (2022)** में देखा जा सकता है, और संप्रभुता की रक्षा के लिये केवल प्रमुख भागीदारों से ही द्विपक्षीय सहायता स्वीकार करता है।
  - भारत **भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम** जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से **क्षमता निर्माण** पर ध्यान केंद्रित करता है और एक प्रमुख मानवीय भूमिका निभाता है, जिसका उदाहरण **"वैक्सीन मैत्री"** अभियान है, जिसके तहत **कोविड-19** वैक्सीन 95 देशों को भेजी गई।

विदेशी सहायता के संबंध में भारत की चिंताएँ क्या हैं?

- **संप्रभुता और नीतिगत हस्तक्षेप:** विदेशी धनराशि प्राय: **नीतिगत शर्तों** (जैसे **पेटेंट सुधार,** पर्यावरणीय नियम) के साथ आती है, जो भारत की घरेलू प्राथमिकताओं से टकरा सकती हैं।
  - **USAID** या **विश्व बैंक** जैसे दाताओं द्वारा संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा सकता है, जिससे **सब्सिडी व्यवस्था** (जैसे कृषि कानून, खाद्य सुरक्षा) पर प्रभाव पड़ सकता है।
- **आंतरिक सुरक्षा के लिये खतरा:** विदेशी निधियों का दुरुपयोग रोकने के उद्देश्य से वर्ष 2020 में **FCRA** को कड़ा किया गया, क्योंकि **ग्रीनपीस** और **एमनेस्टी** जैसे विदेशी वित्तपोषित संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शनों (जैसे **कुडनकुलम विरोध, कृषि कानून**) को बढ़ावा देने तथा **अलगाववादी** या **राष्ट्रविरोधी** गतिविधियों (जैसे **खालिस्तान** समूह) को वित्तीय सहायता मिलने की आशंका जताई गई थी।
- **राजनयिक प्रभाव:** विदेशी सहायता भारत की भू-राजनीतिक स्थिति को प्रभावित कर सकती है (जैसे **रूस-यूक्रेन युद्ध, क्वाड बनाम BRI**), और **पश्चिमी सहायता** पर अत्यधिक निर्भरता **ग्लोबल साउथ मंचों** पर भारत की **रणनीतिक स्वायत्तता** को प्रभावित कर सकती है।
- **सांस्कृतिक साम्राज्यवाद:** विदेशी वित्तपोषित NGO ऐसी विचारधाराओं (जैसे **LGBTQ+**, इंजीलवाद) को बढ़ावा दे सकते हैं जो भारतीय परंपराओं से विरोधाभासी हैं, जबकि सहायता कार्यक्रम प्राय: दात्री देशों के हितों को प्राथमिकता देते हैं (जैसे जलवायु अनुकूलन को गरीबी उन्मूलन पर वरीयता)।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी:** मानकीकृत रिपोर्टिंग प्रणाली के अभाव में जन विश्वास में गिरावट आई है और सहायता के उपयोग में अक्षमता देखी गई है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

भारत विदेशी सहायता और प्रगति में संतुलन कैसे स्थापित कर सकता है?

- **रणनीतिक साझेदारियों को प्राथमिकता देना:** यह सुनिश्चित करना कि विदेशी सहायता जलवायु अनुकूलन, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप हो, तथा इसे उन क्षेत्रों में केंद्रित किया जाए जहाँ यह घरेलू प्रयासों का स्थान लेने के बजाय उनकी पूरक बनकर महत्त्वपूर्ण रिक्तियों को भर सके।
  - **अवबद्ध सहायता** को प्राथमिकता देना (जैसे मेट्रो परियोजनाओं के लिये जापान की आधिकारिक विकास सहायता)।
- **भू-राजनैतिक तटस्थता:** रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना, ताकि सहायता स्वीकार करते समय विदेश नीति की संप्रभुता से समझौता न हो, और एकाधिक दाताओं व संस्थाओं के साथ संतुलित जुड़ाव बना रहे।
- **दक्षिण-दक्षिण सहयोग को सुदृढ़ करना:** अधिक संरचित सहयोग के लिये भारत के विदेश मंत्रालय के अधीन विकास साझेदारी प्रशासन (DPA) को सशक्त बनाना।
  - भारत सरकार ने वर्ष **2025 के केंद्रीय बजट** में विदेशी विकास के लिये ऋण रेखाओं, रियायती वित्त योजना और अनुदान सहायता परियोजनाओं के माध्यम से **6,750 करोड़ रुपए** आवंटित किये हैं।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही:** भारत को सहायता की प्रभावशीलता की निगरानी करने के लिये लेखा परीक्षाओं के माध्यम से (जैसे, **विश्व बैंक** द्वारा वित्तपोषित योजनाओं पर CAG रिपोर्ट) और वास्तविक समय में ट्रैकिंग के लिये सार्वजनिक डैशबोर्ड का उपयोग करना चाहिये।

निष्कर्ष

भारत को संप्रभुता से समझौता किये बिना घरेलू लक्ष्यों को पूरा करने के लिये विदेशी सहायता का रणनीतिक रूप से उपयोग करना चाहिये। पारदर्शिता को सुदृढ़ करना, स्थानीय क्षमता का निर्माण करना, और दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देना महत्त्वपूर्ण हैं। एक संतुलित दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करेगा कि सहायता भारत की निर्भरता में नहीं बल्कि, प्रगति में योगदान दे।

G-20 का बढ़ता प्रभाव

चर्चा में क्यों?

G20 को प्राय: **"अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिये प्रमुख मंच"** के रूप में जाना जाता है, लेकिन वैश्विक प्रतिनिधित्व की कमी के कारण इसकी आलोचना की जाती है। इसकी विशेष सदस्यता वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने में इसकी **विश्वसनीयता और प्रभावशीलता को कम करती है।**

- वर्ष 2025 में दक्षिण अफ्रीका द्वारा G20 की अध्यक्षता किये जाने के साथ, इस **मंच को अधिक समावेशी तथा वैश्विक रूप से प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाने हेतु सुधारों के लिये समर्थन बढ़ रहा है।**

G20 का महत्त्व क्या है?

- **परिचय:** G20 की स्थापना **वर्ष 1999 में एशियाई वित्तीय संकट** के बाद **वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों के लिये वैश्विक आर्थिक एवं वित्तीय मुद्दों** पर चर्चा करने हेतु एक मंच के रूप में की गई थी।
- **विकास: वर्ष 2007-08 के वित्तीय संकट के बाद** G20 को अभिकर्त्ता के स्तर पर पदोन्नत किया गया तथा वर्ष 2009 में इसे वैश्विक आर्थिक सहयोग के लिये शीर्ष मंच घोषित किया गया।
  - यद्यपि इसकी शुरुआत समष्टि अर्थशास्त्र पर ध्यान केंद्रित करने के साथ हुई थी, परंतु अब इसका एजेंडा **व्यापार, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन** आदि को भी शामिल करता है।
- **सदस्यता:** इसके सदस्यों में 19 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएँ और यूरोपीय संघ (EU) एवं अफ्रीकी संघ (AU) शामिल हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

भारत वर्ष 1999 में G20 का सदस्य बना जब इस समूह की स्थापना हुई थी।

- अन्य देशों को **तदर्थ आधार पर "विशेष अतिथि" के रूप में आमंत्रित किया** जा सकता है।

- **संरचना और प्रशासन: G20 एक घूर्णनशील अध्यक्षता के अधीन संचालित होता है,** जिसका वार्षिक शिखर सम्मेलन होता है तथा यह बिना किसी स्थायी सचिवालय के कार्य करता है।
  - **ट्रोइका प्रणाली** (वर्तमान, पूर्व और आगामी अध्यक्ष) G20 के कार्यों का प्रबंधन करती है, जिसमें वर्ष 2025 की ट्रोइका में **दक्षिण अफ्रीका (वर्तमान), ब्राज़ील (पूर्व) और अमेरिका** (2026 का आगामी अध्यक्ष) शामिल हैं।
- **वैश्विक प्रभाव:** वैश्विक जनसंख्या का 67%, विश्व सकल घरेलू उत्पाद का 85% और वैश्विक व्यापार का 75% प्रतिनिधित्व करता है।
  - **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), विश्व बैंक, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) और विश्व व्यापार संगठन (WTO)** जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा कुछ संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं के प्रतिनिधि G20 बैठकों में भाग लेते हैं।
- **पिछले कुछ वर्षों में G-20 के प्रमुख परिणाम:**
  - **भुखमरी और गरीबी के विरुद्ध वैश्विक गठबंधन:** ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में वर्ष 2024 के G20 शिखर सम्मेलन में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य **नकद हस्तांतरण कार्यक्रमों के माध्यम से 500 मिलियन लोगों तक पहुँचना और वर्ष 2030 तक बच्चों को 150 मिलियन स्कूली भोजन उपलब्ध कराना है।**
  - **भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC): नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान शुरू किया गया IMEC का उद्देश्य भारत,** मध्य पूर्व और यूरोप के बीच व्यापार, आर्थिक संबंधों एवं क्षेत्रीय एकीकरण को मज़बूत करना है।
  - **वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (GBA):** इसे **सतत् जैव ईंधन** को अपनाने को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ नई दिल्ली, भारत में **G-20 शिखर सम्मेलन** में लॉन्च किया गया था।
  - **वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर: वर्ष** 2021 में **रोम में आयोजित G-20 शिखर सम्मेलन** में, G-20 नेताओं ने **15% वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर** को औपचारिक रूप से स्वीकार किया, जिसका उद्देश्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा **कर बचाव को रोकना** और एक **न्यायसंगत वैश्विक अर्थव्यवस्था** को प्रोत्साहित करना था।
  - **डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य योजना (2017): डिजिटल व्यापार,** साइबर सुरक्षा और डेटा शासन में सहयोग को सुदृढ़ करना।
  - **बेसल III मानदंड:** वर्ष **2010 के सियोल शिखर सम्मेलन** में, G-20 नेताओं ने बैंकिंग नियमों को कड़ा करने के लिये **बेसल III मानदंड** अपनाए।
  - **मजबूत विकास के लिये रूपरेखा (2009):** संकट के बाद **समन्वित राजकोषीय** प्रोत्साहन और बैंकिंग सुधारों के माध्यम से **वित्तीय प्रणाली को स्थिर** किया गया।
    - **ऋण सेवा स्थगन पहल (2020)** ने कोविड-19 के दौरान गरीब देशों को ऋण राहत प्रदान की, जिससे पुनर्प्राप्ति में सहायता मिली।
  - **जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (2010): निम्न-कार्बन विकास** को बढ़ावा दिया, जिसने वर्ष **2015 के पेरिस समझौते** को प्रभावित किया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

जी-20

- एशियाई वित्तीय संकट के बाद वैश्विक आर्थिक एवं वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिये **वर्ष 1999 में स्थापित**
- **स्थायी सचिवालय नहीं**
- **सदस्य:** 19 देश और यूरोपीय संघ (EU)
- **स्थायी अतिथि देश:** स्पेन
- **G20 शिखर सम्मेलन:** प्रतिवर्ष आयोजित होता है
- **2023 की अध्यक्षता:** भारत (**थीम** – एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य)
- **शेरपा:** ये G20 देशों के प्रतिनिधियों के रूप में कार्यावली एवं कार्यों का समन्वय करते हैं
- **ट्रोइका:** अध्यक्षता ट्रोइका द्वारा समर्थित है (ट्रोइका शब्द का इस्तेमाल पूर्व, वर्तमान और भविष्य की अध्यक्षता के संदर्भ में किया जाता है)



G-20 की सीमाएँ क्या हैं?

- **प्रतिनिधित्व का अभाव:** G-20 एक स्व-चयनित समूह है, जिसमें **19 देश**, **यूरोपीय संघ** और **अफ्रीकी संघ शामिल** हैं, जबकि **विश्व के 90% से अधिक देशों** को बाहर रखा गया है, जो केवल कभी-कभार "विशेष अतिथि" के रूप में भाग ले सकते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- इसके पास संपूर्ण **अंतर्राष्ट्रीय समुदाय** (193 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश एवं गैर-सदस्य देश) का प्रतिनिधित्व करने का कोई वैधानिक **अधिकार नहीं** है।
- **गैर-सदस्य देश** केवल **"विशेष अतिथि"** के रूप में आमंत्रित किये जाने पर ही भाग ले सकते हैं, जिससे यह मंच विशेषाधिकार प्राप्त और प्रतिनिधित्वविहीन बन जाता है।

- **निर्णय-निर्माण में विशिष्टता:** G-20 की अनौपचारिक संरचना और स्थायी सचिवालय की अनुपस्थिति के कारण गैर-सदस्य देशों को शामिल करना कठिन हो जाता है। इसके निर्णय पूरे विश्व को प्रभावित करते हैं, फिर भी अधिकांश राष्ट्र इन विचार-विमर्शों में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होते।
  - हालाँकि **ट्रोइका प्रणाली** निरंतरता सुनिश्चित करती है, फिर भी इसमें क्रियान्वयन की शक्ति का अभाव है, जिससे G-20 एक क्रियान्वयन-प्रधान निकाय की अपेक्षा अधिकतर एक विचार-मंच बनकर रह जाता है।
- **वैश्विक चुनौतियों के लिये वैश्विक समाधान की आवश्यकता:** जलवायु परिवर्तन, महामारियाँ और आर्थिक असमानता जैसी समस्याएँ व्यापक वैश्विक सहयोग की मांग करती हैं।
  - G-20 की **संकीर्ण सदस्यता इसकी क्षमता को सीमित** करती है कि वह सभी देशों के हितों को प्रतिबिंबित करने वाले समावेशी समाधान तैयार कर सके।
  - वैश्विक सहयोग में गिरावट आ रही है क्योंकि समृद्ध राष्ट्र **आधिकारिक विकास सहायता (ODA)** में कटौती कर रहे हैं और प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ समावेशी संयुक्त राष्ट्र मंचों के बजाय विशिष्ट G-20 मंचों को प्राथमिकता दे रही हैं।
  - **धनी राष्ट्र G-20 में प्रभुत्व रखते हैं,** जिससे गरीब देशों की सहायता और जलवायु वित्त के मुद्दे नज़रअंदाज़ हो जाते हैं और वैश्विक असमानता गहरी हो जाती है।
- **विभिन्न प्राथमिकताएँ: विकसित देश उन्नत तकनीक, जलवायु परिवर्तन** और **भू-राजनीतिक स्थिरता** को प्राथमिकता देते हैं, जबकि **विकासशील देश गरीबी उन्मूलन, संसाधनों तक पहुँच** और **आर्थिक विकास** पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
  - प्राथमिकताओं में यह अंतर **जलवायु वित्तपोषण, व्यापार उदारीकरण** और न्यायसंगत संसाधन वितरण जैसे मुद्दों पर असहमति का कारण बनता है।
- **भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विताएँ: अमेरिका** और **चीन** जैसे देशों के बीच राजनीतिक तनाव, या **रूस** और **इज़राइल** से जुड़े संघर्ष, सहमति निर्माण में बाधाएँ उत्पन्न करते हैं और अक्सर सहयोगात्मक समस्या समाधान से ध्यान भटकाते हैं।

कौन-से सुधार G-20 को अधिक समावेशी और प्रतिनिधित्वपूर्ण बना सकते हैं?

- **क्षेत्रीय परामर्शदात्री समूह: वर्ष 2009 में G-20 के तहत स्थापित वित्तीय स्थिरता बोर्ड (FSB)** का शासन मॉडल, G-20 को अधिक समावेशी बनाने के लिये एक समाधान प्रस्तुत करता है।
  - G-20 के विपरीत, FSB में अमेरिका, एशिया और अफ्रीका जैसे क्षेत्रों के लिये **क्षेत्रीय सलाहकार समूह (RCG) शामिल हैं,** जो गैर-सदस्य देशों को अपने दृष्टिकोण साझा करने एवं निर्णय लेने में योगदान करने की अनुमति देते हैं। प्रत्येक RCG की सह-अध्यक्षता G-20 और गैर-G-20 सदस्य करते हैं।
  - G-20 के लिये इस मॉडल को अपनाने से मंच को **अपने मूल सदस्यों को बनाए रखने में मदद मिलेगी, साथ ही क्षेत्रीय पड़ोसी देशों के साथ औपचारिक परामर्श प्रक्रिया स्थापित करने,** छोटे देशों को सशक्त बनाने और वैश्विक प्रतिनिधित्व एवं जवाबदेही को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
- **भागीदारी का विस्तार करना : गैर-G-20 देशों,** विशेष रूप से **वैश्विक दक्षिण** को **स्थायी पर्यवेक्षक का दर्ज़ा** प्रदान करना तथा व्यापक प्रतिनिधित्व के लिये **दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन (ASEAN)** और **कैरेबियाई समुदाय एवं साझा बाज़ार (CARICOM)** जैसे क्षेत्रीय निकायों के साथ भागीदारी को औपचारिक बनाना।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- चर्चाओं में विविधतापूर्ण आवाजों को सुनिश्चित करने के लिये **विशेष अतिथि आमंत्रणों को व्यवस्थित रूप से** घुमाना।

- **संस्थागत संरचना में सुधार:** निरंतरता और जवाबदेही के लिये एक **स्थायी सचिवालय की स्थापना करना, जलवायु वित्त**, **ऋण राहत** और **डिजिटल अर्थव्यवस्था** जैसे महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर अनिवार्य प्रगति रिपोर्ट के साथ **कार्य समूह बनाना।**
  - उत्तराधिकार नियोजन से परे **नीतिगत सुसंगतता की** निगरानी के लिये **ट्रोइका प्रणाली को** मज़बूत बनाना।
- **प्रमुख वैश्विक चुनौतियों का समाधान:** विकसित देशों के लिये बाध्यकारी **जलवायु वित्तपोषण लक्ष्य निर्धारित करना तथा** कमज़ोर अर्थव्यवस्थाओं के लिये G-20 **हरित विकास कोष की स्थापना करना।**
  - निम्न आय वाले देशों में संकटों को रोकने के लिये वैश्विक **ऋण संरचना में सुधार करना तथा** विकासशील देशों के लिये **IMF विशेष आहरण अधिकार (SDR) का विस्तार करना।**
- **भूखमरी से वैश्विक रूप से निपटना: खाद्य सुरक्षा** और **जलवायु अनुकूलन जैसी अफ्रीका** एवं **वैश्विक दक्षिण** की प्राथमिकताओं को महत्त्व देना, खाद्य असुरक्षा व टिकाऊ कृषि से निपटने के लिये **वैश्विक भूखमरी तथा गरीबी गठबंधन (Global Hunger and Poverty Alliance)** जैसी पहलों को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष:

जबकि G-20 **वैश्विक आर्थिक सहयोग** में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन इसमें **समावेशिता** की कमी, **अनौपचारिक संरचना** और **भू-राजनीतिक तनाव** इसकी प्रभावशीलता को कमज़ोर करते हैं। अपनी **वैधता को मज़बूत करने के लिये**, इसे **समावेशी भागीदारी मॉडल अपनाना चाहिये, स्थायी शासन तंत्र** स्थापित करना चाहिये और **जलवायु वित्त**, **ऋण राहत** एवं **खाद्य सुरक्षा** के लिये **कार्रवाई योग्य समाधानों को प्राथमिकता देनी चाहिये**- यह सुनिश्चित करते हुए कि यह वास्तव में " **अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिये प्रमुख मंच** " बन जाए।

■■■

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

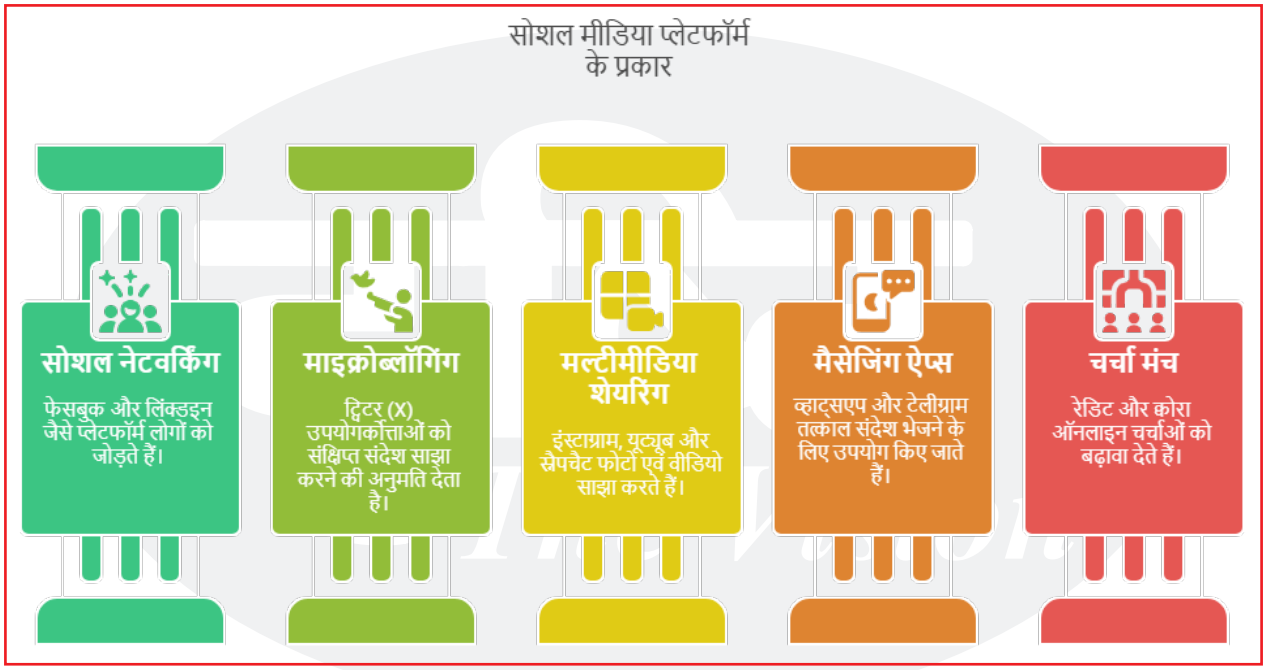
नोट:

भारतीय समाज

युवाओं पर सोशल मीडिया का प्रभाव

चर्चा में क्यों?

सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव ने **युवाओं की पहचान** और **मानसिक स्वास्थ्य** पर इसके प्रभाव को लेकर बढ़ती चिंताओं को उजागर किया है। जैसे-जैसे युवाओं की आत्म-छवि ऑनलाइन स्वीकृति से अधिक जुड़ती जा रही है, वैसे-वैसे **दुश्चिंता, तनाव और विकृत आत्म-छवि** जैसी समस्याएँ भी बढ़ रही हैं। यह स्थिति जीवन को आकार देने में सोशल मीडिया की भूमिका पर गंभीर चिंतन की आवश्यकता को दर्शाती है।



सोशल मीडिया का महत्त्व क्या है?

- **भारतीय समाज पर प्रभाव:** सोशल मीडिया पारंपरिक मीडिया के एकाधिकार को चुनौती देता है क्योंकि यह नागरिकों को वास्तविक समय में समाचार और विचार साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। इससे ज़िम्मेदार संस्थाओं की जवाबदेही तय होती है, जैसा कि **कोविड-19** के दौरान देखा गया, जब डॉक्टरों ने ऑक्सीजन की कमी को उजागर करने के लिये ट्विटर का उपयोग किया था।
  - सरकारें और राजनेता प्रत्यक्ष सार्वजनिक जुड़ाव, नीति घोषणाओं, शिकायत निवारण और राजनीतिक प्रचार के लिये सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, जैसा कि भारत में **लोकसभा चुनाव 2024** के दौरान देखा गया था।
  - सोशल मीडिया हाशिये पर पड़ी आवाज़ों को बुलंद करता है, जैसा कि **मी टू (2018)** अभियान में देखा गया, जहाँ महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में हुए उत्पीड़न का खुलासा किया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **भारतीय अर्थव्यवस्था पर सोशल मीडिया का प्रभाव:** सोशल मीडिया भारत की **डिजिटल अर्थव्यवस्था** को आगे बढ़ाता है, **छोटे व्यवसायों, स्टार्टअप्स, गिग वर्कर्स और प्रभावशाली लोगों का समर्थन करता है।** उदाहरण के लिये, **होम शेफ, कारीगर और प्रभावशाली लोग** उत्पादों को बेचने के लिये व्हाट्सएप कैटलॉग जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं।
  - यूट्यूब और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स के नेतृत्व में क्रिएटर इकोनॉमी वर्ष 2020 में 962,000 से बढ़कर 2024 में 4.06 मिलियन हो गई, जो अब 8% कार्यबल का समर्थन करती है।
  - भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी का मूल्य वर्ष 2024 में 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और इसने सकल घरेलू उत्पाद में 2.5% का योगदान दिया।
    - **WAVES 2025** के बाद, सरकार ने पूंजी, कौशल विकास और वैश्विक पहुँच के साथ रचनाकारों का समर्थन करने के लिये 1 बिलियन अमरीकी डॉलर का कोष शुरू किया।
  - सामाजिक मीडिया स्टार्टअप्स, क्राउडफंडिंग और आर्थिक विविधीकरण का समर्थन करता है, जिससे ई-कॉमर्स में तेज़ी आई है।
    - उदाहरण के लिये, पतंजलि और boAt ने रणनीतिक विपणन के माध्यम से वैश्विक दृश्यता प्राप्त की।
  - यह डिजिटल भुगतान और अर्थव्यवस्था की औपचारिकता को भी बढ़ावा देता है, जैसा कि **व्हाट्सएप पे द्वारा लेनदेन को सरल बनाने** से देखा जा सकता है।

भारत में सोशल मीडिया को कैसे विनियमित किया जाता है?

- **भारत में सोशल मीडिया को नियंत्रित करने वाले कानून:**
  - **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000:** यह सोशल मीडिया सहित इलेक्ट्रॉनिक शासन और संचार के लिये प्रमुख कानून है।
    - **धारा 79(1) मध्यस्थों** (जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म) को तीसरे पक्ष की सामग्री के लिये दायित्व से छूट देती है, बशर्ते वे केवल पहुँच प्रदान करते हैं और सामग्री को नियंत्रित या परिवर्तित नहीं करते हैं।
  - **सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्थानों के लिये दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021:** यह सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग करता है, जिसमें अनुपयुक्त सामग्री को हटाना और उपयोगकर्त्ताओं को गोपनीयता, कॉपीराइट, मानहानि और राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में शिक्षा देना शामिल है।
    - वर्ष **2023 के संशोधन** के तहत **फेसबुक** जैसे **ऑनलाइन मध्यस्थों** को भारत सरकार के बारे में गलत सामग्री हटाने की आवश्यकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में इसके कार्यान्वयन पर रोक लगा दी है।
- **न्यायिक दृष्टिकोण:**
  - **श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015): सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000** की **धारा 66A** को **सर्वोच्च न्यायालय** द्वारा अस्पष्ट होने के कारण रद्द कर दिया गया। इस निर्णय में सोशल मीडिया पर **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता** को बनाए रखा गया और यह स्पष्ट किया गया कि **आलोचना, व्यंग्य** या **असहमति** को भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिये तब तक आपराधिक नहीं माना जा सकता जब तक कि वह अनुच्छेद 19(2) में सूचीबद्ध उचित प्रतिबंधों के अंतर्गत न आए।
  - **के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017):** इस निर्णय में निजता को संविधान के **अनुच्छेद 21** के तहत एक मूल अधिकार घोषित किया गया। इस निर्णय ने **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (DPDP अधिनियम)** जैसे **डेटा संरक्षण कानूनों** को आगे बढ़ाने, साथ ही **व्हाट्सएप की गोपनीयता** नीतियों और **आधार से संबंधित मानकों** को प्रभावित किया।

सोशल मीडिया से संबंधित चिंताएँ क्या हैं?

- **मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट:** सोशल मीडिया से उत्पन्न मानसिक स्वास्थ्य जोखिमों में **चिंता, अवसाद** और **अकेलापन** शामिल हैं, जो निरंतर मान्यता के दबाव, **कुछ छूट जाने का डर (FOMO)** और आदर्श जीवन से तुलना के कारण उत्पन्न होते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **प्रदर्शन-प्रधान संस्कृति वास्तविक भावनाओं** को दबा देती है, जिससे युवाओं के लिये अपनी कमज़ोरी व्यक्त करना और सहायता माँगना और भी कठिन हो जाता है।

- **नैतिक चिंताएँ:** सोशल मीडिया **सार्वजनिक स्वीकृति के लिये मनगढ़ंत आत्म-प्रस्तुति** को प्रोत्साहित करके, विशेष रूप से युवाओं के बीच, **पहचान को विकृत** करता है।
  - **स्वयं की प्रामाणिक पहचान को एकांत** में विकसित करने के बजाय, युवा उपयोगकर्त्ता अक्सर अपनी पहचान इस आधार पर गढ़ते हैं कि कौन-सी चीज़ें उन्हें अधिक लाइक्स और फॉलोअर्स दिला सकती हैं। यह निरंतर मान्यता प्राप्त करने की आवश्यकता उनके **वास्तविक व्यक्तित्व** और **स्वयं को जिस रूप में प्रस्तुत करते हैं** के बीच की रेखा को धुंधला कर देती है, जिससे भ्रम, चिंता और भावनात्मक तनाव उत्पन्न होता है।
  - इसके साथ ही, 'फिल्टर बबल्स' की स्थिति उपयोगकर्त्ताओं को अधिक चरम विचारों के संपर्क में लाती है, जिससे नकारात्मक व्यवहार को बल मिलता है और विविध दृष्टिकोणों की समझ सीमित हो जाती है।
    - फिल्टर बबल्स तब उत्पन्न होते हैं जब एल्गोरिदम उपयोगकर्त्ता की पसंद के आधार पर सामग्री दिखाते हैं, जिससे विभिन्न दृष्टिकोणों के संपर्क की संभावना कम हो जाती है और पहले से मौजूद विश्वास और विचार और अधिक मज़बूत हो जाते हैं।

- **माता-पिता का अलगाव:** अधिकांश वयस्कों के पास अपने बच्चों के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को समझने के लिये उपकरण या जागरूकता का अभाव होता है।
  - किशोर अपने माता-पिता से अपनी गतिविधियाँ छुपाने के लिए **फर्ज़ी इंस्टाग्राम अकाउंट्स** बनाते हैं, जिससे वे और **अधिक गुप्त और अलग-थलग महसूस** कर सकते हैं।

- **बाल शोषण:** बच्चों (**चाइल्ड इन्फ्लुएंसर्स**) का उपयोग वयस्कों द्वारा सामग्री और आय उत्पन्न करने के लिये किया जा रहा है, जिससे वे बाहरी अनुमोदन, वयस्कों की निगरानी, प्रदर्शन का दबाव और पहचान बनाने के भ्रम का सामना कर रहे हैं, जबकि वे मानसिक परिपक्वता तक नहीं पहुँचे हैं।

- **साइबर धमकी या ट्रोलिंग: साइबर धमकी** और शोषण में **गुमनाम उत्पीड़न, घृणास्पद टिप्पणियाँ (hate Comments), डीपफेक दुर्व्यवहार** एवं बाल शोषण शामिल हैं, जहाँ प्रिडेटर युवाओं को निशाना बनाते हैं।

युवाओं के लिये सोशल मीडिया की चुनौतियों से निपटने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- **युवा सुरक्षा के लिये सोशल मीडिया नीति:** सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को 18 वर्ष से कम आयु के उपयोगकर्ताओं के लिये **शैक्षिक, कौशल-आधारित और सकारात्मक सामग्री को** प्राथमिकता देने के लिये **अनुशंसा एल्गोरिदम को संशोधित करना होगा।**
  - लक्षित विज्ञापनों के लिये नाबालिगों के **व्यवहार संबंधी प्रोफाइलिंग पर रोक लगाएँ (उदाहरण के लिये, 18 वर्ष से कम आयु के उपयोगकर्ताओं के लिये विज्ञापन लक्ष्यीकरण पर मेटा का प्रतिबंध)।**
  - इसके अतिरिक्त, उपयोगकर्ताओं को प्राप्त होने वाली **एल्गोरिथम सामग्री को संशोधित करने की क्षमता प्रदान की जानी चाहिये, जिससे वे गोपनीयता और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के लिये अपने सोशल मीडिया** अनुभव को अनुकूलित कर सकें।

- **नैतिक डिज़ाइन मानकों को लागू करना:** प्लेटफार्मों को हानिकारक सामग्री, जैसे **यौन, हिंसक या वयस्क सामग्री**, जिसमें जुआ, अपमानजनक या शोषणकारी सामग्री शामिल है, को बढ़ावा देने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिये तथा इसके बजाय **नैतिक मानवीय शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।**

- **डिजिटल साक्षरता: राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम को स्कूल पाठ्यक्रम में साइबर सुरक्षा पाठ्यक्रमों को** एकीकृत करना चाहिये (NEP 2020 संरेखण)।
  - **ऑनलाइन जोखिमों** की पहचान करने के लिये शिक्षकों और अभिभावकों को प्रशिक्षित करना

- **शासन और जवाबदेही को सुदृढ़ करना:** बच्चों के डेटा का दुरुपयोग करने वाले प्लेटफार्मों को दंडित करने हेतु DPDP

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

अधिनियम, 2023 को लागू किया जाना चाहिये, साथ ही युवा **सुरक्षा** मानदंडों के अनुपालन की समीक्षा के लिये **तीसरे पक्ष द्वारा ऑडिट भी कराया जाना चाहिये।**

- इसके अतिरिक्त, साइबर धमकी और उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के लिये **त्वरित समाधान तंत्र स्थापित किया जाना चाहिये।**

- **माता-पिता और समाज को सशक्त बनाना: गूगल फैमिली लिंक और एप्पल स्क्रीन टाइम** जैसे अभिभावकीय नियंत्रण उपकरणों को बढ़ावा देना और **स्वस्थ सोशल मीडिया उपयोग** के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु गैर सरकारी संगठनों एवं स्कूलों के साथ सहयोग करना।
  - सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म **टीन अकाउंट्स जैसी सुविधाएँ भी पेश कर सकते हैं**, जो **सुरक्षा बढ़ाने और 16 वर्ष से कम आयु के उपयोगकर्ताओं** के लिये अधिक **आयु-उपयुक्त अनुभव प्रदान करने हेतु डिज़ाइन किये गए हैं** ।
  - इसके अतिरिक्त, ऑफलाइन सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिये स्कूलों में **खेल, कला और बाहरी गतिविधियों को पुनर्जीवित करना।**

- **मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देना: फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्क्रीन टाइम रिमाइंडर, कंटेंट फिल्टर एवं स्वास्थ्य संबंधी संसाधनों** जैसे उपकरणों को लागू कर सकते हैं, साथ ही अतिरिक्त मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने के लिये **किरण हेल्पलाइन व मानस मोबाइल ऐप** जैसी पहलों को बढ़ावा दे सकते हैं तथा उनका प्रचार कर सकते हैं।

निष्कर्ष

युवाओं पर **सोशल मीडिया** का बढ़ता प्रभाव तत्काल **विनियमन, डिजिटल साक्षरता** और **नैतिक प्लेटफॉर्म डिज़ाइन की मांग करता है। जबकि यह अभिव्यक्ति** और **नवाचार** के अवसर प्रदान करता है, **अनियंत्रित उपयोग मानसिक स्वास्थ्य** और **पहचान को** नुकसान पहुँचाता है। **सुरक्षित** और **सार्थक डिजिटल अनुभव सुनिश्चित करने हेतु नीति, शिक्षा** और **माता-पिता की भागीदारी को** शामिल करने वाला एक **सहयोगी दृष्टिकोण** महत्त्वपूर्ण है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. सोशल मीडिया सशक्तीकरण का साधन भी है और मानसिक स्वास्थ्य के लिये खतरा भी। जाँच कीजिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

सतत् वन प्रबंधन के लिये आधुनिक प्रौद्योगिकी

चर्चा में क्यों?

मध्य प्रदेश सक्रिय वन प्रबंधन के लिये पायलट आधार पर **AI-आधारित रियल-टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम (RTFAS)** को लागू करने वाला भारत का **पहला राज्य** बन गया है।

- यह **सतत् वन प्रबंधन** में भारत की चुनौतियों का सामना करने में **प्रौद्योगिकी के उपयोग** पर ज़ोर देता है।

नोट: 18 वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार, **मध्य प्रदेश में भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र (85,724 वर्ग किमी)** है, लेकिन यहाँ **सबसे अधिक वनोन्मूलन** भी हुआ है **(वर्ष 2023 में 612.41 वर्ग किमी की हानि)**।

- **भारत का वन** एवं **वृक्ष आवरण 25.17%** है, जो **राष्ट्रीय वन नीति 1988** द्वारा निर्धारित **33% लक्ष्य** से काफी कम है।

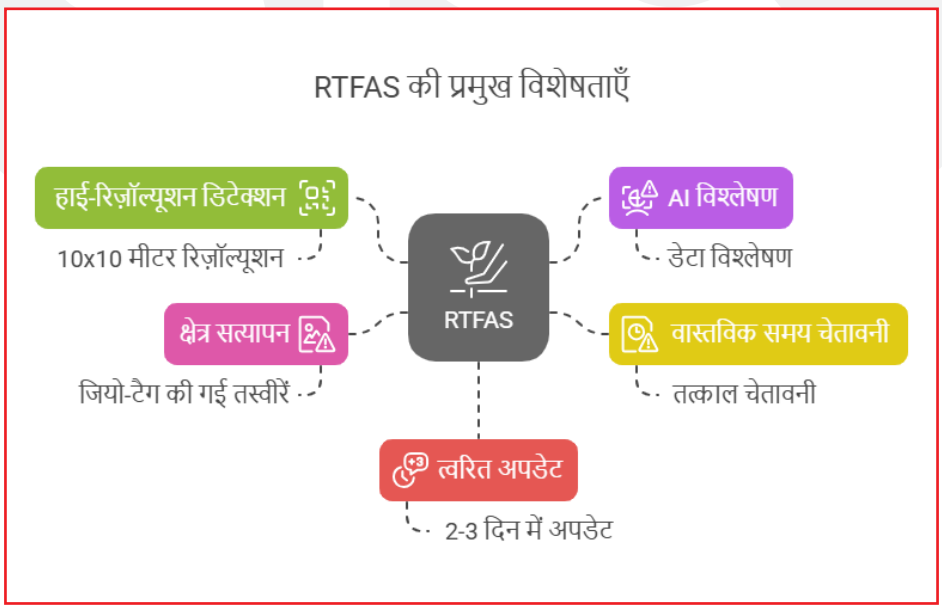
भारत में वनों की स्थिति क्या है ?

पढ़ने के लिये यहाँ क्लिक कीजिये: 18 वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023

AI-आधारित रियल-टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम क्या है?

- **परिचय:** RTFAS एक **क्लाउड-आधारित AI प्रणाली** है जो **वनोन्मूलन** से निपटने के लिये **उपग्रह प्रौद्योगिकी, मशीन लर्निंग और वास्तविक समय की निगरानी** को एकीकृत करती है।
  - यह **बहु-कालिक उपग्रह डेटा (Multi-Temporal Satellite Data)** का विश्लेषण करने और **कस्टम AI मॉडल** के माध्यम से **भूमि उपयोग परिवर्तनों का पता लगाने** के लिये **गूगल अर्थ इंजन (Google Earth Engine)** का उपयोग करता है।

प्रमुख विशेषताएँ:



दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

सतत् वन प्रबंधन के लिये प्रौद्योगिकी की भूमिका क्या है?

- **वन कार्बन प्रबंधन:** इसरो के **रिसोर्ससैट जैसे उच्च-रिज़ॉल्यूशन उपग्रह वन स्वास्थ्य और वनोन्मूलन** की निगरानी करते हैं, जबकि **हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग कार्बन स्टॉक** और **जैवविविधता** का आकलन करने में मदद करती है।
  - **AI एल्गोरिदम वनोन्मूलन की प्रवृत्ति का अनुमान लगाने** के लिये ऐतिहासिक और वास्तविक समय के डेटा का विश्लेषण करती हैं।
- **वनाग्नि की रोकथाम: AI कैमरे और थर्मल सेंसर** द्वारा **धुएँ और ऊष्मा** का पता लगाकर **आग लगने की घटनाओं की प्रारंभिक चेतावनी** मिलती है। उदाहरण के लिये, **फायरसैट (FireSat)** उपग्रहों का समूह है जो **पूर्ण रूप से वनाग्नि का पता लगाने और उसे ट्रैक करने** के लिये समर्पित है।
  - **ड्रोन** लाइव फीड प्रदान करते हैं जिससे **अग्निशमन में सहायता** मिलती है और **पाइन नीडल बिल्डअप जैसे अग्नि आपदा** से बचाव होता है।
- **अतिक्रमण का अनिवरण: RTFAS** जैसी उपग्रह-आधारित प्रणालियों से **अनधिकृत गतिविधियों** (लकड़ी काटना, खेती, निर्माण) का **पता चलने** पर **2-3 दिनों** में वन अधिकारियों को सूचना प्राप्त होती है।
- **मानव-वन्यजीव संघर्ष का समाधान: AI-सक्षम कैमरा ट्रैप और GPS ट्रैकिंग** से गाँव की सीमाओं के समीप **जंतुओं की आवाजाही** पर नज़र रखी जाती है, जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष में कमी होती है।
  - उदाहरण के लिये, **पोचरकैम** एक **उन्नत कैमरा** है जो **विशेष मानव-संसूचन एल्गोरिदम** से लैस है, जो **निकटवर्ती अतिक्रमी** के बारे में **शिकार-रोधी टीमों को दूर से ही सूचना प्रेषित करने में सक्षम** है।
  - **हाथी अथवा बाघ** का मानव बस्तियों में आगमन होने पर **RFID टैग** और **जियोफेंसिंग** से अधिकारियों सूचना प्राप्त हो जाती है।
- **वन जीर्णोद्धार और वनीकरण: वृक्षों की संवृद्धि, मृदा स्वास्थ्य और पर्यावरणीय परिवर्तनों** पर नज़र रखने के लिये वनीकरण प्रक्रिया के दौरान **ग्रीन बॉट्स** को उपयोग में लाया जा सकता है, जिससे **वन स्वास्थ्य** का एक व्यापक डेटाबेस तैयार हो सकता है।
- **जैवविविधता अनुवीक्षण: रेनफॉरेस्ट कनेक्शन** जैसे **ध्वनिक सेंसर** में **पक्षियों और मेंढकों की ध्वनि की पहचान करने** और अमेज़न में **संकटापन्न प्रजातियों** को ट्रैक करने के लिये AI का उपयोग शामिल है।
  - जल अथवा मृदा के नमूनों से प्राप्त **पर्यावरणीय DNA (eDNA)** से मछली और उभयचर जैसी **प्रजातियों की आनुवंशिक पृष्ठभूमि का पता लगाया जा सकता है,** जिससे **आक्रामक अथवा दुर्लभ जलीय जीवों की निगरानी करने में मदद मिलती है।**

सतत् वन प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है?

- **जलवायु परिवर्तन शमन:** वनरोपण औद्योगिक विकास के साथ-साथ पर्यावरणीय संधारणीयता को बढ़ावा देते हुए **कार्बन सिंक** के रूप में कार्य करता है, **CO_2 को अवशोषित करता है** और **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन** को कम करता है।
- **औद्योगिक एवं व्यापार आवश्यकता:** यूरोपीय संघ के **कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBM)**, जो वर्ष **2026 से प्रभावी** होगा, के अंतर्गत भारत और अन्य देशों से **कार्बन-गहन आयात** (इस्पात, सीमेंट, एल्यूमीनियम) **पर शुल्क** अधिरोपित किया जाएगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **निर्यात की कार्बन तीव्रता** को कम करने, **CBM टैरिफ को कम करने** और **व्यापार प्रतिस्पर्द्धा को बनाए रखने** में मदद करने की दृष्टि से वनरोपण महत्त्वपूर्ण हो जाता है।

- **पारिस्थितिकी तंत्र स्वास्थ्य:** वृक्ष आवरण के विस्तार से **मृदा स्वास्थ्य** में सुधार होता है, **मृदा अपरदन** की रोकथाम होती है, **भूजल का पुन:भरण** होता है, **जल का प्रतिधारण** होता है, तथा **चरम मौसम की घटनाओं** के प्रति आघात सहनीयता बढ़ती है।

- **आर्थिक और सामाजिक लाभ:** इससे **काष्ठ, ईंधन** और **कृषि वानिकी** जैसे उद्योगों को समर्थन मिलता है, तथा ग्रामीण समुदायों को **आय का अतिरिक्त स्रोत** प्राप्त होता है।

सतत् वन प्रबंधन के लिये भारत द्वारा कौन-सी पहलें की गई हैं?

- **सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम:**
  - **ग्रीन इंडिया मिशन (GIM):** इसके अंतर्गत **वर्ष 2017** से **वर्ष 2021** की अवधि में वन क्षेत्र में **0.56% की वृद्धि** हुई।
  - **राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति (2014):** इसके तहत प्राकृतिक वनों पर दबाव कम करने के लिये **निजी कृषि भूमि पर वृक्षारोपण** को प्रोत्साहित करना शामिल है।
  - **भारत में वनों के बाहर वृक्ष कार्यक्रम:** इसके तहत हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिये निजी हितधारकों को शामिल करके **गैर-वन भूमि पर वृक्षारोपण** को प्रोत्साहित करना शामिल है।
  - **प्रतिपूरक वनरोपण निधि (CAMPA):** यह निधि उन स्थानों पर पुन: वनरोपण के लिये दी जाती है जहाँ वनों को **औद्योगिक उपयोग** के लिये उपयोग में लाया जाता है।
- **कॉर्पोरेट एवं सामुदायिक प्रयास:**
  - **CSR-संचालित वृक्षारोपण:** इसके तहत **ऑटोमोबाइल, सीमेंट और ऊर्जा क्षेत्र** की कंपनियाँ वृक्षारोपण करती हैं ।
  - **आजीविका के लिये कृषि वानिकी:** किसान अतिरिक्त आय के लिये **फसलों के साथ इमारती लकड़ी, फल और औषधीय पौधों** को भी शामिल करते हैं।
- **कार्बन क्रेडिट रणनीतियाँ: उद्योग, कार्बन क्रेडिट** अर्जित करने के लिये वनरोपण में निवेश करते हैं।

भारत सतत् वन प्रबंधन में किस प्रकार सुधार कर सकता है?

- **कार्बन बाज़ार को मज़बूत बनाना: पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6** के तहत एक **राष्ट्रीय कार्बन क्रेडिट रजिस्ट्री** एवं नियामक ढाँचा स्थापित करना चाहिये ताकि **वैश्विक कार्बन बाज़ार** में **वनों में संग्रहीत कार्बन** का पूर्ण लाभ उठाने के साथ **सार्वजनिक तथा निजी वनरोपण प्रयासों** को प्रोत्साहित किया जा सके।
- **उद्योगों की भागीदारी बढ़ाना:** उच्च उत्सर्जन वाले उद्योगों (इस्पात, सीमेंट) के लिये **कार्बन-ऑफसेट वृक्षारोपण** को अनिवार्य किया जाना चाहिये।
- धारणीय वानिकी में निवेश करने वाली कंपनियों को **कर लाभ** प्रदान करना चाहिये।
- **ग्रामीण समुदायों को समर्थन प्रदान करना: संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) कार्यक्रमों** का विस्तार करने के साथ वन-आधारित उत्पादों के लिये **बाज़ार** तक पहुँच प्रदान करनी चाहिये।
- **निगरानी एवं अनुपालन में सुधार: वनरोपण की प्रगति** की निगरानी के लिये उपग्रह प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के साथ वन संरक्षण कानूनों के उल्लंघन हेतु **कठोर दंड** दिया जाना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

निष्कर्ष

भारत द्वारा **वन प्रबंधन** में **AI** और **उपग्रह प्रौद्योगिकियों** का एकीकरण, **स्थिरता** की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। सक्रिय **नीतियों**, **उद्योग की भागीदारी** और **सामुदायिक सहभागिता** से भारत अपने **वन पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत** करने एवं **जलवायु परिवर्तन को कम** करने के साथ **वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी** बना रह सकता है। निरंतर **नवाचार** और **मज़बूत कार्यान्वयन,** दीर्घकालिक **पर्यावरणीय** और **आर्थिक लक्ष्यों** के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. "पारिस्थितिक संरक्षण एवं औद्योगिक विकास के बीच संतुलन बनाने के लिये सतत् वन प्रबंधन आवश्यक है।" मूल्यांकन कीजिये।

भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का विकास

चर्चा में क्यों?

वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन (GLEX) 2025 "नई दुनिया की ओर: अंतरिक्ष अन्वेषण का पुनर्जागरण" विषय के तहत **नई दिल्ली** में आयोजित किया गया। **प्रधानमंत्री** ने यह रेखांकित किया कि **भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम** केवल वैज्ञानिक खोज तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नागरिकों को सशक्त बनाने और आर्थिक एवं सामाजिक विकास को आगे बढ़ाने का एक उपकरण भी है।

- एक अन्य विकास में, **यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA)** ने भारत के साथ सहयोग पर बल दिया और अंतरिक्ष अन्वेषण के व्यापक और अनछुए क्षेत्रों में मिलकर कार्य करने की संभावना जताई।

वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन (GLEX)

- **परिचय:** GLEX का उद्देश्य **अंतरिक्ष अन्वेषण** में **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग** को बढ़ावा देना है, जिसके लिये **कार्यक्रमगत, तकनीकी** और **नीतिगत जानकारी** के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित किया जाता है।
  - यह सम्मेलन **अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष महासंघ (IAF), मेज़बान संस्था भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO),** और **सह-मेज़बान संस्था एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया (ASI)** द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था।
  - **IAF**, जिसकी स्थापना वर्ष **1951** में हुई थी, एक प्रमुख वैश्विक गैर-सरकारी संगठन (NGO) है जो अंतरिक्ष गतिविधियों के क्षेत्र से जुड़े सभी हितधारकों को एक मंच पर लाता है। इसमें अंतरिक्ष यात्री—जैसे भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री **राकेश शर्मा**—तथा इसरो, ESA और **रोस्कोसमोस** जैसी अंतरिक्ष एजेंसियाँ शामिल हैं।
- **उद्देश्य:** यह सम्मेलन सभी अंतरिक्ष अन्वेषण में संलग्न राष्ट्रों के लिये सहयोगात्मक समाधान, साझा चुनौतियाँ, प्राप्त अनुभव तथा आगे की दिशा पर विचार-विमर्श हेतु एक मंच प्रदान करता है।

भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम समय के साथ किस प्रकार विकसित हो रहा है?

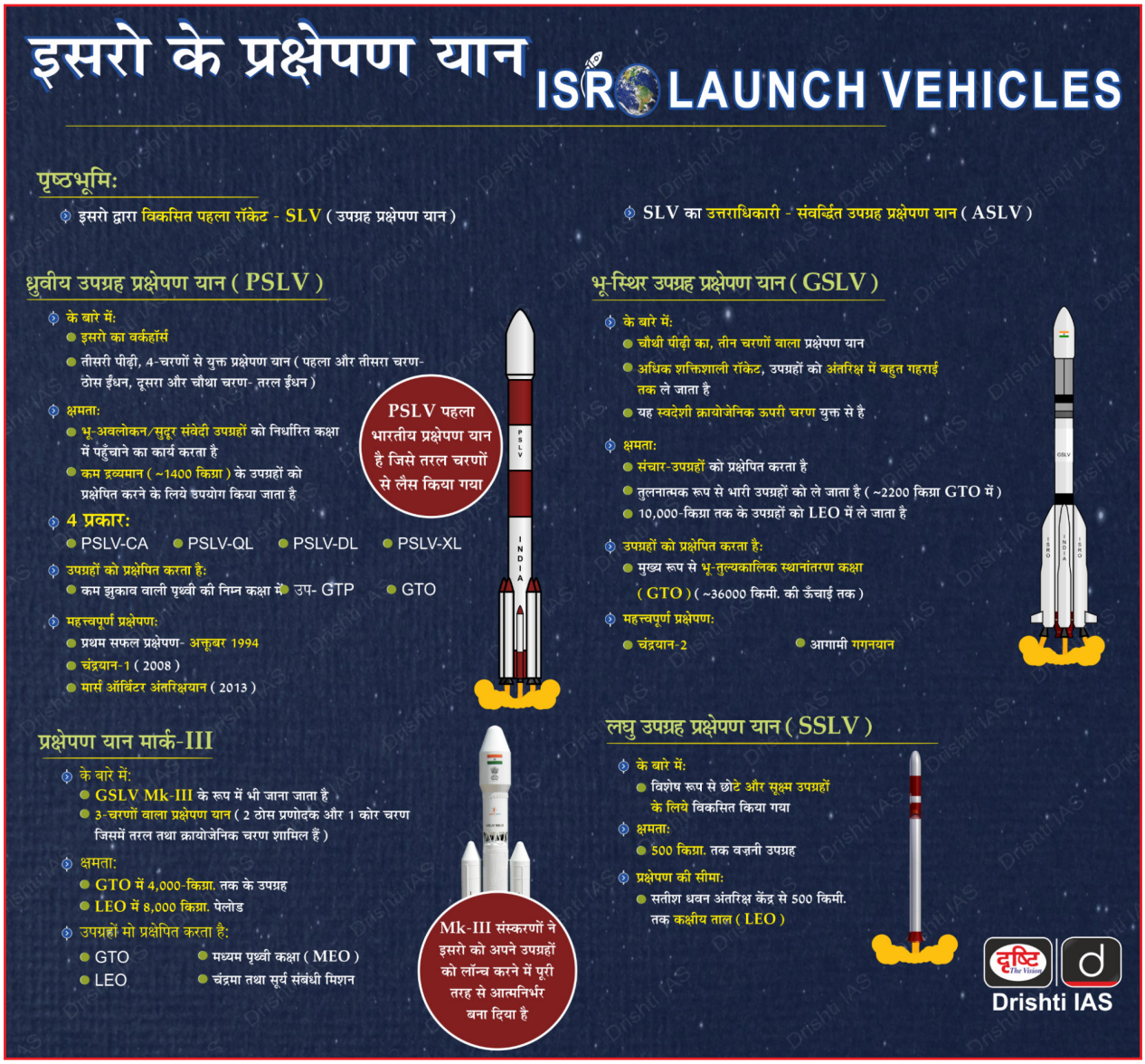
- **साधारण शुरुआत (1960 -1970 के दशक):** वर्ष 1963 में, **केरल** के **थुंबा** से पहला **साउंडिंग रॉकेट (अमेरिकी निर्मित नाइक-अपाचे)** प्रक्षेपित किया गया, जिसका उद्देश्य **मूल वायुमंडलीय अध्ययन** करना और बुनियादी आधारभूत ढाँचे की स्थापना करना था।
- **स्वदेशी क्षमताओं का निर्माण (1980 -1990 के दशक):** भारत ने **संचार** और **मौसम निगरानी** के लिये **SLV (सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल)** तथा **INSAT शृंखला** विकसित की, साथ ही **कृषि, जल प्रबंधन** और **आपदा प्रतिक्रिया** में सहायता के लिये **IRS (भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह)** प्रणाली की स्थापना की।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- प्रारंभिक चरण में ध्यान **आत्मनिर्भरता** और **विकासोन्मुख अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी** पर केंद्रित था।



- **वैश्विक मंच पर प्रवेश (2000 –2010 का दशक):** वर्ष 2008 में भारत ने अपना **पहला चंद्र अभियान चंद्रयान-1** प्रक्षेपित किया, जो पहले ही प्रयास में सफल रहा—यह कई वैश्विक शक्तियों (जैसे कि **अमेरिका का पायनियर** और **सोवियत संघ का लूना**, जिनके वर्ष **1958 में प्रक्षेपण विफल** रहे थे) से आगे था। इस मिशन ने चंद्रमा की सतह पर **जल अणुओं** की खोज में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।
- वर्ष 2014 में, **मंगलयान** (मंगल ऑर्बिटर मिशन) ने भारत को पहले प्रयास में मंगल ग्रह तक पहुँचने वाला **पहला देश** बना दिया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट:

- वर्ष 2023 में, चंद्रयान-3 ने **चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव** के पास सफलतापूर्वक लैंडिंग की, और वर्ष 2024 में, भारत ने स्पैडेक्स मिशन के तहत दो उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया।

- **वैश्विक पहुँच (2010 –2020 के दशक):** वर्ष 2017 में, भारत ने एकल मिशन में PSLV-C37 का उपयोग करते हुए **104 उपग्रह** प्रक्षेपित किये।
  - भारत ने **34 देशों** को प्रक्षेपण सेवाएँ प्रदान कीं, जिससे उसकी वैश्विक अंतरिक्ष भूमिका मज़बूत हुई, जिसमें दक्षिण एशिया उपग्रह और आगामी **G-20 उपग्रह मिशन** जैसी पहलों का समावेश है।
- **भविष्य की महत्वाकांक्षाएँ (2020- 2040 के दशक):** भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने के लिये **गगनयान मिशन** विकासाधीन है, जिसमें **चंद्रमा (2040)**, **मंगल** और **शुक्र** के लिये योजनाबद्ध मिशन शामिल हैं।
  - **भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन** (संभवत: वर्ष 2035 तक) लो अर्थ ऑर्बिट में स्थायी अनुसंधान को सक्षम करेगा।
- **निजी क्षेत्र का उदय:** वर्तमान में 250 से अधिक **अंतरिक्ष स्टार्टअप्स** अस्तित्व में हैं, जो **प्रोपल्शन सिस्टम, इमेजिंग और सैटेलाइट प्रौद्योगिकी** में नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। **जैसे,**
  - स्काईरूट एयरोस्पेस ने वर्ष 2022 में **विक्रम-S** (भारत का पहला निजी रॉकेट) लॉन्च किया।
  - अग्निकुल कॉसमॉस ने **वर्ष 2022** में **श्रीहरिकोटा** में भारत के **पहले निजी अंतरिक्ष प्रक्षेपण पैड** का उद्घाटन किया।

भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम आर्थिक और सामाजिक विकास को कैसे बढ़ावा देगा?

- **सार्वजनिक सेवा वितरण:** इसरो का उपग्रह डेटा **स्वामित्व जैसी योजनाओं का समर्थन करता है, जो ग्रामीण भूस्वामियों को संपत्ति कार्ड** प्रदान करता है, **विवादों को कम करता है** और **ऋण पहुँच को बढ़ाता है।**
  - **यह** LPG और **मनरेगा** मज़दूरी जैसी सब्सिडी का लक्षित वितरण सुनिश्चित करने के लिये **आधार (इसरो के भू-स्थानिक डेटा से जुड़ा हुआ) के माध्यम से** E-KYC **में** भी सहायता करता है।
- **कृषि एवं खाद्य सुरक्षा:** इसरो का **फसल** (अंतरिक्ष, कृषि-मौसम विज्ञान और भूमि-आधारित अवलोकनों का उपयोग करके कृषि उत्पादन का पूर्वानुमान) कार्यक्रम **फसल की पैदावार का पूर्वानुमान लगाने, मूल्य अस्थिरता को कम करने** एवं खाद्य वितरण में सहायता करने के लिये उपग्रह डेटा का उपयोग करता है।
  - **भुवन-कृषि परिशुद्ध** खेती के लिये मिट्टी के मानचित्र प्रदान करता है।
  - रिसोर्ससैट-2 **वनस्पति स्वास्थ्य** में परिवर्तन का अवलोकन करके **टिड्डियों के हमले जैसी आपदाओं की निगरानी में मदद करता है।**
- **आपदा प्रबंधन:** INSAT-3D/3DR जैसे उपग्रह चक्रवातों पर नज़र रखते हैं, जिससे समय पर निकासी संभव हो पाती है।
  - **बाढ़ और सूखे की निगरानी** के लिये, **राष्ट्रीय कृषि सूखा आकलन और निगरानी प्रणाली (NADAMS)** सूखे की स्थिति का आकलन करने और राहत निधि आवंटन का मार्गदर्शन करने के लिये उपग्रह डेटा का उपयोग करती है।
- **डिजिटल विभाजन को कम करना:** GSAT **उपग्रह** दूरदराज़ और आदिवासी क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं, जिससे वंचित क्षेत्रों में **शिक्षा, टेलीमेडिसिन** और **ई-गवर्नेंस** सेवाओं तक पहुँच बढ़ जाती है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा:** GSAT-7 **श्रृंखला** भारतीय सशस्त्र बलों के लिये संचार का समर्थन करती है, जबकि **कार्टोसैट उपग्रह सीमा निगरानी, रक्षा तैयारियों** और राष्ट्रीय संप्रभुता को बढ़ाने में सहायता करते हैं।
  - NavIC (नेविगेशन विद इंडियन कांस्टेलेशन) सैन्य प्लेटफार्मों (विमान, जहाज़, मिसाइल और जमीनी सेना) के लिये **सटीक निर्देशित हथियारों के लिये एन्क्रिप्टेड सिग्नल एवं डेटा प्रदान करता है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **बजटीय बाधाएँ:** भारत **अपने सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 0.04% ही** अंतरिक्ष के लिये आवंटित करता है, जो अमेरिका द्वारा व्यय किये जाने वाले **0.28% से काफी कम है।**
  - नासा के 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में इसरो **का बजट 1.95 बिलियन अमेरिकी डॉलर** होने के कारण, भारत को बड़े पैमाने की परियोजनाओं, बुनियादी ढाँचे और अनुसंधान एवं विकास निवेशों के वित्तपोषण में सीमाओं का सामना करना पड़ रहा है।
  - उदाहरण के लिये, सीमित धनराशि के कारण **पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान (RLV-TD) के** परीक्षण में **देरी हुई।**
- **आयात निर्भरता:** भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम उन्नत सेंसरों और अर्धचालकों के लिये **लगातार आयात पर निर्भर है।**
  - **स्वदेशी नवाचार धीमा है तथा उसे पर्याप्त धन नहीं मिल पाता है, जैसा कि क्रायोजेनिक CE-20 इंजन** के विकास में देरी से पता चलता है।
- **अंतरिक्ष में बढ़ता अपशिष्ट:** भारत के पास **प्रभावी अपशिष्ट शमन रणनीतियों का अभाव है** तथा कक्षा में **114 से अधिक भारतीय मूल की वस्तुएँ अंतरिक्ष अपशिष्ट के रूप में वर्गीकृत हैं।**
- **सुरक्षा कमजोरियाँ:** भारत के पास **अंतरिक्ष आधारित प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों का अभाव है, जो शत्रु देशों** के खिलाफ भारत की अंतरिक्ष परिसंपत्तियों, एकीकृत निगरानी और मज़बूत **ASAT** क्षमताओं के लिये खतरा उत्पन्न करते हैं।
  - **अंतरिक्ष में** इसका सैन्य उपयोग सीमित है, विशेषकर जब इसकी तुलना **चीन** और **अमेरिका** के दोहरे उपयोग वाले प्रभुत्व से की जाए।
- **कुशल कार्यबल का पलायन:** विदेशों में बेहतर बुनियादी ढाँचे और अवसरों के कारण भारत को **प्रतिभाओं के** बड़े पैमाने पर पलायन का सामना करना पड़ रहा है।
  - जबकि **भारतीय मूल के शीर्ष वैज्ञानिक** वैश्विक मिशनों में योगदान दे रहे हैं, भारत **STEM में अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिये संघर्ष कर रहा है।**
- **सीमित वाणिज्यिक उपस्थिति:** PSLV जैसी लागत प्रभावी और विश्वसनीय प्रक्षेपण प्रणाली होने के बावजूद, वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी केवल **2-3% है।**
  - **व्यावसायीकरण** और **अनुबंध अधिग्रहण स्पेसएक्स** जैसे प्रतिस्पर्धियों से पीछे है।
- **भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा:** चीन की तीव्र प्रगति, जैसे कि **तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन** और **बेइदोउ**, भारत के क्षेत्रीय प्रभाव को ढक देती है।
  - **इसके अतिरिक्त, अंतरिक्ष कूटनीति** और **दोहरे उपयोग वाली तकनीकी रणनीतियों का** भारत में अभाव उसे वैश्विक अंतरिक्ष दौड़ में नुकसान की स्थिति में डालता है।

भारत अपनी अंतरिक्ष-आधारित क्षमताओं को मज़बूत करने के लिये क्या उपाय अपना सकता है?

- **वित्तपोषण तंत्र में विविधता लाना: भारत सॉवरेन स्पेस बॉण्ड** और **सार्वजनिक-निजी सह-वित्तपोषण मॉडल** के माध्यम से दीर्घकालिक निवेश आकर्षित कर सकता है।
  - इसके अतिरिक्त, **IN-SPACe** के तहत **भारतीय अंतरिक्ष कोष की स्थापना से** अनुसंधान एवं विकास, स्टार्टअप और नवाचार को समर्थन मिल सकता है, जिससे घरेलू अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र मज़बूत होगा।
- **स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास:** भारत को विदेशी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता कम करने और रणनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिये **पुनः प्रयोज्य रॉकेट** एवं **उपग्रहों के लिये AI** जैसी प्रमुख प्रौद्योगिकियों को विकसित करने हेतु **अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र** बनाने चाहिये।
- **प्रतिभा प्रतिधारण: भारत को विशिष्ट अंतरिक्ष शिक्षा कार्यक्रम** शुरू करने चाहिये, **अंतरिक्ष प्रशिक्षण अकादमियाँ** स्थापित करनी चाहिये तथा शीर्ष प्रतिभाओं को बनाए रखने के लिये अनुसंधान फेलोशिप और **कॅरियर मार्ग प्रदान करना चाहिये।**
- **अंतरिक्ष स्थिरता:** भारत को अंतरिक्ष अपशिष्ट के प्रबंधन के लिये **अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता (SSA) प्रौद्योगिकियों और डी-ऑर्बिटिंग समाधानों** में निवेश करना चाहिये साथ ही

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

अपशिष्ट को कम करने तथा स्थाई अंतरिक्ष अन्वेषण को बढ़ावा देने पर केंद्रित **राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्थिरता योजना** शुरू करनी चाहिये।

- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना: भारत को आर्टेमिस** और ग्रहीय रक्षा जैसे मिशनों पर प्रौद्योगिकी साझा करने के लिये **नासा**, ESA और **रोस्कोस्मोस** जैसी वैश्विक अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ सहयोग को मज़बूत करना चाहिये।
  - **इसके अतिरिक्त, अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया** में उभरते अंतरिक्ष राष्ट्रों के साथ साझेदारी से क्षमता निर्माण एवं अंतरिक्ष कूटनीति को बढ़ावा मिलेगा।
- **अंतरिक्ष-आधारित उद्यमिता: भारत को** उपग्रह निर्माण, डेटा विश्लेषण और पेलोड विकास में स्टार्टअप्स और **MSME क्षेत्र को समर्थन देने के लिये एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष नवाचार ढाँचा** बनाना चाहिये।
  - इसके अतिरिक्त, अंतरिक्ष समाधानों के लिये युवा-प्रेरित विचारों को बढ़ावा देने के लिये **हैकथॉन और नवाचार जैसी पहले** शुरू की जानी चाहिये।

विदेशी अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ ISRO का सहयोग क्या है?

- **रोस्कोस्मोस (रूस):**
  - **गगनयान मिशन:** रूस ने गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिये भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने में सहायता की।
  - **प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी:** भारत और रूस ने **क्रायोजेनिक इंजन और चालक दल मिशन** समर्थन सहित अंतरिक्ष यान प्रौद्योगिकियों पर सहयोग किया है। उदाहरण के लिये **राकेश शर्मा सोवियत अंतरिक्ष यान सोयूज** T-11 पर सवार होकर अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय नागरिक थे।
- **नासा (अमेरिका):** NISAR (नासा-ISRO सिंथेटिक अपर्चर रडार) नासा और ISRO के बीच एक संयुक्त परियोजना है, जो हर 12 दिन में पूरे विश्व का मानचित्र तैयार करेगी तथा **पारिस्थितिकी तंत्र, बर्फ द्रव्यमान, वनस्पति, समुद्र स्तर में वृद्धि, भूजल एवं भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी और भूस्खलन** जैसे प्राकृतिक खतरों पर सुसंगत डेटा उपलब्ध कराएगी।
  - दोनों Axiom-4 मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण देने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) भेजने के लिये भी कार्य कर रहे हैं।
- **JAXA (जापान): LUPEX (चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण)** ISRO और JAXA का एक संयुक्त मिशन है जिसका उद्देश्य चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों का अन्वेषण करना है, विशेष रूप से स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्रों को लक्ष्य करके पानी की उपस्थिति की जाँच करना और एक स्थायी दीर्घकालिक चंद्र स्टेशन की क्षमता का आकलन करना है।
- **CNES (फ्राँस): मेघा-ट्रॉपिक्स (2011)** एक संयुक्त भारत-फ्राँसीसी संयुक्त उपग्रह मिशन है, जिसे **मानसून, चक्रवात** आदि जैसे पहलुओं से संबंधित **उष्णकटिबंधीय वातावरण और जलवायु** के अध्ययन के लिये लॉन्च किया गया है।

निष्कर्ष

भारत का **अंतरिक्ष कार्यक्रम** काफी विकसित हुआ है, जो एक साधारण शुरुआत से अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक अभिकर्त्ता के रूप में विकसित हुआ है। हालाँकि, **बजट की कमी, आयात निर्भरता और भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।** स्वदेशी तकनीक, प्रतिभा प्रतिधारण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित करके भारत **निरंतर विकास तथा आर्थिक विकास के लिये अपनी अंतरिक्ष-आधारित क्षमताओं को मज़बूत कर सकता है।**

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न: भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम बुनियादी वायुमंडलीय अनुसंधान से वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण तक विकसित हुआ है। भारत की अंतरिक्ष यात्रा में प्रमुख उपलब्धियों और इसके सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

भारत की अपशिष्ट प्रबंधन चुनौती

चर्चा में क्यों?

नेचर अध्ययन से पता चलता है कि भारत **विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक** है जहाँ से **प्रतिवर्ष 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक अपशिष्ट (वैश्विक प्लास्टिक उत्सर्जन का** लगभग 20%) उत्पन्न होता है जिससे प्रणालीगत जवाबहिता की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश पड़ता है।

अपशिष्ट प्रबंधन क्या है?

- **परिचय:** अपशिष्ट प्रबंधन का तात्पर्य पर्यावरण प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी खतरों को **कम करने के क्रम में अपशिष्ट का संग्रह, उपचार और सुरक्षित** निपटान करना है। **इसमें पुनर्चक्रण, खाद बनाना और ऊर्जा पुनर्प्राप्ति** भी शामिल है, जिसका उद्देश्य संसाधनों का संरक्षण करने के साथ स्थिरता को बढ़ावा देना है।
- **भारत में अपशिष्ट उत्पादन की स्थिति:** भारत में प्रतिदिन 159,000 टन से अधिक अपशिष्ट उत्पन्न होता है।
  - यह अनुमान लगाया गया है कि ग्रामीण भारत में **प्रतिदिन 15,000 से 18,000 मिलियन लीटर तरल अपशिष्ट (ग्रेवाटर)** और 0.3 से 0.4 मिलियन मीट्रिक टन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है।
  - **द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (TERI)** की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में औसतन **सालाना 62 मिलियन टन (MT) अपशिष्ट** उत्पन्न होता है, जिसमें 7.9 मीट्रिक टन हानिकारक अपशिष्ट, 5.6 मीट्रिक टन प्लास्टिक अपशिष्ट, 1.5 मीट्रिक टन **ई-अपशिष्ट** और 0.17 मीट्रिक टन **जैव-चिकित्सा अपशिष्ट** शामिल है।
    - **कुल उत्पन्न अपशिष्ट** में से केवल 43 मीट्रिक टन ही एकत्रित किया जाता है जिसमें से **12 मीट्रिक टन** का निपटान से पहले उपचार किया जाता है तथा शेष **31 मीट्रिक टन** को अपशिष्टगृहों में ही फेंक दिया जाता है।
  - **केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)** का अनुमान है कि भारत में अपशिष्ट उत्पादन वर्ष 2030 तक बढ़कर 165 मीट्रिक टन हो जाएगा।
- **अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित भारत की प्रमुख पहल:**
  - **स्वच्छ भारत मिशन (SBM): वर्ष 2014** में शुरू किये गए **SBM** से शहरी और ग्रामीण भारत की स्वच्छता में काफी सुधार हुआ है।
    - वर्ष 2024 तक 4.75 लाख गाँवों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियाँ तथा 5.14 लाख गाँवों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों की व्यवस्था थी।
      - **SBM शहरी 2.0** का लक्ष्य अपशिष्ट पुनर्प्राप्ति सुविधाएँ, अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र और पुनर्चक्रण इकाइयाँ स्थापित करके **"शहर को अपशिष्ट मुक्त"** बनाना है, जिसके तहत **शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण** क्षमता में लगभग 1.06 लाख टन प्रतिदिन (TPD) की उल्लेखनीय वृद्धि शामिल है।
  - **अपशिष्ट से संसाधन: प्रधानमंत्री विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद (PM-STIAC)** के तहत यह पहल, बेकार पड़ी सामग्रियों को कला और उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित करने पर केंद्रित है।
    - वर्ष 2024 तक 3 लाख से अधिक नागरिकों को अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में शिक्षित किया जा चुका है, तथा 800 से अधिक मूल्यांकित प्रौद्योगिकियों में से 80 पहले से ही उपयोग में हैं।
  - **अपशिष्ट प्रबंधन नियम और दिशा-निर्देश: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986** के तहत, मंत्रालय ने

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

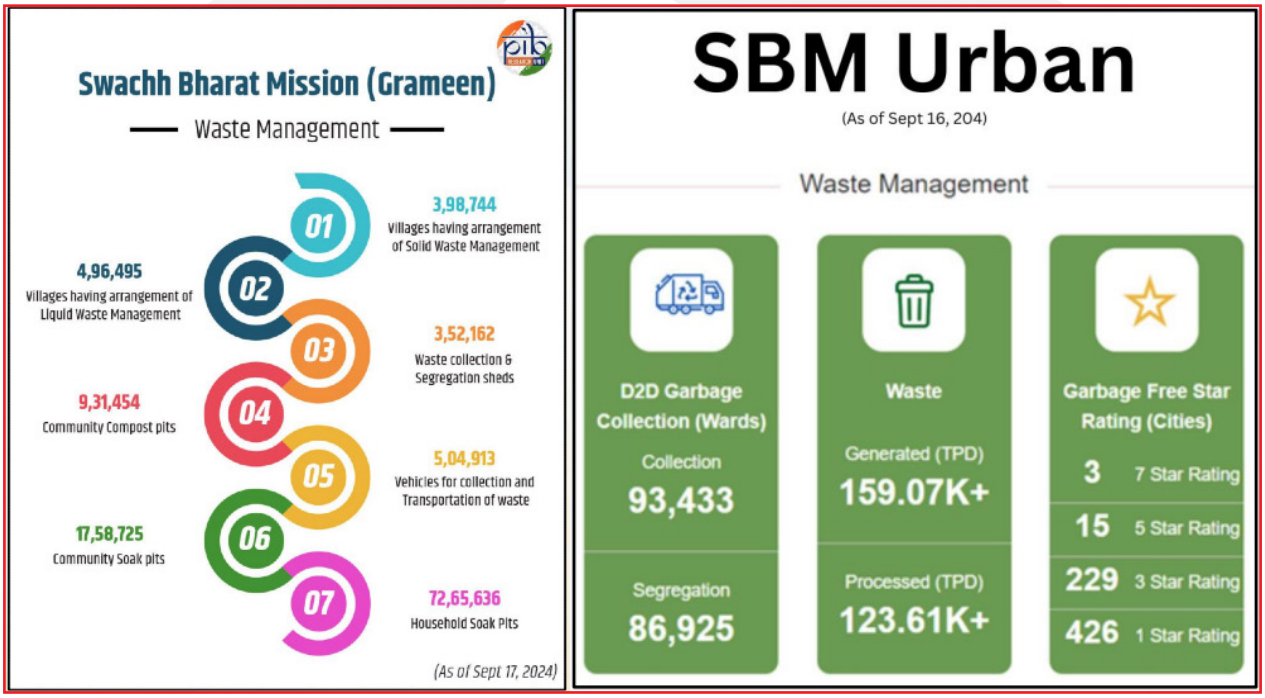
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

पर्यावरण की दृष्टि से स्वस्थ प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिये कई अपशिष्ट प्रबंधन नियम और दिशा-निर्देश लागू किये हैं। इनमें शामिल हैं:

- **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016**
- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
- जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
- निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
- हानिकारक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार आवागमन) नियम, 2016
- ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022
- बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022

- **विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) तंत्र:** EPR एक अपशिष्ट प्रबंधन नीति है जो उत्पादकों को उनके उत्पादों के संपूर्ण जीवनचक्र के लिये उत्तरदायी बनाती है, जिसमें संग्रहण, पुनर्चक्रण और निपटान शामिल है।
  - वर्ष 2022 में प्लास्टिक पैकेजिंग, ई-अपशिष्ट, बैटरी अपशिष्ट और प्रयुक्त तेल के लिये EPR की शुरुआत की गई, जिससे अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।



भारत की अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली में चुनौतियाँ क्या हैं?

- **अपशिष्ट उत्पादन की कम रिपोर्टिंग:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 0.12 किलोग्राम** प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न होता है, लेकिन अध्ययनों के अनुसार यह **0.54 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन** है, जो विशेष रूप से **ग्रामीण क्षेत्रों और अनौपचारिक क्षेत्रों में प्लास्टिक अपशिष्ट** के बारे में महत्त्वपूर्ण **कम रिपोर्टिंग** को दर्शाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **व्यापक अपशिष्ट लेखा परीक्षा का अभाव:** अपशिष्ट डेटा एकत्र करने या लेखा परीक्षा के लिये कोई स्पष्ट पद्धति नहीं है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जो **पंचायती राज संस्थाओं** के अंतर्गत आते हैं और नगर निकायों या स्थानीय स्वशासन एजेंसियों के दायरे में नहीं आते हैं।
- **अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा: डंपसाइटों की संख्या सैनिटरी लैंडफिल** से काफी अधिक है (10:1)। **जबकि भारत 95% राष्ट्रीय अपशिष्ट संग्रह कवरेज का दावा करता है,** अधिकांश अपशिष्ट या तो जला दिया जाता है या अवहनीय तरीके से प्रबंधित किया जाता है। अपशिष्ट को संसाधित करने और पुनर्चक्रित करने के लिये मज़बूत बुनियादी ढाँचे की कमी समस्या को और बढ़ा देती है।
  - दूरदराज़ और ग्रामीण क्षेत्रों में, सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएँ (MRF) और रीसाइक्लिंग इकाइयाँ जैसी अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएँ सीमित हैं।
  - EPR प्रणाली के लिये प्रस्तावित अपशिष्ट पृथक्करण और संग्रहण के लिये कियोस्क की स्थापना के लिये सावधानीपूर्वक योजना बनाने और बुनियादी ढाँचे में महत्त्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ पहुँच कठिन है।

भारत में अपशिष्ट प्रबंधन को मज़बूत बनाने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- **अनुपालन के लिये न्यायिक अधिदेश: वर्ष 2025 के *वेल्लोर ज़िला पर्यावरण निगरानी समिति बनाम ज़िला कलेक्टर*** मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने औद्योगिक प्रदूषण से होने वाले **पर्यावरणीय नुकसान को दूर करने के लिये सुधार कार्यक्रमों** की आवश्यकता पर बल दिया।
  - इस दृष्टिकोण को **अपशिष्ट प्रबंधन** पर भी लागू किया जा सकता है, जहाँ **प्रदूषक भुगतान सिद्धांत (Polluter Pays Principle)** प्रदूषण के लिये ज़िम्मेदार लोगों को क्षति और बहाली की लागत के लिये जवाबदेह बनाता है।
  - **सर्वोच्च न्यायालय** ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण न केवल एक नियामक दायित्व है, बल्कि एक **संवैधानिक अनिवार्यता** भी है, जिसका **उद्देश्य व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना** और प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन सहित पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना है।
- **तृतीय पक्ष द्वारा डेटा की जाँच और प्रथाएँ:** सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण संबंधी डेटा की रिपोर्टिंग और निगरानी में पारदर्शिता पर बल दिया, यह **नीति अपशिष्ट प्रबंधन डेटा** के लिये भी अपनाई जा सकती है, जिससे संबंधित जानकारी का सटीक, स्वतंत्र रूप से सत्यापित और सार्वजनिक रूप से सुलभ होना सुनिश्चित किया जा सकेगा।
- **जियोटैगिंग और ट्रैकिंग: EPR ई-वेस्ट पोर्टल** के तहत **जियोटैगिंग** अपशिष्ट प्रबंधन बुनियादी ढाँचे के माध्यम से ट्रैकिंग में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकती है जिससे अधिक जवाबदेही सुनिश्चित होगी और संसाधन आवंटन में सुधार होगा।
- **मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज़ (MRF):** प्रत्येक नगरीय और ग्रामीण स्थानीय निकाय को को EPR के उद्देश्य से MRF, रिसाइकिलर्स और कियोस्क से जोड़ा जाना चाहिये।
  - उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड स्वामियों (PIBO) के लिये अपशिष्ट एकत्र करने हेतु **कियोस्क** स्थापित करने से समग्र भारत में अपशिष्ट संग्रह और पृथक्करण में सहायता मिलेगी।
  - संबंधित क्षेत्र की भौगोलिक और जनसांख्यिकीय विशिष्टताओं के आधार पर इन सुविधाओं को अनुकूलित किया जाना चाहिये।
- **सर्कुलरिटी के लिये उत्पादों की पुन: अभिकल्पना:** कंपनियों को एकल-उपयोग मॉडल से आगे बढ़ना चाहिये और पुनर्चक्रणीयता पर आधारित उत्पाद डिज़ाइन किये जाने चाहिये। **बायोडिग्रेडेबल, पुन: प्रयोज्य और मॉड्यूलर घटकों** के एकीकरण से उत्पाद आयुकाल को बढ़ाने और अपशिष्ट को कम करने में मदद मिलेगी।
  - इसके अतिरिक्त, सर्कुलरिटी के लिये सक्रिय **उपभोक्ता भागीदारी** की आवश्यकता होती है। उद्योगों को उपभोक्ताओं को जोड़ने, रीसाइक्लिंग को प्रोत्साहित करने और संधारणीय उपभोग व्यवहार को बढ़ावा देने के लिये अभियानों में निवेश करना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** भारत वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने, ग्रीन निवेश को आकर्षित करने और संसाधनों के सतत् उपयोग के लिये नीतिगत ढाँचे का सुदृढ़ीकरण करने हेतु **ग्लोबल अलायंस फॉर सर्कुलर इकोनॉमी एंड रिसोर्स एफिशिएंसी (GACERE)** के साथ अपने सहयोग का उपयोग कर सकता है, जिससे अधिक प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन का मार्ग प्रशस्त होगा।

नगरीय ऊष्मा द्वीप प्रभाव

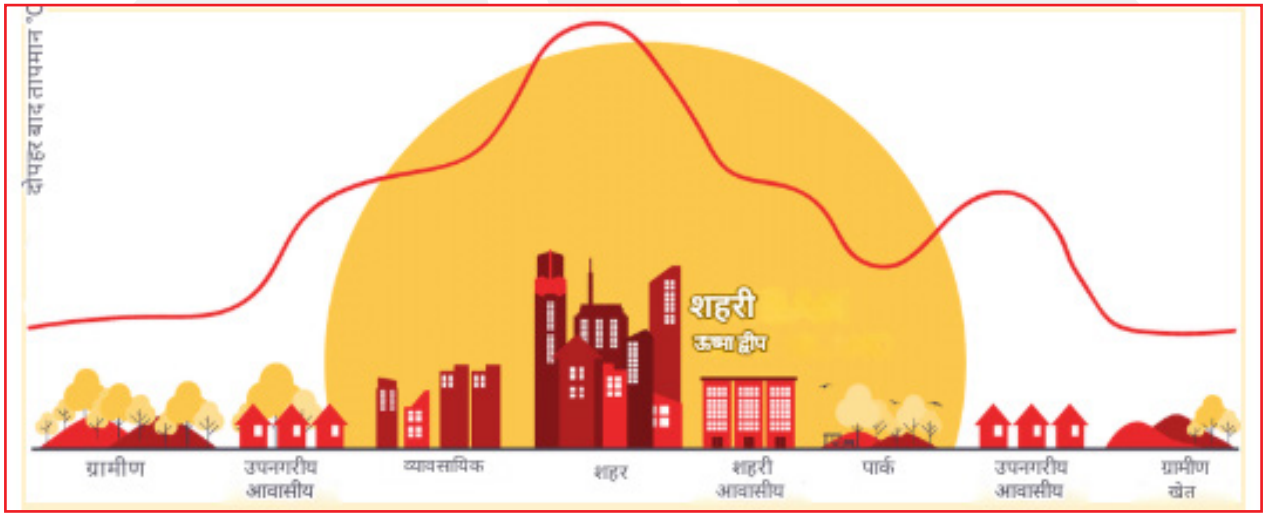
चर्चा में क्यों?

एक हालिया अध्ययन में **नगरीय ऊष्मा द्वीप (UHI)** के दोहरे प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है - जहाँ इससे ऊष्मा से संबंधित मृत्यु दर को बढ़ावा मिलता है वहीं इसके द्वारा ठंड से संबंधित मौतों में काफी हद तक कमी आ सकती है।

- वर्ष 2018 में वैश्विक स्तर पर ठंड से संबंधित मौतों में गिरावट, ऊष्मा से संबंधित मौतों में वृद्धि की तुलना में 4.4 गुना अधिक थी तथा मॉस्को जैसे शहरों में तो यह अंतर और भी अधिक था।

नगरीय ऊष्मा द्वीप क्या है?

- **परिचय:** नगरीय ऊष्मा द्वीप (UHI) का आशय ऐसे **महानगरीय क्षेत्र** से है जो आस-पास के ग्रामीण परिवेश की तुलना में काफी गर्म होता है।
  - नगरीय क्षेत्र **प्राकृतिक भूदृश्यों की तुलना में अधिक गर्म** होते हैं क्योंकि **कंक्रीट और डामर** जैसी सामग्रियाँ अधिक प्रभावी रूप से **ऊष्मा** को अवशोषित करने के साथ बनाए रखती हैं।
  - इसका प्रभाव **नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, पेरिस और लंदन** जैसे **बड़े एवं सघन आबादी वाले नगरों** में सबसे अधिक देखा गया है।



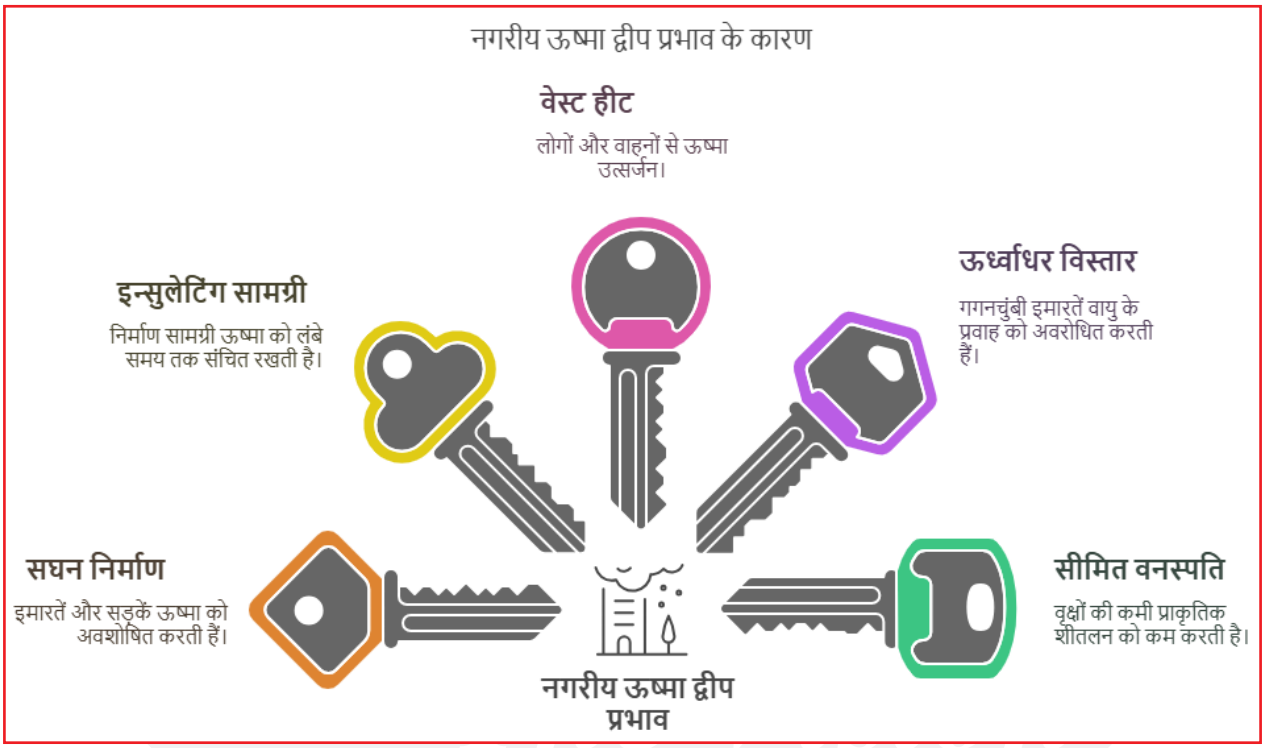
कारण:

- **अपारगम्य सतहें: डामर, कंक्रीट और स्टील** जैसी सामग्रियों से दिन के समय ऊष्मा का अवशोषण होता है और **कम एल्बिडो** के कारण रात में इस ऊष्मा का निष्कासन धीरे-धीरे होने से अधिक ऊष्मा का अनुभव होता है।
- **वनस्पति का अभाव:** सीमित **हरित आवरण से वाष्पोत्सर्जन में** कमी के कारण प्राकृतिक शीतलन बाधित होता है और नगरीय ऊष्मा द्वीप की स्थिति बनती है।
- **मानवजनित ऊष्मा: वाहनों से होने वाले उत्सर्जन, औद्योगिक प्रक्रियाओं** और **एयर कंडीशनिंग** से अतिरिक्त ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, जिससे नगरीय तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि होती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **वायु प्रदूषण और कालिख: ब्लैक कार्बन** और अन्य **कणीय पदार्थ** सौर विकिरण को अवशोषित करते हैं, जिससे **परिवेश का तापमान बढ़ जाता है** और **UHI प्रभाव असंतुलित** हो जाता है।
- **नगरीय आकृति विज्ञान: सघन इमारतें, संकरी गलियाँ** और **निम्न वायु प्रवाह अर्बन कैनियन इफेक्ट (Urban Canyon Effect)** का कारण बनता हैं, जिससे ऊष्मा सीमित स्थानों में ही प्रग्रहित हो जाती है।
  - गगनचुंबी और ऊँची इमारतें वायु के प्रवाह को अवरोधित कर ऊष्मा में वृद्धि करती हैं।



परिणाम:

- **ऊर्जा की बढ़ती मांग:** UHI से **शीतलन ऊर्जा का उपयोग बढ़ता है,** ग्रिडों पर दबाव पड़ता है और कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि होती है।
  - **स्थानीय तापमान** में वृद्धि करके , शहरी क्षेत्र **शीतलन के लिये ऊर्जा की खपत** को बढ़ाते हैं और नगरीय ऊष्मा द्वीपों को जलवायु परिवर्तन के **स्थानीय त्वरक** के रूप में स्थापित करते हैं।
- **वायु गुणवत्ता में गिरावट:** उच्च तापमान से **ज़मीनी स्तर पर ओज़ोन परत का निर्माण** बढ़ जाता है, जिससे धुंध और श्वसन संबंधी समस्याएँ बढ़ जाती हैं।
- **ऊष्मा से संबंधित स्वास्थ्य जोखिम:** UHI से **हीट स्ट्रोक, निर्जलीकरण और हृदय संबंधी तनाव** बढ़ता है, विशेष रूप से संवेदनशील समूहों में।
- **जल संसाधनों पर दबाव:** UHI **वाष्पीकरण** को बढ़ाता है, जिससे जल की उपलब्धता कम होती है और शीतलन की मांग बढ़ती है।
- **जैवविविधता की क्षति:** UHI **देशी वनस्पति को क्षति पहुँचाता है, पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करता है, और** अत्यधिक ऊष्मा और हरित क्षेत्रों में कमी के कारण शहरी वन्यजीवों को खतरा उत्पन्न होता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

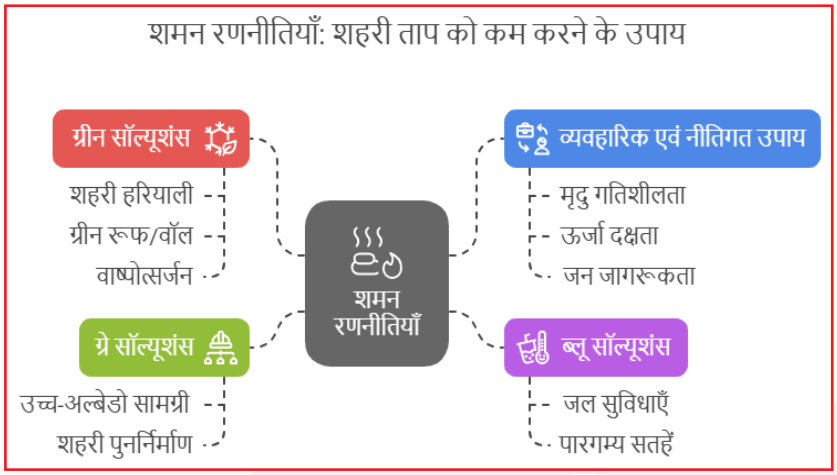
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

UHI शमन रणनीतियाँ:



UHI शमन केस स्टडी:

- **लॉस एंजिल्स कूल रूफ पहल:** इसमें सभी नए भवनों और प्रमुख नवीनीकरणों में **सूर्य प्रकाश को परावर्तित करने** और उच्च सौर परावर्तन तथा तापीय उत्सर्जन के माध्यम से अवशोषित ऊष्मा को मुक्त किये जाने के उद्देश्य से **परावर्तक छत सामग्री** के उपयोग की आवश्यकता होती है।
- **दुबई की स्मार्ट कूलिंग प्रणाली:** इसमें एक केंद्रीय स्थल पर **द्रुतशीतित जल** उपलब्ध कराया जाता है और **इसे भूमिगत पाइपों** के माध्यम से अनेक भवनों में वितरित किया जाता है, जिससे एकल AC की तुलना में **30-50% अधिक ऊर्जा-कुशलता** प्राप्त होती है।
- **पेरिस की कूल स्ट्रीट्स पहल:** यह एक व्यापक **नगरीय रूपांतरण कार्यक्रम** है जिसका उद्देश्य नगरों में ऊष्मा प्रभाव का शमन करना है:
  - इसके अंतर्गत **सड़कों को केवल पैदल यात्रियों के क्षेत्र** में परिवर्तित किया जाना शामिल है।
  - डामर के उपयोग की जगह वृक्षारोपण करना शामिल है, जिससे नगरीय क्षेत्रों में **हरित क्षेत्र में वृद्धि होगी।**

क्लोरपाइरीफोस पर वैश्विक प्रतिबंध की मांग

चर्चा में क्यों?

जिनेवा में **बेसल, रॉटरडैम और स्टॉकहोम (BRS) कन्वेंशनों** के लिये आयोजित **कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ (COP)**, में यह प्रस्ताव रखा गया कि **विषाक्त कीटनाशक क्लोरपाइरीफो (Chlorpyrifos)** को स्टॉकहोम कन्वेंशन के परिशिष्ट-A (Annex A) में शामिल किया जाए, जिससे इस पर वैश्विक स्तर पर बिना किसी अपवाद के पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा सके।

- हालाँकि, भारत ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, यह कहते हुए कि इसके **व्यवहारिक विकल्पों की अनुपलब्धता और खाद्य सुरक्षा पर संभावित खतरे** के कारण ऐसा प्रतिबंध उपयुक्त नहीं है।

क्लोरपाइरीफोस क्या है?

- **परिचय:** क्लोरपाइरीफलोस एक **कृत्रिम क्लोरीनयुक्त ऑर्गेनोफॉस्फेट (अल्कोहल के साथ फॉस्फोरिक एसिड को एस्टरीकृत करके बनाया गया)** कीटनाशक है जिसका उपयोग कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य में दीमक, मच्छरों और गोल कृमियों जैसे कीटों को नियंत्रित करने के लिये किया जाता है।
  - यह **एसिटाइलकोलिनेस्टरेज़ नामक एंज़ाइम को अवरुद्ध** करके कार्य करता है, जो तंत्रिका क्रिया के लिये आवश्यक होता है। इसका प्रभाव केवल लक्षित कीटों पर ही नहीं, बल्कि अन्य **जीवों (non-target species)** सहित मानवों पर भी पड़ता है।
- **स्वास्थ्य पर प्रभाव: त्वचा के संपर्क, श्वास के माध्यम से, या निगलने** के जरिये इसके संपर्क में आने से **सिरदर्द, मतली, चक्कर आना, मांसपेशियों में ऐंठन**, और गंभीर मामलों में **लकवा (paralysis)** तथा **साँस लेने में कठिनाई** हो सकती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- यह शरीर में एक **विषैला उपोत्पाद (क्लोरपाइरीफोस ऑक्सन) बनाता है, जो इन प्रभावों का कारण बनता है।**

- **पर्यावरणीय प्रभाव:** यह रसायन **मिट्टी में कई सप्ताह से लेकर वर्षों** तक बना रह सकता है, विशेषकर अम्लीय परिस्थितियों में यह बहुत धीरे-धीरे विघटित होता है, और मृदा क्षरण के माध्यम से जल स्रोतों को प्रदूषित कर सकता है।
  - यह पक्षियों (जैसे रॉबिन, मॉलर्ड), **मछलियों, मधुमक्खियों और केचुओं** के लिये अत्यधिक विषैला है, जो भोजन श्रृंखला में जैव संचयन (Bioaccumulation) कर सकता है।
- **भारत में उपयोग:**
  - **भारत में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला कीटनाशक** क्लोरपाइरीफोस (2016-17 में कुल कीटनाशक खपत का **9.4%**) **वर्ष 1977 से कीटनाशक अधिनियम** के तहत पंजीकृत है। (IPEN रिपोर्ट)
    - **विश्व स्वास्थ्य संगठन** द्वारा **इसे मध्यम रूप से खतरनाक** तथा **यूरोपीय पर्यावरण संरक्षण एजेंसी** द्वारा **संभावित कैंसरकारी पदार्थ के** रूप में वर्गीकृत किया गया है, इसके अवशेष उत्पाद, **जल, रक्त और स्तन के दूध** में पाए जाते हैं।

स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है?

- **स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स (POP)** एक वैश्विक संधि है **जिसे वर्ष 2001** में अपनाया तथा **वर्ष 2004 में लागू** किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य **मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण** को **पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स (POP)** से बचाना है।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - **एनेक्स A:** सूचीबद्ध रसायनों का उन्मूलन
    - **उदाहरण: एल्ड्रिन, क्लोरडेन, डाइएलड्रिन, एंड्रिन, हेप्टाक्लोर, हेक्साक्लोरोबेंज़ीन, मिरेक्स, पॉलीक्लोरीनेटेड बाइफिनाइल्स**
  - **एनेक्स B:** सूचीबद्ध रसायनों पर प्रतिबंध
  - **एनेक्स C:** सूचीबद्ध रसायनों के अनैच्छिक उत्सर्जन में कमी
- **वित्तीय तंत्र: वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) स्टॉकहोम कन्वेंशन** के लिये **निर्दिष्ट अंतरिम वित्तीय तंत्र** के रूप में कार्य करती है, जो विकासशील देशों को इसके दायित्वों को लागू करने में सहायता करती है।
- **भारत और स्टॉकहोम कन्वेंशन:** भारत ने **वर्ष 2006 में स्टॉकहोम कन्वेंशन** की पुष्टि की। स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों (POP) को विनियमित करने के लिये, **MoEFCC ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986** के तहत **'स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों के विनियमन नियम, 2018'** को अधिसूचित किया।

POP क्या हैं?

- **परिचय: स्थायी कार्बनिक प्रदूषक (POP) विषाक्त, कार्बन-आधारित रासायनिक पदार्थ** हैं जो **पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं,** अपघटन का विरोध करते हैं, और **जीवित जीवों में संचित** होते हैं।
- **स्वास्थ्य और पर्यावरणीय प्रभाव: कैंसर, प्रतिरक्षा दमन (Immune Suppression), न्यूरोटॉक्सिसिटी, प्रजनन संबंधी विकार** और **अंत:स्रावी व्यवधान** उत्पन्न कर सकता है और इसके संपर्क में आने से **तीव्र और दीर्घकालिक दोनों तरह के प्रभाव** हो सकते हैं।
  - **जैवसंचय:** POP समय के साथ जीवित जीवों के **वसा ऊतकों में संचित** हो जाते हैं।
  - **जैव आवर्द्धन: जैसे-जैसे वे खाद्य श्रृंखला में ऊपर की ओर बढ़ते हैं, उनकी सांद्रता बढ़ती जाती है,** जिससे शीर्ष शिकारी और मनुष्य प्रभावित होते हैं।
- **उदाहरण:**
  - **एंडोसल्फान:** कई देशों में प्रतिबंधित; **अंत:स्रावी व्यवधान (Endocrine Disruption)** के लिये जाना जाता है।
  - **DDT:** भारत में कृषि के लिये प्रतिबंधित है, लेकिन अभी भी **वेक्टर नियंत्रण** के लिये उपयोग किया जाता है (उदाहरण के लिये, **मलेरिया-प्रवण क्षेत्रों में मच्छरों का धूमन**)।
    - अन्य में **एल्ड्रिन, डाइएलड्रिन, PCB और टोक्साफीन** शामिल हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

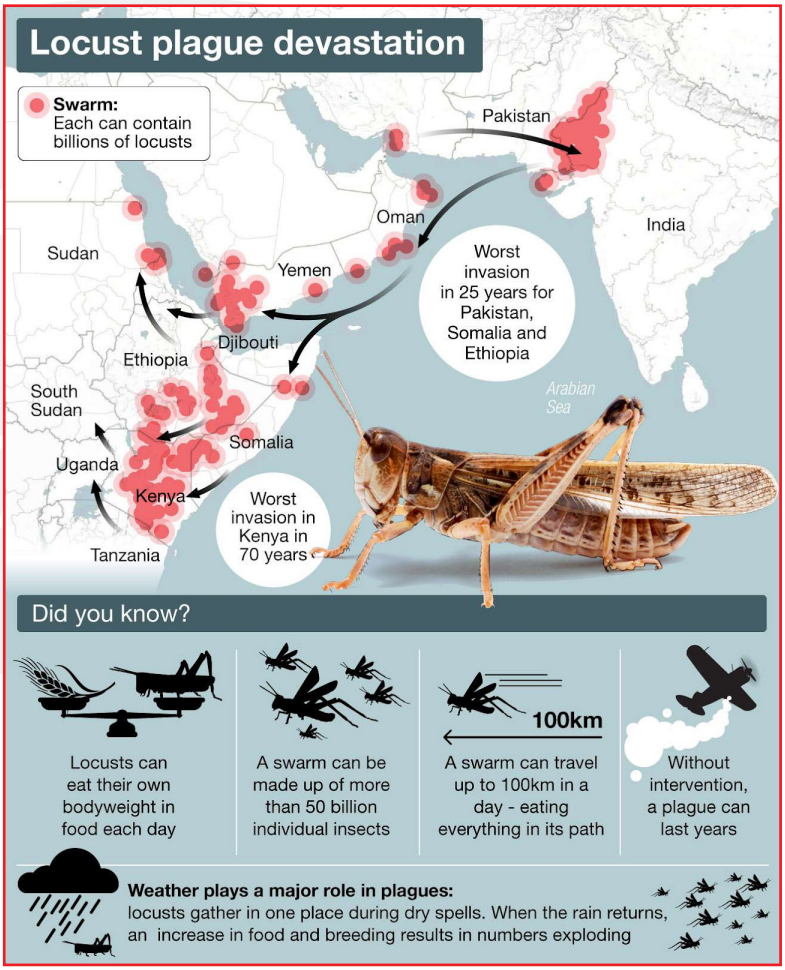
नोट:

टिड्डी दल

एक नए अध्ययन से पता चला है कि **टिड्डी दल** यादृच्छिक व्यवहार से नहीं, बल्कि संज्ञानात्मक निर्णय लेने वाले मॉडल द्वारा निर्देशित होते हैं। टिड्डे अपनी गति के लिये अनेक दृश्य संकेतों का उपयोग करते हैं, जिससे विकेंद्रित निर्णय-प्रक्रिया के माध्यम से समन्वित दल बनते हैं। यह मॉडल दल के व्यवहार का पूर्वानुमान लगाने और प्रारंभिक हस्तक्षेप रणनीतियों को बेहतर बनाने में मदद करता है।

टिड्डियाँ

- टिड्डियाँ एक प्रकार के तृण-भोजी परिंग (Grasshopper) हैं जो ***एक्रिडिडे (Acrididae) कुल*** से संबंधित हैं। रेगिस्तानी टिड्डियों (***Schistocerca Gregaria***) को सबसे विनाशकारी प्रवासी कीट माना जाता है।
- टिड्डियाँ तब तक एकांतवासी कीट होती हैं, जब तक कि उनमें **समूहीकरण** नामक परिवर्तन नहीं आ जाता, जिसके बाद वे अधिक सामाजिक हो जाते हैं और बड़े दलों में एकत्र होते हैं।
  - एक छोटे दल (1 वर्ग किमी) में **80 मिलियन टिड्डियाँ** हो सकती हैं, जो एक दिन में 35,000 लोगों के बराबर भोजन खा जाती हैं, जबकि **एक बड़ा दल 1.8 मिलियन मीट्रिक टन वनस्पति** खा सकता है।
- टिड्डियाँ प्रवासी कीट हैं जो दल में सैकड़ों किलोमीटर तक उड़ने में सक्षम हैं। वे एक सीमा पार के कीट हैं जो अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया के बीच यात्रा करते हैं।
- भारत का अनुसूचित रेगिस्तानी क्षेत्र, जिसमें राजस्थान, गुजरात और हरियाणा राज्य शामिल हैं, 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, विशेष रूप से टिड्डियों के आक्रमण के प्रति संवेदनशील है, जो प्राय: अफ्रीका और खाड़ी जैसे क्षेत्रों से आते हैं।
  - भारत में **रेगिस्तानी टिड्डी** (Schistocerca Gregaria), **प्रवासी टिड्डी** (Locusta Migratoria), **बॉम्बे टिड्डी** (Nomadacris Succincta), और **ट्री टिड्डी** (Anacridium Sp.) रिपोर्ट की गई है।
  - भारत का **टिड्डी चेतावनी संगठन,** राजस्थान और गुजरात में 10 टिड्डी सर्किल कार्यालयों के साथ मिलकर अनुसूचित रेगिस्तानी क्षेत्र में राज्य सरकारों के समन्वय से रेगिस्तानी टिड्डियों की निगरानी, सर्वेक्षण और नियंत्रण करता है।



दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

एजेंट ऑरेंज

30 अप्रैल 2025 को **वियतनाम युद्ध (1954-75) अंत के 50 वर्ष पूरे हुए।** युद्ध अंत के पश्चात् भी वियतनाम के असंख्य लाख अभी भी **एजेंट ऑरेंज के चिरकालिक प्रभावों** से पीड़ित हैं, जो **युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा उपयोग में लाया गया** एक विषैला रसायन है।

- **एजेंट ऑरेंज:** यह शाकनाशियों (Herbicides) का मिश्रण है जिसका उपयोग **वृक्षों और झाड़ियों को पत्र रहित करने** के लिये किया जाता है, जिससे दुश्मन सैनिकों को छिपने की जगह नहीं मिलती।
  - यह दो शाकनाशियों (**2,4-D** और **2,4,5-T**) को मिलाकर बनाया गया था, जिसमें **अत्यधिक विषैले संदूषक डाइऑक्सिन का मिश्रण था।**
  - **मानव शरीर** में डाइऑक्सिन का अर्द्ध-आयु काल **20 वर्ष** तक होता है तथा मृदा और जल में यह 100 वर्षों तक बना रह सकता है, **जिससे दीर्घकालिक संदूषण होता है।**
    - रेडियोधर्मिता में, **अर्द्ध-आयु वह काल है जो किसी रेडियोधर्मी प्रतिदर्श के आधे परमाणुओं के क्षय में लगता है।**

प्रभाव:

- स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे- जन्मदोष, **कैंसर**, **मधुमेह** और **तंत्रिकीय विकार**।
- **जिन क्षेत्रों पर इस रसायन का छिड़काव किया गया वे वर्षों तक कृषि के लिये अनुपयुक्त रहे**, जिससे वन्य जीवन, मृदा गुणवत्ता को गंभीर नुकसान पहुँचा, तथा आजीविका में बाधा उत्पन्न हुई, तथा पारिस्थितिकी तंत्र पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा।
- **वियतनाम युद्ध:** यह हो ची मिन्ह के नेतृत्व वाली साम्यवादी उत्तरी वियतनाम (साइगॉन) और अमेरिका द्वारा समर्थित दक्षिण वियतनाम सरकार के बीच संघर्ष था।
  - यह अमेरिका और सोवियत संघ के बीच **व्यापक शीत युद्ध** का हिस्सा था, जिसमें उत्तरी वियतनाम को साम्यवादी सहयोगियों (सोवियत संघ और चीन) का समर्थन प्राप्त था।



दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट :

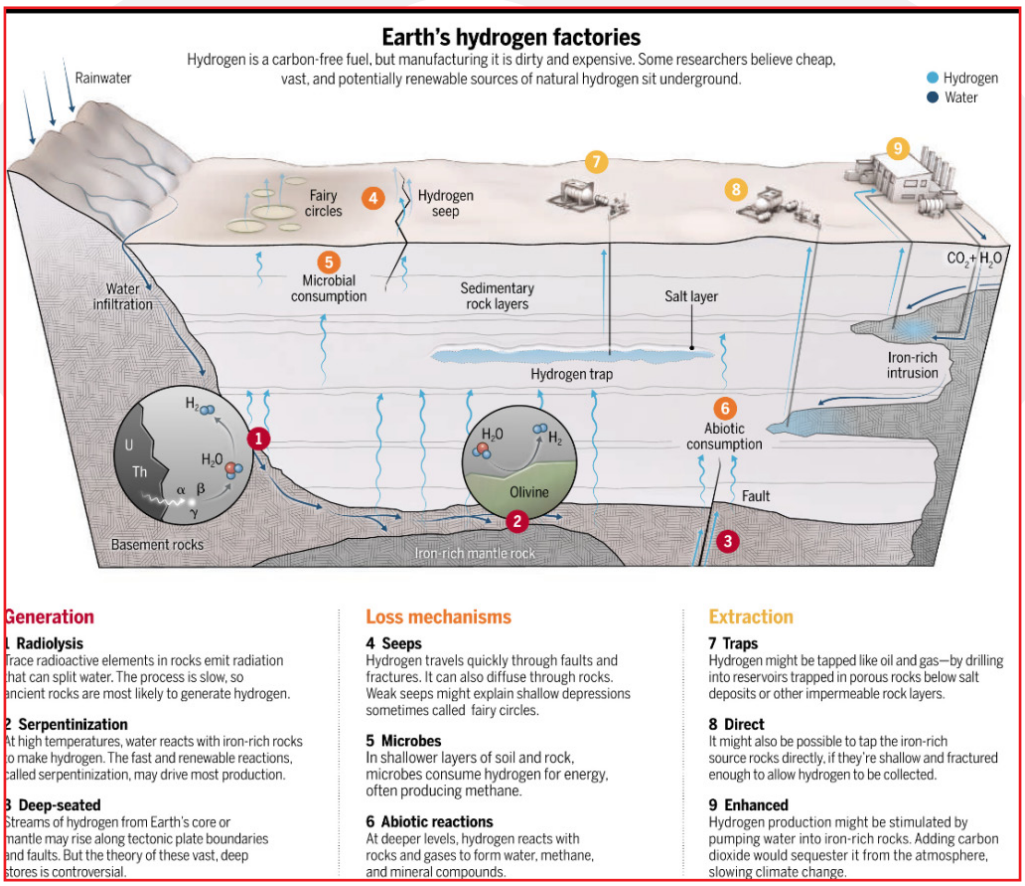
प्राकृतिक हाइड्रोजन

चर्चा में क्यों?

प्राकृतिक हाइड्रोजन, जो संभावित रूप से **स्वच्छ, प्रचुर और कम लागत वाला ऊर्जा स्रोत है, हरित ऊर्जा में परिवर्तन के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तनकर्त्ता** के रूप में वैश्विक ध्यान आकर्षित कर रहा है।

प्राकृतिक हाइड्रोजन के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **परिचय: प्राकृतिक हाइड्रोजन,** जिसे **भूगर्भिक हाइड्रोजन** या **श्वेत हाइड्रोजन** भी कहा जाता है, **हाइड्रोजन गैस (H_2)** को संदर्भित करता है जो पृथ्वी की पर्पटी में **प्राकृतिक रूप से उत्पन्न** और संग्रहीत होता है।
  - निर्मित हाइड्रोजन (जीवाश्म ईंधन या नवीकरणीय ऊर्जा से) के विपरीत, **प्राकृतिक हाइड्रोजन का उत्पादन भूगर्भीय रूप से किया जाता है** - जिससे एक **स्थायी ऊर्जा क्रांति** की उम्मीदें बढ़ती हैं।
- **निर्माण:** प्राकृतिक हाइड्रोजन **भूमिगत रूप से स्वतंत्र रूप से मौजूद है,** और **प्राकृतिक भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से निर्मित होता है जैसे-**
  - **सर्पेन्टिनाइज़ेशन: लौह-युक्त चट्टानों के साथ जल** की अभिक्रिया।
  - **रेडियोलिसिस: रेडियोधर्मी चट्टानों** द्वारा जल का विखंडन।
  - **कार्बनिक अपघटन: कार्बनिक पदार्थ के दाब** से।



दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **खोज:** वर्ष 1987 में **माली के बोउराकेबौगू** में एक बोरहोल से एक रहस्यमयी ज्वाला (Flame) निकली - जिसे बाद में वर्ष 2012 में यह पाया गया कि इसमें **98% शुद्ध हाइड्रोजन** है।
  - **फ्राँस (लोरेन और मोसेले)** में प्रमुख खोजों से **92 मिलियन टन** हाइड्रोजन (**वैश्विक उत्पादन का आधा**) का पता चला।
- **प्रमुख भंडार: हाइड्रोजन के स्रोतों** का दस्तावेज़ीकरण 10 से अधिक देशों में किया गया है, जिनमें **ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्राँस, दक्षिण कोरिया, कनाडा और स्पेन** शामिल हैं।
- **भारत की प्राकृतिक हाइड्रोजन क्षमता:** भारत की भूवैज्ञानिक संरचनाएँ इसे प्राकृतिक हाइड्रोजन के लिये **उच्च क्षमता वाला क्षेत्र** बनाती हैं:
  - **अल्ट्रामैफिक और मैफिक रॉक, ओपियोलाइट बेल्ट,** और **ग्रीनस्टोन संरचनाएँ।**
  - विंध्य, कुडप्पा, गोंडवाना और छत्तीसगढ़ में **अवसादी घाटियाँ।**
  - **हाइड्रोथर्मल सिस्टम** और हॉट स्प्रिंग्स संभावित भूमिगत उत्पादन का संकेत देते हैं।
- **संभावित प्रभाव:** यदि वैश्विक भूगर्भीय हाइड्रोजन का केवल **2% पुनः प्राप्त** किया जा सके, तो यह **सभी ज्ञात प्राकृतिक गैस भंडारों की दोगुनी ऊर्जा के बराबर** हो सकता है और **200 वर्षों** तक वैश्विक हाइड्रोजन की मांग को पूरा कर सकता है।
- **लागत दक्षता:** उत्पादन लागत **1 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम या उससे कम** होने का अनुमान है **जो ग्रीन एवं ग्रे हाइड्रोजन** दोनों से सस्ता विकल्प है।
  - वैश्विक स्तर पर **"हाइड्रोजन की लोकप्रियता"** बढ़ रही है, जिसमें प्राकृतिक हाइड्रोजन की खोज करने वाली कंपनियों की संख्या **वर्ष 2020 के 10 से बढ़कर वर्ष 2023 में 40** हो गई।

नोट: हाइड्रोजन ब्रह्मांड के द्रव्यमान का लगभग 75% है लेकिन **पृथ्वी के वायुमंडल का केवल 0.5-1.0 ppm** है। **पृथ्वी की पर्पटी** में यह **वज़न के** हिसाब से 0.75% है।

ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025

चर्चा में क्यों?

वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद (GWEC) की **ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025** में चेतावनी दी गई है कि अनुमानित पवन क्षमता द्वारा वर्ष 2030 के लक्ष्यों में से केवल 77% की ही पूर्ति हो पाएगी, जिससे तापमान को **2°C** (अधिमानतः 1.5°C) से नीचे तक सीमित रखने के **नेट-जीरो** एवं **पेरिस समझौते** संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने में बाधा आएगी।

ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?

- **पवन ऊर्जा क्षमता: वर्ष 2024** में **वैश्विक स्तर पर 117 गीगावाट** की **नवीन पवन ऊर्जा क्षमता** शामिल हुई जो **वर्ष 2023 के 116.6 गीगावाट** से थोड़ी अधिक है। इसके साथ ही कुल वैश्विक क्षमता **1,136 गीगावाट** हो गई।
- **क्षेत्रीय प्रदर्शन: वर्ष 2024** में **चीन** वैश्विक पवन ऊर्जा बाज़ार में अग्रणी रहा जिसका नवीन **ऊर्जा क्षमता में 70% का योगदान** रहा। इसके बाद **संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, भारत और जर्मनी** इसके अन्य शीर्ष बाज़ार हैं।
  - **उज़्बेकिस्तान, मिस्र और सऊदी अरब** ने इस संदर्भ में काफी सफलता प्राप्त की है क्योंकि वर्ष 2024 में **अफ्रीका और मध्य पूर्व** में तटीय पवन ऊर्जा क्षमता पिछले वर्षों की तुलना में दोगुनी हो गई है।
  - **वर्ष 2024 में वैश्विक स्तर** पर केवल **8 गीगावाट** की **अपतटीय पवन** ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई, जो **वर्ष 2023 से 26% की गिरावट** का प्रतीक है।
- **चुनौतियाँ:**
  - **नीतिगत एवं विनियामक मुद्दे:** प्रमुख बाज़ारों में अस्थिरता, **परियोजना अनुमति में देरी।**
  - **बुनियादी ढाँचे का अभाव: ग्रिड उन्नयन में कम निवेश।**
  - **वित्तीय और बाज़ार दबाव:** मुद्रास्फीति और **उच्च ब्याज दरें,** व्यापार संरक्षणवाद और अप्रभावी नवीकरणीय ऊर्जा नीलामी प्रणाली

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

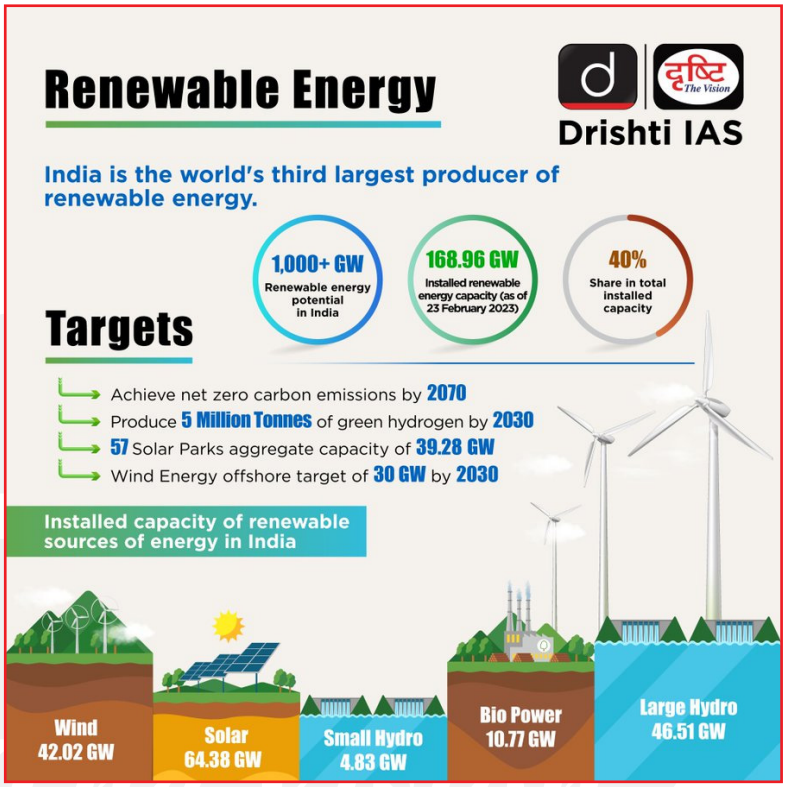
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **विस्तार की आवश्यकता:** दुबई में आयोजित COP28 में, देशों ने **वर्ष 2030** तक **नवीकरणीय क्षमता को तीन गुना करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की**, जिसमें **पवन ऊर्जा संयंत्रों में प्रतिवर्ष 320 गीगावाट की क्षमता** स्थापित करना शामिल है।
  - **इस विस्तार की आवश्यकता के बिना, तापमान वृद्धि को 1.5°C** तक सीमित रखने के प्रयास विफल हो सकते हैं, जिसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं।

भारत में पवन ऊर्जा की स्थिति क्या है?

- **कुल पवन ऊर्जा क्षमता:** 31 मार्च 2025 तक, भारत ने **50.04 गीगावाट की संचयी** संस्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है।
  - **वित्त वर्ष 2024-25** में, भारत ने पवन ऊर्जा क्षमता में **4.15 गीगावाट की वृद्धि** की, जो **वित्त वर्ष 2023-24** में **3.25 गीगावाट** थी।
- **वैश्विक स्थिति:** कुल संस्थापित पवन ऊर्जा क्षमता की दृष्टि से भारत **विश्व स्तर पर चौथे स्थान** पर है, जिससे ऊपर **केवल चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी** हैं।
- **राज्यवार वितरण:** वर्ष 2025 तक, भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य **गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु** हैं।
- **घरेलू विनिर्माण क्षमता:** भारत में **पवन टरबाइन विनिर्माण** उद्योग की स्थिति सुदृढ़ है जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता लगभग **18,000 मेगावाट** है।
- **अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता: राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान** के अनुसार **गुजरात** की **36 गीगावाट** तथा **तमिलनाडु** की लगभग **35 गीगावाट** अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता है।



भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन संबंधी क्या चुनौतियाँ हैं?

- **भूमि अधिग्रहण की जटिलताएँ:** प्रत्येक पवन टरबाइन हेतु **150 मीटर व्यास** से अधिक बड़े रोटरों के लिये 7-8 **एकड़** भूमि की आवश्यकता होती है, तथा **कृषि भूमि से गैर-कृषि भूमि** में भूमि उपयोग के क्रमिक रूपांतरण के कारण बृहद स्तर की परियोजनाओं में विलंब होता है।
- **गैर-आधुनिकीकृत ग्रिड:** राजस्थान, गुजरात और तटीय तमिलनाडु में उच्च क्षमता वाले पवन ऊर्जा स्थलों में **ट्रांसमिशन बुनियादी ढाँचे का अभाव** है, जिससे **मांग केंद्रों से दूरी होने के कारण** ऊर्जा लागत बढ़ जाती है।
- **नीतिगत असंगतताएँ: त्वरित मूल्यह्रास** और **उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन** जैसे प्रोत्साहनों का समापन किये जाने से अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है।
  - **टैरिफ, विद्युत् खरीद समझौतों** और अनुमोदन के संबंध में राज्यों की नीतियों में **भिन्नता होने से विकास एकसमान नहीं होता।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- पवन ऊर्जा परियोजनाओं (**टरबाइन, अवस्थापना** और **ग्रिड कनेक्शन**) की प्रारंभिक लागत काफी अधिक होती है और छोटे डेवलपर्स को प्राय: वित्तपोषण प्राप्त करने में कठिनाई होती है।

- **आपूर्ति श्रृंखला चुनौतियाँ:** यद्यपि भारत में **टावरों के लिये 5,200 मेगावाट तथा गियरबॉक्सों के लिये 8,000 मेगावाट की घरेलू विनिर्माण क्षमता है,** फिर भी ब्लेड की उपलब्धता चिंता का विषय बनी हुई है, जिसके कारण बड़ी मात्रा में आयात करना पड़ता है।
  - विशेष रूप से **चीन** से आयातित घटकों पर निर्भरता, **आपूर्ति श्रृंखला स्थिरता** और **साइबर सुरक्षा** के बारे में चिंता पैदा करती है।
- **ई-अपशिष्ट समस्या: नियंत्रण प्रणाली, इनवर्टर** और **बैटरी** जैसे पुराने घटकों का निपटान **सीसा, कैडमियम** और **पारा** जैसी **हानिकारक सामग्रियों** के कारण चुनौतीपूर्ण है।
  - **मिश्रित सामग्रियों** से बने **पवन टरबाइन ब्लेड पुनर्चक्रण** को और जटिल बनाते हैं तथा **ई-अपशिष्ट की समस्या** में योगदान देते हैं।

भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन को कैसे मज़बूत किया जाए?

- **नीतिगत ढाँचे को मज़बूत करना: भूमि अधिग्रहण** को सरल बनाकर मंजूरी में तेज़ी लाना, **एक समान राष्ट्रीय पवन नीति** लागू करना, तथा **उच्च क्षमता वाले टरबाइनों** के साथ पुराने पवन फार्मों को **पुन: सशक्त** बनाना।
- **भूमि बैंक हेतु प्रावधान: भूमि बैंक पूर्व-सुरक्षित, संघर्ष-मुक्त भूमि** को सुरक्षित करता है, विलंब को कम करता है, **स्पष्ट स्वामित्व** सुनिश्चित करता है, और **लागत को कम करते हुए और निवेशकों के विश्वास को बढ़ाते** हुए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को गति प्रदान करता है।
- **अपतटीय पवन ऊर्जा की क्षमता को बढ़ावा देना: अपतटीय पवन प्रौद्योगिकी** में अग्रणी **डेनमार्क** और **यूनाइटेड किंगडम** जैसे देशों के साथ सहयोग करके अपतटीय टरबाइन स्थापना में तेज़ी लाना।
  - एक परियोजना जो **पवन और ज्वारीय ऊर्जा दोनों को जोड़ती है,** नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को अनुकूलित कर सकती है और विश्वसनीयता बढ़ा सकती है।
- **हाइब्रिड पवन-सौर परियोजनाएँ: हाइब्रिड सेटअप** में पवन और सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के संयोजन से **भूमि का बेहतर उपयोग** और **अधिक स्थिर विद्युत् उत्पादन** संभव हो पाता है।
- **वित्तीय एवं बाज़ार नवाचार:** पवन ऊर्जा से उत्सर्जन में कमी लाने के लिये **ग्रीन बॉण्ड** के माध्यम से वित्तपोषण को बढ़ावा देना तथा **कार्बन क्रेडिट तंत्र** का लाभ उठाना।
- **घरेलू निर्माण: पवन ऊर्जा उपकरणों** के निर्माण को बढ़ावा देने के लिये ब्लेड, टावर और गियरबॉक्स जैसी प्रमुख घटकों के स्थानीय निर्माण हेतु एक **उत्पादन-से-जुड़ी प्रोत्साहन (PLI)** योजना शुरू की जाए। साथ ही, **अपतटीय पवन ऊर्जा एवं ऑपरेशंस और मेंटेनेंस (O&M)** से जुड़ी भूमिकाओं के लिये कार्यबल को प्रशिक्षित करने हेतु कौशल विकास कार्यक्रमों में निवेश किया जाए।
- **उभरती तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करना:** गहरे समुद्र में पवन ऊर्जा की संभावनाओं का दोहन करने के लिये **फ्लोटिंग विंड टरबाइनों** की संभावनाओं का अन्वेषण किया जाए और हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिये अतिरिक्त पवन ऊर्जा का उपयोग कर **हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस** को प्रोत्साहित किया जाए।

निष्कर्ष:

भारत का पवन ऊर्जा क्षेत्र उल्लेखनीय प्रगति दिखा रहा है, लेकिन इसे **भूमि अधिग्रहण, बुनियादी ढाँचे की कमी, नीति में असंगति, और ई-कचरे** जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। **नेट-ज़ीरो लक्ष्यों** को प्राप्त करने के लिये भारत को आवश्यक है कि वह

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता को तेजी से बढ़ाए, घरेलू निर्माण को सुदृढ़ करे, हाइब्रिड परियोजनाओं को बढ़ावा दे तथा फ्लोटिंग टरबाइनों तथा ग्रीन हाइड्रोजन एकीकरण जैसी नवाचारात्मक तकनीकों में निवेश करे।

रेड-क्राउन्ड रूफ्ड टर्टल

30 वर्षों के बाद **गंगा नदी में पुन: रेड-क्राउन्ड रूफ्ड टर्टल (Batagur kachuga) छोड़े गए हैं**, जो **नमामि गंगे मिशन** और **टर्टल सर्वाइवल अलायंस इंडिया (TSAFI)** परियोजना के तहत एक बड़ी सफलता है।

- कछुओं को उत्तर प्रदेश के **हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य** के अंदर **बिजनौर गंगा बैराज** के समीप स्थित रामसर **साइट हैदरपुर वेटलैंड** में छोड़ा गया।



रेड-क्राउन्ड रूफ्ड टर्टल:

- **परिचय:** यह **अलवणीय जल का कछुआ** है जो **जियोमाइडीडे कुल** से संबंधित है। **इसे बंगाल रूफ टर्टल** के नाम से भी जाना जाता है, यह भारत में पाई जाने वाली **24 स्थानिक प्रजातियों** में से एक है।
- **मुख्य विशेषताएँ:** मादा कछुओं की लंबाई **56 सेमी.** और वज़न **25 किलोग्राम** तक होता है, जबकि नर कछुए आकार में छोटे होते हैं एवं इनके मुख और गर्दन पर चमकीले **लाल, पीले, सफेद तथा नीले रंग के निशान** होते हैं।
  - विशेष रूप से जुवेनाइल कछुओं में, कवच (ऊपरी कवच) घुमावदार होता है और यंग कछुओं **में** प्लास्ट्रॉन (निचला कवच) पार्श्व कोणीय होता है।
  - यह **शाकाहारी** प्रजाति **जलीय पौधों पर निर्भर रहती है** और **मार्च-अप्रैल** के दौरान **11-30 अंडे देती है** ।
- **अधिवास और वितरण: यह ऐतिहासिक रूप से भारत** , **नेपाल** और **बांग्लादेश** की नदी प्रणालियों में पाया जाता था।
- **आवास क्षरण** , **रेत खनन** और **प्रदूषण** के कारण यह गंगा की मुख्य धारा से विलुप्त हो गया।
  - अब इसे भारत के **उत्तर प्रदेश** में **हैदरपुर वेटलैंड** में **पुन: शामिल किया गया है** जहाँ इसके पुनरुद्धार के लिये उपयुक्त वातावरण मिलता है।
- **प्रमुख खतरे: प्रदूषण, बाँध निर्माण और जल निकासी** के कारण आवास का नुकसान। रेत खनन और मौसमी कृषि से इसकी नेस्टिंग के लिये उपयुक्त रेत के टीले नष्ट हो जाते हैं, **मत्स्यन के अवैध जाल से इसके अवैध शिकार तथा व्यापार को बढ़ावा मिलता है।**
- **संरक्षण स्थिति:**
  - IUCN रेड लिस्ट: **गंभीर रूप से संकटग्रस्त**
  - वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (WPA), 1972: अनुसूची-I
  - CITES: परिशिष्ट II

टर्टल सर्वाइवल एलायंस इंडिया (TSAFI)

- TSAFI वैश्विक **टर्टल सर्वाइवल एलायंस (TSA)** का भारतीय इकाई का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे IUCN के तहत वर्ष 2001 में स्वच्छ जल के कछुओं और कछुओं को निवास स्थान के नुकसान, अवैध व्यापार और जलवायु परिवर्तन जैसे खतरों से बचाने के लिये बनाया गया था, जिसका मिशन "21वीं सदी में कछुआ विलुप्ति को ज़ीरो" करना है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:



जैवविविधता (पहुँच और लाभ साझाकरण) विनियमन, 2025

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (NBA) ने जैविक संसाधनों के उपयोग से उचित लाभ साझाकरण सुनिश्चित करने के लिये **जैवविविधता (जैविक संसाधनों और उससे संबंधित ज्ञान तक पहुँच तथा लाभों का उचित एवं न्यायसंगत बंटवारा) विनियमन 2025** को अधिसूचित किया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

जैवविविधता (पहुँच और लाभ साझाकरण) विनियमन, 2025 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- **टर्नओवर से जुड़ा लाभ साझाकरण:** सभी उपयोगकर्त्ता जिनका वार्षिक टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से अधिक है, उन्हें प्रति वर्ष उपयोग किये गए संसाधनों की जानकारी के साथ एक विवरण साझा करना होगा।

वार्षिक टर्नओवर	लाभ साझाकरण दर [उत्पाद के वार्षिक सकल पूर्व-फैक्ट्री विक्रय मूल्य का %) (सरकारी करों को छोड़कर)]
5 करोड़ रुपए तक	शून्य
5 – 50 करोड़ रुपए	0.2%
50 – 250 करोड़ रुपए	0.4%
250 करोड़ रुपए से अधिक	0.6%

- **उच्च मूल्य वाले जैविक संसाधन:** जैवविविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत **लाल चंदन, चंदन (Sandalwood), अगरवुड** और संकटग्रस्त प्रजातियों जैसे उच्च मूल्य वाले जैविक संसाधनों के लिये लाभ साझाकरण बिक्री या नीलामी राशि का कम से कम 5% होना चाहिये, तथा वाणिज्यिक उपयोग के लिये 20% से अधिक हो सकता है।
- **डिजिटल अनुक्रम सूचना (DSI):** वर्ष का 2025 विनियमन वर्ष 2014 के दिशानिर्देशों का स्थान लेता है, तथा **DSI** को शामिल करने के लिये इसके दायरे का विस्तार करता है, जिसे अब पहले के ढाँचे के विपरीत आनुवंशिक संसाधनों का हिस्सा माना जा सकता है।
  - DSI से तात्पर्य **डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (DNA), राइबोन्यूक्लिक एसिड (RNA)** या जीवों के प्रोटीन से प्राप्त **आनुवंशिक अनुक्रमों के डिजिटल प्रतिनिधित्व** से है। यह अनिवार्य रूप से किसी जीव की आनुवंशिक संरचना का डिजिटल कोड है।
- **शोधकर्त्ता एवं बौद्धिक संपदा आवेदक:** विनियमन में शोधकर्त्ताओं और बौद्धिक संपदा आवेदकों के लिये लाभ-साझाकरण अनिवार्य किया गया है, जिसमें **एकत्रित लाभ का 10-15%** NBA द्वारा रखा जाएगा।
- **कृषि योग्य औषधीय पादपों को छूट:** कृषि योग्य औषधीय पादपों को लाभ साझाकरण करने से छूट दी गई है।
  - यह छूट जैवविविधता (संशोधन) अधिनियम 2023 से उत्पन्न हुई है, जो औषधीय पादपों की कृषि को बढ़ावा देता है और आयुष चिकित्सकों के लिये अनुपालन को सुगम बनाता है।

पहुँच और लाभ साझाकरण क्या है?

- **परिचय:** ABS का तात्पर्य **जैविक संसाधनों** (जैसे पादप, जानवर या आनुवंशिक सामग्री) तक पहुँच प्रदान करने की प्रक्रिया से है और **यह सुनिश्चित करना है कि उनके उपयोग से होने वाले लाभ, चाहे मौद्रिक हों या गैर-मौद्रिक,** स्रोत समुदायों या राष्ट्रों के साथ समान रूप से साझा किये जाएँ।
- ABS प्रदाता से **पूर्व सूचित सहमति (PIC)** और आनुवंशिक संसाधनों और संबंधित लाभों के निष्पक्ष और न्यायसंगत बंटवारे के लिये **पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों (MAT)** को स्थापित करने के लिये बातचीत पर निर्भर करता है।
- **रूपरेखा:** यह **जैवविविधता अभिसमय (CBD)** में निहित है। CBD के तहत वर्ष 2010 में अंगीकृत **नागोया प्रोटोकॉल**, आनुवंशिक संसाधनों के अभिगम और उचित लाभ-साझाकरण के लिये विधिक रूप से बाध्यकारी रूपरेखा प्रदान करता है।
- **कोलंबिया के कैली** में आयोजित **CBD (2024) के COP-16** में DSI के उपयोग से लाभ साझा करने के लिये एक बहुपक्षीय तंत्र के लिये प्रमुख रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया।
- भारत में **ABS** को **जैवविविधता अधिनियम, 2002** और ABS विनियमन, 2025 के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (NBA)

- यह **जैवविविधता अधिनियम, 2002** के तहत वर्ष 2003 में स्थापित वैधानिक निकाय है जो केंद्र को **जैवविविधता संरक्षण,**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

सतत् उपयोग और उचित लाभ-साझाकरण पर परामर्श देता है।

- इसका मुख्यालय चेन्नई में है तथा यह **राज्य जैवविविधता बोर्ड (SBB)** और स्थानीय **जैवविविधता प्रबंधन समितियों (BMC)** को शामिल करते हुए एक विकेंद्रीकृत संरचना के माध्यम से कार्य करता है।
- जबकि SBB राज्य सरकारों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और वाणिज्यिक उपयोग को विनियमित करते हैं, BMC स्थानीय जैवविविधता के प्रलेखन और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
  - BMC का उत्तरदायित्व **जैवविविधता रजिस्टर (PBR)** तैयार करना है।
- अपनी स्थापना के बाद से, NBA ने 28 राज्यों, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में SBB के निर्माण का समर्थन किया है और लगभग 2,77,688 BMC की स्थापना में सहायता की है।



दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

भारत की ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना (GHCI)

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने **राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन** (NGHM) के तहत भारत की ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना (GHCI) शुरू की है।

- **परिचय:** यह पहल **ग्रीन हाइड्रोजन** (GH) उत्पादन को प्रमाणित करने के साथ इस क्षेत्र में **पारदर्शिता एवं बाज़ार की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने** के क्रम में उन्नत ढाँचा निर्माण से संबंधित है।
- **उद्देश्य:** भारत में ग्रीन हाइड्रोजन बाज़ार को बढ़ावा देना, जिससे कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने, निर्यात को बढ़ावा देने तथा ऊर्जा-गहन क्षेत्रों को स्वच्छ ईंधन अपनाने के लिये प्रोत्साहित किया जा सके।
  - **कांडला, पारादीप और तूतीकोरिन** जैसे अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह शहरों को **निर्यात** के क्रम में **ग्रीन हाइड्रोजन** उत्पादन के **मुख्य केंद्र** के रूप में चुना गया है।
  - इससे **ग्रीनवॉशिंग** (जिसमें कंपनियाँ **झूठे दावे** करके खुद को **पर्यावरण अनुकूल बताती हैं**) पर अंकुश लग सकेगा।
- **प्रमाणन प्रक्रिया:** अनुपालन सुनिश्चित करने के क्रम में इसे **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो** (BEE) द्वारा मान्यता प्राप्त **कार्बन सत्यापन** (ACV) **एजेंसी** द्वारा सत्यापित किया जाना शामिल है।
  - यह प्रमाणपत्र **हस्तांतरणीय** न होने के साथ **इसका व्यापार नहीं** किया जा सकता है तथा इसका उपयोग **उत्सर्जन कटौती क्रेडिट** का दावा करने के लिये भी नहीं किया जा सकता है।
  - BEE ने **CCTS** के तहत **ग्रीन हाइड्रोजन** का उपयोग करने वाले कुछ **विशिष्ट क्षेत्रों** (**जैसे सीमेंट**) के लिये **ऑफसेट तंत्र** की भी घोषणा की है ताकि उन्हें **ऋण अर्जित करने तथा व्यापार करने** में सहायता मिल सके।
- **प्रयोज्यता:** यह प्रमाणन योजना केवल **इलेक्ट्रोलिसिस या बायोमास के रूपांतरण** से **ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन** पर लागू है।

महासागरों में माइक्रोप्लास्टिक इनफिल्ट्रेशन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में *"नेचर"* पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला है कि **माइक्रोप्लास्टिक** केवल सतही प्रदूषक नहीं हैं, बल्कि अब वे समुद्र की गहराइयों में समाहित हो गए हैं, जो पृथ्वी के **जैव-रासायनिक** और **कार्बन चक्रों** पर प्रभाव डाल रहे हैं।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं?

- **माइक्रोप्लास्टिक इनफिल्ट्रेशन:** माइक्रोप्लास्टिक **महासागर में व्यापक रूप से फैले हुए हैं,** जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों पर हावी हैं और महासागरीय घूर्णनों (Gyres) में **100 मीटर तक की गहराई तक पहुँच चुके हैं।**
  - जबकि **बड़े प्लास्टिक के टुकड़े** (100 से 5,000 माइक्रोमीटर) सामान्यत: महासागर की सतह के पास संकेंद्रित होते थे, छोटे कण महासागरीय घूर्णनों में 100 मीटर की गहराई तक समाहित पाए गए।
  - **घूर्णन** (Gyres), धीमे-गति से चलने वाली, वृत्ताकार महासागरीय धाराएँ, प्लास्टिक को फँसाती हैं और संकेंद्रित करती हैं।
- **मात्रा:** वर्ष 1950 से 2015 तक कुल प्लास्टिक इनपुट का अनुमान 17 से 47 मिलियन मीट्रिक टन के बीच लगाया गया था।
  - **नायलॉन और पॉलिएस्टर** से बना मछली पकड़ने का उपकरण महासागर में घने प्लास्टिक जैसे पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट (PET-Polyethylene Terephthalate) का एक प्रमुख स्रोत है, जिसमें 56 से अधिक पॉलिमर प्रकारों का पता चला है।
- **प्रभाव:** जैव-रासायनिक चक्रण के लिये महत्त्वपूर्ण जल स्तंभ, माइक्रोप्लास्टिक्स से तेज़ी से प्रभावित हो रहा है, जिससे महासागर के कार्बन चक्र में संभावित रूप से व्यवधान उत्पन्न हो रहा है।
  - **कार्बन चक्र में हस्तक्षेप:** प्लास्टिक प्रदूषण समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में बाह्य कार्बन (जिसे अलोकथोनस कार्बन (allochthonous carbon) कहा जाता है) जोड़ता है,

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

जबकि माइक्रोप्लास्टिक कार्बन समुंदर के जल में 30 मीटर गहरे स्तर पर कुल कणिकीय कार्बनिक कार्बन (POC) का 0.1% होता है, जो उपो ष्णकटिबंधीय गायर में 2,000 मीटर की गहराई पर 5% तक बढ़ जाता है।

- यह समुद्री नमूनों (Marine samples) को **420 वर्ष पुराना** दिखा सकता है।

- **जैव-रासायनिक प्रभाव: माइक्रोप्लास्टिक्स सूक्ष्मजीवों** की **नाइट्रीफिकेशन** और **डिनाइट्रीफिकेशन** को बदलते हैं और **मेटाबोलाइट्स** का उत्सर्जन करते हैं जो **पोषक तत्त्वों** के चक्र को बाधित करते हैं।

माइक्रोप्लास्टिक क्या हैं?

- **परिचय: माइक्रोप्लास्टिक्स,** जिन्हें पाँच मिलीमीटर से छोटे व्यास वाले प्लास्टिक के रूप में परिभाषित किया जाता है, महासागरों और जलजीवों के लिये हानिकारक हो सकते हैं।
  - **सौर यूवी विकिरण, वायु और महासागरीय धाराएँ** प्लास्टिक को **माइक्रोप्लास्टिक्स (<5 मिमी) और नैनोप्लास्टिक्स (<100 नैनोमीटर)** में तोड़ देती हैं।
- **वर्गीकरण:**
  - **प्राथमिक माइक्रोप्लास्टिक: वे वाणिज्यिक उपयोग** के लिये बनाए गए छोटे कण होते हैं, जैसे **माइक्रोबीड्स, प्लास्टिक छर्रे** और कपड़ों के **माइक्रोफाइबर** ।
  - **द्वितीयक माइक्रोप्लास्टिक:** ये तब बनते हैं जब बोतलों जैसे बड़े प्लास्टिक **सूर्य के प्रकाश** और **समुद्री धाराओं** के कारण **टूट जाते हैं** ।
- **चिंताएँ: माइक्रोप्लास्टिक** लाल रक्त कोशिकाओं से चिपक सकते हैं, **जिससे ऑक्सीजन का परिवहन कम हो जाता है और ये प्लेसेंटा** व **भ्रूण के अंगों** में भी पाए गए हैं ।
  - ये **मानव कोशिकाओं को नुकसान पहुँचा सकते हैं** और **छोटे बच्चे** विशेष रूप से इसके प्रति संवेदनशील होते हैं।
- **अनुप्रयोग:** इसका उपयोग **दवा वितरण, औद्योगिक सफाई** तथा स्क्रब और टूथपेस्ट जैसे **व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों में एक्सफोलियेंट के रूप में किया जाता है।**
- **माइक्रोप्लास्टिक से संबंधित विनियम:**
  - **वैश्विक: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) प्लास्टिक संधि**
  - **भारत: एकल-उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2024**

क्लाउड सीडिंग

दिल्ली मंत्रिमंडल ने वायु प्रदूषण और जल की कमी को दूर करने के उद्देश्य से **क्लाउड सीडिंग परीक्षण करने की परियोजना को स्वीकृति दे दी है।**

- **क्लाउड सीडिंग:** यह एक **मौसम परिवर्तन तकनीक है जो सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड या सूखी बर्फ** जैसे रसायनों को बादलों में विसरित करती है, जो जल की बूंदों के निर्माण के लिये नाभिक के रूप में कार्य करते हैं, जिससे वर्षा उत्पन्न होती है।
- यह वायु प्रदूषण से निपटने में मदद कर सकती है, विशेषकर उच्च **वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) रीडिंग की अवधि के दौरान।**
  - क्लाउड सीडिंग से जल की उपलब्धता बढ़ सकती है तथा आर्थिक, पर्यावरणीय और मानव स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं।
- **क्लाउड सीडिंग के प्रकार:** स्थैतिक क्लाउड सीडिंग, जिसमें बर्फ के कणों को ठंडे बादलों में प्रविष्ट कराकर बर्फ के क्रिस्टल या हिमकण बनाए जाते हैं।
  - **गतिशील क्लाउड सीडिंग,** जो ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं को बढ़ाकर और वर्षा बादलों के विकास को बढ़ावा देकर वर्षा को उत्तेजित करती है।
  - **हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग,** जिसमें बादल की बूंदों के आकार को बढ़ाने के लिये लवण के बारीक कणों का उपयोग किया जाता है।
  - **ग्लेशियोजेनिक क्लाउड सीडिंग,** जो अतिशीतित बादलों में बर्फ के निर्माण को प्रेरित करती है, जिससे वर्षा होती है। इसका उपयोग बर्फबारी बढ़ाने, पर्वतीय हिमखंड को बढ़ाने, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में वर्षा को प्रेरित करने और वायु प्रदूषण को कम करने के लिये किया जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

जैव विविधता संरक्षण में स्वदेशी समुदायों की भूमिका

चर्चा में क्यों?

वैश्विक स्तर पर संरक्षण कानून प्राय: **स्वदेशी और स्थानीय समुदायों (IPLC)** को बाहर रखते हैं, जिससे जैव विविधता संरक्षण में उनकी भूमिका को दरकिनार कर दिया जाता है। भारत में, **वन अधिकार अधिनियम, 2006** IPLC अधिकारों को मान्यता देने की दिशा में एक कदम था, लेकिन राज्य के नेतृत्व वाले संरक्षण मॉडल अभी भी प्रचलित हैं।

- चुनौती यह सुनिश्चित करने की है कि भारत के संरक्षण प्रयास IPLC को अपनी भूमि के प्रबंधन और सुरक्षा में पूर्ण रूप से सशक्त बनाएँ।

जैवविविधता संरक्षण में स्वदेशी समुदाय क्या भूमिका निभाते हैं?

- **पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण: स्वदेशी जनजातियों के पास औषधीय पौधों, वन्यजीवों के व्यवहार और सतत् संसाधन उपयोग** के विषय में पीढ़ियों पुरानी जानकारी होती है।
  - **उदाहरण के लिये, कानी जनजाति** (केरल) अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिज़र्व में औषधीय पौधों के संरक्षण के लिये पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करती है।
- **समुदाय द्वारा संचालित वन संरक्षण:** कई जनजातीय समुदाय **पवित्र उपवनों और सामुदायिक अभ्यारण्यों** के माध्यम से वनों की रक्षा करते हैं।
  - **उदाहरण के लिये, बिश्नोई समुदाय** (राजस्थान) **खेजड़ी वृक्ष और काले हिरण** जैसे वन्यजीवों की रक्षा के लिये जाना जाता है।
- **बीज संरक्षण:** स्वदेशी कृषि पद्धतियाँ **देशी फसल किस्मों और मृदा स्वास्थ्य को संरक्षित करती हैं।**
  - उदाहरण के लिये, **ओडिशा और नागालैंड में जनजातियाँ मृदा की उर्वरता** बनाए रखने के लिये लंबे समय तक खाली ज़मीन पर **झूम कृषि** करती हैं।
- **वन्यजीवों के साथ सह-अस्तित्व:** कई जनजातीय समूह सांस्कृतिक परंपराओं का पालन करते हैं जो अत्यधिक शिकार पर रोक लगाते हैं और **वन्यजीवों के साथ सद्भाव को बढ़ावा देते हैं।**
  - **उदाहरण के लिये, सोलिगा जनजाति (कर्नाटक) बिलगिरी रंगना हिल्स (BRT) टाइगर रिज़र्व** में बाघों और हाथियों के साथ रहती है।

जैव विविधता संरक्षण में स्वदेशी समुदायों की भूमिका को मान्यता देने वाले भारत के प्रमुख अधिनियम क्या हैं?

- **जैविक विविधता अधिनियम (BDA), 2002:** स्थानीय स्तर पर **जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMC)** के माध्यम से, यह पहल **स्थानीय पौधों, पशुओं और आवासों के संरक्षण को बढ़ावा देती है**, साथ ही **पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेज़ीकरण** व संरक्षण के लिये **समावेशी दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है।**
- **FRA, 2006:** **अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम (FRA), 2006** आदिवासियों एवं **अन्य पारंपरिक वन समुदायों** सहित **वनवासियों के वन भूमि** व **प्राकृतिक संसाधनों** पर अधिकारों को मान्यता देता है ताकि वनों का स्थायी प्रबंधन किया जा सके।
  - ग्राम **सभा सामुदायिक वन संसाधनों** तक **पहुँच का प्रबंधन, संरक्षण और विनियमन करके, सतत् उपयोग** सुनिश्चित करके एवं **वन में रहने वाले समुदायों** के अधिकारों की रक्षा करके जैव विविधता के संरक्षण में केंद्रीय भूमिका निभाती है।
- **पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (PESA), 1996:** **PESA, 1996,** में यह प्रावधान है कि जनजातीय क्षेत्रों में **स्थानीय स्वशासन का भूमि और प्राकृतिक संसाधनों**, जिनमें वन व जल निकाय शामिल हैं, पर नियंत्रण होगा, जिससे **संरक्षण प्रथाओं पर स्थानीय नियंत्रण सुनिश्चित होगा।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **संयुक्त वन प्रबंधन (JFM):** संयुक्त **वन प्रबंधन (JFM)** और **पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम** वन संरक्षण एवं सतत् संसाधन उपयोग के लिये स्थानीय समुदायों को शामिल करते हैं, जिसमें IPLC **पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये गैर-लकड़ी वन उत्पाद (NTFP)** तथा ईंधन की लकड़ी का प्रबंधन करते हैं ।
- **राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना (NBAP):** NBAP सहभागी **संरक्षण को** बढ़ावा देती है, निर्णय लेने में **जनजातीय समुदायों को शामिल करती है, पारंपरिक ज्ञान का सम्मान करती है** और **समुदाय आधारित पहलों को मज़बूत करती है।**

प्रमुख वैश्विक पहलों ने IPLC की भूमिका को किस प्रकार मान्यता दी है?

- **जैव विविधता अभिसमय (CBD) :** वर्ष 2022 में अपनाया गया **कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क (GBF IPLC की** भागीदारी पर ज़ोर देता है।
  - **लक्ष्य 3 का लक्ष्य वर्ष 2030 तक वैश्विक भूमि और महासागरों के 30% हिस्से को स्वदेशी अधिकारों** के पूर्ण सम्मान के साथ संरक्षित करना है।
  - **लक्ष्य 22 न्याय तक** उनकी पहुँच, भूमि स्वामित्व और **निर्णय लेने में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करता है।**
    - **जैव विविधता अभिसमय (CBD) के COP -16 ने जैव विविधता संरक्षण** में IPLC की महत्त्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देने के लिये एक स्थायी **सहायक निकाय की स्थापना की।**
- **नागोया प्रोटोकॉल (वर्ष 2010):** CBD के तहत वर्ष 2010 में अपनाया गया नागोया प्रोटोकॉल, आनुवंशिक **संसाधनों** से **लाभ के उचित बँटवारे** को सुनिश्चित करता है और **IPLC** के **पारंपरिक ज्ञान के प्रति सम्मान को बढ़ावा देता है।**
- **स्वदेशी व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा (वर्ष 2007): यह स्वदेशी व्यक्तियों के अधिकारों का** विवरण देने वाला सबसे व्यापक अंतर्राष्ट्रीय साधन है, जो उनकी **मान्यता, संरक्षण** और **संवर्धन** के लिये न्यूनतम मानक निर्धारित करता है।
  - इसमें **सांस्कृतिक पहचान, शिक्षा , स्वास्थ्य** और **रोज़गार** सहित **व्यक्तिगत एवं सामूहिक अधिकारों को शामिल किया गया है,** तथा उन्हें प्रभावित करने वाले मामलों में **गैर-भेदभाव** व **प्रभावी भागीदारी को बढ़ावा दिया गया है।**

जैव विविधता संरक्षण में भारत स्थानीय समुदायों को और अधिक एकीकृत करने के लिये क्या उपाय अपना सकता है?

- **वन अधिकार अधिनियम (FRA) के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करना:** भूमि अधिकार संबंधी मुद्दों का समाधान करके, अधिक वनवासियों को कानूनी मान्यता प्रदान करके, और CFR के दावों का त्वरित निपटान करते हुए ग्राम सभाओं को जैव विविधता प्रबंधन से संबंधित निर्णयों में शामिल कर FRA के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
- **संरक्षण योजना में स्थानीय ज्ञान की मान्यता:** जैव विविधता रणनीतियों में स्वदेशी लोग और स्थानीय समुदायों (IPLC) के **पारंपरिक पारिस्थितिकीय ज्ञान (TEK)** का दस्तावेज़ीकरण और एकीकरण किया जाना चाहिये। साथ ही, उनके संरक्षण अभ्यासों को साझा करने और बढ़ावा देने के लिये ऐसे मंच स्थापित किये जाने चाहिये, जो कानूनी और नीतिगत ढाँचे के भीतर कार्य करें।
- **"30 बाई 30" एजेंडा में IPLC को शामिल करना:** जबकि भारत वर्ष 2030 तक अपनी 30% भूमि और समुद्री क्षेत्रों की रक्षा करने के लिये प्रतिबद्ध है, यह आवश्यक है कि इन क्षेत्रों की रूपरेखा और प्रबंधन में IPLC की भागीदारी और अधिकारों को सुनिश्चित किया जाए।
  - किसी भी नए संरक्षण क्षेत्र या पहल में IPLC की भागीदारी को प्राथमिकता देना चाहिये, यह सुनिश्चित करते हुए कि संरक्षण के नाम पर उनके अधिकारों का उल्लंघन न हो।
- **शासन में पारंपरिक ज्ञान:** सरकार और अनुसंधान संस्थाओं को IPLC के साथ मिलकर पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों का दस्तावेज़ीकरण और संरक्षण करना चाहिये तथा यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उचित मुआवज़े के बिना इनका दोहन न किया जाए।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- जैव विविधता प्रबंधन समितियों को पूरी तरह से क्रियाशील और सशक्त किया जाना चाहिये, ताकि वे स्थानीय जैव विविधता से संबंधित निर्णय प्रक्रिया में भाग ले सकें।

- **सामुदायिक संरक्षण परियोजनाओं के लिये वित्तीय समर्थन:** समुदाय-प्रेरित संरक्षण परियोजनाओं के लिये निधि स्थापित की जानी चाहिये और IPLC को उनकी भूमि पर **सतत् जैव विविधता संरक्षण** रणनीतियाँ लागू करने के लिये प्रोत्साहन जैसे **पारिस्थितिकीय प्रमाणन और कार्बन क्रेडिट** प्रदान किये जाने चाहिये।

निष्कर्ष

भारत की **संरक्षण रूपरेखा** अपनी समावेशी दृष्टिकोण के लिये वैश्विक स्तर पर विशिष्ट है, क्योंकि यह **स्वदेशी लोग और स्थानीय समुदाय (IPLC)** के अधिकारों को कानूनी रूप से मान्यता देती है। जैव विविधता संरक्षण को सामाजिक न्याय के साथ संतुलित करने के लिये **वन अधिकार अधिनियम (FRA)** जैसे कानूनों को सुदृढ़ करना और **ग्राम सभाओं** व **जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMC)** के माध्यम से भागीदारीपूर्ण शासन सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है।

समुद्री प्रदूषण का समुद्री पक्षियों पर प्रभाव

एक शोध में पता चला है कि समुद्री पक्षियों द्वारा **प्लास्टिक निगलने** से न केवल उन्हें शारीरिक क्षति होती है, बल्कि यह उनके हार्मोनल तंत्र भी बाधित होता है, जिससे दीर्घकालिक जैविक जोखिम उत्पन्न होते हैं।

- **अल्बाट्रॉस, पेट्रेल और शीयरवाटर** (*प्रोसेलेरिफॉर्मिस समूह के सदस्य*) जैसे समुद्री पक्षी अपने भोजन खोजने के व्यवहार और अद्वितीय पाचन तंत्र के कारण प्लास्टिक के अंतर्ग्रहण की उच्च क्षमता रखते हैं।
- निगले गए प्लास्टिक से शारीरिक क्षति हो सकती है (जैसे, रुकावट, छिद्र, कुपोषण) और विषाक्त रसायन का उत्सर्जन हो सकता हैं, जो हार्मोनों को प्रभावित करते हैं।
- **समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण: समुद्री कचरे का 80% प्लास्टिक प्रदूषण है**, जिसमें हर साल **8-10 मिलियन मीट्रिक टन** प्लास्टिक समुद्र में पहुँचता है। वर्ष 2050 तक, समुद्र में मछलियों की तुलना में प्लास्टिक का वजन अधिक हो सकता है।
- वर्तमान में 50-75 ट्रिलियन प्लास्टिक के भाग हमारे महासागरों को प्रदूषित करते हैं, विशाल अपशिष्ट के रूप में एकत्रित होते हैं या सूक्ष्म प्लास्टिक कणों में टूट जाते हैं।
  - समुद्री प्रदूषण **जैव विविधता को नुकसान पहुँचाता है, समुद्री जल में ऑक्सीजन के स्तर को कम, गहरे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित**, समुद्री खाद्य शृंखला को दूषित करता है तथा मानव स्वास्थ्य एवं तटीय आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।
- **समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण: प्लास्टिक प्रदूषण और समुद्री अपशिष्ट पर वैश्विक साझेदारी (GPML)**, वर्ष 2012 में स्थापित, वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण का सामना करने के लिये एक बहु-हितधारक मंच है।
- UNEP **स्रोत-से-समुद्र प्रदूषण इकाई इसके सचिवालय** के रूप में कार्य तथा ज्ञान-साझाकरण और संयुक्त कार्रवाई का समर्थन करती है।
  - **वर्ष 1972 के लंदन कन्वेंशन और जहाज़ों से प्रदूषण की रोकथाम के लिये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (MARPOL)** का उद्देश्य जहाज़ों और अपशिष्ट डंपिंग के उत्सर्जन से होने वाले समुद्री प्रदूषण को रोकना है।

■■■

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

भारतीय इतिहास

सातवाहन राजवंश और संस्कृति

चर्चा में क्यों?

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) ने तेलंगाना के पेद्दपल्ली में **सातवाहन वंश** से संबंधित **11 प्राचीन अभिलेखों** का दस्तावेज़ीकरण किया है।

- ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में रचित ये **1 ईसा पूर्व से 6वीं ईस्वी के अभिलेख सातवाहन युग** और प्रारंभिक **दक्कन** की राजनीति और संस्कृति की जानकारी का महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं।
- इन अभिलेखों से **तेलंगाना** का सोलह **महाजनपदों** में से एक, **अस्माका** का हिस्सा होने की पुष्टि हुई है, तथा इसकी ऐतिहासिक भूमिका और प्रमुख **राजवंशों** के साथ प्रारंभिक संबंधों काक इसमें विवरण शामिल है।

सातवाहन राजवंश से संबंधित मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **परिचय: दक्कन** और **मध्य भारत** में **मौर्य** शासन के पश्चात् सातवाहन वंश (ईसा पूर्व पहली शताब्दी से ईसवी तीसरी शताब्दी के प्रारंभ तक) का प्रभुत्व स्थापित हुआ, जिनका आरंभिक शासन केंद्र **उत्तर महाराष्ट्र** (ऊपरी **गोदावरी घाटी**) था और कालांतर में इसका विस्तार **कर्नाटक** और **आंध्र** में हुआ।
  - उनकी पहचान पुराणों में वर्णित **आंध्रों** से की जाती है, यद्यपि अभिलेखों में इस नाम का प्रयोग नहीं किया गया है।



दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

प्रमुख शासक:

शासक	शासन काल	विवरण
सिमुक	60 ई.पू.- 37 ई.पू.	**सातवाहन राजवंश के संस्थापक** और **नानेघाट अभिलेख** में सातवाहन राजवंश की सूची में प्रथम राजा के रूप में इनका उल्लेख है।
गौतमीपुत्र शातकर्णी	106 ई.–130 ई.	• **सातवाहन राजवंश के सबसे महत्त्वपूर्ण शासक**। • **शक वंश को पराजित किया** और क्षहरात वंश (नहपान द्वारा शासित) का समूल नाश किया। • उत्तर में **मालवा** और दक्षिण में **कर्नाटक** तक साम्राज्य का विस्तार किया। • नहपान (क्षहरात शासक) के सिक्के गौतमीपुत्र द्वारा पुन: टंकित कराए गए, जो विजय का प्रतीक थे।
वशिष्ठिपुत्र पुलुमयी	130 ई.-154 ई.	• गोदावरी के तट पर स्थित **पैठण (प्रतिष्ठान)** को नई राजधानी बनाया। • **आंध्र** पर सातवाहन साम्राज्य का प्रभुत्व स्थापित किया। **रुद्रदामन** (पश्चिमी क्षत्रप वंश) और सातवाहन वंश में अनेक **युद्ध** हुए, लेकिन इस **संघर्ष को रोकने के लिये राजा पुलुमावी** के पुत्र **वशिष्ठपुत्र शातकर्णी** ने रुद्रदामन की पुत्री से विवाह किया।
यज्ञ श्री सातकर्णी	165-194 ई.	• **उत्तर कोंकण और मालवा** के क्षेत्रों पर पुन: प्रभुत्व स्थापित किया। • **व्यापार और नौवहन** के संरक्षक; उनके सिक्कों पर **जहाज़ों का अंकन** है। • इनके शासनकाल में **समुद्री व्यापार शीर्ष पर था।**

- **भौतिक संस्कृति: कुदाल**, **हल** और **तीर** जैसे लौह औज़ारों का व्यापक उपयोग किया जाता था, तथा इनके प्रगलन स्थल **करीमनगर** और **वारंगल** में थे।
- **कृषि: लौह औज़ारों** के उपयोग और **धान की रोपाई** से कृषि क्षेत्र संपन्न हुआ, जिससे **कृष्णा-गोदावरी डेल्टा** एक प्रमुख चावल उत्पादन क्षेत्र बन गया।
  - **प्लिनी (नेचुरल हिस्ट्री के लेखक)** द्वारा उल्लेखित कपास उत्पादन, **आंध्र** की एक पहचान थी।
- **नगरीकरण और व्यापार: पेद्दबांकुर** (200 ईसा पूर्व-200 ईसवी) में **ईंट की संरचनाएँ**, **कुएँ** और **आवरित भूमिगत जल निकासी व्यवस्था थी। प्लिनी** ने पूर्वी **दक्कन** (आंध्र क्षेत्र) में 30 **दीवार वाले नगरों का उल्लेख किया है।**
  - **व्यापार में वृद्धि कृष्णा-गोदावरी** क्षेत्र में **रोमन** और **सातवाहन सिक्कों** के प्रसार में परिलक्षित होती है।
- **सिक्के:** सिक्कों पर **प्राकृत अभिलेख** और प्रतीक जैसे **दो मस्तूल वाले जहाज़**, **हाथी** (बल), **सिंह** (शक्ति), **नक्षत्र**, **चैत्य** और **धर्मचक्र** अंकित थे।
  - सिक्के **सीसा**, **पोटिन (ताँबा, सीसा और टिन का मिश्रण)**, **ताँबा** और **काँस्य में जारी किये गए थे**, जबकि **सोने** का उपयोग बुलियन के रूप में किया गया था।
- **सामाजिक संगठन:** सातवाहन, जो मूल रूप से एक **दक्कन जनजाति** थी, में **ब्राह्मणवादी परंपराओं और सामाजिक संरचनाओं** को अपनाया गया, **गौतमीपुत्र शातकर्णी** ने **शकों** द्वारा बाधित **वर्ण व्यवस्था** को पुन: स्थापित किया।
  - सातवाहन राजवंश में **मातृवंशीय** प्रभाव रहा, जिसमें राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखे जाते थे, लेकिन इसकी प्रकृति **पितृसत्तात्मक** रही, जिसमें उत्तराधिकार पुरुष उत्तराधिकारी को मिलता था।
  - शिल्प और वाणिज्य का विकास हुआ, **व्यापारियों और शिल्पकारों**, विशेषकर **गंधिकाओं (सुगंधित पदार्थ बनाने वालों)** ने बौद्ध उद्देश्यों के लिये दान दिया।
- **प्रशासन:** त्रिस्तरीय **सामंती व्यवस्था में राजा** (जो सिक्के जारी कर सकता था), **महाभोज** (द्वितीय श्रेणी का शासक) तथा **सेनापति** (स्थानीय प्राधिकार वाला सैन्य प्रमुख) शामिल थे।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **ज़िले (आहार या राष्ट्र)** का प्रशासन **महामात्रों (अधिकारियों)** द्वारा किया जाता था।

- **सैन्य-आधारित शासन:**
  - **सेनापति (कमांडर) प्रांतीय गवर्नर** के रूप में कार्य करता था।
  - **गौल्मिक** (सैन्य अधिकारी) **ग्रामीण विधि एवं व्यवस्था** बनाए रखता था।
  - **सैन्य शिविर (कटक, स्कंधवारा)** प्रशासनिक केंद्रों के रूप में भूमिका निभाते थे।
  - रोमन इतिहासकार **प्लिनी ने** उल्लेख किया है कि **आंध्र राज्य (सातवाहन)** के पास पैदल सेना, घुड़सवार सेना तथा हाथियों सहित एक बड़ी सेना थी, जो उनकी सैन्य शक्ति का परिचायक है।
- **धर्म: सातवाहन** शासकों ने **ब्राह्मण** के रूप में **ब्राह्मणवाद को बढ़ावा** दिया, **अश्वमेध** और **वाजपेय** जैसे **वैदिक यज्ञ** किये एवं **कृष्ण** तथा **वासुदेव** जैसे **वैष्णव देवताओं** की पूजा की।
  - सातवाहनों ने **बौद्ध धर्म** का समर्थन किया और **नागार्जुनकोंडा** तथा **अमरावती** में भिक्षुओं को भूमि दान दी, जहाँ **महायान बौद्ध धर्म** का प्रचार प्रसार हुआ।
  - सातवाहन **प्रथम शासक** थे जिन्होंने **ब्राह्मणों को भूमि दान** दी, किंतु **उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं** को भी भूमिदान किया था।
- **स्थापत्य:** सातवाहन अपनी **शैलकृत वास्तुकला** के लिये जाने जाते हैं, जिनमें **कार्ले चैत्य** और **नासिक विहार** जैसे उल्लेखनीय उदाहरण शामिल हैं।
  - **अमरावती स्तूप** का पुनर्निर्माण सातवाहन काल के दौरान किया गया था, जिसमें **बुद्ध के जीवन** से संबंधित जटिल मूर्तियों का अंकन किया गया है।
  - सातवाहनों ने **बौद्ध कला और वास्तुकला** को संरक्षण दिया, जैसा कि **अजंता की गुफा संख्या 9 और 10** में देखा जा सकता है तथा **अमरावती कला शैली** को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया, जिसे जटिल मूर्तियों के लिये जाना जाता था।
  - **महाराष्ट्र के नानेघाट** अभिलेखों से राजवंश के **धार्मिक संरक्षण** (विशेष रूप से बौद्ध धर्म के प्रति संरक्षण) पर प्रकाश पड़ता है तथा बौद्ध भिक्षुओं को दी गई भूमि पर **कर छूट** का उल्लेख मिलता है।
  - **नागार्जुनकोंडा** को **दूसरी-तीसरी शताब्दी** में सातवाहनों के उत्तराधिकारियों, इक्ष्वाकुओं के संरक्षण में सबसे अधिक समृद्धि मिली।
- **भाषा:** सातवाहनों की आधिकारिक भाषा प्राकृत थी तथा उनके **शिलालेख** ब्राह्मी **लिपि** में लिखे गए थे।
  - **गाथासप्तशती** (**राजा हाल** द्वारा रचित एक **प्राकृत ग्रन्थ**) इस काल की एक महत्त्वपूर्ण साहित्यिक कृति है, जिसमें **700 श्लोक** हैं।
- **पतन: तीसरी शताब्दी ई.** के आसपास इस राजवंश का पतन हो गया और पूर्वी दक्कन में **इक्ष्वाकुओं** ने इसका स्थान लिया, जिन्होंने कई सातवाहन परंपराओं (विशेष रूप से बौद्ध संरक्षण में) को जारी रखा।
- बाद में, **पल्लव** दक्षिणी क्षेत्र में प्रमुखता से उभरे।

निष्कर्ष

तेलंगाना में **सातवाहन अभिलेखों** से इस राजवंश के **राजनीतिक, धार्मिक** और **सांस्कृतिक** प्रभाव के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिली है। अपनी **सैन्य शक्ति, बौद्ध धर्म** के समर्थन तथा **मातृवंशीय प्रभावों** के लिये प्रसिद्ध **सातवाहनों ने व्यापार, शहरीकरण** के विकास तथा प्रारंभिक **दक्कन इतिहास** को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाई। अपने पतन के बाद **इक्ष्वाकु पूर्वी दक्कन** में इनके **उत्तराधिकारी** के रूप में उभरे, **जिन्होंने उनकी कई प्रशासनिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं** (विशेष रूप से बौद्ध धर्म का संरक्षण) को जारी रखा।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न: सातवाहन राजवंश की सामाजिक-राजनीतिक संरचना को बताते हुए उनके प्रशासन, सैन्य प्रणाली एवं सामंती संबंधों पर प्रकाश डालिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

कृषि

किसान उत्पादक संगठन

चर्चा में क्यों?

किसान उत्पादक संगठनों (FPO) का विकास भारत में **लघु कृषकों के सशक्तीकरण** की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम रहा है। FPO में सरकार के व्यापक निवेश के बावजूद, इनकी प्रगति **अपेक्षा से मंद** रही है।

किसान उत्पादक संगठन क्या है?

- **परिचय:** FPO एक प्रकार का **उत्पादक संगठन (PO)** है जिसके सदस्य **किसान** होते हैं और इसका संवर्द्धन **लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (SFAC)** द्वारा समर्थित होता है।
  - **FPO वर्ष 2008** में अस्तित्व में आए, जो कि **कंपनी अधिनियम, 1956** में अर्थशास्त्री **वाई.के. अलघ** द्वारा किये गए संशोधन की अनुशंसा (2002) से प्रेरित थे।
  - FPO को **कंपनी अधिनियम, 2013** , **सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860**, अथवा **भारतीय न्यास अधिनियम, 1882** के तहत **लोक न्यास** के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है।
    - **उत्पादक संगठन,** उत्पादकों जैसे **कृषक, अकृषक वर्ग अथवा शिल्पकारों** द्वारा गठित समूह है, जो सदस्यों में **लाभ साझा** करते हुए उत्पादक कंपनियों अथवा **सहकारी समितियों** जैसे **विधिक रूप** ले सकता है।
- **उद्देश्य एवं आवश्यकता:** भारत के कृषि क्षेत्र में **लघु और सीमांत किसानों** का प्रभुत्व है (87% के पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है), जो **ऋतुनिष्ठ और बाज़ार जोखिमों** का सामना करते हैं, तथा उचित मूल्य प्राप्त करने के लिये संघर्ष करते हैं।
  - FPO लघु किसानों को **थोक इनपुट खरीद की सुविधा, बेहतर सौदाकारी की शक्ति,** तथा अल्प लागत पर **बेहतर मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित** करके सहायता करते हैं।
    - ये **आय को दोगुना** करने और **वैश्विक बाज़ारों** में प्रवेश करने के लक्ष्य में सहायता प्रदान करते हुए किसानों की **बाज़ार पहुँच** में भी सुधार करते हैं।



- **वर्तमान स्थिति:** वर्तमान में **45,000 FPO** कंपनी के रूप में पंजीकृत हैं, लेकिन केवल **16,000 ही** विनियामक फाइलिंग के अनुरूप हैं।
  - केवल **4,000 FPO** को क्रय के लिये कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त हुआ है और **प्रति FPO औसत निवल लाभ** 3 लाख रुपए है (किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि की दृष्टि से यह बहुत कम निम्न है)।

FPO की सफलता की कहानी

- **भारत के FPO की सफलता:**
  - **ओडिशा** में **कंधमाल एपेक्स स्पाइसेज एसोसिएशन फॉर मार्केटिंग (KASAM)** 61 मसाला विकास समितियों के माध्यम से **कंधमाल हल्दी** को बढ़ावा देता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- यह **किसान साथी** के साथ सहयोग करता है, जिससे **गुमापदर एफपीसी लिमिटेड** को नीदरलैंड के **नेडस्पाइस समूह** को हल्दी निर्यात करने में मदद मिलती है, जिससे FPO की **वैश्विक बाज़ारों** में विस्तार क्षमता प्रदर्शित होती है।

- **वैश्विक स्तर पर:**
  - **मेक्सिको (एजिडो प्रणाली): एजिडो सामुदायिक कृषि प्रणाली** है, जहाँ **भूमि** का स्वामित्व और प्रबंधन सामूहिक रूप से समुदायों द्वारा किया जाता है, जिससे किसानों को विशेष रूप से **एवोकाडो** और **बेरी** जैसी **फसलों के लिये अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों तक पहुँचने में मदद मिलती है।**
  - **थाईलैंड:** "एक टैम्बोन (गाँव) एक उत्पाद" जैसे कार्यक्रम अद्वितीय स्थानीय कृषि उत्पादों को बढ़ावा देते हैं।
  - **चीन: चाय**, **फल** और **जलीय कृषि** जैसे क्षेत्रों में **किसान पेशेवर सहकारी समितियाँ (FPS) वैश्विक बाज़ारों तक पहुँच गई हैं, अलीबाबा** जैसे प्लेटफार्मों ने उपभोक्ताओं की प्रत्यक्ष बिक्री को संभव बना दिया है।

भारतीय कृषि में FPO के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- **कोई सामान्य समाधान नहीं: किसान उत्पादक संगठन (FPOs) जलवायु जोखिम, कमजोर ग्रामीण अवसंरचना, सीमित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) कवरेज,** वैश्विक मूल्य अस्थिरता एवं सामाजिक असमानताओं जैसी समस्याओं का **पूर्ण समाधान नहीं** हो सकते।
- **बाजार संपर्कों पर सीमित प्रभाव: ई-नाम के साथ 3,500 FPO को** एकीकृत किये जाने के बावजूद, **व्यापार मूल्य (3.19 लाख करोड़ रुपए)** कुल **कृषि GVA (वर्तमान मूल्यों पर 50 लाख करोड़ रुपए)** का केवल एक अंश है।
  - यह असमानता दर्शाती है कि **ई-नाम स्वीकृति में कमी, बाज़ार विखंडन, बुनियादी ढाँचे के अंतराल** और **क्षेत्रीय असमानताओं** के कारण व्यापक कृषि अर्थव्यवस्था तक पूरी तरह से पहुँचने में कई चुनौतियों का सामना कर रहा है।
- **कम लाभ:** अधिकांश FPO **इनपुट/आउटपुट मार्केटिंग में निम्न लाभ (3-6%)** पर कार्य करते हैं, जिससे दीर्घकालिक व्यवहार्यता पर संदेह उत्पन्न होता है।
  - **सीमित लाभ मार्जिन** के साथ, FPO को **परिचालन लागत** को कवर करने, **विकास में निवेश करने** और अपनी गतिविधियों को **बनाए रखने के लिये** संघर्ष करना पड़ सकता है।
- **बिचौलियों से संबंधित चुनौतीयाँ: किसान विश्वास, ऋण और भुगतान** के लिये बिचौलियों पर निर्भर रहते हैं। FPO पूरी तरह से उनकी जगह नहीं ले सकते, खासकर **सामंती व्यवस्था** वाले क्षेत्रों में, जिससे उनका पूर्ण उन्मूलन अवास्तविक हो जाता है।
- **आउटसोर्सिंग चैनल:** कुछ FPOs केवल खरीद **एजेंट या कस्टम हायरिंग सेंटर** के रूप में काम करने लगे हैं, जिससे उनका किसानों को सशक्त करने का मूल उद्देश्य कमजोर पड़ जाता है।
- **सामाजिक पूंजी की कमी:** FPOs को फलने-फूलने के लिये सामाजिक पूंजी और परिपक्व होने के लिये समय चाहिये, क्योंकि सामाजिक नेटवर्क पर आधारित संगठन एक दिन में स्थापित नहीं होते।
  - सामाजिक पूंजी के बिना, FPO को **स्थिरता, शासन** और **विकास** में **चुनौतियों का सामना करना** पड़ सकता है, जिससे किसानों को लाभ मिलने में देरी हो सकती है तथा विस्तार में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

सतत् कृषि के लिये FPO को कैसे मज़बूत किया जा सकता है?

- **प्रतिष्ठित FPO का निर्माण:** सक्षम **नेतृत्व, सक्रिय किसान भागीदारी** और **व्यवहार्य व्यापार मॉडल वाले उच्च क्षमता वाले FPO** की पहचान कर उन्हें समर्थन प्रदान करना।
  - **नागरिक समाज संगठनों (CSO), परोपकारी संस्थाओं और एग्री-टेक स्टार्टअप्स** के साथ साझेदारी करके इन FPO को अन्य संस्थाओं के लिये **आदर्श संस्थान** के रूप में विकसित करना।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **ज्ञान संसाधन विकसित करना:** FPO संचालन पर स्थानीय भाषा में पुस्तिका बनाना, जिसमें **व्यवसाय मॉडल** (आगत आपूर्ति, विपणन, मूल्य संवर्द्धन), **वित्तीय प्रबंधन** (लाभ-साझाकरण, कार्यशील पूंजी) और **डिजिटल उपकरण** (e-NAM, ONDC, एग्री-टेक) को शामिल किया जाए ताकि इसका सुचारू संचालन हो सके।
- **स्थानीय FPO पेशेवरों का निर्माण:** कृषि विश्वविद्यालयों में अल्पकालिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को FPO प्रबंधन में प्रशिक्षित करना, और उन्हें **FPO प्रमोटरों** के रूप में तैनात करना, जो स्व-नियोजित पेशेवर हैं जो शुल्क के लिये **FPO स्थापित करने और प्रबंधित करने में मदद** करते हैं।
- **मूल्य संवर्द्धन को प्रोत्साहित करना: प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और प्रमाणन** (जैसे, जैविक, GI टैग) में FPO का समर्थन करना, **प्रत्यक्ष खुदरा साझेदारी** (सुपरमार्केट, निर्यात बाजार) **की सुविधा प्रदान करना,** और **FPO के नेतृत्व वाले कृषि-पर्यटन**, किसान बाज़ारों और सदस्यता-आधारित मॉडल (जैसे, वीकली वेजिटेबल बॉक्स) को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

FPO में छोटे किसानों को बाज़ार पहुँच और **सौदेबाजी की शक्ति** में सुधार करके **सशक्त बनाने** की महत्त्वपूर्ण क्षमता है। हालाँकि, उनकी सफलता **अल्प मार्जिन, मापनीयता (Scalability)** और **विश्वास-आधारित रिश्तों** जैसी चुनौतियों का समाधान करने पर निर्भर करती है। उच्च क्षमता वाले FPO पर ध्यान केंद्रित करना, **डिजिटल प्लेटफॉर्म** का लाभ उठाना और **मूल्य संवर्द्धन** को बढ़ावा देना उनकी दीर्घकालिक **स्थिरता** के लिये महत्त्वपूर्ण होगा।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:
प्रश्न: FPO के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिये और सुझाव दीजिये कि उन्हें आर्थिक रूप से व्यवहार्य कैसे बनाया जा सकता है।

कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देना

चर्चा में क्यों?

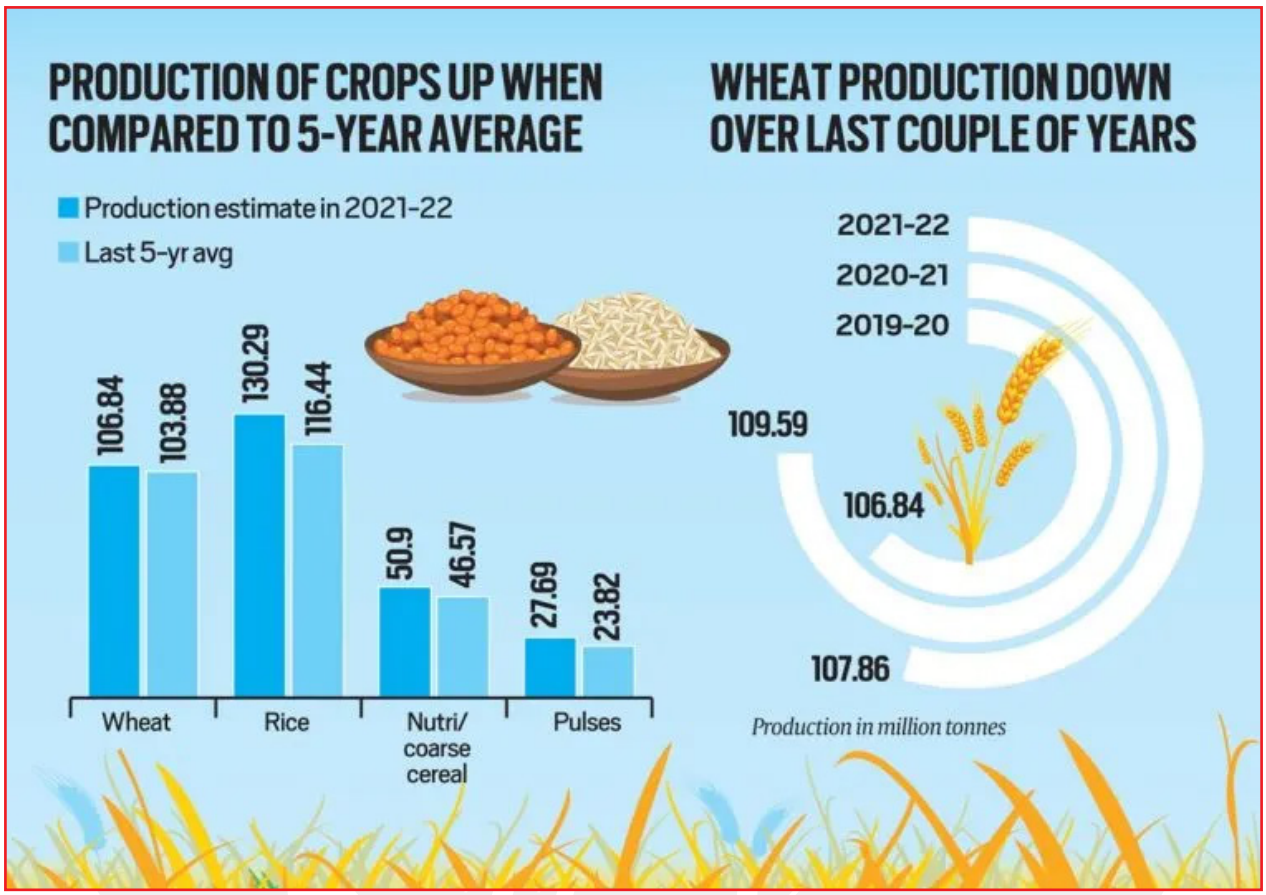
भारत में कृषि प्रवृत्तियाँ यह दर्शाती हैं कि चावल और गेहूँ की कृषि का क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है, जिसका मुख्य कारण सहायक नीतियाँ, बेहतर किस्मों का विकास और विश्वसनीय उपज है, जबकि अन्य फसलों में कम लाभ और मूल्य अस्थिरता के कारण रकबे में उतार-चढ़ाव देखा जाता है।

भारत की कृषि प्रवृत्तियाँ क्या हैं?

- **गेहूँ और चावल:** चावल की कृषि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, विशेष रूप से पंजाब में (वर्ष 2015-16 से वर्ष 2024-25 के बीच 29.8 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 32.4 लाख हेक्टेयर) और तेलंगाना में (10.5 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 47 लाख हेक्टेयर)।
  - मध्य प्रदेश में भी गेहूँ और चावल का रकबा क्रमशः वर्ष 2015-16 से वर्ष 2024-25 के बीच 59.1 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 78.1 लाख हेक्टेयर और 20.2 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 38.7 लाख हेक्टेयर हो गया है।
- **कपास: पंजाब** में **कपास** की कृषि में भारी गिरावट की गई है, जो वर्ष 2015-16 में **3.4 लाख हेक्टेयर** से घटकर वर्ष 2024-25 में केवल **1 लाख हेक्टेयर** रह गई है।
  - **तेलंगाना** में वर्ष 2020-21 में **23.6 लाख हेक्टेयर** से घटकर वर्ष 2024-25 में **18.1 लाख हेक्टेयर** रह गया है।
- **चना:** मध्य प्रदेश में **चने** का क्षेत्र वर्ष 2015-16 में **30.2 लाख हेक्टेयर** से घटकर वर्ष 2024-25 में **20.1 लाख हेक्टेयर** रह गया है।
- **सोयाबीन: मध्य प्रदेश** में **सोयाबीन** का क्षेत्र वर्ष 2015-16 में **59.1 लाख हेक्टेयर** से घटकर वर्ष 2024-25 में **57.8 लाख हेक्टेयर** रह गया, जबकि ऊँची कीमतों के कारण यह वर्ष 2020-21 में **66.7 लाख हेक्टेयर** के शिखर पर पहुँच गया था।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:



किसानों के बीच चावल और गेहूँ सबसे अधिक पसंदीदा फसलें क्यों हैं?

- **MSP पर खरीद:** सरकार **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)** पर चावल और गेहूँ की लगभग गारंटीकृत खरीद सुनिश्चित करती है, जिससे मूल्य स्थिरता और आय आश्वासन मिलता है, जिससे ये बिना न्यूनतम समर्थन मूल्यवाली फसलों की तुलना में कम जोखिमपूर्ण हो जाती हैं।
- **सिंचाई समर्थन:** चावल और गेहूँ मुख्य रूप से **सिंचाई** पर आधारित फसलें हैं, जिससे वर्षा पर निर्भरता कम होती है और उपज का जोखिम घटता है। नहरों और भूमिगत जल तक पहुँच होने से इनकी कृषि अधिक विश्वसनीय बन जाती है।
- **सतत् आनुवंशिक सुधार:** दोनों फसलें मज़बूत सार्वजनिक अनुसंधान समर्थन से लाभान्वित होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप उच्च उपज देने वाली, रोग प्रतिरोधक और **जलवायु के अनुकूल किस्मों** का विकास संभव हो पाया है।
  - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने **CRISPR-Cas** का उपयोग करके **कमला नामक आनुवंशिक रूप से संपादित सांबा महसूरी चावल तैयार किया है,** जो प्रति पैनिकल 450-500 दाने उत्पन्न करता है (जबकि पेरेंट **में 200-250 दाने होते हैं**), 5.37-9 टन/हेक्टेयर उपज देता है और 130 दिनों में पक जाता है (15-20 दिन पहले) तथा यह संवर्द्धित जड़ बायोमास के माध्यम से जल व उर्वरकों का संरक्षण करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- ICAR के वैज्ञानिकों ने **चावल की किस्म कॉटनडोरा सन्नालू (MTU-1010) में सूखा और नमक सहिष्णुता (DST) जीन को** संपादित करने के लिये **CRISPR (क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स)-CAS का** उपयोग किया, जिससे **पूसा DST चावल 1 का निर्माण हुआ, जो** अजैविक तनाव प्रतिरोध को सीमित करने वाले जीन को अप्रभावी कर **ऊष्मा, लवणता व जल तनाव** के प्रति अधिक सहनशील है।
- गेहूँ में, कल्याण सोना और सोनालिका जैसी हरित क्रांति किस्मों ने **न केवल उपज में उल्लेखनीय वृद्धि की (प्रति हेक्टेयर 1-1.5 टन से 3.8 टन तक)**, बल्कि रोगों एवं पर्यावरणीय तनावों के प्रति प्रतिरोध में भी सुधार किया।
- **इसके विपरीत, कपास, तिलहन और दालों जैसी फसलों में BT कपास (वर्ष 2002-06)** के बाद से सीमित अनुसंधान एवं विकास के साथ कोई बड़ी GM सफलता नहीं देखी गई है, जिसके परिणामस्वरूप उपज में स्थिरता, अस्थिर लाभ एवं कृषि में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है।

- **उच्च मांग और स्थिर बाज़ार: चावल** और **गेहूँ**, निरंतर **घरेलू** एवं **वैश्विक मांग वाले मुख्य खाद्य पदार्थ, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), मध्याह्न भोजन** व **कल्याणकारी योजनाओं** में उपयोग किये जाते हैं, जिससे स्थिर बिक्री सुनिश्चित होती है।
- **नीति एवं अवसंरचना पूर्वाग्रह: खरीद अवसंरचना** (जैसे **मंडियाँ** और **भंडारण**) अन्य फसलों की तुलना में **अनाज** के लिये बेहतर विकसित है और **ऋण माफी** व **सब्सिडी** अक्सर **मुख्य फसलों के पक्ष में होती है।**
  - **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-किसान)** और **उर्वरक सब्सिडी** जैसी सरकारी योजनाएँ चावल एवं गेहूँ उत्पादन को समर्थन देती हैं।

चावल और गेहूँ पर अत्यधिक ध्यान देने के क्या परिणाम होंगे?

- **पोषण संबंधी कमियाँ: चावल** और **गेहूँ** पर अत्यधिक निर्भरता **पोषण संबंधी विविधता को** सीमित करती है, क्योंकि वे मुख्य रूप से **कार्बोहाइड्रेट होते हैं** जिनमें कम **प्रोटीन** एवं **सूक्ष्म पोषक तत्त्व होते हैं**, जो **कुपोषण** (जैसे **प्रोटीन** व **लोहे की कमी**) में योगदान करते हैं।
- **मृदा क्षरण:** चावल के लिये **जल का अत्यधिक उपयोग, रासायनिक उर्वरकों के साथ मिलकर, मृदा लवणता** और **पोषक तत्त्वों के असंतुलन में योगदान देता है**, जिससे धीरे-धीरे **मृदा स्वास्थ्य खराब हो जाता है।**
  - अनुमान है कि वर्ष 2030 तक लवणता प्रभावित क्षेत्र **6.7 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 11 मिलियन हेक्टेयर हो जाएगा।**
- **जल की कमी: चावल की** कृषि में **जल की अधिक खपत** और अत्यधिक **भूजल निष्कर्षण के कारण जल संसाधनों पर** दबाव पड़ता है, जिससे **कृषि की स्थिरता को खतरा होता है।**
  - **पंजाब, राजस्थान और हरियाणा** में भूजल की कमी एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है, जहाँ निष्कर्षण दर **क्रमशः 66, 51 एवं 34% पुनर्भरण दर से अधिक हो गई है।**
- **बाज़ार विकृतियाँ:** MSP **प्रणाली एकल कृषि** को बढ़ावा देकर और अधिक लाभदायक या टिकाऊ फसलों की उपेक्षा करके बाज़ार को विकृत कर सकती है, जिसके परिणामस्वरूप **अधिक उत्पादन, असंवहनीय प्रथाएँ एवं मूल्य में उतार-चढ़ाव होता है।**
  - **उदाहरण के लिये, दालों, तिलहनों और कदन्न** की उपेक्षा से **आयात पर निर्भरता** बढ़ती है (उदाहरण के लिये, 60% खाद्य तेल का आयात किया जाता है)।
- **क्षेत्रीय असमानताएँ: चावल और गेहूँ के** प्रति नीति एवं खरीद पूर्वाग्रह से सिंचित उत्तर-पश्चिमी राज्यों को लाभ मिलता है, जबकि विविध फसल प्रतिरूप वाले वर्षा आधारित तथा आदिवासी क्षेत्रों को इससे वंचित रखा जाता है।
- **एकल-फसल जोखिम: फसल विविधता में कमी से कीटों, बीमारियों और जलवायु प्रकोप** के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है, जिससे खाद्य सुरक्षा को खतरा हो सकता है।
  - उदाहरण के लिये, व्हीट **ब्लास्ट रोग** एक **फफूंद संक्रमण है** जो मैग्नापोर्थे ओराइज़े ट्रिटिकम (MOT) नामक कवक

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

के कारण होता है, जो मुख्य रूप से गेहूँ की फसलों को प्रभावित करता है।

फसल विविधीकरण के संबंध में भारत की क्या पहल हैं?

- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)
- एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH)
- कपास उत्पादकता मिशन
- दालों में आत्मनिर्भरता के लिये मिशन
- उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन

भारत में कृषि विविधीकरण को बढ़ाने के लिये क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- **नीतिगत एवं संस्थागत सुधार:** सुनिश्चित खरीद के अंतर्गत कदन्न (मिलेट्स), दलहन, तिलहन और बागवानी फसलों को शामिल करने के लिये MSP कवरेज का विस्तार करना।
  - यदि कीमतें MSP से नीचे चली जाती हैं तो मूल्य न्यूनता भुगतान योजना (PDPS) के तहत किसानों को मुआवजा दिया जाए तथा विकेंद्रीकृत खरीद के माध्यम से गैर-अनाज फसलों के लिये किसान उत्पादक संगठनों (FPO) और स्थानीय मंडियों को मज़बूत किया जाए।
- **जलवायु-अनुकूल फसलों को बढ़ावा देना:** राष्ट्रीय कदन्न मिशन के माध्यम से कदन्न (ज्वार, बाजरा, रागी) को प्रोत्साहित करना, दलहन और तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना तथा फलों, सब्जियों एवं फूलों की कृषि के लिये एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) का विस्तार करना।
- **बाजार संबंधों को मज़बूत करना:** बेहतर मूल्य प्राप्ति के लिये राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) का विस्तार करना, कॉर्पोरेट भागीदारी (जैसे, ITC की "ई-चौपाल") के माध्यम से अनुबंध कृषि और **कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देना** तथा **मसालों एवं जैविक उपज जैसे उच्च मूल्य वाले उत्पादों के निर्यात संवर्द्धन पर ध्यान केंद्रित करना।**
- **अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकी सहायता:** शीघ्र खराब होने वाले उत्पादों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिये पीएम किसान संपदा योजना के अंतर्गत **कोल्ड चेन, गोदामों और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के माध्यम से फसल-उपरान्त सहायता प्रदान करना।**
- **वित्तीय सहायता उपाय:** विविध फसलों को शामिल करने के लिये पीएम फसल बीमा योजना (PMFBY) का विस्तार करना तथा **गैर-अनाज फसलों** और कृषि प्रसंस्करण के लिये कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना।
  - **आधुनिक कृषि तकनीकों** के लिये **स्किल इंडिया** और **किसान ड्रोन** के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
- **क्षेत्र-विशिष्ट रणनीतियाँ: पंजाब-हरियाणा में भूजल तनाव** को कम करने के लिये **कपास, मक्का और कृषि वानिकी** को अपनाना; **पूर्वी भारत में बाढ़ प्रतिरोधी चावल की किस्मों तथा जलीय कृषि को बढ़ावा देना,** वर्षा आधारित क्षेत्रों में कदन्न एवं दलहनों के साथ शुष्क भूमि कृषि पर ध्यान केंद्रित करना।

निष्कर्ष

भारत में **MSP और सिंचाई सहायता** द्वारा चावल एवं गेहूँ की कृषि पर ध्यान केंद्रित करना पोषण, पर्यावरण व बाजार असंतुलन को उत्पन्न कर रहा है। **नीतिगत सुधारों, जलवायु-अनुकूल फसलों और बेहतर अवसंरचना** के माध्यम से **कृषि में विविधता लाने से कृषि को बनाए रखने तथा कृषि आय एवं** खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के साथ-साथ इन मुद्दों को हल करने में सहायता मिल सकती है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न: भारत में कृषि विविधीकरण को बढ़ाने के लिये क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं?

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

आंतरिक सुरक्षा

भारत में सामरिक रक्षा प्रौद्योगिकियाँ

चर्चा में क्यों?

भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में **ब्रह्मोस इंटीग्रेशन और टेस्टिंग सेंटर का उद्घाटन किया और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल** के महत्त्व को रेखांकित किया।

- **एक अलग घटनाक्रम में, भारत के बढ़ते रक्षा संबंधों और S-400 ट्रायम्फ** प्रणाली की प्रभावशीलता पर प्रकाश डाला गया, क्योंकि इसने **पाकिस्तान द्वारा किये गए मिसाइल और असिसगार्ड सोंगर ड्रोन हमलों को सफलतापूर्वक रोक दिया**, जो एक त्वरित और निर्णायक प्रतिक्रिया को दर्शाता है।

ब्रह्मोस और S-400 ट्रायम्फ के बारे में मुख्य बिंदु क्या हैं?

ब्रह्मोस:

- **नाम की उत्पत्ति:** इसका नाम **भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी** के नाम पर रखा गया है।
- **विकास:** ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण **ब्रह्मोस एयरोस्पेस** के तहत किया जा रहा है, जो **भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) (50.5%)** और **रूस के NPO मशीनोस्ट्रोयेनिया (NPOM) (49.5%)** के बीच एक **संयुक्त उद्यम** है।
- **प्रथम परीक्षण:** ब्रह्मोस का सफल परीक्षण **वर्ष 2001** में चांदीपुर, ओडिशा से किया गया था।
- **प्रकार:** ब्रह्मोस एक **दो-चरणीय सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है, जिसे उच्च परिशुद्धता और गति** के लिये डिज़ाइन किया गया है। इसमें पहले चरण में एक ठोस-प्रणोदक बूस्टर है, उसके बाद दूसरे चरण में एक **तरल-ईंधन वाला रैमजेट** है, जो **मैक 3** (ध्वनि की गति से तीन गुना) की उच्च गति के साथ विश्व की सबसे तेज़ क्रूज़ मिसाइल में से एक है।
  - यह एक **सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल** है, जो **"फायर एंड फॉरगेट/दागो और भूल जाओ"** सिद्धांत पर कार्य करती है यानी लॉन्च के बाद इसे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती।
  - ब्रह्मोस एक **स्टैंड-ऑफ रेंज हथियार** है जिसे दुश्मन की रक्षा सीमा से बाहर सुरक्षित दूरी से लॉन्च करने के लिये डिज़ाइन किया गया है। यह अधिकतम **15 किलोमीटर की ऊँचाई तक उड़ान भर** सकता है तथा केवल **10 मीटर की न्यूनतम ऊँचाई** पर स्थित लक्ष्यों पर सटीकता से हमला कर सकता है।
- **रेंज:** ब्रह्मोस की **मारक क्षमता 290 किमी से बढ़कर 350** किमी हो गई है तथा भविष्य के संस्करण की **मारक क्षमता का लक्ष्य 800 किमी और हाइपरसोनिक गति (मैक 5+)** है।
  - ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल में, **सबसोनिक मिसाइलों की तुलना में तीन गुना** अधिक तीव्रता, 2.5 गुना अधिक रेंज और अधिक सीकर रेंज की क्षमता है, जिसके परिणामस्वरूप यह अधिक सटीकता के साथ **नौ गुना अधिक गतिज ऊर्जा** प्रदान करती है।
- **ब्रह्मोस के विभिन्न प्रकार:**
  - **जहाज़-आधारित संस्करण:** वर्ष 2005 से भारतीय नौसेना के **अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों पर तैनात, यह एकल मिसाइल या एक साथ कई (अधिकतम 8) मिसाइलें** लॉन्च करने में सक्षम है, जो समुद्र से समुद्र तथा समुद्र से भूमि तक दोनों प्रकार के हमलों को प्रभावी रूप से अंजाम दे सकती है।
    - इसे पहली बार INS राजपूत पर तैनात किया गया, जिससे भारतीय नौसेना की हमला करने की क्षमता में वृद्धि हुई।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **भूमि-आधारित संस्करण:** इसमें 4-6 मोबाइल लांचर होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में 3 मिसाइलें होती हैं, जिन्हें विभिन्न विन्यासों में विभिन्न लक्ष्यों पर एक साथ दागा जा सकता है।
  - इसे **भारतीय सेना द्वारा वर्ष 2007** में 2.8 मैक की गति से प्रचालन में लाया गया था और उन्नयन के बाद यह 400 किलोमीटर तक सटीकता के साथ लक्ष्य पर प्रहार कर सकता है।
- **वायु-प्रक्षेपित संस्करण:** ब्रह्मोस **वायु-प्रक्षेपित क्रूज़ मिसाइल (ALCM)** भारत के सुखोई-30 MKI लड़ाकू विमानों में प्रयुक्त सबसे भारी हथियार है।
  - 1,500 किलोमीटर की रेंज के साथ ब्रह्मोस से लैस सुखोई विमान सीमाओं और **हिंद महासागर क्षेत्र** में प्रमुख निवारक के रूप में कार्य करते हैं।
- **पनडुब्बी से प्रक्षेपित संस्करण:** यह जल के अंदर और हवाई उड़ान के लिये अलग-अलग सेटिंग्स का उपयोग करके 50 मीटर जल के अंदर से संचालित हो सकता है।
- **भविष्योन्मुखी ब्रह्मोस-NG: ब्रह्मोस-NG (नेक्स्ट जेनरेशन),** एक हल्का और स्टील्थ (गुप्तता युक्त) अगली पीढ़ी का मिसाइल है, जो विकासाधीन है। इसे वायु, नौसेना और जल के नीचे के प्लेटफॉर्मों तथा टारपीडो ट्यूब से प्रक्षेपण की क्षमता के लिये डिज़ाइन किया गया है।



S400 ट्रायम्फ

- **परिचय:** S-400 ट्रायम्फ रूस द्वारा विकसित एक मोबाइल, **सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (SAM)** प्रणाली है।
  - **उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (NATO)** द्वारा इसे **SA-21 ग्रोलर** नाम दिया गया है तथा इसे वर्ष 2007 में सेवा में शामिल किया गया था।
  - इसे बहुस्तरीय वायु रक्षा के लिये डिज़ाइन किया गया है, यह विमान, बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज़ मिसाइलों, ड्रोन और स्टील्थ लक्ष्यों सहित हवाई खतरों की एक विस्तृत श्रृंखला को रोक सकता है।
- **रेंज: 400 किमी दूर और 30 किमी तक** की ऊँचाई पर लक्ष्य को भेद सकता है।
- **गति: मैक 14** (~17,000 किमी/घंटा) तक की गति से उड़ने वाले लक्ष्यों को रोक सकता है।
- **रडार पहुँच:** उन्नत रडार प्रणालियों का उपयोग करके **600 किमी** तक के लक्ष्यों का पता लगाता है।
- **लक्ष्य प्रबंधन: 300 लक्ष्यों** तक ट्रैक करता है और एक साथ **36 लक्ष्यों** पर हमला करता है।
- **मिसाइल के प्रकार :**
  - **40N6:** लंबी दूरी (400 किमी तक)
  - **48N6:** मध्यम दूरी (250 किमी तक)
  - **9M96E/9M96E2:** छोटी से मध्यम दूरी (40-120 किमी)
- **S-400 के साथ भारत की भूमिका: वर्ष 2018 में, भारत ने पाँच S-400 वायु रक्षा स्क्वाड्रनों** के लिये रूस के साथ 5.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किये।
  - तीन वर्तमान में संचालित हैं तथा वर्ष 2026 तक दो और शुरू हो जाएंगे। भारत में **सुदर्शन चक्र** के नाम से विख्यात

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

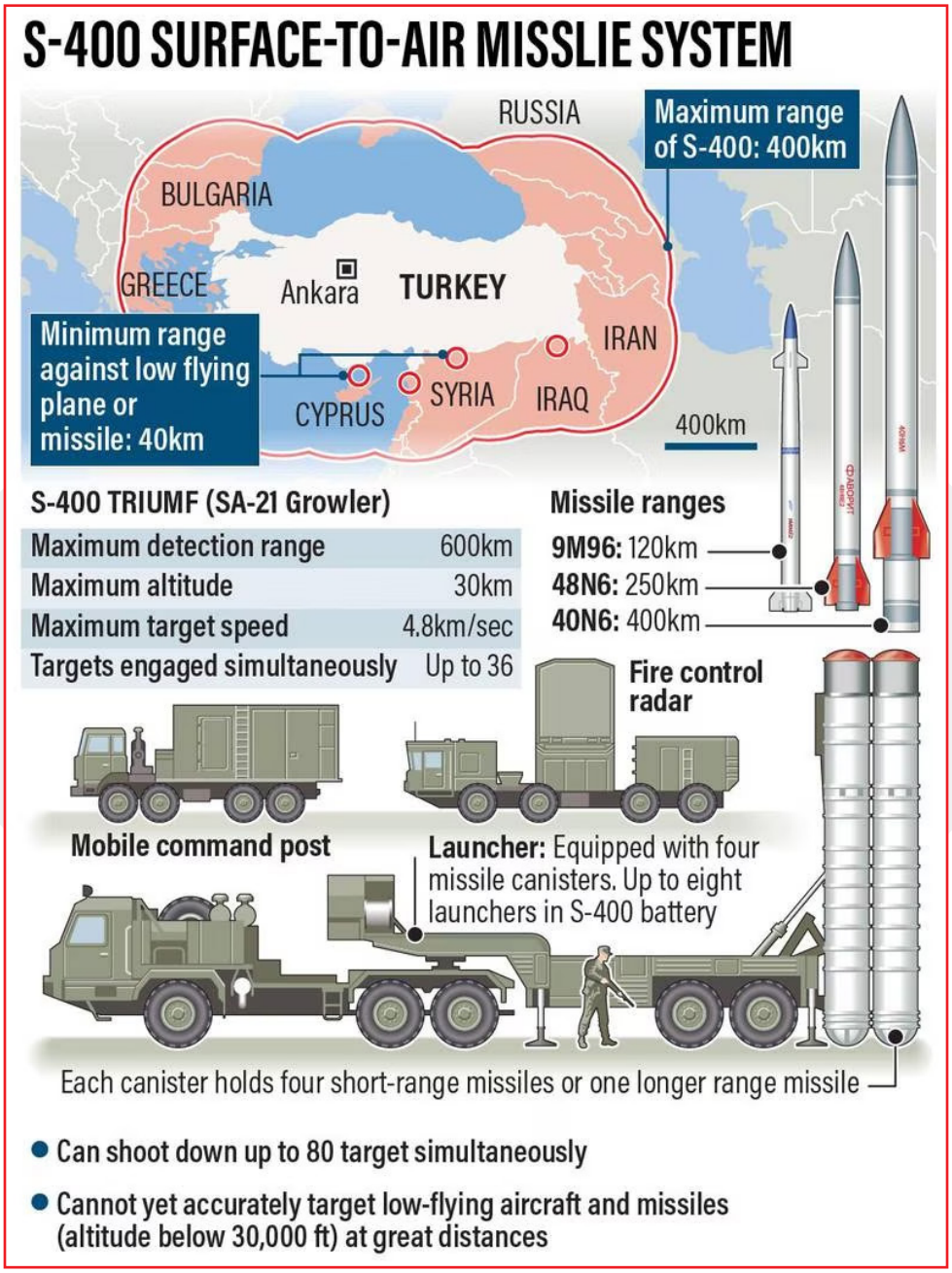
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

S-400 का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी हवाई हमले का मुकाबला करने के लिये किया था, जो इसके सामरिक महत्त्व को दर्शाता है।



दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

नोट: असीसगार्ड सोंगर ड्रोन तुर्की का पहला स्वदेशी सशस्त्र **अनमैन्ड एरियल सिस्टम (UAS)** है जो असॉल्ट राइफलों, ग्रेनेड लांचर, मोर्टार या आँसू गैस से लैस है, जिसमें सभी सुरक्षा तंत्र मौजूद हैं। गुप्तता और समन्वय के लिये डिज़ाइन की गई ये प्रणाली निगरानी तथा सटीक हमलों को संभव बनाती है।

काइनेटिक और नॉन-काइनेटिक वारफेयर क्या है?

- **काइनेटिक वारफेयर:** काइनेटिक वारफेयर में शत्रु को पराजित करने के लिये प्रत्यक्ष भौतिक बल का प्रयोग किया जाता है, जैसे **हवाई हमले, तोपखाना और ज़मीनी हमले।**
  - उदाहरणों में **ऑपरेशन सिंदूर (2025)** और **बालाकोट एयरस्ट्राइक (2019)** शामिल हैं, जहाँ **पुलवामा आतंकवादी हमले** के बाद भारतीय वायु सेना ने **जैश-ए-मोहम्मद** के ठिकानों को निशाना बनाया था।
- **नॉन-काइनेटिक वारफेयर:** इसमें ऐसी रणनीतियाँ शामिल होती हैं जो सीधे भौतिक हमलों पर निर्भर नहीं होतीं, बल्कि शत्रु की राजनीतिक, आर्थिक, सूचनात्मक या मानसिक स्थिरता को लक्ष्य बनाती हैं।
  - इसमें **साइबर युद्ध** (जैसे—ईरान के परमाणु केंद्रों पर इज़राइल का साइबर हमला), **सूचना युद्ध** (जैसे—ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल को गिराने के फर्ज़ी दावे), **इलेक्ट्रॉनिक युद्ध** (जैसे—भारत की संयुक्ता और दिव्य दृष्टि प्रणालियाँ), **मानसिक युद्ध** (जैसे—धमकियाँ, सैन्य वीडियो) और **आर्थिक युद्ध** (जैसे—पुलवामा हमले के बाद भारत द्वारा पाकिस्तान का **सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र (MFN)** दर्जा वापस लेना) शामिल हैं।

हालिया वर्षों में भारत द्वारा किये गए रक्षा समझौते क्या हैं?

- **भारत-रूस:** भारत ने रूस से **S-400 वायु रक्षा प्रणाली**, **MiG-29 लड़ाकू विमान** तथा **कामोव हेलीकॉप्टर** प्राप्त किये हैं, साथ ही **T-90 टैंकों**, **Su-30MKI लड़ाकू विमानों**, **AK-203 राइफलों** और **ब्रह्मोस मिसाइलों के लाइसेंसयुक्त उत्पादन** के समझौते किये हैं।
- **भारत-अमेरिका:** भारत और अमेरिका ने सैन्य एवं तकनीकी सहयोग को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से **US-इंडिया कॉम्पैक्ट पहल** शुरू की।
  - **आपूर्ति व्यवस्था की सुरक्षा (SOSA)** एवं संयोजन अधिकारियों पर **समझौता ज्ञापन** पर हस्ताक्षर किये गए, जिससे रक्षा आवश्यकताओं के लिये परस्पर समर्थन सुनिश्चित हुआ।
  - भारत ने कई **अमेरिकी मूल के रक्षा उपकरणों** को एकीकृत किया है, जिनमें **C-130J सुपर हरक्यूलिस**, **C-17 ग्लोबमास्टर III** तथा **AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर** शामिल हैं और **F-35 लाइटनिंग II** लड़ाकू विमान प्राप्ति पर भी बातचीत चल रही है।
- **भारत-UK:** रक्षा व्यापार और सहयोग को बढ़ाने के लिये **मुक्त व्यापार समझौते** को अंतिम रूप दिया गया। **थेल्स UK** और **भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL)** के बीच **लेज़र बीम राइडिंग MANPADs** (मैन-पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स) तथा **STARStreak मिसाइलों (कम दूरी की सतह-से-वायु मिसाइल)** की आपूर्ति के लिये समझौता हुआ है।
  - ये दोनों हैदराबाद में अपनी तरह की प्रथम **वायु-से-वायु मिसाइल असेंबली एवं परीक्षण सुविधा** पर सहयोग कर रहे हैं।
- **भारत-फ्राँस:** भारत और फ्राँस ने **भारतीय नौसेना** के लिये **26 राफेल-M विमानों** के लिये अंतर-सरकारी समझौता (IGA) पर हस्ताक्षर किये तथा **स्कॉर्पीन पनडुब्बियों**, राफेल विमानों और स्वदेशी उत्पादन को शामिल करते हुए एक **रक्षा औद्योगिक रोडमैप** तैयार किया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट:

Drishti IAS

परमाणु हथियारों के खिलाफ संधियाँ

भाग– I

परमाणु हथियार

- पृथ्वी पर सबसे खतरनाक हथियार; **एक ऐसा बम या मिसाइल जिसमें विस्फोट के लिये परमाणु ऊर्जा का उपयोग** किया जा सकता है।
- परमाणु हथियार या तो **परमाणु विखंडन (परमाणु बम)** या **परमाणु संलयन (हाइड्रोजन बम)** द्वारा ऊर्जा निर्मुक्त जारी करते हैं।
- केवल एक परमाणु हथियार भी इतना शक्तिशाली होता है कि वह **एक पूरे शहर को नष्ट करने,** संभावित रूप से **लाखों लोगों को मारने, प्राकृतिक पर्यावरण और भविष्य की पीढ़ियों के जीवन को खतरे में डालने की क्षमता** रखता है।
- **द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान** वर्ष 1945 में अमेरिका द्वारा **पहली और आखिरी बार** इनका इस्तेमाल **हिरोशिमा और नागासाकी पर** किया था।

परमाणु हथियार अप्रसार संधि (NPT 1970)

- **उद्देश्य**
  - *परमाणु हथियारों और इसकी तकनीक के प्रसार को रोकना*
  - *परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना*
  - *परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को आगे बढ़ाने*
- **सदस्य देश**
  - *सदस्यों की संख्या 191 जिसमें **पाँच परमाणु हथियार संपन्न देश** (NWS)- अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्राँस और चीन भी शामिल हैं*
- **परमाणु हथियार संपन्न देश**
  - *जिन्होंने **1 जनवरी, 1967 से पहले** परमाणु हथियार या परमाणु विस्फोटक उपकरण का **निर्माण और विस्फोट** किया*
- **महत्त्व**
  - *परमाणु संपन्न देशों द्वारा निरस्त्रीकरण के लक्ष्य के लिये **एकमात्र बाध्यकारी संधि***
- **भारत और परमाणु अप्रसार संधि**
  - ***भारत** (पाकिस्तान, इजराइल, उत्तर कोरिया और दक्षिण सूडान के साथ) **सदस्य नहीं है***
  - *भारत एक **भेदभावपूर्ण निरस्त्रीकरण नीति** के रूप में इसका विरोध करता है*
  - *भारत की नीति- परमाणु हथियार संपन्न देशों के खिलाफ पहले उपयोग नहीं और गैर-परमाणु संपन्न देशों के खिलाफ कोई उपयोग नहीं (No First Use against NWS and no use against non-NWS)*
- **NPT समीक्षा सम्मेलन**
  - ***संधि के कार्यान्वयन की पंचवर्षीय समीक्षा** करता है*

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

परमाणु हथियारों के खिलाफ संधियाँ

भाग-II

व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT) (1996)

- **उद्देश्य:**
  - हर जगह और सभी के द्वारा किसी भी प्रकार के परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाना
- **समझौता:**
  - जिनेवा में 1996 में **निरस्त्रीकरण पर सम्मेलन के दौरान** (UNGA द्वारा अपनाया गया)
- **हस्ताक्षरकर्त्ता:**
  - 185 देश
- **संधि लागू नहीं है:**
  - परिशिष्ट 2 में सूचीबद्ध सभी 44 राज्यों द्वारा इसकी पुष्टि करने के बाद संधि लागू होगी (संधि पर बातचीत और अपनाए जाने के समय परमाणु सुविधाएँ रखने वाले राज्य)
  - 44 में से 36 देशों ने पुष्टि की है
- **पुष्टि न करने वाले 8 परिशिष्ट-2 के देश:**
  - चीन, उत्तर कोरिया, मिस्र, भारत, ईरान, इजराइल, पाकिस्तान और अमेरिका
  - भारत, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान ने भी संधि पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं
- **CTBT संगठन:**
  - संधि को बढ़ावा देता है ताकि यह लागू हो सके
  - मुख्यालय- वियना में



मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR) (1987)

- **MTCR:**
  - एक अनौपचारिक और स्वैच्छिक साझेदारी
  - कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं
  - 1987 में G7 देशों द्वारा स्थापित किया गया
- **उद्देश्य:**
  - गैर-सदस्य देशों को 500 किग्रा. विस्फोटकों के साथ 300 किमी. या उससे अधिक दूरी तक मार करने में सक्षम खतरनाक मिसाइलों, अन्य हथियारों या उपकरणों के निर्यात पर प्रतिबंध
- **MTCR श्रेणियाँ:**
  - **श्रेणी I-** सभी रॉकेट और यूएवी सिस्टम (>500 किग्रा. विस्फोटक >300 किमी. के लिये)
    - इस प्रकार की वस्तुएँ **बिना किसी शर्त के निर्यात से इनकार की सशक्त धारणा के अधीन** हैं।
    - इस तरह की वस्तुओं को निर्यात से इनकार करने की बिना शर्त मजबूत धारणा के अधीन किया जाता है
  - **श्रेणी II-** कम संवेदनशील और दोहरे उपयोग वाली मिसाइल संबंधित घटक तथा अन्य पूर्ण मिसाइल प्रणालियाँ (सीमा>300 किमी.)
  - इनका निर्यात लाइसेंसिंग आवश्यकताओं के अधीन है
- **सदस्य:**
  - 35 देश
  - भारत को वर्ष 2016 में MTCR में 35वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया था
  - चीन सदस्य नहीं है
- **सदस्यों पर बाध्यकारी:**
  - गैर-सदस्यों को MTCR द्वारा नियंत्रित मिसाइलों और UAV प्रणालियों की आपूर्ति पर रोक
  - 1992 में, दायरे को व्यापक विनाश के सभी हथियारों- परमाणु, रासायनिक और जैविक तक विस्तृत कर दिया गया था।
- **सचिवालय:**
  - **कोई औपचारिक सचिवालय नहीं;** फ्राँस MTCR के संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करता है
- **भारत के लिये महत्त्व:**
  - हाई-एंड मिसाइल तकनीक खरीद सकता है
  - अन्य देशों के साथ यूएवी के विकास के लिये संयुक्त कार्यक्रम शुरू कर सकता है
- **MTCR और UN:**
  - कोई औपचारिक संबंध नहीं है लेकिन संयुक्त राष्ट्र के अप्रसार और निर्यात नियंत्रण प्रयासों के लिये प्रतिबद्ध है

निष्कर्ष

भारत की रक्षा रणनीति धमकियों का मुकाबला करने के लिये **काइनेटिक** (ब्रह्मोस हमले, S-400 इंटरसेप्शन) और **नॉन-काइनेटिक** (साइबर एवं इलेक्ट्रॉनिक युद्ध) क्षमताओं का समन्वय करती है। **रूस (S-400, ब्रह्मोस), अमेरिका (F-35 सौदे)** एवं **फ्राँस (राफेल-M)**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

के साथ समझौतों द्वारा सशक्त यह रणनीति भारत की **बहु-क्षेत्रीय युद्ध तत्परता** को सुदृढ़ कर रही है, जिससे **पाकिस्तान** और **चीन** जैसे प्रतिद्वंद्वियों के विरुद्ध निरोधक क्षमता सुनिश्चित होती है तथा स्वदेशी रक्षा उत्पादन को भी प्रोत्साहन मिलता है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न: भारत के बदलते सामरिक परिवेश के संदर्भ में स्वदेशी वायु रक्षा एवं मिसाइल प्रणालियों के विकास की प्रासंगिकता समझाइये।

■■■

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

प्रिलिम्स फैक्ट्स

CRGN के उपचार हेतु प्रतिजैविक औषध का अभाव

चर्चा में क्यों?

द लांसेट इन्फेक्शियस डिजीज़ में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार भारत में **कार्बापेनम-प्रतिरोधी ग्राम-नेगेटिव (CRGN) संक्रमण से ग्रस्त केवल 7.8% रोगियों** को ही उचित **एंटीबायोटिक अथवा प्रतिजैविक उपचार** प्राप्त हुआ, जो **बहुऔषधि प्रतिरोधी संक्रमणों के प्रभावी उपचार** की सुविधा के अभाव को उजागर करता है।

इस अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं?

- **उपयुक्त एंटीबायोटिक दवाओं तक सीमित पहुँच:** भारत सहित आठ **निम्न और मध्यम आय वाले देशों (LMIC)** में लगभग 1.5 मिलियन CRGN संक्रमण मामलों के एक अध्ययन के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में लगभग 10 लाख CRGN संक्रमण के मामले थे जिनमें से **1 लाख से भी कम रोगियों** को उपयुक्त एंटीबायोटिक उपचार प्राप्त हुआ।
  - भारत में केवल **7.8% रोगियों को सही उपचार** मिल पाता है जो अध्ययन किये गए आठ LMIC (बांग्लादेश, ब्राज़ील, मिस्र, भारत, केन्या, मैक्सिको, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका) के 6.9% औसत से थोड़ा ही अधिक है। उचित उपचार के अभाव में अनुमानित 3.5 लाख मृत्यु हुई हैं।
- **प्रभावी उपचार में बाधाएँ:** इस अध्ययन में विभिन्न बाधाओं पर प्रकाश डाला गया जिनमें अपर्याप्त नैदानिक परीक्षण, मानकीकृत उपचार प्रोटोकॉल की कमी तथा एंटीबायोटिक आपूर्ति एवं सामर्थ्य से संबंधित समस्याएँ शामिल हैं।
- **सिफारिशें:** अध्ययन में दो-आयामी दृष्टिकोण अपनाने की बात कही गई है: एंटीबायोटिक दवाओं का ज़िम्मेदार उपयोग और **ज़रूरतमंद लोगों तक इनकी पहुँच सुनिश्चित करना।**
  - इसमें एंटीबायोटिक प्रबंधन कार्यक्रमों तथा नियामक ढाँचे को मज़बूत करने का आह्वान किया गया है।
  - इसमें पहुँच संबंधी अंतराल को कम करने की वकालत की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी रोगियों को सही उपचार मिले।

कार्बापेनम-प्रतिरोधी ग्राम-नेगेटिव (CRGN) क्या है?

- **परिभाषा:** CRGN का आशय बैक्टीरिया के एक ऐसे समूह से है जो **कार्बापेनम एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी** होते हैं और जिनका उपयोग आमतौर पर मल्टी-ड्रग रेजिस्टेंस प्रतिरोधी संक्रमणों के खिलाफ अंतिम पंक्ति के रूप में किया जाता है।
  - इन जीवाणुओं को **ग्राम-नकारात्मक (Gram-Negative)** के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका अर्थ है कि वे **ग्राम अभिरंजन प्रक्रिया के दौरान क्रिस्टल वायलेट डाई को बरकरार नहीं रखते हैं,** जिसका उपयोग उनकी कोशिका भित्ति संरचना के आधार पर जीवाणुओं को वर्गीकृत करने के लिये किया जाता है।
  - CRGN संक्रमण के उदाहरणों में ***एस्चेरिचिया कोली (Escherichia Coli), क्लेबसिएला न्यूमोनिया (Klebsiella Pneumoniae) और स्यूडोमोनास एरुगिनोसा (Pseudomonas Aeruginosa)*** के कारण होने वाले संक्रमण शामिल हैं।
- **प्रतिरोध के तंत्र:** प्रतिरोध इसलिये होता है क्योंकि इन जीवाणुओं ने **कार्बापेनम एंटीबायोटिक्स** को विघटित करने या उससे बचने के लिये प्रक्रिया विकसित कर ली है, जो प्राय: ***कार्बापेनमेस (Carbapenemases)*** नामक एंजाइम के उत्पादन के माध्यम से होता है।
- **CRGN संक्रमण:** CRGN संक्रमण से निमोनिया, रक्तप्रवाह संक्रमण और मूत्र पथ संक्रमण जैसी गंभीर स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।
  - एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोध के कारण इन संक्रमणों का इलाज करना चुनौतीपूर्ण होता है।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये खतरा:** CRGN संक्रमण का इलाज करना दु:साध्य है और इससे **रुग्णता और मृत्यु दर उच्च** होती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

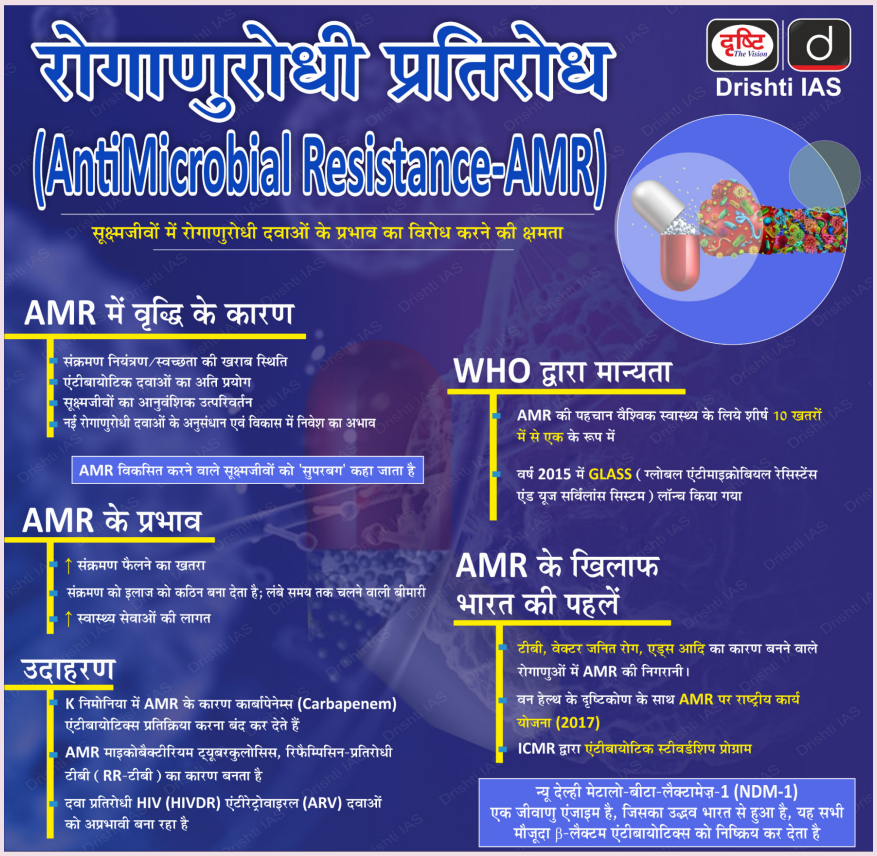
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- इन संक्रमणों के उपचार के लिये प्रभावी एंटीबायोटिक दवाओं की कमी के कारण अस्पताल में लंबे समय तक रहना पड़ सकता है, स्वास्थ्य देखभाल की लागत बढ़ सकती है और मृत्यु दर भी बढ़ सकती है।

ग्राम स्टेनिंग

- **बैक्टीरिया:** ये **एककोशिकीय सूक्ष्मजीव हैं जिन्हें प्रोकैरियोट्स के रूप में वर्गीकृत** किया जाता है, जिनमें वास्तविक रूप से **नाभिक** नहीं होता है। इनकी संरचना सरल होती है, जिसमें कोशिका भित्ति, कैप्सूल, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, पिली, फ्लैगेलम, साइटोप्लाज्म और राइबोसोम शामिल होते हैं।
  - बैक्टीरिया को उनकी कोशिका भित्ति संरचना **के आधार पर ग्राम-पॉजिटिव या ग्राम-नेगेटिव** के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।
- **ग्राम स्टेनिंग:** ग्राम अभिरंजन प्रक्रिया है, जो बैक्टीरिया को उनके रंग परिवर्तन के आधार पर **ग्राम-पॉजिटिव और ग्राम-नेगेटिव वर्गों** में विभाजित करती है।
- **ग्राम-पॉजिटिव बैक्टीरिया** की **कोशिका भित्ति मोटी** होती है, जो **क्रिस्टल वायलेट डाई** को रोक कर रखती है, जिससे ये **बैंगनी (violet)** रंग के दिखाई देते हैं।
- इसके विपरीत, **ग्राम-नेगेटिव बैक्टीरिया** की भित्ति पतली होती है, जिससे क्रिस्टल वायलेट धुल जाता है और वे **लाल (red)** रंग के दिखाई देते हैं।



दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

शाक्यमुनि बुद्ध का पवित्र अवशेष

चर्चा में क्यों?

भारत, सारनाथ से **भगवान शाक्यमुनि बुद्ध के पवित्र अवशेष** को **वियतनाम** भेज रहा है, जहाँ ये **12 मई 2025** को मनाए जाने वाले **संयुक्त राष्ट्र के वेसाक दिवस** के अवसर पर आयोजित **अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी** में प्रदर्शित किये जाएंगे। यह आयोजन **संस्कृति मंत्रालय और इंटरनेशनल बौद्ध परिसंघ (IBC)** द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है।

- यह कार्यक्रम **दक्षिण-पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म के प्रभाव और प्राचीन भारतीय शासकों की क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार में महत्त्वपूर्ण भूमिका** को उजागर करता है।

नोट: शाक्यमुनि बुद्ध गौतम बुद्ध को दिया गया नाम है। **'बुद्ध'** शब्द का अर्थ है "जागृत व्यक्ति (The Awakened One)", यह उपाधि बौद्ध दर्शन में किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिये प्रयुक्त होता है जिसने ज्ञान या बुद्धत्व प्राप्त कर लेता है।

- हालाँकि, **'शाक्यमुनि', जिसका अर्थ है "शाक्य वंश के ऋषि"**, विशेष रूप से ऐतिहासिक व्यक्ति **सिद्धार्थ गौतम** को संदर्भित करता है, जो **राजा शुद्धोधन और रानी माया** के पुत्र हैं तथा शाक्य गणराज्य में जन्म हुआ है।

शाक्यमुनि बुद्ध के सारनाथ अवशेष का क्या महत्त्व है?

- **शाक्यमुनि बुद्ध का पवित्र अवशेष** आंध्र प्रदेश स्थित **नागार्जुनकोंडा** से **वर्ष 1927 से 1931** के बीच **भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI)** द्वारा उत्खनन के दौरान प्राप्त हुआ था।
- इस अवशेष का **अत्यधिक धार्मिक महत्त्व** है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह स्वयं **बुद्ध के शरीर का अवशेष** है, जिसे उनके **महापरिनिर्वाण** के पश्चात संरक्षित किया गया था।
- इस अवशेष को **वर्ष 1932 में महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया** को उपहार स्वरूप भेंट किया गया था। तब से यह **सारनाथ स्थित मूलगंध कुटी विहार** में प्रतिष्ठित है।

दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म के प्रसार में भारतीय शासकों ने किस प्रकार योगदान दिया?

- **सम्राट अशोक (268-232 ईसा पूर्व):** अशोक ने **बौद्ध मिशनरियों को दक्षिण-पूर्व एशिया** भेजा। उनके पुत्र **महेंद्र** और पुत्री **संघमित्रा** ने **श्रीलंका में बौद्ध धर्म की स्थापना** में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  - **अशोक के मिशनों ने श्रीलंका** और बाद में दक्षिण-पूर्व एशिया में **थेरवाद बौद्ध धर्म** के प्रसार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- **गुप्त काल: गुप्त साम्राज्य (चौथी-छठी शताब्दी ईस्वी)** के दौरान **महायान बौद्ध धर्म** को प्रोत्साहन मिला, जो **व्यापार** और **विद्वानों** के माध्यम से दक्षिण-पूर्व एशिया पहुँचा।
  - **गुप्त शासकों ने नालंदा जैसी बौद्ध विश्वविद्यालयों** के निर्माण को समर्थन दिया, जिससे एशिया भर से भिक्षु और छात्र आकर्षित हुए।
  - **बोरोबुदुर: बोरोबुदुर**, जो कि **इंडोनेशिया के मध्य जावा** में स्थित एक **वृहद बौद्ध स्मारक** है, **स्तूप, मंदिर पर्वत** (हिंदू पौराणिक माउंट मेरु से प्रेरित) और **मंडल** (सृष्टि का रहस्यमय प्रतीक) के रूपों को एक साथ मिलाता है।
    - यह संरचना **भारतीय गुप्त और उत्तर-गुप्त कला से प्रभावित** है, और इसे वर्ष **1991 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल** के रूप में घोषित किया गया।
- **व्यापार-सुविधायुक्त धार्मिक आदान-प्रदान:** भारतीय शासकों ने, विशेष रूप से मौर्य और गुप्त काल के दौरान, समुद्री व्यापार को बढ़ावा दिया तथा **ताम्रलिप्ति** (बंगाल की खाड़ी पर स्थित एक प्राचीन बंदरगाह) जैसे पूर्वी भारतीय बंदरगाहों को **सुमात्रा, जावा और मलय प्रायद्वीप** जैसे क्षेत्रों से जोड़ा।
  - इस व्यापार मार्ग के माध्यम से बौद्ध भिक्षुओं और शिल्पकारों ने दक्षिण-पूर्व एशिया में बौद्ध मतों, अनुष्ठानों और प्रतिमाविद्या का प्रसार किया।
  - भारतीय प्रभाव के माध्यम से **सुमात्रा (इंडोनेशिया) में श्रीविजय साम्राज्य** का प्रभुत्व स्थापित हुआ, जिससे व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से बौद्ध धर्म को बढ़ावा मिला।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट:

- **सांस्कृतिक कूटनीति और प्रभुत्व:** भारतीय पुरालेख, संस्कृत अभिलेख (प्रम्बनन मंदिर-जावा) और बौद्ध कला शैलियों (जैसे, **अमरावती और गुप्त शैली**) को **जावा (इंडोनेशिया), कंबोडिया, थाईलैंड और म्यांमार** में अपनाया गया।
  - कंबोडिया में स्थित **अंगकोर वाट विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक** है, और इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में खमेर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने कराया था। मूल रूप से **हिंदू धर्म के भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर कालांतर में बौद्ध मंदिर में परिवर्तित हो गया और वर्ष 1992 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल** घोषित किया गया।
  - इसके अतिरिक्त, **म्याँमार के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बागान** में अनेकों बौद्ध मठ और स्तूप हैं, जिनमें **थेरवाद बौद्ध कला** और वास्तुकला का प्रभुत्व है और ये बौद्ध धर्म के प्रसार में भारत द्वारा भेजे गए मिशनों का प्रतिनिधित्व करते हैं।



दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

बौद्ध धर्म

Drishti IAS



उत्पत्ति

- छठी शताब्दी ईसा पूर्व, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित

मुख्य विशेषताएँ

- सार - आत्मज्ञान की प्राप्ति (निर्वाण)
- सर्वोच्च देवता - कोई नहीं

सिद्धांत

- अति से बचें; मध्यम मार्ग (मध्य मार्ग) का पालन करें
- व्यक्तिवादी घटक (हर कोई अपनी खुशी के लिये स्वयं ज़िम्मेदार है)
- चार महान सत्य:
  - दुख (दुःख)- संसार दुखों से भरा हुआ है
  - समुदय- प्रत्येक दुख का एक कारण है
  - निरोध- दुखों का निवारण किया जा सकता है
  - यह अथांग मग्गा (आष्टांगिक मार्ग) का पालन करके प्राप्त किया जा सकता है।
- आष्टांगिक मार्ग:
  - सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि

बौद्ध धर्म अस्वीकार करता है

- वेदों की प्रामाणिकता
- आत्मा की अवधारणा (जैन धर्म के विपरीत)

प्रमुख बौद्ध ग्रंथ

- सुत्त पिटक (बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएँ - धम्म)
- विनयपिटक (भिक्षुओं/ननियों के लिये आचरण के नियम)
- अभिधम्म पिटक (दार्शनिक विश्लेषण)
- अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ- दिव्यवदान, दीपवंश, महावंश, मिलिंद पन्हो

पहली बौद्ध संगीति में बुद्ध की शिक्षाओं को 3 पिटकों में विभाजित किया गया था

इन शिक्षाओं को 25वीं शताब्दी ई.पू में पाली भाषा में लिखा गया था।

बौद्ध परिषद

बौद्ध परिषद	संरक्षक	स्थान	अध्यक्ष	वर्ष
पहली	अजातशत्रु	राजगृह	महाकस्यप	483 ई.पू.
दूसरी	कालाशोक	वैशाली	सुबुकामि	383 ई.पू.
तीसरी	अशोक	पाटलिपुत्र	मोगालिपुत्र	250 ई.पू.
चौथी	कनिष्क	कुण्डलवन (कश्मीर)	वसुमित्र	72 ई.

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

क्लोरपाइरीफोस पर वैश्विक प्रतिबंध की मांग

चर्चा में क्यों?

जिनेवा में **बेसल, रॉटरडैम और स्टॉकहोम (BRS) कन्वेंशनों** के लिये आयोजित **कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ (COP)**, में यह प्रस्ताव रखा गया कि **विषाक्त कीटनाशक क्लोरपाइरीफो (Chlorpyrifos)** को स्टॉकहोम कन्वेंशन के परिशिष्ट-A (Annex A) में शामिल किया जाए, जिससे इस पर वैश्विक स्तर पर बिना किसी अपवाद के पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा सके।

- हालाँकि, भारत ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, यह कहते हुए कि इसके **व्यवहारिक विकल्पों की अनुपलब्धता और खाद्य सुरक्षा पर संभावित खतरे** के कारण ऐसा प्रतिबंध उपयुक्त नहीं है।

क्लोरपाइरीफोस क्या है?

- **परिचय:** क्लोरपाइरीफलोस एक **कृत्रिम क्लोरीनयुक्त ऑर्गेनोफॉस्फेट (अल्कोहल के साथ फॉस्फोरिक एसिड को एस्टरीकृत करके बनाया गया)** कीटनाशक है जिसका उपयोग कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य में दीमक, मच्छरों और गोल कृमियों जैसे कीटों को नियंत्रित करने के लिये किया जाता है ।
  - यह **एसिटाइलकोलिनेस्टरेज़ नामक एंज़ाइम को अवरुद्ध** करके कार्य करता है, जो तंत्रिका क्रिया के लिये आवश्यक होता है। इसका प्रभाव केवल लक्षित कीटों पर ही नहीं, बल्कि अन्य **जीवों (non-target species)** सहित मानवों पर भी पड़ता है।
- **स्वास्थ्य पर प्रभाव: त्वचा के संपर्क, श्वास के माध्यम से, या निगलने** के जरिये इसके संपर्क में आने से **सिरदर्द, मतली, चक्कर आना, मांसपेशियों में ऐंठन**, और गंभीर मामलों में **लकवा (paralysis)** तथा **साँस लेने में कठिनाई** हो सकती है।
  - यह शरीर में एक **विषैला उपोत्पाद (क्लोरपाइरीफोस ऑक्सन) बनाता है, जो इन प्रभावों का कारण बनता है।**
- **पर्यावरणीय प्रभाव:** यह रसायन **मिट्टी में कई सप्ताह से लेकर वर्षों** तक बना रह सकता है, विशेषकर अम्लीय परिस्थितियों में यह बहुत धीरे-धीरे विघटित होता है, और मृदा क्षरण के माध्यम से जल स्रोतों को प्रदूषित कर सकता है।
  - यह पक्षियों (जैसे रॉबिन, मॉलर्ड), **मछलियों, मधुमक्खियों और केचुओं** के लिये अत्यधिक विषैला है, जो भोजन श्रृंखला में जैव संचयन (Bioaccumulation) कर सकता है।
- **भारत में उपयोग:**
  - **भारत में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला कीटनाशक** क्लोरपाइरीफोस (2016-17 में कुल कीटनाशक खपत का **9.4%**) **वर्ष 1977 से कीटनाशक अधिनियम** के तहत पंजीकृत है। (IPEN रिपोर्ट)
    - **विश्व स्वास्थ्य संगठन** द्वारा **इसे मध्यम रूप से खतरनाक** तथा **यूरोपीय पर्यावरण संरक्षण एजेंसी** द्वारा **संभावित कैंसरकारी पदार्थ के** रूप में वर्गीकृत किया गया है, इसके अवशेष उत्पाद, **जल, रक्त और स्तन के दूध** में पाए जाते हैं।

स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है?

- **स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स (POP)** एक वैश्विक संधि है **जिसे वर्ष 2001** में अपनाया तथा **वर्ष 2004 में लागू** किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य **मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण** को **पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स (POP)** से बचाना है।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - **एनेक्स A:** सूचीबद्ध रसायनों का उन्मूलन
    - **उदाहरण: एल्ड्रिन, क्लोरडेन, डाइएलड्रिन, एंड्रिन, हेप्टाक्लोर, हेक्साक्लोरोबेंज़ीन, मिरेक्स, पॉलीक्लोरीनेटेड बाइफिनाइल्स**
  - **एनेक्स B:** सूचीबद्ध रसायनों पर प्रतिबंध
  - **एनेक्स C:** सूचीबद्ध रसायनों के अनैच्छिक उत्सर्जन में कमी

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **वित्तीय तंत्र:** **वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) स्टॉकहोम कन्वेंशन** के लिये **निर्दिष्ट अंतरिम वित्तीय तंत्र** के रूप में कार्य करती है, जो विकासशील देशों को इसके दायित्वों को लागू करने में सहायता करती है।
- **भारत और स्टॉकहोम कन्वेंशन:** भारत ने **वर्ष 2006 में स्टॉकहोम कन्वेंशन** की पुष्टि की। स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों (POP) को विनियमित करने के लिये, **MoEFCC ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986** के तहत **'स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों के विनियमन नियम, 2018'** को अधिसूचित किया।

POP क्या हैं ?

- **परिचय:** **स्थायी कार्बनिक प्रदूषक (POP) विषाक्त, कार्बन-आधारित रासायनिक पदार्थ** हैं जो **पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं,** अपघटन का विरोध करते हैं, और **जीवित जीवों में संचित** होते हैं।
- **स्वास्थ्य और पर्यावरणीय प्रभाव: कैंसर, प्रतिरक्षा दमन (Immune Suppression), न्यूरोटॉक्सिसिटी, प्रजनन संबंधी विकार** और **अंत:स्रावी व्यवधान** उत्पन्न कर सकता है और इसके संपर्क में आने से **तीव्र और दीर्घकालिक दोनों तरह के प्रभाव** हो सकते हैं।
  - **जैवसंचय:** POP समय के साथ जीवित जीवों के **वसा ऊतकों में संचित** हो जाते हैं।
  - **जैव आवर्द्धन: जैसे-जैसे वे खाद्य शृंखला में ऊपर की ओर बढ़ते हैं, उनकी सांद्रता बढ़ती जाती है,** जिससे शीर्ष शिकारी और मनुष्य प्रभावित होते हैं।
- **उदाहरण:**
  - **एंडोसल्फान:** कई देशों में प्रतिबंधित; **अंत:स्रावी व्यवधान (Endocrine Disruption)** के लिये जाना जाता है।
  - **DDT:** भारत में कृषि के लिये प्रतिबंधित है, लेकिन अभी भी **वेक्टर नियंत्रण** के लिये उपयोग किया जाता है (उदाहरण के लिये, **मलेरिया-प्रवण क्षेत्रों में मच्छरों का धूमन**)।
    - अन्य में **एल्ड्रिन, डाइएलड्रिन, PCB और टोक्साफीन** शामिल हैं।

प्राकृतिक हाइड्रोजन

चर्चा में क्यों?

प्राकृतिक हाइड्रोजन, जो संभावित रूप से **स्वच्छ, प्रचुर और कम लागत वाला ऊर्जा स्रोत है, हरित ऊर्जा में परिवर्तन के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तनकर्त्ता** के रूप में वैश्विक ध्यान आकर्षित कर रहा है।

प्राकृतिक हाइड्रोजन के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **परिचय: प्राकृतिक हाइड्रोजन,** जिसे **भूगर्भिक हाइड्रोजन** या **श्वेत हाइड्रोजन** भी कहा जाता है, **हाइड्रोजन गैस (H_2)** को संदर्भित करता है जो पृथ्वी की पर्पटी में **प्राकृतिक रूप से उत्पन्न** और संग्रहीत होता है।
  - निर्मित हाइड्रोजन (जीवाश्म ईंधन या नवीकरणीय ऊर्जा से) के विपरीत, **प्राकृतिक हाइड्रोजन का उत्पादन भूगर्भीय रूप से किया जाता है** - जिससे एक **स्थायी ऊर्जा क्रांति** की उम्मीदें बढ़ती हैं।
- **निर्माण:** प्राकृतिक हाइड्रोजन **भूमिगत रूप से स्वतंत्र रूप से मौजूद है,** और **प्राकृतिक भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से निर्मित होता है जैसे-**
  - **सर्पेन्टिनाइज़ेशन: लौह-युक्त चट्टानों के साथ जल** की अभिक्रिया।
  - **रेडियोलिसिस: रेडियोधर्मी चट्टानों** द्वारा जल का विखंडन।
  - **कार्बनिक अपघटन: कार्बनिक पदार्थ के दाब** से।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

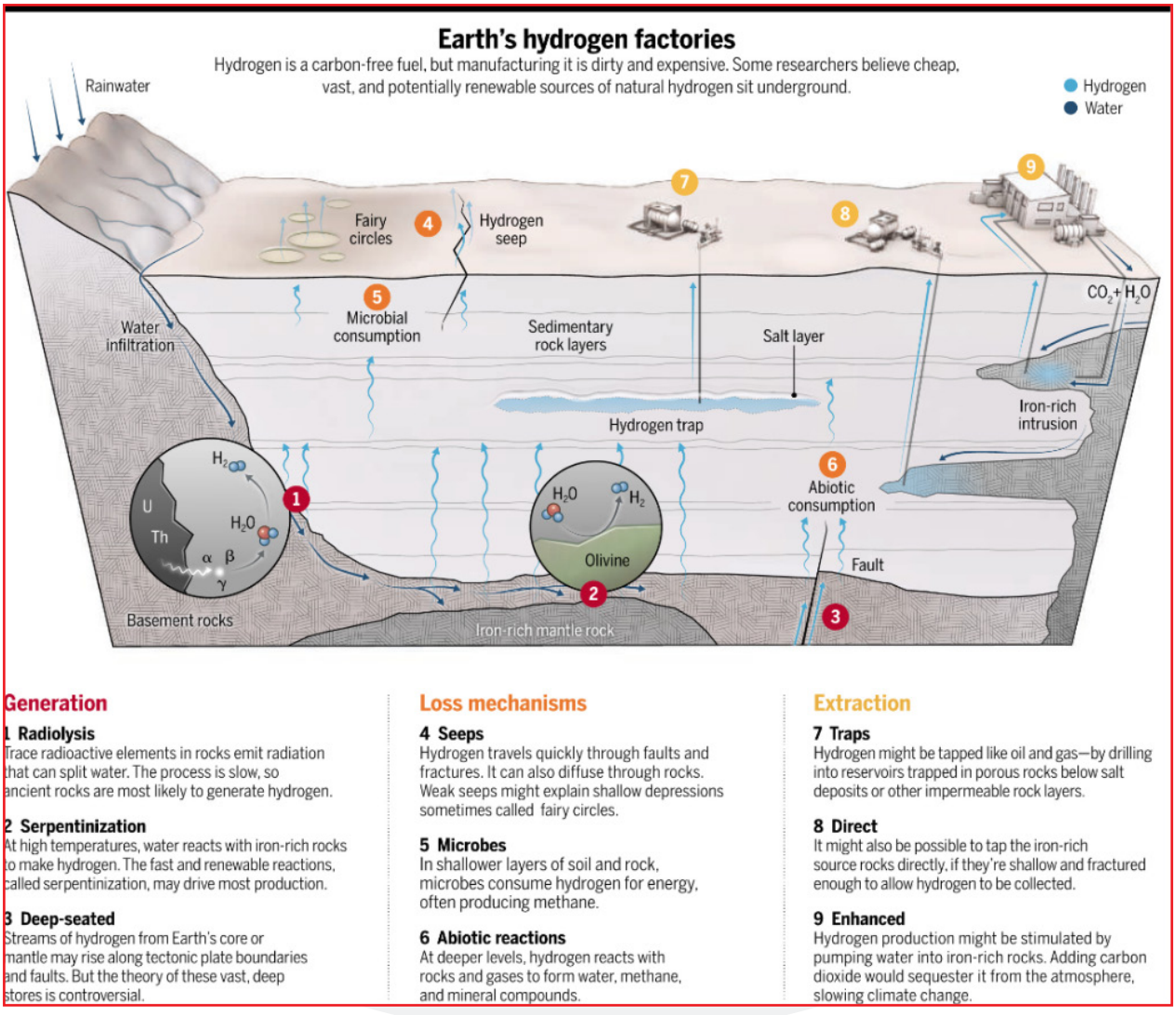
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :



- **खोज: वर्ष 1987** में **माली के बोउराकेबौगू** में एक बोरहोल से एक रहस्यमयी ज्वाला (Flame) निकली - जिसे बाद में वर्ष 2012 में यह पाया गया कि इसमें **98% शुद्ध हाइड्रोजन** है।
  - **फ्राँस (लोरेन और मोसेले)** में प्रमुख खोजों से **92 मिलियन टन** हाइड्रोजन (**वैश्विक उत्पादन का आधा**) का पता चला।
- **प्रमुख भंडार: हाइड्रोजन के स्रोतों** का दस्तावेज़ीकरण 10 से अधिक देशों में किया गया है, जिनमें **ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्राँस, दक्षिण कोरिया, कनाडा और स्पेन** शामिल हैं।
- **भारत की प्राकृतिक हाइड्रोजन क्षमता:** भारत की भूवैज्ञानिक संरचनाएँ इसे प्राकृतिक हाइड्रोजन के लिये **उच्च क्षमता वाला क्षेत्र** बनाती हैं:

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **अल्ट्रामैफिक और मैफिक रॉक, ओपियोलाइट बेल्ट,** और **ग्रीनस्टोन संरचनाएँ।**
- विंध्य, कुडप्पा, गोंडवाना और छत्तीसगढ़ में **अवसादी घाटियाँ।**
- **हाइड्रोथर्मल सिस्टम** और हॉट स्प्रिंग्स संभावित भूमिगत उत्पादन का संकेत देते हैं।

- **संभावित प्रभाव:** यदि वैश्विक भूगर्भीय हाइड्रोजन का केवल **2% पुनः प्राप्त** किया जा सके, तो यह **सभी ज्ञात प्राकृतिक गैस भंडारों की दोगुनी ऊर्जा के बराबर** हो सकता है और **200 वर्षों** तक वैश्विक हाइड्रोजन की मांग को पूरा कर सकता है।
- **लागत दक्षता:** उत्पादन लागत **1 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम या उससे कम** होने का अनुमान है **जो ग्रीन एवं ग्रे हाइड्रोजन** दोनों से सस्ता विकल्प है।
  - वैश्विक स्तर पर **"हाइड्रोजन की लोकप्रियता"** बढ़ रही है, जिसमें प्राकृतिक हाइड्रोजन की खोज करने वाली कंपनियों की संख्या **वर्ष 2020 के 10 से बढ़कर वर्ष 2023 में 40** हो गई।

नोट: हाइड्रोजन ब्रह्मांड के द्रव्यमान का लगभग 75% है लेकिन **पृथ्वी के वायुमंडल का केवल 0.5-1.0 ppm** है। **पृथ्वी की पर्पटी** में यह **वज़न के** हिसाब से 0.75% है।

व्यक्तित्व अधिकार

चर्चा में क्यों?

मद्रास उच्च न्यायालय (HC) ने **व्यक्तित्व अधिकारों** के उल्लंघन का हवाला देते हुए निवेश धोखाधड़ी में **कोरियोग्राफर अनीता आर. रत्नम की छवियों** और **डीप फेक ऑडियो** का दुरुपयोग करने वाले फेक अकाउंट और चैनलों को **मेटा** और **टेलीग्राम** को हटाने का आदेश दिया।

- वह **नियो भारतम** की अग्रणी हैं, जो भरतनाट्यम, कथकली और योग को मिलाकर एक अनूठी **नृत्य शैली** है।

व्यक्तित्व अधिकार क्या हैं?

- **परिचय:** व्यक्तित्व अधिकार किसी व्यक्ति के **सार्वजनिक व्यक्तित्व** जैसे **नाम, आवाज़, छवि, रहन-सहन** को **निजता** या **संपत्ति** के उनके व्यापक अधिकार के हिस्से के रूप में संरक्षित करते हैं।
  - यह किसी के **नाम, छवि या समानता के व्यावसायिक उपयोग** पर नियंत्रण प्रदान करता है ।
  - **इसे आगे दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:**
    - **प्रचार का अधिकार:** किसी व्यक्ति की छवि और समानता को अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग से बचाना, ट्रेडमार्क अधिकारों के समान।
    - **निजता का अधिकार:** बिना सहमति के किसी के व्यक्तित्व को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने से सुरक्षा।
      - **भारतीय संविधान** के **अनुच्छेद 21** के तहत **निजता का अधिकार** सबसे निकटतम कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है **(हालाँकि इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है)।**
- **भारत में प्रमुख संबंधित प्रावधान:**
  - **कॉपीराइट अधिनियम, 1957:** यह अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति की पहचान का दुरुपयोग करने के विरुद्ध

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

पासिंग ऑफ और **धोखाधड़ी** के माध्यम से **व्यक्तित्त्व अधिकारों** की रक्षा करता है।

- **"पासिंग ऑफ"** तब होता है जब वस्तुओं या सेवाओं को किसी और की संपत्ति बताकर गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, जबकि धोखे में किसी व्यक्ति के नाम या छवि का **भ्रामक उपयोग** शामिल होता है।
- इसके अंतर्गत, **रचनाकारों या कलाकारों** के पास **नैतिक अधिकार** होते हैं, जिसमें **श्रेय पाने का अधिकार (Attribution)** और **किसी भी ऐसे बदलाव का विरोध करने का अधिकार** शामिल है जो उनकी **प्रतिष्ठा (अखंडता) को नुकसान** पहुँचा सकता है।

- **भारतीय ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999:** **धारा 14 ऐसे ट्रेडमार्क** के उपयोग को **प्रतिबंधित** करती है जो **पिछले 20 वर्षों** के दौरान **जीवित व्यक्ति या मृत व्यक्ति** के साथ **संबंध का झूठा** दावा करता हो, जब तक कि **सहमति** प्राप्त न हो।
- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000:** अधिनियम की **धारा 66C पहचान की चोरी**, विशेष रूप से किसी अन्य व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक **हस्ताक्षर, पासवर्ड या विशिष्ट पहचान** सुविधा का **धोखाधड़ी या बेईमानी से उपयोग करने** के लिये दंड का प्रावधान करती है।

संबंधित प्रमुख निर्णय:

- **कृष्ण किशोर सिंह बनाम सरला ए सरावगी केस, 2021:** सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि **गोपनीयता, प्रचार और व्यक्तित्व अधिकार (personality rights) विरासत** में नहीं मिलते और किसी **अभिनेता की मृत्यु के साथ समाप्त** हो जाते हैं।
- **न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ मामला, 2017: सर्वोच्च न्यायालय** गोपनीयता को **अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार** का हिस्सा माना, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि राज्य के वैध उद्देश्य के लिये इसे उचित और आनुपातिक उपायों के साथ प्रतिबंधित किया जा सकता है।
- **शिवाजी राव गायकवाड़ बनाम वर्षा प्रोडक्शन मामला, 2015:** मद्रास उच्च न्यायालय ने माना कि भारत में भले ही **व्यक्तित्त्व अधिकारों** की कोई विशेष कानूनी परिभाषा नहीं है, फिर भी ऐसे अधिकार अस्तित्त्व में हैं।
- **अरुण जेटली बनाम नेटवर्क सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड केस, 2011:** दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी **व्यक्ति की लोकप्रियता या ख्याति, ऑनलाइन दुनिया** में भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण है जितनी **वास्तविक जीवन** में।
- **एम. एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड बनाम बेबी गिफ्ट हाउस केस, 2010:** दिल्ली **उच्च न्यायालय ने डी.एम. एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड** के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि गायक दलेर मेहंदी की शक्ल की नकल करके उनके गाने गाने वाली **गुड़ियों की अनधिकृत** बिक्री उनके **व्यक्तित्त्व अधिकारों** का उल्लंघन है, जिससे **उनकी सार्वजनिक छवि** के उपयोग को नियंत्रित करने के उनके वाणिज्यिक अधिकार की पुष्टि होती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)

IP/बौद्धिक संपदा का तात्पर्य किसी व्यक्ति/कंपनी द्वारा सहमति के बिना बाह्य उपयोग या कार्यान्वयन से स्वामित्व/कानूनी रूप से संरक्षित अमूर्त संपत्तियों से है।

IPR के लिये आवश्यक हैं

- नवप्रवर्तन को प्रोत्साहित करना।
- आर्थिक विकास।
- रचनाकारों के अधिकारों की रक्षा करना।
- व्यापार करने में सुलभता बढ़ाना।

संबंधित कन्वेंशन/संधि (भारत ने इन सभी पर हस्ताक्षर किये हैं)

- **WIPO द्वारा प्रशासित (प्रथमतः मान्यता प्राप्त IPR के अंतर्गत):**
  - औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण हेतु पेरिस कन्वेंशन, 1883 **(पेटेंट, औद्योगिक डिज़ाइन)।**
  - साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण हेतु बर्न अभिसमय, 1886 **(कॉपीराइट)।**
- **विश्व व्यापार संगठन (WTO)- ट्रिप्स समझौता:**
  - सुरक्षा के पर्याप्त मानक सुनिश्चित करना।
  - विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिये प्रोत्साहित करना।
- **बुडापेस्ट अभिसमय, 1977:**
  - पेटेंट प्रक्रिया के प्रयोजन हेतु सूक्ष्मजीवों के जमाव की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता।
- **मर्राकेश VIP समझौता, 2016:**
  - दृष्टिबाधित व्यक्तियों और आँखों से दिव्यांगों (print disabilities) वाले व्यक्तियों को प्रकाशित कार्यों तक पहुँच की सुविधा प्रदान करना।
- IPR को **अनुच्छेद 27** (मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा) में भी रेखांकित किया गया है।

भारत की पहल और IPR

- **राष्ट्रीय IPR नीति, 2016:**
  - **आदर्श वाक्य:** "क्रिएटिव इंडिया; इनोवेटिव इंडिया"।
  - ट्रिप्स समझौते के अनुरूप।
  - सभी IPR को एक मंच पर लाता है।
  - नोडल विभाग - औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (वाणिज्य मंत्रालय)।
- राष्ट्रीय (IP) जागरूकता मिशन **(NIPAM)**
- बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान के लिये कलाम कार्यक्रम **(KAPILA)**

विश्व बौद्धिक संपदा दिवस: 26 अप्रैल

बौद्धिक संपदा	संरक्षण	भारत में कानून	अवधि
कॉपीराइट	विचारों की अभिव्यक्ति	कॉपीराइट अधिनियम 1957	परिवर्तनीय
पेटेंट	आविष्कार- नवीन प्रक्रियाएँ, मशीनें आदि।	भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970	सामान्यतः 20 वर्ष
ट्रेडमार्क	व्यावसायिक वस्तुओं या सेवाओं को पृथक करने के लिये चिह्न	व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999	अनिश्चित काल तक रह सकता है
ट्रेड सीक्रेट	व्यावसायिक जानकारी की गोपनीयता	पंजीकरण के बिना संरक्षित	असीमित समय
भौगोलिक संकेत (GI)	विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति पर प्रयुक्त संकेतक और उत्पत्ति स्थल के वजह से विशिष्ट गुण रखते हों	वस्तुओं का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999	10 वर्ष (नवीकरणीय)
औद्योगिक डिज़ाइन	किसी लेख का सजावटी या सौंदर्यपरक पहलू	डिज़ाइन अधिनियम, 2000	10 वर्ष

Drishti IAS

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट :

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

चर्चा में क्यों?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार, **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)** और **पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS)** के अंतर्गत समग्र भारत में दर्ज सभी दावों में से **97%** का निपटान कर दिया गया है।

- **गोवा** , **छत्तीसगढ़** , **तेलंगाना** और **तमिलनाडु** ने राज्य में दर्ज सभी दावों का पूर्ण निपटान कर लिया है, जबकि **त्रिपुरा**, **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह**, **आंध्र प्रदेश** और **सिक्किम** में निपटान दर **91% से 51%** है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) क्या है?

- **परिचय: वर्ष 2016** में शुरू की गई **PMFBY** एक **केंद्रीय क्षेत्रक योजना** है, जिसे **प्राकृतिक आपदाओं, कीटों अथवा रोगों** के कारण होने वाली **फसल हानि** के लिये किसानों को **वित्तीय सुरक्षा** प्रदान करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
  - वर्ष 2023-24 तक, PMFBY के अंतर्गत **नामांकित किसानों की संख्या** और **कवर किये गए भूमि क्षेत्र** के संदर्भ में **विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना** बन गई है।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - **पात्रता: अधिसूचित क्षेत्रों** में **अधिसूचित फसलों** का उत्पादन करने वाले **बटाईदारों** और **असामी काश्तकारों** सहित **सभी किसान** योजना के अंतर्गत कवरेज के लिये पात्र हैं।
    - **PMFBY** में सहभागिता **स्वैच्छिक** है, कुल लाभार्थियों में **गैर-ऋणी किसान 55%** हैं।
  - **जोखिम कवरेज:**
    - **प्राकृतिक आपदाएँ:** इसमें **बाढ़**, **अनावृष्टि**, **चक्रवात**, **ओलावृष्टि**, **भूस्खलन** और **बेमौसम वर्षा** शामिल हैं।
    - **कीट एवं रोग कवरेज:** इसके अंतर्गत **कीट हमलों** और **फसल रोगों** से सुरक्षा प्रदान की जाती है।
    - **पश्च फसल नुकसान (व्यक्तिगत जोत के आधार पर) : कटाई के 14 दिनों** के भीतर, विशेष रूप से **"कटी और फैली हुई"** स्थिति में रखी गई फसलों के लिये होने वाले नुकसान की प्रतिपूर्ति की जाती है।
    - **स्थानीय आपदाएँ:** सरकार **व्यक्तिगत जोत के आधार** पर **स्थानीय आपदाओं के लिये क्षतिपूर्ति प्रदान करती है।**
    - **रोकी गई बुवाई (अधिसूचित क्षेत्र के आधार पर):** यदि **अधिसूचित क्षेत्र** में **अधिकांश बीमित किसान** इरादे और लागत के बावजूद **प्रतिकूल मौसम** के कारण **बुवाई करने में असमर्थ** हैं, तो वे क्षतिपूर्ति के रूप में **बीमित राशि का 25% तक का दावा** कर सकते हैं।
    - **प्रीमियम दरें:** किसान **किफायती प्रीमियम का भुगतान करते हैं** - **खरीफ फसलों** के लिये **2%**, **रबी फसलों** के लिये **1.5%** और **वार्षिक वाणिज्यिक या बागवानी फसलों** के लिये **5%।**
    - सरकार **पूर्वोत्तर, जम्मू और कश्मीर** तथा **हिमाचल प्रदेश** के किसानों को **प्रीमियम पर पूर्ण सब्सिडी** देती है।
  - **तकनीकी एकीकरण:**
    - **उपग्रह इमेजरी और ड्रोन: फसल क्षेत्र का अनुमान लगाने, उपज विवादों को हल करने** और **फसल नुकसान का आकलन करने** के लिये उपयोग किया जाता है।
    - **फसल कटाई प्रयोग (CCE): CCE-एग्री ऐप राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP)** पर सीधे डेटा अपलोड करने में सक्षम बनाता है, जिससे **पारदर्शी उपज मूल्यांकन** सुनिश्चित होता है।
    - यह **डिजीक्लेम**, **फसलों के वास्तविक समय अवलोकन और फोटोग्राफ्स का संग्रह (CROPIC)**, और **मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम (WINDS)** का भी उपयोग करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **भुगतान:** PMFBY का उद्देश्य **फसल कटाई के दो महीने के भीतर दावों का निपटान** करना है, ताकि किसानों को **ऋण के जाल** में फँसने से बचाने के लिये **समय पर वित्तीय सहायता** प्रदान की जा सके।

पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना

- **प्रतिकूल मौसम के कारण किसानों को** होने वाले वित्तीय नुकसान से **बचाने के लिये** इसे **वर्ष 2016** में लॉन्च किया गया था।
- **RWBCIS पूर्वनिर्धारित मौसम संकेतकों** - जैसे **वर्षा, तापमान, आर्द्रता और वायु की गति - से विचलन** के आधार पर क्षतिपूर्ति प्रदान करता है, जो क्षेत्र-स्तरीय मूल्यांकन के बिना फसल हानि के लिये प्रॉक्सी के रूप में कार्य करता है।
  - **जबकि, PMFBY प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या बीमारियों** के कारण हुई **वास्तविक फसल हानि के आकलन** के आधार पर क्षतिपूर्ति प्रदान करती है।

जैवविविधता (पहुँच और लाभ साझाकरण) विनियमन, 2025

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (NBA) ने जैविक संसाधनों के उपयोग से उचित लाभ साझाकरण सुनिश्चित करने के लिये **जैवविविधता (जैविक संसाधनों और उससे संबंधित ज्ञान तक पहुँच तथा लाभों का उचित एवं न्यायसंगत बंटवारा) विनियमन 2025** को अधिसूचित किया।

जैवविविधता (पहुँच और लाभ साझाकरण) विनियमन, 2025 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- **टर्नओवर से जुड़ा लाभ साझाकरण:** सभी उपयोगकर्त्ता जिनका वार्षिक टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से अधिक है, उन्हें प्रति वर्ष उपयोग किये गए संसाधनों की जानकारी के साथ एक विवरण साझा करना होगा।

वार्षिक टर्नओवर	लाभ साझाकरण दर [उत्पाद के वार्षिक सकल पूर्व-फैक्ट्री विक्रय मूल्य का %) (सरकारी करों को छोड़कर)]
5 करोड़ रुपए तक	शून्य
5 – 50 करोड़ रुपए	0.2%
50 – 250 करोड़ रुपए	0.4%
250 करोड़ रुपए से अधिक	0.6%

- **उच्च मूल्य वाले जैविक संसाधन:** जैवविविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत **लाल चंदन, चंदन (Sandalwood), अगरवुड** और संकटग्रस्त प्रजातियों जैसे उच्च मूल्य वाले जैविक संसाधनों के लिये लाभ साझाकरण बिक्री या नीलामी राशि का कम से कम 5% होना चाहिये, तथा वाणिज्यिक उपयोग के लिये 20% से अधिक हो सकता है।
- **डिजिटल अनुक्रम सूचना (DSI):** वर्ष का 2025 विनियमन वर्ष 2014 के दिशानिर्देशों का स्थान लेता है, तथा **DSI** को शामिल करने के लिये इसके दायरे का विस्तार करता है, जिसे अब पहले के ढाँचे के विपरीत आनुवंशिक संसाधनों का हिस्सा माना जा सकता है।
  - DSI से तात्पर्य **डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (DNA), राइबोन्यूक्लिक एसिड (RNA)** या जीवों के प्रोटीन से प्राप्त **आनुवंशिक अनुक्रमों के डिजिटल प्रतिनिधित्व** से है। यह अनिवार्य रूप से किसी जीव की आनुवंशिक संरचना का डिजिटल कोड है।
- **शोधकर्त्ता एवं बौद्धिक संपदा आवेदक:** विनियमन में शोधकर्त्ताओं और बौद्धिक संपदा आवेदकों के लिये लाभ-साझाकरण अनिवार्य किया गया है, जिसमें **एकत्रित लाभ का 10-15%** NBA द्वारा रखा जाएगा।
- **कृषि योग्य औषधीय पादपों को छूट:** कृषि योग्य औषधीय पादपों को लाभ साझाकरण करने से छूट दी गई है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

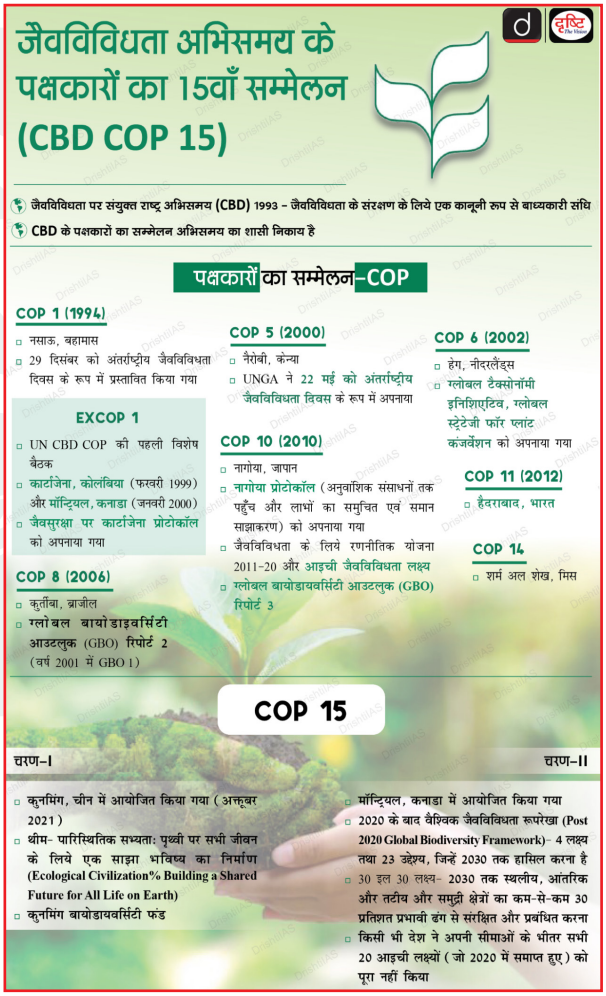
- यह छूट जैवविविधता (संशोधन) अधिनियम 2023 से उत्पन्न हुई है, जो औषधीय पादपों की कृषि को बढ़ावा देता है और आयुष चिकित्सकों के लिये अनुपालन को सुगम बनाता है।

पहुँच और लाभ साझाकरण क्या है?

- **परिचय:** ABS का तात्पर्य **जैविक संसाधनों** (जैसे पादप, जानवर या आनुवंशिक सामग्री) तक पहुँच प्रदान करने की प्रक्रिया से है और **यह सुनिश्चित करना है कि उनके उपयोग से होने वाले लाभ, चाहे मौद्रिक हों या गैर-मौद्रिक,** स्रोत समुदायों या राष्ट्रों के साथ समान रूप से साझा किये जाएँ।
- ABS प्रदाता से **पूर्व सूचित सहमति (PIC)** और आनुवंशिक संसाधनों और संबंधित लाभों के निष्पक्ष और न्यायसंगत बंटवारे के लिये **पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों (MAT)** को स्थापित करने के लिये बातचीत पर निर्भर करता है।
- **रूपरेखा:** यह **जैवविविधता अभिसमय (CBD)** में निहित है। CBD के तहत वर्ष 2010 में अंगीकृत **नागोया प्रोटोकॉल,** आनुवंशिक संसाधनों के अभिगम और उचित लाभ-साझाकरण के लिये विधिक रूप से बाध्यकारी रूपरेखा प्रदान करता है।
- **कोलंबिया के कैली** में आयोजित **CBD (2024) के COP-16** में DSI के उपयोग से लाभ साझा करने के लिये एक बहुपक्षीय तंत्र के लिये प्रमुख रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया।
- भारत में **ABS** को **जैवविविधता अधिनियम, 2002** और ABS विनियमन, 2025 के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (NBA)

- यह **जैवविविधता अधिनियम, 2002** के तहत वर्ष 2003 में स्थापित वैधानिक निकाय है जो केंद्र को **जैवविविधता संरक्षण, सतत् उपयोग और उचित लाभ-साझाकरण** पर परामर्श देता है।
  - इसका मुख्यालय चेन्नई में है तथा यह **राज्य जैवविविधता बोर्ड (SBB)** और स्थानीय **जैवविविधता प्रबंधन समितियों (BMC)** को शामिल करते हुए एक विकेंद्रीकृत संरचना के माध्यम से कार्य करता है।
  - जबकि SBB राज्य सरकारों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और वाणिज्यिक उपयोग को विनियमित करते हैं, BMC स्थानीय जैवविविधता के प्रलेखन और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
    - BMC का उत्तरदायित्व **जन जैवविविधता रजिस्टर (PBR)** तैयार करना है।
- अपनी स्थापना के बाद से, NBA ने 28 राज्यों, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में SBB के निर्माण का समर्थन किया है और लगभग 2,77,688 BMC की स्थापना में सहायता की है।



दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

ऑपरेशन सिंदूर

चर्चा में क्यों?

भारत ने **अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकवादी हमले** के प्रत्युत्तर में **ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें पाकिस्तान तथा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर (PoJK)** में 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया।

- भारत सरकार की ओर से **विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने** ऑपरेशन के बारे प्रेस को विस्तृत जानकारी प्रदान की।

ऑपरेशन सिंदूर क्या है?

- **परिचय:** यह पहलगाम आतंकी हमले के प्रत्युत्तर में 7 मई, 2025 को भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा लॉन्च किया गया एक समन्वित स्ट्राइक ऑपरेशन है।
  - इसे भारतीय भू-भाग से **सेना, नौसेना और वायु सेना** के समन्वित प्रयासों द्वारा कार्यान्वित किया गया।
  - पिछले अभियानों के आक्रामक और शक्ति प्रदर्शन पर केंद्रित नामों के विपरीत, इस अभियान का नाम पीड़ितों, विशेषकर पहलगाम हमले की विधवाओं, के प्रति **व्यक्तिगत श्रद्धांजलि** स्वरूप चुना गया था।
- **लक्ष्य:** 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoJK) में स्थित **जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से संबद्ध आतंकी ठिकानों** को लक्षित किया।
  - इन हमलों का उद्देश्य भारत के खिलाफ हमलों की योजना बनाने में इस्तेमाल किये गए आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना था।



- **'ऑपरेशन सिंदूर' में उच्च परिशुद्धता वाले हथियारों का प्रयोग किया गया था:** भारतीय वायु सेना (IAF) ने इन अभियानों को अत्यधिक सटीकता और न्यूनतम सहायक क्षति के साथ अंजाम देने के लिये **SCALP क्रूज़ मिसाइल, हैमर प्रिसिजन-गाइडेड बम** और **लोइटरिंग म्यूनिशन** जैसी उन्नत प्रणालियों का इस्तेमाल किया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **SCALP क्रूज़ मिसाइल:** SCALP, जिसे **"स्टॉर्म शैडो"** भी कहा जाता है, **एक लंबी दूरी की, हवा से प्रक्षेपित की जाने वाली क्रूज़ मिसाइल** है। इसका उपयोग दुश्मन के क्षेत्र में स्थित किलेबंद ठिकानों और महत्त्वपूर्ण पूर्ण बुनियादी ढाँचे जैसे उच्च-मूल्य वाले स्थिर लक्ष्यों पर गहराई तक सटीक हमले करने के लिये किया जाता है।
  - **निर्माता:** यूरोपीय रक्षा फर्म MBDA द्वारा विकसित।
  - **लॉन्च प्लेटफॉर्म: इसे सामान्यत: राफेल** जैसे उन्नत लड़ाकू जेट से तैनात किया जाता है।
  - **युद्ध में उपयोग:** इस मिसाइल का उपयोग **इराक, लीबिया और सीरिया** जैसे देशों में युद्ध परिदृश्यों में अभियानों के दौरान किया जा चुका है तथा हाल ही में दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमले हेतु यूक्रेन को इसकी आपूर्ति की गई है।



- **हैमर प्रिसिज़न-गाइडेड बम:** हैमर (Highly Agile Modular Munition Extended Range) एक प्रिसिज़न-गाइडेड बम प्रणाली है, जिसका उपयोग उन लक्ष्यों पर सटीक हमले के लिये किया गया जो मध्यम दूरी पर स्थित होते हैं, जैसे कि गतिशील या मोबाइल आतंकी ठिकाने। यह प्रणाली कठिन परिस्थितियों में भी उच्च सटीकता के साथ लक्ष्य भेदन में सक्षम है।
  - **निर्माता: फ्राँसीसी** रक्षा कंपनी सफ्रान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस द्वारा विकसित।
  - **प्रमुख विशेषताएँ: हैमर को GPS, इन्फ्रारेड इमेजिंग और लेजर टार्गेटिंग** सहित विभिन्न मार्गदर्शन प्रणालियों से सुसज्जित किया जा सकता है, जिससे यह विभिन्न लक्ष्यों के विरुद्ध बहुमुखी हो जाता है।



- **लोइटरिंग म्यूनिशन: इन्हें "कामिकेज़ ड्रोन"** के नाम से भी जाना जाता है, लोइटरिंग म्यूनिशन का उपयोग निगरानी और लक्ष्य पर निशाना साधने के लिये किया जाता है, जो सटीक हमला करने से पहले दुश्मन के इलाके में गश्त करते हैं।
  - **प्रमुख लाभ:** ये रीयल-टाइम खुफिया जानकारी प्रदान करते हैं और लंबी अवधि तक मिशन पर सक्रिय रह सकते हैं। इनमें लक्ष्य को कब और कैसे साधना है, इस बारे में **स्वायत्त निर्णय लेने की क्षमता** होती है, जिससे संचालन में लचीलापन बढ़ता है और ऑपरेटरों के लिये जोखिम में उल्लेखनीय कमी आती है।



दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

पाकिस्तान के विरुद्ध भारत द्वारा अब तक चलाए गए सैन्य अभियान कौन-से हैं?

- **ऑपरेशन रिडल (1965 भारत-पाक युद्ध):** यह अभियान 1965 में पाकिस्तान द्वारा **नियंत्रण रेखा (LoC)** का उल्लंघन कर जम्मू और कश्मीर में प्रवेश करने के जवाब में भारत की सैन्य प्रतिक्रिया थी। यह विशेष रूप से पाकिस्तान के *ऑपरेशन जिब्राल्टर* और *ग्रैंड स्लैम* का प्रतिकार करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
- **ऑपरेशन एब्लेज (1965 भारत-पाक युद्ध):** यह अभियान भारतीय सेना द्वारा अप्रैल 1965 में **कच्छ के रण** क्षेत्र में भारत-पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव के मद्देनज़र एक पूर्व-आक्रामक कदम के रूप में शुरू किया गया था।
  - यद्यपि इस ऑपरेशन से तत्काल पूर्ण युद्ध की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई, लेकिन इसने भारत की सैन्य तत्परता को दर्शाया और अगस्त 1965 में प्रारंभ हुए पूर्ण पैमाने के युद्ध के लिए आधार तैयार किया।
  - ऑपरेशन रिडल और ऑपरेशन एब्लेज दोनों ने मिलकर पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर किया और वर्ष 1966 में **ताशकंद समझौते** के लिये मार्ग प्रशस्त किया।
- **ऑपरेशन कैक्टस लिली (1971 भारत-पाक युद्ध):** यह **बांग्लादेश मुक्ति संग्राम** के दौरान भारतीय सेना और वायुसेना द्वारा संचालित एक सामरिक हवाई अभियान था। दिसंबर 1971 में इस अभियान के अंतर्गत मेघना नदी को पार कर, आशुगंज/भैरब बाज़ार में स्थित पाकिस्तानी रक्षा चौकियों को भेदते हुए भारतीय सेनाओं ने ढाका की ओर तेज़ी से बढ़त बनाई।
- **ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पायथन (1971 भारत-पाक युद्ध):** ये दोनों अभियान 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर किये गए आक्रामक नौसैनिक अभियान थे।
  - **ऑपरेशन ट्राइडेंट** में पहली बार (पूरे क्षेत्र में) एंटी-शिप मिसाइलों का उपयोग किया गया। दोनों अभियानों ने पाकिस्तान की हार और बांग्लादेश के निर्माण में योगदान दिया।
- **ऑपरेशन मेघदूत (1984):** 13 अप्रैल, 1984 को , प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, भारत ने **ऑपरेशन मेघदूत** शुरू किया, जिसके तहत **बिलाफोंड ला** और **सिया ला** जैसे प्रमुख दर्रे सहित **सियाचिन ग्लेशियर और साल्टोरो रिज** पर नियंत्रण हासिल किया गया।
- **ऑपरेशन विजय (1999):** यह कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा कब्जा किये गये क्षेत्र को पुन: प्राप्त करने के लिये भारत का सैन्य अभियान था।
  - इसने सफलतापूर्वक पाकिस्तानी सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, जिससे भारत की विजय हुई।
- **ऑपरेशन सफेद सागर (कारगिल युद्ध 1999):** इसमें भारतीय वायुसेना ने नियंत्रण रेखा पर भारतीय ठिकानों से पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ने के लिये हवाई हमले किये थे।
  - यह वर्ष 1971 के बाद से हवाई शक्ति का पहला बड़े पैमाने पर इस्तेमाल था।
- **2016 सर्जिकल स्ट्राइक:** **उरी हमले** के प्रत्युत्तर में भारतीय विशेष बलों द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी लॉन्च पैड को लक्षित किया गया था।
- **ऑपरेशन बंदर (2019 – बालाकोट एयर स्ट्राइक):** 14 फरवरी, 2019 को पुलवामा हमले के जवाब में, भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट स्थित जैश-ए-मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविरों पर हवाई हमले किये।
  - यह वर्ष 1971 के बाद LoC के पार किया गया पहला हवाई हमला था, जिसके कारण भारत और पाकिस्तान के बीच सीमित हवाई संघर्ष भी हुआ।

महासागरों में माइक्रोप्लास्टिक इनफिल्ट्रेशन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में *"नेचर"* पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला है कि **माइक्रोप्लास्टिक** केवल सतही प्रदूषक नहीं हैं, बल्कि अब वे समुद्र की गहराइयों में समाहित हो गए हैं, जो पृथ्वी के **जैव-रासायनिक** और **कार्बन चक्रों** पर प्रभाव डाल रहे हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं?

- **माइक्रोप्लास्टिक इनफिल्ट्रेशन:** माइक्रोप्लास्टिक **महासागर में व्यापक रूप से फैले हुए हैं,** जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों पर हावी हैं और महासागरीय घूर्णनों (Gyres) में **100 मीटर तक की गहराई तक पहुँच चुके हैं।**
  - जबकि **बड़े प्लास्टिक के टुकड़े** (100 से 5,000 माइक्रोमीटर) सामान्यत: महासागर की सतह के पास संकेंद्रित होते थे, छोटे कण महासागरीय घूर्णनों में 100 मीटर की गहराई तक समाहित पाए गए।
  - **घूर्णन (Gyres)**, धीमे-गति से चलने वाली, वृत्ताकार महासागरीय धाराएँ, प्लास्टिक को फँसाती हैं और संकेंद्रित करती हैं।
- **मात्रा:** वर्ष 1950 से 2015 तक कुल प्लास्टिक इनपुट का अनुमान 17 से 47 मिलियन मीट्रिक टन के बीच लगाया गया था।
  - **नायलॉन और पॉलिएस्टर** से बना मछली पकड़ने का उपकरण महासागर में घने प्लास्टिक जैसे पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट (PET-Polyethylene Terephthalate) का एक प्रमुख स्रोत है, जिसमें 56 से अधिक पॉलिमर प्रकारों का पता चला है।
- **प्रभाव:** जैव-रासायनिक चक्रण के लिये महत्त्वपूर्ण जल स्तंभ, माइक्रोप्लास्टिक्स से तेज़ी से प्रभावित हो रहा है, जिससे महासागर के कार्बन चक्र में संभावित रूप से व्यवधान उत्पन्न हो रहा है।
  - **कार्बन चक्र में हस्तक्षेप:** प्लास्टिक प्रदूषण समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में बाह्य कार्बन (जिसे अलोकथोनस कार्बन (allochthonous carbon) कहा जाता है) जोड़ता है, जबकि माइक्रोप्लास्टिक कार्बन समुंदर के जल में 30 मीटर गहरे स्तर पर कुल कणिकीय कार्बनिक कार्बन (POC) का 0.1% होता है, जो उपोष्णकटिबंधीय गायर में 2,000 मीटर की गहराई पर 5% तक बढ़ जाता है।
    - यह समुद्री नमूनों (Marine samples) को **420 वर्ष पुराना** दिखा सकता है।
  - **जैव-रासायनिक प्रभाव: माइक्रोप्लास्टिक्स सूक्ष्मजीवों** की **नाइट्रीफिकेशन** और **डिनाइट्रीफिकेशन** को बदलते हैं और **मेटाबोलाइट्स** का उत्सर्जन करते हैं जो **पोषक तत्त्वों** के चक्र को बाधित करते हैं।

माइक्रोप्लास्टिक क्या हैं?

- **परिचय: माइक्रोप्लास्टिक्स,** जिन्हें पाँच मिलीमीटर से छोटे व्यास वाले प्लास्टिक के रूप में परिभाषित किया जाता है, महासागरों और जलजीवों के लिये हानिकारक हो सकते हैं।
  - **सौर यूवी विकिरण, वायु और महासागरीय धाराएँ** प्लास्टिक को **माइक्रोप्लास्टिक्स (<5 मिमी) और नैनोप्लास्टिक्स (<100 नैनोमीटर)** में तोड़ देती हैं।
- **वर्गीकरण:**
  - **प्राथमिक माइक्रोप्लास्टिक: वे वाणिज्यिक उपयोग** के लिये बनाए गए छोटे कण होते हैं, जैसे **माइक्रोबीड्स, प्लास्टिक छर्रे** और कपड़ों के **माइक्रोफाइबर।**
  - **द्वितीयक माइक्रोप्लास्टिक:** ये तब बनते हैं जब बोतलों जैसे बड़े प्लास्टिक **सूर्य के प्रकाश** और **समुद्री धाराओं** के कारण **टूट जाते हैं।**
- **चिंताएँ: माइक्रोप्लास्टिक** लाल रक्त कोशिकाओं से चिपक सकते हैं, **जिससे ऑक्सीजन का परिवहन कम हो जाता है और ये प्लेसेंटा** व **भ्रूण के अंगों** में भी पाए गए हैं।
  - ये **मानव कोशिकाओं को नुकसान पहुँचा सकते हैं** और **छोटे बच्चे** विशेष रूप से इसके प्रति संवेदनशील होते हैं।
- **अनुप्रयोग:** इसका उपयोग **दवा वितरण, औद्योगिक सफाई** तथा स्क्रब और टूथपेस्ट जैसे **व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों में एक्सफोलियेंट के रूप में किया जाता है।**
- **माइक्रोप्लास्टिक से संबंधित विनियम:**
  - **वैश्विक: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) प्लास्टिक संधि**
  - **भारत: एकल-उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2024**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

एक राज्य-एक RRB

चर्चा में क्यों?

'एक राज्य-एक RRB' (OS-OR) योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) समेकन का चौथा चरण 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है, जिससे भारत में RRB की संख्या और कम हो गई है।

- इस कदम का उद्देश्य **परिचालन व्यवहार्यता और दक्षता को बढ़ावा देना है**, लेकिन स्टाफिंग, प्रौद्योगिकी एकीकरण एवं क्षेत्रीय जोखिमों को लेकर चिंताएँ बनी हुई हैं।

एक राज्य-एक RRB नीति क्या है?

- **OS-OR नीति: OS-OR नीति वित्तीय सेवा विभाग** द्वारा एक सुधार पहल है जिसका उद्देश्य एक राज्य के भीतर कई RRB को एक एकीकृत इकाई में समेकित करना है।
  - RRB का समेकन **डॉ. व्यास समिति (वर्ष 2001) की सिफारिशों के बाद वर्ष 2005 में शुरू हुआ, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)** द्वारा गठित किया गया था।
- **समेकन के चरण: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 23A(1)** के तहत कार्यान्वित किया गया, जो सार्वजनिक हित में विलय की अनुमति देता है।
- **चरण 1 (वित्त वर्ष 2006 - वित्त वर्ष 2010):** एक राज्य में एक ही बैंक द्वारा प्रायोजित RRB को एकीकृत किया गया। RRB की संख्या 196 से घटाकर 82 कर दी गई।
- चरण 2 (वित्त वर्ष 2013-वित्त वर्ष 2015): एक राज्य के विभिन्न प्रायोजक बैंकों के RRB को एकीकृत किया गया। RRB की संख्या 82 से घटाकर 56 कर दी गई।
- चरण 3 (वित्त वर्ष 2019-वित्त वर्ष 2021): तीसरे चरण में OS-OR सिद्धांत पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें बड़े राज्यों में RRB को कम किया गया और उन्हें छोटे राज्यों में समेकित किया गया।
  - परिणामस्वरूप, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या वर्ष 2005 में 196 से घटकर मार्च 2021 तक 43 हो गई, जिससे **लाभप्रदता, पूंजी, परिसंपत्ति गुणवत्ता और व्यवसाय** में सुधार हुआ।
- **चरण 4 (वित्त वर्ष 2024-2025 के बाद से):** OS-OR के तहत, RRB के समेकन से कुल संख्या 43 से घटकर 28 हो गई है।
  - **प्रत्येक पुनर्गठित RRB की अधिकृत पूंजी 2,000 करोड़ रुपए होगी,** जो अपने-अपने राज्यों में ऋण विस्तार और आर्थिक सहायता के लिये एक मज़बूत आधार प्रदान करेगी।
- **प्रभाव:** वित्त वर्ष 2023-24 में, RRB ने 7,571 करोड़ रुपए का अपना अब तक का सबसे अधिक निवल लाभ दर्ज किया। OS-OR मॉडल से समावेशी ग्रामीण विकास को और बढ़ावा मिलने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

- **परिचय:** ग्रामीण ऋण पर नरसिम्हम समिति (1975) की सिफारिशों के बाद वर्ष 1975 में RRB की स्थापना की गई तथा RRB अधिनियम, 1976 के तहत इसे औपचारिक रूप दिया गया।
  - उनका उद्देश्य ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में छोटे एवं सीमांत किसानों, कृषि मज़दूरों, कारीगरों व छोटे उद्यमियों को ऋण तथा अन्य बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करना है।
  - पहला RRB प्रथमा बैंक था जिसका मुख्यालय **मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश** में था।
- **स्वामित्व:** RRB का स्वामित्व **भारत सरकार (50%), संबंधित राज्य सरकार (15%) और प्रायोजक बैंक (35%) के बीच साझा होता है।**
- **विनियमन:** क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को **बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949** के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है तथा नाबार्ड द्वारा उनकी निगरानी की जाती है।
  - कराधान के लिये, उन्हें **आयकर अधिनियम, 1961** के अंतर्गत सहकारी समितियों के रूप में माना जाता है।
- **प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (Priority Sector Lending):** भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) के लिये प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने हेतु एक बढ़ा हुआ लक्ष्य

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

निर्धारित किया है, जिसके अनुसार उन्हें अपने **समायोजित निवल बैंक ऋण (ANBC)** का 75% या ANBC अथवा ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोज़र (CEOBE) के ऋण समतुल्य, जो भी अधिक हो, का 75% **प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL)** के रूप में देना होगा।

- यह वाणिज्यिक बैंकों पर लागू 40% लक्ष्य के विपरीत है। RRB अपने प्राथमिकता वाले ऋण पोर्टफोलियो को **प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (PSLC)** के माध्यम से वाणिज्यिक बैंकों को बेच सकते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों (RRB) के समेकन के बावजूद क्या चुनौतियाँ बनी हुई हैं?

- **लागत अनुकूलन बनाम परिचालन सीमाएँ:** समेकन के बावजूद, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों (RRB) को उच्च परिचालन लागत का सामना करना पड़ रहा है। उदाहरण के लिये, वर्ष 2023-24 में **लागत/आय अनुपात 77.4%** और **वेतन/परिचालन खर्च अनुपात 72%** था, जो अक्षमता को दर्शाता है।
  - लागत अनुकूलन महत्त्वपूर्ण है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) विलय के बाद संयुक्त शाखाओं और कर्मचारियों का प्रभावी रूप से प्रबंधन कर सकता है। कुछ शाखाओं को बंद करना अपरिहार्य हो सकता है, लेकिन कर्मचारियों के समायोजन में मतभेद और टकराव उत्पन्न हो सकते हैं।
  - तकनीकी प्रगति के बावजूद, ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन और साक्षरता के निम्न स्तर के कारण ग्रामीणों के साथ प्रत्यक्ष संवाद अत्यावश्यक है, जिससे संचालन लागत में वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त, नई तकनीकों को अपनाना, विशेषकर साइबर सुरक्षा को सुनिश्चित करना, RRB के लिये बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता उत्पन्न करता है।
- **संकेंद्रण जोखिम:** यदि किसी राज्य का कृषि क्षेत्र विफल हो जाता है, तो एकल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) को संपूर्ण नुकसान का भार वहन करना पड़ेगा। यह स्थिति पूर्ववर्ती मॉडल से भिन्न है, जिसमें जोखिम कई RRB के बीच वितरित होते थे।
  - यह संकेंद्रण क्षेत्रीय आर्थिक कमज़ोरियों को और गंभीर बना सकता है, विशेष रूप से तब जब किसी विशिष्ट क्षेत्र में आर्थिक गिरावट आती है।
- अंतर-सरकारी और विनियामक चुनौतियाँ: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) की त्रिस्तरीय स्वामित्व संरचना (केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और प्रायोजक बैंक) तथा दो विनियामक प्राधिकरण (भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)) प्रशासनिक जटिलताओं और निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में धीमापन उत्पन्न करते हैं, जिससे RRB की प्रभावशीलता बाधित होती है।
  - स्वामित्व और नियामकों की इस बहुलता से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) की शासन संरचना जटिल हो जाती है, जिससे उनके प्रबंधन में अक्षमता और कार्यकुशलता में कमी उत्पन्न होती है।
- **आर्थिक व्यवहार्यता और क्षेत्रीय संदर्भ:** एक राज्य–एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (OS-OR) मॉडल के तहत RRB की संख्या में कमी आर्थिक दृष्टि से उचित है, लेकिन एक समान समाधान सभी राज्यों के लिये कारगर नहीं हो सकता। इसलिये, समेकन प्रक्रिया में प्रत्येक राज्य की विशिष्ट अर्थव्यवस्था, जनसांख्यिकी और भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखना अनिवार्य है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न: एक राज्य–एक आरआरबी नीति का क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) की संचालन क्षमता और आर्थिक व्यवहार्यता पर क्या प्रभाव पड़ा है? समेकन के बावजूद कौन-कौन सी चुनौतियाँ बनी हुई हैं? विश्लेषण कीजिये

फैटी लिवर के उपचार के लिये सेमाग्लूटाइड

चर्चा में क्यों?

एक नए अध्ययन में पाया गया है कि **सेमाग्लूटाइड** (जो **ओज़ेम्पिक** और **वेगोवी** जैसी **वज़न घटाने** और **मधुमेह की दवाओं** में प्रयुक्त होता है) फैटी लिवर डिज़ीज़ के उपचार में भी प्रभावी है,

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

जिसे **मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीटोहेपेटाइटिस (MASH)** के नाम से भी जाना जाता है।

सेमाग्लूटाइड क्या है?

- **सेमाग्लूटाइड:** सेमाग्लूटाइड एक **ग्लूकागॉन-से मिलता-जुलता पेप्टाइड-1 (GLP-1) रिसेप्टर एगोनिस्ट** है। इसका मुख्य रूप से उपयोग टाइप 2 मधुमेह और मोटापे के प्रबंधन में किया जाता है।
  - सेमाग्लूटाइड GLP-1 नामक हार्मोन की क्रिया की नकल करता है, जो भोजन के बाद **इंसुलिन स्राव** को बढ़ाकर, ग्लूकागॉन के स्राव को रोककर तथा **गैस्ट्रिक एंप्टींग** (पाचन प्रक्रिया के दौरान पेट से आँतों में भोजन के जाने की गति) को धीमा करके रक्त शर्करा के स्तर को घटाने में सहायता करता है।
- **दुष्प्रभाव:** सेमाग्लूटाइड से जुड़े सामान्य दुष्प्रभावों में **मतली, उल्टी, दस्त, कब्ज़** और **पेट में असहजता** शामिल हैं।
  - यह उन व्यक्तियों के लिये **निषिद्ध (चिकित्सकीय रूप से अनुशंसित नहीं)** है जिनके **व्यक्तिगत या पारिवारिक इतिहास में मेडुलरी थायरॉयड कैंसर या मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेसिया टाइप 2** रहा हो।

नॉन-एल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़ क्या है?

- **फैटी लिवर डिज़ीज़:** **फैटी लिवर डिज़ीज़ (हेपेटिक स्टीएटोसिस) यकृत कोशिकाओं में अत्यधिक वसा के जमा** होने की स्थिति है।
  - यह स्थिति तब होती है जब **वसा यकृत कोशिकाओं (हेपाटोसाइट्स) के 5% से अधिक** हो जाती है, जिससे यकृत की कार्यप्रणाली और चयापचय प्रभावित होते हैं।
  - यह दो प्रकार का होता है — **नॉन-एल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़ (NAFLD)** और **एल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़ (AFLD)**।
- **नॉन-एल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़ (NAFLD) या मेटाबॉलिक डिसफंक्शन-एसोसिएटेड स्टीएटोटिक लिवर डिज़ीज़ (MASLD):** मेटाबॉलिक डिसफंक्शन-एसोसिएटेड स्टीएटोटिक लिवर डिज़ीज़ (MASLD), जिसे पहले नॉन-अल्कोहॉलिक फैटी लिवर डिज़ीज़ (NAFLD) के रूप में जाना जाता था, ऐसी स्थिति है जिसमें अत्यधिक **एल्कोहल सेवन के बिना ही** यकृत में वसा जमा हो जाती है, और समय के साथ यह गंभीर यकृत क्षति का कारण बन सकती है।
  - भारत में इसकी विद्यमानता अनुमानत: **9% से 32%** के बीच है।
  - **MASLD के 4 चरण:**
    - **नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर (NAFL):** इसमें यकृत (लिवर) में वसा जमा हो जाती है लेकिन **इससे कोई नुकसान या सूजन नहीं होती।** जिससे सामान्यत: **बढ़े हुए यकृत के कारण असुविधा होती है।**
    - **नॉन-एल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस (NASH) या मेटाबोलिक डिसफंक्शन-एसोसिएटेड स्टीटोहेपेटाइटिस (MASH):** यह एक अधिक गंभीर अवस्था है, जिसमें **यकृत में सूजन, ऊतक क्षति (फाइब्रोसिस/स्कैरिंग) होती है और यह हृदय व गुर्दे की समस्याओं से जुड़ी होती है।** लगभग 25% मामलों में यह **सिरोसिस या यकृत कैंसर** तक बढ़ सकता है।
    - **फाइब्रोसिस: दीर्घकालिक सूजन के** कारण यकृत में घाव बन जाते हैं, जिससे इसकी कार्य करने की क्षमता प्रभावित होती है।
    - **सिरोसिस:** सबसे गंभीर अवस्था जिसमें **यकृत पर स्थायी निशान पड़ जाते हैं, सिकुड़ जाता है और यकृत के खराब होने के साथ कैंसर की संभावना हो जाती है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

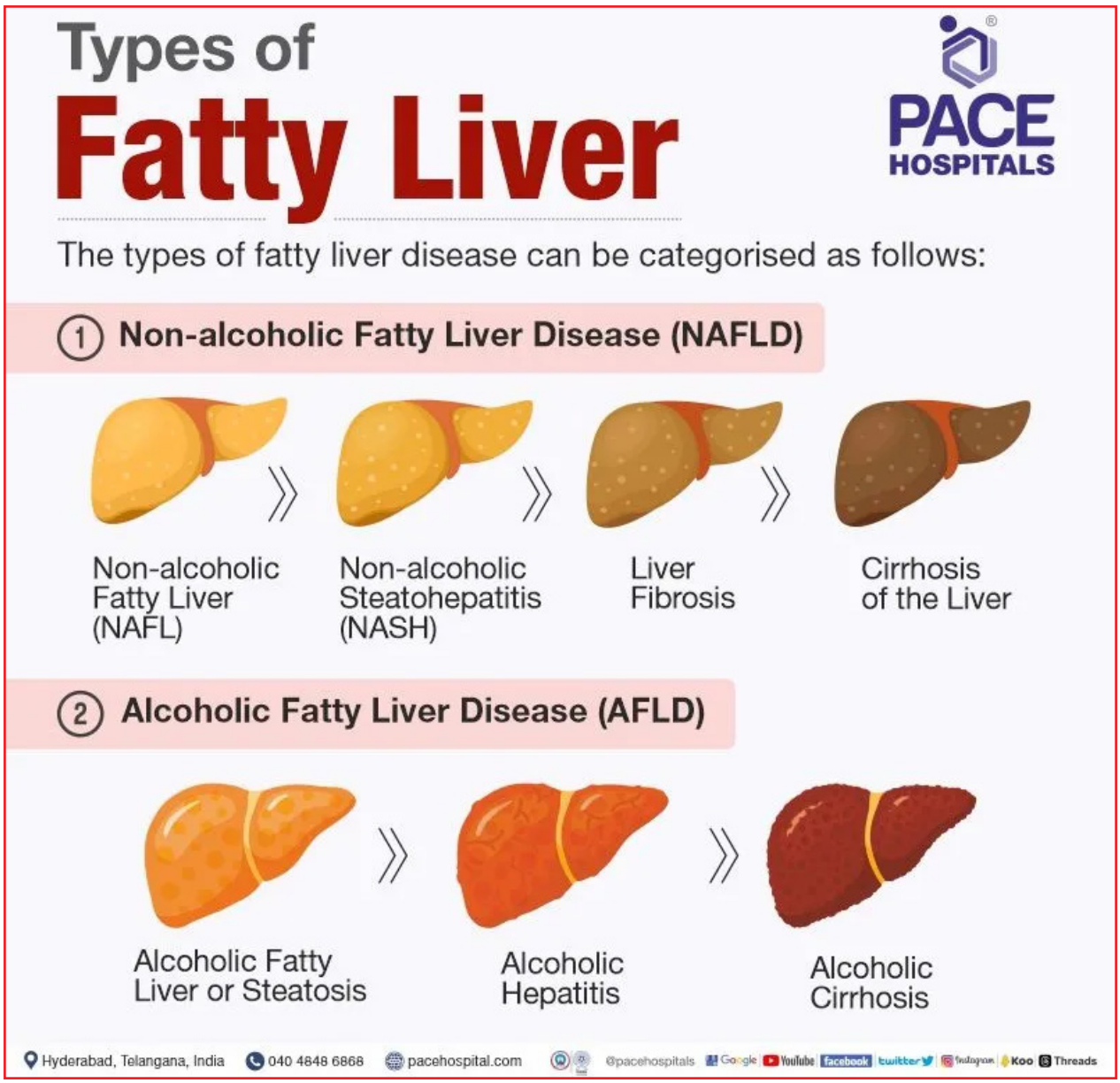
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:



- **एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ (AFLD):** AFLD, जिसे **एल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस** भी कहा जाता है, **अत्यधिक अल्कोहल के सेवन (पुरुषों में ≥ 40 ग्राम/दिन, महिलाओं में ≥ 20 ग्राम/दिन) के कारण होता है,** जिससे यकृत में वसा जमा होने लगती है।
  - यकृत में अल्कोहल के चयापचय (मेटाबोलिज्म) से **विषाक्त यौगिक बनते हैं** जो यकृत की कोशिकाओं को नुकसान पहुँचाते हैं, **सूजन को बढ़ाते हैं** और शरीर की प्राकृतिक रक्षा प्रणाली को कमज़ोर कर देते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **फैटी लिवर रोग का उपचार:** प्राथमिक उपचार **आहार, व्यायाम या दवा** के माध्यम से वज़न कम करना है।
  - **GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट:** ये दवाएँ आंतों के हार्मोन को नियंत्रित करके भूख और वसा भंडारण को नियंत्रित करती हैं, जिससे **वज़न कम करने में सहायता मिलती है।**
  - **रेस्मेटिरोम:** यह **थायरॉइड हार्मोन** आधारित दवा है जो विशेष रूप से **यकृत वसा को लक्षित करती है,** हालाँकि यह महंगी है।
  - **FGF21 दवाएँ:** ये दवाएँ वसा संचय को कम करने और चयापचय स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिये **वसा ऊतकों को लक्षित करती हैं।**
  - **टिर्ज़ेपेटाइड:** एक **दोहरी क्रिया वाली दवा जो वज़न घटाने में सहायता करती है, मधुमेह प्रबंधन में सहायता करती है** और **स्लीप एपनिया के उपचार में संभावित लाभ दर्शाती है।**

भारत में स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने की प्रमुख पहलें क्या हैं?

- ईट राइट मेला
- फिट इंडिया मूवमेंट
- ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन
- मिशन पोषण 2.0
- पोषण वाटिकाएँ
- यूनिफाइड इंडिया ऑर्गेनिक

ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना

चर्चा में क्यों?

मध्य प्रदेश और **महाराष्ट्र ने मध्य प्रदेश में ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को** संयुक्त रूप से कार्यान्वित करने के लिये एक **समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये हैं।** यह विश्व की सबसे बड़ी **भूजल पुनर्भरण (Groundwater Recharge) योजना** है, जिसका उद्देश्य दोनों राज्यों में सिंचाई हेतु नदी जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करना है।

ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना क्या है?

- **परिचय:** यह एक **संयुक्त अंतर-राज्यीय भूजल पुनर्भरण पहल है,** जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र संयुक्त रूप से मुलताई, मध्य प्रदेश से निकलने वाली ताप्ती नदी की तीन उपधाराओं का विकास किया जाएगा।
  - यह **केन-बेतवा लिंक परियोजना** (मप्र और उत्तर प्रदेश) और **पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना** (मप्र और राजस्थान) के बाद मध्य प्रदेश से जुड़ी **तीसरी प्रमुख अंतर-राज्यीय नदी परियोजना है।**
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - **जल आवंटन:** इस परियोजना के अंतर्गत ताप्ती नदी से **पूर्वोत्तर महाराष्ट्र** में पेयजल आपूर्ति तथा **दक्षिण एवं दक्षिण-पूर्वी मध्य प्रदेश** में सिंचाई सहायता हेतु जल स्थानांतरित कर आपूर्ति की जाएगी।
    - उपयोग हेतु कुल जल **31.13 हजार मिलियन क्यूबिक फीट (टीएमसी) है,** जिसमें से **11.76 टीएमसी मध्य प्रदेश को** और **19.36 टीएमसी महाराष्ट्र के लिये आवंटित है।**
    - इस परियोजना में मध्य प्रदेश-महाराष्ट्र सीमा पर **एक डायवर्जन वियर का निर्माण तथा दोनों राज्यों में दाएँ और बाएँ किनारे की नहरों का विकास शामिल है।**
    - इस **परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की 3,362 हेक्टेयर भूमि का उपयोग किया जाएगा,** जिसके लिये किसी विस्थापन या पुनर्वास की आवश्यकता नहीं होगी।
  - **लाभार्थी ज़िले:** यह परियोजना **मध्य प्रदेश के बुरहानपुर और खंडवा तथा महाराष्ट्र के अकोला, अमरावती और बुलढाणा ज़िलों को कवर करती है,** जो पारंपरिक रूप से **भूजल संकट** और **अनियमित वर्षा** की समस्या से ग्रसित रहे हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

क्रिटिकल मिनिरल्स पर चीन का निर्यात प्रतिबंध

चर्चा में क्यों?

भारत अर्द्धचालकों के लिये आवश्यक एक **क्रिटिकल मिनिरल जर्मेनियम** के **निर्यात प्रतिबंधों** को लेकर **चीन से वार्ता** कर रहा है।

- **चीन,** जो **विश्व के आधे से अधिक जर्मेनियम** का उत्पादन करता है, ने इस क्रिटिकल मिनिरल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे भारत में उन उद्योगों पर प्रभाव पड़ा है जो आयात पर निर्भर हैं।
- ये निर्यात प्रतिबंध चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा, अमेरिका द्वारा लगाए गए शुल्कों का प्रतिकार करने, और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर अपना नियंत्रण मज़बूत करने की रणनीति का हिस्सा हैं।

जर्मेनियम:

- **परिचय:** यह एक **चमकदार**, **कठोर**, **रजत-सफेद अर्द्ध-धातु** है जिसकी **क्रिस्टलीय संरचना हीरे** के समान होती है।
- **उपयोग:** इसका व्यापक रूप से **इलेक्ट्रॉनिक्स** और **ऑप्टिक्स** में उपयोग होता है, विशेष रूप से **फाइबर-ऑप्टिक केबलों**, **इन्फ्रारेड इमेजिंग उपकरणों** और **फाइबर-ऑप्टिक प्रीफॉर्म्स** में, जो इंटरनेट अवसंरचना के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।
  - यह सौर कोशिकाओं (solar cells) में भी उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें ऊष्मा प्रतिरोधकता (heat resistance) और उच्च ऊर्जा रूपांतरण दक्षता (higher energy conversion efficiency) होती है।
- **वैश्विक उत्पादन:** चीन **विश्व का सबसे बड़ा जर्मेनियम उत्पादक** और **निर्यातक** है, जो **वैश्विक जर्मेनियम उत्पादन का 60%** हिस्सा प्रदान करता है।



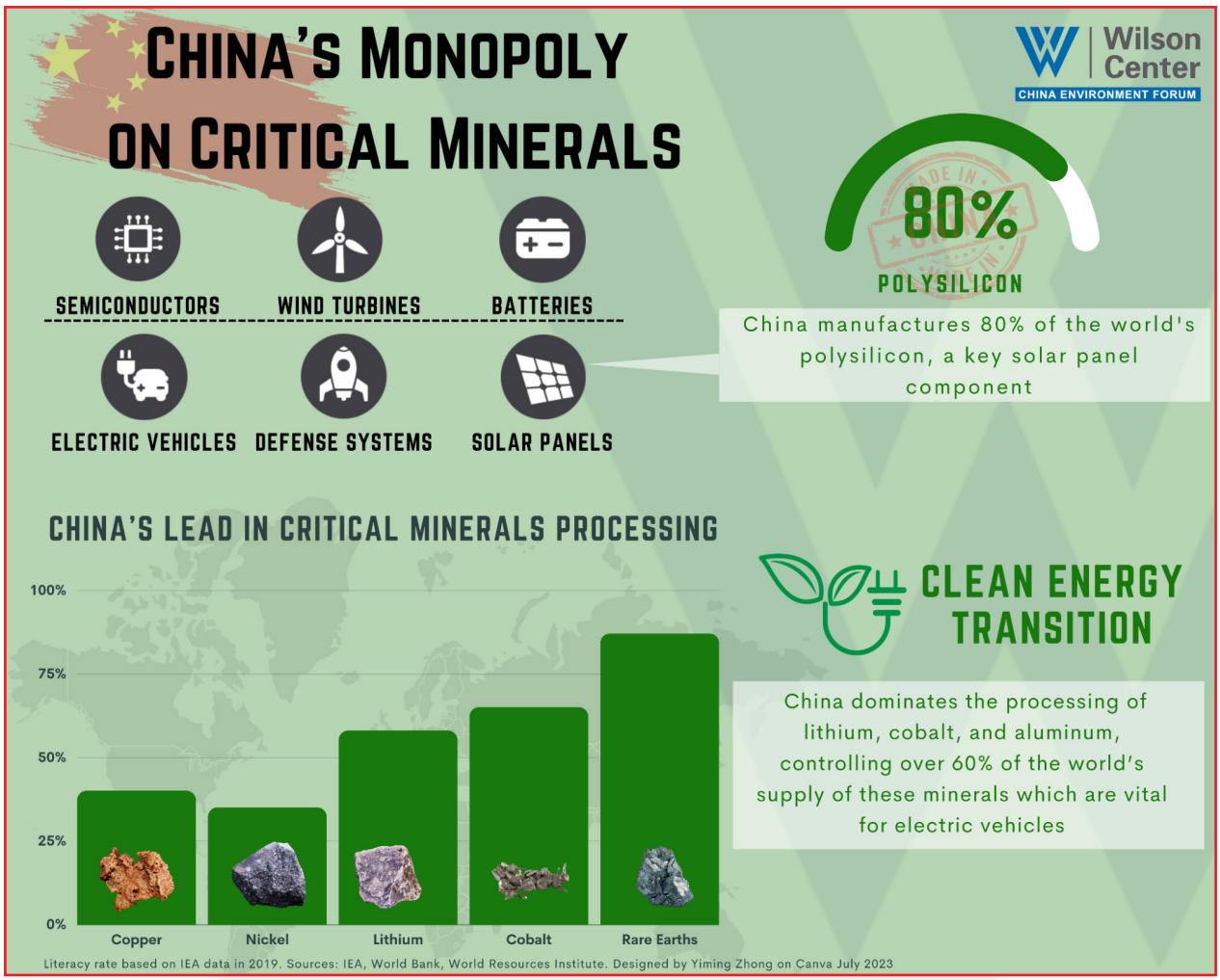
क्रिटिकल मिनिरल क्या हैं?

- **परिचय:** ताँबा, लिथियम, निकेल, कोबाल्ट और दुर्लभ पृथ्वी तत्त्व जैसे क्रिटिकल मिनिरल आज की तेज़ी से बढ़ती ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के आवश्यक घटक हैं, जिनमें विंड टर्बाइन और विद्युत नेटवर्क से लेकर इलेक्ट्रिक वाहन तक शामिल हैं।
  - भारत ने **30 क्रिटिकल मिनरल्स की पहचान की है, जिनमें एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट** और **जर्मेनियम** शामिल हैं ।
  - **चीन दुर्लभ मृदा** सहित कई क्रिटिकल मिनरल्स के वैश्विक प्रसंस्करण में योगदान देता है **तथा प्रसंस्करण क्षमता का** अनुमानत: 80-90% हिस्सा चीन के नियंत्रण में है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:



- **भारत के लिये महत्त्व: वे नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिये महत्त्वपूर्ण हैं, जिनकी** विश्व भर के देशों की **"नेट ज़ीरो" प्रतिबद्धताओं** को पूरा करने के लिये आवश्यकता होगी।
  - क्रिटिकल मिनरल **EV, सौर पैनल और इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने के लिये आवश्यक हैं।**
    - भारत का **EV बाज़ार वर्ष 2030 तक 49% CAGR की दर से बढ़कर 1 करोड़ वार्षिक बिक्री** तक पहुँच जाएगा, जिससे क्रिटिकल मिनरल्स और **उन्नत रसायन सेल (ACC)** बैटरियों की मांग तेज़ी से बढ़ेगी।
  - क्रिटिकल मिनरल **AI, रोबोटिक्स और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देते हैं, जो** तकनीकी **आत्मनिर्भरता के लिये** भारत के **आत्मनिर्भर भारत** दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं।
  - आर्थिक **सर्वेक्षण 2022-23 में** चेतावनी दी गई है कि वे कच्चे तेल की तरह **भू-राजनीतिक विवाद का विषय बन सकते हैं।**
- **भारत की निर्भरता:** भारत क्रिटिकल मिनरल्स के लिये आयात पर बहुत अधिक निर्भर है, विशेष रूप से चीन से।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **बिस्मथ, लिथियम और सिलिकॉन** सहित ये खनिज फार्मास्यूटिकल्स, अर्धचालक और एयरोस्पेस जैसे उद्योगों के लिये आवश्यक हैं।

क्रम संख्या	क्रिटिकल मिनरल्स	प्रतिशत (2020)	प्रमुख आयात स्रोत (2020)
1	लिथियम	100%	चिली, रूस, चीन, आयरलैंड, बेल्जियम
2	कोबाल्ट	100%	चीन, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, अमेरिका, जापान
3	निकेल	100%	स्वीडन, चीन, इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस
4	वैनाडियम	100%	कुवैत, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, चीन, अमेरिका
5	नियोबियम	100%	ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया
6	जर्मेनियम	100%	चीन, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, फ्राँस, अमेरिका
7	रूबिडियम	100%	रूस, यूके, नीदरलैंड्स, दक्षिण अफ्रीका, चीन
8	बेरिलियम	100%	रूस, यूके, नीदरलैंड्स, दक्षिण अफ्रीका, चीन
9	टैंटलम	100%	ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, अमेरिका
10	स्ट्रॉन्शियम	100%	चीन, अमेरिका, रूस, एस्टोनिया, स्लोवेनिया
11	ज़िरकोनियम	100%	ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, अमेरिका
12	ग्रेफाइट (प्राकृतिक)	60%	चीन, मेडागास्कर, मोज़ाम्बिक, वियतनाम, तंज़ानिया
13	मैंगनीज़	50%	दक्षिण अफ्रीका, गैबॉन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन
14	क्रोमियम	2.5%	दक्षिण अफ्रीका, मोज़ाम्बिक, ओमान, स्विट्ज़रलैंड, तुर्किये
15	सिलिकॉन	<1%	चीन, मलेशिया, नॉर्वे, भूटान, नीदरलैंड्स

भारत में क्रिटिकल मिनरल्स के प्रमुख अनुप्रयोग और उपलब्धता क्या हैं?

क्र. सं.	क्रिटिकल मिनिरल	प्रमुख अनुप्रयोग	भारत में उपलब्धता
1	कैडमियम	विद्युत उपकरण, रासायनिक उत्पाद, **सौर सेल,** इलेक्ट्रोप्लेटिंग एवं सिल्वर सोल्डरिंग का निर्माण	**कैडमियम जस्ता प्रगलन और शोधन** के दौरान एक उप-उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है।
2	कोबाल्ट	इलेक्ट्रिक वाहन (EV), बैटरी, संक्षारण प्रतिरोधी मिश्र धातु, एयरोस्पेस अनुप्रयोग, रंग और रंजक, कार्बनिक एवं अकार्बनिक रासायनिक यौगिक।	उपलब्ध नहीं है। वर्तमान आवश्यकताएँ आयात के माध्यम से पूरी की जाती हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

3	ताँबा	इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, सौर पैनल, **ऑटोमोटिव उद्योग।**	वर्तमान तांबा सांद्र उत्पादन, तांबा प्रगलन संयंत्रों और रिफाइनरियों **की मांग का केवल 4% ही पूरा करता है, जिसके लिये भारी मात्रा में आयात की आवश्यकता होती है।**
4	गैलियम	अर्धचालक, **एकीकृत सर्किट,** एल.ई.डी., विशेष थर्मामीटर, बैरोमीटर सेंसर।	**एल्युमिना के उत्पादन के दौरान** गैलियम को एक उप-उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है। दो संयंत्रों, अर्थात् उत्तर प्रदेश के रेणुकूट स्थित हिंडाल्को और ओडिशा के नाल्को दामनजोड़ी एल्यूमिना रिफाइनरी, ने अतीत में गैलियम की खोज की थी।
5	जर्मेनियम	**ऑप्टिकल फाइबर**, सैटेलाइट, सोलर सेल, **इन्फ्रारेड नाइट विज़न सिस्टम।**	उपलब्ध नहीं है। वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति आयात से की जाती है।
6	ग्रेफाइट	बैटरी, **स्नेहक**, EV के लिये ईंधन सेल, इलेक्ट्रिक वाहन	9 मिलियन टन का भंडार मौजूद है।
7	लिथियम	इलेक्ट्रिक वाहन, **रिचार्जेबल बैटरी**, काँच के बने पदार्थ, सिरेमिक, ईंधन विनिर्माण, स्नेहक।	**जम्मू-कश्मीर के रियासी ज़िले** के सलाल-हेमाना क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन के अनुमानित संसाधन पाए गए हैं।
8	निकल	स्टेनलेस स्टील, सोलर पैनल, बैटरी, एयरोस्पेस, रक्षा अनुप्रयोग, इलेक्ट्रिक वाहन।	वेदांता का गोवा में निकोमेट नाम से निकल और कोबाल्ट संयंत्र है।
9	रेयर अर्थ एलिमेंट्स (REE)	स्थायी चुंबक, उत्प्रेरक, पॉलिशिंग, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा तकनीक, पवन ऊर्जा, विमानन और अंतरिक्ष	भारत में समुद्र तट की रेत से प्राप्त मोनाजाइट का अनुमानित संसाधन 11.93 मिलियन टन है, जिसमें 55%–65% रेयर अर्थ ऑक्साइड्स होते हैं।
10	सिलिकॉन	अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिक्स और परिवहन उपकरण, पेंट, एल्युमिनियम मिश्रधातु	भारत ने वर्ष 2022 के अनुसार 59,000 मीट्रिक टन सिलिकॉन का उत्पादन किया और उत्पादन में 12वें स्थान पर है।

क्रिटिकल मिनरल्स में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये भारत की पहल क्या हैं?

- **नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन**
- **खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (KABIL)**
- **खनिज सुरक्षा साझेदारी (MSP)**
- **ऑस्ट्रेलिया के साथ निवेश साझेदारी**
- **खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में 2023 संशोधन**
- **भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) द्वारा अन्वेषण परियोजनाएँ**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

रैपिड फायर

सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2025

भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच **संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2025** का छठा संस्करण **पुणे** में संपन्न हुआ। इस **अभ्यास का वर्ष 2024** का संस्करण उज़्बेकिस्तान के टर्मेज़ में हुआ था।

अभ्यास डस्टलिक 2025

- **सैन्य अभ्यास डस्टलिक** (उज्बेक में इसका अर्थ '**दोस्ती**' है) भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच क्रमिक रूप से आयोजित किया जाने वाला एक **वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास** है।
- इसमें भारतीय दल में **जाट रेजिमेंट** और भारतीय **वायु सेना की एक बटालियन** के साथ दूसरी ओर से **उज़्बेकिस्तान सेना** ने प्रतिनिधित्व किया।
- इस अभ्यास में **अर्द्ध-नगरीय परिदृश्य में संयुक्त बहु-डोमेन उप-परंपरागत ऑपरेशनों** पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें **क्षेत्र पर कब्जा करने** से संबंधित **आतंकवादी गतिविधियों** की प्रतिक्रिया का अनुकरण किया गया।
- इसमें **आतंकवाद विरोधी अभियानों, संयुक्त संचालन केंद्र, जनसंख्या नियंत्रण, छापामारी** तथा **खोज-और-नष्ट मिशन** पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसका उद्देश्य **अंतर-संचालन को बढ़ावा देना** एवं **भारत-उज़्बेकिस्तान रक्षा संबंधों को मज़बूत** करना था।

उज़्बेकिस्तान

- उज़बेकिस्तान मध्य एशिया में **सीर दरिया** और **अमु दरिया नदियों** के बीच स्थित है। इसकी सीमाएँ **कज़ाखस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान** से मिलती हैं।

वायुसेना मार्शल अर्जन सिंह की जयंती

भारतीय वायु सेना के **मार्शल अर्जन सिंह** की **106वीं जयंती** दिल्ली के आस्था वृद्धाश्रम में उनकी **आवक्ष प्रतिमा (पत्थर की प्रतिमा)** के अनावरण के साथ मनाई गई।

वायुसेना मार्शल अर्जन सिंह

- उनका **जन्म 1919** में लायलपुर (वर्तमान पाकिस्तान) में हुआ था, उन्हें **वर्ष 1939** में **रॉयल इंडियन एयर फोर्स** में नियुक्त किया गया था और **द्वितीय विश्व युद्ध** के दौरान **बर्मा अभियान** में उनकी भूमिका के लिये उन्हें **विशिष्ट फ्लाइंग क्रॉस (DFC)** से सम्मानित किया गया था।
  - वर्ष 1964 में 44 वर्ष की आयु में उन्होंने **वायु सेना प्रमुख** का पद ग्रहण किया।
- **वर्ष 1965** के **भारत-पाक युद्ध** के दौरान, उनके निर्णायक नेतृत्व के परिणामस्वरूप **भारतीय वायुसेना द्वारा अखनूर में हुए पाकिस्तान के आक्रमण का कुछ ही समय में प्रतिरोध कर उसका दमन करने में सफलता मिली,** जिसके लिये उन्हें **पद्म विभूषण** से सम्मानित किया गया।
- वर्ष 2002 में, वह **वायुसेना के मार्शल की फाइव स्टार रैंक** से सम्मानित होने वाले **एकमात्र भारतीय वायुसेना अधिकारी** बने।
- सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने दिल्ली के **राजदूत** और **उपराज्यपाल** के रूप में कार्य किया।

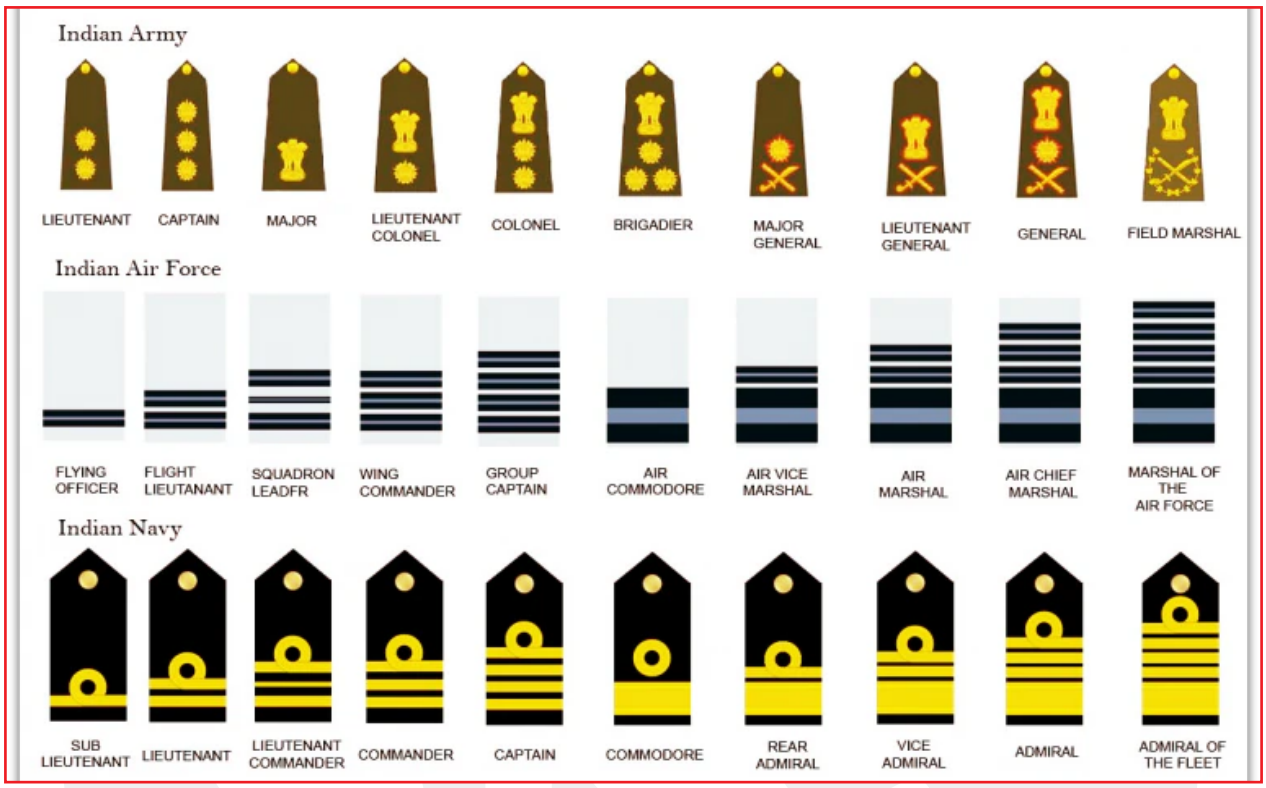
भारतीय सशस्त्र बलों में फाइव स्टार रैंक

- भारतीय सशस्त्र बलों में फाइव स्टार रैंक- **फील्ड मार्शल (थल सेना), मार्शल ऑफ द एयर फोर्स (वायु सेना),** और **एडमिरल ऑफ द फ्लीट (नौसेना) सर्वोच्च सैन्य सम्मान** का प्रतिनिधित्व करते हैं और **विशिष्ट सेवा** के लिये प्रदान किये जाते हैं।
- ये रैंक अत्यंत **दुर्लभ अथवा विशिष्ट स्थितयों में ही प्रदान किये जाते हैं और इन्हें अधिकारियों के संपूर्ण जीवनकाल के लिये बरकरार रखा जाता है,** तथा अधिकारियों को **मृत्यु तक सेवारत कार्मिक** माना जाता है।
- **फील्ड मार्शल** का पद केवल **के.एम. करिअप्पा** और **सैम मानेकशॉ** को दिया गया है, जबकि **एडमिरल ऑफ द फ्लीट** अभी तक किसी को प्रदान नहीं किया गया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :



टिड्डी दल

एक नए अध्ययन से पता चला है कि **टिड्डी दल** यादृच्छिक व्यवहार से नहीं, बल्कि संज्ञानात्मक निर्णय लेने वाले मॉडल द्वारा निर्देशित होते हैं। टिड्डे अपनी गति के लिये अनेक दृश्य संकेतों का उपयोग करते हैं, जिससे विकेंद्रित निर्णय-प्रक्रिया के माध्यम से समन्वित दल बनते हैं। यह मॉडल दल के व्यवहार का पूर्वानुमान लगाने और प्रारंभिक हस्तक्षेप रणनीतियों को बेहतर बनाने में मदद करता है।

टिड्डियाँ

- टिड्डियाँ एक प्रकार के तृण-भोजी परिंग (Grasshopper) हैं जो ***एक्रिडिडे (Acrididae) कुल*** से संबंधित हैं। रेगिस्तानी टिड्डियों (***Schistocerca Gregaria***) को सबसे विनाशकारी प्रवासी कीट माना जाता है।
- टिड्डियाँ तब तक एकांतवासी कीट होती हैं, जब तक कि उनमें **समूहीकरण** नामक परिवर्तन नहीं आ जाता, जिसके बाद वे अधिक सामाजिक हो जाते हैं और बड़े दलों में एकत्र होते हैं।
- एक छोटे दल (1 वर्ग किमी) में **80 मिलियन टिड्डियाँ** हो सकती हैं, जो एक दिन में 35,000 लोगों के बराबर भोजन खा जाती हैं, जबकि **एक बड़ा दल 1.8 मिलियन मीट्रिक टन वनस्पति** खा सकता है।
- टिड्डियाँ प्रवासी कीट हैं जो दल में सैकड़ों किलोमीटर तक उड़ने में सक्षम हैं। वे एक सीमा पार के कीट हैं जो अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया के बीच यात्रा करते हैं।
- भारत का अनुसूचित रेगिस्तानी क्षेत्र, जिसमें राजस्थान, गुजरात और हरियाणा राज्य शामिल हैं, 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, विशेष रूप से टिड्डियों के आक्रमण के प्रति संवेदनशील है, जो प्राय: अफ्रीका और खाड़ी जैसे क्षेत्रों से आते हैं।
- भारत में **रेगिस्तानी टिड्डी** (Schistocerca Gregaria), **प्रवासी टिड्डी** (Locusta Migratoria), **बॉम्बे टिड्डी** (Nomadacris Succincta), और **ट्री टिड्डी** (Anacridium Sp.) रिपोर्ट की गई है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

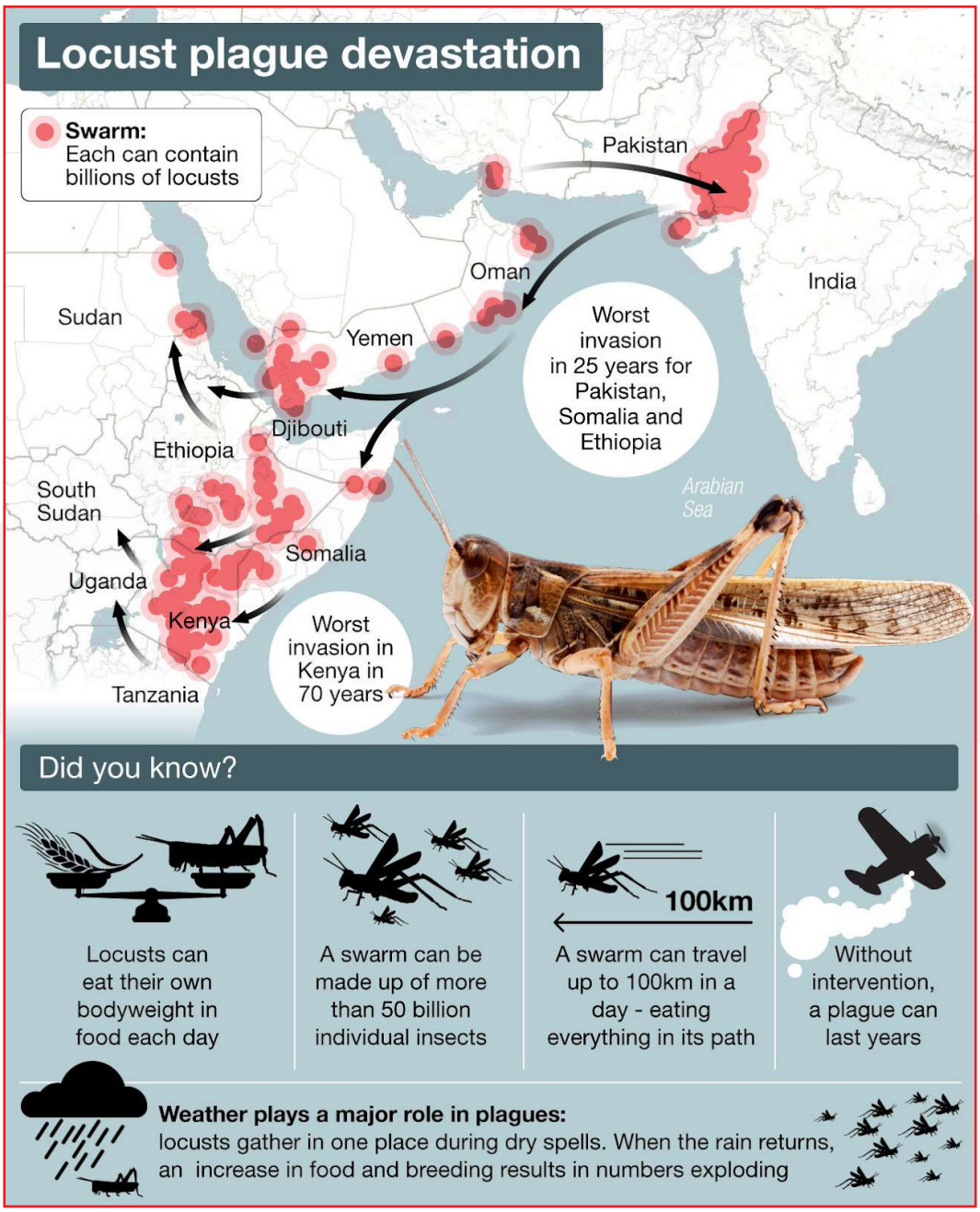
UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट :

- भारत का **टिड्डी चेतावनी संगठन,** राजस्थान और गुजरात में 10 टिड्डी सर्किल कार्यालयों के साथ मिलकर अनुसूचित रेगिस्तानी क्षेत्र में राज्य सरकारों के समन्वय से रेगिस्तानी टिड्डियों की निगरानी, सर्वेक्षण और नियंत्रण करता है।



दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड

सरकार ने **राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (NSAB)** का पुनर्गठन किया है जिसमें नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है। इसमें पूर्व **रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (R&AW)** प्रमुख आलोक जोशी को अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा 7 अन्य सदस्य भी शामिल हैं। ऐसा **पहलगाम आतंकी हमले** पर भारत की प्रतिक्रिया पर बढ़ती चर्चाओं के बीच किया गया है।

- **राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड: वर्ष 1998** में स्थापित, यह **राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) के अधीन** कार्यरत है तथा दो अन्य प्रमुख निकायों; **सामरिक नीतिगत समूह (SPG)** और **संयुक्त खुफिया समिति (JIC)** के साथ मिलकर कार्य करता है।
- **कार्य:** NSAB द्वारा **राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC)** को बाहरी खतरों, आंतरिक स्थिरता और उभरती चुनौतियों पर सलाह दी जाती है। इसके द्वारा **स्वतंत्र, दीर्घकालिक विश्लेषण** प्रदान करने के साथ नीतिगत विकल्पों की सिफारिश की जाती है।
  - **NSAB ने परमाणु नीति (2001)** और **राष्ट्रीय सुरक्षा समीक्षा (2007)** में योगदान दिया है।
- **संरचना:** NSAB का नेतृत्व एक **अध्यक्ष** द्वारा किया जाता है जो आमतौर पर एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी होता है और इसमें कूटनीति, सैन्य, शिक्षा, अर्थशास्त्र तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे विविध क्षेत्रों के सदस्य शामिल होते हैं।
  - **NSAB में सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं** होती है जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं के आधार पर इसके गठन में लचीलापन बना रहता है।
- **कार्यकाल:** बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति **दो वर्ष के कार्यकाल** के लिये की जाती है।

एम्डेन डीप

फिलीपींस ट्रेंच में स्थित एम्डेन डीप, **चैलेंजर डीप (मारियाना ट्रेंच) और होराइजन डीप (टोंगा ट्रेंच)** के बाद विश्व का तीसरा सबसे गहरा बिंदु है।

- एम्डेन **डीप** (जिसे गैलाथिया डीप के नाम से भी जाना जाता है) की खोज सबसे पहले **वर्ष 1927 में जर्मन जहाज एम्डेन** द्वारा हुई थी। **आगे चलकर वर्ष 1951 में डेनिश जहाज गैलाथिया** द्वारा इसका और विस्तार से अन्वेषण किया गया और इसका नाम परिवर्तित किया गया।
  - एम्डेन **डीप** का नाम **जर्मन क्रूज़र SMS एम्डेन** के नाम पर रखा गया है जिसके द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान चेन्नई (तब मद्रास) पर बमबारी की गई थी।
- **फिलीपींस ट्रेंच: फिलीपींस ट्रेंच पश्चिमी प्रशांत महासागर** में एक **संकीर्ण, गहरा समुद्री** गर्त है, जो **फिलीपींस सागर** के पूर्व में स्थित है।
  - प्लियो-प्लीस्टोसिन युग के दौरान लगभग 8-9 मिलियन वर्ष पूर्व निर्मित यह गर्त भूकंपीय दृष्टि से सक्रिय क्षेत्र है, जहाँ टेक्टोनिक प्लेटों के अभिसरण के कारण अक्सर भूकंप आते रहते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

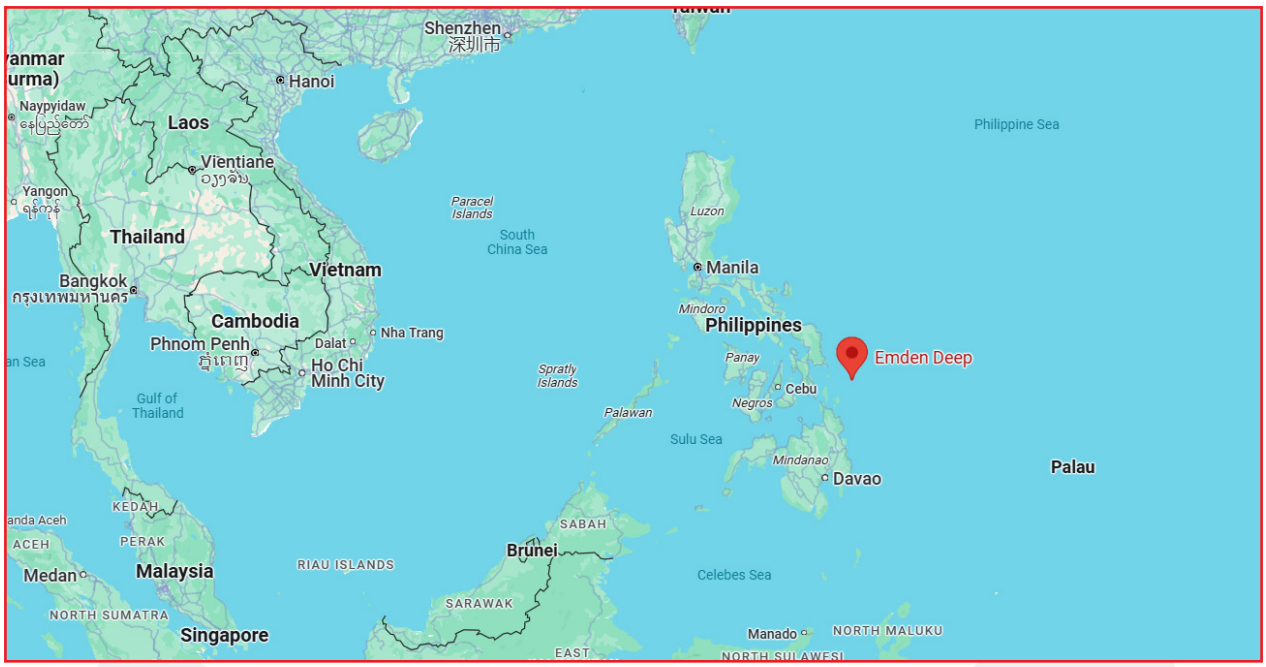
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :



आगामी जनगणना में जाति गणना

राजनीतिक कार्य मंत्रिमंडलीय समिति (प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में) ने आगामी **जनगणना** में **जाति गणना** को शामिल किये जाने को स्वीकृति दे दी है।

- **जाति संबंधी आँकड़ों का ऐतिहासिक संदर्भ:** अंतिम विस्तृत जाति संबंधी आँकड़े **1931 की जनगणना** में दर्ज किये गए थे। हालाँकि **1941 की जनगणना** में भी जाति संबंधी जानकारी एकत्र की गई थी, लेकिन **द्वितीय विश्व युद्ध** शुरू होने के कारण इसे जारी नहीं किया गया था।
  - वर्ष 1951 से भारत की जनगणना में **अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST)** के आँकड़े शामिल किये जाते रहे हैं, लेकिन **अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)** के जातिगत आँकड़े मुख्य रूप से दर्ज नहीं किये गए।
    - जातिगत आँकड़ों के अभाव के कारण **OBC वर्ग के अनुमान को लेकर अस्पष्टता है**। मंडल आयोग (1979) के अनुसार यह 52% था।
  - वर्ष 2011 की **सामाजिक-आर्थिक जाति गणना (SECC)** का उद्देश्य बेहतर कल्याण लक्ष्य निर्धारण करना था, लेकिन इसका अधिकांश जातिगत डेटा अप्रकाशित है, जिससे इसका नीतिगत प्रभाव सीमित हो गया है।
- **जनगणना:** भारत की पहली समन्वित जनगणना **वर्ष 1881** में **भारत के तत्कालीन जनगणना आयुक्त डब्ल्यू.सी. प्लोडेन** द्वारा आयोजित की गई थी।
  - वर्तमान में, जनगणना का संचालन **गृह मंत्रालय** द्वारा **भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त** के माध्यम से किया जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- यद्यपि **भारतीय जनगणना अधिनियम, 1948** के अंतर्गत विधिक ढाँचा प्रदान किया गया है, लेकिन इसमें इसके आयोजन को लेकर किसी विशिष्ट आवृत्ति को अनिवार्य नहीं किया गया है, जिससे दशवर्षीय पैटर्न एक संवैधानिक आवश्यकता न होकर एक परिपाटी बन गई है।

DECENNIAL POPULATION CENSUS



A process of collecting, compiling, analysing and disseminating demographic, economic and social data (at a specific time) of all persons in a country.

BRIEF HISTORY

- Earliest mentions: ***Rigveda*** (800-600 BC), ***Arthashastra*** (300 BC) & ***Ain-i-Akbari (16th century)***
- 1st Non-synchronous Census (held in a few places): ***1872*** under **Gov. Gen. Lord Mayo**
- 1st Synchronous Census (held all over British India): **1881** by **W.C. Plowden** (Census Commissioner of India) under **Lord Ripon**

RESPONSIBLE BODY

- Until 1951, Census Organisation was set up on an ad-hoc basis for each Census
- Since 1951, Office of the ***Registrar General and Census Commissioner*** (MHA)

LEGAL BACKING

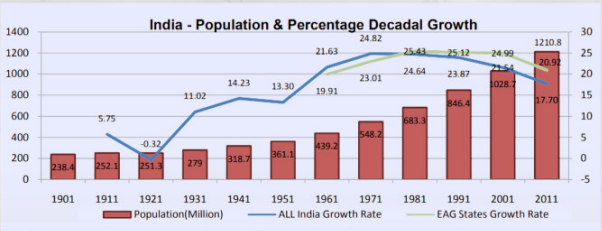
- A Union list subject under **Article 246**
- Conducted under **Census Act (CA), 1948**

CONFIDENTIALITY OF INFORMATION COLLECTED

- Guaranteed under CA 1948
- Information not even accessible to the courts of law

SIGNIFICANCE

- Largest single source of statistical information about people of India
- Used for good governance purposes
- Demarcation of constituencies & representation in Legislature



Census	Major Event
5th (1921)	Only census to witness a decadal population decline (0.31%) Hence, called the year of **"The Great Divide"**
11th (1971)	Added information on fertility for currently married women
13th (1991)	**Concept of literacy changed** to children aged 7+ (previously 4+)
14th (2001)	Leap in tech front; usage of **Intelligent Character Reading (ICR)**
15th (2011)	Notable fall in case of **Empowered Action Group (EAG) States** noticed first time

Socio-Economic and Caste Census (SECC)

ABOUT

- Conducted in **2011** for the **first time since 1931**

COMPONENTS

- **Economic status** (to define a poor/deprived person)
- **Specific caste** (to evaluate caste groups that are economically worse/better off)

CONSTITUTIONAL BACKING

- **Article 340** mandates the **appointment of a commission** to investigate the conditions of socially/educationally backward classes

Census v/s SECC

- SECC **identifies beneficiaries** of state support (Census - national population data)
- SECC **data open for use** by govt depts (Census data - confidential)

SIGNIFICANCE

- Better inequality mapping
- Quantifiable data to support existing reservation levels

SOME KEY FINDINGS OF SECC 2011

- Total Households - 24.49 crore
  - Rural - 17.97 crore
  - SC/ST Households - 3.87 crore (21.56%)
- Households with no literate adult (age >25) - 23.5%

Drishti IAS

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट :

महाराष्ट्र और गुजरात का 65वाँ राज्य दिवस

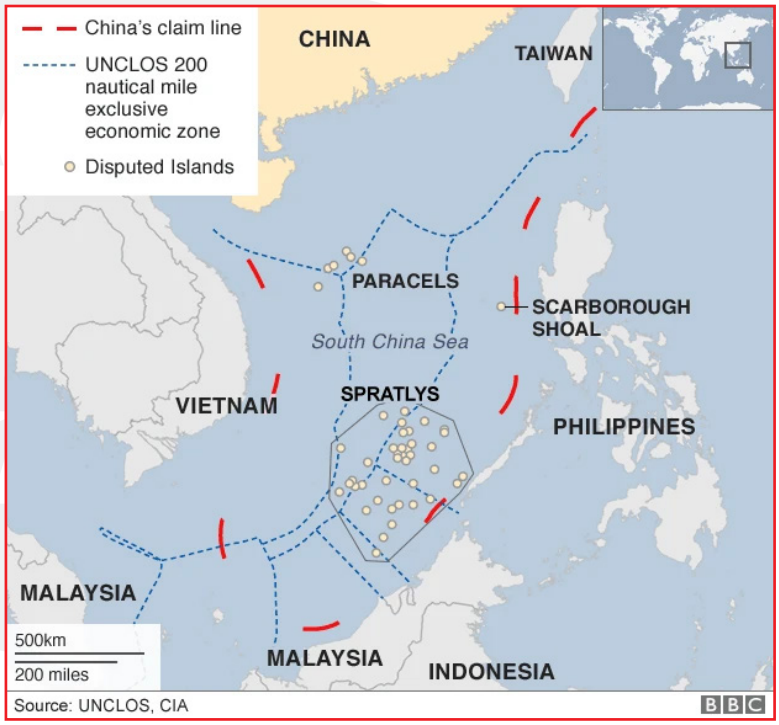
1 मई 2025 को **महाराष्ट्र और गुजरात** ने अपने गठन की **65वीं वर्षगाँठ** मनाई, जो **1960 में बॉम्बे राज्य के भाषायी आधार पर पुनर्गठन** की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में मनाई गई।

- **संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन** (1956) ने **मुंबई** और **विदर्भ** को मिलाकर एक **मराठी भाषी राज्य की मांग की, जिसने महाराष्ट्र** के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ।
  - **महागुजरात आंदोलन (1928-1950) ने एक गुजराती भाषी राज्य** की मांग की जिसमें **सौराष्ट्र** और **कच्छ शामिल थे**, जिससे **क्षेत्रीय आत्म-पहचान** को बढ़ावा मिला।
- आज दोनों राज्य **आर्थिक रूप से सशक्त हैं,** जो यह दर्शाते हैं कि **भाषायी पहचान और संघीय सहयोग एक साथ सह अस्तित्त्व** में रह सकते हैं।

सैंडी के रीफ

चीन और फिलीपींस के बीच **सैंडी के रीफ**, जहाँ दोनों देश संप्रभुता का दावा कर रहे हैं, को लेकर फिर से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, साथ ही इस क्षेत्र में **सैन्यीकरण बढ़ने की स्थिति** भी देखने को मिल रही है।

- तनाव उस समय बढ़ गया जब **अमेरिकी और फिलीपीन सेनाओं ने बालिकतान युद्ध अभ्यास** किया , जिसकी **चीन ने 'उसकाने वाला (प्रोवाकटिव)'** बताते हुए निंदा की है।
- सैंडी के, **दक्षिण चीन सागर (SCS)** के **स्प्रैटली द्वीप समूह** में **पग-आसा द्वीप (थिटू)** के पास स्थित है। **टाइक्सियन रीफ** सैंडी के का एक हिस्सा है।
  - इस रीफ पर **चीन, फिलीपींस, ताइवान** और **वियतनाम** सभी **दावा** करते हैं।
- **SCS विवाद के बारे में:** यह SCS में विभिन्न **द्वीपों, भित्तियों और समुद्री क्षेत्रों** की संप्रभुता पर चल रहे क्षेत्रीय संघर्षों को संदर्भित करता है।
  - चीन **"नाइन-डैश लाइन"** के माध्यम से दक्षिण चीन सागर के अधिकांश हिस्से पर अपना दावा करता है तथा नियंत्रण स्थापित करने के लिये **द्वीप-निर्माण** और **नौसैनिक गश्त** का उपयोग करता है ।
    - चीनी मानचित्र पर यह एक **U आकार की रेखा है जो दक्षिण चीन सागर के लगभग 90% भाग** को कवर करती है।



- **SCS के दावेदार:** चीन, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान।
  - **विवादित द्वीप: पैरासेल द्वीप, स्प्रैटली द्वीप** और **स्कारबोरो शोल आदि** ।
- 2016 में हेग स्थित **पर्मानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (Permanent Court of Arbitration)** ने निर्णय दिया कि **दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावे** का कोई कानूनी आधार नहीं है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

कैस्पियन सागर पर जलवायु परिवर्तन का खतरा

जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप होने वाले **वाष्पीकरण के कारण कैस्पियन सागर का तेज़ी से संकुचन हो रहा है,** जिससे **जैवविविधता**, **आजीविका** और **क्षेत्रीय स्थिरता** खतरे में है।

- **जल स्तर में अनुमानित गिरावट: वैश्विक तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से कम रहने पर भी कैस्पियन सागर के जल स्तर में 5-10 मीटर की कमी होने के अनुमान है,** तथा यदि तापमान और बढ़ता है, तो वर्ष 2100 तक **इसके जल स्तर में 21 मीटर की कमी हो सकती है।**

प्रभाव:

- **जैवविविधता ह्रास:** इससे **कैस्पियन सील (IUCN के अंतर्गत लुप्तप्राय)** और **बेलुगा स्टर्जन (बड़ी मछली** का एक प्राचीन वंश, गंभीर रूप से संकटापन्न) जैसी **स्थानिक प्रजातियों** को खतरा है ।
- **उद्योग: बाकू (अज़रबैजान), अंज़ली (ईरान), अक्तौ (कज़ाखस्तान), तुर्कमेनबाशी (तुर्कमेनिस्तान) और लगान (रूस)** जैसे बंदरगाह प्रभावित हो सकते हैं।
  - **वोल्गा नदी,** जो कैस्पियन सागर को बाह्य क्षेत्र से जोड़ने वाला **एकमात्र समुद्री संपर्क** है, **अव्यवहार्य हो सकती है।**
  - **काशागन (कज़ाखस्तान) और फिलानोव्स्की (रूस)** जैसे हाइड्रोकार्बन उत्पादन स्थल **स्थलबद्ध** हो जायेंगे।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य का जोखिम:** शुष्क समुद्री तल से **अरल सागर आपदा** के समान ही **औद्योगिक प्रदूषक और लवण** से दूषित **धूल** मुक्त हो सकती है।
- **कैस्पियन सागर:** यह **विवर्तनिक झील** और **विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल क्षेत्र है।**
  - इसमें तीन प्रमुख नदियाँ **वोल्गा, यूराल और टेरेक** विसर्जित होती हैं।
  - इसकी सीमा **रूस, अज़रबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कज़ाखस्तान** से लगती है।



दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

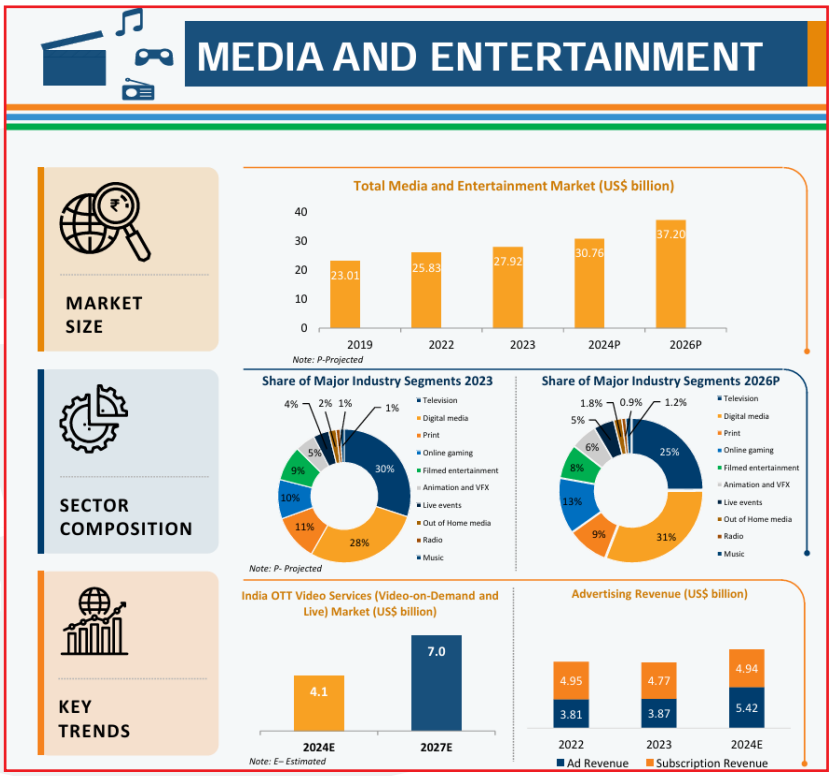
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

ऑरेंज इकोनॉमी

प्रधानमंत्री ने *WAVES 2025* **(वर्ल्ड ऑडियो-विज़ुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट)** में भारत की वैश्विक **रचनात्मक अर्थव्यवस्था में बढ़ती भूमिका को रेखांकित किया**, जहाँ उन्होंने ***"ऑरेंज इकोनॉमी"*** की संकल्पना पर बल दिया— जो **रचनात्मकता, संस्कृति तथा बौद्धिक** संपदा पर आधारित होती है।

- **ऑरेंज इकोनॉमी:** रचनात्मक अर्थव्यवस्था (जिसे ऑरेंज इकोनॉमी भी कहा जाता है) ऐसे ज्ञान-आधारित क्रियाकलापों को दर्शाती है, जो **संस्कृति, रचनात्मकता, प्रौद्योगिकी एवं बौद्धिक संपदा को एकीकृत करते हुए आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास** को गति प्रदान करते हैं। सतत् विकास लक्ष्यों को को प्राप्त करने में इसकी भूमिका है।
  - अर्न्स्ट एंड यंग के अनुसार, भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था **18% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ने का अनुमान है, जो वर्ष 2023 में 19 बिलियन रुपए** से बढ़कर वर्ष **2026 तक 34 बिलियन रुपए हो जाएगी।**
- **वेव्स 2025:** यह पहली वर्ल्ड ऑडियो-विज़ुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट है, जो मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की गई और इसकी मेज़बानी भारत सरकार द्वारा की गई है।
  - इसका उद्देश्य भारत को मीडिया एवं मनोरंजन, बौद्धिक संपदा तथा तकनीकी नवाचार के लिये एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है।
  - इस शिखर सम्मेलन में भारत की सामग्री निर्माण क्षमता तथा प्रौद्योगिकी नवाचार की शक्ति को उजागर किया गया, जो **प्रसारण, फिल्म, एनीमेशन, गेमिंग, डिजिटल मीडिया**, **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)** आदि जैसे क्षेत्रों में परिलक्षित होती है।
  - वेव्स 2025 में **वेव्स मार्केट की सुविधा दी गई है,** जो एक वैश्विक डिजिटल बाज़ार है तथा क्रिएटर्स को खरीदारों और निवेशकों जुड़ने का अवसर प्रदान करता है।



प्रधानमंत्री ने विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में **विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह (VIS)** का उद्घाटन किया, जो भारत के समुद्री बुनियादी ढाँचे में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है।

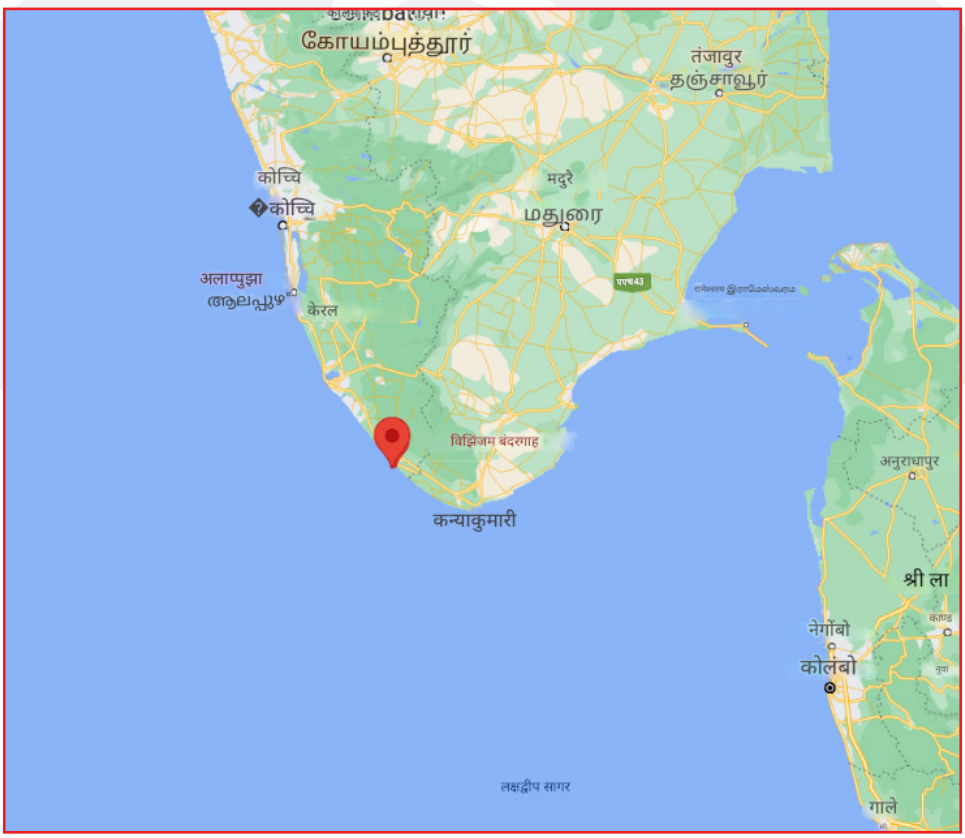
- **विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह:** यह **भारत का पहला गहरे जल का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट** (Deep-Water Transshipment Port) है, जिसे कंटेनर और बहुउद्देश्यीय कार्गो के लिये डिज़ाइन किया गया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- बंदरगाह का विकास **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के तहत डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण (DBFOT)** के आधार पर किया गया है।

- **रणनीतिक अवस्थिति:** यूरोप, फारस की खाड़ी और सुदूर पूर्व को जोड़ने वाले **प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों** से केवल **10 समुद्री मील की दूरी पर स्थित VIS,** बड़े जहाज़ों (18 से 20 मीटर की गहराई) के लिये पहुँच को बढ़ाता है।
- **तकनीकी उन्नति:** भारत का पहला अर्द्ध-स्वचालित बंदरगाह, विझिंजम बंदरगाह, **AI-संचालित नियंत्रण कक्ष** और देश की **पहली स्वदेशी पोत यातायात प्रबंधन प्रणाली (VTMS)** से सुसज्जित है।
  - यह जहाज़ के वापसी समय को कम करता है, यातायात प्रवाह को अनुकूल बनाता है, तथा वास्तविक समय अपडेट के साथ बड़े जहाज़ों की क्षमता को बढ़ाता है।
- **आर्थिक प्रभाव:** इस बंदरगाह का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं पर भारत की निर्भरता को कम करना है, क्योंकि वर्तमान में 75% ट्रांसशिपमेंट कार्गो का संचालन विदेशों में किया जाता है।
  - घरेलू स्तर पर ट्रांसशिपमेंट का संचालन करने से, बंदरगाह से भारत को प्रतिवर्ष संभावित राजस्व हानि में 200-220 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बचत होने की उम्मीद है।
- **भावी विकास:** विझिंजम बंदरगाह के दूसरे और तीसरे चरण से इसकी क्षमता वर्ष 2028 तक 1 मिलियन (बीस फुट समतुल्य इकाई) TEU से बढ़कर 3 मिलियन TEU प्रतिवर्ष हो जाएगी।



दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

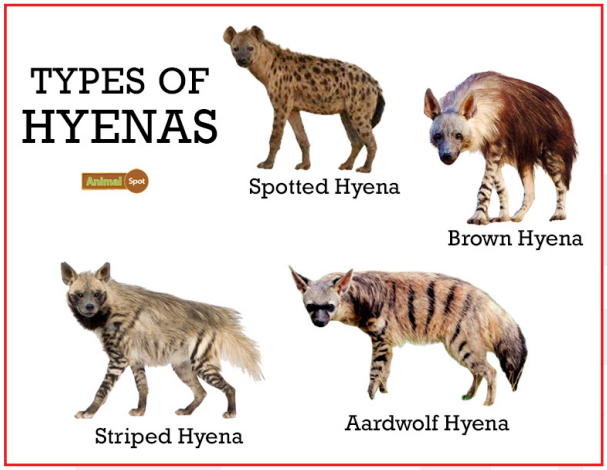
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट :

लकड़बग्घा

प्रत्येक वर्ष 27 **अप्रैल** को **अंतर्राष्ट्रीय लकड़बग्घा (Hyena) दिवस** के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य **लकड़बग्घों के पारिस्थितिक महत्त्व के बारे में लोगों को अधिक जागरूक करना** और इसके प्रति **नकारात्मक धारणाओं** को परिवर्तित करना है।



लकड़बग्घा (Hyaenidae)

- **परिचय:** ये ***Hyaenidae*** **वंश** से संबंधित हैं, जो कुत्तों जैसे **माँसभक्षी स्तनपायी जीवों** का एक समूह है।
- **पर्यावास:** लकड़बग्घे **अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों** में **विविध पर्यावास स्थलों** में पाए जाते हैं।
  - इनकी भयावह चीखों और विचित्र रूप-रंग के कारण इन्हें सामान्यत: **'विलेन ऑफ अफ्रीकन सवाना'** की संज्ञा दी जाती है।
- **आहार: चित्तीदार लकड़बग्घे कुशल परभक्षी और साथ ही मृत जीवों के भक्षी होते हैं**, जो सक्रिय रूप से समूहों में शिकार करते हैं। ये सामान्यत: छल से अन्य जीवों के शिकार का भक्षण (kleptoparasitism) करते हैं।
  - **धारीदार लकड़बग्घे सर्वाहारी** होते हैं, भूरे लकड़बग्घे मुख्य रूप से मृत जीवों का भक्षण करते हैं, लेकिन इनका आहार छोटे जंतु और फल भी हैं, जबकि **आर्डवुल्फ विशेष रूप से मुख्यत: दीमक का ही भक्षण करते हैं।**
- **व्यवहार: चित्तीदार लकड़बग्घे** जटिल सामाजिक व्यवस्था और प्रखर प्रज्ञा के साथ मादा-नेतृत्व वाले समूहों में पाए जाते हैं।
  - **धारीदार लकड़बग्घे रात्रिचर और एकांतवासी** होते हैं, भूरे लकड़बग्घे यायावरी नर लकड़बग्घों के साथ लघु समूह में पाए जाते हैं, तथा आर्डवुल्फ एकसंगमनी होते हैं, जो एकल अथवा युग्म में पाए जाते हैं।
- **पारिस्थितिक तंत्र में भूमिका: लकड़बग्घे परभक्षियों के रूप में शाकभक्षी समष्टि को नियंत्रित करने, मृत जीवों के भक्षी के रूप में रोगों के संचरण को रोकने** और **पोषक तत्त्वों को पुन:चक्रित करने में** महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिक भूमिका निभाते हैं।

दीघा में जगन्नाथ धाम मंदिर

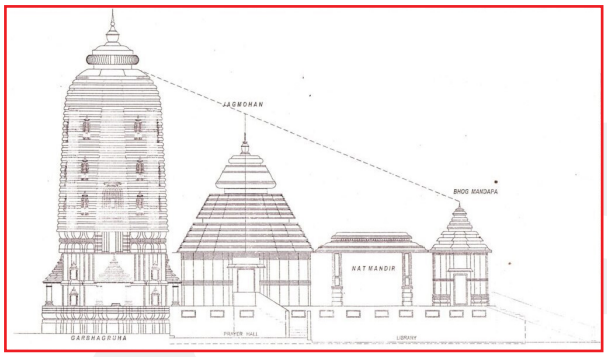
पश्चिम बंगाल के दीघा में जगन्नाथ **धाम मंदिर**, जिसका उद्घाटन अप्रैल 2024 में किया गया,यह एक महत्त्वपूर्ण **धार्मिक और स्थापत्य विकास का प्रतीक है।**

- **ओडिशा के 12वीं शताब्दी के जगन्नाथ मंदिर (पुरी)** से प्रेरित यह मंदिर **कलिंग शैली की वास्तुकला में निर्मित है,** जिसमें रत्नवेदी पर **भगवान जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा** की मूर्तियाँ स्थापित हैं।
- इस मंदिर में चार प्रमुख संरचनाएँ हैं—***विमान (गर्भगृह), जगमोहन (सभा मंडप), नाट्य मंडिर (नृत्य मंडप)*** **तथा *भोग मंडप (प्रसाद मंडप)*।**
- यह मंदिर बंसी पहाड़पुर सैंडस्टोन से निर्मित है और इसमें पत्थर की मूर्तियाँ प्रतिष्ठित हैं, जबकि पुरी के जगन्नाथ मंदिर में नीम की लकड़ी से निर्मित दारुब्रहम स्वरूप की प्रतिमाएँ हैं।
- **पुरी का जगन्नाथ मंदिर:** यह मंदिर पूर्वी गंग वंश के राजा अनंतवर्मन चोडगंग देव द्वारा 12वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित कराया गया था।
  - मूर्तियाँ **लकड़ी (नीम की लकड़ियों)** से बनी होती हैं नवकलेवर अनुष्ठान के अंतर्गत प्रत्येक 12–19 वर्षों में प्रतिस्थापित की जाती हैं।
  - यह **कलिंग स्थापत्य (ओडिशा मंदिर स्थापत्य की एक उप-शैली)** का उत्कृष्ट उदाहरण है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- यह चार धाम तीर्थ स्थलों में से एक है—**बद्रीनाथ, द्वारका तथा रामेश्वरम** के साथ—और **वैष्णव मत** का एक प्रमुख केंद्र भी है।
- मंदिर के शिखर पर स्थित **ध्वज सदैव वायु की दिशा के विपरीत लहराता है** तथा सुदर्शन चक्र हर कोण से एक समान प्रतीत होता है—जो एक अद्भुत **दृष्टि भ्रम (optical illusion) है।**



रेड-क्राउन्ड रूफ्ड टर्टल

30 वर्षों के बाद **गंगा नदी में पुन: रेड-क्राउन्ड रूफ्ड टर्टल (Batagur kachuga) छोड़े गए हैं**, जो **नमामि गंगे मिशन** और **टर्टल सर्वाइवल अलायंस इंडिया (TSAFI)** परियोजना के तहत एक बड़ी सफलता है।

- कछुओं को उत्तर प्रदेश के **हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य** के अंदर **बिजनौर गंगा बैराज** के समीप स्थित रामसर **साइट हैदरपुर वेटलैंड** में छोड़ा गया।



रेड-क्राउन्ड रूफ्ड टर्टल:

- **परिचय:** यह **अलवणीय जल का कछुआ** है जो **जियोमाइडीडे कुल** से संबंधित है। **इसे बंगाल रूफ टर्टल** के नाम से भी जाना जाता है, यह भारत में पाई जाने वाली **24 स्थानिक प्रजातियों** में से एक है।
- **मुख्य विशेषताएँ:** मादा कछुओं की लंबाई **56 सेमी.** और वज़न **25 किलोग्राम** तक होता है, जबकि नर कछुए आकार में छोटे होते हैं एवं इनके मुख और गर्दन पर चमकीले **लाल, पीले, सफेद तथा नीले रंग के निशान** होते हैं।
- विशेष रूप से जुवेनाइल कछुओं में, कवच (ऊपरी कवच) घुमावदार होता है और यंग कछुओं **में** प्लास्ट्रॉन (निचला कवच) पार्श्व कोणीय होता है।
  - यह **शाकाहारी** प्रजाति **जलीय पौधों पर निर्भर रहती है** और **मार्च-अप्रैल** के दौरान **11-30 अंडे देती है** ।
- **अधिवास और वितरण: यह ऐतिहासिक रूप से भारत , नेपाल** और **बांग्लादेश** की नदी प्रणालियों में पाया जाता था।
- **आवास क्षरण, रेत खनन** और **प्रदूषण** के कारण यह गंगा की मुख्य धारा से विलुप्त हो गया।
  - अब इसे भारत के **उत्तर प्रदेश** में **हैदरपुर वेटलैंड** में **पुन: शामिल किया गया है** जहाँ इसके पुनरुद्धार के लिये उपयुक्त वातावरण मिलता है।
- **प्रमुख खतरे: प्रदूषण, बाँध निर्माण और जल निकासी** के कारण आवास का नुकसान। रेत खनन और मौसमी कृषि से इसकी नेस्टिंग के लिये उपयुक्त रेत के टीले नष्ट हो जाते हैं, **मत्स्यन के अवैध जाल से इसके अवैध शिकार तथा व्यापार को बढ़ावा मिलता है।**
- **संरक्षण स्थिति:**
  - IUCN रेड लिस्ट: **गंभीर रूप से संकटग्रस्त**
  - वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (WPA), 1972: अनुसूची I
  - CITES: परिशिष्ट II

टर्टल सर्वाइवल एलायंस इंडिया (TSAFI)

- TSAFI वैश्विक **टर्टल सर्वाइवल एलायंस (TSA)** का भारतीय इकाई का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे IUCN के तहत

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

वर्ष 2001 में स्वच्छ जल के कछुओं और कछुओं को निवास स्थान के नुकसान, अवैध व्यापार और जलवायु परिवर्तन जैसे खतरों से बचाने के लिये बनाया गया था, जिसका मिशन "21वीं सदी में कछुआ विलुप्ति को ज़ीरो" करना है।



दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

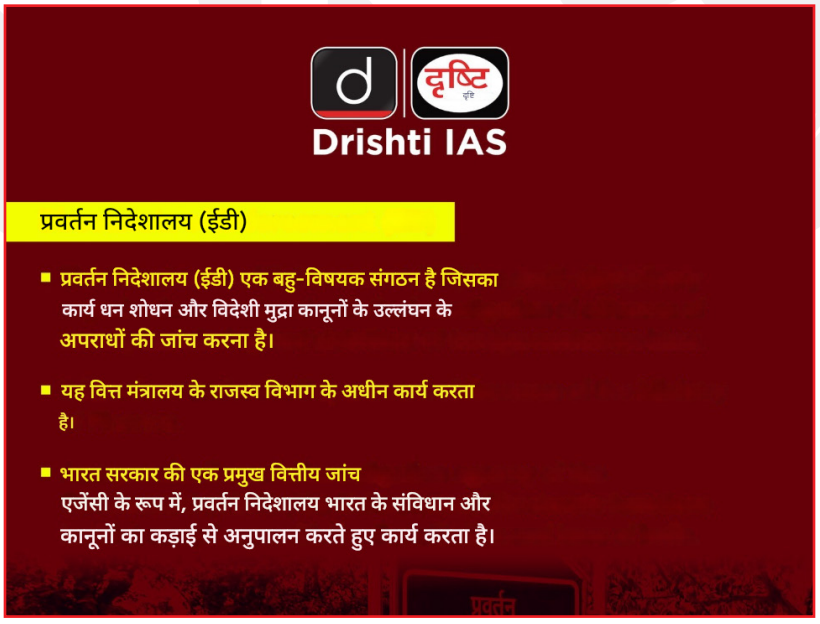
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

ED का 69वाँ स्थापना दिवस

नई दिल्ली में आयोजित **प्रवर्तन निदेशालय (ED)** के **69वें स्थापना दिवस पर आर्थिक अपराधों और मनी लॉन्ड्रिंग** के खिलाफ अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका को पुन: पुष्ट किया। यह प्रयास भारत के **'विकसित भारत 2047'** के विजन की दिशा में एक सशक्त कदम है।

- **ED: विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FERA), 1947** के उल्लंघन से निपटने के लिये आर्थिक मामलों के विभाग के तहत **'प्रवर्तन इकाई'** के रूप में 1 मई 1956 को स्थापित किया गया था और वर्ष 1957 में इसका नाम परिवर्तित करके प्रवर्तन निदेशालय कर दिया गया। इसका मुख्यालय **नई दिल्ली में स्थित है।**
  - **वर्ष 1960 में राजस्व विभाग** को हस्तांतरित, ED अब **केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, जो धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA)** और **भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (FEOA)** के आपराधिक प्रावधानों एवं **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के नागरिक प्रावधानों को लागू करता है।**
  - ED का नेतृत्व एक **निदेशक** (भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के पद से नीचे नहीं) करता है।
  - ED के मुख्य कार्यों में धन शोधन, आतंकवाद के वित्तपोषण और संगठित अपराध पर अंकुश लगाना तथा आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है।
- **ED की उपलब्धियाँ:** वित्त वर्ष 2024-25 में, ED ने **30,036 करोड़ रुपए के अनंतिम कुर्की आदेश जारी किये**, जो 2023-24 की तुलना में संख्या में 44% और मूल्य में 141% की वृद्धि को दर्शाता है।
  - वर्ष 2025 तक अनंतिम कुर्की के तहत संपत्तियों का कुल मूल्य 15.46 लाख करोड़ रुपए होगा।
  - वर्ष 2014 और वर्ष 2024 के बीच, ED ने लगभग 5,000 नई PMLA जाँचें शुरू कीं, जो प्रवर्तन गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाती हैं।



दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

रेड एडमिरल बटरफ्लाई

रेड एडमिरल बटरफ्लाई/तितली (Vanessa atalanta) को पहली बार भारत के हिमाचल प्रदेश में **धौलाधार पर्वत शृंखला** में देखा गया है।

- **आकार और कुल:** रेड एडमिरल तितली निम्फालिडे कुल से संबंधित है और इसके पंखों का विस्तार 67-72 मिमी (नर से मादा) तक होता है।
  - आकृति की दृष्टि से रेड एडमिरल **इंडियन रेड एडमिरल (Vanessa indica)** जैसी है लेकिन इसे इसकी संकरी, गहरी रेड रंग की डिस्कल पट्टी तथा ऊपरी अग्र पंख में धब्बे की उपस्थिति (यह विशेषता भारतीय प्रजातियों में अनुपस्थित होती है) द्वारा पहचाना जा सकता है।
- **वैश्विक वितरण:** रेड एडमिरल तितली **उत्तर और दक्षिण अमेरिका, यूरोप तथा एशिया** में मिलती है (चीन, मंगोलिया या अफगानिस्तान से कोई पुष्ट रिकॉर्ड नहीं)।
- **अधिवास:** यह शहरी और अशांत परिदृश्यों में सामान्य है लेकिन इसे **आर्द्र वन क्षेत्रों और आर्द्रभूमि** में भी देखा जाता है। इसे जीवित रहने के लिये जल, खनिज एवं शर्करा की आवश्यकता होती है।
- **व्यवहार:** नर रेड एडमिरल्स अत्यधिक प्रादेशिक होते हैं और अक्सर अपने बसेरा स्थलों से प्रतिद्वंद्वियों को भगा देते हैं।
  - इसके **लार्वा स्टिंगिंग नेटल (Urtica dioica)** पर फीड करते हैं, जिसकी पश्चिमी हिमालय में प्रचुरता मात्रा है।
- **जलवायु अनुकूलन:** यह प्रजाति विविध **पौधों पर फीड** करने के कारण जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक अनुकूल है लेकिन इसे आवास की हानि एवं फीड वाले पौधों की आबादी को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय परिवर्तनों से चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।



तेंदुओं के अवैध शिकार में वृद्धि

शिकारी **अब तेंदुओं को** अधिक निशाना बना रहे हैं, क्योंकि सख्त संरक्षण कानूनों के कारण **बाघों का** शिकार करना कठिन हो गया है, जबकि तेंदुओं को ढूँढना आसान है और वे कम संरक्षित हैं, इस कारण अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बाघों के अंगों के विकल्प के रूप में तेंदुओं की मांग बढ़ गई है।

- CITES के अनुसार, वर्ष **2020 से वर्ष 2023 के बीच विश्व भर में लगभग 12,000 तेंदुओं और उनके अंगों का** व्यापार किया गया।
- अवैध शिकार और आवास स्थल के विनाश के कारण **अफ्रीका, मध्य पूर्व** एवं **एशिया** में तेंदुए **अपने प्राकृतिक आवास क्षेत्र के 75% भाग से खत्म हो चुके हैं।**
- **पारंपरिक चिकित्सा, विलासिता की वस्तुओं** और ट्रॉफियों के लिये, विशेष रूप से **एशिया** में, अवैध वन्यजीव व्यापार में **तेंदुओं का शिकार किया जा** रहा है तथा **उन्हें बाघ के रूप में लेबल कर बेचा जा रहा है।**
  - दक्षिण अफ्रीका के कमज़ोर कानून और कैप्टिव ब्रीडिंग उद्योग से वैश्विक स्तर पर बड़ी बिल्लियों (बाघ, तेंदुआ आदि) के अवैध व्यापार को बढ़ावा मिल रहा है।
- **भारत में तेंदुए की संख्या (वर्ष 2024):**
  - **कुल: 13,874** (वर्ष 2018 से 1.08% की वार्षिक वृद्धि)।
- **सर्वाधिक संख्या: मध्य प्रदेश**, उसके बाद **महाराष्ट्र , कर्नाटक** और **तमिलनाडु**।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **संरक्षण स्थिति:** IUCN रेड लिस्ट (सुभेद्य), CITES (परिशिष्ट-I) और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (अनुसूची-I)।



जीनोम-संपादित चावल की किस्में

भारत ने अपनी **पहली जीनोम-संपादित चावल की किस्में 'DRR धान 100 (कमला)'** और **'पूसा DST राइस 1'** जारी की हैं, जिनका उद्देश्य विदेशी DNA को शामिल किये बिना उपज, **जलवायु लचीलापन और संसाधन दक्षता** को बढ़ाना है।

- इन्हें ICAR द्वारा उन्नत CRISPR-Cas9 जीनोम-एडिटिंग तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। इसमें कोई विदेशी DNA शामिल नहीं किया गया है, जिससे इसकी उपज पारंपरिक रूप से उगाई जाने वाली फसलों के समान किया जा साकता है।
- **DRR धान 100 (कमला):** यह लोकप्रिय **साँबा महसूरी** किस्म पर आधारित है। **साइट डायरेक्टेड न्यूक्लिऐस 1 (SDN1) तकनीक** का उपयोग करके **साइटोकाइनिन ऑक्सीडेज 2 (CKX2) जीन (Gn1a)** को लक्षित करके दानों की संख्या में सुधार किया गया।
  - इसके परिणामस्वरूप **शीघ्र परिपक्वता (15-20 दिन पहले कटाई)**, **सूखा-सहिष्णुता**, **उच्च नाइट्रोजन-उपयोग दक्षता** प्राप्त होती है।
- **पूसा DST चावल 1:** यह **मारुतेरु 1010 (Maruteru 1010)** किस्म पर आधारित है और **सूखे और लवण सहनशीलता** को बढ़ाता है। SDN1 **जीनोम-एडिटिंग** के माध्यम से विकसित, यह **शुष्क और लवणीय सहनशीलता (DST) जीन** को लक्षित करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट :

- इसके परिणामस्वरूप **तटीय लवणता वाले क्षेत्रों में 30.4% अधिक उपज,** क्षारीय मृदाओं में **14.66% अधिक** तथा अंतर्देशीय लवणता वाले क्षेत्रों में **9.67% अधिक उपज** प्राप्त होती है।

- **साइट-निर्देशित न्यूक्लिऐस प्रौद्योगिकी:** यह एक **जीनोम-संपादन तकनीक** है जो **न्यूक्लिऐस** नामक एंज़ाइम का उपयोग करके DNA में सटीक परिवर्तन लाती है।
  - **SDN-1 विदेशी DNA** का उपयोग किये बिना **छोटे सम्मिलन/विलोपन** प्रस्तुत करता है, जबकि **SDN-2 विशिष्ट वांछित परिवर्तन** प्रस्तुत करने के लिये **टेम्पलेट DNA** (मेज़बान के समान) का उपयोग करता है ।

माउंट मकालू

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) ने विश्व की पाँचवीं सबसे ऊँची चोटी (**माउंट मकालू**) पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है।

- **माउंट मकालू:** यह **नेपाल हिमालय की महालंगुर पर्वतमाला** में स्थित है जो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है तथा समुद्र तल से इसकी ऊँचाई 8,485 मीटर है।
  - **माउंट एवरेस्ट के दक्षिण-पूर्व** में स्थित मकालू, **चार नुकीली चोटियों वाले अपने आकर्षक पिरामिड आकार** के लिये प्रसिद्ध है।
  - माउंट मकालू, **मकालू बरुण राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है,** जहाँ से **बरुण घाटी** दिखाई देती है।
  - मकालू में दो प्रमुख सहायक चोटियाँ (**मकालू I और II)** भी हैं, जो मुख्य शिखर से लगभग 3 किमी दूर स्थित हैं। माउंट मकालू पर पहली बार वर्ष 1955 में जीन फ्रेंको के नेतृत्व में एक फ्राँसीसी अभियान के तहत चढ़ाई की गई थी।

- **ITBP:** गृह मंत्रालय के अंतर्गत ITBP एक **केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल** है जो 3,488 किलोमीटर लंबी भारत-चीन सीमा पर ऊँचाई वाले क्षेत्रों की सुरक्षा में प्रमुख भूमिका निभाता है।
  - ITBP ने अब तक विश्व की 14 'आठ-हजार मीटर की ऊँचाई वाली चोटियों' में से 6 पर चढ़ाई की है और कुल 229 चोटियों पर चढ़ाई की है जिनमें **माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा, माउंट धौलागिरी, माउंट लोत्से और माउंट मनास्लु** शामिल हैं।



दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

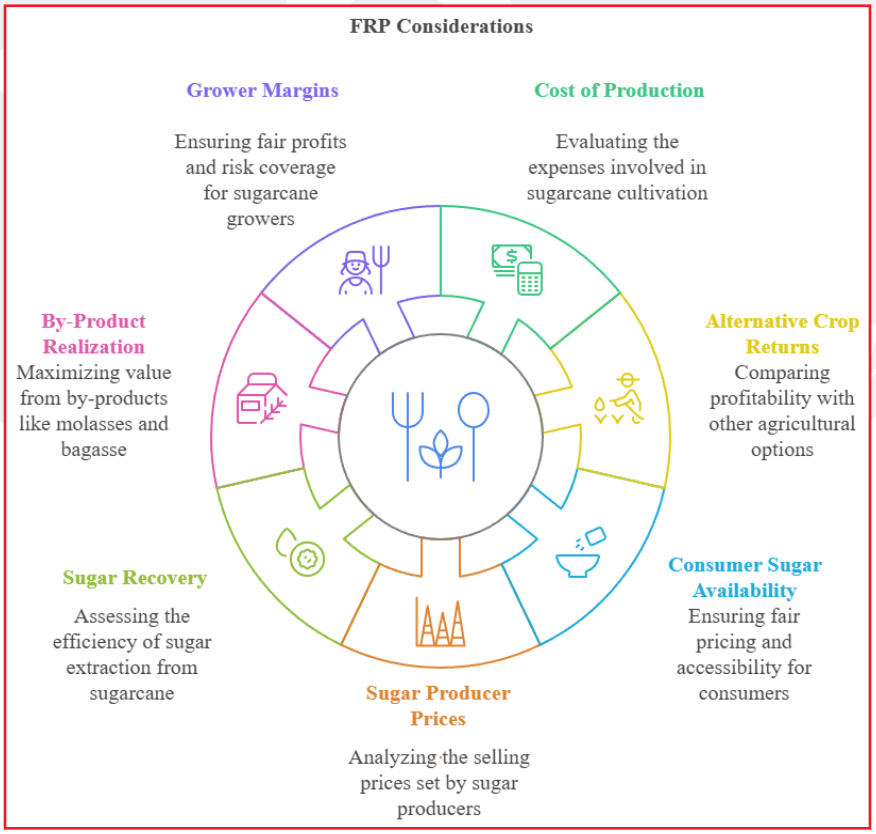
नोट :

उचित एवं लाभकारी मूल्य में वृद्धि

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने वर्ष 2025-26 चीनी सीज़न के लिये **गन्ने** के **उचित और लाभकारी मूल्य (FRP)** में वृद्धि की।

- **FRP के बारे में:** FRP वह **न्यूनतम मूल्य** है जिस पर **चीनी मिलों को भारत में** किसानों से **गन्ना खरीदना कानूनी तौर पर अनिवार्य** है।
  - यह **आवश्यक वस्तु अधिनियम (ECA), 1955** के अंतर्गत जारी **गन्ना नियंत्रण आदेश, 1966** द्वारा शासित है।
  - **गन्ना नियंत्रण आदेश, 1966** के तहत, भुगतान गन्ना वितरण के **14 दिनों के भीतर** किया जाना चाहिये; विलंब पर **15% तक ब्याज** देय है, और **भुगतान न किये गए FRP को मिल की संपत्ति कुर्क** करके वसूल किया जा सकता है।
  - FRP गन्ना उद्योग के पुनर्गठन पर **रंगराजन समिति की रिपोर्ट (वर्ष 2012)** पर आधारित है।
  - इसका निर्धारण **कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP)** की **सिफारिशों** तथा **राज्य सरकारों** एवं अन्य **हितधारकों** के साथ परामर्श के बाद किया जाता है।
    - **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय** के अधीन CACP एक **सलाहकार निकाय** है, जिसकी **सिफारिशें बाध्यकारी नहीं** होतीं।

FRP में विचारित कारक:



दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना

राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा प्राधिकरण (NDSA) द्वारा मेडीगड्डा बैराज में महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक क्षति और डिज़ाइन खामियों की रिपोर्ट के बाद **तेलंगाना** में **कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना (KLIP)** जाँच के दायरे में है।

कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना (KLIP):

- KLIP **तेलंगाना के भूपलपल्ली ज़िले** में **गोदावरी नदी** पर स्थित **विश्व की सबसे बड़ी बहु-चरणीय** लिफ्ट सिंचाई परियोजना है।
- यह **1,800 किलोमीटर के नहर नेटवर्क** के साथ **13 ज़िलों में 500 किलोमीटर से अधिक** तक फैली हुई है।
- परियोजना का निर्माण जून 2019 में शुरू हुआ और इसका उद्देश्य विभिन्न उपयोगों के लिये **240 TMC (हज़ार मिलियन क्यूबिक फीट)** जल उपलब्ध कराना है, जिसमें से 70% सिंचाई के लिये निर्धारित किया गया है।
- यह परियोजना **प्राणहिता और गोदावरी नदियों के संगम** पर शुरू होती है।
- KLIP विशाल कमांड क्षेत्र में वितरण के लिये ऊँचे वितरण कक्षों तक जल उठाने के लिये **विशाल पंप सिस्टम और सर्ज पूल** का उपयोग करती है।

गोदावरी नदी:

- **गोदावरी,** जिसे प्राय: **दक्षिण गंगा** कहा जाता है, **भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी (गंगा के बाद)** है, जो महाराष्ट्र के **त्र्यंबकेश्वर** से उद्गमित होती है।
- यह नदी **1,465 किमी पूर्व की ओर प्रवाहित होती है** तथा **महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा** से होकर **बंगाल की खाड़ी** में गिरती है।
- **प्रमुख सहायक नदियाँ:** पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, और सबरी (बाएं तट की सहायक नदियाँ) और प्रवरा, मंजीरा, और मनैर (दाहिने तट की सहायक नदियाँ)।

NDSA:

- NDSA एक **वैधानिक निकाय** है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, जिसे **राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के तहत बाँधों को विनियमित** और देखरेख करने, **नी तियाँ बनाने, विवादों को सुलझाने तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित** करने के लिये स्थापित किया गया है।



बगराम एयरफील्ड

अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि **चीन** अब **बगराम एयरफील्ड** पर कब्ज़ा किये हुए है, जिसे **अमेरिकी सेनाओं** ने वर्ष **2021 में अफगानिस्तान** से वापस लौटने से पहले **खाली** कर दिया था।

- **बगराम एयरफील्ड:** यह **अफगानिस्तान का सबसे बड़ा वायुसेना अड्डा** है, जो रणनीतिक रूप से **परवान प्रांत** में, काबुल से लगभग 60 किलोमीटर उत्तर में स्थित है।
  - परवान अफगानिस्तान के अधिकांश हिस्सों पर **नियंत्रण** के लिये महत्त्वपूर्ण है क्योंकि परवान प्रांत में स्थित 2.6 किलोमीटर लंबी **सालंग सुरंग काबुल** को **मज़ार-ए-शरीफ** और उत्तर के अन्य शहरों से जोड़ती है, जबकि **राजमार्ग** दक्षिण में **गज़नी** और **कंधार** तथा पश्चिम में **बामियान** से संपर्क प्रदान करते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :



- **1950 के दशक** में **सोवियत संघ** द्वारा निर्मित यह वायुसेना अड्डा **शीत युद्ध** और **सोवियत-अफगान युद्ध (1979–89)** के दौरान अत्यंत महत्त्वपूर्ण बन गया।
  - वर्ष 2001 के बाद यह **आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध** के दौरान **अमेरिकी सेनाओं का संचालन केंद्र** बन गया।
- बगराम की रणनीतिक स्थिति इसे महत्त्वपूर्ण बनाती है, तथा तालिबान के साथ चीन के बढ़ते संबंध इस क्षेत्र में रणनीतिक पैर जमाने के लिये सावधानीपूर्वक प्रयास का संकेत देते हैं।
  - **शिनजियांग स्थित लोप नूर,** जहाँ **चीन** ने वर्ष 1964 में अपना **पहला परमाणु परीक्षण** किया था, **बगराम** से **2,000 किलोमीटर** की दूरी पर है, जबकि **कोको नूर परमाणु हथियार सुविधा** इससे भी **पूर्व** में, **चीन** के **छिंगहाई प्रांत** में स्थित है।

स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने अपने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का लगभग 17 किलोमीटर की ऊँचाई पर पहला सफल उड़ान परीक्षण किया।

- उड़ान के दौरान, भविष्य की उच्च ऊँचाई वाली उड़ानों के लिये **उच्च-गुणवत्ता वाले फिडेलिटी सिमुलेशन मॉडल के विकास** हेतु ऑनबोर्ड सेंसरों से डेटा एकत्र किया गया।
- यह भारत की **पृथ्वी अवलोकन तथा खुफिया, निगरानी और टोही (ISR)** क्षमताओं को सुदृढ़ करता है।
- **स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप:** यह एक **मानव रहित एयरशिप** है जिसे **समताप मंडल** में उच्च ऊँचाई पर संचालन के लिये डिज़ाइन किया गया है, जो सामान्यत: **पृथ्वी की सतह से 17 से 22 किलोमीटर की ऊँचाई के बीच होता है।**
  - यह एक **हाई-एल्टीट्यूड स्यूडो-सैटेलाइट (HAPS)** के रूप में कार्य करता है, जो लंबे समय तक वायु में बना रह सकता है और **उत्थान शक्ति के लिये हीलियम का उपयोग करता है।**
  - उपग्रहों या विमानों के विपरीत, यह किसी **विशेष क्षेत्र** के ऊपर लंबे समय तक स्थिर रह सकता है, जिससे **निरंतर निगरानी और संचार की सुविधा मिलती है।**
- वर्ष 2011 में अल्फाबेट द्वारा शुरू किये गए **प्रोजेक्ट लून** के तहत दूरदराज़ क्षेत्रों में इंटरनेट प्रदान करने के क्रम में **समताप मंडल में शामिल गुब्बारों का उपयोग** किया जाना शामिल था लेकिन **व्यावसायिक व्यवहार्यता** की कमी के कारण इसे वर्ष 2020 में बंद कर दिया गया था।
- समताप मंडल क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा से शुरू होकर **समुद्र तल से लगभग 50 किलोमीटर तक फैला होता है** और इसमें **ओज़ोन परत** स्थित होती है, जो हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

भारत की ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना (GHCI)

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने **राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (NGHM)** के तहत भारत की ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना (GHCI) शुरू की है।

- **परिचय:** यह पहल **ग्रीन हाइड्रोजन (GH)** उत्पादन को प्रमाणित करने के साथ इस क्षेत्र में **पारदर्शिता एवं बाज़ार की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने** के क्रम में उन्नत ढाँचा निर्माण से संबंधित है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **उद्देश्य:** भारत में ग्रीन हाइड्रोजन बाज़ार को बढ़ावा देना, जिससे कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने, निर्यात को बढ़ावा देने तथा ऊर्जा-गहन क्षेत्रों को स्वच्छ ईंधन अपनाने के लिये प्रोत्साहित किया जा सके।
  - **कांडला, पारादीप और तूतीकोरिन** जैसे अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह शहरों को **निर्यात** के क्रम में **ग्रीन हाइड्रोजन** उत्पादन के **मुख्य केंद्र** के रूप में चुना गया है।
  - इससे **ग्रीनवॉशिंग** (जिसमें कंपनियाँ **झूठे दावे** करके खुद को **पर्यावरण अनुकूल बताती हैं**) पर अंकुश लग सकेगा।
- **प्रमाणन प्रक्रिया:** अनुपालन सुनिश्चित करने के क्रम में इसे **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE)** द्वारा मान्यता प्राप्त **कार्बन सत्यापन (ACV) एजेंसी** द्वारा सत्यापित किया जाना शामिल है।
  - यह प्रमाणपत्र **हस्तांतरणीय** न होने के साथ **इसका व्यापार नहीं** किया जा सकता है तथा इसका उपयोग **उत्सर्जन कटौती क्रेडिट** का दावा करने के लिये भी नहीं किया जा सकता है।
  - BEE ने **CCTS** के तहत **ग्रीन हाइड्रोजन** का उपयोग करने वाले कुछ **विशिष्ट क्षेत्रों (जैसे सीमेंट)** के लिये **ऑफसेट तंत्र** की भी घोषणा की है ताकि उन्हें **ऋण अर्जित करने तथा व्यापार करने** में सहायता मिल सके।
- **प्रयोज्यता:** यह प्रमाणन योजना केवल **इलेक्ट्रोलिसिस या बायोमास के रूपांतरण** से **ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन** पर लागू है।

HADR अभ्यास में भागीदारी हेतु INS शारदा मालदीव पहुँचा

INS शारदा, मालदीव राष्ट्रीय सुरक्षा बल (MNDF) के साथ संयुक्त मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HADR) अभ्यास हेतु **मालदीव के माफिलाफुशी एटॉल** पहुँचा।

- यह अभ्यास **हिंद महासागर क्षेत्र (IOR)** से संबंधित भारत के **"MAHASAGAR (क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिये पारस्परिक एवं समग्र उन्नति)" दृष्टिकोण** के अनुरूप है।
  - इससे पूर्व वर्ष 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी के बाद, भारतीय नौसेना ने अपने HADR ऑपरेशन के भाग के रूप में, संकट के दौरान मालदीव को राहत प्रदान करने के क्रम में **ऑपरेशन कैक्टस** शुरू किया था।
- HADR अभ्यास का उद्देश्य **मानवीय चुनौतियों** के संदर्भ में प्रभावी प्रतिक्रिया के क्रम में भारतीय नौसेना तथा **MNDF** के बीच अंतर-संचालनशीलता को बढ़ावा देना है।
- **सुकन्या श्रेणी के गश्ती पोत INS शारदा (P55) को वर्ष 2024 में सोमालिया तट पर** अपहृत **ईरानी पोत ओमारी से 19 बंधकों को बचाने हेतु 'ऑन द स्पॉट यूनिट सिटेशन'** से सम्मानित किया गया, जिससे इसकी परिचालन उत्कृष्टता के साथ हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री सुरक्षा में इसकी भूमिका पर प्रकाश पड़ता है।
- **भारत और मालदीव के बीच अभ्यास:** द्विपक्षीय अभ्यासों में **"एकुवेरिन** (सेना) **और "एकाथा** (नौसेना)" शामिल हैं जबकि त्रिपक्षीय तट रक्षक अभ्यास **"दोस्ती"** में श्रीलंका भी शामिल होता है।
- **एटॉल:** एटॉल का आशय एक वलय के आकार की मूंगा चट्टान, द्वीप या टापुओं की श्रृंखला से है। इससे लैगून नामक जल निकाय घिरा रहता है।



दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

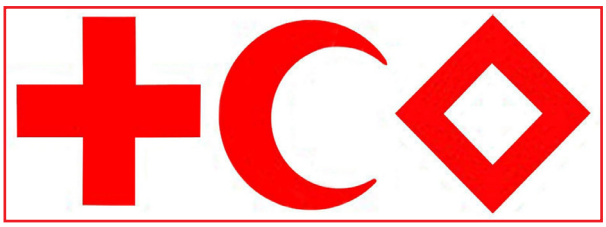
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

वर्ल्ड रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे

वर्ल्ड रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है ताकि पूरे विश्व में लाखों स्वयंसेवकों के मानवीय प्रयासों को सम्मानित किया जा सके।

- **थीम 2025: "मानवता को जीवित रखना (Keeping Humanity Alive)"** बढ़ती असमानताओं, स्वास्थ्य संकटों और संघर्षों के बीच मानवीय सेवा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:** यह दिवस वर्ष 1948 में स्थापित किया गया था ताकि **हेनरी ड्यूना के जन्म (8 मई 1828) की स्मृति में मनाया जा सके,** जो **इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस (ICRC)** के संस्थापक और पहले नोबेल शांति पुरस्कार विजेता थे। उन्होंने यह पुरस्कार **फ्रेडरिक पैसी** के साथ साझा किया था।
  - **सैलफ्रीनों के युद्ध (1859)** की भयावहता को देखने के बाद, हेनरी ड्यूना ने मानवीय सहायता संगठनों की आवश्यकता पर बल दिया, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1863 में **इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस (ICRC)** की स्थापना हुई और बाद में **जिनेवा कन्वेंशन** का गठन हुआ।
  - **इंटरनेशनल रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट,** जिसमें 80 मिलियन से अधिक सदस्य हैं, में ICRC और 191 राष्ट्रीय समितियाँ शामिल हैं। यह संघर्षों और आपदाओं के दौरान सुरक्षा एवं सहायता प्रदान करता है तथा इसे **रेड क्रॉस, रेड क्रिसेंट व रेड क्रिस्टल** के प्रतीकों द्वारा मान्यता प्राप्त है।
- **महत्त्व:** यह दिवस **मानवता, निष्पक्षता और तटस्थता के सिद्धांतों** को बढ़ावा देते हुए **आपात स्थितियों, युद्धों एवं आपदाओं** में सहायता करने वाले स्वयंसेवकों को सम्मानित करता है।
- **इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी (IRCS):** इसकी स्थापना वर्ष 1920 में की गई थी। यह आपदा राहत और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती है। भारत के राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष होते हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इसके चेयरमैन होते हैं।



अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस

अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस प्रत्येक वर्ष **8 मई को वंशानुगत रक्त विकार** रोग **थैलेसीमिया** की रोकथाम, जागरूकता और शीघ्र निदान के लिये एक वैश्विक प्रयास के रूप में मनाया जाता है।

- **वर्ष 2025** का विषय है **"Together for Thalassemia: Uniting Communities, Prioritizing Patients थैलेसीमिया के लिये एक साथ: समुदायों को एकजुट करना, मरीजों को प्राथमिकता देना"।**
- **थैलेसीमिया के बारे में:**
  - **आँकड़े: भारत, जिसे "थैलेसीमिया की राजधानी"** कहा जाता है, में **50 मिलियन बीटा थैलेसीमिया वाहक** हैं और **वैश्विक मामलों में इसका योगदान 25% है** ।
  - उपचार: इसमें स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के स्तर को बनाए रखने के लिये नियमित रक्त आधान , तथा लौह की अधिकता को रोकने के लिए लौह केलेशन थेरेपी शामिल है।
  - गंभीर मामलों में, अस्थि मज्जा या स्टेम कोशिका प्रत्यारोपण से संभावित उपचार संभव है।
- **उन्मूलन हेतु पहल:**
  - राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अंतर्गत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को थैलेसीमिया जाँच, उपचार और संबंधित बुनियादी ढाँचे के लिये सहायता मिलती है। सरकार ने रोग के बोझ को कम करने के लिये प्रारंभिक वाहक का पता लगाने और आनुवांशिक परामर्श हेतु प्रजनन व बाल स्वास्थ्य (RCH) कार्यक्रम में थैलेसीमिया परीक्षण को एकीकृत करने की सिफारिश की है।
  - **हीमोग्लोबिनोपैथी की रोकथाम और नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPPCH) के तहत** जागरूकता

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

बढ़ाने, प्रभावित व्यक्तियों के लिये **परामर्श एवं परीक्षण सेवाएँ प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है।**

- **थैलेसीमिया बाल सेवा योजना (TBSY)** देश भर में **17 सूचीबद्ध अस्पतालों** में **कोल इंडिया लिमिटेड के CSR** के माध्यम से अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

हेन्यो में आनुवंशिक अनुकूलन

दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप की **महिला गोताखोरों** के एक समूह, हैन्यो में उनके अद्वितीय गोताखोरी अभ्यासों से संबंधित **आनुवंशिक अनुकूलन** और **शारीरिक परिवर्तन** दोनों पाए गए हैं।

- दीर्घकालिक **गोताखोरी अभ्यास** और **प्राकृतिक चयन ने ब्रैडीकार्डिया (हृदय गति का धीमा होना), रक्तचाप विनियमन** और **शीत सहनशीलता** जैसे लक्षणों को आकार दिया है।
- **हैन्यो के बारे में: वे ऑक्सीजन मास्क का उपयोग किये बिना,** जीविका हेतु **एबालोन** और **सी अर्चिन** जैसे शंखों को पकड़ने के लिये **10 मीटर** तक पानी के नीचे गोता लगाते हैं।
  - उनकी संस्कृति को वर्ष 2016 से **यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत** के हिस्से के रूप में मान्यता दी गई है।
- **जेजू द्वीप:** यह दक्षिण कोरिया का एक ज्वालामुखीय द्वीप है (जो बेसाल्ट और लावा से बना है) और यहाँ देश का सबसे ऊँचा पर्वत **हल्लासान (एक सुप्त ज्वालामुखी, 1,950 मीटर ऊँचा)** स्थित है।
- **जेजू ज्वालामुखी द्वीप और लावा गुफाएँ एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं,** जो अपनी अनोखी भूविज्ञान और मुख्य ज्वालामुखी के चारों ओर स्थित **360 उपग्रह ज्वालामुखियों** के लिये प्रसिद्ध हैं।



अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती

महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने मुंबई के बाहर **चोंडी** में अपनी पहली बैठक आयोजित की, ताकि **मालवा की रानी अहिल्याबाई होलकर** की **300वीं जयंती (31 मई 2025)** को चिह्नित किया जा सके और उनकी विरासत को सम्मानित किया जा सके।

- **जन्म और पृष्ठभूमि:** अहिल्याबाई का जन्म **31 मई 1725** को **चोंडी, अहमदनगर (महाराष्ट्र)** में हुआ था। उनके पिता, **मानकोजी राव शिंदे**, गाँव के मुखिया थे।
- **विवाह और प्रारंभिक जीवन:** उनका विवाह वर्ष **1733** में **खांडेराव होलकर** से हुआ था, जो **मल्हार राव होलकर** के पुत्र थे। मल्हार राव होलकर **मालवा के शासक** और **होलकर वंश के संस्थापक** थे।
  - **वर्ष 1745 में कुम्हेर किले की घेराबंदी** में खांडेराव की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई विधवा हो गईं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- मल्हार राव होल्कर ने अहिल्याबाई को सती होने से रोका और **उन्हें सैन्य एवं प्रशासनिक मामलों में प्रशिक्षित किया।**

- **सत्ता पर आरोहण:** वर्ष 1766 में **मल्हार राव होलकर** और वर्ष 1767 में उनके पुत्र **मालेराव होलकर** की मृत्यु के बाद, **अहिल्याबाई होलकर** ने **मालवा की बागडोर संभाली** और वर्ष 1767 **में इंदौर की शासिका** बनीं।
  - उन्होंने **तुकोजी राव होल्कर** को सेनापति नियुक्त किया और **मध्य प्रदेश में महेश्वर को होल्कर राजवंश** की राजधानी बनाया।
- **सामाजिक और आर्थिक योगदान:** अहिल्याबाई होलकर ने **सोमनाथ** और **काशी विश्वनाथ मंदिरों** का पुनर्निर्माण कराया, जिससे **भगवान शिव के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों** की पुनर्स्थापना हुई। उन्होंने **खुशाली राम**, **मराठी कवि मोरोपंत** और **शाहीर अनंतफंदी** जैसे विद्वानों को संरक्षण दिया।
  - उन्होंने **महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया** और सती प्रथा जैसी प्रथाओं का विरोध किया, साथ ही भील, गोंड जनजातियों तथा निम्न जातियों का उत्थान किया।
  - उन्होंने महेश्वर और इंदौर को प्रमुख व्यापार केंद्र बनाया, माहेश्वरी बुनाई उद्योग को बढ़ावा दिया और माहेश्वरी साड़ियों को पूरे भारत में प्रसिद्ध बनाया तथा अब इसे **भौगोलिक संकेतक (GI) टैग** के साथ पंजीकृत किया गया है।



रेबीज़

केरल में **तीन टीकाकृत बच्चों की रेबीज़** से **मृत्यु हो गई, जबकि उन्हें उचित मात्रा में टीका लगाया गया था, जिससे समय पर हस्तक्षेप** को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं।

- पीड़ितों के **सिर और हाथ में गहरी चोटें आईं** , जहाँ **घने तंत्रिका नेटवर्क थे**, जिससे **वायरस को तंत्रिका तंत्र तक तेज़ी से पहुँचने में मदद मिली।**
  - रेबीज़ तंत्रिकाओं के माध्यम से **केंद्रीय तंत्रिका तंत्र (CNS) को संक्रमित करता है और संवेदनशील भाग पर काटने से उसके बाद हुए टीकाकरण** की प्रभावशीलता कम हो जाती है।
- **प्राथमिक उपचार में विफलता (घावों को साबुन और पानी से न धोना) से वायरस के संचरण** का जोखिम काफी बढ़ जाता है।
- **रेबीज़:** यह एक **घातक पशुजन्य वायरल रोग** है जो मनुष्यों सहित स्तनधारियों के **केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है।**
  - **यह रेबीज़ वायरस** के कारण होता है और **लक्षण दिखने पर** लगभग 100% घातक होता है।
    - **लक्षण प्रकट होने से पहले** समय पर चिकित्सा देखभाल से **रेबीज़ को 100% रोका जा सकता है ।**
  - यह वायरस संक्रमित जानवरों (**कुत्तों, चमगादड़ों, रैकून, लोमड़ियों) की लार में मौजूद होता है और काटने, खरोंचने या खुले घावों** या **श्लेष्म झिल्ली को चाटने** के माध्यम से मानव शरीर में प्रवेश करता है।
  - वायरस तंत्रिकाओं के माध्यम से **मस्तिष्क तक पहुँचता है, मस्तिष्क में सूजन (एन्सेफेलाइटिस) उत्पन्न करता है, गंभीर तंत्रिका संबंधी समस्याएँ** उत्पन्न करता है तथा इनके परिणामस्वरूप मृत्यु हो जाती है।
  - **विश्व स्वास्थ्य संगठन की** रिपोर्ट के अनुसार भारत में **रेबीज़ का प्रकोप सबसे अधिक है** तथा वैश्विक रूप से रेबीज़ से होने वाली मौतों में से **36% यहीं होती हैं।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

इनसाइडर ट्रेडिंग

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने आरोप लगाया है कि बिलियनेयर गौतम अदानी के भतीजे ने मूल्य संवेदनशील जानकारी साझा की और इनसाइडर ट्रेडिंग/आंतरिक व्यापार को रोकने के लिये बनाए गए नियमों का उल्लंघन किया।

- **परिचय: आंतरिक व्यापार (इंसाइडर ट्रेडिंग)** उस अवैध अभ्यास को कहते हैं, जिसमें किसी सार्वजनिक रूप से व्यापारित कंपनी के स्टॉक या सुरक्षा को कंपनी के बारे में महत्त्वपूर्ण, अप्रकाशित जानकारी (Material, Non-Public Information - MNPI) के आधार पर खरीदा या बेचा जाता है।
  - यह व्यापारी को अन्य निवेशकों पर अनुचित लाभ प्रदान करता है और बाज़ार की निष्पक्षता को कमज़ोर करता है।
  - आंतरिक व्यक्ति में **कंपनी के कार्यकारी, निदेशक,** गोपनीय डेटा (जो स्टॉक कीमतों को प्रभावित करता है) तक पहुँच रखने वाले कर्मचारी, उनके संबंधी या सहयोगी, और कंपनी के साथ कार्य कर रहे पेशेवर जैसे वकील, बैंकर्स या ऑडिटर्स शामिल हो सकते हैं।
- भारत में, इंसाइडर ट्रेडिंग **सेबी अधिनियम, 1992** के तहत प्रतिबंधित है और **सेबी (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015** द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो इंसाइडर ट्रेडिंग को प्रतिबंधित करने और सीमित करने के लिये नियम निर्धारित करते हैं।
- **फ्रंट-रनिंग एक अवैध अभ्यास** है, जिसमें व्यापारी या ब्रोकर अपने ग्राहकों के लंबित लेन-देन की पूर्व जानकारी का उपयोग करके अपेक्षित मूल्य परिवर्तनों से लाभ कमाने का प्रयास करते हैं।
  - आंतरिक व्यापार के विपरीत, यह बड़े आदेशों की जानकारी का लाभ उठाता है, न कि कंपनी की गैर-प्रकाशित जानकारी।
  - दोनों अभ्यास भारत में SEBI विनियमों के तहत **प्रतिबंधित** हैं।

कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC)

कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC) अपने खनिज-समृद्ध क्षेत्रों की सुरक्षा और राष्ट्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये रवांडा तथा **M23 मिलिशिया** के साथ शांति वार्ता कर रहा है।

- संयुक्त राज्य अमेरिका शांति स्थापित करने और **कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC)** के साथ द्विपक्षीय **महत्त्वपूर्ण खनिज** समझौते करने के उद्देश्य से शांति वार्ताओं में सहायता कर रहा है।
- फरवरी 2025 में, रवांडा समर्थित **M23 मिलिशिया ने गोमा और बुकावु** जैसे शहरों पर कब्जा कर लिया तथा विश्व के चौथे सबसे बड़े टिन उत्पादक **बिसी टिन खदान** को धमकी दी।
- कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC) के उत्तर और **दक्षिण किवु प्रांत टिन, टंगस्टन और टैंटेलम (कोल्टन अयस्क)** (3T खनिज) में समृद्ध हैं।
  - DRC **कोबाल्ट का सबसे बड़ा स्रोत है** (वैश्विक आपूर्ति का 70%) और **विश्व के 40% कोल्टन का स्रोत है,** जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिये टैंटेलम कैपेसिटर में किया जाता है, क्योंकि इसमें **उच्च चार्ज प्रतिधारण क्षमता** है।
- M23 मिलिशिया पूर्वी DRC में एक तुत्सी नेतृत्व वाला विद्रोही समूह है जो **तुत्सी समुदायों की रक्षा के लिये लड़ता है। वे DRC सरकार और एक हुतु-संबद्ध मिलिशिया से लड़ रहे हैं, जिसका संबंध वर्ष 1994 के रवांडा जनसंहार से है।**
  - ऐसा माना जाता है कि **M23 को रवांडा का समर्थन प्राप्त है,** जबकि हुतु को इस क्षेत्र के कुछ हुतु समूहों का समर्थन प्राप्त है।
- DRC **अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है,** जिसमें खनिज (कोबाल्ट, तांबा, टिन, यूरेनियम, हीरे) से **समृद्ध कटंगा पठार** है।
  - इसकी राजधानी किंशासा कांगो नदी पर स्थित है, जो **भूमध्य रेखा को दो बार पार करने वाली एकमात्र अफ्रीकी नदी है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

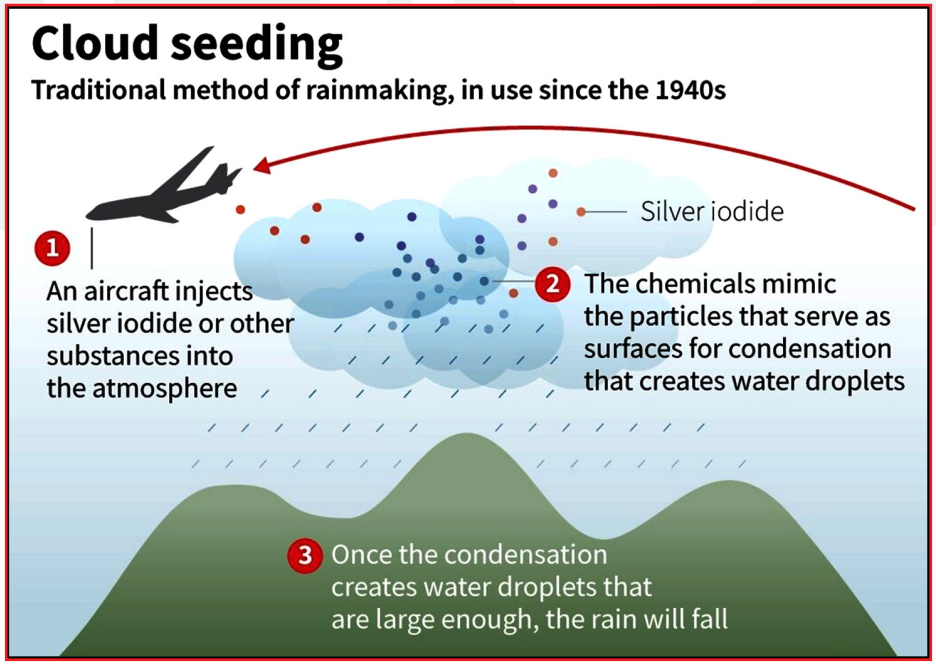
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

क्लाउड सीडिंग

दिल्ली मंत्रिमंडल ने वायु प्रदूषण और जल की कमी को दूर करने के उद्देश्य से **क्लाउड सीडिंग परीक्षण करने की परियोजना को स्वीकृति दे दी है।**

- **क्लाउड सीडिंग:** यह एक **मौसम परिवर्तन तकनीक है जो सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड या सूखी बर्फ** जैसे रसायनों को बादलों में विसरित करती है, जो जल की बूंदों के निर्माण के लिये नाभिक के रूप में कार्य करते हैं, जिससे वर्षा उत्पन्न होती है।
- यह वायु प्रदूषण से निपटने में मदद कर सकती है, विशेषकर उच्च **वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) रीडिंग की अवधि के दौरान।**
  - क्लाउड सीडिंग से जल की उपलब्धता बढ़ सकती है तथा आर्थिक, पर्यावरणीय और मानव स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं।
- **क्लाउड सीडिंग के प्रकार:** स्थैतिक क्लाउड सीडिंग, जिसमें बर्फ के कणों को ठंडे बादलों में प्रविष्ट कराकर बर्फ के क्रिस्टल या हिमकण बनाए जाते हैं।
  - **गतिशील क्लाउड सीडिंग,** जो ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं को बढ़ाकर और वर्षा बादलों के विकास को बढ़ावा देकर वर्षा को उत्तेजित करती है।
  - **हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग,** जिसमें बादल की बूंदों के आकार को बढ़ाने के लिये लवण के बारीक कणों का उपयोग किया जाता है।
  - **ग्लेशियोजेनिक क्लाउड सीडिंग,** जो अतिशीतित बादलों में बर्फ के निर्माण को प्रेरित करती है, जिससे वर्षा होती है। इसका उपयोग बर्फबारी बढ़ाने, पर्वतीय हिमखंड को बढ़ाने, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में वर्षा को प्रेरित करने और वायु प्रदूषण को कम करने के लिये किया जाता है।



दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

वेम्बनाड झील

वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है, जो **अतिक्रमण, प्रदूषण और आक्रामक प्रजातियों** के कारण गंभीर क्षरण का सामना कर रही है, जिसके कारण **मछली पकड़ में 66% की गिरावट आई है और बाढ़ नियंत्रण क्षमता कम हो गई है।**

वेम्बनाड झील:

- केरल की सबसे लंबी **वेम्बनाड झील**, जिसे **वेम्बनाड कायल और कोच्चि झील (कोच्चि में)** के नाम से भी जाना जाता है, **अलाप्पुझा, कोट्टायम और एर्नाकुलम में 96.5 किमी तक फैली हुई है।**
- यह वर्ष 2002 से **रामसर वेटलैंड** (सुंदरबन के बाद दूसरा सबसे बड़ा रामसर स्थल) रहा है और राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम का हिस्सा है।
- यह चार नदियों **मीनाचिल, अचनकोविल, पम्पा और मणिमाला** से पोषित होता है तथा एक संकीर्ण अवरोधक द्वीप द्वारा अरब सागर से अलग होता है।
- अगस्त में यहाँ **वार्षिक वल्लम काली (नेहरू ट्रॉफी बोट रेस)** का आयोजन किया जाता है।
- **कुमरकुम पक्षी अभयारण्य** इसके पूर्वी तट पर स्थित है।
- वर्ष 2019 में, **कोच्चि का विलिंगडन द्वीप झील** से बना था।
- **1,252 मीटर लंबा थन्नीरमुकोम लवणीय जल का बैराज,** भारत का सबसे बड़ा कीचड़ नियामक है जो वर्ष 1976 से चालू है और वेम्बनाड झील को स्वच्छ जल और लवणीय जल के खंडों में विभाजित करता है।



समुद्री प्रदूषण का समुद्री पक्षियों पर प्रभाव

एक शोध में पता चला है कि समुद्री पक्षियों द्वारा **प्लास्टिक निगलने** से न केवल उन्हें शारीरिक क्षति होती है, बल्कि यह उनके हार्मोनल तंत्र भी बाधित होता है, जिससे दीर्घकालिक जैविक जोखिम उत्पन्न होते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **अल्बाट्रॉस, पेट्रेल और शीयरवाटर** (*प्रोसेलेरिफॉर्मिस समूह के सदस्य*) जैसे समुद्री पक्षी अपने भोजन खोजने के व्यवहार और अद्वितीय पाचन तंत्र के कारण प्लास्टिक के अंतर्ग्रहण की उच्च क्षमता रखते हैं।
- निगले गए प्लास्टिक से शारीरिक क्षति हो सकती है (जैसे, रुकावट, छिद्र, कुपोषण) और विषाक्त रसायन का उत्सर्जन हो सकता हैं, जो हार्मोनों को प्रभावित करते हैं।
- **समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण: समुद्री कचरे का 80% प्लास्टिक प्रदूषण है**, जिसमें हर साल **8-10 मिलियन मीट्रिक टन** प्लास्टिक समुद्र में पहुँचता है। वर्ष 2050 तक, समुद्र में मछलियों की तुलना में प्लास्टिक का वजन अधिक हो सकता है।
- वर्तमान में 50-75 ट्रिलियन प्लास्टिक के भाग हमारे महासागरों को प्रदूषित करते हैं, विशाल अपशिष्ट के रूप में एकत्रित होते हैं या सूक्ष्म प्लास्टिक कणों में टूट जाते हैं।
  - समुद्री प्रदूषण **जैव विविधता को नुकसान पहुँचाता है, समुद्री जल में ऑक्सीजन के स्तर को कम, गहरे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित**, समुद्री खाद्य शृंखला को दूषित करता है तथा मानव स्वास्थ्य एवं तटीय आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।
- **समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण: प्लास्टिक प्रदूषण और समुद्री अपशिष्ट पर वैश्विक साझेदारी** (GPML), वर्ष 2012 में स्थापित, वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण का सामना करने के लिये एक बहु-हितधारक मंच है।
- UNEP **स्रोत-से-समुद्र प्रदूषण इकाई इसके सचिवालय** के रूप में कार्य तथा ज्ञान-साझाकरण और संयुक्त कार्रवाई का समर्थन करती है।
  - **वर्ष 1972 के लंदन कन्वेंशन और जहाज़ों से प्रदूषण की रोकथाम के लिये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन** (MARPOL) का उद्देश्य जहाज़ों और अपशिष्ट डंपिंग के उत्सर्जन से होने वाले समुद्री प्रदूषण को रोकना है।

INS तमाल

भारतीय नौसेना को रूस से उन्नत स्टील्थ युद्धपोत INS तमाल प्राप्त होने वाला है।

- **परिचय: तमाल** एक **स्टील्थ युद्धपोत** है, जिसे वर्ष 2016 में हुए **भारत -रूसी समझौते** के तहत निर्मित किया गया है, जिसमें दो पोत **रूस** में और दो **भारत** में बनाए गए हैं।
  - INS तमाल इस शृंखला में **रूस द्वारा निर्मित दूसरा फ्रिगेट** है, जो **INS तुशील** (जिसे दिसंबर 2024 में नौसेना में शामिल किया गया था) के बाद आता है।
- **उन्नत विशेषताएँ:**
- **सटीक हमले:** यह युद्धपोत प्रति अभियान 30 नॉट की गति और 3,000 किमी की रेंज तक संचालन करने में सक्षम है।
- **पनडुब्बी रोधी हथियार:** इसमें **टॉरपीडो** और **ब्रह्मोस** जैसी रॉकेट प्रणालियाँ लगी हैं।
  - **ब्रह्मोस** एक **सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल** है जिसकी मारक क्षमता लगभग **300-400 कि.मी** है और यह **मैक 3** के समीप की गति से चलती है, जिससे **तीव्र प्रतिक्रिया** संभव होती है।
- **हेलीकॉप्टर तैनाती:** यह युद्धपोत बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर संचालित कर सकता है, जिससे निगरानी और युद्ध क्षमता में वृद्धि होती है।
- **स्टील्थ डिज़ाइन:** इसका निर्माण इस प्रकार किया गया है कि यह रडार से बच सके, जिससे आधुनिक नौसैनिक युद्ध में इसकी उत्तरजीविता क्षमता बढ़ जाती है।



सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय: लाइसेंस प्राप्त स्टाम्प विक्रेता 'लोक सेवक' घोषित

भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने दिल्ली उच्च न्यायालय के इस दृष्टिकोण को मान्यता दी कि **लाइसेंस प्राप्त स्टाम्प विक्रेता**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत '**लोक सेवक**' हैं, क्योंकि उनकी भूमिका कानूनी लेन-देन में महत्त्वपूर्ण माने जाने वाले स्टाम्प पेपर की उपलब्धता सुनिश्चित करने से संबंधित है।

- सर्वोच्च न्यायालय ने उल्लेख किया कि लाइसेंस प्राप्त स्टाम्प विक्रेताओं को सरकार द्वारा कमीशन या छूट के माध्यम से पारिश्रमिक प्राप्त होता है, जो उन्हें लोक सेवा और राज्य द्वारा प्रदत्त वेतन से जोड़ता है।
- **लोक सेवक:** सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 2(c)** के तहत 'लोक सेवक' वह व्यक्ति होता है जो सरकार की सेवा में हो या उससे वेतन प्राप्त करता हो।
- इसमें वे व्यक्ति भी शामिल होते हैं जिन्हें किसी सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वहन के लिये सरकार द्वारा शुल्क या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक दिया जाता है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि '**लोक सेवक**' शब्द की व्याख्या व्यापक और उद्देश्यपरक तरीके से की जानी चाहिये, ताकि भ्रष्टाचार निवारण कानून के उद्देश्यों की रक्षा हो सके।

AI-सक्षम जल एटलस

हरियाणा द्वारा **हरियाणा जल संसाधन एटलस 2025 लॉन्च किया है**, जो एक **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) संचालित भू-स्थानिक प्लेटफॉर्म है** जो राज्य के तेज़ी से **घटते जल भंडार की निगरानी, प्रबंधन और संरक्षण करता है।**

AI-सक्षम जल एटलस

- यह मंच **भूजल स्तर, सतही जल निकायों, जलभृतों, पुनर्भरण क्षेत्रों, नहर प्रणालियों** और **फसल प्रतिरूप** के बारे में **वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करता है।**
- यह **उपग्रह डेटा, GPS सर्वेक्षण, IMD मौसम संबंधी इनपुट और केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB), सिंचाई व कृषि विभागों के डेटा** को एकीकृत करके जल संरक्षण, टिकाऊ कृषि और बुनियादी ढाँचे की योजना के लिये **वास्तविक समय, डेटा-संचालित समर्थन प्रदान करता है।**

भारत AI की मदद से प्रभावी जल प्रबंधन में कदम बढ़ा रहा है। हाल ही में, **IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने पीने के जल में आर्सेनिक प्रदूषण का** पता लगाने के लिये एक **AI-आधारित भविष्यवाणी मॉडल** भी विकसित किया है।

अमेरिका ने भारत को 'प्रायोरिटी वॉच लिस्ट' में रखा

संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि (USTR) ने वर्ष 2025 की स्पेशल 301 रिपोर्ट के तहत भारत को अपनी '**प्रायोरिटी वॉच लिस्ट**' **(PWL)** में शामिल किया है, यह कहते हुए कि **बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)** की सुरक्षा और प्रवर्तन में लगातार चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

- यह **USTR स्पेशल 301 रिपोर्ट** में प्रयुक्त एक वर्गीकरण है, जो उन देशों को चिह्नित करता है, जिनमें IP संरक्षण और प्रवर्तन में बड़ी कमियाँ हैं, जो अमेरिकी नवाचार तथा व्यवसायों के लिये जोखिम उत्पन्न करते हैं।
- **संभावित प्रभाव:**
  - यदि देशों ने महत्त्वपूर्ण सुधारों का प्रदर्शन करने में विफलता जताई, तो USTR **औपचारिक व्यापार जाँच** प्रारंभ कर सकता है या प्रतिबंध लगा सकता है।
  - भारत की प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में स्थिति अमेरिकी व्यापार वार्ता पर प्रभाव डाल सकती है, लेकिन भारत का कहना है कि इसके IP कानून **WTO, TRIPS** अनुपालन के अनुरूप हैं।

संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत आत्मरक्षा खंड

चर्चा में क्यों ?

पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत ने आत्मरक्षा में **ऑपरेशन सिंदूर** चलाया था, **जिससे भारत की प्रतिक्रिया के औचित्य और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत आत्मरक्षा के अधिकार के अनुच्छेद 51** के साथ इसके संरेखण पर सवाल उठ रहे हैं।

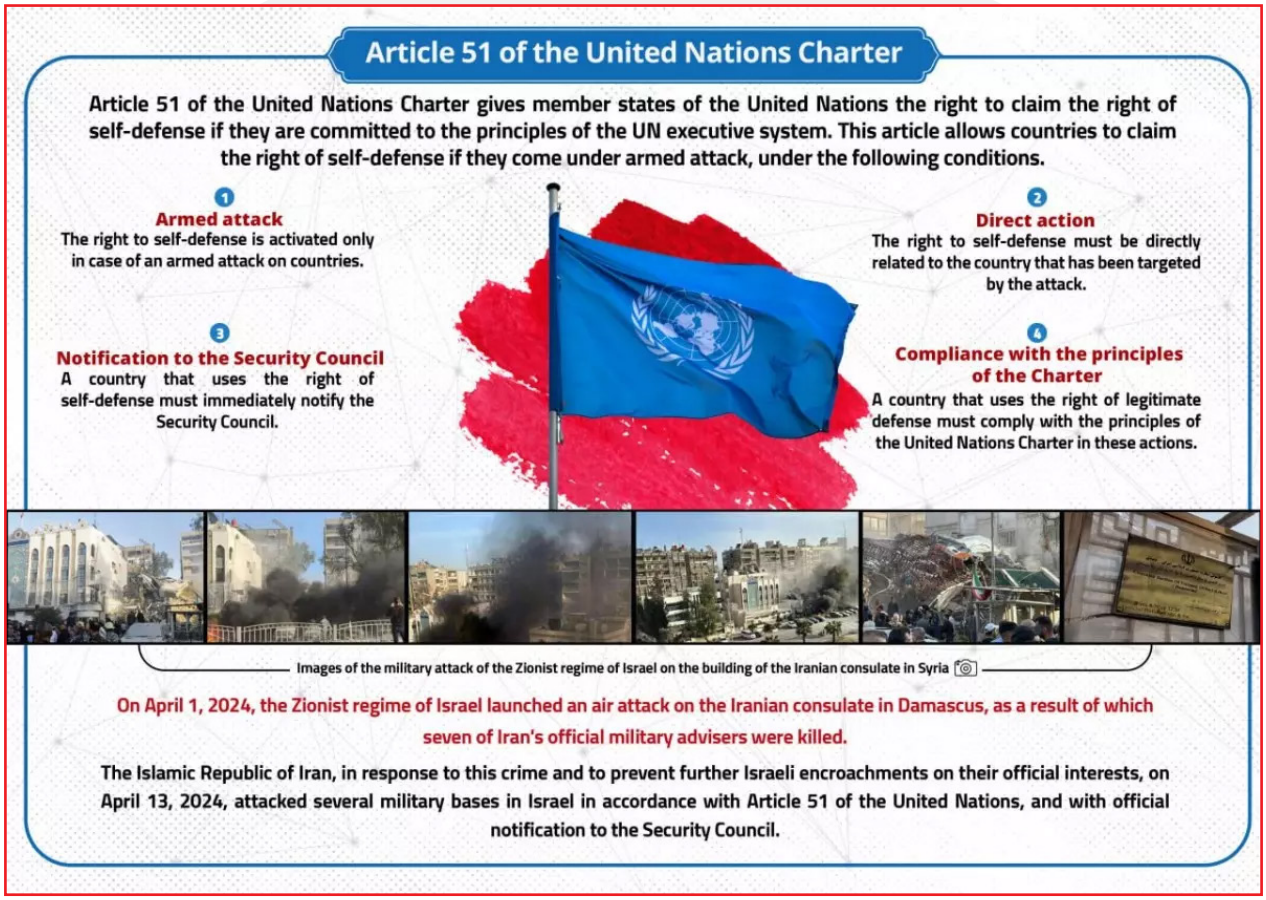
दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

संयुक्त राष्ट्र चार्टर में अनुच्छेद 51 क्या है?

- संयुक्त **राष्ट्र चार्टर** आम तौर पर **अनुच्छेद 2(4) के तहत बल के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाता है,** जो **सदस्य राज्यों को किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता** या **राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल का उपयोग करने से रोकता है**, सिवाय **अनुच्छेद 51** द्वारा अनुमत **आत्मरक्षा के मामलों को छोड़कर।**
- इसके तहत, **आत्मरक्षा की अनुमति** केवल "सशस्त्र हमले" के बाद ही दी जाती है और इसके **लिये दो सिद्धांतों का पालन करना होता है: आवश्यकता** (हमले का जवाब देने के लिये बल का प्रयोग आवश्यक होना चाहिये) और **आनुपातिकता** (**प्रतिक्रिया, हमले को रोकने के लिये आवश्यक बल से अधिक नहीं होनी चाहिये**)।
- चार्टर **राज्य के आचरण और राज्य द्वारा प्रायोजित बल प्रयोग को नियंत्रित करता है**। हालाँकि, ***निकारागुआ बनाम अमेरिका मामले (1986) में,*** ICJ **ने** माना कि **अनुच्छेद 51 के तहत सशस्त्र हमले में** अल-कायदा जैसे गैर-राज्य अभिकर्त्ताओं द्वारा किये गए कृत्य शामिल हैं, **अगर वे "किसी राज्य द्वारा या उसकी ओर से" किये गए हों।**
- **भारत ने** इस हमले के लिये **पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित और समर्थित आतंकवादियों को ज़िम्मेदार ठहराया तथा** आवश्यकतानुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अधिकांश सदस्यों को जानकारी देकर अनुच्छेद 51 के तहत अपने कर्तव्य को आंशिक रूप से पूरा किया।



दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

अनविलिंग ऑर अनएबल डॉक्ट्रिन संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 से कैसे संबंधित है?

- यह सिद्धांत एक राज्य को तब आत्मरक्षा में बल प्रयोग की अनुमति देता है जब किसी अन्य राज्य की सीमा में सक्रिय **गैर-राज्य अभिकर्त्ता (NSA)** के विरुद्ध वह राज्य स्वयं कार्रवाई करने में असमर्थ या अनिच्छुक हो, और यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत एक अपवाद के रूप में लागू होता है।
  - अमेरिका ने इस सिद्धांत का प्रयोग वर्ष 2011 में पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन के विरुद्ध की गई सैन्य कार्रवाई में किया था, किंतु रूस और चीन ने इस पर आलोचना करते हुए कहा कि यह राज्य की संप्रभुता और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली को कमज़ोर करता है।
- **भारत की स्थिति: फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की आरिया फॉर्मूला बैठक** में, भारत ने इस सिद्धांत के उपयोग के लिये **तीन शर्तें** निर्धारित कीं:
  - गैर-राज्य अभिकर्त्ता ने बार-बार राज्य पर हमला किया हो।
  - मेज़बान राज्य उस खतरे को निष्क्रिय करने के लिये इच्छुक न हो।
  - मेज़बान राज्य सक्रिय रूप से उस गैर-राज्य अभिकर्त्ता का समर्थन या प्रायोजन करता हो।
- **पहलगाम हमले** के बाद, भारत ने पाकिस्तान पर निष्क्रियता का आरोप लगाया और "अनविलिंग ऑर अनएबल" डॉक्ट्रिन के उपयोग का संकेत दिया।

भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य

भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य (BWS) के **पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र** में लोगों के अतिक्रमण ने संरक्षणवादियों के बीच गंभीर चिंता उत्पन्न कर दी है, जिससे क्षेत्र के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता के लिये खतरा उत्पन्न हो गया है।

- **पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों** के आसपास के **बफर क्षेत्र (10 किमी तक)** हैं, जिन्हें अनावश्यक मानवीय गतिविधियों को कम करने हेतु घोषित किया गया है तथा **राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (वर्ष 2002-2016)** के अनुसार **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986** के तहत अधिसूचित किया गया है।
  - **निषिद्ध वाणिज्यिक खनन, प्रदूषणकारी उद्योग**, प्रमुख जलविद्युत परियोजनाएँ, आरा मिल, लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग आदि।
  - **विनियमित : वृक्षों की कटाई**, होटल/रिसॉर्ट का निर्माण, **वाणिज्यिक जल उपयोग**, कीटनाशक आधारित कृषि आदि।
  - **अनुमति प्राप्त : पारंपरिक खेती, वर्षा जल संचयन, जैविक खेती**, नवीकरणीय ऊर्जा और **हरित प्रौद्योगिकियों का उपयोग**
- **भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य:** BWS कर्नाटक के **बेलगाम ज़िले में** गोवा की सीमा के पास स्थित है। यह **पश्चिमी घाट में फैला हुआ है और दिसंबर 2011** में इसे वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था।
  - इसका नाम **भीमगढ़ किले के नाम पर रखा गया है, जिसे शिवाजी ने** 17वीं शताब्दी में पुर्तगाली सेनाओं से बचाव के लिये बनवाया था।
  - **यहाँ वेलवेट फ्रंटेड नटहैच, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, इंपीरियल पिजन, एमराल्ड पिजन** और दुर्लभ **मालाबार ट्रोगोन** सहित विविध जीव पाए जाते है।
    - इसे **बारापेडे गुफाओं** में पाए जाने वाले **रॉटन फ्री-टेल्ड बैट** के **एकमात्र ज्ञात प्रजनन स्थल के रूप में जाना जाता है।**
  - इस अभयारण्य में **वज्रपोहा जलप्रपात शामिल है** और यह **महादयी नदी के जलग्रहण क्षेत्र का हिस्सा है।**

स्वार्थचालित कीमत

भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI) ने विशेष रूप से **ई-कॉमर्स** और **त्वरित वाणिज्य प्लेटफार्मों को लक्षित करते हुए, स्वार्थचालित कीमत को** विनियमित करने हेतु **उत्पादन विनियम, 2025 की लागत का निर्धारण** अधिसूचित किया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002** के तहत परिभाषित, स्वार्थचालित कीमत से उस कीमत पर माल का विक्रय या सेवाओं की व्यवस्था करना अभिप्रेत है, जो प्रतिस्पर्द्धा को कम करने या प्रतिस्पर्द्धीयों को समाप्त करने की दृष्टि से माल के उत्पादन या सेवा की व्यवस्था की उस कीमत से कम हो जो विनिमयों द्वारा अवधारित की जाए।
  - एक बार जब **प्रतिस्पर्धी कंपनियाँ कमज़ोर हो जाती हैं या समाप्त हो जाती हैं**, तो कंपनी आमतौर पर अपने घाटे की भरपाई करने और **बाज़ार नियंत्रण (एकाधिकार) को** सुदृढ़ करने के लिये कीमतें बढ़ा देती है।
- **नए नियमों ने वर्ष** 2009 के नियमों को प्रतिस्थापित कर दिया है, जिसमें **बाज़ार मूल्य को** बेंचमार्क के रूप में हटा दिया गया है तथा **कुल लागत को पुनः परिभाषित किया गया है, जिसमें अधिक स्पष्टता के लिये मूल्यह्रास को** शामिल किया गया है तथा **वित्तपोषण उपरिव्ययों** (दैनिक व्यवसाय व्यय) को बाहर रखा गया है।
  - यह **क्षेत्र-अज्ञेय (तटस्थ), मामला-दर-मामला दृष्टिकोण का उपयोग करता है**, जो गतिशील डिजिटल बाज़ारों के लिये बेहतर अनुकूल है।
- CCI एक **वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002** के तहत निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने, प्रतिस्पर्द्धा-विरोधी प्रथाओं को रोकने और उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिये की गई है।

प्रतिस्पर्द्धा-विरोधी प्रथाओं से संबंधित शब्द	
उत्पादक संघ	**मूल्य निर्धारण और उत्पादन को विनियमित करने** के लिये स्वतंत्र व्यवसायों या देशों के **संघ** (आमतौर पर अवैध)।
विलय	विलय से कम्पनियाँ **एक इकाई में एकीकृत हो जाती हैं**, जिससे संभावित रूप से प्रतिस्पर्द्धा कम हो जाती है और विनियामक जाँच की आवश्यकता पड़ती है।
मूल्य निर्णय	एक ही उत्पाद/सेवा के लिये **अलग-अलग ग्राहकों से अलग-अलग कीमत** वसूलना।
मूल्य निर्धारण समझौते	प्रतिस्पर्धी **अपने उत्पादों/सेवाओं के लिये एक निश्चित मूल्य निर्धारित करने पर सहमत हो जाते हैं**, जिससे प्रतिस्पर्द्धा समाप्त हो जाती है और कीमतें बढ़ जाती हैं।

साओला

वैज्ञानिकों ने संरक्षण में सहायता के लिये **साओला (*Pseudoryx nghetinhensis*)** के **जीनोम** का मैपिंग किया है और पाया है कि यह प्रजाति 5,000 से 20,000 वर्ष पहले दो आबादियों में विभाजित हो गई थी, जो कि **अंतिम हिमनदी अधिकतम (लगभग 20,000 वर्ष पहले)** के दौरान और उसके बाद आवास परिवर्तनों के साथ मेल खाती है। वियतनाम में कृषि विस्तार ने आबादी को और अलग-थलग कर दिया।

- **साओला:** इसे प्रायः "एशियाई यूनिकॉर्न" कहा जाता है, यह सबसे दुर्लभ बड़े स्थलीय स्तनधारियों में से एक है और **बोविड वंश** (bovid genus) से संबंधित है। इसका शरीर **गहरे रंग** का, मृग जैसा होता है, जिसमें **कोमल फर**, सफेद चेहरे के निशान और दोनों लिंगों में लंबे, समांतर सींग पाए जाते हैं।
  - लाओ भाषा में **"साओला"** का अर्थ है **"spinning wheel posts" अर्थात् चरखे के स्तंभ के समान**, जो इसके सींगों के आकार को संदर्भित करता है।
- **आवास और अस्तित्व के खतरे:** साओला **वियतनाम और लाओस** के बीच **अन्नामाइट पर्वत शृंखला** के कुहासे से ढके ऊँचे वन क्षेत्रों में पाया जाता है।
  - इसे **गंभीर रूप से संकटग्रस्त (IUCN स्थिति)** के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा यह मुख्य रूप से **आवास की हानि एवं अवैध शिकार** के कारण खतरे में है।
- **व्यवहार:** साओला **दिनचर** (दैनिक समय में सक्रिय) होने के साथ **शाकाहारी** (पर्णभक्षी) होते हैं।
  - ये ज़्यादातर अकेले रहते हैं, हालाँकि 2-3 साओलों के छोटे समूह भी देखे गए हैं। नर प्रादेशिक होते हैं और चट्टानों तथा वनस्पतियों पर अपनी मैक्सिलरी ग्रंथियों के स्राव द्वारा अपने क्षेत्र को चिह्नित करते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

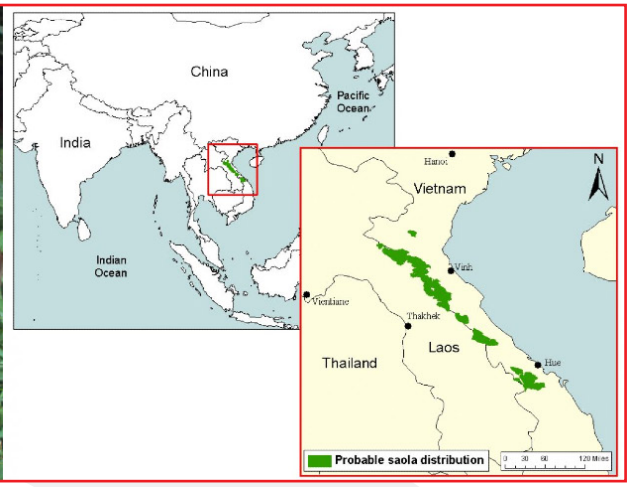
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट:

- **जनन: मादा की गर्भधारण अवधि 7-8 महीने** की होती है। वन क्षेत्र में साओला का जीवनकाल 8-11 वर्ष होने का अनुमान है।





कैलाश मानसरोवर यात्रा को जोड़ने वाले भू-रणनीतिक दर्रे

भारत ने **कैलाश मानसरोवर यात्रा (KMY)** की पुन: शुरुआत की घोषणा की, जो वर्ष 2020 में चीन द्वारा **कोविड-19** और **वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC)** तनाव के कारण 5 वर्ष के लिये रोक दी गई थी। KMY वर्ष 1981 से संचालन में है।

- **KMY: KMY विदेश मंत्रालय (भारत) द्वारा चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र (TAR) में कैलाश पर्वत (6,638 मीटर) और मानसरोवर झील (4,600 मीटर)** के लिये आयोजित एक तीर्थयात्रा है।
- **आधिकारिक परिचालन मार्ग (वर्ष 2025 तक):**
  - **लिपुलेख दर्रा (उत्तराखंड):** यह **मानसरोवर (सीमा से 50 किमी)** जाने का सबसे छोटा मार्ग है, लेकिन कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण इसकी यात्रा 200 किमी तक हो जाती है।
    - यह **वर्ष 1992 में चीन के साथ व्यापार के लिये खोली गई पहली भारतीय सीमा चौकी था,** इसके बाद **शिपकी ला (1994) और नाथू ला (2006) खोली गई।**
- **नाथू ला दर्रा (सिक्किम):** 1,500 किमी. का यह पूर्णत: वाहन योग्य मार्ग (यह विश्व की सबसे ऊंची वाहन योग्य सड़कों में से एक है) 2015 में खोला गया; तीर्थयात्रियों के लिए आसान है, इसमें चढ़ाई की आवश्यकता नहीं है।
  - **नाथू ला दर्रा (सिक्किम):** यह 1,500 किमी. का पूर्णत: मोटर वाहन योग्य मार्ग है (यह विश्व की सबसे ऊँचे मोटर वाहन योग्य सड़कों में से एक है) जिसे वर्ष 2015 में तीर्थयात्रियों के लिये खोल दिया गया है तथा इसमें पैदल यात्रा/ट्रैकिंग की आवश्यकता नहीं है।
    - नाथू ला **सिक्किम को चीन के TAR से जोड़ता है** और प्राचीन **सिल्क रोड** का हिस्सा है।
- **कैलाश पर्वत: कैलाश पर्वत, तिब्बत में स्थित एक हीरे के आकार की काले रंग की शिला शिखर, हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन धर्मों के लिये पवित्र है** तथा यह प्रमुख एशियाई नदियों जैसे **ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिंधु एवं कर्णाली** का स्रोत है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

भारत में प्रमुख दर्रे



तथ्य

- पूर्वी लद्दाख़ में स्थित **उमलिंग ला दर्रा** हाल ही में विश्व का सबसे ऊँचा मोटरेबल दर्रा बन गया है (प्रोजेक्ट हिमांक)।
- **लिपु लेख दर्रा उत्तराखंड (भारत), चीन और नेपाल के ट्राई जंक्शन** के निकट स्थित है।
- **नाथू ला** (सिक्किम) **भारत-तिब्बत सीमा** पर स्थित है। यह भारत और चीन के बीच तीन खुले व्यापारिक दर्रों में से एक है (अन्य दो दर्रे - **शिपकी ला और लिपु लेख**)।
- सिक्किम में स्थित **नाकू ला दर्रा** हाल ही में LAC **पर भारत-चीन गतिरोध** के कारण ख़बरों में था।
- **जोजिला दर्रा** लेह को श्रीनगर से जोड़ता है और इसे "Mountain Pass of Blizzards", अर्थात् बर्फीले तूफ़ानों के पर्वतीय दर्रे के रूप में जाना जाता है। जोजिला सुरंग **एशिया की सबसे लंबी** सुरंग है।
- **डुंगरी ला (या माना) दर्रा** भारत और तिब्बत को जोड़ता है। यह जांस्कर पर्वत शृंखला (उत्तराखंड) के **नंदा देवी बायोस्फीयर रिज़र्व में स्थित** है। यहाँ तक कि भारतीय नागरिकों को भी इस दर्रे से **यात्रा करने के लिये सेना से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता** होती है।
- **रोहतांग दर्रा** (हिमाचल प्रदेश) महान हिमालय की **पीर पंजाल श्रेणी** में स्थित है और **कुल्लू घाटी को लाहौल तथा स्पीति घाटियों से जोड़ता है**।
- **पश्चिमी घाट का सबसे बड़ा दर्रा तमिलनाडु से सटे केरल के पलक्कड़ (या पाल घाट) में है।**

Drishti IAS

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट :

महाराणा प्रताप जयंती

प्रधानमंत्री **ने 9 मई 2025** को वीर योद्धा **महाराणा प्रताप** की जयंती के अवसर पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की।



- **महाराणा प्रताप का** जन्म **9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़** में हुआ था। **वे मेवाड़ के 13वें शासक** और **उदय सिंह द्वितीय के सबसे बड़े पुत्र** थे।
- **महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने चित्तौड़** को अपनी राजधानी बनाकर **मेवाड़ राज्य** पर शासन किया और वे **उदयपुर शहर के संस्थापक भी थे।**
- **हल्दीघाटी का युद्ध** (**18 जून 1576**) **महाराणा प्रताप** और मुगल सम्राट **अकबर** के सेनापति **आमेर के राजा मान सिंह** के बीच हुआ था ; यद्यपि महाराणा प्रताप ने बहादुरी से युद्ध किया, फिर भी वे **मुगल सेना से पराजित हो गए।**
- **वर्ष 1579** के बाद महाराणा प्रताप ने **पश्चिमी मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया और** डूंगरपुर के पास **चावंड** में अपनी **नई राजधानी** स्थापित की।
- **19 जनवरी 1597** को उनकी मृत्यु हो गई और उनके पुत्र **अमर सिंह ने उनका स्थान लिया**, जिन्होंने वर्ष 1614 में सम्राट **जहांगीर के अधीन समर्पण कर दिया।**

संयुक्त राष्ट्र वेसाक दिवस 2025

संयुक्त राष्ट्र वेसाक दिवस (अंतर्राष्ट्रीय वेसाक दिवस) मई 2025 में **हो ची मिन्ह सिटी वियतनाम** में 85 देशों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित किया गया था, जिसका विषय था "मानवीय सम्मान के लिये एकजुटता और सहिष्णुता: विश्व शांति एवं सतत् विकास के लिये बौद्ध ज्ञान।"

- **एक अन्य घटनाक्रम में,** भारत ने सफलतापूर्वक हस्तक्षेप करके सोथबीज हॉन्गकॉन्ग नीलामी घर द्वारा **पिपराहवा बौद्ध अवशेषों** की नीलामी को रोक दिया।

संयुक्त राष्ट्र वेसाक दिवस

- **वेसाक दिवस, बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र दिन है जो मई माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है।** यह **भगवान बुद्ध** के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण का प्रतीक है, जो दोनों एक ही दिन हुए थे।
- **वर्ष 1999 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त** वेसाक को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय और पूरे विश्व में बौद्ध संगठनों द्वारा मनाया जाता रहा है, जिसका **पहला आधिकारिक आयोजन वर्ष 2000 में न्यूयॉर्क में हुआ था।**
- यह शांति, करुणा और नैतिक जीवन को बढ़ावा देने में **बौद्ध दर्शन** के वैश्विक महत्त्व पर प्रकाश डालता है।

पिपराहवा बौद्ध अवशेष

- **कपिलवस्तु (सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश)** के निकट पिपरहवा स्तूप में वर्ष 1898 में खुदाई में मिले अवशेष मूल रूप से **शाक्य वंश** के बुद्ध के परिजनों द्वारा संग्रहित किये गए थे।
- इनमें **हड्डियों के टुकड़े, स्टियाटाइट (साबुन पत्थर) और क्रिस्टल की मंजूषाएँ,** बलुआ पत्थर का एक पात्र तथा चढ़ावे (सोना एवं रत्न) शामिल हैं, जिन्हें एक प्रमुख **ब्राह्मी अभिलेख** के माध्यम से बुद्ध से संबंधित माना गया है।
- वर्ष 1899 में, अधिकांश अवशेषों को **भारतीय संग्रहालय, कोलकाता में स्थानांतरित कर दिया गया** तथा उन्हें **पुरावशेष**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 और **भारतीय निखात निधि अधिनियम, 1878** के तहत संरक्षित कर दिया गया, जिससे उनकी बिक्री या निर्यात पर रोक लग गई।

- कुछ अवशेष **ब्रिटिशों द्वारा सियाम (थाईलैंड) के राजा को उपहार में दिये गए थे।**



दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 को **11 मई 2025** को **"YANTRA – युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड एक्सेलेरेशन"** थीम के साथ मनाया गया।

- **युगांतर** भारत के **वैश्विक तकनीकी नेता** के रूप में उदय को चिह्नित करता है, जबकि **यंत्र** भारत की **वैज्ञानिक धरोहर, नवाचार** और **मापनीय समाधानों** को दर्शाता है।
- वर्ष 2025 में आयोजित उत्सवों का ध्यान **डीप-टेक, प्रेसिजन इंजीनियरिंग** और **परिवर्तनकारी अनुसंधान एवं विकास (R&D)** को बढ़ावा देने पर केंद्रित था, जिसमें नीति निर्धारकों, वैज्ञानिकों और उद्योग नेताओं की भागीदारी रही।
- यह दिन **11 मई, 1998** की घटनाओं की स्मृति में मनाया जाता है, जब भारत ने **ऑपरेशन शक्ति** के तहत सफलतापूर्वक **परमाणु परीक्षण** किये और **हंसा-3 विमान** की पहली उड़ान देखी।
  - इस दिन को वर्ष **1999** में तत्कालीन **प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी** द्वारा इन उपलब्धियों के सम्मान में आधिकारिक रूप से घोषित किया गया था।
- यह दिन वैज्ञानिक उत्कृष्टता का सम्मान करने, नवाचारों को प्रदर्शित करने और **विज्ञान, उद्योग** तथा **समाज के बीच साझेदारियों** को बढ़ावा देने के एक मंच के रूप में कार्य करता है।

आईएमडीईएक्स एशिया 2025

INS किल्टान (P30) ने सिंगापुर के **चांगी प्रदर्शनी केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी (IMDEX) एशिया 2025 में** भाग लिया, जिससे भारत की सामरिक समुद्री उपस्थिति की पुष्टि हुई और **हिंद-प्रशांत क्षेत्र** में नौसैनिक संबंधों को मज़बूती मिली।

IMDEX एशिया

- **IMDEX एशिया :** वर्ष 1997 से सिंगापुर में प्रत्येक दो वर्ष में आयोजित होने वाला IMDEX एशिया, एशिया-प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख समुद्री और रक्षा प्रदर्शनी है।
- यह नौसेनाओं, तट रक्षकों और समुद्री रक्षा उद्योगों के लिये नौसैनिक प्लेटफार्मों को प्रदर्शित करने, उन्नत प्रौद्योगिकियों को पेश करने एवं रणनीतिक नीति संवाद में शामिल होने के लिये एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है।
- **प्रमुख विशेषताएँ:** अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन (IMSC), IMDEX एशिया का एक प्रमुख घटक है, जो आपसी सुरक्षा को बढ़ावा देने और वैश्विक समुद्री चुनौतियों के लिये सहकारी समाधान को आगे बढ़ाने के लिये नौसेना प्रमुखों, तट रक्षक प्रमुखों, नीति निर्माताओं व समुद्री विशेषज्ञों को एक साथ लाता है।
- इसमें **समुद्री सूचना साझाकरण अभ्यास (MARISX) भी शामिल है**, जो समुद्री सुरक्षा में समन्वय को बेहतर बनाने और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिये एक परिदृश्य-आधारित अभ्यास है।

INS किल्टान

- INS किल्टान एक **स्वदेश निर्मित पनडुब्बी रोधी युद्धक स्टील्थ कार्वेट है** तथा **प्रोजेक्ट 28** के तहत **चार कामोर्टा श्रेणी के जहाज़ों में से तीसरा है।**
  - जहाज़ का नाम रणनीतिक रूप से स्थित लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीपों के **अमिनिदिवि समूह के एक द्वीप के नाम पर रखा गया है।**
- यह **कार्बन फाइबर कंपोजिट अधिसंरचना वाला भारत का पहला प्रमुख युद्धपोत है, जो** इसकी स्टेल्थ क्षमता को बढ़ाता है, वज़न को कम करता है तथा रखरखाव लागत में कटौती करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- यह जहाज़ पूर्व **पेट्या श्रेणी के जहाज़ 'किल्टान (P79)' की विरासत को आगे बढ़ाता है** , जिसने वर्ष **1971 के भारत -पाक युद्ध** के दौरान **'ऑपरेशन ट्राइडेंट' में भाग लिया था।**



स्वामित्व योजना और WB लैंड कॉन्फ्रेंस 2025

विश्व बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस 2025 में, भारत ने **भूमि प्रशासन** में अपनी अग्रणी पहलों- **स्वामित्व योजना और ग्राम मानचित्र प्लेटफॉर्म को "भूमि स्वामित्व और शासन सुधार में अच्छी प्रथाएँ और चुनौतियाँ"** विषय पर उच्च स्तरीय सत्र के हिस्से के रूप में रेखांकित किया।

- **स्वामित्व योजना:** स्वामित्व (ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर प्रौद्योगिकी से सर्वेक्षण और मानचित्रों) योजना को **पंचायती राज मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020** में शुरू किया गया था।
  - यह **ड्रोन और GIS तकनीक** का उपयोग करके **ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय संपत्तियों का कानूनी स्वामित्व** प्रदान करने के लिये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
  - इसका उद्देश्य **ग्रामीण संपत्ति मालिकों के लिये अधिकारों का रिकॉर्ड** बनाना था, जिसमें आबादी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया था।
  - अप्रैल 2025 तक, इस योजना के तहत 1.6 लाख गाँवों में 24.4 मिलियन परिवारों को संपत्ति कार्ड जारी किये गए हैं, जिससे **1.162 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य** की भूमि का पता चला है।
- **ग्राम प्रबंधन मंच:** यह एक GIS-आधारित मंच है, जिसे **ग्रामीण शासन और योजना को सशक्त** बनाने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
  - यह ज़मीनी स्तर पर प्रभावी निर्णय लेने के लिये दृश्य अंतर्दृष्टि प्रदान करने हेतु **भू-स्थानिक डेटा** को मौजूदा योजनाओं के साथ एकीकृत करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

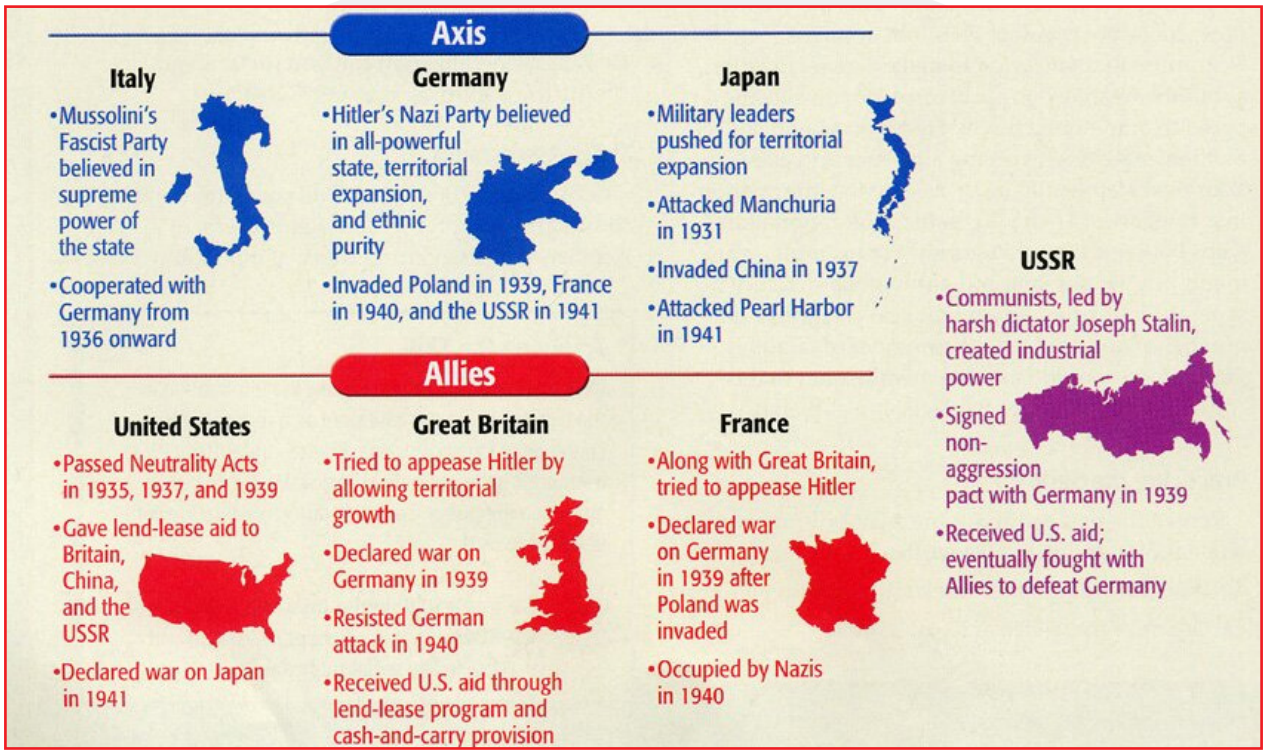
नोट :

- **विश्व बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस:** यह भूमि प्रशासन पर एक वैश्विक मंच है, जो अनुसंधान को साझा, तकनीकी चुनौतियों का समाधान करने और भूमि प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिये हितधारकों को एक मंच प्रदान करता है।

द्वितीय विश्व युद्ध की 80वीं वर्षगाँठ

9 मई, 2025 को रूस ने **द्वितीय विश्व युद्ध** में नाज़ी जर्मनी की हार की 80वीं वर्षगाँठ मनाई, जिसमें राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रेड स्क्वायर में एक भव्य सैन्य परेड का नेतृत्व किया। जुलूस में टैंक, मिसाइल और सैनिक शामिल थे

- **बर्लिन युद्ध (20 अप्रैल-2 मई 1945)** के बाद, नाज़ी जर्मनी ने **7 मई 1945 को आत्मसमर्पण** कर दिया तथा **सैन्य आत्मसमर्पण 8 मई** को प्रभावी हुआ।
- रूस **समय क्षेत्रों** में अंतर के कारण 8 मई के बजाय **9 मई को विजय दिवस** मनाता है (पश्चिमी देशों की तरह)।
- **द्वितीय विश्व युद्ध (वर्ष 1939-1945)** इतिहास का सबसे **व्यापक और विनाशकारी संघर्ष था, जो धुरी शक्तियों** (जर्मनी, इटली, जापान) और **मित्र शक्तियों** (अमेरिका, फ्राँस, ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत संघ और चीन सहित) के बीच हुआ था।



- युद्ध की शुरुआत **1 सितंबर 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के** साथ हुई, जिसके बाद **ब्रिटेन और फ्राँस ने** जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी।
- **ऑपरेशन बारबारोसा** के तहत, **जर्मनी ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया**, लेकिन **स्टेलिनग्राद के युद्ध (वर्ष 1942-1943) के दौरान उसे रोक दिया गया।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **द्वितीय विश्व युद्ध मई 1945 में बर्लिन के पतन** के बाद जर्मनी के बिना शर्त आत्मसमर्पण व **सितंबर 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमबारी** के बाद जापान के आत्मसमर्पण के साथ यह समाप्त हुआ।

इंदौर भारत का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की **भिक्षावृत्ति मुक्त भारत पहल** के तहत **इंदौर, मध्य प्रदेश** को भारत का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया है।

- यह उपलब्धि, जिसे **विश्व बैंक** द्वारा भी मान्यता प्रदान की गई है, **"भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों का व्यापक पुनर्वास" (Comprehensive Rehabilitation of Persons Engaged in the Act of Begging)** के तहत किये गए निरंतर पुनर्वास प्रयासों का परिणाम है, जो **स्माइल योजना (SMILE scheme)** की एक उप-योजना है।

भिक्षावृत्ति:

- **भिक्षावृत्ति या भीख मांगने** में विभिन्न कार्यों जैसे गाना, वस्तुएँ बेचना या विकृतियाँ प्रदर्शित करके भिक्षा मांगना शामिल है।
- **स्थिति: जनगणना 2011** के अनुसार **भारत में 4.13 लाख भिखारी हैं**, जिनमें सबसे अधिक संख्या **उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश** में है। **SECC 2011** के अनुसार 6.62 लाख ग्रामीण परिवार भिक्षावृत्ति पर निर्भर हैं।
- **संवैधानिक आधार: आहिंडन अथवा वैग्रेंसी (भिक्षावृत्ति सहित) समवर्ती सूची (सूची III, प्रविष्टि 15)**, जहाँ केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं।
- **कोई केन्द्रीय कानून नहीं** : भारत में **भिक्षावृत्ति पर एक समान केंद्रीय कानून** का अभाव है और **बॉम्बे भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1959** के तहत एक मुख्य कानून के रूप में कार्य करता है, जो **भिक्षावृत्ति** को अपराध बनाता है तथा भिखारियों को व्यापक रूप से परिभाषित करता है।

स्माइल योजना: भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों का पुनर्वास

- **वर्ष 2022** में शुरू की गई **SMILE योजना** में 2 उप-योजनाएँ शामिल हैं: **भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों का पुनर्वास** और **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का सशक्तीकरण।**
  - **भिक्षावृत्ति उप-योजना** का उद्देश्य धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटन शहरों जैसे शहरी क्षेत्रों में भीख मांगने में संलग्न **व्यक्तियों की पहचान करना, उनकी प्रोफाइल** बनाना और उनकी सहमति से उनका पुनर्वास करना है।
  - इसका लक्ष्य **वित्त वर्ष 2023-24** से वित्त **वर्ष 2025-26** तक **कम-से-कम 8,000** व्यक्तियों का पुनर्वास करना है।
- **पुनर्वास रणनीति:** इसमें पहचान, पहुँच और पुनर्वास के लिये स्थानीय निकायों के साथ **समन्वय करना, फोटो/वीडियो दस्तावेज़ीकरण के माध्यम से सहानुभूतिपूर्ण संपर्क और प्रोफाइलिंग शामिल** है।
- ज़िला प्रशासन, **गैर सरकारी** संगठन, **स्वयं सहायता समूह** और मंदिर ट्रस्ट परामर्श, शिक्षा और पुन: एकीकरण सहायता जैसी सेवाएँ प्रदान करते हैं।

वेज बैंक

कन्याकुमारी के मछुआरे केंद्र सरकार द्वारा **हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी (HELP)** के तहत **वेज बैंक** में प्रस्तावित **हाइड्रोकार्बन अन्वेषण परियोजना** का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे उनकी आजीविका और **पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील समुद्री क्षेत्र** को नुकसान पहुँचेगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

वेज बैंक

- वेज बैंक (Wadge Bank) हिंद महासागर में एक अंत:समुद्री पठार है, जो कन्याकुमारी (केप कोमोरिन) से 80 किमी दूर भारत के **अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ)** में स्थित है।
  - एक बैंक **महाद्वीपीय मग्नतट** पर एक छिछला उभार होता है, जो आमतौर पर **200 मीटर से कम गहरा** होता है, जिसका निर्माण महाद्वीपीय उत्पत्ति के दौरान होता है।
- यह अपनी **समृद्ध समुद्री जैव विविधता** और **प्रचुर मत्स्य संसाधनों के लिये जाना जाता है।**
- वर्ष 1976 के **भारत-श्रीलंका समुद्री सीमा समझौते** के तहत भारत को वेज बैंक पर संप्रभु अधिकार प्राप्त हैं, जिसमें **पेट्रोलियम और खनिजों की खोज का अधिकार** शामिल है, जबकि श्रीलंकाई मछुआरों को इस क्षेत्र में **मत्स्य संग्रहण** से प्रतिबंधित किया गया है।
- यह विश्व के सबसे समृद्ध मत्स्य क्षेत्रों में से एक है, जहाँ उच्च जैविक उत्पादकता पाई जाती है तथा यह मछलियों के लिये एक प्रमुख भोजन एवं प्रजनन स्थल है।
- वेज बैंक में मुख्य मत्स्य संग्रहण का मौसम जुलाई से अक्तूबर तक होता है, जब मौसमी अपवेलिंग (समुद्री जल का ऊपर उठना) के कारण पोषक तत्त्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है।

हाइड्रोकार्बन

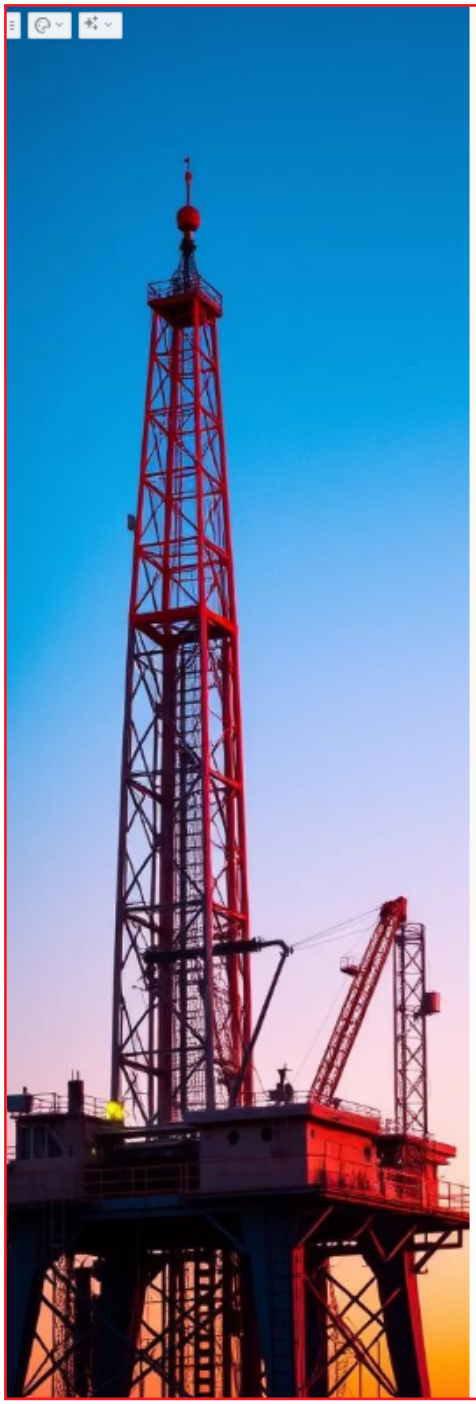
- **हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक (कार्बन और हाइड्रोजन से बने) हैं जो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** जैसे जीवाश्म ईंधनों का आधार बनते हैं।



दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :



हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी (HELP)

नीति का परिचय:

- सरकार द्वारा प्रस्तावित नई हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी (HELP) के तहत तेल और गैस की खोज के लिए नए ब्लॉक जारी किये गए।
- भारत कच्चे तेल और पेट्रोलियम का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है।
- भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का लगभग 80% आयात करता है।

मुख्य विशेषताएँ

- यह एक एकीकृत लाइसेंसिंग प्रणाली प्रदान करता है जो सभी हाइड्रोकार्बनों को कवर करता है - जैसे तेल, गैस और कोल-बेड मीथेन।
- यह राजस्व साझा मॉडल पर आधारित है।
- यह विपणन और मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता की अनुमति देता है।
- कंपनियाँ अपनी पसंद के ब्लॉकों का चयन इस ओपन एरिया लाइसेंसिंग (OAL) प्रणाली के तहत कर सकती हैं।
- राष्ट्रीय डेटा रिपॉजिटरी (NDR) एकीकृत डेटा भंडार है, जो अन्वेषण और उत्पादन डेटा प्रदान करता है।

लाभ:

लागत वसूली जांच खत्म, पारदर्शिता बढ़ी, अन्वेषण में तेजी।

चुनौतियाँ

क्षेत्र के निष्पादन से पहले निदेशक जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन (DGH) को विवेकाधिकार देने से समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

NELP की कमियाँ:

- तेल और गैस, कोल-बेड मीथेन, शेल ऑयल और गैस के लिए अलग-अलग नीतियाँ।
- विभिन्न नीतियाँ अक्षमताओं और संसाधनों के इष्टतम उपयोग में बाधा डालती थीं।
- NELP के तहत मूल्य निर्धारण पर विवाद हुआ।
- निवेशकों के लिए मूल्य निर्धारण की अनिश्चितता के कारण जोखिम।

निष्कर्ष:

- यह सरकार की 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' की नीति के अनुरूप है।
- NDR के नियमित अपडेट से, कम लागत पर अन्वेषण की जानकारी उपलब्ध होगी, जिससे हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और उत्पादन गतिविधियों में तेजी आएगी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

सेमी क्रायोजेनिक इंजन

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने अपने **सेमी क्रायोजेनिक इंजन** का अल्पकालिक गर्म परीक्षण सफलतापूर्वक **इसरो प्रणोदन परिसर (IPRC), महेन्द्रगिरि** में किया।

- अल्पकालिक गर्म परीक्षण में इंजन को वास्तविक ईंधन के साथ संक्षिप्त रूप से प्रज्वलित किया जाता है ताकि **वास्तविक संचालन स्थितियों में उसके प्रज्वलन और प्रदर्शन की पुष्टि** की जा सके। यह परीक्षण मार्च 2025 में किये गए पहले सफल गर्म परीक्षण के बाद दूसरा महत्त्वपूर्ण चरण है।
- **सेमी क्रायोजेनिक इंजन:** यह एक **तरल रॉकेट इंजन** होता है जो ऑक्सीडाइज़र के रूप में **तरल ऑक्सीजन (LOX)** और ईंधन के रूप में **परिष्कृत केरोसीन (RP-1)** का उपयोग करता है।
  - भविष्य के हेवी-लिफ्ट प्रक्षेपण यानों के बूस्टर चरणों को शक्ति प्रदान करने के लिये डिज़ाइन किया गया सेमी-क्रायोजेनिक इंजन, LOX-केरोसीन संयोजन के माध्यम से क्रायोजेनिक प्रणालियों की तुलना में उच्च घनत्व आवेग प्रदान करता है, जिससे **प्रणोदन क्षमता** में वृद्धि होती है।
  - इसके अतिरिक्त, केरोसीन तरल हाइड्रोजन की तुलना में सस्ता और संभालने में आसान होता है, जिससे लागत कम होती है और संचालन सरल हो जाता है।
  - इस सेमी क्रायोजेनिक इंजन के सफल विकास से इसरो की पेलोड क्षमता में वृद्धि होगी और यह **नेक्स्ट जेनरेशन लॉन्च व्हीकल (NGLV)** जैसे भविष्य के प्रक्षेपण यानों का समर्थन करेगा।
- **NGLV:** एक लागत-कुशल, पुन: उपयोग योग्य हेवी-लिफ्ट रॉकेट है जिसे इसरो द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह **लो अर्थ ऑर्बिट (Low Earth Orbit)** में 30 टन तक भार ले जाने में सक्षम होगा, जिसमें पहला चरण पुन: उपयोग योग्य होगा।
  - इसमें **पहले दो चरणों के लिये LOX इंजन और एक क्रायोजेनिक ऊपरी चरण के साथ 3-चरणीय डिज़ाइन** है।
  - NGLV का उद्देश्य संचार उपग्रह प्रक्षेपण, गहरे अंतरिक्ष मिशन और भविष्य के मानव अंतरिक्ष उड़ान और कार्गो मिशनों को समर्थन प्रदान करना है।

Cryogenic vs Semi-Cryogenic Engines: Key Differences

Feature	Cryogenic Engine	Semi-Cryogenic Engine
Fuel	Liquid Hydrogen (LH_2) + Liquid Oxygen (LOX)	Refined Kerosene (RP-1) + Liquid Oxygen (LOX)
Fuel Temperature	LH_2 at –253°C, LOX –183°C	–183°C, Kerosene stored at ambient temperature
Complexity	High (due to handling ultra-cold LH_2, insulation challgengs)	Lower (kerosene is stable at room temperature)
Cost	Expensive (LH_2 production/storage costs, complex infrast-	Cheaper (kerosene is cost-effective, simpler logistics)
Thrust	Lower thrust but higher specific impulse (efficiency in vacuum)	Higher thrust (ideal for heavy-lift boosters)
Advantages	- High efficiency (specific impulse -450 sec) - Clean exhaust (water vapor)	- Higher thrust-to-weight ratio- Higher density impulse (more fuel storage) - Cost-effective

क्षुद्रग्रह 2024 YR4

राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन (National Aeronautics and Space Administration- NASA) ने **क्षुद्रग्रह 2024 YR4** के अपने आकलन को अद्यतन किया है, जिसे शुरू में पृथ्वी के लिये संभावित खतरा माना गया था, अब **22 दिसंबर 2032** को **चंद्रमा** से इसके टकराने की **3.8% संभावना बताई है**।

- चंद्रमा के साथ इस टकराव के परिणामस्वरूप एक **बड़ा गड्ढा बन सकता है और चंद्र मिशनों** के लिये एक बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है।
- **क्षुद्रग्रह 2024 YR4:** इसे पहली बार दिसंबर 2024 में चिली में **क्षुद्रग्रह स्थलीय-प्रभाव अंतिम चेतावनी प्रणाली (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System-ATLAS) दूरबीन द्वारा खोजा गया था।**
  - यह एक **निकट-पृथ्वी क्षुद्रग्रह (Near-Earth asteroid-NEA)** है जिसकी कक्षा इसे **पृथ्वी से 1.3**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

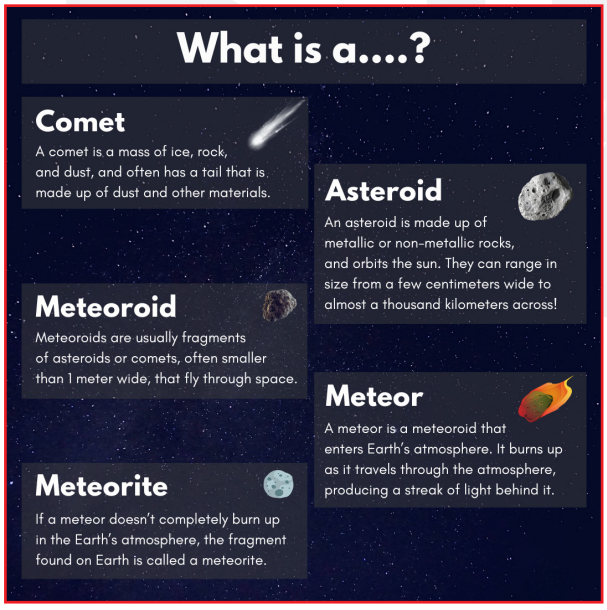
नोट:

खगोल इकाइयों (1 AU पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी है) के भीतर लाती है ।

- अनुमान है कि इसकी **चौड़ाई 53-67 मीटर है** तथा इसका आकार लगभग **15 मंजिला इमारत के बराबर है।**

क्षुद्रग्रह:

- **क्षुद्रग्रह** प्रारंभिक सौरमंडल के **चट्टानी, वायुहीन अवशेष** हैं, जो लगभग **4.6 अरब वर्ष पहले बने थे।**
- **स्थान और आकार:** अधिकांश क्षुद्रग्रह **मंगल और बृहस्पति के बीच बेल्ट में पाए जाते हैं, कुछ पृथ्वी को पार करने वाली कक्षाओं का** भी अनुसरण करते हैं। इनका आकार कुछ मीटर से लेकर सैकड़ों किलोमीटर तक होता है।
- **वर्गीकरण:** इन्हें **मुख्य बेल्ट (मंगल और बृहस्पति के बीच), ट्रोजन (लैग्रेंजियन बिंदुओं** पर एक ग्रह की कक्षा साझा करने वाले) एवं **निकट-पृथ्वी क्षुद्रग्रह** (जिनकी कक्षाएँ उन्हें पृथ्वी के पथ के करीब लाती हैं या उन्हें काटती हैं) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- **पृथ्वी के निकटवर्ती पिंडों की निगरानी से संबंधित पहल:**
  - ESA का हेरा मिशन
  - नेत्र परियोजना एवं अंतरिक्ष अपशिष्ट



केंदू पत्ता

ओडिशा के गाँव **वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006** के तहत केंदू पत्तों के व्यापार को स्वतंत्र रूप से संचालित करने के लिये सरकार द्वारा विनियमन हटाए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

- **ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा केंदु पत्ता उत्पादक राज्य है,** जो प्रतिवर्ष लगभग 4.5–5 लाख क्विंटल उत्पादन करता है, जो राष्ट्रीय उत्पादन का लगभग 20% है।

केंदू पत्ता

- **वानस्पतिक नाम:** *डाइऑस्पिरॉस मेलानॉक्सिलॉन (Diospyros melanoxylon) (पत्ते)*
- **सामान्य उपयोग:** बीड़ी (स्थानीय हाथ से बनी सिगरेट) के लिये आवरण
- **आर्थिक महत्त्व:** केंदू पत्ता, जो बाँस और साल बीज की तरह एक राष्ट्रीयकृत उत्पाद है, एक प्रमुख **गैर-लकड़ी वन उत्पाद (NTFP)** है, जिसे प्राय: **"हरा सोना"** कहा जाता है और यह आदिवासियों, महिलाओं और विधवाओं के लिये आय का एक प्रमुख स्रोत है
- **कानूनी स्थिति: वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006** के अनुसार **लघु वनोत्पाद (Minor Forest Produce - MFP)** के अंतर्गत शामिल।

वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006

- **वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006** वन क्षेत्रों में पीढ़ियों से निवास करने के बावजूद **औपचारिक भूमि अधिकारों से वंचित वनवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों को वन अधिकारों** की **मान्यता** देता है।
  - यह अधिनियम व्यक्तिगत रूप से खेती योग्य भूमि पर अधिकार, **लघु वनोपज एकत्र करने और बेचने के अधिकार**, पारंपरिक वन उपयोग पर सामुदायिक अधिकार विशेष रूप से **कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTG)** के लिये आवास अधिकार, तथा वनों के प्रबंधन और संरक्षण के

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

लिये **सामुदायिक वन संसाधन (CFR) अधिकार** प्रदान करता है। वन भूमि के किसी भी प्रकार के अन्य उपयोग के लिये **ग्राम सभा की स्वीकृति** अनिवार्य है।

- वन अधिकार अधिनियम (FRA) **ओडिशा केंदू पत्ता (व्यापार नियंत्रण) अधिनियम** जैसे विरोधाभासी राज्य कानूनों को रद्द करता है।



दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) के उन्नयन हेतु राष्ट्रीय योजना

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पाँच वर्षों में **1,000 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI)** को उन्नत करने के लिये **60,000 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है, साथ ही कौशल विकास के लिये पाँच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र** (NCOEs) भी स्थापित किए जाएंगे।

- इसका **वित्तपोषण केंद्र, राज्य और उद्योगों** द्वारा किया जाएगा तथा **ADB और विश्व बैंक केंद्रीय** हिस्से का **50% सह-वित्तपोषण** करेंगे।
- यह **हब-एंड-स्पोक मॉडल के तहत ITI** को उद्योग-प्रासंगिक व्यवसायों से उन्नत बनाने पर केंद्रित है, साथ ही ऑटोमेशन, AI और उन्नत विनिर्माण जैसे **पूंजी-गहन क्षेत्रों में 20 लाख युवाओं** को नवयुगीन कौशल प्रदान करने को बढ़ावा देता है।
- **50,000 प्रशिक्षकों** को प्रशिक्षित करने के लिये **भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना** में मौजूदा **राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (NSTI) में कौशल विकास के लिये पाँच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र** स्थापित किये जाएंगे।
  - NSTI मुख्य रूप से **प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण** पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वर्तमान में संपूर्ण भारत में **33 NSTI हैं।**
- **उद्योग-नेतृत्व आधारित SPV मॉडल** पाठ्यक्रम नियोजन, बुनियादी ढाँचे और प्रबंधन को संचालित करेगा, जो सरकारी एकाधिकार से सार्वजनिक-निजी सहयोग की ओर एक महत्त्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है।
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान **व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र** हैं जो **विद्युत, यांत्रिकी, काष्ठकला (कारपेंटरी), प्लंबिंग और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी** जैसे व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।
  - **कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE)** के अंतर्गत **प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGT)** ITI की **संबद्धता एवं मान्यता** के लिये शीर्ष संगठन है।

डोंगरिया कोंध जनजाति

ओडिशा के नियामगिरि पहाड़ियों में निवासरत **डोंगरिया कोंध** एक **विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTG)** हैं, जो प्रकृति के साथ अपने आध्यात्मिक बंधन और विशिष्ट संस्कृति के लिये जाने जाते हैं।

- **डोंगरिया कोंध जनजाति:** वे पहाड़ियों के देवता **नियम राजा** की पूजा करते हैं और **पोडु (स्थानांतरित) खेती** जैसी परंपराओं का पालन करते हैं।
  - वे कुई नामक एक प्राचीन **द्रविड़ भाषा बोलते हैं और पीढ़ियों से गीतों और नृत्य की मौखिक परंपराओं** के माध्यम से अपने पूर्वजों का ज्ञान संजोते हैं (इस भाषा की कोई लिपि नहीं है)।
  - इस जनजाति की कई **उप-जनजातियाँ** हैं, जैसे **कोवी, कुट्टिया, लंगुली, पेंगा, और झर्निया (झरनों की रक्षक)।**
- **भूमि पर अधिकार:** वर्ष 2000 के दशक में इस जनजाति ने वेदांता कंपनी की अपनी **भूमि पर खनन परियोजनाओं** का दृढ़ता से विरोध किया।
  - यह विरोध **वर्ष 2013 में एक ऐतिहासिक सर्वोच्च न्यायालय के फैसले** में परिणत हुआ, जिसमें **ग्राम सभा** को अपनी भूमि पर खनन परियोजनाओं को अस्वीकार करने का संवैधानिक अधिकार दिया गया।
- **PVTG:** यह अनुसूचित जनजातियों की एक उप-श्रेणी है, जिन्हें सामान्य **अनुसूचित जनजातियों की तुलना में अधिक संवेदनशील** माना जाता है।
  - भारत में कुल **75 PVTGs** हैं, जिनमें सबसे **अधिक (13) ओडिशा में हैं, इसके बाद आंध्र प्रदेश में 12** हैं।
- **नियमगिरि पर्वत श्रृंखला:** यह ओडिशा के **कालाहांडी और रायगढ़ ज़िलों** में स्थित है, इसकी सीमा उत्तर-पश्चिम में **करलापट वन्यजीव अभयारण्य** और उत्तर-पूर्व में **कोटगढ़ वन्यजीव अभयारण्य** से लगती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

भारत में प्रमुख जनजातियाँ



- अनुसूचित जनजाति भारत की जनसंख्या का 8.6% है (जनगणना 2011)। मसौदा राष्ट्रीय जनजातीय नीति, 2006 में भारत की 698 अनुसूचित जनजातियाँ दर्ज हैं।
- विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTGs) ऐसी जनजातियों का समूह है जो जनजातीय समूहों के बीच अधिक आदिम/सुभेद्य हैं। 75 सूचीबद्ध PVTGs में से सबसे अधिक संख्या ओडिशा में पाई जाती है।
- गोंड के बाद भील सबसे बड़ा आदिवासी समूह (भारत की कुल अनुसूचित जनजातीय आबादी का 38% है।
- भारत की सबसे अधिक जनजातीय आबादी मध्य प्रदेश में पाई जाती है (जनगणना 2011)।
- संथाल भारत की सबसे पुरानी जनजाति है। संथालों की शासन प्रणाली, जिसे मांझी-परगना के नाम से जाना जाता है, की तुलना स्थानीय स्वशासन से की जा सकती है।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन आदेश), 1956 के अनुसार, लक्षद्वीप के ऐसे निवासी जो स्वयं और जिनके माता-पिता दोनों इन द्वीपों में पैदा हुए थे, उन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में माना जाता है।
- संविधान का अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियों के विनिर्देशन के लिये अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का निर्धारण करता है।
- अनुच्छेद 275 अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने और उन्हें बेहतर प्रशासन प्रदान करने के लिये केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को विशेष धन देने का प्रावधान करता है।

or-Tribes-in-India.png

बॉण्ड फॉरवर्ड

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के बॉण्ड फॉरवर्ड्स संबंधी मानदंडों का उद्देश्य भारत में सरकारी प्रतिभूतियों में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के व्यापार के लिये एक विनियमित ढाँचा स्थापित करना है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट** दो पक्षों के बीच किसी परिसंपत्ति को **किसी निर्दिष्ट भविष्य की तिथि पर पूर्व निर्धारित मूल्य** पर खरीदने या बेचने के लिये किये गए अनुकूलित समझौते हैं।



बॉण्ड फॉरवर्ड

- **परिचय:** बॉण्ड फॉरवर्ड वित्तीय अनुबंध हैं, जिसमें दो पक्ष **भविष्य की तिथि और पूर्व-निर्धारित मूल्य पर सरकारी बॉण्ड (केंद्रीय या राज्य) खरीदने या बेचने के लिये सहमत होते हैं,** जो ब्याज दर जोखिमों के प्रबंधन हेतु एक नया उपकरण प्रदान करता है।
- **उद्देश्य:** दीर्घकालिक निवेशकों (जैसे बीमा कंपनियाँ) को **ब्याज दर जोखिम से बचाव में सहायता करना, नकदी प्रवाह नियोजन में सुधार करना तथा बॉण्ड डेरिवेटिव बाज़ार को गहन बनाना।**
  - **अविनियमित FRA (फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट)** के विपरीत, जो केवल नकद निपटान की पेशकश करते हैं, जबकि **बॉण्ड फॉरवर्ड में बॉण्ड की वास्तविक डिलीवरी शामिल होती है,** जो ऐसे निवेशकों की आवश्यकताओं के साथ बेहतर ढंग से संरेखित होती है।
- **बाज़ार प्रभाव:** बॉण्ड फॉरवर्ड से 10-15-वर्षीय **राज्य विकास ऋण (SDL)** की मांग बढ़ने की संभावना है, जो उच्चतर प्रतिफल प्रदान करते हैं (उदाहरण के लिये, SDL पर 6.71% बनाम केंद्रीय सरकार के बॉण्ड पर 6.41%), जो उन्हें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के लिये आकर्षक बनाता है।
- **प्रतिभागी: विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण उपकरण) विनियम, 2019** के तहत सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिये पात्र निवासी और गैर-निवासी बॉण्ड फॉरवर्ड लेनदेन में भाग ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त **गैर-खुदरा उपयोगकर्त्ता** के रूप में वर्गीकृत किसी भी इकाई को उपयोगकर्त्ता के रूप में ऐसे लेनदेन करने की अनुमति है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (SCB), प्राथमिक डीलर (बाज़ार निर्माता के रूप में) और बीमा कंपनियों जैसे संस्थागत निवेशक इसमें भाग ले सकते हैं, **जबकि** लघु वित्त बैंक (SFB), **भुगतान बैंक,** स्थानीय क्षेत्र बैंक (LAB) **और** क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) इसमें शामिल नहीं हैं।

संशोधित शक्ति नीति 2025

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय **समिति (CCEA) ने कोयले की उपलब्धता बढ़ाने** और विद्युत क्षेत्र में **कारोबार को आसान बनाने** के लिये कोयला आवंटन हेतु संशोधित **शक्ति नीति को स्वीकृति दी।**

- **शक्ति नीति (वर्ष 2017) का उद्देश्य** नामांकन-आधारित प्रणाली से **नीलामी या टैरिफ-आधारित बोली-प्रक्रिया की ओर बढ़कर कोयला आवंटन को पारदर्शी** बनाना है।
- **संशोधित नीति की मुख्य विशेषताएँ: इसमें कारोबार को आसान** बनाने के लिये आठ पुरानी श्रेणियों के स्थान पर दो सुव्यवस्थित विंडो- **विंडो-I और विंडो-II की शुरुआत की गई है।**
  - **विंडो-I (अधिसूचित मूल्य पर कोयला): संयुक्त उद्यमों (JV)** और सहायक कंपनियों सहित **सरकारी स्वामित्व वाले ताप विद्युत संयंत्रों के लिये** कोयले की आपूर्ति निश्चित मूल्य पर की जाएगी।
  - **विंडो-II (अधिसूचित मूल्य से अधिक प्रीमियम): विद्युत उत्पादक अधिसूचित मूल्य** से अधिक **प्रीमियम** पर **नीलामी** के माध्यम से कोयला प्राप्त कर सकते हैं।
    - उन्हें **दीर्घकालिक (25 वर्ष तक)** या **अल्पकालिक (12 महीने तक)** अनुबंधों के माध्यम से विद्युत बेचने में **लचीलापन प्रदान करना।**
- **कोयला:** भारत में विश्व का **5 वाँ सबसे बड़ा** कोयला भंडार **है** और यह **दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता है।**
  - कोयला अभी भी महत्त्वपूर्ण है, जो **भारत के ऊर्जा मिश्रण में 55% का योगदान देता है** तथा **74% से अधिक विद्युत उत्पादन को शक्ति प्रदान करता है।**
  - **ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ भारत के शीर्ष तीन कोयला समृद्ध राज्य** हैं , जिनके पास देश के कुल कोयला भंडार का लगभग **69% हिस्सा है।**

MSME क्षेत्र में अंतराल

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) द्वारा जारी रिपोर्ट *"भारतीय MSME क्षेत्र की समझ: प्रगति और चुनौतियाँ"* में **समय पर और पर्याप्त ऋण की कमी** को भारत में **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME)** के लिये प्रमुख चुनौती के रूप में चिन्हित किया गया है।

- **मुख्य निष्कर्ष:** अनौपचारिक उधारी अभी भी प्रचलित है, जहाँ **12% सूक्ष्म उद्यम, 3% लघु उद्योग,** और **कुल मिलाकर 2% MSME** अब भी अनौपचारिक ऋण स्रोतों पर निर्भर हैं।
  - MSME क्षेत्र को **24% का ऋण अंतराल** का सामना करना पड़ रहा है, जो लगभग **30 लाख करोड़ रुपए** है। **सेवा क्षेत्र में** यह अंतराल **27% तक बढ़** गया है और **महिलाओं के स्वामित्व वाले MSME के लिये यह 35%** तक पहुँच गया है।
  - MSME में 25% इकाइयाँ कुशल मानव संसाधन की कमी, विशेष रूप से रक्षा, परिधान, होटल और सेनेटरीवेयर क्षेत्रों में, का सामना कर रही हैं।
- **SIDBI:** यह एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना **सिडबी अधिनियम, 1989** के तहत की गई थी, और यह भारत में MSME क्षेत्र के संवर्द्धन, वित्तपोषण और विकास के लिये प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करता है।
  - SIDBI, जिसका मुख्यालय **लखनऊ,** उत्तर प्रदेश में स्थित है, भारत सरकार की **पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था** है।
- **भारत में MSME का वर्तमान परिदृश्य:** MSME अब **भारत के** सकल मूल्य संवर्द्धन (GVA) **(2022-23) में 30.1%** का योगदान देते हैं, जो वर्ष 2020–21 में 27.3% था।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- MSME से निर्यात **₹3.95 लाख करोड़ (2020-21)** से बढ़कर **₹12.39 लाख करोड़ (2024-25)** हो गया है, जिससे वर्ष 2024 तक कुल निर्यात में उनका हिस्सा 45.79% तक पहुँच गया है।

MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) का नया वर्गीकरण:

प्रकार	निवेश		टर्नओवर	
	वर्तमान	संशोधित	वर्तमान	संशोधित
सूक्ष्म उद्यम	₹1 करोड़	₹2.5 करोड़	₹5 करोड़	₹10 करोड़
लघु उद्यम	₹10 करोड़	₹25 करोड़	₹50 करोड़	₹100 करोड़
मध्यम उद्यम	₹50 करोड़	₹125 करोड़	₹250 करोड़	₹500 करोड़
स्रोत: बजट 2025-2026, निर्मला सीतारमण का भाषण, केंद्रीय वित्त मंत्री, 1 फरवरी 2025				

दृष्टि The Vision

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :